लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 4, मंगलवार, 28 फरवरी, 1984/ 9 फाल्गुन, 1905 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41,43,44,45,45	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—243
तारांकित प्रश्न संख्या : 42,47 से 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 462 से 544,546 से 608, 610 से 619, 621 से 659 और 661 से 691	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	243—252
सदस्य की गिरफ्तारी और रिमाण्ड	253
लोक लेखा समिति	253
175वां प्रतिवेदन	
कार्य मंत्रणा समिति	253—255
55वां प्रतिवेदन	
गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक —पुरःस्थापित	256
गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों का विवरण —सभापटल पर रखा गया	256
नियम 377 के अधीन मामले	257—261
(एक) गेहूं का समर्थन मूल्य 204 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की आवश्यकता	
श्री मनीराम बागड़ी	257

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) पारादीप पत्तन को नौवहन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता	257
श्रीमती जयन्ती पटनायक	
(तीन) ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलों को क्षति हुई उन्हें राहत देने की आवश्यकता	258
श्री हरिकेश बहादुर	
(चार) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में दूरदर्शन की सुविधाएं	258
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	
(पांच) सूरत कपड़ा उद्योग (गुजरात) में श्रमिकों का शोषण से संरक्षण	258
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	
(छः) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के लिए एक पृथक डाक मण्डल खोलने की आवश्यकता	259
श्री उत्तमराव पाटिल	
(सात) नेल्लौर तथा चित्तूर जिलों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता	259
श्री पसाला पेंचालैया	
(आठ) पटना स्थित रक्षा लेखा कार्यालय के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष	259
श्री रामावतार शास्त्री	
(नौ) मध्य प्रदेश इलैक्ट्रिक इन्स्ट्रमेंट लिमिटेड के कार्यकरण को सुधारने के लिए कदम उठाना	260
श्री बाबूराव परांजपे	
(दस) बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए तमिलनाडु को वित्तीय सहायता	261
श्री एस० टी० के जक्कायन	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	261 --306, 396
श्री कमल नाथ झा	261
श्री रशीद मसूद	263

विषय	पृष्ठ
श्री डी० पी० यादव	271
श्री टी० एस० नेगी	276
श्री ए० के० सेन	280
श्री सूरज भान	285
श्री एम० सत्यनारायण राव	293
श्री एन० सुन्दरराजन	299
श्री उमाकांत मिश्र	301
श्री अब्दुल रशीद काबुली	305
स्थगन प्रस्ताव	306—396
पंजाब में विद्यमान स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब तथा हरियाणा दोनों राज्यों में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और जनता के वर्गों तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बीच टकराव हो रहा है	
प्रो० मधु दण्डवते	306
श्री आर० एस० स्पैरो	315
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	319
श्री चिरंजीलाल शर्मा	323
श्री चरणसिंह	327
श्री विक्रम महाजन	331
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	333
प्रो० के० के० तिवारी	338
श्रीमती इन्दिरा गांधी	343
श्री भोगेन्द्र झा	352
श्री जैनुल बशर	354
श्री हरिकेश बहादुर	356

विषय	पृष्ठ
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	356
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	362
डा० कर्ण सिंह	366
श्री ए० के० राय	368
प्रो० सैफुद्दीन सोज़	371
श्री बूटासिंह	374
श्री चन्द्रजीत यादव	383
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	388

लोक सभा

मंगलवार, 28 फरवरी 1984/9 फाल्गुन 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रपुंज (बल्क) औषधियों के आयात और उत्पादन मूल्यों के लिए निर्धारित मापदण्ड

*41. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले क्षेत्र में फार्मूलेशन्स और बल्क औषधियों के आयात और उत्पादन मूल्य निर्धारित करने हेतु सरकार ने क्या मापदंड निर्धारित किए हैं ;

(ख) क्या उन कंपनियों के नाम जिन्होंने इन मापदंडों का पालन नहीं किया है और जो उसके आधार पर कार्य नहीं कर रही हैं तथा जिन्हें निरन्तर उसी प्रकार कार्य करने की स्वीकृति दी जा रही है, सभा पटल पर रखे जाएंगे ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में लाइसेंस प्रदान करने के बारे में यह निर्धारित किया गया है कि आयातित एवं स्वदेशी प्रपुंज औषधों के बीच अनुपात 1:2 का होना चाहिए। फेरा कम्पनियों को केवल मूल स्तर से उत्पादित अपने प्रपुंज औषधों को छोड़कर अन्य फार्मूलेशनों के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। फेरा कम्पनियों को केवल मूल स्तर से उत्पादित की जाने वाली प्रपुंज औषधों के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रपुंज औषधों के लिए लाइसेंस से प्रदान करने के बारे में आयात अंश का कोई अन्य मानदण्ड नहीं है। औषध नीति से पूर्व लाइसेंस दिए गए फेरा क्षेत्र के उत्पादकों के लिए नीति सम्बन्धी विवरण पत्र के पैरा 22 के अनुसार उपान्त्य स्तरों से उत्पादित करने वाले प्रपुंज औषधों का 2 वर्ष में मूल स्तर से उत्पादन करना होगा।

(ख) उन विदेशी औषध कम्पनियों के नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं जो कुछ ऐसी प्रपुंज औषधियों का निर्माण कर रही हैं जिनको उपान्त्य स्तर से तैयार करने के लाइसेंस दिए गए थे परन्तु जिन्होंने अभी तक मूल स्तर से उत्पादन करना आरम्भ नहीं किया है।

(ग) जहां तक अनुबन्ध में उल्लिखित कम्पनियों का सम्बन्ध है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में पहले से जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों को वापस लेने और उन पर नई शर्तें लगाने से सम्बन्धित किन्हीं उपलब्ध के अभाव में बेसिक स्तर से उत्पादन करने से सम्बन्धित नीति निर्णय को तब तक पूर्णत: कार्यान्वित नहीं किया जा सकता जब तक उक्त अधिनियम उपयुक्त रूप से संशोधन नहीं किया जाता। इस प्रयोजन के लिए संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, जिन मामलों में विदेशी कम्पनियों ने सितम्बर, 1980 की नीति के अधीन स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने के लिए आवेदन किया है, उन मामलों में अब बेसिक स्तर से उत्पादन करने की शर्त रखी जा रही है, जो तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा औषध नीति के अन्य उद्देश्यों के अयथ्धीन होगा। ये कंपनियां भी अप्रैल, 1982 तथा अप्रैल, 1983 में घोषित योजनाओं के अधीन सम्बद्ध प्रपुंज औषधों के सम्बन्ध में क्षमताओं के पुन: पृष्ठांकन की पात्र नहीं है।

लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्रों की जांच करते समय लाइसेंस प्रदान करने के मानदण्डों को ध्यान में रखा जाता है।

अनुबन्ध

1. मैं० ए० सी० सी० आई०

2. मैं० फाइजर

3. मैं० होचेस्ट

4. मैं० हिन्दुस्तान सीबा गेगी लि०

5. मैं० बुरोज वेलकम लि०

6. मैं० देयर इंडिया लि०

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण में यह बताया गया है कि फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में लाइसेंस प्रदान करने के बारे में यह निर्धारित किया गया है कि आयातित और स्वदेशी प्रपुंज औषधों के बीच अनुपात 1:2 का होना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि अभी तक अनुपात विषयक मूल्य तय करने के लिए कोई भी मार्गदर्शी सिद्धान्त न ही बनाये गए हैं और नहीं विभिन्न औषध कम्पनियों द्वारा जिन मापदण्डों पर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी कभी जांच की जाती है। इन कम्पनियों का लगातार विस्तार हो रहा है, वे कच्चे माल का आयात कर रहे हैं और अधिक उत्पादन कर रहे हैं। इस तरह वे इन मापदण्डों का उल्लंघन करके, कई करोड़ रु० का नाजायज मुनाफा कमा रही हैं और सरकार भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री वसन्त साठे : मूल्य मापदण्ड व मार्ग निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। यही नहीं तकनीकी विकास महानिदेशालय भी उत्पादित औषधों के मूल्यों पर नियमित निगरानी रखता है। हमारे पास आयातित अंश के आंकड़े भी उपलब्ध हैं और हम प्रपुंज औषध के आयातित अंश के मूल्यों पर भी लगातार निगरानी रख रहे हैं, और खास कर उन विदेशी कम्पनियों पर जोकि 1:2 के अनुपात के मापदण्डों के घेरे में नहीं आतीं जोकि आयातित और स्वदेशी प्रपुंज के फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में है।

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि कुछ निगरानी इकाइयां हैं। मेरे पास कुछ कम्पनियों के नाम हैं, जैसे फेयरडील, लूपिन, रैनॉक्सी, यूनिक, लाइका, एंगलो-फ्रेन्च, थेमिस, केमिक्लस् लि० और रिचर्डसन हिन्दुस्तान। ये सभी कम्पनियां, जिन्हें आधार चरण से प्रपुंज औषधों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं इन सभी मापदण्डों का उल्लंघन कर रही हैं। वे सरकार के अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। असल में वे इससे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप लघु क्षेत्र के कारखानों को जोकि मूलत: इन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए हैं, को घाटा उठाना पड़ता है। लेकिन सरकार इन पर सही ढंग से निगरानी नहीं रख रही है और न ही इस ओर सही ढंग से ध्यान दिया जा रहा है कि क्या वे इन मूल्य मापदण्डों का पालन कर रहे हैं या नहीं, जिसकी वजह से लघु क्षेत्र के कारखानों को कई एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

आई०डी०पी०एल० के पास इरिथरोराइसिन के निर्माण के लिए कोई तकनीकी जानकारी नहीं है, लेकिन वे आधार स्तर से इसका निर्माण कर सकते हैं। किन्तु वे मध्यवर्ती रसायनों का आयात कर रहे हैं। और वह मध्य स्तर से इनका निर्माण कर रही हैं। आयातित कच्चे माल का प्रयोग इरिथरोमाइसिन के निर्माण में किया जा रहा है। इसका मतलब है सरकार इस आत्म-निर्भरता की नीति का सही ढंग से पालन नहीं कर रही है। अन्यथा इस आई० डी० पी० एल० को इस इरिथरोमाइसिन के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह आई०डी०पी०एल० को निदेश देंगे कि अगर वह आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें तो, आधार स्तर से ही इरिथरोमाइसिन का निर्माण करे ; और क्या सरकार इन विभिन्न औषध उत्पादक इकाईयों द्वारा मूल्य मापदण्डों आदि सम्बन्धी निदेशों का ईमानदारी से पालन न करने सम्बन्धी बातों की जांच हेतु कोई जांच समिति का गठन करेगी ?

श्री वसन्त साठे : असल में माननीय सदस्य द्वारा बताई गई 11 कम्पनियों में से एक कम्पनी, रिचर्डसन हिन्दुस्तान को छोड़कर बाकी की सारी कम्पनियां स्वदेशी हैं। इसलिए यह कहना कि विदेशी कम्पनियां दुरुपयोग कर रही हैं और शोषण कर रही हैं, मैं समझता हूं यहां लागू नहीं होता। दूसरे जहां तक इरिथरोमाइसिन का सम्बन्ध है.....

श्री हरिकेश बहादुर : स्वदेशी कम्पनियों पर भी ये लागू होने चाहिए।

श्री वसन्त साठे : जहां तक लघु क्षेत्र का सम्बन्ध है, सारी औषध नीति इन पर लागू नहीं होती ; लघु क्षेत्र की इकाइयों पर किसी किस्म का नियन्त्रण, दबाव नहीं है। इसलिए, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और कई एक लघु क्षेत्र की इकाइयां प्रपुंज औषधों का निर्माण कर रही हैं, और हम उन्हें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : ये लघु क्षेत्र की इकाइयां नहीं हैं।

श्री वसन्त साठे : हां ! उन्होंने कहा है कि भारतीय कम्पनियां जोकि बड़ी कम्पनियां हैं, उन्हें लघु क्षेत्र की कम्पनियों के मुकाबले प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इससे उनके (लघु क्षेत्र) हितों को नुकसान होता है, इसलिए मैंने इस तरह से उत्तर दिया।

श्री हरिकेश बहादुर : बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों पर भी इसी प्रकार लागू होना चाहिए।

श्री वसन्त साठे : मैंने कहा है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का प्रश्न ही नहीं उठता। आपने तो बहु-राष्ट्रीय कम्पनी का नाम भी नहीं लिया है, असल में, मैंने इसका नाम लिया है।

जहां तक इरिथरोमाइसिन का सम्बन्ध है, हमने पहले ही आई० डी० पी० एल०, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को कहा है कि वह इसका उत्पादन मूल स्तर से करें और उन्होंने अगस्त, 1983 से मूल स्तर से इसका उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : क्या यह भी सत्य है कि औद्योगिक लाइसेंस जारी करते समय, सरकार ने अधिकतर मामलों में, अधिक क्षमता, मशीनरी का अधिक मूल्यांकन और दोषपूर्ण तकनीक की मंजूरी दी है, जिसके फलस्वरूप मूल स्तर से ही, बाजार में मूल्य बढ़ने आरम्भ हो जाते हैं ? क्या मन्त्री महोदय इस सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंस तकनीकी और आर्थिक स्थिति से सक्षम थे; और अगर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चा माल मुहैया कराया जाये तो ये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर औषधों का उत्पादन कर सकते हैं ? अगर हां, तो इन इकाइयों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादनों का क्या नाम है ? और अगर नहीं तो, मन्त्री महोदय इन बड़ी इकाइयों द्वारा नीति का उल्लंघन किए जाने को, कैसे रोक पायेंगे ?

श्री वसन्त साठे : जो विस्तृत सूचना वह चाहते हैं, मैं उनके लिए पहले से सूचना चाहूंगा। अगर वह मुझे लिखें तो मैं उन्हें विस्तृत ब्यौरा दूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : आप विस्तृत उत्तर भेज सकते हैं।

श्री वसन्त साठे : मैं विस्तृत उत्तर भेज दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में छः कम्पनियों के नाम दिए गए हैं, ये फेरा कम्पनियां हैं जोकि आजकल आधार नहीं, बल्कि उपान्त्य स्तर के लिए प्रपुंज औषधों का उत्पादन कर रही हैं। ये छः कम्पनियां, आप देखेंगे कि मशहूर बहु-राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। विवरण के अनुसार, अगर मैं सही समझ पाया हूं तो मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि आई० डी० आर० ए० में संशोधन किए बिना, इस स्थिति में कोई सुधार नहीं किया जा सकता, और इन संशोधनों के बिना इन लाइसेंसों को वापस नहीं लिया जा सकता जोकि पहले ही जारी किए जा चुके हैं और नई शर्तें भी नहीं लगाई जा सकती। मैं जानना चाहता हूं कि इस सारे समय में उपयुक्त संशोधन विधेयक को लाने के लिए, कौन रोक रहा था ? यहां वह कहते हैं, "इस कार्य के लिए संशोधनों को सुझाया गया है।" मैं नहीं जानता इस सारे वाक्य का क्या अर्थ है— "इस कार्य के लिए संशोधनों को सुझाया गया है, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि, जल्द ही इसी सत्र में संशोधन विधेयक लाया जा रहा है या नहीं, और क्या उसमें इस उपबन्ध की व्यवस्था होगी कि यदि ये कम्पनियां इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती तो, उस हालत में लाइसेंसों को वापस लिया

जा सकता है और नई शर्तें भी लागू की जा सकती हैं। ये सब देरी किस लिए ; क्योंकि ये बड़ी कम्पनियां काफी शक्तिशाली हैं ? ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस मामले पर हिचकिचाहट दिखा रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : आई० डी० आर० ए० द्वारा प्रभावित उद्योग क्षेत्र का यह एक क्षेत्र है। आई० डी० आर० ए० उद्योग मन्त्रालय के अधीन है और जैसा कि सभा के माननीय सदस्य जानते हैं कि देश में समस्त उद्योग तन्त्र इसके अन्तर्गत आ जाता है। इसलिए एक संशोधन आज से नहीं, बल्कि 1977-78 से·····आई० डी० आर० ए० में संशोधन करने का प्रश्न लम्बित है। पिछली सरकार ने भी इस पर विचार किया था। जहां तक हमारे मन्त्रालय का सम्बन्ध है, हमने अपने मन्त्रालय से सम्बन्धित संशोधन के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। लेकिन उन्हें, जैसा कि भूतपूर्व उद्योग मन्त्री जानते हों, आई० डी० आर० ए० के व्यापक संशोधन विधेयक में शामिल किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 7-8 वर्ष से क्यों लम्बित है ?

श्री वसन्त साठे : आप मुझे दोष क्यों दे रहे हैं ? यह एक मन्त्रालय का प्रश्न नहीं है; सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों को आई० डी० आर० ए० को देखना होगा। मैं उनके हाथ नहीं बांध सकता और उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम भी जानते हैं कि विधेयकों में कैसे संशोधन किए जाते हैं। यह सही कि अधिनियम को सभी उद्योगों के पास राय जानने के लिए भेजा जाता है। लेकिन यहां मामला एक विशिष्ट कम्पनी का है, जिसका कि एक अपना विशिष्ट क्षेत्र है। सभी उद्योग इस विशेष प्रकार की वस्तु सम्बन्धित नहीं हैं। इसमें अलग से संशोधन किया जा सकता। यह क्यों नहीं हो सकता ?

श्री वसन्त साठे : शायद सुझाव यह दिया जा रहा है कि हम केवल इन्हीं 5 उद्योगों के लिए ही संशोधन पेश करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले संशोधन पेश करें।

श्री सतीश अग्रवाल : संशोधनात्मक विधेयक उनके पास है।

श्री वसन्त साठे : असल में, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इन 5 कम्पनियों द्वारा की जा रही हेरा-फेरी मुश्किल से 2 करोड़ रु० की होगी। मात्र इसके लिए एक अलग से विधेयक लाना सही होगा या नहीं; हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।···(व्यवधान)···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री वसन्त साठे : हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने कहा है कि कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री वसन्त साठे : कोई भी सीधी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री मनीराम बागड़ी : इनडायरेक्ट ऐक्शन क्या ले रहे हैं वही बता दीजिए।

श्री वसन्त साठे : जब वे लाइसेंसों के नियमन के लिए या अधिक क्षमता को प्रमाणीकरण करने के लिए या कुछ उत्पादन शुल्क में छूट के लिए आते हैं, तो हम उसे एक लिवर के रूप में प्रयोग करते हैं और कहते हैं जब तक आप इनका पालन नहीं करते हम तुम्हें ये सब नहीं देंगे। मैं यही सब करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : माननीय मन्त्री ने हाल ही में प्रकाशित उनकी पुस्तक में कुछ परिवर्तन वादी विचार दिए हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : आज मिलावटी खाद्य बेची जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा सवाल दे दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : यह देश की रोटी का सवाल है। इस तरह से दवायें और खाद मिलावटी बिकी कि जिससे सारी नरमा कपास, बाजरा और दूसरी फसलें खराब हो गयीं।

राष्ट्रीय संचार नीति

*43. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री नारायण चन्द पराशर :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय नीति बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की राष्ट्रीय नीति कब तक बनने का आशा है ; और

(ग) इस प्रकार की राष्ट्रीय संचार नीति को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) नीति सम्बन्धी कागजात तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) यह नीति संचार, सूचना और प्रसारण आदि जैसे भिन्न-भिन्न विभागों की योजनाओं को तैयार करने में मुख्यत: एक मार्गदर्शक का काम करेगी। इस समय इसके अलावा कोई और विशेष कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्रीमन्, विश्व संचार वर्ष, जो हाल ही में समाप्त हुआ है, के दौरान हुए विभिन्न सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भारतीय संचार व्यवस्था की कमियां और इसके द्वारा कैसी और कितनी कठिनाइयां अनुभव की गई हैं, का उल्लेख किया गया तथा बहुत से सुझाव दिए गए थे। हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि उन सभी संगोष्ठियों की मुख्य सिफारिशें क्या थीं तथा क्या भारत

सरकार ने उनमें से किसी मुख्य सिफारिश को स्वीकार किया है तथा मुख्य नीतिगत निर्णय क्या है, जिन्हें सरकार राष्ट्रीय संचार नीति के सम्बन्ध में लेना चाहेगी।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जैसाकि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में वर्ष 1983 को विश्व संचार वर्ष के रूप में मनाया गया था। और उस दौरान बहुत-सी चर्चाएं और संगोष्ठियां आयोजित की गई थीं ; वाणिज्य मंडल (चैंबर आफ कॉमर्स) संसद-सदस्यों और कार्य मंत्रणा समितियों जैसी बहुत सी एजेंन्सियों से सलाह ली गई थी तथा बहुत से विचार उभरकर आए थे किन्तु चूंकि नीति का सम्बन्ध इलैक्ट्रानिकी, उद्योग, रेल, रक्षा जैसे बहुत से मंत्रालयों से है और इसका उन पर असर पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध में हम उनकी राय जानना चाहेंगे और सम्बद्ध मंत्रालयों की राय जानने के बाद ही इस वक्तव्य को अन्तिम रूप दिया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि संसद के अगले सत्र में उसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : बशर्ते कि सत्र हो।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस सभा में हम बहुत बार अपनी संचार व्यवस्था के गुणात्मक पक्ष पर चर्चा कर चुके हैं और कई बार मैं नहीं जानता कि मेरे टेलीफोन की ही कुछ विशेष बात है--जब हम टेलीफोन उठाते हैं तो पाते हैं कि प्रेमी-प्रेमिका अपने मिलन की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह केवल मेरे फोन की विशेषता हो सकती है।

श्री सतीश अग्रवाल : आप चिन्तित क्यों हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इन शिकायतों, माननीय सदस्यों की बहुत सी शिकायतों, बाहर के व्यक्तियों की शिकायतों, विभिन्न वाणिज्यिक संस्थानों की शिकायतों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि टेलीफोन के गुणात्मक पक्ष को सुधारने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : उन सभी संगोष्ठियों में टेलीफोन को सुधारने हेतु तकनीकी लोगों ने बहुत से सुझाव दिए किन्तु मूल प्रश्न यह है कि हमारी टेलीफोन प्रणाली संतोषजनक ढंग से काम क्यों नहीं कर रही है, इसके लिए भारत में टेलीफोन सघनता कहा जाता है। प्रति एक हजार लोगों के पास केवल तीन टेलीफोन हैं और इसीलिए बोझ बहुत अधिक है। इसीलिए एक समाधान यह है कि दूर संचार में बहुत अधिक पूंजी निवेशन किया जाना चाहिए। यदि यह स्वीकृत हो जाता है और अधिक पूंजी निवेशन होता है तो स्थिति अवश्य सुधरेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : कम से कम अगले तीन महीनों में क्या सुधार होने वाला है ? आप हमें यह बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० ए० दोराई सेबिस्तान। अनुपस्थित श्री राममूर्ति।

+**श्री के० राममूर्ति** :

श्री एस० ए० दोराई सेबस्त्यिन :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और बम्बई में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाओं को घटिया सीमेंट तथा मिलावटी कास्टिक सोडा की सप्लाई करके उसे कई लाख रुपए का धोखा दिया गया है और एक करोड़ रुपए मूल्य का सीमेंट बेकार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस लाखों रुपये के घोटाले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को मिलावटी कास्टिक सोड़े की सप्लाई के तीन मामलों का पता चला है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इनमें से एक मामले की जांच कर रही है तथा अन्य दो मामलों की तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सतर्कता विभाग द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। इन जांचों के निष्कर्षों के आधार पर ही और आगे कार्यवाही की जायेगी। घटिया तेल कूप सीमेंट की सप्लाई का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

श्री के० राममूर्ति : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग देश में तेल कूप और प्राकृतिक गैस खोजने का प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। किन्तु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ सीमेंट इत्यादि के संभरण में धोखाधड़ी जैसी अनियमितताएं की जा रही हैं। मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। एक में मैंने कास्टिक सोडे के बारे में पूछा है तथा दूसरे में सीमेंट के बारे में पूछा है। किन्तु उत्तर में मंत्री महोदय ने तेल कूप सीमेंट के बारे में बताया है। मैं नहीं जानता यह किस श्रेणी के अन्तर्गत आएगा। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन तीन मामलों में मिलावटी सीमेंट की धोखाधड़ी पाई गई थी ? शेष दो मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को क्यों नहीं सौंपे गये ; केवल एक ही मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया और शेष दो मामले तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सतर्कता विभाग को सौंपे गए ! इन तीनों धोखाधड़ी के मामलों में कितना रुपया अन्तर्ग्रस्त है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैसर्स केमसेल बम्बई के मामले में कास्टिक सोडे के लिए 11.16 लाख रुपया अन्तर्ग्रस्त है। अन्य दो मामलों में, जिनकी जांच सतर्कता विभाग कर रहा है। कास्टिक सोड़े की मात्रा क्रमशः 575 मैट्रिक टन और 300 मैट्रिक टन है। कम्पनियों के नाम हैं : यूनिसेल बम्बई और मेसर्स डिलेन इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स।

जहां तक मेसर्स केमसेल बम्बई के सम्बन्ध में स्थिति का सम्बन्ध है कि मूल सूचना के आधार पर मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 5(1) के साथ पठित धारा 5 (2) के अधीन कम्पनी के अलावा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के दो कर्मचारी—श्री ए० के० जैन, रसायनज्ञ और श्री बी० के० जैन, भण्डार और क्रय अधिकारी—के विरुद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले ही जारी कर दी है। अतः मामले की जांच चल रही है।

मैसर्स यूनिसेल बम्बई के मामले में 575 मेट्रिक टन कास्टिक सोड़े का आदेश दिया गया था, जिसका सम्भरण किया गया था। इसमें से 140 मेट्रिक टन सोड़ा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास पड़ा हुआ है तथा शेष का प्रयोग किया जा चुका है। किन्तु यह मामला काफी बाद में प्रकाश में आया। इसलिए, सतर्कता विभाग द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया। जब सतर्कता विभाग दोनों मामलों में जांच पूरी कर लेगा तब विचार किया जायेगा कि क्या मामले की आगे जांच करायी जाए

और यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिया जाना चाहिए।

श्री के० राममूर्ति : मैं जानना चाहता हूं कि सतर्कता विभाग को जांच के लिए सौंपे गए ये मामले कितने समय से लम्बित हैं और इनकी जांच कब तक पूरी होने की सम्भावना है ? इन दो अधिकारियों के अलावा इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक के स्तर के किसी अधिकारी पर भी कोई आरोप है ?

श्री पी० शिवशंकर : सतर्कता विभाग मामले की अभी जांच कर रहा है। यह मामले उसे 1983 के अन्त में सौंपे गए थे क्योंकि 1983 के अन्तिम महीनों में ही आदेश दिए गए थे और सम्भरण किया गया था। इसीलिए, सतर्कता विभाग की एक बार प्रारम्भिक जांच पूरी हो जाए, तो अधिकारी चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हों, मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि उसे छोड़ा नहीं जायेगा। और यदि कोई उचित मामला होगा तो निश्चित रूप से हम उनके विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही करेंगे।

श्री के० ओबुल रेड्डी : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि कास्टिक सोड़े के साथ 'बैराइटीज' जैसे दूषित रसायनों का भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सम्भरण किया जाता है ? घटिया माल के सम्भरण के कारण अपतटीय बम्बई और अन्यत्र स्थानों पर विस्फोट हुए हैं जिस कारण कूप खनन संयंत्र और उसके चारों ओर के स्थानों में अत्यधिक क्षति हुई है। इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री पी० शिव शंकर : 'बैराइटीज' का मामला एक अलग मुद्दा है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य को इसके बारे में विशेष ज्ञान है। किन्तु मैं जो बात कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि कास्टिक सोड़े की मिलावट के दो मामलों की, जिनका पता लगाया गया है, जांच चल रही है और मामला ऐसी निर्णायक अवस्था में अभी नहीं पहुंचा है कि कोई कार्यवाही की जा सके। अन्य मामले में, क्योंकि आरम्भ से ही हम यह जानते हैं कि यह स्पष्टतः मिलावट का मामला था और छानबीन से इसमें शामिल दो अधिकारियों का भी पता चल गया, इसीलिए तत्काल ही मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो पहले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी कर चुका है और मामले की जांच चल रही है। आरोप-पत्र अभी न्यायालय में दर्ज नहीं कराया गया है। किन्तु, मैंने जिन अन्य दो मामलों का उल्लेख किया उनकी जांच का काम विभागीय अधिकारियों—जो सतर्कता अधिकारी हैं—को दिया गया है। वे प्रारम्भिक जांच कर रहे हैं और जैसे ही कुछ बात प्रकाश में आएगी, मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे दोषी व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

श्री के० लक्कप्पा : अध्यक्ष महोदय, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सुधार के लिए कार्यवाही करने के लिए मैं माननीय मंत्री की सराहना करता हूं किन्तु कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे इस संगठनात्मक ढांचे का अन्तर्निरीक्षण करने के लिए यह कार्यवाही पर्याप्त नहीं होगी। वहां सम्भरण और सेवाओं के मामले में सांठ-गांठ है, चाहे वह सोड़ा-एश हो, सीमेंट हो या मशीनरी हो। वहां हमेशा धोखाधड़ी के मामले में सांठ-गांठ है और यह संगठन बदनाम हो रहा है। इन उच्चाधिकारियों के साथ सख्ती से क्यों नहीं निपटा जाता ? इस प्रकार की विभिन्न घटनाओं की जांच की गई है किन्तु धोखाधड़ी फिर भी वहां बनी हुई है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मुद्दे पर पुनर्विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे उच्चाधिकारियों के विरुद्ध उचित कदम

उठाए जायें क्योंकि इस कारण वहां व्यापक असन्तोष है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पर कुछ अधिकारियों ने कड़ा प्रभुत्व किया हुआ है और वे ऐसे अधिकारियों को, जो ईमानदार हैं। ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं तथा उनका अपमान कर रहे हैं। यही कारण है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बदनाम हो रहा है। इसीलिए, मैं आपसे अपील और अनुरोध कर रहा हूं कि इन सब बातों की कृपया दुबारा जांच करवाइए ताकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में आगे उचित तरीके से सुधार हो सके।

अध्यक्ष महोदय : अपील स्वीकार है ?

श्री पी० शिवशंकर : बहुत सामान्य मुद्दा उठाया गया है।

श्री के० लकप्पा : श्रीमन्, यह सामान्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपसे इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है। अतः आपको पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : मैं समझता हूं कि वह उत्तर जानते हैं, इसीलिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री रवीन्द्र वर्मा।

श्री के० लकप्पा : मुझे कोई उत्तर नहीं दिया गया है। देश के व्यापक हित में मंत्री महोदय··· **(व्यवधान)**

श्री एम० रोमगोपाल रेड्डी : श्रीमन्, रोज मेरा एक प्रश्न होता है किन्तु न तो मुझे वह प्रश्न पूछने का और न अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री रवीन्द्र वर्मा।

जन संचार माध्यमों पर सरकारी नियन्त्रण

*45 **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टी० वी० प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इण्डिया ने जन संचार माध्यमों पर सरकारी नियन्त्रण की आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) टी० वी० प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स गिल्ड से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, गिल्ड ने केवल दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुधार करने तथा बड़ी संख्या में गैर सरकारी निर्माताओं को लगाने पर बल दिया है ।

(ग) दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और सरकार इस सम्बन्ध में सभी क्षेत्रों से सुझावों का स्वागत करती है। कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए, पुरस्कार संस्थापित करके दूरदर्शन केन्द्रों के बीच प्रतियोगिता शुरू की गई है। सरकार ने कार्यक्रम योजना सम्बन्धी कार्यदल गठित किया है। प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कार्यक्रमों का निर्माण करने का कार्य स्वतन्त्र निर्माताओं को भी सौंपा जाता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मंत्री महोदय ने गिल्ड द्वारा दिए गए एक निर्णायक सुझाव को बिल्कुल ही अनदेखा किया है। गिल्ड ने आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण पर सरकार के एकाधिकार की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और उस खतरे का संकेत किया है, जो 70 प्रतिशत गांवों में दूरदर्शन का विस्तार करने की प्रायोजित योजना के वास्तविकता में परिणत हो जाने पर हो सकता है।

जब तक कार्यक्रमों के निर्माण और प्रस्तुतीकरण में उचित एकीकरण नहीं होता तब तक दूरदर्शन के सरकारी प्रवक्ता बन जाने के खतरे के प्रति उन्होंने सावधान किया है। स्वदेशी निर्माताओं की भागागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार किस प्रकार के कदम उठाने की योजना बना रही है? निजी निर्माताओं और स्वतन्त्र निर्माताओं के प्रयासों में समन्वय करने के लिए सरकार क्या कदम उठानेवाली है ताकि सरकार दूरदर्शन की सुविधा का उपयोग इस प्रकार से करने में समर्थ हो सके कि दूरदर्शन तंत्र के जुड़वां उद्देश्यों—शिक्षा और मनोरंजन को पूरा किया जाए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रमों के निर्माण सम्बन्धी नीति स्वयं दूरदर्शन अथवा सरकारी विभागों द्वारा एकाधिकार रखने की नहीं है। हमारी नीति यह है कि जहां भी सुलभ हो कार्यक्रम के लिए बाहरी प्रतिभाओं को प्राप्त किया जाए। इस उद्देश्य के लिए हम विभिन्न थिएटर दलों से सम्पर्क रखते हैं तथा दूरदर्शन वृत्तचित्र निर्माण का कार्य अनेक निजी निर्माताओं को सौंपा हुआ है। वास्तव में गिल्ड के कुछ सदस्यों ने तो पहले ही दूरदर्शन के कुछ कार्यक्रमों के निर्माण का कार्य लिया हुआ है। अतः दूरदर्शन के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करने के कार्य को हमने केवल सरकारी एजेंसियों तक ही सीमित नहीं किया हुआ है ; इसके लिए हम जहाँ कहीं से भी सम्भव है उच्च प्रतिभाओं को प्राप्त करते हैं। इस उद्देश्य के लिए, विशिष्ट और ठोस पग उठाए गए हैं। वास्तव में, मैंने विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, थिएटर दलों, अन्य संगठनों और व्यक्तियों से इस बारे में चर्चा की थी। वास्तव में स्वयं प्रधान मन्त्री ने भी इस विषय में अनेक प्रमुख तथा विख्यात लोगों से चर्चा की थी और इस विषय में उनके सुझाव आमंत्रित किए थे। मैं स्वयं भी गिल्ड के कुछ प्रतिनिधियों और अन्य व्यक्तियों से इस बारे में चर्चा कर चुका हूं और आगे भी उनके साथ चर्चा करने का मेरा प्रस्ताव है। सरकार की नीति अच्छा कार्यक्रम तैयार करने की है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मन्त्री महोदय के इरादे और अपने उत्तर में बताई गई सतत प्रक्रिया का उचित सम्मान करते हुए मैं उनसे एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक शिकायत यह है कि दूरदर्शन फिल्म और फिल्मों पर आधारित कार्यक्रमों तथा आयातित टेलीविजन कार्यक्रमों पर, यहां तक कि वन्य-जीवन

जैसे विषयों पर भी, बहुत अधिक निर्भर है, यद्यपि इस देश में वन्य जीवन का कहीं भी अभाव नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : संसद में भी अभाव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर किसी को आपत्ति नहीं है !

श्री रवीन्द्र वर्मा : वास्तव में, 50 प्रतिशत समय तो आयातित दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए है और स्वदेशी निर्माताओं के कार्यक्रमों के लिए तो महीने में केवल एक-दो घण्टे ही होते हैं। इस शिकायत को देखते हुए, क्या मन्त्री महोदय सभा को यह बताएंगे कि एक माह में टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों में स्वतन्त्र भारतीय निर्माताओं के कार्यक्रमों और विदेशी निर्माताओं के कार्यक्रमों का क्या प्रतिशत है ? फिल्म और फिल्म पर आधारित कार्यक्रमों का प्रतिशत क्या है ? शिक्षा को अर्पित कार्यक्रमों का प्रतिशत क्या है ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि उन्हें सही जानकारी नहीं है जहां तक आयातित कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, यह केवल 4 प्रतिशत है; इससे अधिक नहीं है। दूसरे, जहां तक वृत्त-चित्रों या फिल्मों पर आधारित कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, यह कुल कार्यक्रम का 20 प्रतिशत है। अब, जहां तक कुल कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, जिसको वह स्वदेशी कहते हैं। यदि आप आयातित कार्यक्रमों को घटा दें—जिनमें से कुछ विशेष रुचि के हैं—तो मैं निवेदन कर सकता हूं कि बहुत अधिक संख्या में कार्यक्रम अभी निर्माण की अवस्था में हैं और जब ये कार्यक्रम तैयार हो जायेंगे तो हम उनका उपयोग करेंगे। हम यह नहीं चाहते हैं कि दूरदर्शन सेलूलाइड संसार या विदेशी कार्यक्रमों का ही एक माध्यम बनकर रह जाए। हम चाहते हैं कि भारतीय दूरदर्शन पर अधिक से अधिक स्वदेशी कार्यक्रम ही दिखाये जायें और यह उस समय सम्भव होगा जब हम अधिक से अधिक कार्यक्रमों का निर्माण करेंगे। क्योंकि वह स्वदेशी कार्यक्रमों का प्रतिशत जानना चाहते हैं, मैं कह सकता हूं कि यह 96 प्रतिशत हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न तो रह ही जाता है कि जन संचार माध्यम किन के लिए है और क्यों है?लोगों को याद होगा कि इमर्जेंसी के समय में इसकी कितनी विश्वसनीयता थी और आज कितनी है। लोग बी० बी० सी०, व्वाइस ऑफ अमेरिका और दूसरे देशों के समाचारों पर अधिक भरोसा करते थे और आज भी करते हैं।

मुझे याद है कि आज भी बहुत से लोगों ने टी० वी० का नाम देवी-दर्शन रख दिया है क्योंकि एक खास व्यक्ति और एक खास परिवार के प्रचार के लिए टी० वी० और रेडियो में बहुत अधिक समय दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जन संचार माध्यमों पर से ब्योरोक्रेटिक कन्ट्रोल हटाने के लिए इसको एक स्वायत्त संस्थान में बदलने के लिए क्या सोचते हैं और इनको विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए क्या वे विचार करेंगे ?

श्री एच० के० एल० भगत : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े आदर से आनरेबिल मेम्बर को यह कहना चाहता हूं कि इनका यह कहना या कुछ लोगों का यह कहना कि दूरदर्शन किसी विशेष परिवार के लिए या किसी एक या दो लोगों के लिए है, यह बिल्कुल गलत बात है।···(**व्यवधान**)···कृपया मेरी बात सुनिये। मैंने किसी की बात में व्यवधान पैदा नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री एच०के०एल० भगत : मैं यह कहना चाहता हूं कि बिल्कुल निराधार बात है।...(**व्यवधान**) ...मेरी बात सुनिये। शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है और यह एक पालीटीकली मोटीवेटेड बात है और फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पहले कह चुके हैं कि हम इसको आटोनामस कारपोरेशन में नहीं बदलना चाहते। उसकी कोई जरूरत हम नहीं समझते क्योंकि उससे ब्योरोक्रेटिक कन्ट्रोल कम नहीं होते बल्कि ज्यादा होते हैं।

तीसरी बात यह है कि आप मुझे इमर्जेन्सी की बात याद करा रहे हैं। मैं पुरानी बातों को खोजना नहीं चाहता और न मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार पावर में नहीं थी और जब श्री मधु दण्डवते की सरकार पावर में थी तो उन ढाई सालों में इस मीडिया का ग्रेवेस्ट मिसयूज हुआ। मैं आपको बताऊँ कि एफ०आई०आर० रजिस्टर किए बिना और कोर्ट की कामनीजेन्स लिये बिना, श्रीमती इन्दिरा गांधी और कुछ लोगों के विरुद्ध संचार माध्यमों द्वारा बहुत अधिक संख्या में निराधार और मिथ्या आरोप लगाए गए थे। जनता शासन के दिनों में संचार साधनों का अत्यधिक दुरुपयोग किया गया था। मैं यह कहना नहीं चाहता था, किन्तु आप मुझे ऐसा कहने के लिए विवश कर रहे हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : श्री रवीन्द्र वर्मा ने दूरदर्शन कार्यक्रमों के खतरों के बारे में बताया। श्रीमन्, 1977 और 1980 के दौरान यह खतरा था और माननीय मन्त्री बता चुके हैं कि किस प्रकार इसका दुरुपयोग किया गया था। जो 1980 में खतरा था भारत की जनता इसका निराकरण कर चुकी है और श्रीमन्, आप जानते हैं, यहां कुछ लोग, यद्यपि उनके पैर यहां पर हैं, किन्तु उनके दिमाग भारत के बाहर विदेशों में हैं, इसीलिए वे हमेशा दूरदर्शन के विदेशी कार्यक्रमों का उल्लेख करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का पूरी तरह से भारतीयकरण करने जा रहे हैं तथा आगे वह क्या पग उठाने जा रहे हैं?

श्री एच०के०एल० भगत : श्रीमन्, मैं स्पष्ट रूप से इसका खण्डन करना चाहूंगा। यह गलत है कि भारतीय जनता विदेशी प्रसारणों को सुनना अधिक पसन्द करती है। हां, उनमें से कुछ लोग या आपकी तरह के कुछ लोग हो सकते हैं, जो विदेशी प्रसारणों और कार्यक्रमों को सुनना पसन्द करते हों, किन्तु यह गलत है कि भारतीय जनता विदेशी कार्यक्रमों को सुनना अधिक पसन्द करती है। भारतीय जनता तो भारतीय संचार माध्यमों को ही पसन्द करती है और वह उनमें पूरी निष्ठा और विश्वास रखती है। लोग या विदेशी प्रसारणों को पसन्द करने की बात तो कुछ विदेशी संचार माध्यम ही करते हैं। वास्तव में वे विदेशी संचार माध्यमों की बात का समर्थन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय दूरदर्शन पर कार्यक्रम पहले से ही भारतीय हैं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं माननीय मन्त्री से एक बात पूछना चाहती हूं। आपने कहा कि आप दूरदर्शन और रेडियो की स्वायत्तता में विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि कांग्रेस (इ) के अलावा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों की यह शिकायत है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचारों और प्रसारणों में कांग्रेस (इ) के कार्यक्रमों को अधिक सम्मिलित करते हैं। यहां तक कि कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भी, जब वहां पंचायतों के चुनाव थे, तो दूरदर्शन के प्रति यह शिकायत

थी कि उसने कांग्रेस (इ) को ही महत्व दिया और कांग्रेस (इ) की सभाओं को संचार साधनों के माध्यम से प्रमुखता दी। आप कहते हैं कि आप महानतम लोकतन्त्रवादियों में से एक हैं तथा इस संचार माध्यम को आप अपने साथ रखना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि माननीय मन्त्री क्या विपक्षी दलों की बठक बुलाएंगे और इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक सरकारें चलती रहेंगी, यह तो सुना जाता रहेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे और उनके साथ इस बारे में चर्चा करेंगे तथा सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर देने के तरीके खोजेंगे···

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं, श्रीमन्।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री ने अभी-अभी इसका उल्लेख किया है। वह बार-बार यही बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : प्रश्न यह है कि क्या वह सभी राजनीतिक दलों की कोई बैठक बुलाएंगे।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : श्रीमन्, यह चुनाव वर्ष है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वह बैठक बुलाएंगे।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहूंगा। माननीय सदस्या श्रीमती प्रमिला दण्डवते ने इस प्रश्न को अनेक बार उठाया है···**(व्यवधान)** और अनेक बार मैंने उनसे नम्रता-पूर्वक अनुरोध किया है कि वह ऐसी कोई विशेष शिकायत इस बारे में लाएं। उन्होंने मुझे कभी भी इस प्रकार की कोई विशेष शिकायत नहीं बताई है। एक बार जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर की यात्रा का किसी के द्वारा उल्लेख किया गया था और उस यात्रा को प्रसारणों या समाचारों में एक बार नहीं, छह बार सम्मिलित किया गया था। दूसरे, सम्मानपूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि वह बंगाल का प्रश्न लाने का प्रयास कर रही हैं। यह प्रश्न भी अनेक बार उठाया गया है और मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। **(व्यवधान)** उनके आरोप सरासर गलत हैं। वास्तव में, मैं निवेदन कर चुका हूं कि विपक्षी दल अधिक सौभाग्यशाली स्थिति में हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और कई बार उन्हें उनकी संख्या से भी अधिक समय दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह उनकी संख्या के अनुसार देय नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : उनको उचित समय दिया जा रहा है।

श्री जेवियर अराकल : माननीय मन्त्री ने कहा है कि केवल 4 प्रतिशत कार्यक्रम ही बाहर से आयातित किए जा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं : क्या वह 'दि डे आफटर' फिल्म कार्यक्रम को हमारे टेलीविजन पर दिखाने की सोच रहे हैं ताकि भारत की जनता परमाणु युद्ध के कारण होने वाले सर्वनाश से अवगत हो सके ? क्या वह मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

श्री एच० के० एल० भगत : श्रीमन्, हम पहले ही निर्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम दूरदर्शन पर 'दि डे आफ्टर' फिल्म दिखाने वाले हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम एक दूसरे ढंग से सवाल पूछेंगे और मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे तैश में उत्तर न दें क्योंकि आपके कार्यक्रमों में बहुत कठिनाइयां हैं।

आपने अपने उत्तर में स्वयं बताया है कि दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए फिल्म-निर्माण करने का कार्य स्वतन्त्र निर्माताओं को दिया जा रहा है। इस हाउस में आपने कई बार यह जानकारी दी है कि हम स्वतन्त्र फिल्म निर्माताओं को दूरदर्शन के कार्यक्रम तैयार करने की अधिक सुविधाएं देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि जो स्वतन्त्र निर्माता हैं वे अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या वे आपके कार्यक्रम बनाना हाथ में नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जो कार्यक्रम वे बनाकर आपको देना चाहते हैं उनके लिए आपकी ओर से कोई बंधन है ? दूसरे क्या यह भी सही नहीं है कि जो कार्यक्रम स्वतन्त्र निर्माता तैयार करते हैं उनका भुगतान आप उनको देर में करते हैं और उनको ठीक प्रकार से प्रक्रिया के मुताबिक भुगतान नहीं करते ? रा मेटीरियल की सप्लाई ठीक नहीं होती। इसी प्रकार आप टाइम लिमिट रखते हैं कि आधे घण्टे का ही प्रोग्राम होगा। स्वतन्त्र निर्माताओं को एक घण्टे या दो घण्टे का कार्यक्रम बनाने का अवसर नहीं दिया जाता, इसलिए वे इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते। क्या इस तरह की बातें हैं और क्या इस तरह की सुविधाएं स्वतन्त्र निर्माताओं को दी जाएंगी।

श्री एच०के०एल०भगत : मैंने बताया है कि टी० वी० के लिए डाकूमेंट्री बनाने के लिए स्वतन्त्र निर्माताओं को सुविधाएं दी जाती हैं। 38 आदमियों की लिस्ट है जिनके प्रोग्राम सेंगशन किए गए हैं। माननीय सदस्य का भी उसमें से एक है। माननीय सदस्य ने कहा था कि जल्दी होना चाहिए तो जल्दी भी की गई है। अगर सेंक्शन होने में कोई खास डिफीकल्टी होती है तो वे मुझे बताएं। रा मेटीरियल मिलने में अगर दिक्कत होती है तो मेरे नोटिस में लाएं मैं जरूर कार्यवाही करूंगा। हमने आपके कहने के अनुसार जल्दी सारा काम किया है और इसके लिए आपने मुझे धन्यवाद भी दिया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सेंगशन करने में आपने डेढ़ साल ले लिया और हमने डेढ़ महीने में बनाकर दे दी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि, वह हमेशा सभा में आश्वासन देते हैं कि संचार साधन निष्पक्ष और न्यायसंगत हैं, क्या यह सच है कि कलकत्ता में कुछ गड़बड़ियां थीं और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने तथा कांग्रेस (इ) के नेताओं ने भी इस पर अपने वक्तव्य आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए जारी किए थे ? कांग्रेस (इ) नेताओं के वक्तव्य का समुचित प्रचार किया गया था किन्तु पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के वक्तव्य की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गई थी। यह सच है या नहीं ?

श्री एच० के० एल० भगत : श्रीमन्, मैं प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया। माननीय सदस्य प्रो० रूप चन्द पाल ने यह प्रश्न सलाहकार समिति में उठाया था। मैंने इसकी जांच करवाई थी और इस बात को पूरी तरह से गलत पाया था। 17 तारीख को मुख्य मन्त्री द्वारा जारी किया गया वक्तव्य कलकत्ता रेडियो से प्रसारित किया गया था। दूरदर्शन के समाचारों में भी वक्तव्य को सम्मिलित किया गया था। **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं कलकत्ता रेडियो की नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं कह रहा हूं कि मैं प्रो० रूप चन्द पाल को विस्तृत लिखित उत्तर दे चुका हूं। यह कहना सरासर गलत है कि मुख्य मन्त्री के वक्तव्य को दबाया गया था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं दिल्ली केन्द्र की बात कर रहा हूं। यह कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित किया गया था। उनको वक्तव्य देना चाहिए। मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करूंगा। यह स्पष्ट होना चाहिए कि दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा इसे रिले किया गया था या नहीं? क्या दिल्ली केन्द्र द्वारा रिले किया गया था?

श्री एच०के० एल० भगत : आपने मुझसे दिल्ली केन्द्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछा था। अब, आप दिल्ली का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं दिल्ली केन्द्र की बात कर रहा हूं। आप टालमटोल करने की कोशिश मत कीजिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उत्तर दे चुका हूं। मैं टालमटोल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप विशिष्ट रूप से यह कहिए कि यह दिल्ली केन्द्र से रिले किया गया था या नहीं।

श्री एच० के० एल० भगत : प्रश्न कलकत्ता के बारे में उठाया गया था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट था। यह सच है कि आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र द्वारा उसे प्रसारित किया गया था। किन्तु मेरा प्रश्न यह था कि दिल्ली दूरदर्शन द्वारा उसे रिले नहीं किया गया था। आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा उसे सहप्रसारित नहीं किया गया था।

श्रीमन्, वह 'हां' कहें तो मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। वे कहें तो कि दिल्ली केन्द्र द्वारा रिले किया गया था।

श्री एच० के० एल० भगत : आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा रिले किया जाना आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं नम्रतापूर्वक बताऊंगा कि मन्त्री महोदय ने क्या कहा है। मेरा प्रश्न था कि क्या दिल्ली केन्द्र से उसे सह प्रसारित किया गया था। उन्होंने कहा, कलकत्ता से प्रसारित किया गया था। आप कहते हैं, यह अनावश्यक है। कभी नहीं, श्रीमन्, वह बताएं कि दिल्ली से प्रसारित किया गया था या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उनका स्वर बहुत अधिक ऊंचा था···

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : मुद्दा यह है कि दिल्ली स्टेशन से कांग्रेस (इ) नेताओं के वक्तव्य प्रसारित किए गए गए थे जबकि मुख्य मन्त्री का वक्तव्य दबाया गया था। वह दिल्ली से प्रसारित नहीं किया गया था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, क्या यह दिल्ली से प्रसारित किया गया था या नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्होंने "दिल्ली" का उल्लेख नहीं किया था। वह बता दें कि क्या यह दिल्ली से प्रसारित किया गया था। मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाऊंगा। **(व्यवधान)** यह कार्यवाही-वृत्तांत में जाना चाहिए कि दिल्ली से प्रसारित हुआ था। यदि उनमें साहस है तो उन्हें यह बात कहनी चाहिए। आपमें यह कहने का साहस नहीं है, आप सभा को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि यह दिल्ली से प्रसारित नहीं किया गया था। **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे : वह मन्त्री महोदय को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं···**(व्यवधान)** आप यह धमकी क्यों दे रहे हैं कि आप उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे? इसका क्या अर्थ है? **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्हें कहना चाहिए कि दिल्ली से रिले किया गया था। इस प्रकार वह प्रश्न का उत्तर देने से बच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, जब मैं आपसे कह रहा हूं तो आप बैठते क्यों नहीं हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि उन्हें इस प्रकार से टालमटोल करने की अनुमति है, तो प्रश्नोत्तर का क्या उपयोग है।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं माननीय मन्त्री श्री वसंत साठे से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तेजित न हों।

विधि आयोग की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई

*46 **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री चित्त बसु :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा

पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की पिछले दो वर्षों के दौरान विधि आयोग से सात रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सात रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन विषयों के बारे में हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) वांछित विवरण संलग्न हैं।

विवरण

(क) जी; हां।

(ख) वे रिपोर्टें निम्नलिखित विषयों पर हैं :—

(1) 'साक्ष्य के विषय में सरकारी विशेषाधिकार'—(अठासीवीं रिपोर्ट, जो 10-1-1983 को प्रस्तुत की गई थी)

(2) "परिसीमा अधिनियम 1963" (नवासीवीं रिपोर्ट, जो 28-2-1983 को प्राप्त हुई थी)

(3) "भारत में ईसाइयों के बीच विवाह-विच्छेद के आधार"—(नब्बेवीं रिपोर्ट, जो 17-5-1983 को प्राप्त हुई थी)

(4) "दहेज के कारण मृत्यु और विधि में सुधार"—(इक्यानवेवीं रिपोर्ट, जो 10-8-1983 को प्राप्त हुई थी)

(5) "न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए आवेदनों में नुकसानी"—(बानवेंवीं रिपोर्ट, जो 7-9-1983 को प्राप्त हुई थी)

(6) "जन सम्पर्क साधनों द्वारा प्राप्त जानकारी के स्रोतों का प्रकटीकरण"—(तिरानवेंवीं रिपोर्ट, जो 1-10-1983 को प्राप्त हुई थी)

(7) "अवैध रूप से या अनुचित रूप से प्राप्त साक्ष्य"—(चौरानवेंवीं रिपोर्ट, जो 3-11-1983 को प्राप्त हुई थी)

(ग) आयोग से प्राप्त रिपोर्टें अंग्रेजी में हैं और उन्हें संसद के समक्ष रखने का विनिश्चय करने से पूर्व उनका इस मन्त्रालय के राजभाषा खण्ड की सहायता से हिन्दी में अनुवाद करवाया जाना है। इस प्रयोजन के लिए सभी रिपोर्टों को हिन्दी और अंग्रेजी में मुद्रित करवाना होगा।

जहां तक इक्यानवेवीं, बावनवेवीं और चौरानवेवीं रिपोर्टों का सम्बन्ध है, उनके हिन्दी अनुवाद प्राप्त हो चुके हैं। मुद्रण में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए, यह विनिश्चय किया गया है कि इन रिपोर्टों को साइक्लोस्टाइल करवा लिया जाएं, क्योंकि वे बहुत बड़ी नहीं हैं। रिपोर्टों की प्रतियां तैयार हो जाने और उनकी समीक्षा कर लिए जाने के पश्चात् उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। यह कार्य यथासम्भव शीघ्र किया जाएगा।

जहां तक अन्य रिपोर्टों का सम्बन्ध है, उनका हिन्दी में अनुवाद तैयार करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जब अनुवाद का कार्य पूरा हो जाएगा और मुद्रित प्रतियां उपलब्ध हो जाएंगी तथा उनकी समीक्षा कर ली जाएगी तब इन रिपोर्टों को भी सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, लॉ कमीशन को रि-कांस्टीच्यूट हुए लगभग दो वर्ष हो गए हैं। जवाब में बताया गया है कि सात रिपोर्ट्स लॉ कमीशन ने दी है। पिछली बार 27 अगस्त, 1980 लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट पेश हुई थी, उसके बाद सदन में कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि अनुवाद करने की दिक्कत है जिसकी वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। लेकिन, जवाब में ही है कि 10-8-83, 7-9-83 और 3-11-83 को जो रिपोर्ट्स आई, उनका तो हिन्दी अनुवाद हो गया। उसके बाद 10-1-83 और 28-2-83 की जो रिपोर्ट्स हैं और जिनको लगभग एक साल से ऊपर हो गया है, उनका हिन्दी अनुवाद अभी तक नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक साल होने के बाद भी हिन्दी में अनुवाद न होने के क्या कारण हैं ?

चूंकि उसके बाद जो रिपोर्ट आई हैं, उसका हिन्दी अनुवाद हो चुका है, और जिनका हिन्दी अनुवाद हो चुका है, वह रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं हुई हैं और सदन पटल पर नहीं रखी गई हैं। इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं रखी हैं, कारण क्या है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने जवाब में यह बताया है कि दो बातें करनी पड़ती हैं। एक हिन्दी में अनुवाद कराना पड़ता है और दूसरे उन्हें प्रिण्ट कराना पड़ता है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करता है। खाली ला-डिपार्टमेंट ही एग्जामिन नहीं करता बल्कि दूसरी मिनिस्ट्रीज से भी राय ली जाती है। जो रिपोर्ट हिन्दी में ट्रांसलेट हो गई है, उसका प्रिंटिंग नहीं हुआ, लेकिन हमने फैसला किया है कि उसे साइक्लोस्टाइल करवा लेंगे और उसके बाद प्रिंटिंग की बात छोड़ देंगे। इतनी देर में हम मन भी बना लेंगे ताकि वह रिपोर्ट हाउस के सामने आ जाए।

श्री रामविलास पासवान : दोनों रिपोर्टें साथ-साथ क्यों नहीं देते। कांस्टीटूयूशन का पालन नहीं हो रहा है। आप दोनों रिपोर्टें साथ-साथ दें।

श्री विजय कुमार यादव : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है और जो जवाब दिया भी गया है, उसमें कोई टाइम नहीं बताया गया है कि कब तक आखिर इसका हिन्दी अनुवाद हो जाएगा ? कब तब डिपार्टमेंट तैयार कर लेगा और कब तक सदन-पटल पर वह रखा जाएगा और इस पर कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

ऐसा लगता है कि काफी अर्से के बाद भी इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है, जबकि उसमें बहुत

से इम्पार्टेन्ट पाइंट मौजूद हैं। मन्त्री महोदय स्पैसिफिकली बताएं कि जिनका हिन्दी अनुवाद हो चुका है, वह कब तक टेबल पर रखी जाएंगी और जिनका हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ है, वह कब तक अनुवाद होकर सभा-पटल पर रखी जाएंगी और डिपार्टमेंट वगैरह से विचार करके कब तक इस पर कार्यवाही की जाएगी ?

श्री जगन्नाथ कौशल : कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है।

श्री मनीराम बागड़ी : क्यों नहीं बताया जाता है ? यह कोई जवाब नहीं है। अगर यह जवाब है तो यह सरकार नहीं है, कोई दुकान है। सरकार को चाहिए कि समय बताए।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं हाउस को एश्योर करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हम कर सकेंगे, करेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : विधि मन्त्री जी, यह कोई जवाब नहीं है। यह तो बगैर प्रोग्राम का जवाब है, इससे तो अच्छा है, आप शान्त कर जाओ कुछ न बोलो।

श्री विजय कुमार यादव : जल्दी का क्या मायना है, एक साल, दो साल, तीन साल, या चार साल ?

श्री जगन्नाथ कौशल : इतना टाइम नहीं लगेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जवाब देने दो।

श्री राम विलास पासवान : वह जवाब दे चुके। कांस्टीटूयूशन के मुताबिक इस देश की राज-भाषा हिन्दी है और अंग्रेजी सहयोगी भाषा है। लेकिन जितने सरकारी कामकाज हो रहे हैं वह सारे के सारे पहले अंग्रेजी में होते हैं। आज 36 साल के बाद भी हिन्दुस्तान का संविधान हिन्दी में नहीं हैं जिसको कोर्ट में अथौंटिक तरीके से रखा जा सके। यदि मन्त्री महोदय कहें कि है, तो मैं मान लूंगा। सरकार की जो भी रिपोर्ट निकले वह हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ निकलनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने यही तो कहा है कि अंग्रेजी और हिन्दी दोनों वर्शन्ज टेबल पर रखे जाएंगे। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने संविधान के बारे में पूछा है।

श्री जगन्नाथ कौशल : संविधान का हिन्दी ट्रांसलेशन हो चुका है। (व्यवधान)

श्रीराम विलास पासवान : मैंने सीधा सवाल पूछा है कि क्या संविधान के हिन्दी रूपान्तर को कोर्ट में मान्यता है या नहीं।

श्री जगन्नाथ कौशल : क्यों नहीं है ?

श्री राम विलास पासवान : नहीं है । (**व्यवधान**) क्या कोर्ट में हिन्दी के संविधान को महत्व दिया जाता है या नहीं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या कोर्ट में हिन्दी के संविधान को मान्यता है या नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है। उनसे जवाब देने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अलग क्वेस्चन दे दें । क्या हिन्दी वर्शन आथेन्टीकेडिट है नहीं।

श्री जगन्नाथ कौशल : कांस्टीट्यूशन का तर्जुमा तो बहुत पहले हो चुका है। लेकिन मैम्बरों को एक बात मालूम होनी चाहिये कि कांस्टीट्यूशन असेम्बली ने जो कांस्टीट्यूशन बनाया था, वह अंग्रेजी में बनाया था और उस अंग्रेजी के कांस्टीच्यूशन पर ही कांस्टीच्युएन्ट असेम्बली के मेम्बरान के दस्तखत हैं। उस कांस्टीच्यूशन का हमने हिन्दी में ट्रांसलेशन कर दिया है । माननीय सदस्य इसके अलावा और क्या पूछ रहे हैं ? (**व्यवधान**)

राम विलास पासवान : कोर्ट किस वर्शन को मान्यता देती है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सरकार ने जो तर्जुमा किया है, क्या कोर्ट उसको मानती है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है। हम इसे बाद में लेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमान्, उन्हें उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें समय लगेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं जानता चाहता हूं कि क्या उस सयम के राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद, ने हिन्दी वर्शन को आथेन्टीकेट किया था या नहीं, उन्होंने उस पर दस्तखत किये थे या नहीं।

श्री रामविलास पासवान : 36 साल के बाद ये इस तरह मजाक नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : इसमें हम सब शामिल हैं। इसमें मजाक की क्या बात है ?

श्री रामविलास पासवान : मैं जानना हूं कि रीयल पोजीशन क्या है। क्या हिन्दी कांस्टीट्यूशन को कोर्ट में महत्व मिलेगा या नहीं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : सीधा-सा प्रश्न यह है कि हिन्दी रूपान्तर प्रमाणित किया गया है या नहीं।

श्री रामविलास पासवान : मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए उन्हें पूरी तरह तैयार होने दीजिए हम उनसे बाद में पूछेंगे। प्रश्न

काल समाप्त होता है।

श्री रतन सिंह राजदा : यह बहुत महत्वपूर्ण और मूल मुद्दा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। मुझे इसकी जांच करने दीजिए। देखकर इस बारे में बात करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप उनको वक्तव्य देने का निदेश दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जांच तो करने दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : आप देखकर इसका जवाब दिलवाइये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भट्टा मालिकों और भट्टा मजदूरों के बीच झगड़े का निपटारा

*42 **श्री दयाराम शाक्य :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भट्टा मालिकों और भट्टा मजदूरों के बीच क्या-क्या झगड़े चल रहे हैं, और उनका ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) भट्टा मजदूरों और भट्टा मालिकों की मांगें क्या हैं और सरकार द्वारा इस मामले को अब तक निपटाये न जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) झगड़े को निपटाने में और भट्टों को पुनः चालू करने में सरकार कितना समय और लेगी।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

आल इण्डिया ब्रिक एण्ड टाइल मैन्यूफैक्चर्स फैडेरेशन उद्योग में विद्यमान विशिष्ट दशाओं को देखते हुए कतिप्रय केन्द्रीय श्रम कानूनों अर्थात बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 अन्तर राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 कारखाना

अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 आदि के उपबन्धों से ईंट भट्टा उद्योग को छूट देने के लिए सरकार को अभिवेदन करता रहा है। ईंट भट्टा सक्रियाएं, जो आमतौर पर वर्ष के पश्चात् प्रारम्भ होती है, फैडरेशन के अभिवेदन पर निर्णय लिए जाने तक 1983-84 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में निर्धारित अवधि के अनुसार अब तक शुरू नहीं की गई इससे वे श्रमिक बेरोजगार हो गए, जिन्हें सामान्यतः ईंट भट्टों में नियोजित किया जाता। तथापि, शेष राज्यों (संघ राज्य क्षेत्रों) में सक्रियायें प्रारंभ न किए जाने के बारे में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

2. मामलों को निपटाने के लिए, 14 दिसम्बर, 1983 को एक त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और फेडरेशन से उत्पादन शुरू करने के लिए अपील की गई थी। इसके फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय स्तर पर एक त्रिपक्षीय समिति गठित की जाए, ताकि (क) उद्योग के कार्यकरण के विशेष स्वरूपों को देखते हुए ईंट भट्टा उद्योग के लिए एक अलग से स्वः नियन्त्रित विधान बनाने के बारे में विचार किया जाय तथा यदि आवश्यक समझा जाए तो तैयार किया जाए, और (ख) यह पता लगाया जाए कि उद्योग में श्रमिकों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा योजनाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। राज्य सरकारों से अनुरोध भी किया गया है कि वे ऐसी समितियाँ गठित करें, ताकि आपसी परामर्शों द्वारा विवादों को निपटाया जा सके। इस फेडरेशन से उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए 24 जनवरी, 1984 को अपना निर्णय सूचित कर दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली प्रशासन की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में ईंट भट्टा उद्योग में संक्रियाएं पुनः चालू हो जाने की पुष्टि की है।

ग्वालियर में दूरदर्शन रिले केन्द्र

*47. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर के दूरदर्शन रिले केन्द्र के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं ;

(ख) किसी स्थान विशेष पर स्थापित किए जाने वाले रिले उपकरण की शक्ति का निर्धारण करने सम्बन्धी सरकारी नीति क्या है ; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि उत्तर मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र दूरदर्शन सुविधा से इसलिए वंचित है क्योंकि ग्वालियर उपकरण की शक्ति अत्यधिक कम है ; और यह उपकरण मरम्मत किया हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) ग्वालियर के अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर की सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर है।

(ख) स्थानों का चयन और स्थापित किए जाने वाले ट्रांसमीटर की शक्ति का निर्धारण करने में ग्रामीण/शहरी जनसंख्या के लिए कवरेज की सीमा, सीमावर्ती, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के लिए सेवा, कार्यक्रम निर्माण/कार्यक्रम लिंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता और अन्य अवस्थापना जैसी विभिन्न बातों

को ध्यान में रखा जाता है। संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त बातों का विवेकपूर्ण मिश्रण दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के स्थान और शक्ति का निर्धारण करता।

(ग) मध्य प्रदेश में उच्च शक्ति वाले दो और अल्प शक्ति वाले ग्यारह, ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं। आगरा और इलाहाबाद में स्थापित किए जा रहे ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन सेवा उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में भी उपलब्ध होगी। ग्वालियर में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर चालू कर दिया गया है। यह ट्रांसमीटर आयात किया हुआ ट्रांसमीटर है और संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा।

"अपकृत्य विधि" (ला आफ टार्टस) को संहिताबद्ध करना

*48. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालयों में "अपकृत्यों" से सम्बद्ध सिविल दायित्वों के मामले स्वाधीनता-पूर्व अवधि की तुलना में कम हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सिविल शिथिलता और उत्तरदायित्वहीनता पैदा होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या "अपकृत्य विधि" को संहिताबद्ध करने के लिए किन्हीं विधायी उपायों पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) मामलों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और स्वतन्त्रता से पूर्व और स्वतन्त्रता के पश्चात की अवधियों में अपकृत्य के मामलों की संख्या के प्रतिनिर्देश से तुलना केवल संख्याओं के आंकड़ों के प्रतिनिर्देश से ही नहीं की जाती है बल्कि विभिन्न अन्य बातों, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, अन्य उपचारों का उपलब्ध होना आदि के प्रतिनिर्देश से भी की जाती है, इसलिए किस वैज्ञानिक आधार पर इस विषय में साधारणीकरण सम्भव नहीं है। तथापि, अपकृत्य के विषय में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या के आधार पर और नागरिकों की विधि के अधीन उपलब्ध उपचारों के प्रति नागरिकों की बढ़ती हुई जागरूकता को देखते हुए, जो स्वतन्त्रता के पश्चात की अवधि में मुकदमों की संख्या में भारी वृद्धि से प्रकट होती है, यह निष्कर्ष निकालना युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि स्वतन्त्रता के पश्चात की अवधि के दौरान अपकृत्य के मामलों में वृद्धि हुई है। अपकृत्य विधि को संहिताबद्ध करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क पिछले एक सौ वर्षों के दौरान समय-समय पर दिए जाते रहे हैं। इस विषय में एक विधेयक पोलक द्वारा, जो इस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, 1886 में तैयार किया गया था और तत्कालीन भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा, राय के लिए 1887 में परिचालित किया गया था और अंततः यह विधेयक 1889 में त्याग दिया गया था। कई शिक्षाविदों और अन्य व्यक्तियों ने विधि पत्रिकाओं में लेख लिखकर इसे संहिताबद्ध किए जाने का समर्थन किया है। रामास्वामी अय्यर की पुस्तक "ला ऑफ टाट्स" (सातवां संस्करण, 1975) में, जो भारतीय अपकृत्य विधि पर मानी हुई प्रमाणिक पुस्तक है, यह मत व्यक्त किया गया है कि विधि

की इस शाखा को संहिताबद्ध करने का अभी समय नहीं आया है। अभी सरकार ने अपकृत्य विधि को संहिता बद्ध करने के किसी उपाय का विचार नहीं किया है। यह महसूस किया जा रहा है कि कुछ समय तक इस विधि को न्यायिक विनिश्चयों के माध्यम से विकसित होने देना अधिक लाभदायक रहेगा।

दूरदर्शन के सम्बन्ध में जोशी समिति का प्रतिवेदन

*49. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन हेतु "साफ्ट वेयर" (कार्यक्रम प्रसारण) योजना के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन देने के लिए श्री पी० सी० जोशी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस समिति का प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रतिवेदन कब तक मिल जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, रिपोर्ट सरकार को शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिए जाने की उम्मीद है।

गीत और नाटक प्रभाग द्वारा खुले रंगमंच पर नाटक समारोह पुनः आरम्भ करना

*50. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय का गीत और नाटक प्रभाग 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में नई दिल्ली में तालकटोरा गार्डन के खुले रंगमंच पर एक नाटक समारोह आयोजित किया करता था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समारोह नगर के सभी भागों से अनेक थियेटर प्रेमियों को आकर्षित किया करता था ;

(ग) क्या सरकार का विचार, यदि आवश्यक हो तो, उत्सव आयोजित करने में दिल्ली में राज्य सरकारों की एजेंसियों को सम्बद्ध कर इस योजना को पुनः प्रारम्भ करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) गीत और नाटक प्रभाग का इस वर्ष नाटक समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें न केवल इसकी अपनी विभागीय मण्डलियों को ही अपितु विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा प्रायोजित मंडलियों को भी भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जायेगा । इस कार्यक्रम में राज्य सरकारों को सहयोजित करने के बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय निर्वाचित आयुक्त की नियुक्ति

*51. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने 1985 में होने वाले लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनावों के लिए भारत सरकार से क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव किया है कि आगामी लोक सभा और विधान सभा निर्वाचनों के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 342 (4) में यथा परिकल्पित, प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त किए जाने चाहिएं और गृह मंत्रालय से मान्यताप्राप्त पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी और मध्य जोनों के सहव्यापी क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक-एक प्रादेशिक आयुक्त होना चाहिए। आयोग चाहता है कि प्रादेशिक आयुक्त साधारण निर्वाचन घोषित करने वाली अधिसूचना से तीन मास पूर्व पढ़ा रूढ़ कर दिए जाने चाहिए और उनका कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात् कुछ समय तक जारी रहना चाहिए, ताकि निर्वाचनों के संचालन पर प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण किया जा सके और उन्हें वे शक्तियां दी जानी चाहिएं जो उपनिर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के सचिव को प्राप्त हैं ।

(ग) यह प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ।

बिजली की कमी और किसानों को सप्लाई

52. **श्री सुभाष चन्द्र यादव :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में, बिजली की भारी कमी है और इन राज्यों में किसानों को कम बिजली सप्लाई किये जाने के कारण फसलों को भारी क्षति पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो किसानों की फसलों को बचाने हेतु उन्हें बिजली सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1982-83 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल, 1983 से जनवरी 1984 तक विद्युत उत्पादन में 6% की वृद्धि हुई है। तथापि, विद्युत सप्लाई की तुलना में मांग अधिक होने के कारण देश के विभिन्न भागों में विद्युत में कमी हुई है।

आन्ध्र प्रदेश में जनवरी, 1984 तक विद्युत की कोई कमी नहीं हुई थी तथा अन्य राज्यों को सहायता दे रहा था। राज्य में विद्युत की मौजूदा कमी मुख्यतः सिल्यूस गेटों के कार्य के लिए श्रीशैलम जल-विद्युत केन्द्र के बन्द होने के कारण उत्पन्न हुई है। तथापि, किसानों को विद्युत की सप्लाई बिना किसी कटौती के बनाए रखी गई है और फसलों को किसी प्रकार की क्षति होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

तमिल नाडु में विद्युत की कमी है, लेकिन कृषि क्षेत्र को 6 से 8 घन्टे प्रतिदिन विद्युत की सप्लाई की जाती है और फसलों को किसी प्रकार की क्षति होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

गुजरात में विद्युत सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक है। कृषकों को 16 घन्टे प्रतिदिन विद्युत की सप्लाई बनाए रखी गई है तथा फसलों को कोई क्षति नहीं हुई है।

कुछ ताप विद्युत केन्द्रों की लम्बी अवधि तक बन्दियों के कारण महाराष्ट्र में विद्युत की कमी है, लेकिन कृषि क्षेत्र को विद्युत की सप्लाई पर किसी प्रकार की कटौतियां लागू नहीं की गई हैं।

कृषि उत्पादन के महत्व को तथा इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र को विद्युत की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने की सलाह दी है।

पश्चिम बंगाल में जूट मजदूरों द्वारा हड़ताल

*53. **श्री नारायण चौबे :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जूट मजदूर 16 जनवरी, 1984 से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) और (ख) : जी, हां। वे अपनी मांगों के बारे में हड़ताल पर चले गए हैं। एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिससे ट्रेड यूनियनों की प्रमुख मांगों को बताया गया है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन इस हड़ताल पर विचार करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकरण हैं, विवादों का समाधान करने के लिए और पत्रकारों के बीच समझौता कराने के लिए प्रयास कर रही है। संराधन बातचीत चल रही है।

विवरण

जूट उद्योग में विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा दी गई मुख्य मांगें

मूल मांगें

1. तालाबन्दी की गई/बन्द की गई सभी जूट मिलों को तत्काल पुनः खोलना।

2. जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण जिसमें कच्चा जूट ट्रेड और जूट वस्तुओं का निर्यात शामिल हैं।

3. भारत सरकार द्वारा कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300/-रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करना और भारत सरकार द्वारा कच्चे जूट की एकाधिकार प्राप्ति।

4. राज्य व्यापार निगम द्वारा जूट वस्तुओं के विदेशी व्यापार का चैनल करना।

आर्थिक मांगें

1. बेसिक मजदूरी/वेतन में और संशोधन।

2. परिवर्ती मंहगाई भत्ते की निष्प्रभावन दर को 1.30 रुपये से बढ़ाकर 2.00 रुपये करना और मासिक दर पर काम करने वाले स्टाफ के लिए बंगाल चैम्बर्स आफ कामर्स-दर शुरू करना।

3. ग्रेड और वेतन-माल तथा कार्य-मानदंडों के बारे में समिति की सिफारिशों को तत्काल लागू करना।

4. जीवन-निर्वाह मजदूरी में 50 प्रतिशत वृद्धि की जाए।

5. बीड़ी श्रमिकों के बारे में रघुनाथ रैड्डी पंचाट को लागू करना तथा बीड़ी श्रमिकों को स्थाई करना।

6. आस्थगित मजदूरी के रूप में 20 प्रतिशत की न्यूनतम दर से प्रतिवर्ष बोनस का भुग-

तान करना।

7. ग्रेच्यूटी के भुगतान के लिए 20 महीनों की अधिकतम सीमा को समाप्त करना और एक बार पात्रता के पश्चात् लगातार सेवा का प्रश्न न उठाया जाए।

8. दोषी मिलों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि अंशदान को तत्काल जमा कराना। प्रति माह 1600/-रु० तक मजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मकारों/कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाए।

9. जूट मिलों में सभी वर्गों के श्रमिकों को क्वार्टर देना।

10. सभी प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात स्थाई किया जाए।

11. कर्मकारों को एक समान छुट्टी और छुट्टी यात्रा भत्ता।

12. वर्तमान स्थाई आदेशों में संशोधन तथा उन्हें अधिसूचित किया जाए जिसमें जीवन-निर्वाह भत्ता, शिकायत प्रक्रिया और प्रतिनिधिक स्वरूप यूनियन के साथ परामर्श करके श्रमिकों के अन्य अधिकार शामिल किए जाएं।

13. कैन्टीन सुविधाओं, रात्रि-पारी भत्ता, वर्दी देना, स्थानांतरण आदि से सम्बन्धित अन्य मांगें।

तमिलनाडु द्वारा टर्बो-जेनरेटर सेटों का आयात

*54. **श्री के०.टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने टर्बो-जेनरेटर सेटों के आयात के लिए स्वीकृति मांगी है और यह आवेदन कब से लम्बित है तथा उसका निपटान कब तक किया जायेगा ;

(ख) क्या तमिल नाडु में संयुक्त क्षेत्र की यूनिट "स्पिक" ने भी निजी उपयोग हेतु विद्युत संयंत्र के लिए टर्बो-जेनरेटर सेट आयात करने हेतु आवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० शिवशंकर : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने दिसम्बर, 1981 में बेसिन ब्रिज, एन्नौर और तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्रों में तथा मैत्तूर और मदुराई क्षेत्रों के प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्रों में 50-50 मेगावाट के 6 गैस टर्बाइन यूनिटों की प्रतिष्ठापना करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा के व्यय होने तथा संसाधन संबंधी कठिनाइयों के कारण स्वीकार्य नहीं पाया गया है। तमिलनाडु सरकार को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। तथापि विद्युत की

बहुत अधिक कमी वाले क्षेत्रों में व्यस्ततमकालीन विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त साइकल गैस टर्बाइनों की प्रतिष्ठापना करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया गया है।

मैसर्ज सार्दन पेट्रो-केमिकल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० ने तूतीकोरिन में अपने फर्टिलाइजर काम्पलेक्स में 10 मेगावाट की क्षमता वाले एक केप्टिव विद्युत संयंत्र को प्रतिष्ठापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० के मूल्यों के साथ तुलना में मूल्यांकन तथा सुपुर्दगी कार्यक्रम के आधार पर मै० एस० पी० आई० सी० ने टर्बो-जेनरेटर सेटों का आयात करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० ने अब एस० पी० आई० सी० को एक संशोधित प्रस्ताव दिया है। मामला विचाराधीन है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा उत्पादन का मूल्यांकन

*55. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

श्री बी० बी० देसाई :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा उत्पादन के संबंध में हाल ही में कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उक्त योजना अवधि के अन्त तक देश में ऊर्जा का उत्पादन उसकी खपत से कितने प्रतिशत कम होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० शिवशंकर : (क) और (ख) यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1984-85 के दौरान लगभग 156 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा जिसमें 100.5 बिलियन यूनिट ताप विद्युत, 52 बिलियन यूनिट जल विद्युत और 3·5 बिलियन यूनिट न्यूक्लीय विद्युत शामिल है।

(ग) छठी योजना के अन्त में लगभग 6 प्रतिशत विद्युत की कमी होने की सम्भावना है।

"हिन्दुस्तान समाचार" के कर्मचारियों को वेतन की बकाया धनराशि का भुगतान

*56. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकार संगठनों की समन्वय समिति ने 26 जनवरी, 1984 को सरकार से अपील की थी कि हिन्दी समाचार एजेन्सी "हिन्दुस्तान समाचार" की समस्या को हल करने में हस्तक्षेप करें और इसके कर्मचारियों को वेतन की बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वह सहायता करें ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि हिन्दुस्तान समाचार कर्मचारी यूनियन और प्रबन्ध तंत्र ने अपनी समस्याओं का सामधान करने के लिए उनसे सम्पर्क किया। उनके मतभेद अब दूर हो गए हैं और उन्होंने 1-2-1984 को एक समझौता किया है। यह भी सूचित किया गया है कि हिन्दुस्तान समाचार कर्मचारी यूनियन ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है।

श्रीनगर में दूरदर्शन केन्द्र में सुधार

*57 **श्री अब्दुल रशीद काबुली : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में दूरदर्शन केन्द्र को कार्यक्षमता बढ़ाने और इसके कार्यक्रमों को पड़ोसी देशों, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में दिखाने के लिए इस दूरदर्शन केन्द्र के उपकरणों में क्या विशिष्टि सुधार और विस्तार किया जा रहा है ; और

(ख) पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लाभ के लिए श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र से रंगीन प्रसारण कब से शुरू हो रहा है और इसका दर्जा कब से बढ़ाया जा रहा है तथा इसमें अन्य सुधार कब से किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) श्रीनगर के दूरदर्शन केन्द्र में कोई विशिष्ट सुधार और बढ़ोत्तरियां की जा रही हैं क्योंकि यह पहले ही 10 किलोवाट शक्ति पर काम कर रहा है जो देश में दूरदर्शन प्रेषणों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली उच्चतम शक्ति है। सीमा के निकट स्थित जम्मू और पूंछ के प्रस्तावित उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से जम्मू व काश्मीर के क्षेत्रों में और कवरेज उपलब्ध होने की उम्मीद है।

(ख) रंगीन में कार्यक्रम तैयार करने के लिए श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र में कुछ उपकरण उपलब्ध किए गए हैं और यह केन्द्र रंगीन में कार्यक्रम पहले ही टेलीकास्ट कर रहा है। कार्यक्रम में रंगीन तत्व को संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

क्रिकेट मैचों और चलचित्रों का टेलीविजन पर दिखाया जाना

*58 **श्री जो० वाई० कृष्णन् : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" की ओर दिलाया गया है कि योजना आयोग के मुख्य परामर्शदाता ने क्रिकेट मैचों और चलचित्रों के टेलीविजन पर दिखाने के विरुद्ध चेतावनी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने सरकार को अन्य क्या सुझाव दिए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिनांक 27-1-1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपे एक समाचार के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में भाग लेते हुये प्रो० यशपाल ने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया था :—

(1) क्रिकेट टेस्ट मैचों तथा चलचित्रों को टेलीकास्ट करना ।

(2) विदेशी विशेषज्ञ पर निर्भरता तथा कार्यक्रमों की केन्द्रित पद्धति ।

(3) इन्सेट 1-बी योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार करने का काम स्वैच्छिक संगठनों को देना, आदि आदि ।

2. देश में खेलों को बढ़ावा देना सरकार की घोषित नीति है । देश की बड़ी जनसंख्या के पास पहुंचने के साधन के रूप में दूरदर्शन विभिन्न खेल गतिविधियां को टेलीकास्ट कर रहा है । खेल कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करते समय दर्शकों की खेलों विशेष में रूचियों को भी ध्यान में रखा जाता है । क्योंकि दूरदर्शन को दर्शकों की मनोरंजन की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है, अतः फीचर फिल्में भी इनके कार्यक्रमों को अंश हैं ।

3. यह सही नहीं है कि दूरदर्शन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर कर रहा है । विदेशों के केवल शैक्षणिक/सूचनात्मक/मनोरंजक कार्यक्रमों को ही टेलीकास्ट किए जाने के लिए चुना जाता है । दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले इस प्रकार के कार्यक्रमों की प्रतिशतता कुल दूरदर्शन समय का लगभग 4 प्रतिशत ही है ।

4. इस सुझाव के बारे में कि इन्सेट 1-बी के अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार करने का काम स्वैच्छिक संगठनों या लोगों के समूहों तथा कालेजों यथा अन्त शैक्षणिक संस्थानों को दिया जाना चाहिए, कार्यक्रमों को तैयार करने में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/स्कूलों/कालेजों, इत्यादि को शामिल करने के लिए कदम पहले ही उठाए जा रहे हैं । शैक्षणिक संस्थानों द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों को टेलीकास्ट किया जा रहा है । दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली दिन के दौरान सप्ताह में 5 बार स्कूलों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम टेलीकास्ट कर रहा है । इसके अलावा, इन्सैट 1-बी स्कीम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों में रोजाना सुबह 45 मिनट की अवधि के शैक्षणिक कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जा रहे हैं ।

5. दूसरा सुझाव यह है कि हमें सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए व्यापक रूप से पहुंचना चाहिए। ऐसा किया जा रहा है। और कुछ कार्यक्रमों को बाहरी प्रतिभाओं द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार, बाहर के प्रोड्यूसरों द्वारा तैयार किए गए प्रायोजित कार्यक्रमों को भी टेलीकास्ट किया जा रहा है।

6. दूरदर्शन के कार्यक्रमों का उद्देश्य सूचना देना, शिक्षित करना तथा स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना है। तथापि, कार्यक्रमों में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। दूरदर्शन की कार्यक्रम योजना के बारे में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सरकार ने प्रख्यात व्यक्तियों/संचारकों का एक कार्यदल नियुक्त किया हुआ है।

तेल की खोज में ड्रिलिंग दक्षता

*59 **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज सम्बन्धी हमारी ड्रिलिंग दक्षता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से कम है ;

(ख) क्या तेल की खोज के क्षेत्र में हमारे देश की अपनी सीमित प्रौद्योगिकी तथा विदेशी सहयोग के माध्यम से उपलब्ध प्रौद्योगिकी दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष आधुनिकतम नहीं हैं ;

(ग) क्या विभिन्न विदेशी कम्पनियों के साथ किए गए सहयोग-समझौतों में यह शर्त रखी गयी है कि वे इस कार्य क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दक्षता बढ़ाने तथा खोजकार्य और उत्पादन में बेहतरी और तेजी लाने तथा बेहतर शोधन और बेहतर विपणन सेवा के लिए संगठनात्मक ढांचे में सुधार करने हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत में प्रयोग की जाने वाली ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

(ग) और (घ) सूचना सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

विवरण

विदेशी सहयोगकर्ता का चुनाव करते समय अद्यतन और अधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है। ऐसे कुछ मुख्य करार इस प्रकार हैं :

(i) सोवियत संघ, सी जी जी फ्रांस और जी एस आई सिंगापुर के साथ भूकम्पीय आंकड़े एकत्र करने, संसाधन करने तथा उनकी व्याख्या करने के लिए करार।

(ii) मैसर्स स्कलम्बरगेर के साथ इलेक्ट्रोनार्गिंग सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने और उनकी

व्याख्या करने के लिए करार।

(iii) फ्रांस की सी० एफ० पी० और सोवियत संघ के साथ रिजर्वायर इंजीनियरिंग परामर्श सम्बन्धी करार।

(v) मैसर्स जिओ सर्विसिज आफ फ्रांस के साथ सड-लागिंग के लिए करार।

(2) तेल क्षेत्र में संचालन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) अद्यतन प्रौद्योगिकी में भारत में और विदेश में कार्यकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

(ii) देशी उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, उपकरण और विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त करना,

(iii) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम,

(iv) जहां आवश्यक हो, तेल कम्पनियों का संरचनात्मक पुनर्गठन,

(v) विशेषकर शोधनशालाओं के बेहतर क्षमता उपयोग के लिए उपाय करना,

(vi) पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए भन्डारण क्षमता, उठाने-धरने और वितरण सुविधाओं को बढ़ावा और, एजेन्सियों की संख्या में वृद्धि करना।

प्रेस संवाददाताओं की मान्यता से संबंधित नियम

60. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संवाददाताओं को मान्यता देने से सम्बन्धित नये नियमों को रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रद्द किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं और उन्हें किन परिस्थितियों में रद्द किया गया है ;

(ग) इन नियमों का प्रेस संवाददाताओं पर क्या प्रभाव होता था और क्या सरकार का विचार संवाददाताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु कोई नये नियम बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) नवम्बर, 1983 में बनाए गए भारत सरकार के मुख्यालय में समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को प्रेस प्रत्यायन प्रदान करने संबंधी नियमों को औपचारिक रूप से रद्द

नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति को अप्रैल, 1982 में विद्यमान नियमों के आधार पर प्रेस प्रत्यातन प्रदान करने के अनुरोधों पर विचार करने तथा उसको नियम की समीक्षा करने के लिए अवसर उपलब्ध करने के लिए भी बैठक करने की अनुमति दी गई है। समिति ने अभी तक उक्त समीक्षा मुकम्मल नहीं की है।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के एककों को हुआ घाटा

462. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री नवीन रावणी :

क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के सभी उर्वरक संयंत्र घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें स्थापित किये जाने से अब तक कुल कितना घाटा हुआ है ;

(ग) घाटे के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) समस्याओं को हल करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के एककों द्वारा 1978-79 से 1982-83 तक उठाई गई शुद्ध हानि निम्न प्रकार है :—

संयंत्र का नाम	हानि (रु० लाख)
दुर्गापुर	(—) 9519
बरौनी	(—) 6386
नामरूप-I और II	(—) 6106
योग—	(—) 22011

(ग) हानि के मुख्य कारण हैं विद्युत खराबी और बारम्बार वालटेज उतार-चढ़ाव, उपकरणों की खराबी के कारण कम क्षमता उपयोग और डिजाइन कमियां।

(घ) राज्य सरकारों से उर्वरक एककों को नियमित और पर्याप्त पावर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है। उपरोक्त एककों के सरकार ने सूचित विद्युत संयंत्रों की भी अनुमति दी है।

निरन्तर आधा उत्पन्न करने वाले कुछ उपकरणों के प्रतिस्थापना/परिवर्धन द्वारा संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु विभिन्न कदम भी उठाए जा रहे हैं।

प्लास्टिक उद्योग संकट

463. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लास्टिक निर्माण के लिए कच्चे माल की लागत जो पहले 8 हजार रुपए प्रति टन थी अब बाइस से चौबीस हजार रुपए प्रति टन हो गई है और देश का प्लास्टिक उद्योग संकट में है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्लास्टिक उद्योग को इस संकट से बाहर निकालने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) देश में, राज्यवार इस समय कुल कितने बड़े प्लास्टिक उद्योग चल रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के मूल्यों में, जो 1973 में विश्व तेल संकट के समय और उसके बाद तेजी से बढ़े थे, पिछले तीन वर्षों के दौरान असाधारण वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक कच्ची सामग्री के प्रमुख निर्माताओं की संख्या नीचे दी गयी है :—

(i) महाराष्ट्र	—	5
(ii) गुजरात	—	1
(iii) राजस्थान	—	1
(iv) तमिलनाडू	—	2
(v) आन्ध्र प्रदेश	—	1
(vi) पश्चिम बंगाल	—	1

मार्च, 1977 से कच्चे तेल तथा प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में वृद्धि

464. **श्री रुद्र प्रताप बाड़ंगी :**

श्री दयाराम शाक्य :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल तथा प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य मार्च, 1977 से अब तक कितनी बार

(तिथिवार) वृद्धि की गई है ;

(ख) प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई ;

(ग) प्रत्येक वृद्धि के पूर्व तथा पश्चात् प्रत्येक मद का प्रति लिटर मूल्य क्या था तथा प्रति लिटर मूल्य में कुल कर (सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदि) की मात्रा क्या थी ; और

(घ) प्रत्येक मूल्य वृद्धि के कारण जुटाए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) कच्चे तेल के सम्बन्ध में सूचना विवरण संख्या 1 में और मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में सूचना विवरण संख्या 2 में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 757/84)

(घ) तेल कम्पनियों को निवेश वस्तुओं (इनपुट), मजदूरी आदि के मूल्यों में होने वाली वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को संशोधित कर दिया गया है। प्रत्येक मूल्य संशोधन के परिणामस्वरूप सरकार को साधनों की तदनुरूपी प्राप्ति नहीं होती है और इसलिए प्रत्येक मूल्य संशोधन के लिए जुटाए गए साधनों के आंकड़े निकालना संभव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

465. **श्री मोहनलाल पटेल :**

श्री नवीन रावणी :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए एक योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन उपक्रमों के प्रबन्ध तथा श्रमिकों को इसमें कहां तक लाभ पहुंचेगा तथा इस योजना को अपनाने वाले सरकारी उपक्रमों के क्या नाम हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी, हां। इस योजना के ब्यौरे श्रम ओर पुनर्वास मन्त्रालय के संकल्प संख्या एल-56011/1/83-डैस्क-I (बी) में उपलब्ध है। यह संकल्प भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खण्ड I में 30 दिसम्बर, 1983 को प्रकाशित किया गया था।

(ग) प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता को देश में औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाने के श्रमिक सहभागिता एक विकासात्मक प्रक्रिया हैं और नई योजना इस विकास में एक उपाय है। प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया है कि वे सरकार द्वारा 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित योजना को लागू करने के लिए एक वर्ष का समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करें।

राज्यों में विद्युत की उत्पादन क्षमता मांग तथा सप्लाई

466. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन की वर्तमान क्षमता कितनी है तथा मांग और सप्लाई की स्थिति "मेगावाट्स" तथा "मेगावाट आवर्स" में क्या है ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विद्युत की सप्लाई में कमी के कारण मांग में कटौती की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस समय विद्युत उत्पादन क्षमता 37936 मेगावाट है। फरवरी 1984 के प्रथम पखवाड़े के दौरान विभिन्न राज्यों में मेगावाट और मिलियन यूनिट में आवश्यकता, उपलब्धता और कमी दिखाने वाले ब्यौरे तथा विद्युत सप्लाई की स्थिति संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) 15-2-1984 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में विद्युत कटौतियां और प्रतिबन्ध दिखाने वाला विवरण II संलग्न है।

विवरण-I

	मांग (मेगावाट)				ऊर्जा मिलियन यूनिट प्रतिदिन			
	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	
चण्डीगढ़	44	44	—		0.8	0.8		—
दिल्ली	783	783	10	(1%)	12.0	12.0		—
हरियाणा	1000	990	10	(6.25 ,,)	14.6	12.0	2.6	(18%)
हिमाचल प्रदेश	110	110		—		2.0	2.0	—
जम्मू व कश्मीर	260	250	10	(6.25 ,,)	4.3	3.0	1.3	(30.13 ,,)
पंजाब	1515	1291	224	(14.78 ,,)	23.5	18.0	5.5	(23.40 ,,)
राजस्थान	1304	1011	293	(22.47 ,,)	20.3	18.4	1.9	(9.36 ,,)
उत्तर प्रदेश	3002	2169	833	(27.75 ,,)	50.0	39.7	10.3	(20.6 ,,)

1	2	3	4	5	6	7	8	
गुजरात	2220	1946	274	(12.34 ,,)	39.4	39.4		—
मध्य प्रदेश	1713	1713		—	31.2	31.2		—
महाराष्ट्र (गोवा सहित)	4350	3706	644	(14.80 ,,)	74.6	63.4	11.2	(15.01 ,,)
आन्ध्र प्रदेश	1717	1707	10	(0.58 ,,)	32.0	30.8	1.2	(3.5 ,,)
कर्नाटक	1750	1380	370	(21.14 ,,)	27.2	22.1	5.1	(18.75 ,,)
केरल	999	792	207	(20.72 ,,)	12.8	12.3	0.5	(3.91 ,,)
तमिलनाडु	2000	1937	63	(3.15 ,,)	39.7	32.40	7.3	(18.39 ,,)
बिहार	780	499	281	(36.03 ,,)	13.1	8.6	4.5	(34.35 ,,)
दामोदर घाटी निगम	1258			—	17.7	17.7		—
उड़ीसा	883	883		—	16.5	14.4	2.1	(12.73 ,,)
पश्चिम बंगाल	1400	993	407	(29.07 ,,)	24.8	17.3	4.5	(20.64 ,,)
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	294	286	8	(2.72 ,,)	4.1	3.9	0.2	(4.88 ,,)

विवरण-II

15-2-1984 को लागू विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध

क्रम सं०	राज्य/संघराज्य क्षेत्र		विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध	
			मांग कटौती	ऊर्जा कटौती
1	2		3	4
1.	दिल्ली	—	उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध	10%
2.	हरियाणा	—	उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध तथा सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी कृषि उपभोक्ताओं को 8 से 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई की जाती है	60 ,,

1	2	3	4
3.	हिमाचल प्रदेश	—	व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध —
4.	पंजाब	—	कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई की जाती है 25.50%
5.	राजस्थान	—	कृषि उपभोक्ताओं को 9 घंटे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई की जाती है 40%
6.	जम्मू और कश्मीर	—	घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर 13 घंटे प्रतिदिन की कटौती —
7.	उ० प्र०	—	कुछ श्रेणी के उद्योगों के प्रतिबंधित सप्लाई कुछ श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत उद्योगों पर सीमान्त कटौती की सप्लाई की जाती है।
8.	गुजरात	—	20% —
9.	मध्य प्रदेश	—	20%—25% 10%-15%
10.	महाराष्ट्र	—	15%—30% और उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध 10%-20%
11.	आन्ध्र प्रदेश	—	25%—(27-1-84 से) 27-1-84 से
12.	कर्नाटक	—	33-1/3%-75% 33-1/3%-65%
13.	तमिलनाडु	—	30-50% 30-50%
14.	केरल	—	10% 10%
15.	पश्चिम बंगाल	—	15% और व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध 5-30%
16.	उड़ीसा	—	कुल 65 मेगावाट के भारी और गहन विद्युत उद्योगों पर 20% —

डाक, मनीआर्डर तथा टेलीफोन प्रभारों में वृद्धि

467. **श्री बाबूराम परांजपे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) मार्च, 1977, (दो) मार्च, 1979 (तीन) जनवरी 1980 तथा (चार) दिसम्बर 1983 के दौरान विभिन्न डाक तथा मनीआर्डर प्रभार तथा टेलीफोन (स्थानीय, ट्रंक तथा विदेश) तथा तार प्रभार क्या थे ; और

(ख) उपर्युक्त प्रभारों में किस-किस तारीख को कितनी-कितनी वृद्धि की गई और इस तरह प्रत्येक बार (एक) मार्च 1977—फरवरी 1979 (दो) मार्च 1979 दिसम्बर 1979 तथा (तीन) जनवरी 1980-दिसम्बर 1983 के दौरान कितना राजस्व प्राप्त किया गया ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) डाक, टेलीफोन तथा तार प्रभार से सम्बन्धित जानकारी संलग्न अनुबन्ध—'क', 'ख' और 'ग' में दी गई है।

(ख) अपेक्षित जानकारी अनुबन्ध—'घ' में दी गई है। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7758/84)

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नया इलेक्ट्रानिकी टेलीफोन एक्सचेंज

468. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये चाणक्यपुरी इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज के उद्घाटन की अनुमानित तारीख क्या है ;

(ख) नए टेलीफोन एक्सचेंज में कौन से क्षेत्र शामिल होंगे ;

(ग) इससे जुड़नेवाले टेलीफोनों के पंजीकरण की तारीख क्या है ; और

(घ) क्या वर्ष 1982 में हौजखास क्षेत्र में टेलीफोन के लिए पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन०पाटिल) : (क) चाणक्यपुरी एन०ई० सी०टेलीफोन एक्सचेंज के मार्च 1984 के दौरान चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस नए एक्सचेंज से चाणक्यपुरी (67) एक्सचेंज के मौजूदा इलाकों तथा सचिवालय, जोरबाग और हौज खास एक्सचेंजों से अन्तरित किए गए कुछ इलाकों को सेवा प्रदान की जाएगी।

(ग) चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज में जिन विभिन्न श्रेणियों में टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन की तारीखें इस प्रकार हैं :

श्रेणी					
	ओ० वाई० टी०		गैर ओ० वाई० टी०		
	विशेष	सामान्य	एस० एस०	विशेष	सामान्य
तारीख	31-1-84	31-1-84	31-1-84	31-1-84	4-11-84

(घ) होजखास एक्सचेंज क्षेत्र (1-65,66) में जिन विभिन्न श्रेणियों में टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन की तारीखें इस प्रकार हैं :—

श्रेणी

	ओ० वाई० टी०		गैर ओ० वाई० टी०		
	विशेष	सामान्य	एस० एस०	विशेष	सामान्य
तारीख	27-5-82	19-10-81	30-11-83	6-9-82	17-3-79

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों को हिन्दी में लिखे गए पत्र

469. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान अलग-अलग राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार देश के राज्यों में "क" "ख" "ग" क्षेत्रों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों को कितने मूल पत्र भेजे ।

(ख) उनमें से राज्य-वार और वर्ष-वार हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग कितने मूल पत्र भेजे ;

(ग) इन वर्षों में वर्ष वार "क" "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित इसके विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से उनके मंत्रालय को कुल कितने मूल पत्र प्राप्त हुए ; और

(घ) उनमें से हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग राज्य-वार कितने मूल पत्र थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक ओर संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों और दूसरी ओर व्यक्तियों, राज्य सरकारों, आदि के सम्बन्ध में हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे जाने वाले या प्राप्त होने वाले मूल पत्रों के बारे में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

लोहिया मशीन्स के वेस्पा एक्सई संयंत्र के उद्घाटन के बारे में न्यूजरील का दूरदर्शन पर प्रसारण

470. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 दिसम्बर, 1983 को कानपुर में लोहिया मशीन्स के वेस्पा एक्सई संयंत्र के उद्घाटन की न्यूजरील तैयार करने और दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसे दूरदर्शन पर प्रदर्शित करने पर (कानपुर भेजे गए कर्मचारियों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते सहित कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ।

(ख) क्या इस न्यूजरील को देश के सिनेमाघरों में भी वृत्त चित्रों और न्यूजरीलों के एक भाग के रूप में दिखाया गया ;

(ग) क्या इस प्रकार की गैर सरकारी कम्पनियों के उद्घाटन समारोहों पर समाचार तैयार करना और समाचार प्रसारण के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण में दिखाना दूरदर्शन अधिकारियों के लिए सामान्य प्रक्रिया है ; और

(घ) क्या इसके पहले और इसके बाद इस प्रकार के समारोह हुए हैं ; यदि हां, तो उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कानपुर भेजे गए कर्मचारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सहित कुल 765/-रु० (केवल सात सौ पैंसठ रुपये खर्च हुए थे ।)

(ख) जी, नहीं । दूरदर्शन द्वारा किए गए कवरेज टेलीकास्ट किए जाने के लिए ही होते हैं और वे सामान्यतया फिल्म प्रभाग द्वारा थियेट्रीकल सर्किट पर परिचालित की जाने वाली डाकुमेंट्री फिल्मों/न्यूजरीलों का अंग नहीं होते । तथापि, फिल्म प्रभाग ने इस समारोह को अलग से कवर किया है और उनका इस कवरेज को मार्च, 1984 में सिनेमाघरों के प्रदर्शन के लिए रिलीज की जाने वाली समाचार डाकुमेंट्री में शामिल करने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) समाचारों को शुद्धता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा विनियमित किया जाता है । इस समारोह को इसके समाचारिक मूल्य और रोजगार संभावना, अर्थ व्यवस्था को, विशेषकर निर्यात के क्षेत्र में, बढ़ावा देने में जन रुचि के कारण और इस कारण भी कि इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था, कवर किया गया था । भूतकाल में, दूरदर्शन ने राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के निकट सीमेंट प्लांट को चालू किए जाने को कवर किया था ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों की आस्तियां

471. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (अधिनियम) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनियों को (ग्रुप-वार) अद्यतन आस्तियों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : उन कम्पनियों की परिसम्पत्तियां जो 31-12-1982 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं (औद्योगिक घरानों के अनुसार), संलग्न अनुलग्नक में दी जाती हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8759/84]

दिल्ली टेलीफोन और कलकत्ता टेलीफोन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त पड़े पद

472. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन और कलकत्ता टेलीफोन विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बद्ध उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुल पद रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका श्रेणी बार ब्यौरा क्या है ;

(ग) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(घ) इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले की कीमतों में वृद्धि

473. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से कोयले की कीमतों में 6 बार वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कीमतों में उक्त वृद्धियों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कीमतों में वृद्धि का कारण कुप्रबंध और/या अवैज्ञानिक खनन प्रक्रियाएं हैं ; और

(घ) क्या कोयले की ये खुदरा कीमतें हमारे देश जैसे ही सामाजिक आर्थिक जीवनस्तर वाले कोयला उत्पादक अन्य देशों में कोयले की इतनी ही कीमतों की तुलना में अनुकूल हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो की सिफारिशों पर और अन्य सभी संगत बातों जैसे उत्पादन लागत में वृद्धि, राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता III का आर्थिक भार, मूल्य ह्रास और ब्याज में वृद्धि आदि पर विचार करके कोयले की कीमतों में 8-1-1984 से संशोधन किया गया है। राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले की औसत खान-मुहाना कीमतों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :

संशोधन की तारीख	को० इ० लि० और सिं० को० कं० लि० द्वारा उत्पादित कोयले की प्रति टन औसत खान-मुहाना कीमत	
	को० इ० लि०	सिं० को० कं० लि०
1-4-1974	रु० 47.50	रु० 50.50
1-7-1975	रु० 64.92	रु० 67.65
17-7-1979	रु० 101.18	रु० 99.92
14-2-1981	रु० 128.02	रु० 136.85
27-5-1982	रु० 145.90	रु० 154.75
8-1-1984	रु० 183.00	रु० 192.00

कोचीन रिफायनरीज लिमिटेड द्वारा बेंजीन के उत्पादन के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन

474. **श्री जी० एन० वनातवाला** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफायनरीज लिमिटेड ने 1.55 लाख टन बेंजीन के उत्पादन के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया ;

(ग) क्या सरकार के सुझाव पर प्रतिवेदन कई बार संशोधित किया गया था और यदि हां, तो अद्यतन संशोधित प्रतिवेदन कब दिया गया ;

(घ) क्या सरकार ने यह सुझाव दिया था कि वह केवल 80,000 टन बेंजीन के उत्पादन की परियोजना पर विचार करेगी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्भावित बाजार स्थितियों और अधिक उत्पादन की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोचीन रिफायनरीज लिमिटेड द्वारा 1.55 लाख टन की उत्पादन क्षमता का सुझाव दिया गया है ; और

(च) बिना किसी और अविलम्ब के लम्बे समय से विचाराधीन इस परियोजना को मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (च) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने अप्रैल, 1981 में बेंजीन के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । कम्पनी को परामर्श दिया गया था कि वह योजना आयोग के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप तथा घरेलू प्रौद्योगिकी के आधार पर तथा विश्वसनीय लागत अनुमानों के अनुसार सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करें । कम्पनी द्वारा अप्रैल, 1983 में प्रस्तुत की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

पैट्रोल पम्पों का लूटा जाना

475. **श्री रामलाल राही** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 फरवरी, 1984 को डाकुओं ने दिल्ली में रोहतक रोड पर एक पेट्रोल पम्प को लूट लिया था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 से अब तक वर्ष-वार, पैट्रोल पम्पों के लूटे जाने के कितने मामलों की रिपोर्ट की गई है ;

(ग) सरकार ने पेट्रोल पम्पों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(घ) यदि कोई उपाय नहीं किए गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। रोहतक रोड स्थित आई० बी० पी० के एक पैट्रोल पम्प के बिक्रेता को, जो बैंक में नकद धनराशि जमा कराने जा रहा था, मार्ग में पेट्रोल पम्प से लगभग 100 मीटर की दूरी पर 1 फरवरी, 1984 को लूट लिया गया था।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1980 से दिल्ली में पैट्रोल पम्पों के लूटे जाने के मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	मामलों की संख्या
1980	3
1981	4
1982	5
1983	7
1984 (15 फरवरी, 1984 तक)	1

(ग) और (घ) पैट्रोल पम्प के मालिकों को सुरक्षा उपायों के बारे में निर्देश दिए गए हैं जिन्हें उन्हें अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन ने संघ शासित प्रदेश में अपराधों की रोकथाम करने के लिए कई उपाय किए हैं, और इनसे जहां तक पेट्रोल पम्पों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, स्थिति में सुधार होना चाहिए।

टेलीविजन निर्माताओं द्वारा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की शिकायतें

476. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **विधि और न्याय कम्पनी कार्य मंत्री** टेलीविजन द्वारा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को शिकायतों के बारे में 20 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संगठन 'बौइस' द्वारा दी गई टेलीविजन उद्योग में अवरोधक व्यापारिक व्यवहार सम्बन्धी शिकायतों की प्राथमिक जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ख) टेलीविजन निर्माताओं को ऐसी अवरोधक गतिविधियों को समाप्त करने हेतु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा निर्देशित प्राथमिक जांच-पड़ताल अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। आगे की कार्यवाही प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात की जायेगी।

बिहार में बहेरा, बिसफी और सिमरी डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना और मनोहरपुर मसुकिया आदि में नये डाकघरों का खोला जाना

477. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार मंत्री** बिहार, बहेरा बिसकी और सिमरी डाकघरों का दर्जा

बढ़ाये जाने और मनोहरपुर मसुकिया आदि में नये डाकघरों के खोले जाने के बारे में 22 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 1170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और लोगों और संसद सदस्य की लगातार मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) किसी शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर तभी बनाया जाता है जब उसका कार्यभार 5 घण्टे का हो तथा उससे प्रतिवर्ष 1000/-रु० से कम का घाटा हो। माननीय सदस्य द्वारा बताए गए कार्यालयों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

	शाखा और डाकघर का नाम	कार्य घंटे	प्रतिवर्ष प्रत्याशित हानि
1.	बहेरा	1 घंटा 45 मिनट	7843.80 रु०
2.	बिसफी	3 घंटे 25 मिनट	7967.28 रु०
3.	सिमरी	2 घंटे	6611.04 रु०

अत: दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं बनता है।

2. किसी भी गैर-ग्राम पंचायत वाले गांव में शाखा डाकघर तभी खोला जाता है जब वहां की जनसंख्या 2000 हो तथा 3 कि० मी० के भीतर कोई डाकघर न हो मनोहरपुर की जनसंख्या 2000 से कम है तथा वहां से 2 कि० मी० की दूरी पर पारसे में डाकघर मौजूद है। चाकुता गांव के लिए भी 2 कि० मी० की दूरी पर कामतौल में एक डाकघर स्थित है। अत: उक्त दोनों गांवों में नए डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता है।

3. मसुकिया—डाकघर खोलने की मंजूरी दे दी गई है।

गुजरात आदि के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

478. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेषकर गुजरात राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नए डाकघर खोले गए ;

(ख) गुजरात राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनमें अब तक दूरसंचार सुविधा नहीं है ; और

(ग) देश में सभी ग्रामीण क्षेत्रों को दूरसंचार प्रणाली से कब तक जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जानकारी विवरण I में दी गई है।

(ख) जानकारी विवरण II में दी गई है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार देश की अधिकांश जनसंख्या के 5 कि०मी० के भीतर 1990 तक दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

विवरण-I

वर्ष 1983 के दौरान सर्किलवार खोले गए डाकघर

सर्किल का नाम	खोले गए डाकघरों की सं०
1. आन्ध्र प्रदेश	118
2. बिहार	242
3. दिल्ली	1
4. गुजरात	83
5. जम्मू एवं कश्मीर	39
6. कर्नाटक	52
7. केरल	62
8. मध्य-प्रदेश	224
9. महाराष्ट्र	192
10. उत्तर-पूर्वी	100
11. उत्तर-पश्चिमी	96
12. उड़ीसा	124
13. राजस्थान	131
14. तमिलनाडु	76
15. उत्तर-प्रदेश	271
16. पश्चिम बंगाल	105
योग	1906

विवरण-II

जिले का नाम	उन गांवों की सं० जहां दूरसंचार सुविधाएं नहीं हैं
1. अमरेली	435
2. भुज	777
3. जामनगर	613
4. जूनागढ़	970
5. राजकोट	716
6. सुरेन्द्रनगर	430
7. भावनगर	720
8. अहमदाबाद	468
9. गांधीनगर	28
10. मेहसाना	370
11. पालनपुर	1230
12. हिम्मत नगर	507
13. डांग	304
14. बुल्सर	407
15. सूरत	1389
16. पंचमहल	1830
17. बड़ौदा	1610
18. खेड़ा	471
18. बड़ौच	1207
योग	14490

देश में प्रति किलोमीटर सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या

479. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार प्रति किलोमीटर कितने सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध हैं ;

(ख) उत्तर-प्रदेश में जिलावार प्रति किलोमीटर कितने टेलीफोन उपलब्ध हैं ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं और वर्षवार तथा राज्य वार क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जानकारी विवरण "एक" में दी गई है।

(ख) जानकारी विवरण "दो" में दी गई है ।

(ग) जानकारी विवरण "तीन" में दी गई है ।

विवरण-I

भारत में 15-12-1983 को प्रतिवर्ग किलोमीटर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन राज्यवार

क्रम सं०	सर्किल का नाम	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/वर्ग कि०मी०
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	.014
2.	बिहार	.010
3.	गुजरात (गुजरात, दादर, नगर हवेली, दियु दमन सहित)	.003
4.	जम्मू और कश्मीर	.004
5.	कर्नाटक	.005
6.	केरल (माहे, मिनीकाय, लक्षद्वीप, अमीन द्विप सहित)	.005
7.	मध्य-प्रदेश	.003

1	2	3
8.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	.003
9.	उत्तर-पूर्व (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित)	.002
10.	उत्तर-पश्चिम (हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चण्डीगढ़ सहित)	.009
11.	उड़ीसा	.004
12.	राजस्थान	.002
13.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	.019
14.	उत्तर-प्रदेश	.011
15.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम एवं कारनिकोबार द्वीपसमूह सहित)	.007

विवरण 'दो'

उत्तर-प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन---जिलावार

क्रम सं०	जिला	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/वर्ग कि०मी०	क्रम सं०	जिला	लम्बी दूरी सार्वजनिक टेलीफोन/वर्ग कि०मी०
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर काशी	.001	8.	फतेहपुर	.014
2.	चमोली	.005	9.	इलाहाबाद	.007
3.	टिहरी गढ़वाल	.010	10.	जालौन	.008
4.	देहरादून	018	11.	झांसी	.006
5.	गढ़वाल	.013	12.	ललितपुर	.003
6.	पिथौरागढ़	.005	13.	हमीरपुर	.005
7.	अल्मोड़ा	.011	14.	बांदा	.006

1	2	3	4	5	6
15.	नैनीताल	.014	36.	खीरी	.009
16.	सहारनपुर	.013	37.	सीतापुर	.013
17.	मुजफ्फरनगर	.013	38.	हरदोई	.022
18.	बिजनौर	.013	39.	उन्नाव	.022
19.	मेरठ	.004	40.	लखनऊ	.018
20.	गाजियाबाद	.010	41.	रायबरेली	.038
21.	बुलन्दशहर	.014	42.	बहराइंच	.006
22.	मुरादाबाद	.019	43.	गोंडा	.011
23.	रामपुर	.009	44.	बाराबंकी	.021
24.	बदायूं	.016	45.	फैजाबाद	.029
25.	बरेली	.012	46.	सुल्तानपुर	.020
26.	पीलीभीत	.002	47.	प्रतापगढ़	.011
27.	शाहजहांपुर	.011	48.	बस्ती	.007
28.	अलीगढ़	.019	49.	गोरखपुर	.007
29.	मथुरा	.019	50.	देवरिया	.023
30.	आगरा	.013	51.	आजमगढ़	.022
31.	एटा	.023	52.	जौनपुर	.012
32.	मैनपुरी	.013	53.	मिर्जापुर	.002
33.	फरूखाबाद	.013	54.	बलिया	.029
34.	इटावा	.021	55.	गाजीपुर	.021
35.	कानपुर	.005	56.	वाराणसी	.012

वितरण "तीन"

छठी पंचवर्षीय योजना के लिए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों का लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	सर्किल	1980-81		1981-82		1982-83		1983-84 (15-12-83 तक)		1984-85	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	आध्र-प्रदेश	540	627	450	659	500	639	300	60	लक्ष्य	
2.	बिहार	400	222	400	122	250	89	60	14	अभी	
3.	गुजरात	100	79	50	39	40	25	30	2	निर्धारित	
4.	जम्मू एवं कश्मीर	30	6	30	14	20	6	20	4	किए जाने	
5.	कर्नाटक	50	17	30	10	10	7	20	3	हैं।	
6.	केरल	70	7	250	6	200	10	40	7		
7.	मध्य-प्रदेश	100	151	100	87	90	84	80	20		
8.	महाराष्ट्र	250	53	200	95	150	344	150	47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	उत्तर-पूर्व	30	18	50	27	40	25	30	7	
10.	उत्तर-पश्चिम	200	106	150	109	100	74	50	15	
11.	उड़ीसा	30	52	40	50	40	84	80	8	
12.	राजस्थान	70	55	100	60	60	84	80		
13.	तमिलनाडु	200	372	150	517	300	476	200	62	
14.	उत्तर-प्रदेश	400	439	500	214	300	244	220	75	
15.	पश्चिम बंगाल	30	57	300	73	200	73	70	2	
	योग	2500	2251	2800	2082	2300	2264	1500	326	

बर्दवान शहर के लिए दूरदर्शन

480. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्दवान शहर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब स्थापित कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) जी, हां।

(ख) अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

इंटिग्रेटड मइयूलर फ्लोटिंग प्रोडक्शन प्लान का नया सिद्धांत लागू करना

481. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटिग्रेटेड मड्यूलर फ्लोटिंग प्रोडक्शन प्लान फार्मों के सम्बन्ध में एक नया सिद्धान्त लागू करने के लिए कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस नये सिद्धान्त को कैसे विकसित किया गया है ;

(ग) इस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) गहरे पानी में तेल के उत्पादन के सम्बन्ध में उपर्युक्त इंटिग्रेटेड मड्यूलरफ्लोटिंग प्रोडक्शन प्लान लागू करने से प्राप्त लाभ का ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

छठी योजना के दौरान डाक घर खोलने तथा डाक काउन्टर सुविधाएं प्रदान करने आदि के सम्बन्ध में उपलब्धियां

482. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू परियोजना अवधि के दौरान आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में 5000 डाकघर खोले जाने थे ;

(ख) क्या 10,000 गांवों को चल डाकघरों के माध्यम से डाक काउण्टर सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी थीं ;

(ग) क्या ग्रामीण चल डाक सेवाओं की कार्यक्षमता में सुधार करके ग्रामीण डाकघर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10,000 विभागेतर डिलीवरी एजेंटों को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव था ; और

(घ) यदि हां, तो उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) 31-12-83 तक प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

(एक) जन जातीय तथा पिछड़े इलाकों में खोले गए डाकघर···2618

(दो) ऐसे ग्राम जहां काउन्टर सेवा प्रदान की गई···7979

(तीन) और अधिक नियुक्त किए गए अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेन्ट···7679

राजस्थान में डूंगरपुर और बाँसबाड़ा के आदिवासी जिलों को आवंटित डाकघर

483. **श्री मीखाभाई** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान राजस्थान के प्रत्येक जिले को कितने डाकघर आवंटित किए गए ;

(ख) डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी जिलों को क्या कोई महत्व प्रदान किया गया ; और

(ग) उनके मन्त्रालय द्वारा सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित न किए जाने का क्या कारण है?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विभिन्न सर्किलों में शाखा डाक घर खोलने के लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। आबंटन प्राप्त हो जाने पर राजस्थान के पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा प्रत्येक डिवीजन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे ।

(ख) और (ग) पिछड़े और जनजातीय दोनों ही क्षेत्रों का विकास आर्थिक सहायता के आधार पर किया जाता है। इसके लिए जनसंख्या, लागत और आय में छूट देते हुए मानदण्ड निर्धारित किए हैं। 1.5 कि० मी० के घेरे में स्थित ऐसे ग्रामों के समूहों के लिए जनसंख्या 1000 होनी चाहिए, जबकि अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या 2000 तथा लागत की 25 प्रतिशत की आय होनी चाहिए। उक्त बांसबाड़ा एवं डूंगरपुर जिले जनजातीत योजना के अन्तर्गत आते हैं और इसलिए ये अधिक आर्थिक सहायता पाने के पात्र हैं।

कोयले के उत्पादन में हानि

484. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत, हड़ताल, अनुपस्थिति, नई खानों के समय पर न खुलने जैसे कारणों तथा अन्य तकनीकी कारणों से कुल कितने उत्पादन की हानि हुई इस सम्बन्ध में पिछले पांच वर्षों के तथ्यों का मदवार ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या कोयला खानों में आरक्षित विद्युत संयंत्रों को लगाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) कोल इण्डिया लि० ने वर्ष 1980 में तीन स्थानों पर 2 × 10 मे० वा० के ग्रहीत ताप बिजली घर स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव पर सम्बन्धित मूल्यांकन एजेंसियों के साथ परामर्श करके विचार किया गया है परन्तु इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि ऐसे ग्रहीत बिजलीघरों और उनके आकार के बारे में अलग-अलग राय और विचार में तालमेल करने की जरूरत है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० में दोनों में मिलाकर विभिन्न कारणों से उत्पादन में हुई हानि निम्नलिखित है :—

(आंकड़े लाख टन)

कारण	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	83-84 (अप्रैल-जनवरी)
बिजली फेल	68.34	55.49	30-90	46.34	41.98
अनुपस्थिति	58.62	55.62	27.14	21.85	22.97
औद्योगिक सम्बन्ध/हड़ताल और श्रमिक असन्तोष	13.43	12.92	12.49	22.72	14.20
कानून और व्यवस्था समस्या के कारण खानों का न खुलना	—	—	—		5.30
वर्षा/बाढ़	1.80	5.50	4.10		5.66
अन्य (इसमें मशीन खराब हो जाना और अन्य सामग्री की कमी आदि शामिल है)	48.21	36.48	28.23	28.65	24.34
कुल (को० इं० लि + सि० को० कं० लि०)	190.40	166.01	102.86	119.56	114.45

*इसमें खानों के न खुलने, वर्षा और बाढ़ के कारण कोल इण्डिया लि० में हुई उत्पादन में हानि शामिल है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों की परिसम्पत्तियां, देयताएं, बिक्री और लाभ

485. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन पंजीकृत औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियों, देयताओं, बिक्री और कर पूर्व तथा कर पश्चात् लाभ के बारे में उनके मन्त्रालय में उपलब्ध नवीनतम स्थिति ;

(ख) पिछले दो वर्षों की तुलना में उनकी धृतियों (होल्डिंग्स) में हुई वृद्धि की प्रतिशतत क्या है ; और

(ग) इस एकाधिकार वृद्धि और कुछ लोगों के हाथ में धन के जमा होने को रोकने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत 1982, 1981 तथा 1980 में पंजीकृत औद्योगिक उपक्रमों की परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त, और कर-पूर्व लाभ को दर्शाता हुआ विवरण संलग्न हैं। विवरण पत्र में पिछले दो वर्षों नामशः 1981 और 1980 की तुलना में 1982 में हुई वृद्धि के प्रतिशत को भी दिखलाया गया है। देयताओं तथा कर के पश्चात् लाभ विषयक सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार की जानकारी के संकलन के लिए किया गया श्रम उपलब्ध परिणामों के समुतुल्य नहीं हो सकेगा।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना भी है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से, जन साधारण के अहित में आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण नहीं हो। यह उद्देश्य एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार तथा प्रमुख घरानों के पर्याप्त विस्तार सम्बन्धी प्रस्तावों, नए उपक्रमों की स्थापना सम्मेलन, विलयन अधिग्रहण आदि के विनियमन सम्बन्धी उपबन्धों और केन्द्रीय सरकार को नवीनतम औद्योगिक नीति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उद्देश्य एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को कम्पनियों का पूर्ण निरोध करना नहीं है अपितु उनके सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करते हुए कि इस प्रकार के विस्तार से आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण नहीं हो तथा यह लोक हित के विपरीत नहीं हो, के अनुसरण में उनके विस्तार को विनियमन करने का अभिकल्प है।

विवरण

1982, 1981 और 1980 में परिसम्पत्तियां, व्यापारावर्त और लाभों तथा 1980 से 1981 के ऊपर 1982 में हुई वृद्धि का प्रतिशत।

(आंकड़े करोड़ रु० में)

	1982	1981	1980	1981 से 1982 में हुई वृद्धि का प्रतिशत	1980 से 1981 में हुई वृद्धि का प्रतिशत
परिसम्पत्तियां	21,688.38	17,443.72	14,408.92	24.3	21.1
व्यापारावर्त	24,239.39	24,456.96	20,000.42	(—)0.1	22.3
कर-पूर्व लाभ	1,071.72	1,334.09	1,121.37	(—)19.7	19.9

बिहार में मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस और कोयले की कमी

486. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में नवम्बर-दिसम्बर 1983 से मिट्टी का तेल, खान. पकाने की गैस और कोयले की लगातार कमी चल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सूर्य डूबने के साथ साथ ही दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों में अंधेरा छा जाता है और गरीब आदिवासियों को मिट्टी के तेल की कमी के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें सूर्योदय तक अन्धेरे में ही रहना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) इस समय बिहार में मिट्टी के तेल और खाना पकाने की गैस की किसी कमी की सूचना नहीं मिली है। परिवहन समस्याओं के कारण दिसम्बर, 1983 में विशेषरूप से, उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में कुछ कमी हुई थी। इस कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय किए गये थे और जनवरी, 1984 के पहले सप्ताह तक सभी सप्लाई डिपुओं में स्टाक की स्थिति सन्तोषजनक थी।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, कोयला विभाग से स्थिति का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

आकाशवाणी से विदेशों के लिए तेलुगु सेवाएं शुरू करना

487. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तेलुगु का दूसरा स्थान है सरकार आकाशवाणी से विदेशों के लिए तेलुगु में प्रसारण सेवाएं शुरू करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 7वीं योजना के प्रस्तावों के अंग के रूप में ब्यौरों को तैयार किया जाएगा ।

कोयला खानों में सुधार के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत

488. **डा० वसंत कुमार पण्डित** : क्या **ऊर्जा मंत्री** कोयला खानों में सुधार के लिए अन्य देशों से सहयोग के लिए बातचीत के बारे में 6 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2163 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोयला खानों में सुधार के लिए रूस, पोलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस संघीय गणतन्त्र जर्मनी के साथ हुए समझौतों की तुलनात्मक शर्तें क्या हैं ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनकी शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश द्वारा दिए जाने वाले सहयोग का ब्यौरा क्या है और खानों में कितना तथा किस प्रकार का सुधार हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न देशों ने कोयला खनन की विभिन्न विशिष्ट तकनीकों में विशेषज्ञता प्राप्त की है। भारत में जिस विशिष्ट खनन समस्या का समाधान करने की जरूरत होती है उसके अनुसार समुचित प्रौद्योगिकी संबद्ध विदेशी राष्ट्र से ली जा रही है । उदाहरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि ओपेनकास्ट खानों की डिजाइन तैयार करने का काम सोवियत संघ की सहायता से किया जा रहा है, खनन की केविंग प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के परीक्षण फ्रांस की सहायता से किए जा रहे हैं, आदि-आदि। इन परिस्थितियों में विदेशों से सहायता के सम्बन्ध में बातचीत तुलनात्मक शर्तों के आधार पर नहीं बल्कि उस देश में विकसित विशेषज्ञता के आधार पर की जा रही है।

(ग) भाग (क) में उल्लिखित देशों में से प्रत्येक देश से जो सहयोग मिलता है उसके ब्यौरे संबद्ध कार्यकारी ग्रुपों की बैठकों में सहमत कार्यवृतों/हस्ताक्षरित प्रोटोकोल में शामिल कर लिए गए हैं। इन कार्यकारी ग्रुपों में पिछले सहमत कार्यवृतों/हस्ताक्षरित प्रोटोकोलों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हल्दिया में सोडा ऐश संयंत्र का विघटित किया जाना

489. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया में हिन्दुस्तान उर्वरक निगमन के लिए सोडा ऐश संयंत्र को इसके द्वारा उत्पादन आरम्भ किए जाने से पूर्व ही विघटित कर दिया गया और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खराब हो गए कुओं की मरम्मत

490. श्री वाला सहिव विखे पाटिल : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार खराब हो गए 200 कुओं की मरम्मत करने का है ;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने दिसम्बर, 1983 तक खराब हो गए कितने कुओं की मरम्मत की थी ;

(ग) क्या तेल उद्योग में सहयोग के सम्बन्ध में सोवियत संघ और भारत के बीच किसी ठेके पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान कुओं से तेल की वसूली में वृद्धि करने के लिए सोवियत संघ द्वारा क्या सहायता दी जाएगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) 1.4.1983 से 31.12.1983 तक लगभग 162 कुओं की मरम्मत की जा चुकी है।

(ग) जी, हां ।

(घ) (i) गुजरात में खराब कुओं की मरम्मत के लिए सोवियत संघ की टेक्नोएक्सपोर्ट और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बीच एक वर्क ओवर सेवा करार पर अक्तूबर, 1981 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार लागू हैं।

(ii) दो सोवियत संघ दलों सहित दो वर्क-ओवर रिगों के लिए एक नया वर्क ओवर सेवा करार के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और आशा है इस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जायेंगे।

(iii) सोवियत पक्ष ने चार सोवियत दलों सहित चार अतिरिक्त वर्क ओवर रिगों के लिए एक करार का प्रारूप भी प्रस्तुत किया है।

कोरबा सुपर ताप बिजलीघर में जल शोधन संयंत्र के लिए ठेका

491. श्री के तकप्पा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरबा सुपर ताप बिजलीघर में जलशोधन संयंत्र के लिए वर्ष 1983 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विश्वव्यापी टेन्डर आमन्त्रित किए गए थे तथा टेन्डरों को सितम्बर, 1983 में खोला गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों/पार्टियों का पूर्ण विवरण क्या है, जिन्होंने कोरबा में उक्त संयंत्र का निर्माण करने के लिए दरें भेजी थी ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है तथा किसी टेन्डर भरने वाले को ठेका दिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और औचित्य क्या हैं ; और

(घ) यदि इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित फर्मों ने निवेदित दरें प्रस्तुत की थीं :

(एक) मैं० गोको सिस्टम्स लि० कनाडा

(दो) मैं० ड्रिप्लेक्स वाटर इंजीनियरी

(इन्टरनेशनल) प्रा० लि०, इंडिया

(तीन) मैं० इलिनयोन्स वाटम ट्रीटमेंट कम्पनी, यू० एस० ए०

(चार) मैं० प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इण्डिया प्रा० लि०, भारत

(पांच) मैं० तुलसी फाइन केमिकल इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० भारत

(छः) मैं० भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि०, भारत

(सात) मैं० इंगरा, युगोस्लाविया

(आठ) मैं० एल० एण्ड सी० स्टिनमुल्लर, जी० एम० बी० एच०, पश्चिमी जर्मनी

(ग) और (घ) प्रस्तावों की इस समय जांच की जा रही है। इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है तथा परियोजना के निर्धारित कार्यक्रम को बनाए रखा जाएगा।

ऊर्जा और ड्रिलिंग रिग्स के क्षेत्र में भारत-रूमानिया सहयोग

492. **श्री वीरेद्र घोष : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पन बिजली, ताप बिजली और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत रूमानिया सहयोग की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में रूमानिया के विदेश मन्त्री के साथ कोई बातचीत की थी ;

(ख) क्या रूमानिया के मन्त्री ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ड्रिलिंग रिग्स और सिमेंटिंग यूनिट सप्लाई करने में रुचि दिखाई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की निविदा पूछताछ के उत्तर में रूमानिया ने ड्रिलिंग रिगों तथा सिमेंटिंग यूनिटों को बेचने का प्रस्ताव किया था । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग प्राप्त सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के पश्चात् इस बारे में निर्णय लेगा ।

उर्वरक उद्योग के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन सम्मेलन में दिए गए सुझाव

493. **श्री नवीन रावणी : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में उर्वरक उद्योग के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का कोई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने देशों ने भाग लिया था ;

(ग) उसमें हुए विचार विमर्श का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उर्वरक का उत्पादन और खपत बढ़ाने के बारे में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) बावन देशों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया ।

(ग) और (घ) बैठक में उर्वरक उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किए गए ; जैसे कि मिनी उर्वरक संयंत्र उर्वरक संयंत्रों की पूंजी लागत, उर्वरक संयंत्र निर्माण के लिए माडल करार एवं उर्वरक उद्योग के विकासशील देशों के बीच सहयोग तथा कीटनाशी, लागत को कम करने की नयी तकनीकों एवं उर्वरक उपयोग की दक्षता को बढ़ाने तथा उर्वरक संयंत्रों के लिए पर्यावरणात्मक संरक्षण पर भी विचार-विमर्श किया गया ।

इस बैठक ने उद्योग के लिए प्रि-कोन्ट्रैक्टिग मैन्यूअल तैयार करने की सिफारिश की है जिससे संयंत्रों के निर्माण की बढ़ती हुई लागत पर नियंत्रण करने में सहायता मिले ; यूनीडो से परियोजना प्रबन्ध और पूंजी लागत के लिए व्यापक मार्गदर्शन तैयार करने का भी अनुरोध किया । सेमी-टर्न की करार तथा लाइसेंसिंग तथा इंजीनियरिंग सेवाओं सम्बन्धी करार के लिए दो यूनिडो माडलों पर विचार किया गया था परामर्श बैठक ने इनके विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा और जांच करने की सिफारिश की है। बैठक ने उर्वरक के क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच सहयोग के कार्यक्रम को मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार किया। यूनिडों द्वारा तैयार की गई तकनीकी क्षमताओं की निदेशिका पर विचार किया गया था। बैठक ने यह भी सिफारिश की कि इच्छुक विकासशील देशों के सहयोग से उद्योग के लिए एक सूचना तन्त्र स्थापित किया जा सकता है जो सरकार तथा उर्वरक कम्पनियों की आवश्यकताओं को पूर्वता देग ; यूनिडों से विकासशील देशों के बीच विभिन्न प्रकार की संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं को अध्ययन तैयार करने के लिए भी अनुरोध किया गया था जिसमें भावी परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए लाभदायक जानकारी हो सकती है।

कच्चे तेल का स्वदेशी उत्पादन और आयात

494. **श्री रशीद मसूद :**

श्री वी० डी० सिंह :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 में कच्चे तेल का स्वदेशी उत्पादन अनुमानित लक्ष्य की तुलना में कितना हुआ और 1982 में हुए उत्पादन की तुलना में यह कितना न्यूनाधिक है ;

(ख) कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन से कितनी मांग पूरी होने ही सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार 1984 के दौरान मांग और सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर आयात का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :

वर्ष	कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन (एन० टी०)	1982 की तुलना में 1983 में प्रतिशत वृद्धि
1982	19.7	+27.9
1983 (अनन्तिम)	25.2	

(ख) 1983 में घरेलू मांग की तुलना में कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भरता की मात्रा लगभग 65 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) जी, हां। यह अन्तर के आकार और भण्डार की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के स्वदेशी मूल्यों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों में सीधी ट्रंक डायल टेलीफोन सेवा

495. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या है जहां सीधी ट्रंक डायल टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) वहां सीधी ट्रंक डायल टेलीफोन सेवा कब तक उपलब्ध किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) महाराष्ट्र के जिन जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके नाम इस प्रकार है :

1. बुलधाना	2. नांहदेड़	3. परभनी
4. जालना	5. धुलिया	6. अलीबाग (रायगढ़ जिला)
7. भंडारू	8. भीर	9. ओसमानाबाद
10. रत्नगिरी	11. चन्द्रपुर	12. लातुड़
13. सिंधुदुर्ग (कुदाल जिला)	14. गदाचेरोली।	

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान इन स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा उत्तरोत्तर प्रदान किए जाने की आशा है।

दिल्ली में कोयले और मिट्टी के तेल की आवश्यकता

496. श्री सज्जन कुमार : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कुल कितनी मात्रा में कोयले और मिट्टी के तेल की मासिक आवश्यकता है ;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान कितनी मात्रा में कोयले और मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में कोयले और मिट्टी के तेल की कोई कमी न हो,

सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) : नवम्बर और दिसम्बर, 1983 तथा जनवरी, 1984 के दौरान दिल्ली के लिए मिट्टी के तेल की जरूरत और आबंटन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

	जरूरत	आबंटन
नवम्बर, 1983	17,885 कि० ली०	19,146 कि० ली०
दिसम्बर, 1983	17,885 कि० ली०	20,431 कि० ली०
जनवरी, 1984	17,884 कि० ली०	19,146 कि० ली०

जहां तक कोयले (साफ्ट कोक) का सम्बन्ध है, उसकी जरूरत 500 बैगन प्रति माह से 800/900 बैगन प्रति माह तक, मौसम के आधार पर मौसम के आधार पर अलग-अलग रहती है। साफ्ट कोक के आबंटन की कोई प्रणाली नहीं है। किन्तु रेलवे में साफ्ट कोक सहित सभी तरह के कोयले की ढुलाई के लिए बैगनों के आबंटन की प्रणाली है। रेलवे ने साफ्ट कोक की ढुलाई के लिए दिल्ली को नवम्बर, 1983 में 350 बैगन, दिसम्बर, 1983 में 690 बैगन और जनवरी, 1984 में 792 बैगन आबंटित किए। दिल्ली प्रशासन दिल्ली की साफ्ट कोक की जरूरतें पूरी करने की दृष्टि से अपेक्षित रेलवे बैगनों के आबंटन के लिए रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क रखे हुए हैं।

ब्यास-सतलुज लिंक नहर योजना पर निर्माण कार्य का स्थगित होना

497. डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी :

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्यास सतलुज लिंक नहर पर निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) इस परियोजना के पूरा न होने से देश के कौन-कौन से इलाकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ङ) इस योजना का कार्य स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) ब्यास सतलुज लिंक एक बहुउद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना है और एक नहर स्कीम नहीं है। ब्यास सतलुज लिंक परि-

योजना के कार्य में कोई रोक नहीं है । इस स्कीम को अन्तिम (छठवीं) उत्पादन यूनिट के नवम्बर, 1983 में चालू किए जाने से साथ ही पूरा कर लिया गया है । ब्यास सतलुज लिंक स्कीम पर 31.12.1983 तक 449-08 करोड़ रुपए की कुल राशि व्यय की गई है ।

देश में बेरोजगारों की संख्या

498. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1980, 1981, 1982, 1983 में वर्ष वार जनवरी, 1984 तक देश में बेरोजगार लोगों की कुल कितनी संख्या थी ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और गैर सरकारी क्षेत्रों में वर्ष-वार क्रमशः कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) उन नौकरी चाहने वालों की कुल संख्या से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना, (अनिवार्यतः उनमें से सभी बेरोजगार नहीं है) जो रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर थे, नीचे दी गई है :—

निम्नलिखित के अन्त में	संख्या लाखों में
1980	162.00
1981	178.38
1982	197.53
1983	219.53

(ख) रोजगार कार्यालयों द्वारा की गई नियुक्तियां सम्बन्धी उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में नियुक्तियों की संख्या (लाखों में)

वर्ष	केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान	राज्य सरकार के प्रतिष्ठान	निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान
1980	1.06	2.09	0.32
1981	1.30	2.06	0.36
1982	1.09	2.02	0.31
1983 (अ)	1.12	1.91	0.32

अ=अनन्तिम

ओबरा थर्मल काम्पलेक्स में आग लगने सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट

499. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**

श्री के० ए० राजन :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ओबरा थर्मल काम्पलेक्स में आग लगने के कारणों की जांच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि नहीं तो इस बारे में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या तकनीकी जांच समिति ने इस सम्बन्ध में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के इंजीनियरों ने अन्तरिम प्रतिवेदन के आधार पर प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह जांच की प्रगति पर निर्भर करेगा ।

(ग) समिति ने एक समरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की है । तथापि समिति द्वारा अभी विस्तृत अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी है ।

(घ) समिति की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत केन्द्रों के अच्छे रख-रखाव में सुधार लाने के लिए तथा प्रतिष्ठानों में अभिकल्प सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों का पुनर्गठन करने और वृद्धि करने के लिए उपाय किए हैं । राज्य सरकार के अनुरोध पर 30-10-83 को हुई आग की घटना की जांच का मामला सी० बी० आई० को सौंपा गया है ।

(ङ) तथा (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में मेहसाना के निकट तेल और गैस का पता लगाना

500. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में मेहसाना के निकट तेल और गैस के नए क्षेत्र का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस नए कुएं से कितना तेल और गैस मिलने का अनुमान है ;

(ग) मेहसाना, कालोल, सानन्द और उत्तरी गुजरात के अन्य क्षेत्रों से कुल कितना तेल और गैस का उत्पादन हुआ है ; और

(घ) गुजरात में चालू वर्ष के दौरान, क्षेत्र-वार, कितने कुएं खोदने का विचार है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को, हाल में, गुजरात में मेहसाना परियोजना में दक्षिणी मेवाड नामक एक नई संरचना में गैस मिली है।

(ख) संरचना में अभी भी खोज कार्य चल रहा है।

(ग) उत्तरी गुजरात क्षेत्रों से, जिसमें मेहसाना, कालोल, और सनद शामिल हैं, दिसम्बर, 1983 तक लगभग 15.53 मि० मी० टन तेल और लगभग 5203.4 मि० घन मीटर गैस का कुल उत्पादन हुआ है।

(घ) यह सूचना गुप्त प्रकृति की है और इन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में कर्मचारी नियोक्ता संबंधों को बेहतर बनाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करना

501. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने 5 जनवरी, 1984 के फैसले के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा श्रमिक संगठनों के साथ अपने समझौतों का पालन न करने पर उसकी कड़ी निन्दा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के फैसले और उन्हें आलोचना के बावजूद हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड उक्त फैसले के अनुसार अपने वायदे का भरसक प्रयास कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कम्पनी में कर्मचारी नियोक्ता सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए त्रिदिवसीय बैठक बुलाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार के पास इस मामले में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इण्डिया कार्बन लि० के कारण भारतीय तेल निगम को 13 करोड़ रुपए की हानि

502. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री कृष्ण चंद्र पांडे :

श्री सतीश अग्रवाल :

श्री रतन सिंह राजदा :

श्री दिगम्बर सिंह :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन "कुओयो स्केन्डल" (हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 20-1-1984) के प्रकाशित समाचार में लगाए गए इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि भारतीय तेल निगम को एक निजी फर्म इण्डिया कार्बन लि० की सहायता करने के निदेश दिए जाने के भारत सरकार के निर्णय से 18 करोड़ रुपये की हानि होगी ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस घोटाले की जांच कराई है ; और

(घ) इस घोटाले में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) तथ्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं । इसमें जो कुछ बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए, किसी प्रकार की जांच करने की आवश्यकता नहीं है ।

विवरण

मैसर्स इण्डिया कार्बन लिमिटेड एक औद्योगिक यूनिट है जो गोहाटी में स्थित है, जिसमें साम्य पूंजी भागीदारी के रूप में असम सरकार की वित्तीय रुचि है। यह उद्योग कच्चे पेट्रोलियम कोक से केल्सिन्ड पेट्रोलियम कोक का संसाधन कर रहा है ।

2. इण्डियन ऑयल मैसर्स इण्डिया कार्बन लिमिटेड को 1961 से कच्चे पेट्रोलियम कोक की सप्लाई करता आ रहा है और पारस्परिक सहमत शर्तों पर भुगतान प्राप्त करता रहा था। मैसर्स इण्डिया कार्बन लिमिटेड द्वारा भुगतान न किए जाने तथा कच्चे पेट्रोलियम कोक की उठान न किये जाने के कारण 1982 के आरम्भ से इस प्रबन्ध में कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी। ऐसा पता चला है कि मैसर्स इण्डिया कार्बन लिमिटेड की इन कठिनाइयों का कारण कुछ अंश तक केल्सिन्ड कोक नामक उनके उत्पाद के लिए बाजार की मन्दी की स्थिति थी। इण्डियन ऑयल ने इस फर्म को अक्तूबर, 1982 से कच्चे पेट्रोलियम कोक की सप्लाई बन्द कर दी थी और इस समय उनका संयंत्र बन्द है ।

3. बकाया धनराशि, जो लगभग 7.18 करोड़ रु० की है, की वसूली करने के लिए इण्डियन

ऑयल ने इस फर्म के विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दिया है। इसमें से फर्म द्वारा 2.87 करोड़ रुपये पहले ही न्यायालय में जमा करा दिए गए हैं। इस फर्म द्वारा इण्डियन ऑयल के विरुद्ध 14 करोड़ रुपये के प्रति दावे भी दायर किए गए हैं। कारपोरेशन द्वारा ये दावे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।

4. इस यूनिट के बन्द हो जाने से असम सरकार और भारत सरकार का उद्योग मन्त्रालय, चिन्तत है और इसलिए फर्म की समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे वह फिर से काम प्रारम्भ कर सके। आशय यह है कि इस फर्म के विरुद्ध किए गए बकाया धनराशि के दावों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले इस फर्म को कच्चे पेट्रोलियम कोक की सप्लाई जारी की जा सके। सरकार ने इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को इसका हल निकालने के लिए परामर्श दिया है।

5. इस समय इस मामले पर आई० ओ० सी० और आई० सी० एल० के बीच बातचीत चल रही है और अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है।

6. केल्सिन्ड कोक का उत्पादन करने वाली कुछ अन्य यूनिट (यूनिटों) का, इस यूनिट (आई० सी० एल०) के लगातार बन्द रहने में, अपना निहित स्वार्थ है। इस यूनिट को पुनः सप्लाई जारी करने के विरुद्ध इस विभाग को कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रैस रिपोर्ट, जो इस प्रश्न का आधार है, इन निहित स्वार्थ वालों का सरकार पर दबाव डालने का एक अन्य प्रयास है जिससे इस समस्या का समाधान न किया जा सके और यह औद्योगिक यूनिट बन्द रहे।

दिल्ली दूरदर्शन और दिल्ली उपग्रह केन्द्र के लिए फिल्मों के निर्माण हेतु बजट का आवंटन

503. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन और दिल्ली उपग्रह केन्द्र के लिए फिल्मों के निर्माण हेतु नियत की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन निर्माताओं को किसी-किसी फिल्म के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) उनमें से कितनी फिल्में अब तक पूरी बन चुकी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री श्री (गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा।

विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य

504. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या उत्पादन की वर्तमान दर से निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा ;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1983-84 की स्थिति के अनुसार उर्वरक के उत्पादन की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उर्वरक के उत्पादन के छठी योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) 1984-85 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के लिए छठी योजना लक्ष्य नाइट्रोजन के लिए 42 लाख टन और पी 2 ओ 5 के लिए 14 लाख टन है।

(ख) और (घ) 1984-85 के लिए छठी योजना उत्पादन लक्ष्य में 1984 के दौरान चालू होने वाले कुछ नये उर्वरक संयंत्रों के योगदान की परिकल्पना है। तथापि, उनके पूर्ण होने की समय सारणी में ढील के कारण उनसे प्रत्याशित उत्पादन शायद पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सके। इसलिए यह अनुमान है कि छठी योजना के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। तथापि कमी को दूर करने और विद्यमान एककों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1984-85 के अन्त तक लगभग 35 लाख टन नाइट्रोजन और 10.4 लाख टन पी 2 ओ 5 का उत्पादन होने की आशा है।

महाराष्ट्र के परभनी और नादेड़ जिलों के तालुकों में शाखा डाकघर और उप-डाकघर

505. **श्री उत्तम राठौर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र क्षेत्र में गांवों की संख्या और जनसंख्या की तुलना में शाखा डाकघरों और उप डाकघरों की संख्या अपर्याप्त है ;

(ख) परभनी और नादेड़ जिलों के प्रत्येक तालुक में वहां की जनसंख्या के सहित वहां खुले शाखा डाकघरों और उपडाकघरों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इस अपर्याप्तता को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) परभनी तथा नादेड़ जिलों के प्रत्येक तालुक में शाखा डाकघरों, उप डाकघरों तथा प्रधान डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

महाराष्ट्र के नादेड़ तथा परभनी जिलों के प्रत्येक तालुक में डाकघरों की संख्या दर्शाने वाला अनुबंध ।

तालुका	शाखा डाकघरों की सं०	उप डाकघरों की सं०
बिलोली	52	4
हडगांव	40	4
कंधार	51	11
भुखेड़	29	3
भोकर	22	2
देगलुर	46	9
किनवात	73	6
नादेड़	25	18
बासमठ	19	3
हिंगोली	41	7
कालामनुरी	32	4
पारतुर	29	7
गंगाखेड़	39	6
जिनतुर	26	6
पाथरी	42	6
परभनी	38	13

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद का बन्द होना

506. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् भारी वित्तीय संकट में है और इसके अन्ततः बन्द होने का खतरा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन को बचाने तथा इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ताकि यह संगठन अपने कार्य को पूरा करने में समर्थ हो सके ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् के मुख्य वित्त-पोषक संगठन "कोयला खान श्रम कल्याण कोष संगठन" ने इसे सहायतानुदान का भुगतान करना बन्द कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्- जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्त निकाय है, में धन राशि कारपोरेट सदस्यता शुल्क तथा कोयला खान श्रम कल्याण निधि, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि, लोह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि तथा चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि से सहायता अनुदान द्वारा प्राप्त की जाती है। कोयला खान श्रम कल्याण निधि से सहायता अनुदान देना अब बन्द कर दिया गया है। इसके कारण कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा सरकार द्वारा तदर्थ सहायता अनुदान दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। कोयला विभाग ने, जो कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम का संचालन कर रहा है, इस आधार पर 1982-83 से सहायता अनुदान देना बन्द कर दिया है कि अधिनियम में राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् के कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान की परिकल्पना नहीं की गई है।

पत्रकारों के लिए पेंशन योजना

507. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री सूरजभान :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** पत्रकारों के लिए पेंशन योजना के बारे में 6 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2140 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान राष्ट्रीय पत्रकार संघ (नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स) भारत द्वारा कलकत्ता में हुए अपने पांचवें द्विवार्षिक सम्मेलन में पास किए गए इस आशय के प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है कि पत्रकारों के लिए सेवा निवृत्ति के लाभों में भविष्य निधि और ग्रेच्यूटी के अतिरिक्त पेंशन की योजना भी होनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार के सुनिश्चित विचार क्या हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस बारे में सुझाव भेज दिये गये हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब कोई अन्तिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पत्रकार संघ (भारत) ने जनवरी, 1983 में इच्छापुर (पश्चिम बंगाल) में हुए अपने पांचवें द्विवार्षिक सम्मेलन में पास किए गए प्रस्ताव में यह सिफारिश की कि अन्य राज्य सरकारों को तमिलनाडु सरकार के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए तथा श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन प्रदान करने हेतु कानून बनाना चाहिए। सम्मेलन ने श्रम जीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से भी अनुरोध किया, ताकि समाचार प्रतिष्ठानों द्वारा सभी श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिए जाने की व्यवस्था की जा सके।

(ग) से (ङ) पता चला है कि 1982 में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु समाचार पत्र कर्मचारी राहत निधि विधेयक नामक एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया था। विधान सभा द्वारा उस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया है। यह भी पता चला है कि इस विधेयक में कतिपय शर्तों के अधीन कुछ पेंशन सम्बन्धी लाभ देने की व्यवस्था है। ऐसा कानून बनाने की सिफारिश राज्य सरकारों से करने के प्रश्न पर विधेयक का परिणाम ज्ञात होने के बाद ही विचार किया जा सकता है। जहां तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम को संशोधित करने के लिए इस सम्मेलन द्वारा दिए गए अन्य सुझावों का सम्बन्ध है, उन्हें नोट कर लिया गया है ताकि इस अधिनियम के अन्य सन्शोधनों पर विचार करते समय उन पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

निर्वाचनों में राजनीतिक दलों द्वारा विमान का प्रयोग

508. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से उनके विमानों के प्रयोग पर लागू होने वाले नियमों से सम्बद्ध सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है और क्या राजनीतिक दलों को निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए विमान उपलब्ध कराये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1980 में लोक सभा के पिछले निर्वाचनों में राजनीतिक दलों ने विमानों का प्रयोग निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों के लिए किया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कितने विमान दिए गए थे और इस प्रयोजन के लिए विमान देने के क्या मानदंड हैं।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को लिखा है। राज्य सरकारों को भेजे गए आयोग के तारीख 24 जनवरी, 1984 के पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7760/84) आयोग का कहना है कि वह राज्य सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

(ग) और (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रसायनों के निर्यात के कारण उर्वरकों की कमी

509. **श्री कृष्णचन्द्र पांडे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 22-1-84 का दैनिक हिन्दुस्तान के अनुसार इस वर्ष, 350 करोड़ रुपये के रसायनों के निर्यात किए जाने की संभावना है और क्या इन रसायनों का निर्यात उरर्वकों की घरेलू मांग को पूरा किए जाने के बाद किया जा रहा है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि रसायनों के निर्यात से देश में उर्वरकों की कमी होने की संभावना है जिसके परिणाम स्वरूप उसके मूल्यों में वृद्धि तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होगी और यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचंद्र रथ) : (क) और (ख) बेसिक कैमिकल्स, फामूस्यूटिकल्स एण्ड कोस्यमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल ने वर्ष 1983-84 के दौरान 350/- करोड़ मूल्य के रसायनों के निर्यात का अनुमान लगाया है।

उर्वरक के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली या उसके लिए अपेक्षित किसी भी रसायन का निर्यात नहीं किया जा रहा है। अतः निर्यात किए जाने वाले रसायनों की निकासी से उर्वरक की उपलब्धता या उर्वरक मूल्य, या खाद्यानों का उत्पादन प्रभावित नहीं होता है।

सायाजी मिल्स, अहमदाबाद के विरुद्ध जांच

510. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सायाजी मिल्स, अहमदाबाद के कार्यकरण के विरुद्ध शेयर धारकों तथा अन्य व्यक्तियों की ओर से प्रबन्ध निदेशक द्वारा कम्पनी कानून अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इस मामले में जांच कराने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां ; तो इस मामले में आवश्यक जांच कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा शिकायतों के लिए जांच गठित की गई है।

अश्लील फिल्मों के मामले में कड़ाई बरतने के लिए राज्यों को निदेश जारी किया जाना

511. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में दिखाई जा रहीं अश्लील फिल्मों के बारे में कड़ाई बरतने का फैसला किया है और इस सम्बन्ध में राज्यों को निदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) क्या उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध समन्वित कार्यवाही करने के संबंध में कानून के प्रावधानों का कड़ाई से लागू करने हेतु सुझाव देते हुए मुख्य मन्त्रियों को एक पत्र भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है और इस पत्र को भेजने के बाद कितने लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है और बड़े पैमाने पर अश्लील फिल्मों के दिखाये जाने पर रोक लगाने की पुष्टि से कितने लोगों को दण्डित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री ने 24-9-83 को सभी राज्य सरकारों के मुख्य मन्त्रियों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को एक पत्र भेजा था जिसके द्वारा उनके ध्यान में यह बात लाई गई थी कि फिल्मों के लोक प्रदर्शन से सम्बन्धित उद्योग के कुछ वर्गों द्वारा किस प्रकार के उल्लंघन किए जा रहे हैं। इस पत्र में सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री ने कानून के उपबन्धों का कड़ाई से उपयोग करने का सुझाव दिया था ताकि सेंसरशिप की प्रक्रियाओं के अत्यधिक उल्लंघन को प्रभावपूर्ण ढंग से रोका जा सके। उस पत्र की प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए, संख्या एल० टी० 7761/84] चलचित्र अधिनियम, 1952 के दांडिक उपबन्धों को लागू करवाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के स्थानीय प्राधिकारियों की है। अत: केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास इस बारे में सूचना नहीं है कि कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया, कितनों को दण्डित किया गया, आदि।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए उनकी सदस्यता की जांच

512. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्विपक्षीय और/या त्रिपक्षीय बातचीत के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों को मान्यता देने हेतु उनकी सदस्यता की जांच हेतु उनकी रूपात्मकता क्या निर्धारित की गई है ; और

(ख) श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए बातचीत करने वाले एजेण्ट के रूप में किसी यूनियन की बहुसंख्यकता का पता लगाने के लिए गुप्त मतदान कराने के सिद्धांत को सरकार द्वारा स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार के पास केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या का सत्यापन किए जाने के लिए एक प्रणाली है। 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार सामान्य सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया वह है, जो उन सभी संगठनों को सम्बोधित सरकार के पत्र तारीख 6 अक्तूबर, 1981 में दी गई है। द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय निकायों के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधियों का नामांकन उस समय उपलब्ध दावा किए गए या सत्यापित किए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जिन्हें यथानुपात आधार पर तैयार किया जाता है। बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का नामांकन किया जाता है।

(ख) सौदाकारी एजेण्ट का पता लगाने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड और प्रक्रिया के बारे में सरकार द्वारा सनत मेहता समिति की सिफारिशों के सन्दर्भ में अभी निर्णय लिया जाना है।

राजधानी में उपभोक्ताओं को अतिरिक्त गैस सिलेंडर

513. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में खाना पकाने की गैस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को गैस के अतिरिक्त सिलेंडर प्रदान करने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी, हां। दूसरा सिलेंडर देने की योजना दिल्ली सहित 84 चुने हुए स्थानों पर नवम्बर, 1982 में आरम्भ की गई थी तथा तेल उद्योग ने देश में जुलाई, 1983 तक लगभग 1.70 लाख कनैक्शन जारी किये थे।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

514. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कोयले पर आधारित कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) कोयले पर आधारित उपर्युक्त प्रत्येक उर्वरक संयंत्र कहां-कहां पर स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) कोयले पर आधारित उपर्युक्त प्रत्येक उर्वरक संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी होगी ; और

(घ) इन उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने के सम्बन्धों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) कोई नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन योजनाएं

515. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से ताप और पन बिजली योजनाएं अनुमोदनार्थ प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाएं, जिनका तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परियोजना प्राधिकारियों और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के परामर्श से मूल्यांकन किया जा रहा है का ब्योरा संलग्न विवरण में किया गया है ।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सभी परियोजनाओं का शीघ्र मूल्यांकन करने के लिए प्रयास करता है । परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने से पूर्व केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रस्तावों में शामिल विभिन्न सम्बन्धित मामलों का सामंजस्य और समाधान करना पड़ता है इनमें से कुछ स्वयं इसके नियन्त्रण से बाहर हैं । स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सम्बन्धित एजेन्सियों के घनिष्ठ परामर्श के साथ जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तैयार किया जाना है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने विद्युत पर एक कार्यकारी दल का गठन किया है । कार्यकारी दल द्वारा अपनी रिपोर्ट को 1984 के मध्य तक अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है ।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1	2	3	4
ताप विद्युत			
1.	बांधव ताप विद्युत केन्द्र (गुजरात और मध्य प्रदेश की सांझा परियोजना)	4 × 500	990.60
2.	मांड ताप विद्युत केन्द्र (गुजरात और मध्य प्रदेश की सांझा परियोजना)	2 × 210	370.99
3.	कोरबा (पश्चिमी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार) (5वीं यूनिट)	1 × 210	140.50
जल विद्युत			
4.	सिन्ध	3 × 25	39.31

1	2	3	4
5.	नर्मदा सागर	6 × 166.6	590.13
6.	ओरछा	2 × 30 + 2 × 15	60.52
7.	केन	2 × 15 + 2 × 10	202.07
8.	ओंकारेश्वर	6 × 65	578.00
9.	कुतरु-1	3 × 50	72.56
10.	गोपद	4 × 20	80.04
11.	महेश्वर	5 × 40	241.27
12.	कुतरु-2	3 × 50	113.16
13.	भोपालापत्तनम	8 × 125	402.94
14.	बारगी	2 × 45	50.49
15.	सिकासर	2 × 3	5.75
16.	बराना	1 × 1 + 1 × 0.75 + 0.25 = 2	2.98
17.	भीमगढ़	4 × 0.5	2.88
18.	कोलार	2 × 2	4.14
19.	चम्बल नहर	3 × 0.350	1.97
20.	महानदी जलाशय	4 × 2.5	7.34

देश में अशोधित तेल का उत्पादन

516. **श्री भीकू राम जैन :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित अशोधित तेल से देशी मांग लगभग पूरी हो जायेगी और अशोधित तेल के उत्पादन में देश के आत्म-निर्भर बन जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इससे विदेशी मुद्रा के खर्च में कितनी बचत होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि अशोधित तेल के उत्पादन की कुल लागत आयातित अशोधित तेल की लागत की तुलना में अधिक है ;

(घ) क्या उपयोग के लिए उपलब्ध प्राकृतिक गैस की मात्रा अनुमान से अधिक है और क्या इस गैस का, अभी तक, पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ङ) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में देश को आर्थिक दृष्टि से कुल कितना लाभ है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) देश का अशोधित तेल उत्पादन वर्तमान घरेलू आवश्यकताओं का लगभग 65 प्रतिशत है। अशोधित तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनसे आयातों की आवश्यकता कम हो जायेगी तथा आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

(ख) 1983 के दौरान अशोधित तेल के आयातों पर 2467 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी जबकि 1982 में 3072 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान मूल्यांकनों से पहले से अधिक प्राकृतिक गैस के भण्डारों के संकेत मिले हैं, गैस के उचित उपयोग के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(ङ) लाभों को धन की मात्रा के रूप में दिखाया जाना सम्भव नहीं है।

कोयले की कीमतों में वृद्धि

517. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि यदि सरकार ने कोयले की कीमतों में वृद्धि करने की बजाय सीमा शुल्क दर में वृद्धि की होती तो इस प्रकार प्राप्त कुल धनराशि में राज्यों को भी हिस्सा मिलता ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था पर विचार करने में सरकार के असफल रहने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, मूल्य ह्रास और ब्याज में वृद्धि आदि से उत्पादन लागत में जो वृद्धि हुई है उसके कारण कोयले की कीमतों में संशोधन किया गया है और इसीलिए उत्पादन शुल्क लगाने से उद्देश्य नहीं पूरा हुआ होता।

देश में तेल की खोज के लिए कार्यरत आयल ड्रिलिंग रिग्स

518. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज के लिए देश के अनेक भागों में कितने आयल ड्रिलिंग रिग्स कार्य कर रहे हैं ;

(ख) कितने आयल रिग्स कार्य कर रहे हैं तथा और अधिक रिग्स लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) भारत के पास कितके रिग्स हैं ;

(घ) क्षेत्र उपकरणों के निर्माण और खरीद की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ङ) इन स्वदेशी उपलब्धता के लिए क्या कदम उठाने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है !

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) देश में तेल व्यधन कार्यों के लिए इस समय 67 रिग उपलब्ध हैं। इनमें से 48 रिग देश में तटीय क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न भागों में और 16 रिग अपतटीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त 3 तटीय रिगों को काम पर लगाया जा रहा है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्व में इस समय 4500 से अधिक व्यधन रिग काम कर रहे हैं।

जहां तक भारतवर्ष का सम्बन्ध है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लि० दोनों द्वारा तेल व्यधन के लिए रिगों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि० को 18 अतिरिक्त तटीय रिगों के लिए पहले ही आर्डर दे दिये हैं। इसके अतिरिक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 4 और अपतटीय रिगों की—3 देशी शिपयार्डों और 1 विदेश से खरीद कर रहा है।

(घ) इस समय, तटीय व्यधन रिगों, तटीय वर्क-ओवर रिगों और अपतटीय व्यधन रिगों, सप्लाई नौकाएं, अपतटीय प्लेटफार्मों आदि के निर्माण के लिए क्षमताएं देश में ही सृजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ मदें जैसे केसिंग पाइपें, ड्रिलिंग बिट्स और प्राकृतिक गैस कम्प्रेसरों का सीमित आधार पर निर्माण देश में ही किया जा रहा है।

(ङ) देशी निर्माताओं को रिआइती सीमा शुल्कों जैसे कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि तेल क्षेत्र के उपकरणों और सेवाओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

दिल्ली दूरदर्शन पर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

519. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन पर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम दिखाने के क्या लाभ हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में अंग्रेजी को बढ़ावा देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) "प्रश्नोत्तर कार्य-

क्रम" को लोगों को मनोरंजन प्रदान करने के साथ-साथ उनका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

देश में बाल श्रमिक

520. **श्री अजय विश्वास** :क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1984 को देश में कुल कितने बाल श्रमिक थे।

(ख) क्या बच्चों के नियोजन से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई समिति बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) उनमें से कितनी सिफारिशें अब तक कार्यान्वित की गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने सूचित किया है कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या 31 जनवरी, 1984 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1971 में की गई जनगणना के अनुसार 1 अप्रेल, 1971 को 0-14 वर्ष तक की आयु-ग्रुप के श्रमिकों की संख्या 10,753,985 थी।

(ख) जी, हां। सरकार ने बालकों के नियोजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के कारणों पर विचार करने के लिए 1979 में बाल श्रमिक सम्बन्धी एक समिति गठित की थी।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशें, सरकार द्वारा 1980 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में समाविष्ट हैं।

समिति द्वारा की गई 23 सिफारिशों में से 22 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। समिति की सिफारिशों को राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को ध्यान में पहले ही ला दिया गया है ताकि वे उन्हें लागू कर सके।

उत्तरी बंगाल की नदियों की पन बिजली क्षमता

521. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तरी बंगाल की नदियों में पन बिजली पैदा करने की भारी क्षमता है ;

(ख) यदि हां; तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल में बिजली के विकास सम्बन्धी इस पहलू पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) उत्तरी बंगाल में सभी बड़ी नदियों का ब्यौरा और इन नदियों पर जल विद्युत विकास की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	नदी/बेसिन का नाम	जल विद्युत विकास की स्थिति
1	2	3
1.	रमन	रमन नदी की जल विद्युत शक्यता का निम्नानुसार विकास करने का प्रस्ताव है :—
		(क) रमन चरण-1(2 × 15 मेगावाट) :—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मार्च, 1978 के दौरान प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई थी परियोजना प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि और किए गए अन्वेषणों के आधार पर रिपोर्ट में संशोधन करें, यह कार्य चल रहा है।
		(ख) रमन चरण-2(4 × 12.5 मेगावाट) स्कीम का इस समय क्रियान्वयन किया जा रहा है। 1986-87 और 1987-88 के दौरान चालू किए जाने की आशा है।
		(ग) रमन चरण-3 और रमन चरण-4 (60 मेगावाट) ⎫ (घ) रमन चरण-5 और रनजीत समेकित स्कीम (400 मेगावट) ⎭ पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इन स्कीमों के अन्वेषण सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं।
		(ङ) लोढमा-डीलमा (4 मेगावाट) जनवरी, 1983 में प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। इन टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है।
2.	महानन्दा	**बालासून चरण-1 और 2** :—पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा महानन्दा की सहायक नदी बालासून पर इन दो स्कीमों के अन्वेषण सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं।
3.	जलढाका	जलढाका नदी की जल विद्युत शक्यता का दो चरणों में विकास किया गया है और ये दोनों स्कीमें प्रचालन में हैं :—
		(क) जलढाका चरण-1 (27 मेगावाट)
		(ख) जलढाका चरण-2 (8 मेगावाट)

1	2	3
4.	तीस्ता	तीस्ता नदी की जल विद्युत शक्यता का निम्नानुसार विकास किए जाने का प्रस्ताव है :— (क) तीस्ता नहर प्रपात नं० 1 से 4 विद्युत केन्द्र (67.5 मेगावाट) : इस समय तीस्ता नहरों पर निर्माणाधीन चार नहर प्रपातों का 67.5 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापना के तीन विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन करने का प्रस्ताव है। तीस्ता नहर प्रपात-1 (22.5 मेगावाट)और तीस्ता नहर प्रपात (2) और (3) संयुक्त तथा तीस्ता नहर प्रपात 4(45 मेगा.) के लिए दो अलग-अलग परियोजना रिपोर्ट राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई थी। इन स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और राज्य योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग से सिफारिश की गई हैं। योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। (ख) विद्युत परियोजना की संभाव्यता का पता लगाया गया है। परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन सम्बन्धी कार्य अभी पूरे नहीं किए गए हैं। (ग) मुन्गपू (5 मेगावाट)—दिसम्बर, 1983 में प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच कर ली गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। इन टिप्पणियों पर उत्तरों की प्रतीक्षा है।
5.	तोरसा	डेस्क अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय क्षेत्र में नदी का ढाल हलका है और स्वत: जल विद्युत विकास के लिए आकर्षित प्रतीत नहीं होती। राज्य प्राधिकारियों ने भी तोरसा नदी पर किसी स्कीम के अन्वेषण कार्य की सूचना नहीं दी है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कारखाने बंद होने के कारण बेकार हुए श्रमिक

522. **श्री एम० एम० लारेंश :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखाने बन्द होने के कारण पिछले तीन वर्षों में बेकार हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) नये औद्योगिक एककों को स्थापित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने रोजगार अवसर उत्पन्न किए गए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार,

वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान, कामबन्दियों के कारण 849 यूनिटों में लगभग 89,682 श्रमिक प्रभावित हुए।

(ख) नए औद्योगिक यूनिटों में उत्पन्न रोजगार अवसरों के बारे में सूचना श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

डाक एवं तार विभाग के अंतर्गत डाक अनुसंधान केंद्र की स्थापना

523. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक एवं तार विभाग के अन्तर्गत 'डाक अनुसंधान केन्द्र' (पोस्टल रिसर्च सेन्टर) नाम से कोई शाखा अथवा स्कन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया गया था ; और

(ग) इसने अब तक कौन-कौन से अनुसंधान कार्य किए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय पाटिल) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने 1952 से ही भारत के कुछ स्थानों पर डाक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र विदेश डाक पर निगरानी रखने के लिए स्थापित किए गए हैं ताकि डाक और अन्य अनिमितताओं/उल्लंघनों का पता लगाया जा सके। इन केन्द्रों में कुछ सुविधाएं डाक-तार विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं।

केरल में एस० टी० डी० प्रणाली से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित स्थान

524. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें एस० टी० डी० प्रणाली से जोड़ने का विचार है ;

(ख) क्या इसे पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) केरल में निम्नलिखित स्थानों को एस० टी० डी० प्रणाली से जोड़ने का प्रस्ताव है :

(1) इडिक्की (2) चिंगावनम,

(ख) जी, हां।

(ग) एर्नाकुलम के ट्रंक स्वचल एक्सचैंज को इडिक्की के साथ और त्रिवेन्द्रम के ट्रंक स्वचल एक्सचैंज को चिंगावनम के साथ जोड़कर 1984-85 के दौरान उपर्युक्त स्थानों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत का कम होना

525. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली की प्रति व्यक्ति और विभिन्न राज्यों में औसतन खपत क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत सम्पूर्ण देश की तुलना में सबसे कम है ; और

(ग) इस क्षेत्र में स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान देश में तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) क्षेत्र में तेजी से औद्योगिक विकास और ग्राम विद्युतीकरण करने के कार्यक्रमों से विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि होगी।

विवरण

बिजली की राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत

(यूनिट)

क्षेत्र/राज्य	1982-83
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	256.59
हिमाचल प्रदेश	74.78
जम्मू और कश्मीर (अ)	105.64
पंजाब	336.52
राजस्थान	102.77
उत्तर प्रदेश (अ)	96.72
चण्डीगढ़	392.89
दिल्ली (अ)	440.63
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	141.32

1	2
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	252.35
मध्य प्रदेश	121.09
महाराष्ट्र	250.60
गोवा, दमन और द्वीप	243.59
दादर और नागर हवेली	80.55
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	205.91
	(यूनिट)
क्षेत्र-राज्य	1982-83
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	84.56
उड़ीसा	118.18
पश्चिम बंगाल	124.88
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	56.90
सिक्किम	48.47
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	104.76
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	133.82
कर्नाटक (अ)	166.30

1	2
केरल	120.72
तमिलनाडु (अ)	179.59
पांडिचेरी	238.67
लक्षद्वीप	44.50
जीड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	152.86
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
असम (अ)	38.39
मणिपुर (अ)	13.33
मेघालय	52.06
नागालैण्ड	35.10
त्रिपुरा (अ)	17.44
अरुणाचल प्रदेश	22.94
मिजोरम	19.30
जोड़ (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	35.30
जोड़ (अखिल भारत)	145.95

अ—अनुमानित

सीमेंट उद्योग के लिए मध्यस्थों का अंतिरम फैसला

526. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग के लिए मध्यस्थों का अंतरिम फैसला जून, 1983 में घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त फैसले की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त फैसले को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें मिली शिकायतों के आधार पर उक्त फैसले को (खासतौर पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त धनबाद द्वारा) कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) अन्तरिम पंचाट 7-5-1982 को और मुख्य पंचाट 11-7-1983 को घोषित किया गया था। पंचाट की मुख्य बातें विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सोन वैली पोर्टलैण्ड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड और विश्वेश्वरिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को छोड़कर बाकी सभी सीमेंट कारखानों ने पंचाट को लागू कर दिया है। विश्वेश्वरिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के सभी श्रमिकों ने, जिनमें सीमेंट उद्योगों के श्रमिक भी शामिल हैं, इस्पात मजदूरी पंचाट (स्टील वेज अवार्ड) को चुना है। अन्य दो कम्पनियों के मामले में उन्हें रूग्ण यूनिट माने जाने के फलस्वरूप औद्योगिक बिकास विभाग ने कुछ रियायतें दी हैं ताकि वे पंचाट को लागू कर सकें। धनवाद क्षेत्र में, दालमियानगर स्थित मैसर्स पर्सवा माइनिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी ने पंचाट के खिलाफ आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और न्यायालय से रोधन आदेश प्राप्त किया है। यह मामला न्यायाधीन है।

विवरण

मुख्य पंचाट की प्रमुख बातें

पंचाट में कार्योत्पादक कर्मचारियों और अन्य कर्मकारों को 1-1-82 से प्रत्येक संशोधित वेतन मान और भत्ते देने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक वेतनमान की 20 वर्षों की एक समान अवधि होगी। इससे सभी कर्मकारों को मजदूरी में कम से कम 125 रु० की, (जिसमें 80/-रु० प्रतिमाह की अन्तरिम सहायता शामिल है) गारन्टीशुदा बढ़ोत्तरी मिलेगी। एक अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1969 पर आधारित) 490 प्वाइंटों के साथ सम्बद्ध होगी, 817/-रु० मूल वेतन और भत्तों सहित होगी। मंहगाई भत्ते की भविष्य की दर के सम्बन्ध में मंहगाई भत्ता समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार का निर्णय होने तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 1960 की श्रृंखला के प्रति प्वाइन्ट पर 1.30 रु० की वर्तमान दर से मंहगाई भत्ते की अदायगी होती रहेगी। इस समय विशेष मंहगाई भत्ते के रूप में दी जा रही प्रतिमाह 8.50 रु० की राशि दी जाती रहेगी। मध्यस्थों ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए 50/-रु० से 75/-रु० तक की सीमायें प्रवर्धित दर पर मकान किराया भत्ता दिए जाने का भी निर्णय किया। अन्य दिए गए लाभों से कुछ लाभ इस प्रकार हैं :

(i) सभी कर्मकारों को प्रतिमाह 10/-रु० सफाई भत्ता, चाहे उन्हें वर्तमान पंचाट के अधीन वर्दी दी गई हो या पहले से की गई व्यवस्था के अनुसार।

(ii) उन कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 120/-शैक्षणिक भत्ता जिनके बच्चे स्कूलों, कालेजों या तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे हैं ;

(iii) उन सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह 10/-रु० साइकिल भत्ता, जिन्हें कम्पनी के क्वार्टर नहीं दिए गए हैं या जिनके लिए मुफ्त या इमदादी परिवहन की व्यवस्था नहीं है ;

(iv) सभी स्थाई कर्मचारियों को सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष में किसी अर्हक उपस्थिति के बिना भी प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की मजदूरी या वेतन के दर से उपदान (ग्रेच्यूटी)।

चोरी छिपे वीडियो फिल्में बनाया जाना

527. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सम्बन्ध में एकत्र हुए फिल्म क्षेत्र के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों ने चोरी छिपे वीडियो फिल्में बनाए जाने को रोकने हेतु उपयुक्त कानून बनाने के लिए सरकार से अनुरोध किया ;

(ख) क्या सरकार को इस विषय पर कोई ज्ञापन/ अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) चोरी छिपे वीडियो फिल्में बनाए जाने को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) हाल ही में बम्बई में हुए फिल्मोत्सव 84 के दौरान वीडियो, सिनेमा और समाज पर आयोजित गोष्ठी में कई प्रख्यात फिल्मी हस्तियों ने भाग लिया था उन्होंने वीडियो पाइरेसी को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया था। विभिन्न फिल्म निकायों से भी इस विषय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए। वीडियो पाइरेसी के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए कापीराइट अधिनियम और चलचित्र अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने की कार्रवाई चल रही है।

बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के कार्य की निगरानी करने के लिए सतर्कता समितियों की स्थापना करना

528. **श्री छीतू भाई गमित** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बन्धुआ मजदूरी को समाप्त करने के कार्य की निगरानी करने के लिए कोई सतर्कता समिति गठित की है।

(ख) यदि हां, तो क्या जहां तक सरकार ने बन्धुआ मजदूरों को रोजगार देने के सम्बन्ध में राज्यों के कार्य निष्पादन की भी समीक्षा की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 में यह व्यवस्था है कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जिला और उपमंडलीय स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित की जाए ताकि अधिनियम के उपबन्धों के उचित कार्यान्वयन को, विशेष रूप से बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के बारे में सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, केन्द्रीय स्तर पर सतर्कता समिति के गठन के लिए अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, हरियाणा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली के सभी जिलों और उप मण्डलों में सतर्कता समितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं। उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी ने भी, कुछ जिलों/उप मण्डलों को छोड़कर, ऐसी समितियां गठित की हैं। कर्नाटक, गुजरात पंजाब, जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीप तथा दादर और नगर हवेली सरकारों ने सूचित किया है कि वे ऐसी समितियों को गठित करने/पुरानी समितियों को पुनर्गठित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

(ख) और (ग) बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास में राज्य सरकारों के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को उन उपायों का, जो बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं, तत्काल पुनरीक्षण करने के लिए राज्यों में भेजा जाता है और टीका-टिप्पणियों तथा उनमें की गई सिफारिशों के बारे में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज जाती है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ऐसे पुनरीक्षण पहले ही किए गए हैं।

श्रम, गृह, ग्रामीण विकास और योजना आयोग मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों सहित एक अन्तर मन्त्रालय कार्यकारी दल है, जिसकी समय-समय पर पुनर्वास के काम में की गई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए श्रम मंत्रालय में नियमित बैठकें होती हैं। इसके अतिरिक्त, बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास में राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन की केन्द्र राज्य बैठकों/श्रम सम्बन्धी सम्मेलनों, जो नियमित रूप से किए जाते हैं, पुनर्वास योजनाओं की जांच करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए विभिन्न राज्यों में गठित राज्य स्तर स्क्रीनिंग समितियों की बैठकों में पुनरीक्षा की जाती है जिसमें श्रम मन्त्रालय के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है। बन्धुआ प्रवासी ओर नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में केन्द्रीय स्थायी समिति है जो एक्शन कार्यक्रमों को समन्वित करती है, बन्धुआ श्रमिकों से सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को परामर्श देती है और समस्याओं तथा कठिनाइयों का समाधान करती है और प्रगति पर निगरानी रखती हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं में संविधान का अनुवाद

529. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई स्कीम अपनाई थी जिसके अनुसार भारत के संविधान और केन्द्रीय विधियों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कश्मीरी भाषा भी उन भाषाओं में एक थी जिनमें भारत के संविधान

और केन्द्रीय विधियों का अनुवाद किया जाना था।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) भारत सरकार की एक स्कीम है, जिसके अधीन संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में भारत के संविधान का अनुवाद किया जा रहा है। इस स्कीम में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित उन भाषाओं में, जो किसी न किसी राज्य की राजभाषाएं हैं, सभी केन्द्रीय विधियों के अनुवाद और प्रकाशन का भी उपबन्ध है।

तदनुसार, केवल भारत के संविधान का कश्मीरी में अनुवाद करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र की हल्दिया यूनिट का उत्पादन

530. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया उर्वरक संयंत्र के हल्दिया यूनिट की उत्पादन सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस यूनिट की कुल उत्पादन योजना कितनी है ; और

(ग) यूनिट के वाणिज्यिक उत्पादन की योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) इस समय, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के हल्दिया एकक में अमोनिया, यूरिया और मैथानोल का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है जिसका कारण कमिशनिंग कार्यकलापों के दौरान आग लगने की वजह से तीन आक्सीजन कम्प्रेसरों में से दो का क्षतिग्रस्त हो जाना है। आयातित डी० ए० पी० तथा बरौनी एकक के अमोनियां से लगभग 500 मी० ट० नाइट्रो-फास्फोट का परीक्षण उत्पादन किया गया है।

(ख) और (ग) पहले आक्सीजन कम्प्रेसर को प्रचालन के लिए तैयार करने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके तैयार हो जाने के बाद; घटी हुई क्षमता पर अमोनिया, यूरिया तथा मैथानोल का और परीक्षण प्रचालन किया जाएगा। दूसरे एवं तीसरे कम्प्रेसरों के प्राप्त हो जाने के बाद पूर्ण उत्पादन का प्रयास किया जा सकता है।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में वर्तमान दूरसंचार प्रणाली को आंगुलिक प्रणाली से बदलने की योजना

531. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा चुने गए उन आदिवासी तथा पहाड़ी जिलों के क्या नाम हैं, जहां पर छठी योजना के दौरान वर्तनान दूरसंचार प्रणाली को आंगुलिक प्रणाली से परिवर्तित किया जाएगा ;

(ख) स्वीकृति के बाद से कितने जिलों में बदलने का कार्य चल रहा है ;

(ग) उड़ीसा के कोरापुट जिले में सर्किल द्वारा काफी समय पहले यंत्रों को स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन किए जाने तथा विस्तृत योजनाएं तैयार किये जाने के बावजूद वहां इस योजना के क्रियान्वित के विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) योजना की वर्तमान स्थिति क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) समेकित डिजीटल नेटवर्क के लिए जिन जनजातीय और पहाड़ी जिलों को चुना गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. जलपाइगुड़ी
2. कोरापुट
3. उत्तरी लखीमपुर
4. मुर्शिदाबाद
5. मोकोकचुंग/कोहिमा/तियूनसांग
6. नैनीताल
7. दक्षिणी आरकाट/पांडिचेरी
8. भोपाल/सीहोर

(ख) कोई भी नहीं।

(ग) इन जिलों के लिए अपेक्षित स्वदेशी इलैक्ट्रानिक उपस्कर उपलब्ध नहीं हैं। इस उपस्कर का विदेशी सहयोग से देश में ही विनिर्माण करने के साथ-साथ चुने गए सहयोगी से इनका आयात करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) जैसा कि उपरोक्त (ग) में बताया गया है।

केरल में दूरदर्शन पारेषण केंद्र

532. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दूरदर्शन पारेषण केन्द्रों के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इन केन्द्रों के कब तक चालू होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इन केन्द्रों से सम्पूर्ण केरल राज्य में दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो कौन-कौन से क्षेत्र इनके अन्तर्गत नहीं आएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) (1) **त्रिवेन्द्रम** : ट्रांसमीटर भवन का निर्माण कार्य उच्च अवस्था में है। ट्रांसमीटर की डिलीवरी मार्च, 1984 तक हो जाने की उम्मीद है। आर० सी० सी० दूरदर्शन टावर के निर्माण के लिए खुदाई का कार्य जारी है।

(2) **कोचीन** : स्थान को कब्जे में ले लिया गया है। भवन के प्राक्कलन अनुमोदित हो गए हैं

तथा 135 ऊंचे टावर की नींव का कार्य चल रहा है। ट्रांसमीटर के लिए आर्डर पहले ही दिया जा चुका है।

(3) **कन्नानौर, कालिकट और पालघाट** : इन सभी केन्द्रों में स्थानों का चयन कर लिया गया है। इन केन्द्रों के लिए ट्रांसमीटरों तथा अन्य उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गये हैं।

(ख) इन केन्द्रों के 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) उपरोक्त स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, केरल के कन्नानौर, कोजीकोड, मल्लापुरम, पालघाट, त्रिचूर, एर्नाकुलक, इदुक्की, कोट्टायम, अल्लेपी, क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम जिलों की लगभग 77.5 प्रतिशत जनसंख्या को, 70 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में, दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की आशा है।

वयानाड जिले में, जो वर्तमान स्कीमों में कवर नहीं होगा, में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा।

तपेदिक-रोधी दवाइयों के लिए ऊंचे मूल्य लिया जाना

533. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिफाम्पिसिन फार्मुलेशनों के मूल्य रिफाम्पिसिन के 3100 रु० प्रति कि० ग्रा० मूल्य पर आधारित है जबकि इसका वास्तविक आयात मूल्य केवल 2030 रु० प्रति किलो ग्रा० और निर्माता 1070 रु० प्रति कि० ग्रा० का अनिर्दिष्ट लाभ कमा रहे हैं ;

(ख) रिफाम्पिसिन और आई० एन० एच० थिआसेटाजोन पी० ए० एस० जैसी अन्य तपेदिक रोधी दवाइयों पर कितने लाभान्तर की अनुमति है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक ओर तो तपेदिक और कुष्ठ रोग के इलाज में प्रयोग होने वाले रिफाम्पिसिन फ़ार्मुलेशनों के मूल्य अधिक है और दूसरी ओर रिफाम्पिसिन फार्मूलेशनों के उत्पादकों द्वारा अनिर्दिष्ट लाभ कमाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो 1979 से फार्मूलेटरों द्वारा कुल कितना अनिर्दिष्ट लाभ कमाया गया है और समीकरण निधि के अन्तर्गत धनराशि वसूल करने और मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) रिफाम्पिसिन फार्मूलेशनों के मूल्यों में जुलाई 1983 से दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के दौरान आयात की 2404 रु० प्रति किलो ग्राम की भारित औसत अवतरित लागत के आधार पर कटौती की जा चुकी है। जनवरी/मार्च, 1984 की अवधि के लिए भारित औसत आयात मूल्य की आवधिक पुनरीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो फार्मूलेशन के मूल्य में और परिवर्तन किए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जा सके और निर्माताओं के आवांछित लाभों से सम्भावित सीमा तक बचाया जा सके।

(ख) रिफाम्पिसिन पर आधारित फार्मूलेशनों के लीडर पैकों पर कारखाने से बाहर की लागत

पर 100 प्रतिशत के मार्क-अप की अनुमति दी जाती है जबकि अन्य पैकों पर कारखाने से बाहर की लागत पर 60 प्रतिशत के मार्क अप की अनुमति दी जाती है। कैलशियम बी० पास के अलावा और एन० एच० थियासिटाजोन और पी० ए० एस० पर आधारित फार्मूलेशनों पर कारखाने से बाहर की लागत पर 40 प्रतिशत का मार्क अप अनुमेय है। कैशियम बी० पास पर आधारित फार्मूलेशनों पर कारखाने से बाहर की लागत पर 55 प्रतिशत मार्क-अप अनुमेय है।

(ग) और (घ) जुलाई से दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के दौरान भारित औसत आयात मूल्य के आधार पर रिफाम्पिसिन फार्मूलेशन के लिए उपयुक्त और तर्कसंगत मूल्य पहले ही निर्धारित किये जा चुके हैं। रिफाम्पिसिन के फार्मूलेशनों के उत्पादकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं ताकि औषध मूल्य समीकरण लेखा के अधीन अवांछित लाभों को समाप्त किया जा सके। निर्माताओं द्वारा फरवरी, 1984 के अन्त तक उत्तर दिए जाने की आशा है जिसमें असफल रहने पर उनके विरुद्ध औषध)मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक निर्माता द्वारा कमाये गए अवांछित लाभ की मात्रा के ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात ही जाना जा सकता है।

मैसर्स ओरगेनन इण्डिया लि० की बल्क डगों और फार्मूलेशनों के नियंत्रित मूल्य

534. **श्री हरीश रावत** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओरगेनन इण्डिया लि० द्वारा उत्पादन किया जाता है, तैयार किए जाने वाले नियन्त्रित मूल्य के बल्क ड्गों और फार्मूलेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि यह कम्पनी औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत वर्गीकरण के कारण अपने उत्पादों के लिए अधिक मूल्य ले रही है ;

(ग) उसके उत्पादों के मूल्य कम करने और उसके द्वारा अनुवर्ती औषधियों का आयात किए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ;

(घ) औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1970 के अन्तर्गत अनियंत्रित मूल्य के फार्मूलेशनों और बल्क ड्गों के मूल्य क्या है और औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1970 के अन्तर्गत उसके वर्तमान मूल्य क्या है ; और

(ङ) क्या उन सभी फार्मूलेशनों को जिन पर से मूल्य नियन्त्रण हटाया गया उनके मन्त्रालय द्वारा छूट वाली श्रेणी में रखने का अनुमोदन किया गया है और यदि हां, तो प्रत्येक किस श्रेणी में आती है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) सूचना जहां तक उपलब्ध हो सके एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

गुड़गांव में बिजली की अनियमित सप्लाई

535. **स्वामी इन्द्रवेश :**

श्री मनीराम बागड़ी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 फरवरी, 1984 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "गुड़गांव के किसान बिजली की गड़बड़ी से परेशान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों को बिजली की नियमित सप्लाई के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उसके लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ; और

(ग) इस प्रकार की अनियमितताओं को स्थायी तौर पर दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खां (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार हरियाणा में कृषि उपभोक्ताओं को 7-9 घण्टे प्रतिदिन विद्युत दी जा रही है। गुड़गांव क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए दिसम्बर, 1983 में 2.43 करोड़ रुपए की लागत पर नए उप केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(ग) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए कृषि उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत सप्लाई करने के लिए प्राथमिकता देता है। हरियाणा में विद्युत उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(एक) फरीदाबाद और पानीपत में विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण/आधुनिकीकरण करना। 1984-85 में यह कार्य करने के लिए 4.5 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है ;

(दो) उत्तरी ग्रिड से सहायता।

(तीन) पारेषण क्षमता में वृद्धि करना।

(चार) निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करने में तेजी लाना।

संवाददाताओं की सुरक्षा के लिए उपाय

536. **श्री शिव शरण वर्मा :**

श्री जगपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संवाददाताओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका पूरा-पूरा ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रणसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

ओबरा ताप बिजली घर में लगी आग पर रिपोर्ट

537. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री जयपाल सिंह कश्यप :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओबरा ताप बिजली घर में भारी विनाशकारी आग के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विशेषज्ञ समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) समिति द्वारा विस्तृत अन्तिम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को अभी प्रस्तुत की जानी है । तथापि, समिति ने राज्य सरकार को एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । तदनुसार राज्य सरकार तथा राज्य बिजली बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिष्ठापनों में अभिकल्प सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों का पुनर्गठन करने और वृद्धि करने के लिए तथा विद्युत केन्द्रों के अच्छी तरह रख-रखाव के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है । राज्य सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच का कार्य, सी० बी० आई० को सौंपा गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

538. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री जगपाल सिंह :

श्री जयपाल सिंह कश्यप :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना के आरम्भ से ही ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में कोई प्रशंसनीय प्रगति नहीं हुई है और निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1983 के अन्त में उपलब्ध निर्धारित लक्ष्य में कितनी कम रही है ; और

(ग) पिछड़े रहने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और उसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में अखिल भारत आधार पर एक लाख गांवों का विद्युतीकरण तथा 25 लाख सिंचाई पम्प सेटों/ट्यूबवैलों के ऊर्जन किए जाने की परिकल्पना की गई है। योजना के पहले 4 वर्षों (1980-81, 1981-82, 1982-83 व 1983-84) के दौरान 82,209 गांवों क विद्युतीकृत किया गया तथा 31-12-1983 तक 11·72 लाख सिंचाई पम्प सेटों/ट्यूबवैलों का ऊर्जन किया गया । वर्ष

1980-84 की अवधि के दौरान निर्धारित राज्यवार लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियां दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

गांवों के विद्युतीकरण में अब तक की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए छठी योजना का अखिल भारत लक्ष्य प्राप्त किए जाने की आशा है । तथापि पम्प सेटों को ऊर्जित करने के संबंध में समग्र लक्ष्य के अनुसार नहीं हो पाई है। असम, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है । लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण ये हैं (1) निर्माण सामग्री की सप्लाई कम होना । (2) राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सरकारों की विकास करने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी होना (3) उचित संगठन का न होना (4) अपर्याप्त विद्युत सप्लाई (5) अपर्याप्त उप पारेषण प्रणाली (6) कीमतों में वृद्धि(7) पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में दुर्गम क्षेत्रों और (8) अपर्याप्त ऋण सुविधा तथा धीमी भार वृद्धि ।

विवरण

छठी योजना के प्रथम चार वर्षों अर्थात् 1980-84 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण तथा पम्पसेटों/ट्यूबवैलों के ऊर्जन के सम्बन्ध में (1-4-80 से 31-12-1983 तक) निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्ति के दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1980-84 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण में हुई प्रगति			
		ग्राम विद्युतीकरण		ऊर्जित सिंचाई पम्पसैट/ट्यूबवैल	
		लक्ष्य	1-4-80 से 31-12-83 तक प्राप्ति	लक्ष्य	1-4-80 से 31-12-83 तक प्राप्ति
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,450	4,527	2,05,000	1,58,222
2.	असम	6,712	3,611 (ख)	7,155	514 (ख)
3.	बिहार	13,550	10,348	1,41,230	32,563
4.	गुजरात	5,095	3,535	92,350	65,742
5.	हरियाणा	(*)	(*)	77,000	54,274
6.	हिमाचल प्रदेश	3,630	4,521	1,031	569
7.	जम्मू व कश्मीर	1,885	872	300	248

1 2	3	4	5	6
8. केरल	(*)	(*)	39,900	36,544
9. कर्नाटक	4,520	4,456 (ख)	77,040	85,918
10. मध्य प्रदेश	13,388	12,959	1,63,270	1,31,177
11. महाराष्ट्र	7,410	5,663	2,00,800	2,30,122
12. मणिपुर	305	194	160	16
13. मेघालय	750	453 (ख)	367	6 (ख)
14. नागालैंड	177	224	7	—
15. उड़ीसा	5,610	4,491	33,040	11,387
16. पंजाब	(*)	(*)	1,03,400	87,747
17. राजस्थान	5,996	4,043	96,775	67,628
18. सिक्किम	88	80 (ख)	—	—
19. तमिलनाडु	124	101	1,58,000	87,974
20. त्रिपुरा	1,110	793 (क)	860	634
21. उत्तर प्रदेश	16,436	15,732	1,99,010	1,10,362
22. पश्चिम बंगाल	7,060	5,053	26,590	4,615
जोड़ (राज्य)	99,296	81,656	16,23,285	11,66,272
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	750	553	3,034	5,229
जोड़ (अखिल भारत)	1,00,046	82,209	16,20,319	11,71,501

(क) प्रगति 1-4-1980 से 31-10-1983 तक

(ख) प्रगति 1-4-1980 से 30-11-1983 तक

उर्वरकों में आत्मनिर्भरता

539. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) किस वर्ष तक भारत उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा ;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) स्थापित की जाने वाली व्यापक अतिरिक्त उर्वरक क्षमता के अतिरिक्त, कई नए संयंत्र स्थापित करने का वृहत कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इन उपायों से उर्वरकों के काफी अधिक मात्रा में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी और उस से आयातों पर निर्भरता के स्तर में कमी होगी।

(ग) उर्वरकों में स्वावलम्बन के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गयी है।

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को घाटा

540. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को कुल कितना घाटा हो रहा है ; और

(ख) घाटे को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोटा ताप बिजली घर

541. **श्री चतुर्भुज** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा स्थित ताप बिजली घर ने लक्ष्य के अनुसार बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है ; और यदि हां, तो इस समय वहां कितनी यूनिट बिजली पैदा की जा रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त ताप बिजली घर में एक और एकक लगाने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कोटा ताप विद्युत केन्द्र 1983-84 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य से अधिक विद्युत उत्पादन कर रहा है। जनवरी, 1984 के दौरान 117 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया था जब कि इसकी तुलना में विद्युत उत्पादन

का कार्यक्रम 50 मिलियन यूनिट था। अप्रैल, 1983 से जनवरी, 1984 के दौरान विद्युत का उत्पादन 464 मिलियन यूनिट था जबकि इसकी तुलना में लक्ष्य 271 मिलियन यूनिट था।

(ख) और (ग) कोटा ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार के लिए 210-210 मेगावाट की 2 यूनिटें प्रतिष्ठापित करने के लिए अक्तूबर, 1980 में सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। इन यूनिटों को राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 1987-88 में चालू किए जाने की आशा है।

बलांगीर जिला, उड़ीसा में दूरसंचार सुविधा

542. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दूरसंचार योजनाओं का विस्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही दूरसंचार विस्तार योजनाओं के नाम और संख्या कितनी है ; और

(ग) विस्तार की गई उन योजनाओं के अन्तर्गत बलांगीर जिला, उड़ीसा में छठी योजना अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई दूरसंचार सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में यवतमाल में दूरदर्शन पारेषण केन्द्र की स्थापना

543. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में यवतमाल में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस क्षेत्र की दूरदर्शन देखने की इच्छुक जनता के लिए दूरदर्शन कार्यक्रमों के पारेषण हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यवतमाल जिले के भाग को दूरदर्शन सेवा नागपुर में लगाए जा रहे उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर से उपलब्ध होने की उम्मीद है। यवतमाल जिले में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जायेगा।

दिल्ली दूरदर्शन पर दिखाई गई फिल्में

544. **डा० कृपा सिन्धू भोई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन पर दिखाई जा रही फिल्में अच्छी किस्म की नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम को सुधारने और अच्छी फिल्म दिखाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट की जाने वाली फिल्मों को विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा फिल्म के निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उस क्रम में अनुमोदित किया जाता है :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त

(ख) विषयात्मक महत्व

(ग) चलचित्रकी महत्व

(घ) मनोरंजन महत्व

(ङ) निर्माण वर्ष

(च) फिल्म को दूरदर्शन पर कितनी बार और किन-किन केन्द्रों पर दिखाया गया।

दूरदर्शन का प्रयास रहता है कि केवल ऐसी फिल्में ही टेलीकास्ट की जाएं जो परिवार के साथ देखने के योग्य हों। तथापि, दूरदर्शन के कार्यक्रम में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है। दूरदर्शन की कार्यक्रम योजना के बारे में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सरकार ने प्रख्यात व्यक्तियों/संचारकों का एक कार्यदल भी नियुक्त किया हुआ है।

ब्रिटेन के सहयोग से दो बड़ी आधुनिक खानों की स्थापना

546. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दो बड़ी आधुनिक भूमिगत खानों की स्थापना के लिए भारत और ब्रिटेन सहयोग हेतु सहमत हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समझौता की शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के (कोयला विभाग) में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जनवरी, 1984 में दिल्ली में इंडो-यू० के० स्टिअरिंग ग्रुप ऑन कोल की आठवीं बैठक में दो परियोजनाएं—अर्थात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की राधामाधवपुर और भारतचक्र परियोजनाएं—इन दोनों पक्षों के बीच, एक मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक क्षमता वाली भूमिगत खानों की परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के सम्बन्ध में आपसी सहयोग के लिए तय की गई थीं। इस बात पर सहमति हुई थी कि इन दोनों परियोजनाओं का पूर्व-मूल्यांकन जल्दी ही पूरा किया जाए।

देश में समानान्तर डाक सेवा

547. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ फर्में समानान्तर डाक सेवा चला रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी ऐसी फर्म का पता चला है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी फर्में कौन-सी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश में चल रही ऐसी 37 सेवाओं के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। कुल मामलों में मुकदमा चलाया गया है और अन्य मामलों की अभी जांच की जा रही है।

उज्जैन, मध्य प्रदेश में, कुम्भ उत्सव की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

543. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन, मध्य प्रदेश, में अन्तिम उत्सव 'सिम्हस्त पर्व' की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की मांग कब की गई थी ; और

(ख) इस महान कुम्भ पर्व की स्मृति में डाक टिकट कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) उज्जैन के 'सिंहस्थ पर्व' पर डाक टिकट जारी करने के बारे में 1981 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) इस पर्व पर, जो कि 1980 में समाप्त हो गया था, डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लोहिया मशीन्स और मोदी एण्टर प्राइजेज द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों पर हुआ व्यय

549. **दिगम्बर सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 6 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने लोहिया मशीन्स लि० कानपुर द्वारा 17 अगस्त, 1983 को राजधानी में आयोजित 'लता मंगेशकर एक संगीत समारोह' पर खर्च हुई 2.5 लाख रुपए की राशि अपने 'बिक्री संवर्द्धन खाते' में डालने के औचित्य पर विचार किया है जबकि इस कम्पनी ने बुकिंग के रूप में 110 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि इकट्ठी की थी और जबकि इसके कारखाने से एक भी स्कूटर बनकर नहीं निकला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विज्ञापन के नाम पर इस प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करके किए गए उक्त दुर्व्यय को देखते हुए, वह अंशधारियों के धन की सुरक्षा के उपाय के रूप में या तो इस प्रकार के खर्चों पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उसके लिए वार्षिक सीमा निश्चित करने के प्रयोजन से कम्पनी अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन करने पर विचार करेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) विज्ञापन पर किये खर्चे और बिक्री प्रवर्धन अनिवार्यत: कम्पनी के निदेशक मण्डल का व्यापारिक निर्णय है और उनके आन्तरिक प्रबन्ध का एक भाग है। कम्पनी अधिनियम में इस प्रकार के खर्चों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

इस समय सरकार के पास कम्पनी अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम को इस प्रकार के खर्चे पर प्रतिबन्ध लगाने या उस पर अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सेवारत निर्वाचकों द्वारा "प्राक्सी" द्वारा मतदान

550. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि सेवारत निर्वाचकों को उन मतदान केन्द्रों पर, जिनके अन्तर्गत वे क्षेत्र आते हैं, जहां वे अपनी सेवा के अभाव में सामान्यत: निवास करते, प्राक्सी द्वारा मतदान करने की अनुज्ञा दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में सरकार को क्या सुझाव दिए गए हैं, और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) आयोग ने यह सिफारिश की है कि "सेवारत" मतदाताओं को ऐसे मतदान केन्द्रों पर, जिनके अन्तर्गत वे क्षेत्र आते हैं, जहां वे अपनी सेवा के अभाव में सामान्यत: निवास करते, प्रोक्सी द्वारा मतदान करने की अनुज्ञा दी जाए और मतदान के दिन उनकी ओर से मतदान करने के लिए उनके निकटतम नातेदारों या मित्रों में से किसी को पहले ही से प्राधिकृत कर दिया जाए। आयोग की उपर्युक्त सिफारिश इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

उर्वरक संयंत्रों की पूंजीगत लागत में कमी

551. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक संयंत्रों जो भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए प्रमुख नियंत्रक है, की विशाल पूंजीगत लागत को कम करने हेतु शीघ्रता से पता लगाने के प्रयास किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) उर्वरक संयंत्रों की उच्च पूंजी लागत के लिए आयातित और स्वदेशी दोनों प्रकार के संयंत्र और उपकरणों सेवाओं, जानकारी और इंजीनियरिंग की लागतों निरन्तर वृद्धि जैसे विभिन्न पहलू उत्तरदायी है। अन्य उद्योगों की भांति उर्वरक उद्योग भी इन पहलुओं से प्रभावित होने वाला उद्योग है जो विश्व अर्थ व्यवस्था में समग्र मुद्रा स्फीति की स्थिति के परिणाम हैं यद्यपि उर्वरक संयंत्रों की बढ़ती हुई पूंजी लागत को प्रवृति को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। उर्वरक संयंत्रों की लागतों को जहां तक संभव हो स्थिर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव

552. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री अमर राय प्रधान :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कतिपय विसंगतियों को दूर करने और उसके कुशल कार्यकरण के लिए उसका पुनर्गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करने हेतु आयोग से सुझाव मांगने के लिए कोई समिति गठित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में कुछ संगठनात्मक परिवर्तन करने के विभिन्न प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं तथा शीघ्र ही इन पर निर्णय लिया जायेगा।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में डाक सेवा

553. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में पिछले कुछ वर्षों से डाक सेवा अस्त-व्यस्त हालत में है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मन्त्रालय को पतों पर पत्र पहुंचने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब अथवा न पहुंचने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सेवाओं में सुधार लाने के लिए प्रयास किए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां। गत तीन वर्षों के दौरान केवल 44 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) उचित कार्रवाई की गई थी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में दूरसंचार व्यवस्था

554. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में दूरसंचार व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीफोनों के खराब रहने तथा उनका प्रयोग न करने पर भी टेलीफोन उपभोक्ताओं को भारी धनराशि के बिलों का भुगतान करना पड़ता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ट्रंक कालों के नम्बर मिलाने में एक्सचेंज कई-कई दिनों तक असफल रहते हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। सागर जिले में दूर-संचार प्रणाली की स्थिति सामान्यतया संतोषजनक है।

(ख) विभाग के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) जी नहीं। सागर जिले में ट्रंक सेवाएं आमतौर पर संतोषजनक हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में बिजली सामानान्तरण के कारण रुकी पड़ी परियोजनाओं की स्थापना

555. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बिजली सामानांतरण के कारण रुकी पड़ी निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना के लिए विद्युत दूरसंचार समन्वय समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है :

(एक) बारामना-बिलासपुर टेलीफोन टेलीग्राफ लाइन, (दो) तावनी देवी साकस (जिला हमीरपुर);

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना को किस तारीख को स्वीकृति प्रदान की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें किस तारीख को स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) ये परियोजनाएं स्वीकृति के लिए विद्युत दूरसंचार समन्वय समिति के पास कब से विचाराधीन हैं ; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश में विद्युत दूरसंचार समन्वय समिति के पास स्वीकृति के लिए पड़ी अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) (एक) जी, नहीं।

(दो) जी, हां।

(ख) टोनी देवी एस० ए० एक्स० को 8-12-1983 को मन्जूरी दे दी गई थी।

(ग) पी०टी०सी०सी० ने बरमाना बिलासपुर टेलीफोन/तार लाइन की मन्जूरी नहीं दी है। मन्जूरी की कोई तारीख निश्चित नहीं की जा सकती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा कुछ ब्यौरे अभी प्रस्तुत किए जाने हैं।

(घ) बिलासपुर-बरमाना टेलीफोन/तार लाइन 25-10-1983 को पी०टी०सी०सी० के पास भेजी गई थी।

(ङ) हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार लाइन से सम्बन्धित अन्य कोई मामला पी०टी०सी०सी० की मन्जूरी के लिए लम्बित नहीं पड़ा है।

हिमाचल प्रदेश के लिए दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन

556. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिए 1984 में दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसका गठन किस तारीख को किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समिति के कब तक गठित हो जाने की सम्भावना है और इसके गठन में देरी के क्या कारण हैं तथा पिछली समिति का कार्यकाल किस तारीख को समाप्त हुआ ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हिमाचल प्रदेश की पिछली दूरसंचार सलाहकार समिति का कार्यकाल 31-5-83 को

समाप्त हो गया है। नई समिति के गठन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और नई दूरसंचार सलाहकार समिति का शीघ्र ही गठन होने की सम्भावना है।

आकाशवाणी शिमला तथा दूरदर्शन केंद्र जालंधर के लिए परामर्शदात्री समितियां

557. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष अथवा इससे पूर्व निम्नलिखित रेडियो/दूरदर्शन केन्द्रों के लिए परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं:

(एक) आकाशवाणी, शिमला

(दो) दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति के अनुसार उन समितियों का गठन किस प्रकार किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और किस सम्भावित तिथि तक उनका गठन कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आकाशवाणी, शिमला से सम्बद्ध कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन 21-11-81 को और दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन 20-9-82 को किया गया था।

(ख) इन दोनों समितियों की संरचना परिशिष्ट-1 और 2 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7762/84]

(ग) आकाशवाणी से सम्बद्ध समिति का कार्यकाल नवम्बर, 1983 में समाप्त हो गया था। प्रक्रिया के अनुसार, नई समिति में शामिल किए जाने के लिए नाम केन्द्र निदेशक और राज्य सरकार से मांगे गए हैं। उनके मिल जाने पर नई समिति का गठन किया जाएगा।

उर्वरक समस्याओं का हल

558. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनिडो ने परामर्शदात्री समिति के चेयरमैन के रूप में श्री एस० रामानाथन, आई० ए० एस० का चयन करके तीसरे विश्व के देशों की उर्वरक समस्याओं का हल ढूंढ़ लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को जैव उर्वरकों सम्बन्धी खोजों के माध्यम से अपनी उर्वरक समस्या को हल करने का मार्ग मिल गया है और यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में किए गए विभिन्न दावों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या जैव-उर्वरकों से तथा कम्पोस्ट खाद आदि का प्रयोग करने से प्राप्त होने वाली आत्म-निर्भरता से सम्बन्धित कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) उर्वरकों पर चौथा यूनीडो परामर्श 23 से 27 जनवरी, 1984 तक नई दिल्ली में हुआ था। सचिव, रसायन और उर्वरक को 23 जनवरी, 1984 से नई दिल्ली में शुरू हुए चौथे परामर्श का अध्यक्ष चुना गया था।

बैठक ने अनेक सिफारिशें कीं जिनमें उर्वरक उत्पादन के विभिन्न पहलू शामिल हैं जैसे कि लघु उर्वरक संयंत्र, उर्वरक संयंत्रों के लिए पूंजी लागत, उर्वरक संयंत्र के निर्माण के लिए माइल कन्ट्रेक्ट्स और उर्वरक उद्योग में विकासशील देशों के मध्य सहयोग।

(ख) और (ग) आई० सी० ए० आर० बायो-3 उर्वरकों में अनुसन्धान कार्य कर रहा है। परिणामों ने दर्शाया है कि आर्गेनिक साइकलिंग और बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिन्शेसन (बी०एन०एफ०) से नाइट्रोजन आवश्यकताओं का आंशिक प्रतिस्थापन किया जा सकता है किन्तु इससे सम्पूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकतीं। पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उर्वरक संसाधनों के विकास के एकीकृत कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया था जिसमें निम्नलिखित प्रोग्राम भी शामिल थे :

(1) बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना।

(2) सीवेज स्लेज उपयोग।

(3) यांत्रिक कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना।

(4) ग्रामीण और शहरी कम्पोस्ट की स्थापना। देश में कार्बनिक खाद।

उर्वरकों के उत्पादन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर द्वारा पड़ौसी राज्यों से प्राप्त और उन्हें सप्लाई की गई बिजली

559. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर सरकार को वर्ष 1983-84 में पड़ौसी राज्यों से कितनी बिजली मिली और उसने इन्हें कितनी बिजली सप्लाई की ; और

(ख) जम्मू और कश्मीर की नदियों की क्षमता का सबसे बेहतर उपयोग करके बिजली का उत्पादन करने के लिए केन्द्र सरकार क्या विशेष उपाय कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 (15 फरवरी, 1984 तक) की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर द्वारा पड़ौसी राज्य/प्रणालियों से माहवार और स्रोतवार प्राप्त और सप्लाई की गई ऊर्जा की मात्रा विवरण में दी गई है।

(ख) जम्मू और कश्मीर की नदियों की शक्यता का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित जल-विद्युत स्कीमों का निर्माण कार्य पहले ही हाथ में लिया गया है :

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता
सलाल (केन्द्रीय क्षेत्र)	3×115 मेगावाट
दुल-हस्ती (केन्द्रीय क्षेत्र)	3×130 मेगावाट
स्तकना	2×4 मेगावाट
अपर सिंध चरण-2	2×35 मेगावाट

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने निम्नलिखित परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन कर दिया है :

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता
उरी	480 मेगावाट
करनाह	2 मेगावाट
कारगिल	3.7 मेगावाट

विवरण

(सभी आंकड़े मि० यूनिट में)

मास	जम्मू और कश्मीर से प्राप्त ऊर्जा						
	बी०बी० एम०एस०	बी०टी० पी०एस०	एस०एस०टी० पी०एस०	बैरा सियूल	उ० प्र०	जोड़	जम्मू और कश्मीर से पंजाब को सप्लाई की गई ऊर्जा
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल, 83	17.56	1.69	2.00	4.49	0.04	25.78	2.44
मई	13.33	—	0.03	4.35	—	17.71	—
जून	10.99	0.10	0.12	4.50	—	15.71	3.96
जुलाई	8.85	—	—	4.50	—	13.35	—
अगस्त	3.20	—	—	4.64	—	7.84	—
सितम्बर	4.07	—	—	4.50	—	8.57	—

1	2	3	4	5	6	7	8
अक्तूबर	32.84	7.93	6.38	4.65	—	51.80	—
नवम्बर	30.96	14.37	—	4.65	—	49.98	—
दिसम्बर	36.13	12.95	4.81	5.40	—	59.29	—
जनवरी, 84	37.94	5.77	6.92	5.42	—	56.05	—
फरवरी (15 तारीख तक)	14.45	7.46	0.84	2.63	—	25.38	—
जोड़	210.32	50.27	21.10	49.73	0.04	331.46	6.40

कारगिल और लेह जिलों में उपग्रह के माध्यम से जिला मुख्यालयों और दिल्ली से जोड़े गए स्थान

560. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और कश्मीर राज्य में कारगिल और लेह जिलों के किन-किन स्थानों को जिला मुख्यालयों और श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली से दूरसंचार और उपग्रह के माध्यम से जोड़ा गया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : कारगिल, लेह और द्रास में टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था कर दीं गई है। द्रास को कारगिल से वास्तविक रूप से जोड़ दिया गया है। चोगलामसर, हेमिसचांगा, सातोख, थिकसे को लेह से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर से वास्तविक रूप से जोड़ दिया गया है। लेह में एक उपग्रह भू-केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है जो दिल्ली और श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। कारगिल के लिए भी एक उपग्रह भू-केन्द्र का प्रस्ताव है।

लेह का श्रीनगर के जरिए जम्मू से सम्पर्क है। कारगिल में प्रस्तावित भू-केन्द्र स्थापित हो जाने के पश्चात वहां से श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली के लिए दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी।

कृषि श्रमिकों के लिए विधान

561. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के 265 मिलियन श्रमिक बल में से 192 मिलियन कृषि श्रमिकों के होने का अनुमान है, जिसमें अधिकतर ग्रामीण निर्धन लोग हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर): (क) यह सच है कि देश में कृषि श्रमिक ही ग्रामीण गरीबों का अधिकांश भाग है।

(ख) ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (टी०आर०वाई०एस०ई०एम०), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार गारण्टी स्कीम तथा विकास का लाभ ग्रामीण गरीबों तक पहुंचाने के लिए किए गए अनेक अन्य उपायों का उद्देश्य देश में भूमिहीन श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार लाना है।

कम शक्ति और उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों के लगाने में प्रगति

562. **श्री अशफाक हुसैन :**

श्री अजय विश्वास :

श्री नवीन रावणी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 15 फरवरी, 1984 की स्थिति के अनुसार कम शक्ति के और उच्च शक्ति के टेलीविजन ट्रांसमीटरों और केन्द्रों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई थी ;

(ख) गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र की नवीनतम स्थिति क्या है और यह किस सम्भावित तारीख से (1) रिले टेलीकास्ट और (2) प्रोडक्शन सेण्टर के रूप में कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(ग) अन्य केन्द्रों के लिए भी सम्भावित तारीखें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) 1. उच्च शक्ति वाले तथा अल्प शक्ति वाले सभी ट्रांसमीटरों के स्थानों का चयन कर लिया गया है।

2. उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के केन्द्रों पर ट्रांसमीटर भवनों के निर्माण कार्य को हाथ में ले लिया गया है और वह 1984-85 के दौरान पूरा हो जायेगा।

3. उच्च शक्ति वाले सभी ट्रांसमीटरों के स्थानों पर स्टील/आर०सी०सी०टी०वी० टावर का निर्माण कार्य चल रहा है।

4. उच्च शक्ति वाले तथा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं और उनकी डिलीवरियां कुछ महीनों में आरम्भ हो जायेंगी तथा 1984-85 के दौरान पूरी हो जायेंगी।

(ख) गोरखपुर में ट्रांसमीटर भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। दूरदर्शन ट्रांसमीटर की डिलीवरी मार्च, 1984 तक हो जाने की आशा है। दूरदर्शन टावर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कुछ इ०एन०जी० उपकरण प्राप्त हो गए हैं तथा कुछ अन्यों के मार्च, 1984 तक प्राप्त हो जाने की आशा है। आशा है कि गोरखपुर केन्द्र 1984-85 के दौरान प्रसारणों को रिले करना तथा क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों का निर्माण करना प्रारम्भ कर देगा।

(ग) इस विशेष योजना के अन्तर्गत अल्प शक्ति वाले तथा उच्च शक्ति वाले सभी ट्रांसमीटरों के 1984-85 तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

बम्बई में फिल्मोत्सव-84

563. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई में आयोजित फिल्मोत्सव-84 के प्रति रुचि कम दिखाई दी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसमें पाई गई कमियों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) उक्त फिल्मोत्सव के आयोजन करने पर कुल कितना खर्चा हुआ है और भारतीय तथा विदेशी फिल्मों को दिखाए जाने से कितनी आय आई है ;

(घ) क्या इस फिल्मोत्सव में दिखाने के लिए चुनी हुई क्षेत्रीय फिल्मों में से कोई उड़िया फिल्म भी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो वह कौन सी फिल्म थी और यदि नहीं, तो इस प्रकार की कोई फिल्म शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। फिल्मोत्सव 84 के प्रति फिल्म उद्योग और सिनेमा-प्रेमियों में खूब अनुक्रिया हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनन्तिम रूप से फिल्मोत्सव'84 पर 49.19 लाख रुपये खर्च हुए और टिकटों की बिक्री तथा विज्ञापनों से 26.09 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(घ) और (ङ) फिल्मोत्सव'84 के दौरान भारतीय पनोरमा में निराद महापात्र की "माया मृग्य" और रसीद अहमद की "धारा आलुवा" नामक दो उड़िया फिल्में दिखाई गई थीं।

उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में तेल होना

564. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल अन्वेषण कार्यों के अन्तर्गत उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में तेल होने के संकेत प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन तेल क्षेत्रों के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) ऑयल इण्डिया लिमिटेड ने उड़ीसा में महा-

नदी बेसिन (तटीय क्षेत्र) में भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। सर्वेक्षण आंकड़ों का संसाधन कर लिया गया है तथा उनकी व्याख्या की जा रही है।

अपतटीय महानदी बेसिन में अन्वेषी व्यधन कार्य चल रहा है। अभी तक वहां व्यापारिक स्तर पर उत्पादन योग्य हाइड्रोकार्बनों के मिलने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

(ग) ऑयल इण्डिया लिमिटेड अनुमोदित 6 कूप कार्यक्रम को योजनानुसार पूरा करने का कार्य क्रम बना रहा है।

ग्रामीण निर्धन लोगों के संगठन की योजना

565. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री छीतू भाई गामित :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को सुगठित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान इसके लिए क्या योजनाएं प्रारम्भ कराने का प्रस्ताव है ;

(ग) इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों को क्या मार्ग निर्देशन सिद्धांत भेजे गए हैं ; और

(घ) उपर्युक्त मामले में सरकार के कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) विभिन्न श्रेणियों के असंगठित ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना 1981-82 से प्रारम्भ की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ब्लाक स्तर पर अवैतनिक ग्रामीण संयोजकों की नियुक्ति प्रशिक्षण तथा नियोजन के जरिए ग्रामीण श्रमिकों को शिक्षा देना और संगठित करना है। शुरुआत करने के लिए यह स्कीम 8 राज्यों में 415 ब्लाकों में आरम्भ की गई थी। बाद में इस स्कीम को 9 राज्यों में 595 ब्लाकों में लागू किया गया। 1984-85 के दौरान इस स्कीम को 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1000 ब्लाकों में लागू करने का प्रस्ताव है(जिनमें वे 595 ब्लाक भी शामिल हैं जहां कि यह स्कीम पहले ही लागू हो चुकी है)।

(ग) इस स्कीम में श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) द्वारा जारी किए गए कुछ मान-दण्डों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ब्लाक स्तर पर अवैतनिक ग्रामीण संयोजकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और नियोजन की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण श्रमिकों को संगठन के महत्व के बारे में शिक्षा देने तथा उन्हें स्वयं ही ट्रेड यूनियनों, सहकारी समितियों तथा ऐसे अन्य रूपों में, जो कि उनके लिए सर्वाधिक हितकारी हो, संगठित होने में सहायता देने के लिए अवैतनिक ग्रामीण संयोजकों के कार्यों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करते हुए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं।

(घ) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) तथा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के संयुक्त दल द्वारा इस स्कीम के कार्यकरण की पुनरीक्षा की जा रही है और इस संयुक्त दल के निष्कर्षों के प्रकाश में सम्बन्धित राज्य सरकारों को और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जा रहे हैं ताकि स्कीम को लागू करने के मुख्य उद्देश्य पूरे हो सकें। स्कीम के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, इसे क्रमबद्ध तरीके से अतिरिक्त ब्लाकों में लागू करने का विचार है।

गैस एजेंटों द्वारा गैर-आई० एस० आई० एल० पी० जी० गैस स्टोवों की बिक्री

566. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैस एजेंटों द्वारा अधिकांश एल०पी० जी० गैस स्टोव गैर-आई०एस० आई० मार्क के बेचे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गैर-आई० एस० आई० स्टोवों की बिक्री की जांच न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आई० एस० आई० मार्क वाले गैस स्टोवों की एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आई० एस० आई० प्रमाणित गैस स्टोवों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आई० एस० आई० प्रमाणित गैस स्टोवों की सूची

ब्लू फ्लेम	ए एण्ड ए	अग्नि
प्लेनेट	सीको	गृहलक्ष्मी
सुपर फ्लेम	ब्लेज	शिवानी
नूतन सुपर फ्लेम	सीटीजन	सेंको
भूषण	नूतन सीटीजन	
लक्ष्मी डीलक्स	डीमसन	
आरचिस	हिलटोन	
डिम्पल	अम्बर	

नेशनल	प्रिया
फोर्डम	मयूर
एमबी	मिटासो
पंचाल	फ्लेमिका
डोमिनो	जय सुप्रीम
सन फ्लेम	नितिन
पद्मीनी	सिल्वर फ्लेम
बजाज	यूनीक
नूतन-बजाज	जोहनसन
निक्की ताशा	लीव-वेल
डोमेस्टिक फ्लेम	सोलार्क
वाईकिंज	अशोका
नवज्योति--नूतन ज्योति	नूतन अशोका
कुक-वेल	ज्वाला
अमरीश	जेम
मोती रेशमी	सुपरहेट
पेन टेक्स	पेनटेक्स
अप्सरा	गेलार्ड
होटलाइन	कम्पेनियन
नेशनल सुप्रीम	वारुण
हाल मार्क	इण्डो फ्लेम
एरिस्टोक्रेट	हीटवेल
चेतक	क्लासीक

वीग्गी	हॉट स्टार
रोहिणी	मेन-मोलर
प्रेस्टीज	विक्टरी
अलटीना	अमरदीप
सोनयो	सोलार
नूतन-कंकोड	किचन किंग
रॉयल फ्लेम	सुवलाय

दुलहस्ती और सलाल परियोजनाओं में धन की कमी

567. **श्री अब्दुल रशीद काबुली : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जम्मू और कश्मीर में केन्द्र द्वारा क्रियान्वित की जा रही पनबिजली परियोजनाओं को, जैसे दुलहस्ती और सलाल परियोजनायें धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उनका निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं की लागत भी बढ़ती जा रही है ;

(ख) इनके पूरे होने पर बिजली उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं का कार्य समय पर पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सलाल और दुलहस्ती परियोजना के पूरे होने पर क्रमश: 2062 मिलियन यूनिट तथा 1928 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ग) परियोजना पर कार्यों की सख्ती से मानिटरिंग की जा रही है और आवश्यक निवेशों की सप्लाई समय पर करना सुनिश्चित किया गया है ।

कोयले और मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि

568. **श्री विजय कुमार यादव : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में कोयले और मिट्टी के तेल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के (कोयला विभाग) में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार कोयले की खान-मुहाना कीमतें और पैट्रोलियम उत्पादों की बुनियादी सीलिंग बिक्री कीमतें नियत करती हैं। पैट्रोलियम उत्पादों में मिट्टी का तेल शामिल है। साफ्ट कोक और मिट्टी के तेल की खुदरा बिक्री कीमतें सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन नियत करता है।

औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो की सिफारिशों पर और अन्य सभी संगत बातों पर विचार करके कोयले की औसत खान-मुहाना कीमत 8-1-1984 से संशोधित की गई है। यह संशोधन कोल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले के मामले में रु० 145.90 प्रति टन से रु० 183.00 प्रति टन और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के मामले में रु० 154.75 प्रति टन से रु० 192.00 प्रति टन किया गया है। साफ्ट कोक—जो आम आदमी का ईंधन है—की कीमत वर्तमान रु० 175.00 प्रति टन ही बनाए रखी गई है जो इसके उत्पादन की लागत से लगभग रु० 120.00 प्रति टन कम है। पिछले वर्ष के दौरान रिफाइनरियों में तेल कम्पनियों के मुख्य केन्द्रों पर मिट्टी के तेल (एस० के० ओ०) की कीमत निम्नलिखित रही है :—

कब से लागू	रु० प्रति कि० लि० *बुनियादी सीलिंग बिक्री कीमत
15-2-1983 (आर्थिक राज सहायता प्राप्त)	1544.93
(आर्थिक राजसहायता के बिना)	2844.93
18-3-1983 और इससे आगे **	1644.93

* उत्पादन-शुल्क शामिल है,

** दोहरी कीमत नीति वापिस लेने और मिट्टी के तेल में 10 पैसे प्रति लिटर की वृद्धि करने के परिणामस्वरूप दिनांक 18-3-1983 से सभी उपभोक्ताओं के लिए रु० 1644.93 प्रति कि० लि०

व्यास-सतलुज लिंक नहर योजना पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

569. **श्री रवींद्र वर्मा :**

श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यास-सतलुज लिंक नहर योजना पर कार्य स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे थे ;

(ग) उन व्यक्तियों को भविष्य में रोजगार देने हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ;

(घ) उन व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ; और

(ङ) इस योजना को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ङ) ब्यास सतलुज लिंक एक बहुद्देश्यीय जल-विद्युत परियोजना है और एक नहर स्कीम नहीं है। ब्यास सतलुज लिंक परियोजना पर कार्य को स्थगित नहीं किया गया है। अन्तिम (छठी) विद्युत उत्पादन यूनिट को नवम्बर, 1983 में चालू किए जाने पर यह स्कीम पहले ही पूरी हो गई है।

(ख) नियमित स्थापना :—— 1538

(राज्य आबंटित और केन्द्रीय सरकार दोनों के कर्मचारी)

कार्य पर प्रभारित कर्मचारी 4847

(ग) ब्यास कार्यों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए लगभग 881 नियमित कर्मचारियों को तथा 931 वर्कचार्ज कर्मचारियों को भाखड़ा-ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा खपा लिए जाने की आशा है। राज्य के आबंटित फालतू कर्मचारियों को उनके सम्बन्धित मूल संवर्गों में वापस भेज दिया जाएगा। केन्द्र सरकार के नियमित फालतू कर्मचारियों को केन्द्रीय सरप्लस पूल में रखने तथा फालतू वर्कचार्ज कर्मचारियों की छटनी करने का प्रस्ताव है।

(घ) अधिशेष कर्मचारी

(एक) नियमित कर्मचारी—राज्य आबंटित और केन्द्र सरकार —— 657

(दो) पर्यवेक्षी स्टाफ—— 386

कुशल/अकुशल कर्मचारी— 3530

कुल 4573

चन्द्रपुर और भंडारा जिलों (महाराष्ट्र) में 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराना

570. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने व्यक्ति चन्द्रपुर और भंडारा जिलों में हैं ; और

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या से सम्बद्ध उपलब्ध सूचना विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यत: रोजगार सर्जित किए जाते हैं। 28.2.84 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के लिए अनुबन्ध।

राज्य/रोजगार कार्यालय	31.12.83 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की सं०
1. जिला रोजगार कार्यालय, भंडारा	50,223
2. जिला रोजगार कार्यालय, चन्द्रपुर	30,396
3. कोयला खान हेतु विशेष रोजगार कार्यालय, चन्द्रपुर	35,783
4. महाराष्ट्र के सभी रोजगार कार्यालय	17,26,671

नोट :— (1) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं है।

(2) सभी बेरोजगार व्यक्ति अनिवार्यत: रोजगार कार्यालयों में स्वयं को पंजीकृत नहीं करवाते हैं।

उर्वरकों का उत्पादन

571. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में देशी उर्वरकों का कुल उत्पादन कितना है ;

(ख) 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान उक्त उर्वरकों का अलग-अलग वर्षवार कितना उत्पादन हुआ है ;

(ग) प्रत्येक प्रकार के उर्वरकों का यूनिटवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस प्रकार के उर्वरकों के उत्पादन में क्या हित निहित है ;

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) : उर्वरकों का वर्षवार कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादित मात्रा-लाख टनों में	
	नाइट्रोजन	पो 2 ओ 5
1980-81	21.64	8.41
1981-82	31.44	9.49
1982-83	34.24	9.80

(ग) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान नाइट्रोजन युक्त एवं फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन का एककवार विवरण देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) वह अनुमान है कि यह सन्दर्भ उर्वरकों की क्षेत्रवार उत्पादन क्षमता से है। तदनुसार, 1983-84 के आरम्भ में उर्वरकों के उत्पादन की क्षेत्रवार क्षमता नीचे दी गई है :—

क्षेत्र	क्षमता लाख टनों में	
	नाइट्रोजन युक्त उर्वरक (एन)	फास्फेटिक उर्वरक (पी 2 ओ 5)
सरकारी	29.86	6.58
निजी	16.70	5 00
सरकारी	4.88	2.60
योग	51.44	14.18

विवरण

नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरकों का एककवार उत्पादन

एकक का नाम	उत्पादन हजार टनों में		
	क० नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स (नाइट्रोजन)		
	1980-81	1981-82	1982-73
1	2	3	4
1. सिन्दरी आधुनिकीकरण	23.0	118.7	125.8
2. गोरखपुर	59.8	73.2	74.2

1	2	3	4
3. रामागुण्डम	26.5	58.9	74.8
4. तालचर	6.7	45.8	20.6
5. नांगल-I	51.4	47.5	61.5
6. नांगल-II	71.8	122.9	119.5
7. भटिण्डा	99.7	133.7	153.2
8. पानीपत	68.2	182.1	162.6
9. नामरूप-I	25.6	24.9	27.7
10. नामरूप-II	शून्य	80.1	72.0
11. दुर्गापुर	35.1	59.9	39.2
12. बरौनी	46.6	74.1	75.8
13. उद्योगमण्डल	42.0	37.9	32.9
14. कोचीन-I	113.2	118 3	95.8
15. कोचीन-II	15.1	10.1	29.0
16. ट्राम्बे	85.9	86.0	75.9
17. ट्राम्बे-IV	51.3	52.8	47.7
18. ट्राम्बे-V	—	29.3*	85.2
19. मद्रास	163.8	154.0	139.5
20. राउरकेला	35.8	53.4	11.0
21. नवेली	61.7	45.2	46.6
22. बड़ौदा	176.5	200.2	183.6
23. विजाग	56.9	71.1	62.1

1	2	3	4
24. कोटा	117.0	121.1	141.9
25. कानपुर	130.6	202.0	263.7
26. गोवा	43.5	144.1	173.8
27. तुतीकोरिन	208.2	206.1	278.0
28. मंगलौर	83.7	118.9	97.2
29. इन्दौर	7.8	8.0	7.3
30. वारानासी	1.8	2.0	1.2
31. भरुच	—	1.3*	178.6
उप उत्पाद	19.6	20.2	19.5
32. कलोल और 33. कांडला	225.1	255.1	280.5
34. फलपुर	10.1	183.2	166.5
योग	2163.9	3143.6	3424.0

* परीक्षण उत्पादन

ख० फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स (पी 2 ओ 5)

1	2	3	4
1. सिन्दरी आधुनिकीकरण	18.0	20.0	10.4
2. उद्योगमण्डल	21.3	22.6	20.5
4. कोचीन-II	49.5	36.5	50.3
5. ट्राम्बे	39.5	42.5	36.9

1	2	3	4
5. ट्राम्बे 4	51.3	52.8	47.7
6. मद्रास	103.9	106.2	107.5
7. खैतरी	5.6	4.4	1.6
8. बड़ौदा	43.0	40.4	51.3
9. विजाग	68.4	76.6	69.8
10. गोवा	7.8	36.4	33.6
11. तुतीकोरिन	58.0	63.1	69.0
12. इन्दौर	9.9	10.0	9.2
13. एस० एस० पी० यूनिट	172.8	187.2	204.5
14. कांडला (I और II)	192.5	249.9	267.7
योग	841.5	948.6	980.0

असंगठित ग्रामीण श्रमिकों के बारे में सम्मेलन

572. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1984 के प्रथम-दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में असंगठित ग्रामीण श्रमिकों के बारे में 4 दिन का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने तथा श्रमिकों के रूप में उनके अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए तथा ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए मुख्य सुझावों तथा टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ग्रामीण श्रमिक संगठित समितियों की सहायता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) इस गोष्ठी के सात तकनीकी सत्रों द्वारा दिए गए सुझाव/की गई टीका-टिप्पणियों का

सारांश संलग्न है। गोष्ठी का यह विचार था कि संगठित होने की आवश्यता के प्रति श्रमिकों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य अधिकारों को प्राप्त करने में सुविधा होगी।

(ग) गोष्ठी की विभिन्न सिफारिशों/टीका-टिप्पणियों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

ग्रामीण श्रमिक सम्बन्धी राष्ट्रीय-गोष्ठी (जनवरी-1984) द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश

तकनीकी सक्र-I ने विभिन्न व्यवसायों में लगे ग्रामीण श्रमिकों के असंगठित वर्गों की श्रेणियां और उप-श्रेणियों का पता लगाया और इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों और उप-श्रेणियों के संगठन, के बीच उचित सह-सम्बन्ध और समाकलन होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में विस्तृत आर्थिक कार्यकलापों का सृजन ऐसे कार्यकलापों के सृजन के लिए औद्योगिक विकास नीति में परिवर्तन करना चाहिए जिसमें ग्रामीण उद्योगों के उत्पाद की खरीद करने के लिए प्राथमिकता की अति-व्याप्ति भी शामिल है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

तकनीकी सक्र-II ने तकनीकी सक्र-I द्वारा पता लगाए गए विभिन्न श्रेणियों और उप-श्रेणियों के अनुसार ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए लक्ष्यों की परिकल्पना की।

तकनीकी सक्र-III ने सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और प्रशासनिक आदि जैसी विभिन्न बाधाओं का पता लगाया और इन बाधाओं को दूर करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें की।

तकनीकी सक्र-IV ने इस समय विद्यमान ट्रेड यूनियनों, सहकारी समितियों जैसे विभिन्न प्रकार के संगठनों और उनकी भूमिका, उनकी शक्तियों और कमजोरियों पर विस्तृत रूप से विचार किया और इन कमजोरियों को दूर करने के लिए विशिष्ट सुझाव दिए। सक्र ने यह भी महसूस किया कि संरचना की दृष्टि से संगठन के रूप में सहकारी समिति ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों में उपयुक्त और बेहतर अनुकूल है। तथापि, इस सक्र ने इस सम्बन्ध में कोई स्थिर और दृढ़ मानदण्ड निर्धारित नहीं किए।

तकनीकी सक्र-V ने ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे अनुसंधान संस्थाओं, स्वैच्छिक ऐजेन्सियों विश्वविद्यालयों, सामाजिक कार्य दलों और व्यक्तिगत संचालकों द्वारा अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से ग्रामीण गरीब लोगों के संगठन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने और वास्तव में संगठन का काम शुरू करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

तकनीकी सक्र-VI ने कानूनी साक्षरता देने की विभिन्न तकनीकों पर विचार किया, तथा वर्तमान कानूनी-सहायता कार्यक्रमों की कमजोरियों और ग्रामीण गरीब लोगों के लिए कानूनी भाषण-शैली तथा कानूनी सहायता को संकल्पना तथा आन्दोलन के रूप में सुदृढ़ करने और व्यापक बनाने के विशिष्ट उपायों का पता लगाया।

तकनीकी सक्र-VII. ने ग्रामीण महिला श्रमिकों के मामले में सामान्य समस्याओं और विशेषताओं का पता लगाया जो कि उनके द्वारा अनुभव की जा रही है। यह सिफारिश की गई थी कि महिलाओं की संख्या और उनके व्यवसायों की विशेषताओं को देखते हुए, उनकी कुशलता को सुधारने तथा उनके लिए बेहतर रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और ग्रामीण महिला श्रमिकों के लिए अलग-अलग संगठनों, वर्गों और उप-वर्गों की सिफारिश भी की। ग्रामीण महिला श्रमिकों की कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा विशेष दायित्व लेने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद और उसके कार्यदलों के विचारार्थ विषय

573. **श्री हरिकेश बहादुर**: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद के विचारार्थ विषय और कार्य क्या हैं ;

(ख) इसके अधीन गठित विभिन्न कार्यदलों के विचारार्थ विषय और कार्य क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद और उसके कार्यदलों के विचारार्थ विषय एक दूसरे से पृथक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद की स्थापना औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन की गई है। परिषद का गठन इसके सदस्य कार्य इत्यादि दर्शाने वाला परिशिष्ट-I संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल० टी० 7763/84**]

(ख) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद की प्रथम बैठक की सिफारिशों के आधार पर तीन कार्यकारी दलों का गठन किया गया था। प्रत्येक दल के विचारार्थ विषय और कार्य नीचे दिए गए हैं ;

(1) मूल्य निर्धारण, नीती और पद्धति पर कार्यकारी दल :

कार्यकारी दल द्वारा गत कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर विद्यमान मूल्य निर्धारण, नीति और पद्धति की पुनरीक्षा किए जाने और पद्धतियों और नीतियों में सुधारों का सुझाव देने की अपेक्षा थी ताकि मूल्यों का तीव्र निर्धारण/समायोजन और स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि, उपभोक्ताओं को उपयुक्त और तर्क संगत मूल्यों पर औषधों और फार्मूलेशनों का वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(2) औद्योगिक अनुमोदनों पर कार्यकारी दल :

दल द्वारा औषध उद्योग पर लागू लाइसेंसिंग और डी० जी० डी० डी० पंजीकरणों के सम्बन्ध में विद्यमान नीति और पद्धतियों, औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में लागू औषध नीति के मापदण्डों की

पुनरीक्षा करने और बल्क औषधों और फार्मूलेशनों तथा मध्यवर्तियों के उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकों की किस्म, आर्थिक मितव्ययया, दक्ष प्रौद्योगिकी और उपयुक्त मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से पद्धतियों और नीति में सुधारों के लिए सुझाव देना अपेक्षित था।

(3) आयोजना और विकास पर कार्यकारी दल :

दल द्वारा (1) देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और मलेरिया, कुष्ठ रोग, क्षयरोग और अंधापन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आधार पर छठी और सातवीं योजनाओं के लिए औषधों और भेषजों तथा मध्यवर्तियों की मांग का अनुमान लगाने उनकी पुनरीक्षा करने (2) अनुसंधान कार्यकलापों में तेजी लाने और औषध प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए उपायों का सुझाव देने (3) निर्यात और आयात नीतियों की पुनरीक्षा करने (4) दवाइयों की स्वदेशी पद्धति के विकास के लिए उपायों का सुझाव देने की अपेक्षा थी।

तीनों कार्यकारी दल अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुके हैं जिन पर राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात उसको सौंपे गए कार्यों के अनुसरण में सरकार से सिफारिशें करेगा।

टेलीफोन बिल की बकाया राशि की वसूली

574. **श्री एस० ए० दौराई सैबस्तियन : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, (2) गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, (3) सांसदों, विधायकों और विधान परिषद् के सदस्यों के गत तीन वर्षों के टेलीफोन बिल की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) इन बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) टेलीफोन उपभोक्ताओं के बारे में विभाग के पास जिस प्रकार का रिकार्ड है वह माननीय सदस्य द्वारा बताए गए ग्रुपों के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया है। विभाग में उपलब्ध वर्गीकृत ग्रुपों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए बिलों के सम्बन्ध में 30-11-83 तक कुल बकाया राशि निम्न प्रकार हैं :

(हजार रुपयों में)

वर्ष	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	रक्षा	निजी
1980-81	377	1364	487	16466
1981-82	1276	2475	918	26632
1982-83	4439	9003	3397	61408

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र के उद्यमों, संसद सदस्यों, विधायकों तथा विधान परिषद् के सदस्यों के नाम बकाया राशि 'निजी उपभोक्ता' शीर्ष के अन्तर्गत शामिल की गई है।

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिए विभागीय नियमों में निर्धारित नियमित प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को टेलीफोन पर याद दिलाना, यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो टेलीफोन काटना, व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा उपभोक्ता को बकाया राशि का निपटान करने के लिए सहमत करना और जहां कहीं सम्भव व आवश्यक हो वहां कानूनी कार्रवाई करना। सरकारी विभागों की बकाया राशि के बारे में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उच्च स्तर पर सम्पर्क किया गया है ।

वर्ष 1983-84 में विभिन्न कोयला खदानों से कोयले की चोरी

575. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री बापूसाहिब परूलेकर :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1983-84 के दौरान देश की विभिन्न कोयला खदानों से 12 करोड़ रु० के मूल्य के कोयले की चोरी होने से सम्बन्धित समाचार-पत्रों की खबर की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करवाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

समुद्र तट से 140 प्रतिशत अधिक कच्चे तेल की सम्भावना

576. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री बापूसाहिब परूलेकर :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृति गैस आयोग को अगले वर्ष समुद्र तट से 148 प्रतिशत और अधिक कच्चा तेल प्राप्त होने की उम्मीद है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस सम्भावना का आधार क्या है ; और

(घ) इस कच्चे तेल के शोधन के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1984 85 के अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अपतटीय क्षेत्र से 20.3 मिलियन पी० टन तेल के उत्पादन की योजना बनाई गई है जो 1983-84 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुए 17.00 मिलियन मी० टन के योजनावद्ध उत्पादन का 119.4% है।

(ग) उपर्युक्त अनुमान अपतटीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम पर आधारित हैं।

(घ) देश की 1984-85 तथा उसके तत्काल बाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश की परिशोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रबन्धों की योजना पहले ही बनायी जा चुकी है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

577. **श्री एन० के० शेजवल्कर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय में न्यायाधीशों के कि तने पद रिक्त हैं और वे कितने समय से रिक्त हैं और इन पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके कारण लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 24-2-1984 को स्थायी न्यायाधीशों के तीन पद और अपर न्यायाधीशों के आठ पद रिक्त थे। जिन तारीखों से ये पद रिक्त हैं, वे निम्नलिखित हैं :

क्र० सं०	तारीख
1.	27-5-82
2.	27-5-82
3.	15-10-82
4.	2-11-82
5.	2-11-82
6.	2-11-82
7.	5-5-83
8.	3-1-84

शेष तीन पद नए पद हैं, जो उन तारीखों से मंजूर किए गए हैं जिन तारीखों को उन्हें पहली बार भरा जाए; उन्हें अभी पहली बार भरा जाना है।

इन रिक्त पदों के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि मात्र न्यायाधीशों की कमी के कारण ही नहीं होती है। लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि के अनेक जटिल कारण होते हैं।

तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए योजनाएं

578. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री भीम सिंह :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह योजना समयबद्ध बनाई हैं ; और

(घ) उक्त योजना के शुरू होने के समय देश में कुल तेल शोधन क्षमता कितनी थी।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) छठी योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रायोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किया था :

(i) बम्बई में भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन रिफाइनरी का 5.25 मि०मी० टन प्रतिवर्ष से 6.0 मि०मी० टन प्रति वर्ष तक विस्तार और 0.6 मि०मी० टन प्रति वर्ष क्षमता का फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकर ;

(ii) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड, कोचीन का 3.30 मि०मी० टन प्रतिवर्ष से 4.50 मि०मी० टन प्रति वर्ष तक विस्तार और 1.0 मि०मी० टन प्रति वर्ष क्षमता का फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकर ;

(iii) विजाग में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन रिफाइनरी का 1.50 मि०मी० टन प्रति वर्ष से 4.5 मि०मी० टन प्रति वर्ष तक विस्तार और 0.6 मि०मी० टन प्रति वर्ष क्षमता का फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकर ;

(iv) मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड, मद्रास का 2.8 मि०मी० टन प्रति वर्ष से 5.6 मि०मी०

टन प्रति वर्ष तक विस्तार तथा 0.6 मि०मी० टन प्रति वर्ष क्षमता का फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकर।

इस समय ये प्रायोजनाएं कार्यान्वयन की अंतिम अवस्था में हैं तथा इनको 1984-85 में पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

2. इसके साथ ही, छठी योजना के दौरान निम्नलिखित प्रायोजनाओं को अगली योजनावधि के दौरान पूरा करने के लिए हाथ में लिया जायेगा :

(i) करनाल में 6 मि०मी० टन प्रति वर्ष क्षमता की नई रिफाइनरी ;

(ii) मंगलौर में 6 मि०मी० टन प्रति वर्ष क्षमता की नई रिफाइनरी ;

(iii) हल्दिया रिफाइनरी का 2.5 मि०मी० टन प्रति वर्ष से 5.5 मि०मी० टन प्रति वर्ष तक विस्तार।

इन प्रायोजनाओं पर सरकार द्वारा अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

3. छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में कुल 31.80 मि०मी० टन प्रति वर्ष की शोधन क्षमता उपलब्ध थी। 37.80 मि०मी० टन प्रति वर्ष की वर्तमान क्षमता मथुरा रिफाइनरी को शुरू करके प्राप्त की गई है।

ग्रामीण निर्धनों को संगठित करना

579. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए 1984-85 में संगठनकर्ता नियुक्त करने का विचार है।

(ख) यदि हां, तो इन संगठनकर्ताओं के कार्य पंजीयन और भर्ती के लिए चयन का तरीका क्या होगा ; और

(ग) संगठनकर्ताओं का ग्रामीण श्रमिक संगठन निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास संस्थानों और स्थानीय प्रशासन के साथ क्या सम्बन्ध होगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) ब्लाक स्तर पर अवैतनिक आयोजकों को नियुक्त करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना 1981-82 में प्रारम्भ की गई थी और इसे इस समय 9 राज्यों में 595 ब्लाकों में लागू किया गया। यह प्रस्ताव है कि इस योजना को 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1000 ब्लाकों (वर्तमान 595 ब्लाकों सहित) लागू किया जाए।

(ख) अवैतनिक आयोजकों के कार्य ग्रामीण श्रमिकों को नागरिक के रूप में उनके अधिकारों

तथा कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें संगठित करना है, ट्रेड यूनियनों सहकारी समितियां, आदि को बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। उन्हें योजना में निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यताओं के अनुसार चयन समिति द्वारा नियुक्त किया जाना है।

(ग) आशा है कि अन्यों के साथ उनके सम्बन्ध ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण निर्धनों का सामाजिक-आर्थिक विकास करने में सहयोग और सामंजस्य स्वरूप के होंगे।

विश्व बैंक सहायता के लिए चुनी गई परियोजनाएं

580. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री भीमसिंह :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष उनके मंत्रालय ने विश्व बैंक से सहायता के लिए कुछ परियोजनाओं का चयन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ग) विश्व बैंक सहायता के लिए केवल उन्हीं परियोजनाओं को चुनने के आधार क्या हैं ;

(घ) क्या इस मामले में वित्त मंत्रालय से भी परामर्श किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री **आरिफ मोहम्मद खां**) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं की एक श्रृंखला, जिसको वित्त वर्ष 1984-88 के लिए विश्व बैंक की सहायता हेतु प्रस्तुत किया जा सके, का जून, 1983 में पता लगाया गया था। उस समय पता लगाई गई परियोजनाओं की एक सूची विवरण में दी गई है।

(ग) परियोजनाओं को, इनकी तैयारी की स्थिति उनकी सम्बन्धित प्राथमिकता और संबंधित उपयोगिता की समग्र संगठनात्मक तथा क्षमता प्रलेखन तथा शाखा के अनुकूल विश्व बैंक द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर पता लगाया गया था।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) में बताई गई विद्युत परियोजनाओं की श्रृंखला को वित्त मन्त्रालय के परामर्श से तैयार किया गया था।

विवरण

बैंक समूह सहायता के लिए विद्युत परियोजनाओं की श्रृंखला

वित्त वर्ष 1984

1. फरक्का विस्तार सुपर ताप विद्युत परियोजना

2. बोधघाट जल विद्युत परियोजना

वित्त वर्ष 1985

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना

2. नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना

3. ग्राम विद्युतीकरण परियोजना-4

4. नर्मदा सागर विद्युत परियोजना

5. थीन बांध परियोजना

6. सरदार सरोवर बहुद्देश्यीय परियोजना (विद्युत भाग)

वित्त वर्ष 1986

1. मानगुरु/तलेचर सुपर ताप विद्युत परियोजना

2. विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना

3. कामेंग जल विद्युत परियोजना

4. उरी जल विद्युत परियोजना

वित्त वर्ष 1987

1. चन्द्रपुर सुपर ताप विद्युत परियोजना

2. भोपालापट्नम् जल विद्युत परियोजना

3. भीमकुंड जल विद्युत परियोजना

वित्त वर्ष 1988

1. सावलकोट जल विद्युत परियोजना

2. अनपारा "ग" ताप विद्युत परियोजना

3. ग्राम विद्युतीकरण परियोजना-5

4. केन्द्रीय परिषण परियोजना-3

हिन्दुस्तान समाचार के पत्रकारों तथा अन्य लोगों की मांगों के बारे में की गई कार्रवाई

581. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी के पत्रकारों तथा अन्य व्यक्तियों ने आन्दोलन शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रबन्धकों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उनकी मांगों का ब्यौरा इस प्रकार है—

1. अपनी पदावधि के दौरान प्रशासक द्वारा प्रशासक बोर्ड (बोर्ड आफ इडमिनिस्ट्रेर) तथा सहकारी समिति पंजीयक (रजिस्ट्रार आफ कोआपरेटिव सोसाइटीज) दिल्ली की पूर्व स्वीकृति बिना की गई कुछ नियुक्तियों को रद्द करना।

2. लम्बित पड़े बोनस और वेतन का भुगतान।

3. सभी अवैध, दुर्भावनापूर्ण और अनुचित स्थानान्तरणों तथा पदच्युतियों को पूर्व व्यापी तारीख से रद्द करना।

4. सभी चपरासियों, सन्देशवाहकों (पेसेन्जरों) आदि को ऊनी वर्दी तथा अन्य सभी पात्र व्यक्तियों को 31 मार्च, 1984 से पहले सूती वर्दी देना।

5. छुट्टी यात्रा सुविधा को पुनः चालू करना।

6. अक्तूबर 1980 से लम्बित पड़े वेतन की बकाया राशि (अर्थात् देय वेतन/मजदूरी तथा अग्रिम के रूप में पहले ही भुगतान की जा चुकी राशि के बीच के अन्तर) की किश्तों में अदायगी करने की व्यवस्था करना) किश्तों की संख्या यूनियन के साथ पारस्परिक समझौते द्वारा तय होनी चाहिए।

7. उन पांच कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना जिनका वेतन प्रबन्ध तंत्र ने रोक रखा है।

8. जब तक सोसायटी की आर्थिक दशा नहीं सुधरती, तब तक नई नियुक्तियांकन करना।

उपर्युक्त मांगों के सम्बन्ध में प्रबन्धतन्त्र का यूनियन के साथ 1-2-1984 को एक समझौता हुआ है। इसके परिणामस्वरूप यूनियन ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।

ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की जांच

582. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने देश में विभिन्न ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की जांच का कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ट्रेड-यूनियन-वार सदस्यता का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सी० आई० ए० को पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति

583. **श्री सुभाष चंद्र यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सी० आई० ए० को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की है जैसा कि दिनांक 22 जनवरी, 1984 के न्यू० एज० में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले/न्यायाधीशों के रिक्त पद

584. **श्री के० टी० कौसलराम :**

श्री विजय कुमार यादव :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में (राज्य-वार) और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और ऐसे लंबित मामले कितनी अवधि से लंबित हैं ;

(ख) उच्च न्यायालयों में (राज्य-वार) और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ; और

(ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7764/84)

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया है।

(ग) लंबित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण V में दिया गया है।

संचार प्रणाली में काम आने वाले उपकरणों का उत्पादन

585. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में संचार प्रणाली में काम आने वाले उपकरणों का उत्पादन मांग से कम है ;

(ख) यदि हां, तो संचार उपकरण निर्माताओं की ऐसोसिएशन ने इन उपकरणों गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो मांगों को स्वीकार करने में सरकार की क्या कठिनाइयां हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ विचार-गोष्ठियों में वक्तव्य दिए गए हैं कि दूरसंचार उपस्करों के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाए।

(ग) औद्योगिक नीति के संकल्प में जिसे संसद ने सन् 1956 में पारित किया था, संचार उपस्कर बनाने का काम सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। इस नीति के दायरे में रहते हुए भी ऐसे विभिन्न सहायक उपस्करों को जिनकी इस समय कमी है, निजी क्षेत्र में बनाए जाने की गुंजाइश है।

असम में मतदाता सूचियों में परिवर्तन का प्रस्ताव

586. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

श्री अर्जुन सेठी :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभी हाल ही में असम सरकार को असम की मतदाता सूचियों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या असम सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही शुरू की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख)

निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 18-1-1984 को आयोजित की गई बैठक में सात राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और असम राज्य के एक मान्यता प्राप्त दल (प्लेटन्स ट्राइबल कौंसिल ऑफ असम) द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर आयोग ने असम सरकार को यह बताने के लिए लिखा है कि क्या राज्य सरकार वर्ष 1971 की निर्वाचक नामावली को आधारित दस्तावेज मानकर और उनको अद्यतन करके सम्पूर्ण राज्य की निर्वाचक नामावलियों को पुनरीक्षित करने में समर्थ होगी ?

आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वर्ष 1971 की निर्वाचक नामावली को आधारित दस्तावेज मानकर सम्पूर्ण राज्य की निर्वाचक नामावलियों का निम्नलिखित द्वारा अद्यतन पुनरीक्षण किया जाए :—

(i) उस सूची में उन व्यक्तियों के नामों को जोड़कर, जो उन नामावलियों में दर्ज परिवारों के में और जिन्होंने 1971 से 21 वर्ष की अर्हक आयु प्राप्त कर ली है, (ii) उस सूची से उन व्यक्तियों के नामों को काटकर, जिनकी मृत्यु हो गई है या जो वहां से चले गए हैं ; (iii) उस सूची में उन भारतीय नागरिकों के नाम जोड़कर, जो वर्ष 1971 के पश्चात् देश के अन्य भागों से असम में आकर बस गए हैं और जिनके नाम उस क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में पहले से ही दर्ज हैं जहां वे आए हैं तथा उनके परिवारों के ऐसे पात्र सदस्यों के नाम भी जोड़कर जिन्होंने 21 वर्ष की अर्हक आयु प्राप्त कर ली है ;

(ग) और (घ) आयोग ने सूचित किया है कि वह इस सम्बन्ध में असम राज्य के विचारों की प्रतीक्षा कर रहा है।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के बारे में विधि आयोग का पत्र

587. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए संविदाओं में अनुचित निबन्धनों के बारे में हितबद्ध व्यक्तियों और संगठनों के विचार आमंत्रित करने के लिए एक पत्र परिचालित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने स्रोतों से विचार प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) आयोग ने किन कारणों से इस प्रकार की कार्यवाही की है और संविदा अधिनियम, 1872 में संशोधन द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार की जा सकेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) कार्यकरण-पत्र में संविदा के विद्यमान प्ररूपों, उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं और अनुचित संविदाओं से पक्षकारों के संरक्षण के विषय में भारतीय संविदा अधिनियम, 1871 की कमियों पर विचार किया गया है। विधि आयोग ने, अन्य देशों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संविदा अधिनियम में उपयुक्त संशोधन का, विचार किए जाने के लिए, सुझाव दिया है। कार्यकरण-पत्र उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, बार एसोसिएशनों, विविध परिषदों, राज्य सरकारों और अन्य विभिन्न निकायों को भेजा गया है। अब तक इन में से चार से उत्तर प्राप्त हुए हैं।

(ग) विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक विषय सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना है जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके। आयोग ने, इस विषय के सार्वजनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, स्वतः इसका अध्ययन प्रारम्भ किया है। इस प्रश्न पर कि विधि के संशोधन द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार की जा सकेगी, तभी विचार किया जा सकेगा जब आयोग अपना अध्ययन पूरा कर लेगा और अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर देगा।

आकाशवाणी में भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों को दूर करना

588. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए 1 अगस्त 1983 से 1 फरवरी, 1984 तक भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, नई दिल्ली से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) आकाशवाणी से सेवारत भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों को दूर करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ग) प्रश्नास्पद अवधि के दौरान 5 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, किन्तु उन सभी में 1 कर्मचारी के अनुरोध/मांगें थीं। मुद्दे सरकारी आवास देने, वित्तीय सहायता देने, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा कार्ड देने, पदोन्नति के दावे इत्यादि जैसे मामलों से सम्बन्धित हैं। विषय पर नियमों तथा विनियमों के संदर्भ में जांच पड़ताल करने के बाद सभी अभ्यावेदनों का उत्तर दे दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगार व्यक्तियों की वृद्धि दर का बढ़ना

589. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या की वृद्धि दर 1978 में 16.1 प्रतिशत से 1980 में 10.1 प्रतिशत तक गिरने के पश्चात पिछले तीन वर्षों (अर्थात 1981 से) लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगारी की वृद्धि दर बढ़ने से कौन-कौन से मुख्य कारण हैं, और

(ग) संदर्भ वर्षों के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाले संगत आंकड़े क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) रोजगार कार्यालयों में दर्ज रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों (जिनमें से अनिवार्यतः सभी बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या में वृद्धि की दर 1981 से बढ़ रही है। संगत आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष (निम्नलिखित के अन्त में स्थिति अनुसार)	चालू रजिस्टर के आंकड़ों* में वृद्धि की प्रतिशतता
1978	10 1
1979	13.1
1980	13.0
1981	10.1
1982	10.7
1983	11.1

* तत्सम्बन्धी पिछले वर्षों की तुलना में।

(ख) रोजगार कार्यालयों में दर्ज रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या की दर में वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि में उच्च दर जिससे श्रमिक बल में वृद्धि, मजदूरी सम्बन्धी रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों में जागरुकता, रोजगार अवसरों का मांग के अनुरूप न होना, उपलब्ध शैक्षिक योग्यताओं, विशेष रोजगारों की आवश्यकताओं के साथ कौशलों तथा अनुभव का मेल न होना आदि मुख्य कारण हैं।

(ग) 1978-1983 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों (मैट्रिक तथा इससे ऊपर) की संख्या जिनमें से अनिवार्यतः सभी बेरोजगार नहीं हैं। निम्न प्रकार से हैं :—

निम्नलिखित के अंत की स्थिति के अनुसार	लाखों में संख्या
1978	64.5
1979	73.0
1980	81.6
1981	90.2
1982	97.7
1983	108.6 (अ)

अ—अनन्तिम

नामरूप फर्टिलाइजर कम्पलेक्स

590. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास लगभग 16 वर्ष पूर्व 25.26 करोड रु० की लागत से बनाए गए नामरूप फर्टिलाइजर कम्पलेक्स की पहली यूनिट को बन्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है :

(ख) यदि हां, तो इसे बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यूनिट को बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप उर्वरक उत्पाद क्षमता के स्थानापन्न के लिए क्या विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचंद्र रथ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तट दूर तेल विकास के लिए नार्वे तेल उद्योग के साथ संयुक्त उद्यम

591. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तट-दूर तेल विकास के लिए, विशेष रूप से पूर्वी तट पर नार्वे तेल उद्योग के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें किस प्रकार की विदेशी भागीदारी होगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में नार्वे तेल उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अपतटीय तेल विकास, विशेष रूप से, पूर्वी तट से परे तेल के विकास के लिए नार्वेजियन ऑयल इण्डस्ट्री (नार्वे का तेल उद्योग) के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रस्तावित इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड ओशन टैक्नोलॉजी की स्थापना के लिए नार्वे से सहायता मांगी है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

समाचार पत्रों के मालिकों द्वारा पालेकर अवार्ड का क्रियान्वयन

592. **श्री बृजमोहन महंती** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के मालिकों के एक वर्ग द्वारा पत्रकारों के लाभार्थ पालेकर अवार्ड को बिल्कुल भी क्रियान्वित नहीं किया है और अन्य ने अवार्ड को उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अवार्ड के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई नवीनतम समीक्षा का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इसे भाषा तथा भावना के अनुसार क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) से (ङ) पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के आदेशों को कार्यान्वित कराने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासनों की है। 1820 प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में अब तक उनके द्वारा भेजी गई सूचना से पता चलता है कि इनमें से, 235 प्रतिष्ठान बन्द पड़े हैं और 802 प्रतिष्ठानों को ये आदेश लागू नहीं होते। शेष 783 प्रतिष्ठानों में से, 580 प्रतिष्ठानों ने इन आदेशों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया है। 16 प्रतिष्ठान ऐसी मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं, जो अधिकरणों द्वारा सिफारिश की गई मजदूरी से कम नहीं है। 62 प्रतिष्ठानों ने इन आदेशों को आंशिक रूप से कार्यान्वित किया है और 125 प्रतिष्ठानों ने इनको बिल्कुल कार्यान्वित नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को स्वीकृत सिफारिशों को पूर्ण रूपेण लागू कराने और दोषी समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता के बारे में जोर देती आ रही है।

पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए मन्त्रियों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अनेक बैठकें कीं और पत्रकार एसोसिएशनों तथा नियोजक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय स्तर पर श्रमिकों नियोजकों तथा सरकारों के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को सलाह भी दी गई है कि वे राज्य स्तरों पर ऐसी ही त्रिपक्षीय समितियां गठित करें।

विलम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या

593. **श्री बृजमोहन महंती** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1983 तक कुल कितने औद्योगिक विवाद न्याय-निर्णयाधीन थे ;

(ख) औसतन प्रतिमाह कितने औद्योगिक विवाद दायर किए गए और औसतन प्रतिमाह ऐसे कितने विवादों को निपटाया गया ;

(ग) 31 दिसम्बर, 1982 को कुल कितने विवाद न्याय-निर्णयाधीन थे ;

(घ) क्या यह सच है कि विवादों के निपटान होने वाले अत्यधिक विलम्ब के कारण मजदूरों में बेचैनी और उत्पादन की हानि होती है ; और

(ङ) विवादों के शीघ्र निपटान के लिए इस विषय से सम्बन्धित कानून में परिवर्तन सहित विवादों को न्याय निर्णय सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) 5565

(ख) क्रमश: 165 और 453

(ग) 10011

(घ) जी, नहीं।

(ङ) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में औद्योगिक अधिकरणों/न्यायालयों द्वारा औद्योगिक विवाद के निपटान के लिए कतिपय समयावधि निर्धारित की गई है। व्यक्तिगत श्रमिकों के विवादों का अधिक से अधिक तीन महीने के अन्दर निपटान करना पड़ता है। श्रम न्यायालय/अधिकरण को औद्योगिक विवाद निर्देशित करने वाले आदेश में उस अवधि का उल्लेख किया जाएगा, जिसके अन्दर श्रम न्यायालय/अधिकरण अपना पंचाट प्रस्तुत करेंगे।

आई० पी० सी० एल० द्वारा पोलिबुटाडीन रबड़ की कम कीमत पर बिक्री

594. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० बड़ौदा द्वारा एस० बी० आर० रबड़ और प्राकृतिक रबड़ की तुलना में पोलीबुटाडीन रबड़ को कम कीमत पर बिक्री किए जाने के क्या कारण हैं जबकि पोलीबुटाडीन रबड़ का विश्व बाजार मूल्य एस० बी० आर० रबड़ और प्राकृतिक रबड़ के मुकाबले 15% से 30% तक अधिक है ;

(ख) पोलीबुटाडीन रबड़ के स्टाकिस्टों को इतनी कम कीमत पर भी काफी छूट देने के क्या कारण हैं ; और

(ब) क्या ऐसा करने से प्राकृतिक रबड़ के आयात में किसी भी प्रकार से कमी आई है और यदि हां, तो किस सीमा तक कमी आई है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की पोलीबुटाडीन रबड़ (पी० बी० आर०) का बिक्री मूल्य प्राकृतिक रबड़ के औसतन मूल्य से मामूली सा अधिक है लेकिन स्टाइरीनबुटाडीन रबड़ के मूल्य की तुलना में कम है। स्वदेशी बिक्री मूल्य विश्व बाजार मूल्य से भिन्न हो सकता है।

(ख) गैर-टायर क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति डीलरों के माध्यम से की जाती है और कमीशन का भुगतान सामान्य व्यापार पद्धति के अनुसार किया जाता है।

(ग) इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड से पी० बी० आर० की उपलब्धता ने प्राकृतिक रबड़ के आयात को अप्रत्यक्ष रूप से कम कर दिया है।

वर्ष 1980 से 1983 के दौरान कोयले के मूल्य में वृद्धि

595. **श्री के० ए० राजन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1983 के दौरान कितनी बार कोयले के मूल्य में वृद्धि की गई ;

(ख) प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई ;

(ग) कोल इण्डिया तथा उसकी सहायक कम्पनियों को पिछले त्रिपक्षीय समझोते के अनुसार बढ़ी हुई मजूरी के परिणामस्वरूप श्रमिकों को कितनी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा।

(घ) क्या पहले, अर्थात हाल के समझोते से पूर्व श्रमिकों की मजूरी बढ़ाई गई थी ;

(ङ) मजूरी में वृद्धि के बाद (हाल की वृद्धि से पूर्व की वृद्धि) से उत्तरोत्तर मूल्यवृद्धि के फलस्वरूप कोल इण्डिया और इसकी सहायक कम्पनियों को कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई है ; और

(च) गत दिसम्बर, 1983 में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप कोल इण्डिया और उसकी सहायक कम्पनियों को कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1980 से 1983 तक कोयले की औसत खान-मुहाना कीमतों में निम्नलिखित संशोधन किए गए :—

संशोधन की तारीख	को० इ० लि० और सिं० को० कं० लि० द्वारा उत्पादित कोयले के संबंध में कोयले की प्रतिटन औसत खान-मुहाना कीमतें	
	को० इ० लि०	सिं० को० कं० लि०
14-2-1981	रु० 128.02	रु० 136.85
27-5.1982	रु० 145.90	रु० 154.75

(ग) कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझोता III के कारण मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप प्रतिवर्ष रु० 200 करोड़ की अतिरिक्त राशि कामगारों को देनी होगी।

(घ) हाल ही में हुए समझोते के पहले कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों में रा० को० म० स०—II के अनुसार 1-1-1979 से कामगारों की मजदूरी बढ़ाई गई थी।

(ङ) दिनांक 1-1-1979 के बाद कोयले की कीमतों में संशोधन के कारण कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों को मिला अतिरिक्त राजस्व निम्नलिखित है :—

तारीख जिससे कीमत संशोधित	को० इ० लि० और उसकी सहायक कम्पनियों को अतिरिक्त राजस्व			
	1979-80 में	1980-81 में	1981-82 में	1982-83 में
17.7-1979	244.67	365.09	395.39	426.58
14-2-1981	—	21.79	272.46	293.95
27-5-1982	—	—	—	168.89

(च) कोयले की कीमतों में आखिरी संशोधन 8-1-1984 से लागू है और कोयला कीमतों के संशोधन के कारण को० इ० लि० और उसकी सहायक कम्पनियों को वर्ष 1983-84 के दौरान रु० 127.54 करोड़ अतिरिक्त धन प्राप्त होने का अनुमान है।

निर्वाचन संबंधी सुधार

596. **श्री ए० के० राजन :**

श्री अजय विश्वास :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के प्रस्तावों पर कोई विनिश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या विनिश्चिय किया गया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने संविधान में ऐसे संशोधन के प्रस्ताव के बारे में विनिश्चय कर लिया है जिससे कि, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोक सभा और विभिन्न राज्य विधान सभाओं को आबंटित किए गए कुल स्थान अपरिवर्तित रखकर, प्रत्येक दसवर्षीय जनगणना के पश्चात प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन की मूल स्थिति प्रत्यावर्तित कर दी जाए। फिलहाल इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही न करने का विनिश्चय पहले ही लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 213, तारीख 15 नवम्बर, 1983 के उत्तर में बताया जा चुका है। आयोग के अन्य सभी प्रस्तावों पर अभी विनिश्चय किया जाना है।

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड

597. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में प्रचलित अनेक अनुचित प्रथाओं की जांच की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध निम्नलिखित अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के आरोपों पर 28-12-83 को जांच गठित की है :—

(1) कम्पनी द्वारा विनिर्मित, जिसकी मांग है, के साथ साबुन और साफ करने वाले द्रव्यों की बंधी बिक्री,

(2) पुनर्वितरण स्टाकिस्टों पर क्षेत्रीय बंधन

(3) पुनर्बिक्री मूल्य रखना

(4) व्यापार और आपूर्ति से इन्कार करना

(5) विक्रेताओं से ब्याजमुक्त और विभेदपूर्ण सावधिक जमाओं/अग्रिम राशियां प्राप्त करना

(6) विक्रेताओं के साथ विभेदपूर्ण व्यवहार

(ख) जांच अभी प्रारम्भिक चरणों पर है।

दूरदर्शन कार्यक्रम में सुधार

598. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन द्वारा विदेशों से ऐसे पुराने सस्ते कार्यक्रम मंगाए जा रहे हैं जिनका भारतीय सामाजिक झांकी या संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं होता और इस प्रकार स्थानीय तथा ऐतिहासिक कार्यक्रमों की उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दूरदर्शन के कुल समय का 4 प्रतिशत समय विदेशी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार हमारे देश में बड़ी सरलता से उपलब्ध कार्यक्रमों का उपयोग करने का प्रयास नहीं कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में दूरदर्शन केन्द्रों या गिल्ड आफ इण्डिया के विचार मांगेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं विदेशों में केवल अच्छे शैक्षणिक सूचनात्मक और मनोरंजन कार्यक्रमों को ही टेलीकास्ट करने के लिए चुना जाता है। दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले विदेशी कार्यक्रमों की प्रतिशतता कुल दूरदर्शन समयावधि का केवल लगभग 4 प्रतिशत है।

(ग) जी, नहीं। दूरदर्शन का नई प्रतिभाओं को खोजने का सतत प्रयत्न रहता है।

(घ) दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम-सम्बन्धी योजना के बारे में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सरकार ने प्रख्यात व्यक्तियों/संचारकों का एक कार्यदल पहले ही नियुक्ति कर दिया है। कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आगे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उस पर विचार किया जाएगा। कहीं से भी प्राप्त विचारों और सुझावों का स्वागत किया जाता है तथा उन पर विधिवत् विचार किया जाता है।

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरा जाना

599. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में पदों के विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित श्रेणी एक से श्रेणी चार तक की रिक्तियों को भरे जाने का कार्य बकाया पड़ा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए इन रिक्तियों को भरे जाने के कोई उपाय किए गए हैं ; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया पड़ी रिक्तियों को कब तक भर दिया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धरम वीर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन को मेज पर यथा समय रख दी जाएगी ।

विधि मंत्रालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना

600. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वर्ग-1 से वर्ग-4 तक के विभिन्न प्रवर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में कोई पिछला बकाया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए कोई प्रयास किए हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों के पिछले बकाया को कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां, इस मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वर्ग-1 से वर्ग-4 तक के विभिन्न प्रवर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में कुछ पिछला बकाया है और इसका कारण है इन पदों को भरने से लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना है ।

(ख) जी हां । आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में सरकार के अनुदेशों के अनुसार आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए गए हैं ।

(ग) कोई समय सीमा बताना सम्भव नहीं है ।

आगामी निर्वाचनों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाना

601. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री चिंतामणि जैना :

श्री सतीश अग्रवाल :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने आगामी निर्वाचनों के दौरान देश में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत निर्वाचन आयोग, पर्याप्त संख्या में मशीनों और उनके लिए अपेक्षित धन उपलब्ध होने पर, लोक सभा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के भविष्य में होने वाले सुविधाजनक उपनिर्वाचनों में मशीनों का प्रयोग किए जाने के बहुत अधिक पक्ष में हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सदर बाजार दिल्ली के मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना

602. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री सतीश अग्रवाल :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा निर्वाचनों में दिल्ली के सदर बाजार निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने का प्रस्ताव, जो निर्वाचन आयोग के विचाराधीन था, त्याग दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल और गैस का पता लगाने के लिए 1983 के दौरान किया गया सर्वेक्षण

603. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, तथा खास तौर पर उड़ीसा में, तेल और गैस का पता लगाने के लिए वर्ष 1983 के दौरान किये गये सर्वेक्षण का क्या ब्यौरा है ; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1983 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किये गये अन्वेशी सर्वेक्षणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

भू-कम्पीय सर्वेक्षण

(i) तट पर	—	3155.28 लाईन किलोमीटर
(ii) अवतटीय	—	15816.20 लाईन किलोमीटर

इनमें से, 1963.32 लाईन किलो मीटर (तटीय) 4451.20 लाईन किलो मीटर अपतटीय उत्तर पूर्व समुद्र तट (उड़ीसा समुद्र तट से दूर) पर उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में थे।

गुरुत्व चुम्बकीय

तट पर	—	मापे गए स्टेशन	—	5067
	—	दुबारा मापे गए	—	903

भू-वैज्ञानिक

तट पर	—	लगभग 5657 वर्ग कि० मी० के समतुल्य अर्ध-विस्तृत मानचित्र

(ख) इन अन्वेषी सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप प्राप्त आंकड़ों का अभी अध्ययन/संसाधन किया जा रहा है तथा आंकड़ों के संसाधन तथा उनकी व्याख्या के पश्चात ही परिणामों का पता चलेगा।

दूरदर्शन के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पुरस्कार

6९4. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के लिए कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार निर्धारित किए गये हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ये पुरस्कार किन-किन व्यक्तियों को प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इन पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दूरदर्शन पुरस्कार कार्यक्रम की 6 विधाओं के लिए दिए जाते हैं। जबकि दूरदर्शन डाकुमेंट्री के लिए जानकी नाथ गौड़ पुरस्कार नामक एक पुरस्कार वर्ष 197९ से प्रारम्भ किया गया था, शेष 5 पुरस्कार अर्थात बाल कार्यक्रमों, नाट्य कार्यक्रमों, संगीत व नृत्य कार्यक्रमों, ग्रामीण कार्यक्रमों तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए

1983 में ही प्रारंभ किए गये हैं।

(ख) ब्यौरा परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7765/84]

(ग) पुरस्कारों के वितरण को विनियमित करने वाले नियम परिशिष्ट-2 में दिये गए हैं।

उच्च न्यायालयों में 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित मामले

605. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उच्च न्यायालयों में कुछ मामले पिछले 20 से 30 वर्षों से निपटाने के लिए लम्बित हैं ; और

(ख) यदि, हां, तो ऐसे लम्बित मामले कितने हैं और उनको शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा भेजी गई जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है। इस समय सरकार पिछले 20 से 30 वर्ष से लम्बित मामलों और अन्य लम्बित मामलों के बीच अन्तर करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। किन्तु सरकार बकाया मामलों की समस्या पर निरन्तर ध्यान दे रही है। लम्बित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवररण-II में दिए गये हैं।

विवरण-I

उच्च न्यायालय का नाम	31-12-83 को लम्बित मामलों की संख्या
1. इलाहाबाद	उपलब्ध नहीं है
2. आंध्र प्रदेश	कोई नहीं
3. बम्बई	उपलब्ध नहीं हैं
4. कलकत्ता	उपलब्ध नहीं है
5. दिल्ली	कोई नहीं
6. गौहाटी	उपलब्ध नहीं है
7. गुजरात	1
8. हिमाचल प्रदेश	10

9. जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं है
10. कर्नाटक	उपलब्ध नहीं है
11. केरल	कोई नहीं
12. मध्य प्रदेश	1
13. मद्रास	उपलब्ध नहीं है
14. उड़ीसा	कोई नहीं
15. पटना	15
16. पंजाब और हरियाणा	कोई नहीं
17. राजस्थान	कोई नहीं
18. सिक्किम	कोई नहीं

विवरण-II

उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को कम करने के लिए उठाए गये कदम

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 क)

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1978 और 1980 में संशोधन किया गया।

(3) उच्च न्यायालयों की स्वीकृति संख्या मार्च, 1977 में 351 से बढ़ाकर फरवरी, 1984 में 421 कर दी गई।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को जिनमें, एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जा रहा है ;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना ;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना ;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(5) सरकार ने भी उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, मुख्य मन्त्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

(6) सरकार ने देश में न्याय प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्यों से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्च में कमी करने के लिए ;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करें ;

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए ;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(7) विधि आयोग की 79वी रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा कर ली है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए वे संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(8) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्याय-मूर्तियों की एक अप्ररूपिक समिति गठित है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा तपेदिक रोधी रिफाम्पिसिन दवाई की भरमार

606. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश में तपेदिक रोधी दवाई रिफाम्पिसिन की भरमार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या निवारक कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि तकनीकी जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी आई०डी०पी०एल० पिछले कई वर्षों से हुए राष्ट्रीय कम्पनियों से सांठगांठ करके इलौक्टाइसिन का उत्पादन कच्चे माल से न करके अन्तवर्ती औषधियों से कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार इस ओर इसी प्रकार की अन्य धांधलियों की जांच करने के आदेश देगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) तपेदिक निवारक औषध रिफम्पिसिन को देश में स्टाक जमा करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा समय-समय पर अपनी अपेक्षाओं के आधार पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रिफम्पिसिन का आयात करने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) आई०डी०पी०एल० इलौक्टाइसिन का उत्पादन नहीं कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका की फर्म से सेमी-सबमर्जीबल वार्जे किराये पर लेना

607. **श्री वी० धी० देसाई :**

श्री एम० एस० लारेंस :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की एक फर्म से सेमी सबमर्जीबल वार्जे किराये पर लेने से, जो बाद में अनावश्यक सिद्ध हुई तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पर 13.68 करोड़ रुपये का बेकार का खर्चा पड़ गया ;

(ख) यदि हां, तो अमरीका की फर्म से उक्त वार्ज के अनुपयोगी रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस बारे में कोई जांच की है कि यह वार्ज कैसे

प्राप्त की गई और इसका समुचित उपयोग क्यों नहीं हो पाया ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मैक्सिको की एक फर्म के साथ कच्चे तेल की सप्लाई के ठेके के कारण भारतीय तेल निगम को घाटा

608. **श्री वी०वी०देसाई :**

श्री बी०डी० सिंह :

श्री रशीद मसूद :

श्री निहाल सिंह :

श्री सुशील भट्टाचार्य :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैक्सिको की एक फर्म के साथ कच्चे तेल की सप्लाई के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा किए गए एक ठेके को गलत ढंग से हाथों में लेने के कारण निगम को 37.37 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो घाटे के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे घाटे न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) और (ख) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने जिसके अध्यक्ष, सचिव (पेट्रोलियम) थे, 1.5 मि०मी० टन मेक्सिकन क्रूड के आयात के लिए 5 नवम्बर, 1980 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। समझौता किये जाने के समय सप्लायरों ने अनौपचारिक तौर पर इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि 26 जनवरी, 1981 को भारत में गणतन्त्र दिवस समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति की प्रस्तावित यात्रा के कारण, कच्चे तेल का जहाज में पहला लदान दिसम्बर, 1980 के दौरान किया जायेगा जिससे वह गणतन्त्र दिवस से पहले भारत में पहुंच जाये। भारतीय प्रतिनिधियों को सप्लायरों द्वारा मौखिक आश्वासन दिये जाने पर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने 11-12-1980 तथा 14-12-1980 के बीच 150000 मी० टन कच्चे तेल का लदान करने के लिए 1-12-1980 को चार्टर आधार पर टैंकर "पेलिनसिया" को मनोनीत किया था। परन्तु सप्लायरों ने प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को, जिसका नेतृत्व सचिव ने किया था, दिये गये मौखिक आश्वासन का सम्मान नहीं किया तथा उन्होंने किये गये मनोनयन को स्वीकार नहीं किया। इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने सप्लायरों अर्थात् पीमेक्स से सम्पर्क स्थापित करने

के अथक प्रयास किये, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली ।

इन परिस्थितियों में जलपोत को मैक्सिको में बन्दरगाह पर 7-1-1981 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी तथा विलम्ब शुल्क (डिमरिज) देना पड़ा था ।

(ग) इन परिस्थितियों में जहां जलपोत का मनोवयन सद्भावना के आधार पर किया गया था, किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।

(घ) जहाजों को मनोनीत करने से पूर्व अब समुचित वचनबद्धता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है ।

ओबरा ताप बिजली घर को दिसम्बर, 1983 में पुनः क्षति पहुंचना

610. **श्री बी० वी० देसाई :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री दौलत राम सारण :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री मोहनलाल पटेल :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिर्जापुर जिले के वाराणसी संभाग में स्थित ओबरा ताप बिजली घर को, जिसमें आग लगने से काफी नुकसान हुआ था, दिसम्बर, 1983 में पुनः भारी क्षति पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत कुछ महीनों के दौरान यह इस प्रकार की दूसरी घटना थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संयंत्र में पहली बार लगी आग के बारे में की गई जांच से तोड़ फोड़ का मामला होने का पता चला है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि दूसरी घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि संयंत्र को नष्ट करने के लिए कोई तत्व कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) ओबरा ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट संख्या 12 में 15 दिसम्बर, 1983 को थोड़ी सी आग लगने की घटना हुई थी जिसमें लगभग 6 मीटर लम्बी केबिलें क्षतिग्रस्त हुई थीं । इनको बदल दिया गया था और यूनिट को अगले दिन दुबारा चालू कर दिया गया था। 30-10-83 को लगी भयानक आग के कारणों की जांच करने के लिए तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच समिति

द्वारा विस्तृत अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकार को अभी प्रस्तुत की जानी है। तथापि, समिति द्वारा राज्य सरकार को एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार और उ०प्र० राज्य बिजली बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिष्ठानों में अभिकल्प सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों का पुनर्गठन करने और वृद्धि करने के लिए तथा विद्युत केन्द्रों के अच्छे रख-रखाव के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। राज्य सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच का कार्य सी० बी० आई० को सौंपा गया है और क्या 30-10-83 को लगी आग तोड़-फोड़ का कारण थी और क्या कुछ तत्वों द्वारा संयंत्र को नष्ट करना था। इसका पता केवल बाद में ही लग सकेगा।

असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की सेवा की शर्तें नियमित करना

611. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माण लघु उद्योग, छोटे होटलों और दुकानों आदि जैसे असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनकी सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इन श्रमिकों में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ग) 1981 जनगणना के आधार पर असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के श्रमिकों की संख्या सम्बन्धी सांख्यिकीय आंकड़े अभी उपबन्ध नहीं हैं। निर्माण उद्योग में श्रमिकों की संख्या लगभग 22.2 लाख है।

(ख) निर्माण उद्योग में श्रमिकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त विधान बनाने का प्रस्ताव है। लघु उद्योगों, छोटे-मोटे होटलों तथा दुकानों में नियोजित श्रमिकों की सेवा शर्तें पहले ही विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियमों के अधीन नियमित की गई हैं।

देश में मैडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स की मांगों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति की सिफारिशें

612. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में मैडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स की मांगों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय त्रिपक्षी बैठक के बाद चार राज्य सरकारों के श्रम सचिवों तथा केन्द्रीय सरकार के उप-मुख्य श्रम आयुक्त को मिलाकर दिसम्बर, 1981 में एक समिति का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति की सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त समिति की सिफारिशें कब तक सरकार को प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

लघु उद्योगों में कार्य स्थिति

613. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्लेट प्लेनेट के खनन और स्लेट पेन्सिलों के निर्माण उत्पादन ; सिक्कासी में पटाखे आदि बनाने वाले एकक ; माचिस बनाने वाले उद्योग तथा बीड़ी उद्योग जैसे कुछ लघु उद्योगों में जहां श्रमिक बहुत ही अस्वस्थ्यकर हालतों में कार्य करते हैं और जिससे उन्हें अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियां हो सकती हैं, कार्य करने की स्थितियों की कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार कोई उपचारात्मक उपाय करने का है जिससे कि श्रमिकों को अस्वास्थ्यकर और अमानवीय कार्य स्थितियों से बचाया जा सके तथा इस प्रकार उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कारखाना अधिनियम, 1948 में, जिसे राज्य सरकारें लागू करती हैं, श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपबन्ध हैं। राज्य सरकारों ने भी कुछ संक्रियाओं को खतरनाक अधिसूचित किया है। निम्नलिखित विशिष्ट उपाय भी किए गए हैं :

(i) उन भारी जोखिमों को, जिनका मंदसौर में स्लेट पेन्सिल निर्माण करने वाली यूनिटों में श्रमिकों को सामना करना पड़ता है और उनके बीच सिलीकोसिर की घटनाओं को नोट करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने इन सभी यूनिटों को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85(1) के अधीन "कारखाने" के रूप में अधिसूचित किया है और उसकी धारा 14 के उपबन्धों को लागू करने के लिए कार्यवाही की है जिसके अंतर्गत कार्य पर्यावरण में संक्रियाओं से धूल पर नियन्त्रण अपेक्षित है।

(ii) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सम्बन्धित श्रमिकों की डाक्टरी जांच के लिए चिकित्सा बोर्ड गठित किया है और श्रमिकों में सिलीकोसिस के स्वरूप, कारण तथा रोकथाम से सम्बन्धित प्रचार को बढ़ावा दिया है। नियोजकों को भी सलाह दी गई है कि वे धूल नियन्त्रण और कार्य पर्यावरण, जोकि व्यावसायिक बीमारी का मुख्य कारण है, के लिए तत्काल उचित उपाय करे।

(iii) गृह मन्त्रालय ने निरीक्षणों में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश भी

जारी किए हैं ताकि अनधिकृत निर्माण, भण्डार और पटाखों तथा आतिशबाजी की बिक्री को कम किया जा सके और दुर्घटनाओं तथा सम्पत्ति की हानि को रोकने के लिए खतरनाक पटाखों की बिक्री तथा उनके प्रयोग पर रोक भी लगाई जा सके।

बैंकों के ऋण लेने के लिए भविष्य निधि भुगतान प्रमाणपत्र (प्रोविडेंट फण्ड क्लियरियेंस सर्टिफिकेट) दिया जाना

614. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारियों द्वारा बैंकों के ऋण लेने के लिए भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों को दुरुपयोग को रोकने हेतु भविष्य निधि भुगतान प्रमाण-पत्र जारी करके कड़े दण्डनीय उपाय लागू करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) बैंक से ऋण लेने हेतु भविष्य निधि जमा करने सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पद्धति शुरू करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी उपाय से बैंकों द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी में दोषों को रोकने के लिए वैकल्पिक उपाय निकालने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

न्यायालय फीस को युक्तिसंगत बनाना

615. **श्री के० प्रधानी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने न्यायालय फीस को मुकदमा लड़ने वालों की संदाय सामर्थ्य के आधार पर युक्तिसंगत बनाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इसकी सूचना दे दी गई है और उन्हें न्यायालय फीस के संदाय सम्बन्धी उनके वर्तमान आदेशों में संशोधन करने के लिए कहा गया है ;

(घ) क्या वकीलों की फीस नियमित करने के लिए उन्होंने कोई कदम उठाए है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) मुकदमों में विलम्ब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि विलम्ब से न केवल खर्चा बढ़ता है बल्कि इससे भारी क्षोभ होता है और कभी-कभी न्याय भी नहीं हो पाता ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) विधि मन्त्रियों के सम्मेलन ने, जो 1982 में आयोजित किया गया था, न्यायालय फीस को युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए विधि मन्त्रियों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने हाल ही में अपना

विचार-विमर्श पूरा कर लिया है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और विधि मन्त्रियों के अगले सम्मेलन के समक्ष रखी जाएगी। विधि मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें विनिश्चय के लिए सरकार के समक्ष रखी जाएंगी।

इस समय यह बताना समयानुकूल नहीं होगा कि सरकार का विनिश्चय क्या होगा।

(घ) ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

(ङ) न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विलंब को कम करने के लिए उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 तक)

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अधिनियमित की गई।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं हैं।

(4) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 से बढ़ाकर फरवरी, 1984 में 421 कर दी गई।

(5) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चेंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

(6) उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाए किए हैं :—

(i) कुछ मामलों की पूर्विकता दी जाती है।

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा

जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बेंच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है कि ऐसे गुणों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और उसमें यह उपबन्ध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः कुछ दिनों से इस न्यायालय ने जहां कहीं भी संभव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरंभ कर दिया है, परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथपत्र और प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर देते हैं।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों की जिनमें, एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है ;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना ;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आबश्यकता को समाप्त करना ;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्यवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(8) सरकार ने भी उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लंबित हैं, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

(9) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10 वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से :—

(i) इस आधार भूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कि विनिश्चय

न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए ;

(ii) तकनीकी बारीकियों और बिलम्बकारी मुक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में कार्य करे ;

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए ; न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके ।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

(10) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्याय-मूर्तियों की एक अप्ररुधिक समिति गठित की है ।

(11) विधि आयोग की 79 वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों और अन्य अपील न्यायालयों में बिलम्ब को और बकाया मामलों को कम करने के लिए, और 77वीं, रिपोर्ट में विचारण न्यायालयों में विलंब को और बकाया मामलों को कम करने के लिए अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा कर ली गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए वे, संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ।

(12) राज्य सरकारों को, नए न्यायालय स्थापित करने के प्रयोजन के लिए 7वें वित्त आयोग द्वारा आम्बटित धन की सहायता से, नए अधीनस्थ न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

616. **श्री चित्त वसु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत तेल विशेषज्ञों ने हाल ही में टिप्पणी की है कि भारत तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में उपलब्ध समूचे तेल को शोधित करने की पर्याप्त क्षमता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रूसी विशेषज्ञों के विचारों को ध्यान में रखते हुए शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार को ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

उच्चतम न्यायालय की कुछ और सर्किट न्यायपीठों की स्थापना

617. **श्री चित्त बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय की कुछ और सर्किट न्यायपीठें स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में उपबन्ध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे।" इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की जांच

618. **श्री चित्त बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्य संख्या की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो सदस्य संख्या किस पद्धति के आधार पर निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या कुछ ट्रेड यूनियनों ने जांच प्रणाली को अस्वीकार किया है और प्रणाली में संशोधन की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) वर्ष 1980 के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से सम्बन्धित ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या का सत्यापन कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

(ख) 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या के सत्यापन के लिए अपनाई जाने बाली प्रक्रिया सरकार द्वारा तैयार की गई थी और इसे उनके पत्र संख्या एल-6001 (3)/81-एल० सी० तारीख 6 अक्तूबर, 1081 द्वारा केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के बीच परिचालित किया गया था।

(ग) ए० आई० टी० यू० सी० तथा सी० आई० टी० यू० ने सत्यापन प्रक्रिया का बहिष्कार किया और उन्होंने इस प्रणाली में संशोधन किए जाने की मांग की। तथापि, कुछ अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने भाग लेते समय सत्यापन प्रणाली में संशोधन किए जाने की भी मांग की।

(घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि वह प्रक्रिया चालू रहेगी जो भारत सरकार के पत्र तारीख 6 अक्तूबर, 1981 में दी गई थी।

इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग

619. **श्री चित्त बसु** : क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 दिसम्बर, 1983 को निर्वाचन आयोग को सभी दलों द्वारा की गई इस आशय की सिफारिश के अनुसरण में निर्वाचन आयोग ने सम्पूर्ण देश में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ग) जैसा कि लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1371, ताखीख 22-11-83 के उत्तर में बताया जा चुका है, सम्पूर्ण देश के लिए अतिरिक्त इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें खरीदने के निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार करना सरकार के लिए सम्भव नहीं हो पाया है। निर्वाचन आयोग ने दिसम्बर, 1983 में राजनैतिक दलों के साथ हुई अपनी बैठक के अनुसरण में इस विषय पर पुनः विचार करने के लिए कहा था और आयोग ने पुनः विचार किए जाने के अपने अनुरोध को दोहराया है। इस पर सरकार विचार कर रही है।

बदरपुर ताप बिजली घर को "डेसू" को सौंपना और मुरादनगर ताप बिजली घर का चालू किया जाना

621. **श्री के० लक्कप्पा :**

श्री धर्मवास शास्त्री :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान राजधानी में बिजली की भावी मांग पूरी करने हेतु बदरपुर ताप बिजलीघर को उसे सौंपने और मुरादनगर ताप बिजलीघर के निर्माण कार्य को तेज करने और उसे शीघ्र चालू करने के लिए सरकार से बार-बार अनुरोध करता रहा ;

(ख) यदि हां, तो इन बिजली घरों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) यद्यपि दिल्ली नगर

नियम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के अन्तरण के लिए अनुरोध कर रहे हैं तथा इसे अन्तरण करना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक क्षेत्रीय विद्युत केन्द्र है। मुरादनगर में राष्ट्रीय ताप विद्युत द्वारा स्थापित की जाने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निवेश निर्णय निधियों के स्रोतों की व्यवस्था किए जाने के बाद ही लिया जा सकता है।

दिल्ली में बिजली की चोरी

622. **श्री के० लकप्पा :**

श्री धर्मदास शास्त्री :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राजधानी में बिजली की चोरी के कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कई उद्योगों और व्यापारियों को चोरी की बिजली देने में "डेसू" के कुछ कर्मचारियों का हाथ है ; और

(ग) राजधानी में बिजली की चोरी रोकने और "डेसू" के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार का विचार क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दि० वि० प्र० संस्थान के अनुसार 1-4-1983 से 18-2-1984 तक की अवधि के दौरान विद्युत की चोरी के 30 मामले पकड़े गए।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने उपरोक्त मामलों में अपने किसी भी कर्मचारी को शामिल नहीं पाया।

(ग) विद्युत की चोरी के ऐसे मामलों को रोकने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उपभोक्ता प्रतिष्ठापनों पर उनके एनफोर्समेंट ब्रांच द्वारा छापे मार कर निरन्तर नजर रखी जाती है। विद्युत की चोरी के पकड़े गए मामलों की सूचना चूक कर्त्ताओं के विरुद्ध मामले दर्ज कराने के लिए पुलिस को दी जाती है।

ऊर्जा परामर्शदात्री बोर्ड की सिफारिशें

623. **श्री के० लकप्पा :**

श्री मोहम्मद असरार अहमद :

श्री के० मालन्ना :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा परामर्शदात्री बोर्ड ने सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या परामर्शदात्री बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में देश में बिजली परियोजनाओं के लिए देय धनराशि को नियमित करने के लिए एक ऊर्जा वित्त निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां । ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड ने प्रधान मन्त्री को अभी तक दो सैट में सिफारिशें दी हैं। सिफारिशें दर्शाने वाला एक विवरण शीघ्र ही सभा पटल पर रखा जाएगा।

(ग) ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड ने एक विद्युत वित्त निगम के गठन किए जाने की सिफारिश की है । सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबन्धों का क्रियान्वयन

624. **श्री के० लकप्पा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबन्धों को लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो रोजगार के लिए विदेशों विशेष कर खाड़ी देशों को जाने के इच्छुक श्रमिकों की सहायता करने और इस मामले में लाभ कमाने वाली प्राइवेट एजेन्सियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1983 के उत्प्रवास अधिनियम को इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ 30-12-1983 को लागू किया गया था।

(ख) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विदेश जाने वाले श्रमिक के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है। भर्त्ती एजेन्ट किसी उत्प्रवासी को दी गई अपनी सेवाओं के लिए उससे अधिकतम राशि 1500 रु० तक ही वसूल कर सकता है।

राजधानी में और टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना

625. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जनवरी, 1984 के दैनिक हिन्दुस्तान में 1.65 लाख न्यू टेलीफोन कनैक्शन इन दि कैपिटल से प्रकाशित समाचार कहां तक सच है ;

(ख) ये कनैक्शन कब तक दिए जाएंगे ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जिस समाचार का हवाला दिया

गया है वह दिल्ली टेलीफोन नेट वर्क में अगले तीन वर्षों के दौरान संस्थापित किए जाने वाले नए उपकरणों के बारे में है, और इसमें नए टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या नहीं दी गई है।

(ख) उपरोक्त क्षमता के परिणामस्वरूप लाइनों में जो वृद्धि होगी अगले तीन वर्षों के दौरान नए कनैक्शन दिए जाएंगे।

(ग) संस्थापित की जाने वाली 1.65 लाख लाइनों में से 24,000 लाइनों को पुराने तथा जीर्ण-शीर्ण उपकरणों के स्थान पर संस्थापित किया जाएगा। शेष उपकरणों का प्रयोग अनुमानतः 1.2 लाख लाइनों के नए टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

पं० जवाहर लाल नेहरू के बारे में फिल्म

626. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्र नायक पं० जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक फिल्म बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यह फिल्म कब तक पूरी हो जाएगी और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म कच्ची प्रति (रफ कट) की अवस्था में है।

(ग) फिल्म अगस्त, 1984 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

औषधियों को 27 मदों के आयात पर रोक की मांग

627. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि औषध उत्पादनकर्ताओं ने 27 औषधियों के आयात पर रोक लगाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की मांग के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ) 27 औषध मदों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग करते हुए औषध निर्माताओं से इस मन्त्रालय को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, निर्माताओं से पृथक-पृथक मदों की नीति में परिवर्तन के सम्बन्ध में अलग-अलग समय पर पत्र प्राप्त हुए हैं। ऐसे पत्रों की जांच औषधों की मांग, स्वदेशी उत्पादन, विगत में किए गए आयात की मात्रा स्वदेशी और आयातित सामग्री के मूल्यों, वास्तविक उत्पादकों की संख्या इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर की जाती है। मूल्य नियंत्रक, आयात और निर्यात के कार्यालय को आयुक्त सिफारिशें की जाती हैं और अन्तिम निर्णय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं।

हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

628. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के 250 जाने माने पत्रकारों ने हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में किए जा रहे आन्दोलन का अभी हाल में समर्थन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्तव्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार, प्रबन्धतंत्र के साथ पहली फरवरी, 1984 को समझौता हो जाने के पश्चात्, हिन्दुस्तान समाचार कर्मचारी यूनियन ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया।

बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र

629. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना तथा बिहार के अन्य स्थानों से अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन दैनिक समाचार पत्रों का भाषा वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। 31-12-1984 के दिन की स्थिति के अनुसार, पटना तथा बिहार के अन्य स्थानों से अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिकों, द्विसाप्ताहिकों और साप्ताहिकों, इत्यादि सहित समाचार पत्रों की संख्या 630 है। (विवरण-I)

(ख) पटना तथा बिहार के अन्य स्थानों से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्रों का भाषा-वार ब्यौरा विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

31-12-1982 के दिन की स्थिति के अनुसार बिहार से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू के समाचार पत्रों की संख्या।			31-12-1982 के दिन की स्थिति के अनुसार पटना से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू के समाचार पत्रों की संख्या।		
अंग्रेजी	:	68	अंग्रेजी	:	33
हिन्दी	:	475	हिन्दी	:	182
उर्दू	:	87	उर्दू	:	64
		630			279
दैनिक					
अंग्रेजी	:	4	अंग्रेजी	:	3
हिन्दी	:	32	हिन्दी	:	16
उर्दू	:	17	उर्दू	:	17
		53			36

विवरण-II

31 दिसम्बर, 1982 के दिन की स्थिति के अनुसार पटना से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों की भाषा-वार सूची

अंग्रेजी

1. इण्डियन नेशन
2. सर्च लाईट
3. पाटलीपुत्र, टाइम्स

हिन्दी

1. आत्मकथा

2. आज
3. आर्यावर्त
4. भारत मेल
5. बिहार स्वर
6. बेरोजगार
7. दश दिशा
8. जन शक्ति
9. जनरव
10. लोक आस्था
11. मृगेश सन्देश
12. पाटलीपुत्र
13. प्रदीप
14. विश्व बन्धु
15. वित्तीकी
16. युवक धारा

उर्दू

1. अजीमाबाद एक्सप्रेस
2. देश विदेश
3. हमारा नारा
4. इण्डियन (दि)
5. इतीहाद-ए-वतन (दि)
6. लीग
7. नवाइद सुबह
8. पेगाम-ए-नेहरू
9. पैगाम-ए-संजय
10. कौमी आवाज़

11. कौमी तंजीम
12. राहरौ डेली
13. सदा-ए-आम
14. सदाकत
15. संगम
16. साथी
17. ताउस

विवरण-III

31-12-1982 के दिन की स्थिति के अनुसार बिहार से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्रों की भाषा-वार सूची

अंग्रेजी

1. डेली प्रेस, रांची
2. इण्डियन नेशन, पटना
3. सर्च लाइट, पटना
4. पाटलीपुत्र टाइम्स, पटना।

हिन्दी

1. आत्मकथा, पटना
2. आज, पटना
3. आजकल का विश्वास, सीवान
4. अमृत वर्षा, धनबाद
5. अंग भूमि आवाज, भागलपुर
6. अपना-अपना विश्वास, सीवान
7. आर्यावर्त, पटना
8. आवाज, धनबाद
9. बेगुसराय टाइम्स, बेगुसराय
10. भारत मेल, पटना

11. बिहार की चुनौती, मुजफ्फरपुर
12. बिहार शाखा, मुजफ्फरपुर
13. बिहार स्वर, पटना
14. बेरोजगार, पटना
15. दश दिशा, पटना
16. जन शक्ति, पटना
17. जनरव, पटना
18. लोक आस्था, पटना
19. मुजफ्फरपुर गौरव, मुजफ्फरपुर
20. मृगेश सन्देश, पटना
21. मुजफ्फरपुर संवाद, मुजफ्फरपुर
22. पाटलीपुत्र मेल, पटना
23. प्रदीप, पटना
24. प्रातः कमल, मुजफ्फरपुर
25. प्रातः वायु, मुजफ्फरपुर
26. रांची एक्सप्रेस; रांची
27. राष्ट्रधारा, बिहार शरीफ
28. शेर-ए-संवाद, मुजफ्फरपुर
29. उदित वाणी, जमशेदपुर
30. विश्व बन्धु, पटना
31. वित्तीकी, पटना
32. युवकधारा, पटना

उर्दू

परिशिष्ट-2 में दिए अनुसार।

बिहार में पालेकर अवार्ड कार्यान्वयन

630. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पटना तथा अन्य स्थानों में अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू के कई समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे हैं ;

(ख) इनमें से कितने समाचार पत्रों ने पालेकर अवार्ड को कार्यान्वित किया है और इसे किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ;

(ग) उन समाचार पत्रों का क्या ब्यौरा है जिन्होंने इसे कार्यान्वित नहीं किया है ; और

(घ) इन समाचार पत्रों द्वारा उक्त अवार्ड को कार्यान्वित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : एक विवरण सलग्न है।

विवरण

बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 26 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से, 9 प्रतिष्ठानों ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों सम्बन्धी (पालेकर) अधिकरणों की सिफारिशों को पूणतः लागू कर दिया है। निम्नलिखित 13 प्रतिष्ठानों ने सिफारिशों को अंशतः और 4 प्रतिष्ठानों ने बिल्कुल भी लागू नहीं किया है।

I. उन प्रतिष्ठानों के नाम जिन्होंने सिफारिशों को अंशतः लागू किया है

प्रतिष्ठान का नाम	टिप्पणियां
1. मैसर्स बिहार जर्नल लिमिटेड	इस प्रतिष्ठान ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और न्यायालय के आदेशों के अनुसार यह प्रतिष्ठान पालेकर अधिकरणों द्वारा सिफारिश किए गए परिवर्त्ती मंहगाई भत्ते के 50 प्रतिशत की अदायगी कर रहा है।
2. अजीमाबाद एक्सप्रेस	इन प्रतिष्ठानों ने सिफारिशों को केवल कातिब्ल के सम्बन्ध में लागू नहीं किया है।
3. देश विदेश	
4. पैगाम-ए-संजय	
5. राह-ए-रा-ऊ	

6. कौमी ता-नजीम

7. हमारा नारा

8. पैगाम-ए-नेहरू

9. सदाकत

10. साथी

11. सादा-ए-आम

12. तौस

13. इन-दिनों

II. उन प्रतिष्ठानों के नाम जिन्होंने सिफारिशों को बिल्कुल भी लागू नहीं किया है

1. भारत मेल

2. विश्व बन्धु

3. आत्म कथा

4. प्रातः वायु

उन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई जिन्होंने सिफारिशों को लागू नहीं किया है।

राज्य सरकार ने भी एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है जो इसे पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में सलाह देगी।

तालचेर में सुपर तापीय बिजली घर

631. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1984-85 में उड़ीसा में तालचेर में एक सुपर तापीय बिजली घर स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत कितनी है ;

(ग) प्रस्तावित सुपर तापीय बिजली घर की क्षमता कितनी है ; और

(घ) उक्त परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) से (घ) उड़ीसा में तालचेर में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम पहले चरण में 500-500 मेगावाट की दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना करने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उस रिपोर्ट में परियोजना की लागत का अनुमान भी शामिल होगा। परियोजना में लिए कोयला लिंक स्थापित करने के बारे में कार्रवाई चल रही है तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की, तालचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रारम्भिक कार्यों को अगले वर्ष हाथ में लेने की योजना है।

"लो पावर ट्रांसमीटर" और "हाई पावर ट्रांसमीटर" स्थापित करना

632. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय छठी योजना के अन्त तक लगभग 70 प्रतिशत जनता को टेली-विजन सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है ;

(ख) क्या एक विशेष योजना तैयार की गई है और धनराशि निर्धारित की गई है तथा "लो" और "हाईपावर" ट्रांसमीटरों को लगाने का काम शुरू हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त विशेष योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और "लो" तथा "हाई पावर" के कितने ट्रांसमीटर लगाने का विचार है ;

(घ) क्या उपरोक्त कार्यक्रम में उड़ीसा को शामिल नहीं किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो उड़ीसा में इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(च) अन्य राज्यों में लक्ष्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) छठी योजना की सामान्य स्कीमों के अलावा, उच्च शक्ति वाले 13 ट्रांसमीटरों और अल्प शक्ति वाले 113 ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए 68 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) कटक में ट्रांसमीटर भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। भू-अन्वेषण कार्य मुकम्मल हो चुका है। दूरदर्शन टावर की नींव का डिजाइन मुकम्मल हो चुका है। राऊरकेला, बरहामपुर और कोरापुट के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है। इन केन्द्रों के लिए अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों और उपकरणों के लिए आर्डर पहले ही दे दिए गए हैं। इन केन्द्रों के 1984-85

के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

(च) अन्य राज्यों के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों और अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की प्रगति हुई है।

बाल श्रमिक

633. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बाल श्रम रोकने के लिए कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या बच्चों के रोजगार में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है ;

(ग) सरकार ने बच्चों के कल्याण और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) यद्यपि देश में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के सन्दर्भ में बाल श्रम पद्धति को पूर्णतः समाप्त करना सम्भव नहीं है, तथापि सरकार हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करती आ रही है कि परिस्थितियों से बाध्य होकर कार्य करने वाले बाल श्रमिकों का शोषण न हो तथा वे स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान की बेहतर दशाओं में कार्य कर सकें। सरकार ने श्रम जीवी बालकों के कल्याण से सम्बन्धित परियोजनाएं बनाई हैं, जो इस क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, बाल श्रम सम्बन्धी गुरुपदास्वामी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में बाल श्रमिक सम्बन्धी एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो बाल श्रमिकों की समस्या पर सरकार को सलाह देगा। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे भी राज्य/जिला स्तर पर बाल श्रमिक सम्बन्धी बोर्ड गठित करें।

(घ) विभिन्न व्यवसायों/कार्यकलापों में बालकों के लिए रोजगार में प्रवेश की न्यूनतम आयु बालक नियोजन अधिनियम, 1938, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बागान श्रम अधिनियम में, 1951 सहित विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों में तथा दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम सहित राज्य अधिनियमों में पहले से ही विद्यमान हैं।

कोल इण्डिया लिमिटेड को हुआ घाटा

634. **श्री मूल चन्द डागा : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1984 के "इकानामिक टाइम्स" में सी० आई० एल० लासेस टू टच रुपीज 130 करोड़ (कोल इण्डिया लिमिटेड का घाटा 130 करोड़ रुपये तक होने की सम्भावना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) कोयले के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के बावजूद घाटा होने के क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं ;

(घ) क्या घाटा होने के बावजूद कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है और क्या उत्पादन काफी कम हो गया है ; और

(ङ) वर्ष 1982-83 के दौरान कोयले के उत्पादन में कितनी गिरावट आई है और क्या वर्ष 1984-85 में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयले की कीमतों में हाल ही में किए गए संशोधन में ईक्विटी पूंजी पर लाभ का प्रावधान नहीं है और मूल्य ह्रास तथा ब्याज का आर्थिक भार केवल आंशिक रूप से शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III 1-1-1983 से लागू किया गया है और इसका आर्थिक भार लगभग 200 करोड़ रु० प्रतिवर्ष है। इन कारणों से कोल इण्डिया लि० को हानि होने की संभावना है।

(घ) कोल इण्डिया लि०में आमतौर पर लक्ष्य के अनुसार उत्पादन होता रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान लक्ष्य/उत्पादन निम्नलिखित हैं :

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन टन में)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन टन में)
1980-81	99.00	100.83
1981-82	108.70	109.61
1982-83	116.00	114.06

(ङ) वर्ष 1982-83 में कोयला उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में कम नहीं हुआ है। वर्ष 1984-85 के लि० उत्पादन-लक्ष्य 131 मिलियन टन है। आशा है कि कोल इण्डिया लि० अपना यह उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लेगी।

केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली से पब्लिक काल आफिस एस०टी०डी० सुविधाएं समाप्त किया जाना

635. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के पब्लिक काउण्टर के बाहर के स्टेशनों और अन्तर्राष्ट्रीय शहरों के लिए ट्रंक काल की पब्लिक काल आफिस एस० टी० डी० सुविधा समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध थी ;

(ग) क्या सभी तारघरों से उपर्युक्त सुविधा समाप्त कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के सार्वजनिक टेलीफोन घर से एस० टी० डी० सुविधा, कुछ राजस्व की हानि की सम्भावना तथा कुछ एस० टी० डी० नेटवर्क पर यातायात संकुचित होने के कारण प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रही थी। इस पी०सी०ओ० से अब ट्रंक सुविधा मैनुअल आधार पर उपलब्ध है तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कालों को तुरन्त लगाने के लिए ट्रंक केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है।

(ख) ऐसे स्थानों के नाम जहां से सार्वजनिक टेलीफोनों पर एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध थी, विवरण में दिए गए हैं, जिसे सदन के सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) जी, नहीं। केवल निम्नलिखित तारघरों के सार्वजनिक टेलीफोनों से ही एस० टी० डी० सुविधा समाप्त की गई है :

(एक) केन्द्रीय तारघर, गुवाहाटी।

(दो) केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली।

(तीन) दिल्ली स्थित कुछ विभागीय तारघर, अर्थात्—पालम, प्रसाद नगर, प्रगति मैदान तथा कश्मीरी गेट ; और

(चार) विभागीय तारघर, खंडवा।

(घ) इसके कारण, करीब-करीब वही है जो प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में ऊपर दिए गए हैं।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां से सार्वजनिक टेलीफोनों पर एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध थी

1. हैदराबाद	2. सिकन्दराबाद
3. गुंटूर	4. अंगोले
5. तैनाली	6. नरासारावपेट
7. विशाखापट्टनम	8. विजयानगरम
9. श्रीकाकुलम	10. अनाकपल्ले
11. विजयवाड़ा	12. मछलीपट्टनम
13. भीमावरम	14. पालाकोल

15. गुडीवाड़ा
16. राजमुन्द्री
17. एलुरू
18. काकीनाडा
19. तिरुपति
20. अनन्तपुर
21. नैल्लोर
22. नान्दयाल
23. अडोनी
24. चित्तूर
25. गुंटाकल
26. टाडेपल्लीगुडम
27. महबूबनगर
28. वारांगल
29. अदीलाबाद
30. निजामाबाद
31. त्रिवेन्द्रम
32. चालाई
33. क्वीलोन
34. अल्लेपी
35. त्रिरुवला
36. एर्नाकुलम
37. कोचीन
38. वलिंग्डन इजलैंड
39. अलवाय
40. मुवत्तुपुजा
41. कोट्टायम
42. त्रिचुर
43. पालघाट
44. कालीकट
45. कन्नानोर
46. तेल्लीचेरी
47. बेलगांव
48. हुबली
49. मंगलौर
50. मैसूर
51. बेल्लारी
52. दावंगीर
53. गाडग
54. धारवाड
55. मैरकारा
56. शिभोगा
57. उदीपी
58. बंगलौर
59. खांडवा
60. गोहाटी

61. अम्बाला कैंट
62. अमृतसर
63. चण्डीगढ़
64. जालंधर
65. शिमला
66. जयपुर
67. तिरुपुर
68. कोलाची
69. कुनूर
70. ऊटी
71. ईरोड
72. वैल्लोर
73. सलेम
74. त्रिक्षि
75. शिवकाशी
76. विरुद्धनगर
77. टूटीकोरीन
78. हांसुर
79. धर्मपुरी
80. डिंडीगुल
81. विल्लुपुरम
82. पांडिचेरी
83. मद्रास
84. उद्भालपेड
85. नागरकाइल
86. पुडुकोट्टाई
87. नागापट्टीनम
88. मौईलाडुथुराई
89. कलकत्ता
90. बम्बई
91. कल्याण
92. नागपुर
93. नासिक
94. मेहसाना
95. जामनगर
96. बड़ौदा
97. दिल्ली
98. सूरत
99. टुमकुर

ईसाइयों का समान सिविल संहिता के पक्ष में होना

636. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1984 के दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स में

"क्रिश्चियन्स फार कौमन सिविल कोड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग 500 प्रमुख ईसाइयों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) एक सामान्य सिविल संहिता बनाने की मांग पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी, हां।

(ख) एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिस पर 453 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। ज्ञापन में यह कहा गया है कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 अत्यन्त पिछड़ा हुआ, पुरातन और बहुत विभेदकारी है, और ईसाई समुदाय के लोग इस विधि के निःसहाय शिकार हुए हैं और यह विधि समय के साथ बदलने में असफल रही है और समय की मांग है कि ईसाइयों के विवाहों को शासित करने वाले कानूनों, अर्थात् भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 और भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 को निरसित करके उनके स्थान पर क्रिश्चियन विवाह और विवाह-विषयक वाद विधेयक, 1962 के अनुरूप एक व्यापक अद्यतन विधि, उसमें विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रगतिशील संशोधन सम्मिलित करके बनाई जाए। ज्ञापन में उस "दोहरी कठिनाई" की बात भी कही गई है, जो धार्मिक न्यायालय में भी और सिविल न्यायालयों में भी जाना पड़ने के कारण से ईसाई दम्पत्ति को सहनी पड़ती है। ज्ञापन में उल्लिखित विधेयक, अर्थात् क्रिश्चियन विवाह और विवाह-विषयक वाद विधेयक, 1962 सरकार ने भारत में क्रिश्चियन समुदाय में विवाह और विवाह-विच्छेद से सम्बन्धित विधि पर, विधि आयोग द्वारा अपनी 15वीं और 22वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पुरःस्थापित किया था। विधि आयोग ने सरकार द्वारा निर्देश किए जाने पर सम्पूर्ण मामले की समीक्षा की थी। स्वयं ईसाई समुदाय द्वारा विधेयक का विरोध किए जाने के कारण सरकार ने, दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात्, 1962 वाले विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं की। सरकार की यह नीति रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय विधि में केवल तभी सुधार किया जाए जब स्वयं समुदाय इसे चाहे। ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्त्ता एक ही शहर के प्रतीत होते हैं। सरकार के विचार से यह ज्ञापन कार्यवाही करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) और (घ) एक समान सिविल संहिता के अधिनियम के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। सरकार की यह नीति रही है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय विधियों में कोई परिवर्तन तब तक न किए जाएं जब तक कि उसके लिए पहल स्वयं वह समुदाय न करे।

उर्वरक संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के उपाय

637. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरक संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक संयंत्र की कितने-कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया है और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान उर्वरक राज सहायता केसों में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और उसका वर्षवार विवरण क्या है ;

(घ) गत चार वर्षों के दौरान वर्षवार उर्वरक के आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा उर्वरक की कितनी-कितनी मात्रा का आयात किया गया है ; और

(ङ) अपने संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग करने और आयात घटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) स्वदेशी उर्वरकों के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	आर्थिक सहायता की राशि (करोड़ रु० में)
1979-80	321.16
1980-81	170.06
1981-82	275.00
1982-83	550.00

(घ) विवरण निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	आयात की मात्रा—न्यूट्रिएन्टस एन+पी०+के० (लाख टनों में)	आयात की राशि (करोड़ रुपयों में)
1979-80	20.05	555.34
1980-81	27.59	925.22
1981-82	20.41	716.62
1982-83	11.32	273.53

(ङ) केपेटिव पावर सुविधाओं की स्थापना/उपस्करों के प्रतिस्थापन जैसे उपाय किए जा रहे या उनकी योजना बनाई जा रही है ताकि उनकी क्षमता उपयोगिता में सुधार हो। इसके अतिरिक्त, नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का वृहत कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ताकि उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में काफी वृद्धि हो सके उससे आयातों पर निर्भरता में कमी लाई जा सके।

विवरण

एकक का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान क्षमता उपयोगिता की प्रतिशतता			
	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
		क. नाइट्रोजन		
1. सिन्दरी माड्रनाइजेशन	21.1	10.5	54.2	57.4
2. गोरखपुर	39.0	45.6	55.9	56.6
3. रामागुण्डम	—	27.9	25.8	32.8
4. तालचर	—	7.0	20.1	9.0
5. नांगल-I	79.6	64.2	59.4	76.4
6. नांगल-II	44.1	47.2	80.8	78.6
7. भटिण्डा	44.9	42.4	56.9	65.2
8. पानीपत	55.0	29-0	77.5	69.2
9. नामरूप-I	62.9	56.7	55.3	61.5
10. नामरूप-II	33.0	—	52.7	47.4
11. दुर्गापुर	35.2	23.1	39.4	25.8
12. बरौनी	30.6	30.6	48.7	49.9
13. उद्योग मण्डल	62.2	51.2	48.6	42.2
14. कोचीन-I	63.8	74.5	78.1	63.0
15. कोचीन-II	37.5	37.7	25.2	72.5

1	2	3	4	5
16. ट्राम्बे	95.8	95.4	95.5	84.3
17. ट्राम्बे-IV	51.1	68.4	70.4	63.6
18. ट्राम्बे-V	—	—	—	60.0
19. मद्रास	79.5	93.1	87.5	79.3
20. राऊरकेला	43.7	29.8	44.5	9.2
21. नवैली	68.4	88.1	64.6	66.6
22. बड़ौदा	73.7	74.8	84.8	77.0
23. विजाग	72.3	67.7	84.6	73.9
24. कोटा	76.3	77.0	79.7	93.3
25. कानपुर	74.2	63.1	77.0	85.1
26. गोआ	88.0	25.3	84.3	101.6
27. टूटीकोरिन	86.0	80.7	79.9	107.7
28. मंगलौर	68.1	53.6	76.6	62.2
29. इन्दौर	45.6	49.4	50.0	45.6
30. वाराणसी	6.0	18.0	20.0	12.0
31. भरुच	—	—	—	76.8
32. कलोल	83.7	104.7	105.8	107.9
33. फुलपुर	—	53.1	80.3	73.0
उप-उत्पाद	80.3	70.0	70.2	70.0
योग	62.8	52.8	66.9	67.2

1	2	3	4	5
		ख. पी० 2 ओ० 5		
1. सिन्दरी रेशनलाइजेशन	11.2	12.0	13.3	6.9
2. उद्योग मंडल	64.5	48.4	61.1	55.4
3. कोचीन-II	35.7	34.4	32.0	44.1
4. ट्राम्बे	85.1	87.8	94.4	82.0
5. ट्राम्बे-II	55.1	68.4	70.4	63.3
6. मद्रास	80.2	92.8	94.8	96.0
7. खेतरी	5.0	6.8	4.9	1.8
8. बड़ौदा	72.2	86.0	80.8	102.6
9. विजांग	69.6	65.8	73.6	67.1
10. गोआ	65.0	18.6	86.7	80.0
11. टूटीकंकेरीन	92.1	79.4	86.4	94.5
12. इन्दौर	91.0	99.0	100.0	92.0
13. कांडला	125.8	151.6	122.1	103.0
एस०एस०पी० एकक	66.1	74.2	73.1	80.0
योग	65.5	65.9	70.1	69.1

निगमित क्षेत्र में नाम निर्देशित निर्देशकों को अधिक शक्तियां देना

638. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** निगमित क्षेत्रों में नाम निर्देशित निदेशकों को अधिक शक्तियों के बारे में 20 दिसम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 392 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने यह कहा था यह बात उन्हें लिखित रूप से बताई जानी चाहिए कि गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे कर्मचारी, जो एक समय केन्द्रीय मन्त्रालय के कर्मचारी थे, अब अत्यधिक वेतन और सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और जो उनको योग्यता के अनुपात में नहीं

है, तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में कोई उपबन्ध न होने के कारण सरकार इस प्रकार के मामलों को रोकने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस सम्बन्ध में लिखित तथ्य प्राप्त हुए हैं तथा उन्होंने सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी कम्पनियों में काम करने वाले इस प्रकार के लोगों पर अनुचित भारी खर्च किए जाने पर सरकारी नियन्त्रण मजबूत बनाने के बारे में दिए गए सुझावों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तथा निजी कम्पनियों के बड़े अफसरों द्वारा इस प्रकार की जा रही लूट को रोकने के लिए उनका विचार क्या कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल): (क) तथा (ख) हां, श्रीमान जी।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत पब्लिक लि० कम्पनियों और इस प्रकार की प्रा० कम्पनियां जो पब्लिक लि० कम्पनियों की सहायक हैं, के प्रबन्ध निदेशकों, पूर्ण कालिक निदेशकों और प्रबन्धकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक को सरकार द्वारा नियमित किया जाता है। धारा 314 (1ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को जो कम्पनी निदेशकों के सम्बन्धी या भागीदार हैं और 3000 रु० प्रति माह या अधिक पारिश्रमिक ले रहे हैं उनके लाभों के पदों पर नियुक्ति या पदों को जारी रखने का भी सरकार द्वारा नियमन किया जाता है। उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्यों को नियुक्ति और पारिश्रमिक को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियमित नहीं किया जाता है। क्योंकि ना तो उनको प्रबन्ध के व्यापक अधिकार सौंपे जाते हैं अथवा ना ही वे इस स्थित में होते हैं कि निदेशक के न्यासिक स्थिति का दुरुपयोग कर सकें तदनुसार सरकार के पास उपरोक्त, कम्पनियों के अधिकारियों एवं कार्यकारियों की नियुक्ति/पारिश्रमिक के नियन्त्रण को जो कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं, के अलावा अन्य को नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन रिले केन्द्र, पालघाट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र

639. **श्री बी० एस० विजय राघवन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालघाट में दूरदर्शन रिले केन्द्र का काम चल रहा है ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च हो गयी है और कितना काम पूरा हो गया है ;

(ग) यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) इस केन्द्र के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र लाये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एक उपयुक्त भवन का चयन कर लिया गया है। और उसको कब्जे में लिया जा रहा है पालघाट सहित अल्प शक्ति वाले सभी 112 प्रेषण केन्द्रों के लिए खेप में उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। सप्लाई-कर्ताओं को चरणबद्ध ढंग से भुगतान किया जा रहा है।

(ग) केन्द्र 1984-85 के दौरान चालू हो जायेगा।

(घ) पालघाट के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर की सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर होगी।

केरल में मनन्तवाड़ी पन बिजली परियोजना

640. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मनन्नतवाड़ी पन बिजली योजना बहुत दिनों से अनिर्णीत पड़ी है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट केन्द्र को भेज दी गई थी ;

(ग) क्या राज्य ने केन्द्र द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण दे दिए हैं ;

(घ) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ङ) इस परियोजना से कितनी बिजली पैदा की जा सकती है ; और

(च) अन्तिम स्वीकृति कब तक दी जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (च) मई, 1980 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्राप्त हुई मनन्तवाड़ी बहूद्देशीय परियोजना (240 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट पर स्वीकृति निम्नलिखित कारणों से नहीं दी गई है :—

(1) राज्य सरकार द्वारा जल विज्ञान, सिविल डिजाइन आदि के और आंकड़े उपलब्ध कराने होंगे।

(2) योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा बहुद्देशीय परियोजना की संवीक्षा की जानी है तथा स्वीकृति दी जानी है।

(3) अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान करना होगा।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, इसकी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए विचार इन पहलुओं को पूरा किए जाने के बाद ही कर सकेगा।

इस परियोजना से प्रतिवर्ष 730 मेगावाट आवर ऊर्जा प्राप्त होगी। अभी तक इस परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

641. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 में मध्यप्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज-वार विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का किस सीमा तक विस्तार किए जाने का विचार है; और

(ख) इन टेलीफोन एक्सचेंजों में से प्रत्येक में विस्तार के लक्ष्य की प्राप्ति कब तक हो सकेगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में एक्सचेंजों के विस्तार के प्रस्ताव तथा उनके पूरा हो जाने के लक्ष्य विवरण में दे दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज की किस्म	लाइनों की क्षमता में विस्तार	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	ग्वालियर	क्रासबार	500 लाइनें	मार्च 84
2.	रतलाम	मैनुअल	100 ,,	,,
3.	नीमच	,,	120 ,,	,,
4.	गुना	,,	120 ,,	पूरा हो चुका है
5.	रायगढ़	स्ट्रोजर	100 लाइनें	पूरा हो चुका है
6.	विदिशा	,,	100 ,,	मार्च 84
7.	मंदसौर	,,	100 ,,	,,
8.	मुरैना	,,	100 ,,	,,
9.	सतना	,,	100 ,,	,,
10.	गंजबसौदा	मैनुअल	50 ,,	पूरा हो चुका
11.	सारंगपुर	,,	10 ,,	,,
12.	नागदा	,,	20 ,,	मार्च 84
13.	शाजापुर	,,	80 लाइनें	,,
14.	रायसैन	,,	50 ,,	,,
15.	डाबरा	,,	20 ,,	पूरा हो चुका है

1	2	3	4	5
16.	मनेन्द्रगढ़	,,	50 ,,	मार्च 84
17.	उमरिया	,,	40 ,,	,,
18.	परसिया	,,	50 ,,	,,
19.	जूनारदेव	,,	50 ,,	,,
20.	खूराय	मैनुअल	50 ,,	पूरा हो चुका है
21.	टीकमगढ़	मैनुअल	50 ,,	मार्च 84
22.	सिंगरौली	,,	100 ,,	(नया)पूरा हो चुका है
23.	खजुराहो	,,	10 ,,	,,
24.	महासमुन्द	मैनुअल	30 लाइनें	मार्च, 84
25.	भीखमगांव	स्ट्रोजर (एम. ए. एक्स III)	10 ,,	,,
26.	वैधान	,,	50 ,,	,,
27.	चीरमी	मैनुअल	50 ,,	,,
28.	अकलतरा	स्ट्रोजर (एम. ए. एक्स III)	50 ,,	,,
29.	नैला	,,	50 ,,	,,
30.	नालखेड़ा	,,	20 ,,	,,
31.	बैरचाना	,,	15 ,,	पूरा हो चुका है
32.	फूप	,,	10 ,,	मार्च 84
33.	सिओंधा	,,	10 ,,	,,
34.	बानमोर	,,	45 ,,	पूरा हो चुका है
35.	जूरा	स्ट्रोजर (एम. ए. एक्स III)	45 ,,	,,
36.	गौतमपुरा	,,	15 ,,	,,

1	2	3	4	5
37.	देपालपुर	,,	10 ,,	,,
38.	ओमकारेश्वर	,,	15 ,,	,,
39.	मनवार	,,	20 ,,	पूरा हो चुका है
40.	कराही	,,	20 ,,	मार्च 84
41.	कसरावाड	,,	15 ,,	,,
42.	महाशवार	,,	15 ,,	,,
43.	अनहेल	,,	15 ,,	पूरा हो चुका है
44.	ससनेर	,,	10 ,,	,,
45.	फतेहबाद	,,	10 ,,	मार्च 84
46.	मुलताई	,,	45 ,,	पूरा हो चुका है
47.	सारनी	,,	45 ,,	मार्च 84
48.	खीरकिआं	,,	45 ,,	,,
49.	गारोथ	,,	45 ,,	,,
50.	थांदला	,,	10 ,,	,,
51.	नामली	,,	20 ,,	पूरा हो चुका है
52.	हीरी माइन्स	,,	10 ,,	मार्च 84
53.	बीरसिंगपुरपाली	स्ट्रोजर (एम. ए. एक्स III)	10 लाइनें	मार्च 84
54.	व्याहारी	,,	10 ,,	,,
55.	पेंडरा रोड	,,	45 ,,	,,
56.	सूरजपुर	,,	45 ,,	,,
57.	बैकुंठपुर	,,	45 ,,	,,

1	2	3	4	5
58.	धानपुरी	,,	45 ,,	,,
59.	कटघोरा	,,	20 ,,	पूरा हो चुका है
60.	संखेड़ा	,,	15 ,,	मार्च 84
61.	पानागढ़	,,	45 ,,	,,
62.	बेमेतारा	,,	45 ,,	,,
63.	कुरुड	,,	10 ,,	,,
64.	नरैनपुर	,,	10 ,,	,,
65.	भानप्रतापपुर	,,	15 ,,	पूरा हो चुका है
66.	सुकमा	,,	10 ,,	मार्च 84
67.	भागोद	,,	20 ,,	पूरा हो चुका है
68.	लौंडी	,,	20 ,,	,,
69.	देवेन्द्रनगर	,,	10 ,,	मार्च 84
70.	मौगंज	,,	10 ,,	(नया)पूरा हो चुका है
71.	अमनगंज	,,	10 ,,	मार्च 84
72.	लहर	,,	10 ,,	पूरा हो चुका है
73.	नैनपुर	,,	25 ,,	,,
74.	पेलतावाड	,,	15 ,,	,,
75.	पेंडरा	,,	15 ,,	,,
76.	शहडोल	मैनुअल	20 ,,	,,
77.	रायपुर	स्ट्रोजर (एम. ए. एक्स I)	300 ,,	मार्च 84
78.	उज्जैन	,,	300 ,,	,,
79.	भोपाल (शहर और अरेरा)	,,	900 ,,	,,

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की जांच

642. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की जांच कर ली गई है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और "सीटू" (सी० आई० टी० यू०) ने जांच प्रक्रिया का बहिष्कार किया है क्योंकि यह मनमाना और अप्रजातांत्रिक तरीका है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इन दोनों संगठनों के आंकड़े स्वतन्त्र रूप से तथा पक्षपात पूर्ण ढंग से एकत्रित किए हैं और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और 'सीटू' को सूचित किए बिना ही इन आंकड़ों की जांच की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म बीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) एटक और सीटू ने सत्यापन का बहिष्कार किया है और इस प्रक्रिया में संशोधन की मांग की है।

(ग) जी, हां। सरकार ने एटक और सीटू से सम्बद्ध यूनियनों की सदस्य संख्या के आंकड़े राज्य सरकारों से स्वतन्त्र रूप से एकत्र किए। ये आंकड़े वर्ष 1980 के लिए वार्षिक विवरणियों में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत यूनियनों द्वारा भेजे गए सदस्यता आंकड़ों पर आधारित हैं। उन यूनियनों को, सदस्यता का अन्य केन्द्रीय संगठनों ने विरोध किया था, उनकी सदस्यता के सत्यापन हेतु रिकार्डों को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। एटक से सम्बन्ध 44 यूनियनों और सीटू से सम्बन्ध 46 यूनियनों ने उन्हें जारी किए गए नोटिसों के प्रत्युत्तर में रिकार्ड प्रस्तुत किए।

कोयला क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव

643. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं योजना की कोयला नीति तैयार करने वाला कार्यदल कोयला क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आमन्त्रित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता के बालीगंज क्षेत्र में डाक वितरण के कार्य में विलम्ब और अनियमितताएं

644. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता के बालीगंज क्षेत्र में डाक वितरण में

लगातार विलम्ब होता है और उसमें अनियमितताएं हैं ;

(ख) क्या सम्बद्ध डाक अधिकारी, इसके दिए केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार डाक कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने को उत्तरदायी मानते हैं ; और

(ग) क्या दक्षिण कलकत्ता के अनेक डाकघरों में बहुत से पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप जनता को बड़ी असुविधा हो रही है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) कलकत्ता के बालीगंज इलाके में डाक वितरण में लगातार विलम्ब अथवा अनियमितता न होने के बारे कोई मामला नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

विधि आयोग की रिपोर्टों का सभा पटल पर रखा जाना

645. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग ने अपने पिछले गठन के बाद से सरकार को कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) इन रिपोर्टों में किन-किन विषयों पर विचार किया गया है ;

(ग) क्या अगस्त, 1980 के बाद से संसद में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई लगभग 7 रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त रिपोर्टें सभा पटल पर कब रखी जाएंगी।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) विधि आयोग ने, अपनी पिछले पुनर्गठन के पश्चात सात रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं ।

(ख) वे रिपोर्टें निम्नलिखित विषयों पर हैं :—

(1) "साक्ष्य के विषय में सरकारी विशेषाधिकार"—(अठासीवीं रिपोर्ट, जो 10-1-83 को प्राप्त हुई थी)।

(2) "परिसीमा अधिनियम, 1863"—(नवासीवीं रिपोर्ट, जो 28-2-1983 को प्राप्त हुई थी)।

(3) "भारत में ईसाइयों के बीच विवाह-विच्छेद के आधार"—(नब्बेवीं रिपोर्ट, जो 17-5-1983 को प्राप्त हुई थी)।

(4) "दहेज के कारण मृत्यु और विधि में सुधार"—(इक्यानवेवीं रिपोर्ट, जो 10-8-83 को प्राप्त हुई थी)।

(5) "न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए आवेदनों में नुकसानी"—(बानवेवीं रिपोर्ट, जो 7-9-1983 को प्राप्त हुई थी)।

(6) "जनसम्पर्क साधनों द्वारा प्राप्त जानकारी के स्रोतों का प्रकटीकरण"—(तिरानवेवीं रिपोर्ट, जो 1-10-83 को प्राप्त हुई थी)।

(7) "अवैध रूप से या अनुचित रूप से प्राप्त साक्ष्य"—(चौरानवेवीं रिपोर्ट, जो 3-11-83 को प्राप्त हुई थी)।

(ग) जी, नहीं। "बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1979" के विषय में सतासीवीं रिपोर्ट, जो पूर्ववर्ती विधि आयोग ने प्रस्तुत की थी, लोक सभा के पटल पर 1-9-81 को और राज्य सभा के पटल पर 24-8-1981 को रखी गई थी।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट की, यदि आवश्यक हो तो अधिष्ठायी और प्रक्रिया विधि के भी विभिन्न पहलुओं पर अन्य मन्त्रालयों से परामर्श करके, सावधानी से समीक्षा की जानी है। आयोग से प्राप्त रिपोर्टें अंग्रेजी में हैं और उन्हें संसद के समक्ष रखने का विनिश्चय करने से पूर्व उनका इस मंत्रालय के राजभाषा खण्ड की सहायता से हिन्दी में अनुवाद कराया जाना है। इस प्रयोजन के लिए सभी रिपोर्टों को, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित कराना होगा।

जहां तक इक्यानवेवीं, बानवेवीं और चौरानवेवीं रिपोर्टों का सम्बन्ध है, उनके हिन्दी अनुवाद प्राप्त हो गए हैं। मुद्रण में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए, यह विनिश्चय किया गया है कि इन रिपोर्टों को साइक्लोस्टाइल करा लिया जाय, क्योंकि ये बहुत बड़ी नहीं हैं। रिपोर्टों की प्रतियां तैयार हो जाने और उनकी समीक्षा कर लिए जाने के पश्चात् उन्हें सदन पर रखा जाएगा। यह कार्य यथासम्भव शीघ्र किया जाएगा।

जहां तक अन्य रिपोर्टों का सम्बन्ध है, उनका अनुवाद करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अनुवाद कार्य पूरा हो जाएगा और मुद्रित प्रतियां उपलब्ध हो जाएंगी तथा उनकी समीक्षा कर ली जाएगी तो ये रिपोर्टें भी संसद के पटल पर रख दी जाएंगी।

इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग

646. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने चालू वित्त वर्ष में 50 करोड़ रु० की बजट सहायता मांगते हुए 1985 तक मतदान मशीनों का प्रयोग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) मशीनों की लागत, निर्वाचनों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत होने वाले व्यय में बचत और निर्वाचनों के कुशल संचालन में इनके लाभों के सम्बन्ध में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र ने इसके मद्धे 1983-84 के बजट में एक लाख रु० के नाममात्र के अनुदान की व्यवस्था की है और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस व्यय के अपने भाग के लिए अपने बजटों में व्यवस्था की है या उसे वहन करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस आवश्यक स्कीम के लिए पूरी व्यवस्था करने में सरकार की ओर से विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत टिप्पण, जो इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के प्रयोग के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर है, सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०7766/84]

(ग) जी, हां ।

(घ) वित्तीय खर्चों और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का यह निष्कर्ष था कि निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है । जब आयोग को इस विनिश्चय की सूचना दी गई, तब आयोग ने इस विनिश्चय पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया और आयोग का यह अनुरोध विचाराधीन है ।

चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड द्वारा कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन

647. **डा० बसंत कुमार पण्डित** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** चेम्सफोर्ड क्लब द्वारा कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने के बारे में 15 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी रजिस्ट्रार ने 1981 और 1982 के दौरान चेम्सफोर्ड क्लब लि० द्वारा दिवाली मीना बाजार से अर्जित आय का, कम्पनी अधिनियम की धारा 211 का उल्लंघन करके दुरुपयोग और दुर्विनियोग किए जाने के लिए इस क्लब के निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) वर्ष 1981 और 1982 के वार्षिक लेखाओं में, मीना बाजार से शुद्ध आय को डिस्पेन्सरी के रख रखाव के साधनों में बढ़ोत्तरी के लिए रखी गयी राशि को, आय और व्यय खाते में जमा करने के स्थान पर सीधे डिस्पेंसरी संचालन आरक्षित खाते में डाल दिया गया था, जो दुरुपयोग का मामला मालूम नहीं पड़ता है । कम्पनी रजिस्ट्रार ने इस मामले पर कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगा है और कम्पनी के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

मोदी रबड़ लिमिटेड द्वारा धर्मादा एकत्र करना

648. डा० **वसंत कुमार पण्डित** : क्या **विधि, न्यास और कम्पनी कार्य मंत्री** मोदी रबड़ लि० द्वारा 'धर्मादा' एकत्र करने के बारे में 13 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टायर डीलरों से अनाधिकृत और गैर कानूनी रूप से 'धर्मादा' एकत्र किए जाने के बारे में मोदी रबड़ लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत को सरकार द्वारा जांच के परिणाम क्या हैं ; और

(ख) यदि कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड द्वारा विनिर्माण पूर्व-खर्चे के रूप में एक अन्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत 'धर्मादा' एकत्र करने के विषय में दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन की कथित शिकायत, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजी गई थी। आयोग ने यह सूचित किया है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10 (क) (4) के अन्तर्गत पहले प्राथमिक जांच गठित की जा चुकी है और यदि प्रथम दृष्टि में कम्पनी का किसी अवरोधक व्यापारिक व्यवहार में संलग्न होना पाया जाता है तो कथित अधिनियम की धारा 37 के अधीन आगे नियमित जांच स्थापित होगी।

देश में इलैक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों की स्थापना

649. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित किए गए इलैक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेजों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर हैं।

(ख) क्या वर्ष 1984 के दौरान इस प्रकार के एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और कैसे ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) चार—बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में एक-एक।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1984-85 में अहमदाबाद, बेंगलूर, हैदराबाद एर्नाकुलम, जयपुर और गौहाटी में इलैक्ट्रानिक स्थानीय तथा ट्रांजिट टेलेक्स एक्सचेंजों की संस्थापना का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो जाएं। वर्ष 1984-85 में चिलकालूरीपेट, कुड्डालौर, कादूर, निजामाबाद और पालघाट में कम क्षमता वाले स्थानीय इलैक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज संस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

दूरस्थ तथा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

650. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उन गांवों की क्या प्रतिशतता है, जहां पर दूरसंचार सुविधा प्रदान की जा चुकी है ; और

(ख) क्या सभी दूरस्थ तथा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्षित तिथि निर्धारित की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल):(क) जानकारी विवरण में दे दी गई है ।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार देश की अधिकांश जनसंख्या के 5 कि० मी० के भीतर 1990 तक दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है ।

विवरण

प्रत्येक राज्य के जिन गांवों में दूरसंचार सुविधाएं (1982) प्रदान की गई हैं, उनकी प्रतिशतता ।

क्र० सं०	सर्किल का नाम	गांवों की प्रतिशतता
1	2	3
1.	आंध्रप्रदेश	26.75
2.	बिहार	3.30
3.	गुजरात (गुजरात, दादरा, नागरहवेली, दीव, दमन, को मिलाकर	22.72
4.	जम्मु एवं काश्मीर	2.30
5.	कर्नाटक	5.99
6.	केरल (केरल, माहे एवं लक्षदीप को मिलाकर)	91.65
7.	मध्य प्रदेश	2.24
8.	महाराष्ट्र (महाराष्ट्र एवं गोवा को मिलाकर)	4.57
9.	उत्तर पूर्व (आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश को मिलाकर)	1.75

1	2	3
10.	उत्तर पश्चिम (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चण्डीगढ़ को मिलाकर)	5.16
11.	उड़ीसा	15.00
12.	राजस्थान	3.15
13.	तमिलनाडु (तमिलनाडु और पांडीचेरी को मिलाकर)	25.42
14.	उत्तर प्रदेश	3.20
14.	पश्चिमी बंगाल (पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार दीपसमूह को मिलाकर)	7.41

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

651. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों को दूरदर्शन के पारेषण के अन्तर्गत लाने का विचार है ;

(ख) इन शहरों में दूरदर्शन पारेषण केन्द्र कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे ; और

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने हेतु कोई योजना बनाई गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है। जबलपुर, रतलाम, सागर, बुरहानपुर रीवा, मुरवाड़ा, बिलासपुर, कोरबा और सिंगरौली में भी अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर पहले ही काम कर रहे हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में लगाए जाने के लिए प्रस्तावित ट्रांसमीटरों के 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ग) प्रस्तावित स्कीम में कुछ आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं।

"मल्टी चैनल" प्रणाली शुरू करना

652. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 20 फरवरी, 1984 तक कार्यरत विभिन्न किस्म के टेलीविजन केन्द्रों का ब्योरा

क्या था और वे कहां-कहां स्थित थे ;

(ख) 31 मार्च, 1984 तक शुरू होने वाले विभिन्न किस्म के टेलीविजन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और उनकी कहां-कहां खोलने की सम्भावना है ;

(ग) क्या भारत में मल्टी चैनल शुरू करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) विजयवाड़ा में दूरदर्शन रिले केन्द्र को सीमित शक्ति पर 31 मार्च, 1984 तक चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) बहु चैनल पद्धति चालू करने की फिलहाल कोई अनुमोदित योजना नहीं है।

विवरण

20-2-84 के दिन की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा।

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	ट्रांसमीटर की शक्ति (किलोवाट में)
1	2	3
1.	दिल्ली	10
2.	बम्बई	10
3.	श्रीनगर	10
4.	अमृतसर	10
5.	पुणे	0.6
6.	कलकत्ता	10
7.	मद्रास	10
8.	लखनऊ	10

1 2	3
9. मंसूरी	10
10. कानपुर	10
11. जलंधर	1
12. पिंज	1
13. जयपुर	4
14. रायपुर	
15. गुलबर्गा	1
16. हैदराबाद	10
17. सम्बलपुर	1
18. मुजफ्फरपुर	1
19. बंगलौर (अन्तरिम)	1
20. नागपुर (अन्तरिम)	1
21. पणजी (अन्तरिम)	1
22. इलाहाबाद	1
23. जम्मू	0.1
24. शिमला	0.1
25. देवरिया	0.1
26. सूरतगढ़	0.1
27. गोहाटी	0.1
28. इटानगर	0.1
29. गंगटोक	0.1

1	2	3
30.	शिलांग	0.1
31.	कोहिमा	0.1
32.	इम्फाल	0.1
33.	ऐजवाल	0.1
34.	अगरतला	0.1
35.	मालदा	0.1
36.	पटना	0.1
37.	भुवनेश्वर	0.1
38.	पोर्ट ब्लेअर	
39.	काकीनाड़ा	0.1
40.	त्रिवेन्द्रम	0.1
41.	इन्दौर	0.1
42.	भोपाल	0.1
43.	अहमदाबाद	0.1
44.	ग्वालियर	0.1
45.	आसनसोल	0.1

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सरकारी प्रयोग के लिए गैर-सरकारी कारों का किराए पर लिया जाना

653. **श्री अजय विश्वास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सरकारी काम के लिए गैर-सरकारी कारें किराये पर लेने हेतु वर्ष 1982 और 1983 में कितनी धनराशी खर्च की गई ; और

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में गैर सरकारी कारें किराये पर लेने के क्या कारण हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कच्चे तेल का उत्पादन और आयात

654. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तट पर तथा तट-दूर कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितना कच्चा तेल आयात किया गया ; और

(ग) आवश्यकता और देशी उत्पादन के बीच कितना अन्तर रहा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का कुल उत्पादन इस प्रकार हुआ है :

(मि०मी० टनों में)

	1981	1982	1983
तटीय	7.9	8.3	8.4
अपतटीय	7.0	11.4	16.8
योग :	14.9	19.7	25.2

(ख) इसी अवधि में कच्चे तेल का शुद्ध आयात (निर्यात की गई मात्राओं को हिसाब में लिए जाने के पश्चात्) नीचे दिया गया है :

(मि०मी० टनों में)

1981	1982	1983
15.5	12.9	11.1

(ग) ऊपर (ख) में दिये गये आंकड़े स्वदेशी उत्पादन तथा कुल आवश्यकता के बीच अन्तराल को दर्शाते हैं, इसमें भण्डार में रखी गई मात्रा भी शामिल है।

दिल्ली दूरदर्शन के लिए "मल्टी चैनल"

655. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन पहली बार कब शुरू हुआ था ; और

(ख) इतने लम्बे समय तक इसका एक चैनल में काम करते रहने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली दूरदर्शन 1९-9-1959 को चालू किया गया था।

(ख) सरकार का प्रयास देश में दूरदर्श कवरेज का विस्तार करने का रहा है। कवरेज के विस्तार की प्राथमिकताओं तथा संसाधनों के अभाव के कारण एक और चैनल शुरू करना सम्भव नहीं हुआ है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से दिए गए रोजगार

656. **श्री एम० एस० लारेंस** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से राज्यवार, कितने लोगों को रोजगार मिला है ; और

(ख) उपयुक्त अवधि में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने लोगों का केन्द्रीय सरकार सेवाओं/कार्यालयों/उपक्रमों आदि में रोजगार मिला है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण-I

1979-83 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रति वर्ष सम्पन्न की गई नियुक्तियों की संख्या

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निम्न के दौरान रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या				
	1979	1980	1981	1982	1983
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1. आन्ध्र प्रदेश	34.7	29.4	29.7	26.3	35.9
2. असम	7.0	6.0	6.9	6.0	4.4

1	2	3	4	5	6
3. बिहार	20.2	22.2	20.9	16.6	25.5
4. गुजरात	19.6	20.4	20.7	19.8	20.2
5. हरियाणा	35.8	36.8	31.1	26.2	24.6
6. हिमाचल प्रदेश	6.6	5.9	7.1	8.4	6.7
7. जम्मू व कश्मीर	3.4	2.5	1.7	2.0	2.8
8. कर्नाटक	13.7	20.0	16.4	18.6	14.5
9. केरल	19.3	39.6	19.8	18.1	14.2
10. मध्य प्रदेश	33.2	28.2	37.0	40.3	40.9
11. महाराष्ट्र	33.0	38.7	44.4	39.4	42.5
12- मणिपुर	0.5	0.4	1.9	1.0	0.7
13. मेघालय	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
14. नागालैण्ड	0.3	0.3	0·3	0·5	0.3
15. उड़ीसा	19.5	18.1	17.5	16.0	12.9
16. पंजाब	20.1	17.5	17.6	15.4	13.2
17. राजस्थान	21.1	17.1	17.4	14.2	17.8
18. सिक्किम*					
19. तमिलनाडु	46.6	49.9	66.3	67.1	79.6
20. त्रिपुरा	1.8	0.6	3.2	2.1	1.9
21. उत्तर प्रदेश	48.7	37.3	39.6	36.0	36.4
22. पश्चिम बंगाल	15.4	15.2	12.5	14.0	12.5
संघ शासित क्षेत्र					
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.6	0.5	0.4	0.4	0.9

नोट : * 1. इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय ने कार्य नहीं कर रहा है।

1	2	3	4	5	6
2. अरुणाचल प्रदेश @					
3. चण्डीगढ़	3.0	2.8	2.9	2.4	3.0
4. दादर व नागर हवेली**					
5. दिल्ली	59.7	66.3	85.5	77.0	68.9
6. गोवा दमन व दीन	0.9	0.5	1.6	2.3	3.4
7. लक्षद्वीप	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2
8. मिजोरम	0.4	0.6	0.6	1.3	0.6
9. पाण्डिचेरी	0.5	0.4	0.6	0.9	0.6
अखिल भारत योग :	466.3	477.7	504.1	473.4	485.9

** 2. इस संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है। लेकिन आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं।

@ 3. कोई पूर्ण-विकसित रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। कुछ रोजगार सेल कार्य कर रहे हैं, जिनसे सम्बन्धित आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं।

4. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आकड़े जोड़ के साथ पूरा पूरा मेल न खाएं।

विवरण II

1979-1983 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सम्पन्न की गई नियुक्तियों की संख्या

(हजारों में)

वर्ष	निम्नलिखित में की गई नियुक्तियां		
	केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान	केन्द्रीय सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	जोड़
1979	98.2	39.8	138.8
1980	106.3	39.7	146.0
1981	130.4	39.6	170.0
1982	109.4	48.9	158.3
1983	112.4	53.2	165.6

उड़ीसा राज्य में टेलीफोन तथा तार सेवाओं में सुधार

657. **श्री के० प्रधानी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में विशेषत: इसके आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन तथा तार संचार सेवाओं तथा डाक सेवाओं में सुधार के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) इन क्षेत्रों में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए अथवा स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा कितने डाकघर खोले गए ; और

(ग) क्या इस समय राज्य में, विशेषत: इन पिछड़े क्षेत्रों में संचार सेवाएं बिल्कुल अच्छी नहीं हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) उड़ीसा राज्य में, विशेषत: आदिवासी इलाकों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(एक) दैनिक अनुरक्षण तथा निरीक्षण कार्य में तेजी लाई जा रही है।

(दो) ऊपरी तारों को कम करके भूमिगत केबिल बिछाना।

(तीन) उपभोक्ता की फिटिंग में एल्यूम्यूनियम के तारों के बदले कापर तार लगाना।

(चार) उपभोक्ता लूप के लिए इंसूलैटिड ड्राप वायर की व्यवस्था ।

(पांच) पर्यवेक्षण में तेजी लाना तथा आकस्मिक जांच करना।

(छ:) कटक क्रासबार एक्सचेंज का 1000 लाइनों (5000 से 6000) में विस्तार किया गया है।

(सात) 1983-84 के दौरान भुवनेश्वर क्रासबार एक्सचेंज का 1000 लाइनों मे विस्ता (5000 से 6000) किया जा रहा है ।

(आठ) आज तक आदिवासी क्षेत्रों में 5 छोटे स्वचल एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं तथा 1983-84 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में 6 छोटे स्वचल एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है ।

(नौ) आदिवासी क्षेत्रों के लिए उदारीकृत नीति के अन्तर्गत मार्च, 1984 तक 30 संयुक्त तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

1983-84 के दौरान डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :

क्र० सं०	लक्ष्य	सामान्य ग्रामीण क्षेत्र	पिछड़े क्षेत्र	आदिवासी क्षेत्र	कुल
(एक)	डाकघर खोलना	45	20	70	135
(दो)	ग्राणीण डाक वितरण तथा पत्र-पेटियों की निकासी में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त ई० डी० ए० की नियुक्ति	54		56	110
(तीन)	काउंटर सुविधा प्रदान करना	105		45	150
(चार)	पत्र-पेटियां लगाना	52		23	75

(ख) 1983-84 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में 5 नए छोटे स्वचल एक्सचेंज पहले ही स्थापित किए गए हैं 6 छोटे स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

क्रासबार एक्सचेंजों के 2000 लाइनों के विस्तार में से कटक में 1000 लाइनें पहले स्थापित की गई हैं तथा अन्य 1000 लाइनें 1983-84 के दौरान भुवनेश्वर में स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

उड़ीसा राज्य में कुल 116 डाकघर खोले गए हैं जिसमें 67 आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए हैं।

(ग) जी नहीं। इस क्षेत्र में संचार सेवाएं सामान्यत: संतोषजनक हैं।

जालन्धर दूरदर्शन केन्द्र पर बम द्वारा हमला

658. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 फरवरी, 1984 को जालन्धर दूरदर्शन केन्द्र पर एक बम से हमला किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिनांक 3-2-1984

को दूरदर्शन रिले केन्द्र, अमृतसर के नगर कार्यालय भवन के अहाते में एक हथगोला फटा था न कि जालन्धर दूरदर्शन केन्द्र में।

(ख) केवल एक खिड़की का शीशा टूटा था।

(ग) आवश्यक पेशबन्दी कर ली गई है तथा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

ब्रिटिश-अमरीकी गैस उत्पादन कम्पनी द्वारा भारत में संयत्र की स्थापना

659. **श्री नीरेन घोष** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ब्रिटिश-अमरीकी गैस उत्पादन बहुराष्ट्रीय कम्पनी "एयर-पैक" को भारत में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं,

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विभिन्न मंत्रालयों की ओर से डाक एजेंसी कार्य करने से डाक विभाग को होने वाली आय

661. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वित्तीय वर्षों से विभिन्न मंत्रालयों की ओर से एजेंसी कार्य करने से डाक विभाग को कितनी आय हुई ;

(ख) क्या उक्त आय डाक-तार विभाग द्वारा की गई सेवाओं के अनुरूप है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त एजेंसी कार्य करने से डाक-तार विभाग को कितनी हानि हुई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एम० पाटिल) : (क) वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों की ओर से डाक-तार विभाग द्वारा एजेंसी कार्य करने पर हुई आय के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) डाक विंग द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर हुआ व्यय सम्बन्धित विभागों से परामर्श करके वसूल किया जाता है।

विवरण

डाक-तार विभाग द्वारा अन्य मंत्रालयों की ओर से एजेंसी के रूप में कार्य करने पर हुई आय का ब्यौरा

क्र० सं०	एजेंसी कार्य का नाम	आय 1981-82	आय 1982-83	मंत्रालय का नाम
		(लाख रुपए में)		
1.	रेडियो तथा टी० वी० लाइसेंस (बी० आर० एल०) से प्राप्त सेवा प्रभार	523·71	1002·15	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
2.	पासपोर्ट शुल्क डाक टिकटों तथा पासपोर्ट फार्मों की बिक्री का कमीशन	3·22	15·91	विदेश मंत्रालय
3.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट से प्राप्त कमीशन	3·65	1·60	वित्त मंत्रालय
	आयकर विवरणी की बिक्री से प्राप्त कमीशन	0·89	0·63	—वही—
	डाकघर बचत बैंक तथा जी० एस० कार्य प्रबन्ध	4427·16	4852·32	—वही—
	सीमा शुल्क से प्राप्ति	92·67	89·25	—वही—
	डाक बीमा व्यवस्था	246·03	282·16	
	उप-योग (वित्त मंत्रालय)	4770·40	5235.96	
4.	सेना पेंशन	171·20	158·96	रक्षा मंत्रालय
	सेना डाक सेवा की ओर से कार्य करने पर प्राप्त कमीशन	19·12	20-99	—वही—
	उप-योग (रक्षा मंत्रालय)	190·32	179·05	
5.	रेलवे पेंशन कार्य	8·03	8·97	रेल मंत्रालय
6.	कोयला तथा खान पेंशन कार्य	0·60	0·81	श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय
7.	मार्ग-शुल्क से प्राप्त कमीशन	2·95	4·55	अन्य मंत्रालय
8.	अन्य सेवाएं	1139·14	598·91	—वही—
	उप-योग (अन्य)	1139·09	603·46	
	कुल योग	6635·37	7046·31	

कोयले की कीमतों में वृद्धि

662. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में कोयले की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं जबकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका प्रभाव सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ेगा और मुद्रास्फीति और बढ़ेगी ; और

(ख) कोयला उद्योग में भारी निवेश करने तथा 10 वर्षों के दौरान कोयले की कीमतों में 345 प्रतिशत वृद्धि करने के बावजूद भी क्या कारण हैं कि सरकार कोयले का उत्पादन बढ़ाने या उसकी गुणवत्ता में सुधार करने में बिल्कुल असफल रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के (कोयला विभाग) में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो की सिफारिशों पर और अन्य सभी संगत बातों—जैसे उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि, राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता—III का आर्थिक भार, मूल्य ह्रास तथा ब्याज में वृद्धि, आदि—को ध्यान में रखते हुए कोयले की कीमतें 8-1-1984 से संशोधित की गई हैं। कोयले की कीमतों में संशोधन करते समय प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों पर इसके भार को ध्यान में रखा गया था।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में कोयला उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है। वर्ष 1978-79 के 101·95 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 1983-84 में कोयला उत्पादन लगभग 142 मिलियन टन होने की आशा है।

औद्योगिक संबंध आयोग की स्थापना

663. **श्री नवीन रावणी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सनत मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार एक औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की स्थापना करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) कर्मचारियों के लिए यह कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की स्थापना के बारे में सनत मेहता समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) इस अवस्था पर प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वोत्तर तथा उत्तर-पश्चिम सर्किलों में लाइन स्टोर्स तथा स्विचिंग उपकरण की कमी

664. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइन स्टोर्स तथा 25-लाइन एस० ए० एक्स० यूनिट सहित स्विचिंग उपकरण की

भारी कमी है, जिसके फलस्वरूप विशेष रूप के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं को स्थापित करने में अत्यधिक बिलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान (एक) पूर्वोत्तर (दो) पूर्वोत्तर सर्किल (प्रत्येक निर्वाचक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मामले में अलग-अलग मद-वार कितनी कमी थी ;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं तथा इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) उक्त कमी को किस संभावित तिथि तक दूर कर दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : सामान्यतया कार्य के लिए लाइन स्टोर की कोई कमी नहीं है। सी० बी० एन० बोर्ड तथा छोटे स्वचल एक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई में कमी रही है, परन्तु ऐसी आशा है कि मार्च, 1984 तक आवंटित मात्रा की सप्लाई कर दी जाएगी।

(ख) **उत्तर पश्चिम सर्किल**

	1983-84 के लिए आवंटित मात्रा	31-1-84 तक सप्लाई की गई मात्रा
सी० बी० एन० एम० बोर्ड	24	12
25 लाइन का एस० ए० एक्स०	47	23
उत्तर पूर्व सर्किल :		
25 लाइनों का एस० ए० एक्स०	20	15

सर्किल को एक बार ही पूरा आवंटन कर दिया जाता है, और सर्किल का दूरसंचार महाप्रबन्धक कार्यों की आवश्यकतानुसार स्टोर्स और उपस्कर का वितरण करता है।

(ग) पूरे देश की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम तथा उत्पादन क्षमता के अनुसार आवंटन किए जाते हैं ! वर्ष की अलग-अलग तिमाहियों के दौरान सप्लाई में विलम्ब हुआ है। उपकरण तथा भंडार की समय पर सप्लाई करने के लिए विनिर्माण यूनिटों के साथ आवधिक-समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(घ) उपरोक्त सप्लाई की मार्च, 1984 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

शार्ट वेव रेडियो बैण्ड्स का वितरण

665. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन में भारत तथा कुछ अन्य विकासशील देशों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच शार्ट वेव रेडियो बैण्ड्स के अधिक

न्यायसंगत वितरण का प्रस्ताव रखा था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में यह बात सर्वसम्मति से मान ली गई कि लघु तरंग रेडियो पट्टियों की आयोजा, समता के आधार पर बनाई जाए तथा प्रसारण की सभी आवश्यकताओं को एक समान माना जाए। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लेने वाले प्रथम सम्मेलन द्वारा निर्धारित तकनीकी कसौटी और आयोजना के सिद्धांतों/तरीकों के आधार पर, 1986 में होने वाले दूसरे सम्मेलन में इसकी योजना पर वस्तुतः अमल किया जायेगा।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

666. **श्री टी० आर० शमन्ना** :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री हरिहर सोरन :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्य में हाल ही में की गई 25 प्रतिशत वृद्धि से देश के आर्थिक विकास में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो गई है ;

(ख) कोयले के मूल्य में तीव्र वृद्धि की आवश्यकता के लिए कौन से तथ्य जिम्मेवार हैं ; और

(ग) कोयले के मूल्य में 25 प्रतिशत वृद्धि निर्धारित करने के अलग-अलग कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के (कोयला विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरों की सिफारिशों पर तथा अन्य सभी संगत बातों—जैसे उत्पादन सामग्रियों में वृद्धि के कारण हुई उत्पादन लागत में वृद्धि, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता और राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता—III के आर्थिक भार के कारण कामगारों के वेतन और मजदूरी में वृद्धि, मूल्य ह्रास और ब्याज में वृद्धि आदि—को ध्यान में रखते हुए कोयले की औसत खान—मुहाना कीमत 8-1-1984 से संशोधित की गई है। यह संशोधन कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले के मामले में रु० 145.90 प्रति टन से रु० 183·00 प्रति टन किया गया है और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले के मामले में रु० 154·75 प्रति टन से रु० 192·00 प्रति टन किया गया है। साफ्ट कोक—जो आम आदमी का ईंधन है—की कीमत वर्तमान रु० 175·00 प्रति टन ही बनाए रखी गई है जो इसके उत्पादन की लागत से रु० 120·00 प्रति टन कम है। कोयले की कीमतों में संशोधन करते समय प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों पर इसके आर्थिक भार को ध्यान में रखा गया था।

उड़ीसा के कोटा पुर ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना

667. **श्री गिरिधर गोमागो** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत अब तक लाये

गये खण्डों तथा क्षेत्रों के क्या नाम हैं ;

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार इस जिले में वर्ष 1984-85 के दौरान किन-किन नये खण्डों तथा लघु ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं, यदि कोई हैं, को सम्मिलत किया जायेगा ;

(ग) क्या इस जिले में कुछ कठिनाइयों के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति धीमी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा प्रगति में गति लाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड से एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में टेलिविजन "रिले टावर्स"

668. **श्री गिरिधर गोमागो** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य में टेलीविजन "रिले टावर्स" लगाने का काम शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) ये काम कब तक पूरे हो जाएंगे और प्रसारण कार्य शुरू करने लगेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कटक में उच्च शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर और राउकेला, बरहामपुर और कोरापुट में अल्प शक्ति वाले तीन दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाये जाने का उम्मीद है। कटक में दूरदर्शन टावर का निर्माण कार्य हाथ में लिया जा रहा है। अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के लिए स्थानों का अधिग्रहण कर लिया गया है। दूरदर्शन ट्रांसमीटरों और उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। इन दूरदर्शन रिले केन्द्रों के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

बिहार में डीजल, मिट्टी के तेल, यूरिया आदि का अभाव

669. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में बिहार में विशेषतया उत्तरी बिहार में डीजल, मिट्टी के तेल, यूरिया आदि का अत्यधिक अभाव रहा है, जिससे कृषि कार्यों को काफी नुकसान पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में पर्याप्त सप्लाई और समान वितरण के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1983 के दौरान उत्तरी बिहार के कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल की कुछ कमी की सूचना मिली थी। ऐसा परिवहन समस्याओं के कारण हुआ था। अतिरिक्त सप्लाई का प्रबन्ध किया गया था, तथा जनवरी, 1984 में स्थिति में सुधार हुआ था। आवश्यकताओं को अब पर्याप्त रूप से पूरा किया जा रहा है। नाइट्रोजन-मुक्त उर्वरकों की कोई कमी अनुभव किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

लकड़ी और गोबर के स्थान पर कोयले का इस्तेमाल करने वाले गांवों को राज सहायता देने की योजना

670. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन सम्पदा और भूमि की उर्वरकता को बचाने के उद्देश्य से, लकड़ी और गोबर के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने वाले गांवों को राज सहाययता देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

"सी० आई० एल० बर्डन्ड विद 8 मिलियन टन्स आफ फिक्टीशियस और 'अनसेलेबल कोल स्टाक्स" शीर्षक समाचार

671. **श्री एल० के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान धनबाद से प्रकाशित एक साप्ताहिक "द कोल फील्ड टाइम्स" के नंबर 1983 के अंक में "सी० आई०एल०" वर्डन्ड विद 8 मिलियन टन्स आफ फिक्टीशियस आर अनसेलेबल कोल स्टाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय के (कोयला विभाग) में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इथमबुटोल एण्ड एसाइनोबुटेनोल का उत्पादन आयात और मूल्य नियंत्रण

672. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान डी एल-2 एमाइनो बुटेनोल से इथेम बुटोल एच० सी० एल०

बनाने वाले प्रमुख निर्माताओं ने डी टारटेरिक एसिड का कितना आयात और उपभोग किया,

(ख) वर्ष 1983 के दौरान इथेम बुटोल का कितना उत्पादन हुआ,

(ग) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने डी एल-2 एमाइनोबुटोल डी-2 एमाइनो बुटोल के आयात में अनेक अनियमितताओं का पता लगाया है यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और पता लगाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या यह भी सच है कि निर्माताओं के उनके साथ हुए समझौते के परिणामस्वरूप इथम-बुटोल एच० सी० एल० के मूल्य निर्धारित हुए थे और अनियमितताएं उसके बाद की गई थीं, और

(ङ.) यदि हां, तो उन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने अनियमितताएं की हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) सूचना जहां तक उपलब्ध हो एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद के कार्यदल के निष्कर्ष और सिफारिशें

673. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद की सिफारिशों के आधार पर कार्यदल गठित किए थे, यदि हां, तो कार्यदलों का क्या ब्यौरा है,

(ख) प्रत्येक कार्यदल के मुख्य मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा विकास परिषद द्वारा संतुत कार्यदलों के अलावा अन्य अनेक कार्यदल गठित किए गए हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा, उनके विचारार्थ विषय क्या हैं तथा उन्हें कब गठित किया गया था और उनके कब तक अपने-अपने प्रतिवेदन दिए जाने की सम्भावना है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध एवं भेषज विकास परिषद (सं० ओ० प०) ने 28-5-83 को हुई अपनी पहली बैठक में तीन कार्य कारी दल गठित करने का निर्णय लिया, अर्थात

(1) औद्योगिक अनुमोदन सम्बन्धी कार्यकारी दल

(2) मूल्य निर्धारण नीति एवं प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यकारी दल।

(3) आयोजन एवं विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर राष्ट्रीय औषध एवं भेषज विकास परिषद द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशें तब मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखी जाएगी। अंततः सरकार के निर्णय सभा पटल पर रखे जाएंगे।

(ग) रा० ओ० प० के उपर्युक्त तीन कार्यकारी दलों के अतिरिक्त, दो अन्य अन्तर मंत्रालय

दल एक औषध (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औषधों के उत्पादन की वैधता के प्रश्न की जांच करने के लिए और दूसरी मै० फाइजर लि० द्वारा प्रिटेटीन हाइड्रोलिसेट तथा प्राटीनेक्स के उत्पादन एवं विपणन की जांच करने के लिए क्रमशः 13 अगस्त, 1982 और 17 सितम्बर, 1983 को गठित किए गए हैं। इन दलों द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

औषधि कम्पनियों की अधिष्ठापित क्षमता को मान्यता देने सम्बन्धी आवेदन पत्रों का निपटान

674. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 की नीति के अनुसार बल्कि औषधियों और फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में अधिष्ठापति क्षमता को मान्यता देने के बारे में कितने आवेदन प्राप्त हुए थे,

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अधिष्ठापित क्षमता की मान्यता हेतु आवेदन किया था, किन मदों के लिए आवेदन किया था और उन कम्पनियों तथा मदों के क्या नाम हैं जिनको क्षमता की मान्यता दी गई थी,

(ग) बकाया आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है,

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने अधिष्ठापित क्षमता को मान्यता देने की 1980 की नीति के अन्तर्गत लगाए गए संयंत्र और मशीनरी की जांच की थी, और

(ङ.) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, आवेदनपत्र प्राप्त करने और संयंत्र तथा मशीनरी के सत्यापन किए जाने की तारीखें क्या-क्या हैं, प्रत्येक मामले में सत्यापन के समय संयंत्र और उपकरणों के बारे में क्या निष्कर्ष थे।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) अगस्त 1980 में घोषित स्थापित क्षमता को मान्यता देने की नीति के अधीन औषध कम्पनियों से इकहत्तर आवेदन प्राप्त हुए हैं।

कम्पनियों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (विवरण-I)

13 कम्पनियों के नाम, मदें और मान्यता दी गई/नियमित की गई क्षमताएं दर्शाने वाला दूसरा विवरण भी संलग्न है (विवरण-II)। इन सभी मामलों में जहां स्थापित क्षमता को मान्यता दी गई थी उत्पादन आंकड़े और निर्माता एककों द्वारा स्थापित किए गए संयंत्र और मशीनरी जैसा कि इन कम्पनियों द्वारा सूचित किया गया है और सनदी लेखकारों/इन्जीनियरों द्वारा यथा प्रमाणित है, को उत्पादक स्थापित क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए अन्तर-मन्त्रालय द्वारा ध्यान में रखा गया था जिसमें डी० जी० टी०डी० का एक प्रतिनिधि शामिल था जो कम्पनियों से प्राप्त मासिक उत्पादन रिपोर्टों के आधार पर संगठित क्षेत्र में उत्पादन को मानीटर करता है और पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करता है।

अपात्रता अथवा आवेदन कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र वापस ले लिए जाने जैसे कारणों से 29 आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए हैं अथवा निर्णीत समझे गए हैं।

शेष 29 आवेदनों पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही चल रही है और कम्पनियों द्वारा भेजे गए ब्यौरों के सत्यापन में उत्पादन और संयंत्र तथा मशीनरी शामिल है।

उपरोक्त वर्णित लम्बित मामलों में से निम्नलिखित मामलों में मौके पर सत्यापन के आदेश दिए गए थे :—

1. मैं० ग्लेक्सो लेबोरेटरीज लि० (बेटामेथाजोन)

2. मैं० ग्लेक्सो लेबोरेटरीज लि० (फार्मूलेशन्स)

3. मैं० साराभाई एम० कैमिकल्स लि०

4. मैं० सुधीर गेगो आफ इण्डिया लि०

5. मैं० बुरोज बेलकम आफ इंडिया लि०

6. मैं० फाइजर लि०

7. मैं० सिनमाइड (इण्डिया) लि०

8. मैं० बेयर (आई) लि०

एक तकनीकी दल ने अगस्त, 1983 में बुरोज वेलकम के सम्बन्ध का और फरवरी, 1984 में मैं० साराभाई कैमिकल्स का दौरा किया। जांच कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

विवरण-I

आर० आई० सी० नीति 1980 के अधीन प्राप्त हुए आवेदन पत्र।

भारतीय क्षेत्र

1. एलबर्ट डेविड लि०

2. एसोसिएटेड कैपस्युल्स प्रा० लि०

3. एलम्बिक कैमिकल्स वर्क्स प्रा० लि०

4. एन्ग्लो फ्रेंच ड्रग्स कम्पनी (ईस्टर्न) लि०

5. बोहरिंगर नील लि०

6. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि०

7. बोयोलोजिकल इवेन्स लि०

8. क्रेडीला लेवोरेटरीज लि०

9. कैमिकल्स इण्डस्ट्रीयल एण्ड फार्मास्युटिकल्स लेब्स लि०

10. धुपर इन्टरफ्रान लि०

11. डेज मेडीकल स्टोर्स, (एम० एफ० जी०) प्रा० लि०

12. डाबर (डा० ए० के० बरमन) प्रा० लि०

13. फेयरडील कारपोरेशन प्रा० लि०

14. ईस्ट इण्डिया फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि०

15. जर्मन रेमीडीज लि०

16. ज्योफरी मेनर्स एण्ड कम्पनी लि०

17. हमदर्द (वक्फ) लेवोरेटरीज (आई)

18. इण्डो फार्मा फार्मास्युटिकल्स वर्क्स प्रा० लि०

19. आई० डी० एल० (एम० आई० टी०) लेब्स लि० (न्यू आस्ट्रा आई० डी० एल०)

20. जे०एल० मोरिसन, सन एण्ड जोगनस इण्डिया लि०

21. निकोलस लेब्स

22. ओरियन्ट फार्मा प्रा० लि०

23. फार्मास्युटिकल्स केपस लेब्स

24. रेपटेन्स बीड एण्ड कम्पनी प्रा० लि०

25. रेनबेन्सी लेब्स लि०

26. रेकिटस एण्ड कोलमन आफ इण्डिया लि०

27. सर्ले इंडिया लि०

28. थेमिस फार्मास्युटिकल्स (2 आवेदन पत्र)

29. थेमिस कैमिकल्स लि०

एम० आर० टी० पी०

30. साराभाई एम० कैमिकल्स

31. सी बातुल लि०

32. रसूल फार्मास्युटिकल्स लि०

33. चौगुल एण्ड कम्पनी (हिन्दी) प्रा० लि०

34. रेहलस इण्डिया लि०

35. एवल प्रोडक्टस लि०

36. साराभाई कैमिकल्स

37. सुधीर गेगी लि०

38. स्टेन्डर्ड फार्मास्युटिकल्स लि०

39. बिनबायोटिक्स लि०

फेरा

40. ई० मर्क (आई) लि०

41. वेयथ लेब्स लि०

42. यूनी सेन्क्यो लि०

43. बट्स कम्पनी (आई) लि०

44. स्मिथ केलाइन एण्ड फ्रेंच (आई) लि०

45. मर्क शार्प एण्ड डोहमे आफ इण्डिया लि०

46. अबोट लेब्स (आई) लि०

47. मैं० एण्ड बेकर लि०

48. रोचे प्रोडक्ट्स लि०

49. पार्क डेविस (आई) लि०

50. रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०

51. वारनर हिन्दुस्तान लि०

52. बुरोज वेलकम एण्ड कम्पनी लि०

53. जोनसन एण्ड जोनसन आफ इंडिया लि०

54. ओगेनन इंडिया लि०

एम० आर० टी० पी० फेरा

55. फाइजर लि०

56. सिनामिड (आई) लि० (2 आवेदन पत्र)

57. होचेस्ट फार्मास्युटिकल्स लि० (4 आवेदन पत्र)।

58. एलकली एण्ड कैमिकल्स कार्पो० आफ इण्डिया लि० (3 आवेदन पत्र)

59. बेयर (आई) लि०

60. सी० बी० गेगी आफ इण्डिया लि०

61. ग्लेक्सो लेब्स (आई) लि० (3 आवेदन पत्र)

62. सेन्डोज (इण्डिया) लि०

आवेदन पत्रों की संख्या—71

कम्पनियों की संख्या —62

विवरण-II

आर० आई० सी० 1980 नीति के अधीन जारी किए गए पृष्ठांकन
लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 674, दि० 28-2-1984

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	मदें	क्षमता
1	2	3	4
1.	मै० एसोसिएटेड कैपसुल्स प्रा० लि०	खाली सख्त जिलेटिन कैप०	1400 मिलियन सं०
2.	मै० एलकली एण्ड कैमिकल्स कार्पो० आफ इण्डिया लि० कलकत्ता	सिट्रिमाइड	65 टन
3.	मै० एलकली एण्ड कैमिकल्स कार्पो० आफ इण्डिया लि० कलकत्ता	प्रोपानोल	2 टन

1	2	3	4
4.	मै० जे० एल० मोरिसन सन एण्ड जोनस (इण्डिया) लि० कलकत्ता स्टेट	1. प्लास्टर आफ पेरिस उत्पाद	19.17 ला० इ०
		2. सर्जिकल एडीसिव उत्पाद	106.72 ला० यू०
5.	मै०बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि० कलकत्ता	तीन फार्मूलेशन्स	बल्क औषध आवश्यकता के रूप में
6.	मै० रेप्टेक्स ब्रीट एण्ड कम्पनी लि० बम्बई	पांच फार्मूलेशन्स	—वही—
7.	मै० ईस्ट इण्डिया फार्मास्युटिकल्स लि० कलकत्ता	25 फार्मूलेशन्स	—वही—
8.	मै० ओरियन्ट फार्मा० (प्रा० लि०)	1. पेनिओन गोलि०	—वही—
		2. इपीडोसिन	
		3. ओसिपान गोलि०	
		4. एमीनोफिलिन गोलि०	
		5. बिनिरेक गोलि०	
		6. रिपासन गोलि०	
		7. रिपासन इन्जे०	
		8. रिक्रोन इन्जे०	
		9. इपीडोसिन इन्जे०	
9.	मै० डाबर (डा०एस०के वर्मन) लि०	18 फार्मूलेशन्स	—वही—
10.	मै० ज्योफरी मैनर्स एण्ड कम्पनी लि० बम्बई	मेडीथेन मलहम	—वही—
11.	मै० बोहरिंगर नील लि० बम्बई	24 फार्मूलेशन्स	बल्क औषध आवश्यकता के रूप में
12.	मै० डेस मेडीकल स्टोर्स (एम० एफ० जी०) लि० कलकत्ता	8 फार्मूलेशन्स	—वही—
13.	मै० आंगेनन (इण्डिया) लि०	1. ओस्ट्राडल फिनाइल प्रोपियोनेट	1.4 किग्रा०
		2. ओस्ट्राडल बेन्जोएट	8.00 किग्रा०
		3. टेस्टास्टीरोन फिनाइल प्रोपियोनेट	41.5 किग्रा०
		4. टेस्टास्टोरो आइसोकेप्रोएट	37.5 कि ग्रा०
		5. टेस्टास्टीरोन डेकोनेट	22.5 कि ग्रा०

बल्क ड्रग्स और फार्मूलेशनों की क्षमता के लिए पुनर्नुमोदन हेतु आवेदन

675. **श्री तारिक अनवर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 और 1983 में घोषित योजनाओं के अनुसार बल्क ड्रग्स और फार्मूलेशनों की क्षमताओं के पुनर्नुमोदन के लिए कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं तथा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत किन कम्पनियों, किन उत्पादों और कितनी कितनी क्षमताओं के लिए पुनर्नुमोदन मांगा गया है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक योजना के अन्तर्गत किन-किन कम्पनियों के उत्पादन और क्षमताओं का पुनर्नुमोदन किया गया ; और

(ग) क्षमताओं के पुनर्नुमोदन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा गया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) अप्रैल, 1982 की नीति के अधीन 63 आवेदन-पत्र अप्रैल, 1983 की नीति के अधीन 34 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। कम्पनियों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र (अनुबन्ध-I) संलग्न है। आवेदित मदों की संख्या बहुत अधिक है और इनके संकलन और आवेदित क्षमता में काफी समय और श्रम लगेगा।

(ख) कम्पनियों के नाम उपरोक्त नीतियों के अधीन प्रस्थान्कित मदें और क्षमताएं दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र (अनुबन्ध-II) संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल० टी० 7767/84]

(ग) पुनः पृष्ठांकन की अनुमति, उद्योग मन्त्रालय के दिनांक 21-4-82, 3-5-82, 8-4-83, 22-4-83 के प्रेस नोटों और इस मन्त्रालय के दिनांक 17-10-81 के प्रेस नोट में निहित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए दी गई है।

नई बल्क औषधियों के लिए बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

676. **श्री हरीश रावत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औषध नीति की घोषणा किए जाने के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने जिन नई बल्क औषधियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु आवेदन किया है उनके नाम क्या हैं ;

(ख) जिस क्षमता के लिए आवेदन किया गया है उसका ब्यौरा क्या है और उन कम्पनियों ने आवेदन-पत्र कब भेजे थे ;

(ग) किन नई बल्क औषधियों के लिए प्रौद्योगिकी को बेहतर माना गया है और ऐसी कम्पनियों को आशयपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(घ) क्या ऐसी नई औषधियों के प्रौद्योगिकी सम्बन्धी तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ; और

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) नई औषध नीति की घोषणा के पश्चात 17 कम्पनियों ने 62 बल्क औषधों के लिए किया। नई औषध नीति की घोषणा के पश्चात् औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए इन कम्पनियों ने जिन नई बल्क औषधों के लिए आवेदन किया था, उनके नाम, क्षमता और आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि विवरण-I में दिए गए हैं।

इनमें से 7 कम्पनियों के सम्बन्ध में 10 बल्क औषधों के लिए आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे, चूंकि निर्माण का मूल्यांकन उच्च प्रौद्योगिकी निहित के रूप में किया गया था। ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) इन बल्क औषधों के लिए प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया गया है।

विवरण-II

क्रमांक	कम्पनी का नाम	बल्क औषधि का नाम
1.	मै० फाइजर लिमिटेड	1. पाइरेंटल पामोट
		2. मोरेंटल टरट्राटे
2.	मै० होचेस्ट फार्मा लिमिटेड	एप्रोटाइनाइन
3.	मै० ई० मर्क	एल्हजेन्स (मदर एक्सट्रेक्ट्स)
4.	मै० सेन्डोज इण्डिया लि०	क्लोपामाइड
5.	मै० बूट्स इण्डिया कम्पनी लि०	डोथी ओपिन (एच०सी०एल०)
6.	मै० होचेस्ट फार्मा लि०	फेनबेनडाजोल
7.	मै० सीबा गैजी	एंक्लीटोल
8.	वही	रिमाक्टेन (रिफाम्पिसिन)
9.	मै० बूट्स कम्पनी (आई०) लि०	फ्लूरबीप्रोफिन

बहुराष्ट्रीय बल्क ड्रग कम्पनियों की क्षमता के पुनर्नुमोदन आवेदन की जांच

677. **श्री हरीश रावत** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पक्ष में बल्क ड्रग्स और नियमन के लिए क्षमता के पुनर्नुमोदन करते समय यह निर्धारित करने कि क्या स्थापित क्षमता प्राधिकृत है अथवा नहीं, यदि जांच नहीं की गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में कुछ कम्पनियों की क्षमताओं के पुनर्नुमोदन की मंजूरी

विवरण-I

कम सं०	कम्पनी का नाम	बल्क औषध का नाम	क्षमता	आवेदनपत्र की तिथि
1	2	3	4	5
1.	मै० स्मिथ केलाइन एण्ड फ्रेंच	सिमिडाइन	3500 कि०ग्रा०	30-6-78
2.	मै० सेन्डोज (आई०) लि०	क्लोरोक्वीन फास्फेट	30 टन	10-8-78
3.	मै० बरोज वेलकम	एलोपुरिनोल	3000 कि०ग्रा०	उपलब्ध नहीं
4.	मै० हैक्स्ट फार्मा	केनाइन डिस्टेम्पर एण्ड हेप्टाटिज वैक्सीन	5 लाख खुराक/वर्ष	17-6-78 (×)
1979				
1.	मै० ई० मर्क	पेपिन (रिफाइन्ड)	50 टन	17-1-79
2.	मै० एलकली एण्ड कैमि० कार्पो०	1. प्रिमाक्वीन फास्फेट 2. क्लोरोक्वीन फास्फेट	2.5 टन 25 टन	22-1-79
3.	मै० सीबा गेगी	एंकलीटोल	12 टन	29-3-79
4.	मै० सिनमाइड (आई०) लि०	इथम्फुटोल	50 टन	30-4-79

(×) (पैर और मुंह की बीमारियों के टीकों की लाइसेंसशुदा क्षमता के अन्तर्गत)

1	2	3	4	5
5.	मै० एलकली एण्ड कैमि० कार्पो०	एन्टी सुरा ड्रग्स पशु चिकित्सा हेतु		9-8-79
		1. क्वोनापाइरेमाइन मिथाइल सल्फेट	3 टन	
		2. क्वीनापाइरेमाइन मिथाइल क्लोराइड	2 टन	
6.	मै० रोचे प्रोडक्ट्स	फल्युरासिल	75 कि०ग्रा०	20-8-79
7.	मै० होचेस्ट फार्मा० लि०	फेनबेनडाजोल सब्सटेंस	10 टन	8-10-79
8.	मै० सेन्डोज (आई०) लि०	1. क्लोपामाइड	750 कि०ग्रा०	27-10-79
		2. पेप्टोन	80 टन	
1980				
1.	मै० सेन्डोज (आई०) लि०	1. सक्सीनिक एसिड	18 टन	
		2. फेरस सक्सीनेट	18 टन	7-1-80
2.	मै० मे एण्ड बेकर (आई०) लि०	1. बेन्जाइल मेट्रानिडाजोल	10 मी० टन	10-1-80
3.	मै० मे एण्ड बेकर (आई०) लि०	थियोपेन्टोन सोडियम आई०पी० स्टीराइल	5,000 कि०ग्रा०	1-2-80
4.	मै० रोचे प्रोडक्ट्स लि०	सल्फाडोक्साइन	7,000 कि०ग्रा०	27-2-80
5.	मै० फाइजर लि०	1. रिफाम्पिसिन	30 मि० टन	25-4-80
		2. सिलालिक्सिन	38 मि० टन	
		3. सिलेफरिडिन	2 मी० टन	

6. मैं० रोचे प्रोडक्ट्स लि०	ओरनिडाजोल	15 टन	14-5-80
7. मैं० ई० मर्क (आई०) लि०	1. एलरजिन एक्सट्रेक्ट (पोलन्स, फंगाई, इन्सेक्ट्स, इपीथीलिया, डस्ट्स और फूड) निदान और उपचार हेतु	600 लीटर मदर एक्सट्रेक्ट्स	
	2. कांट्रेक्स एलरजेन्टस एक्सट्रेक्टस फार डाएगनोसिस	का 10 प्रतिशत	20-5-80
8. मैं० ग्लैक्सो लेब्स	1. सोटालोल एच०सी०एल०	2,325 कि०ग्रा०	24-5-80
	2. लोबामिसोल	1,380 कि०ग्रा०	
	3. नेरीथीस्टीरोन	270 कि०ग्रा०	
	4. पेन्टाजोनिक एच०सी०एल०/लेक्टेट	1,375 कि०ग्रा०	
	5. फ्यूराजोनिडोन	6,585 कि०ग्रा०	
	6. डाइफिनोक्सीलेट एच०सी०एल०	570 कि०ग्रा०	
	7. क्लोरफिनिरेमाइन मेलीएट	1,935 कि०ग्रा०	
	8. इब्युप्रोफिन	17,400 कि०ग्रा०	
	9. डिक्वोनियम क्लोराइड	100 कि०ग्रा०	
9. मैं० यूनी सेन्क्या लि०	सिस्टाइन एच०सी०एल०और साल्ट	50 टन	13-6-80
10. मैं० रोचे प्रोडक्ट्स लि०	आइसोफिलेन्टीपाइरीन	100 टन	27-6-80
11. —वही—	परसीडोन	20 टन	27-6-80
12. मैं० सीबा गेगी आफ इण्डिया लि०	1. रिमेक्टेन	16 टन	29-11-80

1	2	3	4	5
13.	मै० होचेस्ट फार्मा० लि०	बेपटेप्रेशन सब्सटेंश (पेन्बुटोलाल)	3,000 कि०ग्रा०	25-8-80
14.	मै० बूट्स कम्पनी (आई०) लि०	डोथीपिन एच०सी०एल०	10 टन	18-9-80
15.	मै० ग्लैक्सो लेब्स	डिप्रोप्रियोनेट और डिक्लोमेथाजोन	150 कि०ग्रा०	23-12-80
1981				
1.	मै० ई० मर्क (आई०) लि०	डेकोडर्म	5 टन	22-1-81
2.	मै० मर्क शार्प एण्ड धोमहे आफ इण्डिया लि०	एमीलोराइड एच०सी०एल०	200 कि०ग्रा०	11-2-81
3.	मै० सीबा गेगी आफ इण्डिया लि०	सिन्टामिल	5000 कि०ग्रा०	
4.	—वही—	ट्रासीकोर	8 टन	15-9-81
5.	मै० यूनी सेन्क्यो लि०	सेन्जाइम (फ्यूजिगल डाइस्टेज)	18 टन	3-10-81
6.	मै० मर्क शार्प एण्ड ढोम आफ इण्डिया लि०	सिप्राहेप्टाडाइन एच०सी०एल०	600 कि०ग्रा०	4-12-81
7.	मै० ई० मर्क (आई०) लि०	1. विटामिन बी-6 (पाइरीडिओक्साइन एच०सी०एल०		21-12-81
1982				
1.	मै० बूट्स कम्पनी (आई०) लि०	1. क्लोरोक्वीन फास्फेट	36 मी० टन	1-2-82
		2. फिनिटोइन सोडियम	10 मी० टन	
		3. ट्राइमेथोप्रिम	30 मी० टन	

2. मै० होचेस्ट फार्मा०	बुक्लोसोमाइड	1,950 कि०ग्रा०	4-2-82
3. मै० पार्क डेविस (आई०) लि०	1. ब्रोमोडिफेनहाइड्रेमाइन एच०सी०एल०	0.63 टन	24-4-82
4. मै० बुरोज वेलकम	एलोपुरिनोल बी०पी०/आई०पी०	2,000 कि०ग्रा०	28-4-82
5. मै० सिनमाइड (आई०) लि०	1. डिसोफिनोल	107.31	1-7-82
	2. ट्राइहेक्सीफिनीडिल	175.83	
6. मै० सीबा गेगी आफ इण्डिया लि०	ट्रासिसर	8.0 टन	13-7-82
7. —वही—	1. वोल्टारन	1,500 कि०ग्रा०	13-7-83
	2. टेग्रीटोल	12,000 कि०ग्रा०	
	3. टेन्डीरिल	4,000 कि०ग्रा०	
8. मै० दि बूट्स कम्पनी (आई०) लि०	फ्यूरबिप्रोफिन	7,000 कि०ग्रा०	30-7-82
9. मै० वेयथ लेब्स लि०	पेन्टीयाजेक एसिड	2,500 कि०ग्रा०	6-8-82
10. मै० बुरोज वेलकम एण्ड कम्पनी (आई०) प्रा०लि०	ट्रिपोडीलीन एच०सी०एल०	1,000 कि०ग्रा०	7-9-82
11. मै० सेन्डोज (आई०) लि०	थियोरिडाजाइन एच०सी०एल०	5 मी० टन	4-10-82
12. —वही—	पिन्डोलोल	225 कि०ग्रा०	8-10-82
13. मै० ग्लैक्सो लेब्स (आई०) लि०	1. बेक्लोमेथोजोन डिप्रोपियोनेट	150 कि०ग्रा०	1-12-82
	2. क्लेबीटेस प्रोपियोनेट	60 कि०ग्रा०	
	3. क्लोबेटासोन ब्युटाइरेट	60 कि०ग्रा०	

1	2	3	4	5
	1983			
1.	मैं० होचेस्ट फार्मा० लि०	इथेक्रीडाइन लेक्टेट	20 टन	12-3-83
2.	मैं० मे एण्ड बेकर (इण्डिया) लि०	थियोपेन्टोन सोडियम	500 कि०ग्रा०	12-3-83
3.	मैं० यूनी सेन्क्यो लि०	गामा ग्लोब्युला	25 कि०ग्रा०	17-4-83
4.	मैं० रोचे प्रोडक्ट्स लि०	कारप्रोफेन	7.0 टन	13-5-83
5.	—वही —	ओरनिडाजोल	15 टन	13-5-83
6.	—वही—	ब्रोमाजोपाम	400 कि०ग्रा०	9-5-83
7.	मैं० इस्केलाब लि०	सिमिटिडाइन	10,000 कि०ग्रा०	26-12-83

से पूर्व इस पहलू की जांच करने का निर्णय लिया गया था ;

(ग) इससे पूर्व ऐसी जांच करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई थी और अब इसकी आवश्यकता समझी जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) जांच अधिकारी का नाम क्या है और अब तक कितने मामलों में जांच की गई है और क्या ऐसी जांचों की रिपोर्ट जनता को बताई जाएगी, यदि हां, तो कब ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) अप्रैल, 1982 और अप्रैल, 1983 में घोषित क्षमता के पुनः पृष्ठांकन सम्बन्धी नीतियां उत्पादन पर आधारित हैं और इनमें स्थापित क्षमता की वैधता को सत्यापन करने की व्यवस्था नहीं है। वे सभी कम्पनियों के लिए है न कि केवल बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के लिए।

(ख) और (ग) उठाई जा रही आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, संयंत्र और मशीनरी की स्थापना की जांच करने का निर्णय किया गया है।

(घ) एक तकनीकी दल, जिसमें इस मन्त्रालय का एक तकनीकी अधिकारी तथा दूसरा डी०जी० टी०डी० का अधिकारी शामिल था, ने मै०बरोज वेलकम तथा मै० साराभाई एम० कैमिकल्स के एककों का उनसे प्राप्त अगस्त, 1980 की नीति के अधीन आवेदन-पत्र के आधार पर दावा की गई स्थापित क्षमताओं के सम्बन्ध में दौरा किया और मै०सेन बायोटिक्स के एकक का अप्रैल, 1982 के अधीन प्राप्त उनके आवेदन-पत्र के आधार पर दौरा किया। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर अन्तिम निर्णय यथासमय सूचित कर दिया जायेगा ।

रानीखेत (उत्तर प्रदेश) में प्रधान डाकघर भवन का नया निर्माण तथा विस्तार

678. **श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत (उत्तर प्रदेश) में प्रधान डाकघर भवन के नये निर्माण तथा विस्तार का कार्य प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और विलम्ब के कारणों को दूर करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) रानीखेत प्रधान डाकघर की इमारत के विस्तार से सम्बन्धित निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में उप डाकघर खोलना

679. **श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में विभाग ने वर्ष 1981-82, 1982-83

और 1983-84 में कितने शाखा डाकघर और उप डाकघर मन्जूर किए हैं ; या कितने शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलना न्यायसंगत पाया गया है ;

(ख) क्या इन सभी स्थानों पर शाखा और उप-डाकघर खोले जाएंगे ;

(ग) यदि नहीं, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां शाखा और उप-डाकघर खोलना न्याय-संगत पाया गया है या जहां ये मन्जूर कर दिए गए हैं परन्तु खोले नहीं गए हैं ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सूचना इस प्रकार है :

	1981-82		1982-83		1983-84	
	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर
अल्मोड़ा	4	शून्य	शून्य	शून्य	14	शून्य
पिथौरागढ़	1	शून्य	शून्य	शून्य	12	शून्य

(ख) जी, हां ; चरणबद्ध रूप से बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो जाए और पदों के सृजन पर लगी पाबंदी से सम्बन्धित मितव्ययी आदेशों को हटा दिया जाए या उनमें ढील दे दी जाए।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना

680. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने महा-न्यायवादी के माध्यम से सरकार से विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और रिक्त पदों की उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जब उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई 1982 की रिट अर्जी सं० 6861, जिसमें यह मांग की गई थी कि भारत संघ को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के वर्तमान रिक्त पदों को भरने के लिए रिट/निदेश जारी किया जाए, 6-2-84 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए रखी गई, तो न्यायालय ने महान्यायवादी से अनुरोध किया कि वह सरकार पर जोर डाले कि रिक्त पदों को भरना अत्यावश्यक है।

(ख) उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार, संविधानिक प्राधिकारी के परामर्श से, इन पर विचार कर रही है। अन्य मामलों में राज्यों को प्रस्ताव भेजने के लिए निरन्तर स्मरण कराया जा रहा है।

24-2-84 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 75 रिक्त पद थे। उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण "I" में दिया गया है। जिन तारीखों से ये पद रिक्त पड़े हैं वे संलग्न विवरण "II" में दी गई हैं।

उच्च न्यायालयों में 31-12-1982 को लंबित मामलों के सम्बन्ध में स्थिति संलग्न विवरण "III" में दी गई है।

विवरण-I

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	24-2-1984 को रिक्त पद
1.	इलाहाबाद	20
2.	आंध्र प्रदेश	3
3.	बम्बई	4
4.	कलकत्ता	5
5.	दिल्ली	2
6.	गोहाटी	—
7.	गुजरात	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	4
10.	कर्नाटक	2
11.	केरल	6
12.	मध्य प्रदेश	11
13.	मद्रास	7
14.	उड़ीसा	1
15.	पटना	1
16.	पंजाब और हरियाणा	4
17.	राजस्थान	4
18.	सिक्किम	—
	योग	75

विवरण-II

22-2-1984 को स्थिति

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	रिक्तियां स्थायी	रिक्तियां अपर	वह तारीख जिससे स्तंभ 3 में दिखाया गया पद रिक्त हुआ है
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	10	10	4-12-82
				8-12-82
				30-12-82
				30-12-82
				30-12-82
				30-12-82
				30-12-82
				30-12-82
				30-12-82
				30-12-82
				1-01-83
				2-01-83
				1-07-83
				12-08-83
				15-08-83
				13-09-83
				4-10-83
				8-10-83
				29-11-83
				7-02-84
2.	आंध्र प्रदेश	1	2	26-11-82
				29-1182
				1-07-83
3.	बम्बई	2	2	5-10-83
				28-11-83
				29-11-83
				20-01-84

1	2	3	4	5
4.	कलकत्ता	5	—	1-12-82 1-01-83 1-03-83 15-03-83 23-10-83
5.	दिल्ली	—	2	19-11-83 19-11-83
6.	गोहाटी	—	—	—
7.	गुजरात	1	—	23-12-83
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—	1-10-83
9.	जम्मू-कश्मीर	2	2	23-2-80 28-6-83 शेष 2 पदों के सम्बन्ध टिप्पण देखें।
10.	कर्नाटक	1	1	20-8-82 11-4-83
11.	केरल	3	2	22-7-82 24-8-83 28-9-83 20-12-83 शेष एक पद के सम्बन्ध में टिप्पण देखें।
12.	मध्य प्रदेश	3	8	27-5-82 27-5-82 15-10-82 2-11-82 2-11-82 2-11-82 5-5-83 3-1-84 शेष तीन पदों के सम्बन्ध में टिप्पण देखें।

1	2	3	4	5
13.	मद्रास	7	—	8-12-81 29-12-81 9-02-83 12-09-83 15-9-83 22-10-83 25-01-84
14.	उड़ीसा	—	1	14-9-79
15.	पटना	1	—	28-5-83
16.	पंजाब और हरियाणा	3	1	1-3-83 9-4-84 29-11-83 16-01-84
17.	राजस्थान			5-08-82 20-10-82 23-10-83 17-12-83
18.	सिक्किम	—	—	—
		44	31	

टिप्पणी : ये नए पद हैं और ये उन तारीखों से मंजूर किए गए हैं जिनको ये भरे जाएं। ये अभी प्रथमवार भरे जाने हैं।

विवरण-III

विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	1,73,536
2.	आंध्र प्रदेश	60,901

1	2	3
3.	बम्बई	83,331
4.	कलकत्ता	1,03,427
5.	दिल्ली	46,709
6.	गोहाटी	12,174
7.	गुजरात	27,755
8.	हिमाचल प्रदेश	9,04
9.	जम्मू-कश्मीर	17,55
10.	कर्नाटक	1,21,82
11.	केरल	49,93
12.	मध्य प्रदेश	43,15
13.	मद्रास	92,177
14.	उड़ीसा	14,59
15.	पटना*	49,37
16.	पंजाब और हरियाणा	34,08
17.	राजस्थान	37,20
18.	सिक्कम	1
	योग	9,76,781

* केवल मुख्य मामले।

नई दिल्ली में राज्य व्यापार निगम भवन के गिरने से श्रमिकों की मृत्यु

681. **स्वामी इन्द्रवेश :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

डा० ए० यू० आजमी :

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ, नई दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के एक निर्माणाधीन भवन के गिर जाने

से अनेक श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार, जनपथ, नई दिल्ली में निर्माणाधीन एस० टी० सी० भवन में पांच श्रमिक मारे गए थे।

(ख) कुल मिलाकर 19 श्रमिक घायल हुए, जिनमें पांच श्रमिकों की मृत्यु हो गई। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन आयुक्त ने ठेकेदार को पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं कि वे मृत्यु मुआवजा जमा करे और उसने अपने न्यायालय में मामले की सुनवाई के लिए 5 मार्च 1984 निर्धारित की।

नई डाक जीवन बीमा योजना प्रारम्भ करना

682. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग ने अब तक कितनी बीमा योजनाएं और डाक बचत योजनाएं प्रारम्भ की हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार नई डाक जीवन बीमा योजना प्रारम्भ करने का है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी नई डाक जीवन बीमा योजना कब प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) नई डाक जीवन बीमा योजना में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विभाग ने निम्नलिखित डाक जीवन बीमा और डाकघर बचत बैंक योजनाएं शुरू की थीं और ये योजनाएं अभी चल रही हैं।

डाक जीवन बीमा

1. आजीवन बीमा

2. सावधि बीमा

3. परिवर्तनीय आजीवन बीमा।

4. प्रत्याशित सावधि बीमा (1-2-1984 को शुरू की गई है)

डाक बचत जमा

5. डाकघर बचत खाता

6. 10 वर्षीय डाकघर सावधि संचयी जमा खाता।

7. 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता

8. डाकघर सावधि जमा खाता—1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष।

9. 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता।

10. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र—दूसरा निर्गम

11. 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र—छठा निर्गम।

12. 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्र—सातवां निर्गम :

13. 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा पत्र

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकयकता

683. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र औद्योगिक और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिजली का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल के महीनों में बिजली और कोयला उत्पादन के मूलभूत क्षेत्र में गिरावट अथवा तेजी आई है ; और

(ग) यदि इसमें तेजी आई है, तो 1982 की तुलना में 1983 में बिजली और कोयले का कितना उत्पादन हुआ ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाल ही में विद्युत और कोयला के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। जनवरी 1984 के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 12644 मि० यूनिट हुआ जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 11056 मि० यू० हुआ था जो 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जनवरी 1984 में कोयला का कुल उत्पादन 13.97 मिलियन टन था जब कि जनवरी, 1983 में 11.98 मिलियन टन था जो 16.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। देश में अप्रैल-दिसम्बर 1983 के दौरान विद्युत उत्पादन 102248 मिलियन यूनिट था जबकि अप्रैल-दिसम्बर 1982 के दौरान 97344 मिलियन यूनिट था जो 5.0 की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-दिसम्बर 1983 के दौरान 95.22 मिलियन टन था जबकि 1982 की इसी अवधि के दौरान 90.82 मिलियन टन था जो 4.84 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्शाता है।

निर्वाचन आयोग की सिफारिशें

684. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने (i) प्रत्येक साधारण, निर्वाचन के पूर्व राज्यों में

राष्ट्रपति शासन लागू करने, (ii) लोक सभा निर्वाचन के व्यय की सीमा को बढ़ाने और (iii) मतदान और मतगणना के लिए कम्प्यूटर प्रणाली लागू करने आदि जैसी सिफारिशों सहित बहुत-सी सिफारिशें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख)प्रश्न के भाग (क) के (i) और (ii) में उल्लिखित बातों के सम्बन्ध में आयोग से सिफारिशें प्राप्त हुई थीं। किन्तु बाद में आयोग ने सरकार को सूचित किया कि उसने प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही न करने का विनिश्चय किया है। लोक सभा निर्वाचन के व्यय की सीमा में वृद्धि करने के बारे में आयोग की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है। (iii) जहां तक प्रश्न के भाग (क) की मद का सम्बन्ध है, आयोग ने बताया है कि उसने मतदान और मतगणना में कम्प्यूटर पद्धति को आरम्भ करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं किया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय आयोग के विचाराधीन है। किन्तु यदि प्रश्न में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के प्रयोग के प्रतिनिर्देश हैं, जिसके बारे में आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं, तो सरकार ने पहले विनिश्चय किया था कि संम्पूर्ण देश के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के प्रयोग के बारे में आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना संभव नहीं है। जब आयोग को यह विनिश्चय सूचित किया गया तो आयोग ने सरकार के इस विनिश्चय पर पुनः विचार किए जाने का अनुरोध किया। सरकार के पूर्ववर्ती विनिश्चय पर पुनर्विचार किए जाने के आयोग के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी द्वारा भारत के शेयरों का अर्जन

695. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान की नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी ने ईरानियन मैरीन नेशनल आयल कम्पनी में भारत के शेयर अर्जित कर लिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी ने भारत के शेयर अर्जित करने के लिए कोई मुआवजा दिया है ;

(ग) यदि हां, तो ईरान द्वारा ईरानियन मेरीन नेशनल आयल कम्पनी में भारत के शेयर अर्जित करने के लिए भारत को किस तारीख से मुआवजे का भुगतान किया है ; और

(घ) ईरान द्वारा मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) नेशनल ईरानियन ऑयल कम्पनी द्वारा मुआवजे का भुगतान 1 जनवरी, 1979 की स्थिति के अनुसार किया गया है।

(घ) दिए गए मुआवजे की रकम 6 मिलियन अमरीकी डालर है। 1 जनवरी, 1979 की

स्थिति से समझौता करार की प्रभावी तारीख तक इस रकम पर विलम्ब भुगतान शुल्क लिबोर पर एक वर्ष के आधार पर दिया जाएगा।

गैस पाइप-लाइनों और उनसे सम्बद्ध प्रतिष्ठानों के लिए एक सरकारी निगम गठित करना

686. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री अनन्त रामुलु मल्लु :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में गैस पाइप-लाइनों और उनसे सम्बद्ध प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध के लिए सरकारी क्षेत्र में एक निगम गठित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और कार्य क्या होंगे ; और

(ग) इसमें कितनी पूंजी लगेगी।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) प्राकृतिक गैस के परिवहन, संसाधन, विपणन इत्यादि के लिए एक निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है। निगम की स्थापना में कोई विशेष वित्तीय उलझन नहीं होगी।

कोयला खान क्षेत्र में भाग लेने के लिए बहु-राष्ट्रीय निगमों को आमंत्रित करना

687. **श्री टी० एस० नेगी :**

श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान क्षेत्र में भाग लेने के लिए समानुपात उत्पादन के आधार पर किसी बहुराष्ट्रीय निगम को आमंत्रित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई वर्तमान विदेशी कम्पनियां इनमें भाग ले रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की भागीदारी सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के (कोयला विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ग) जी, नहीं।

(क) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

फ्रांस से आधुनिकतम तकनीक का आयात

688. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तेल की खोज और दोहन करने तथा अन्य परम्परागत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए फ्रांस से आधुनिकतम तकनीक का आयात करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) ऊर्जा मंत्री की हाल ही की फ्रांस की यात्रा के दौरान, फ्रांसीसी मंत्रालीय प्राधिकारियों ने सौर, ज्वाद्वीप तरंग, तथा वायो गैस ऊर्जा तथा कोयले से गैस निकालने के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया था। इस बात पर सहमति थी कि सहयोग के इन क्षेत्रों पर सम्बद्ध संगठनों के साथ और आगे विचार किया जायेगा तथा सहयोग के विशिष्ठ कार्यक्रम तैयार किए जायेंगे।

प्राकृतिक गैस की ढुलाई, प्रौसेसिंग और विपणन को सुचारु बनाना

689. **श्री मनमोहन टुडु** :

श्री पी० जे० कुरियन :

श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री छीतू भाई गामित :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में प्राकृतिक गैस की ढुलाई, प्रौसेसिंग और विपणन को सुचारु बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मन्त्री श्री पी० शिव शंकर : (क) से (ग) प्राकृतिक गैस के परिवहन, संसाधन, विपणन इत्यादि के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में एक निगम की स्थापना करने का निर्णय किया गया है।

कोयला उत्पादन का लक्ष्य

690. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मध्यावधि योजना आकलन में कोयला उत्पादन का संशोधित लक्ष्य 154 मिलियन टन बताया गया था जबकि कोयला विभाग के सचिव कोयले की कीमतों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने के बाद इस वर्ष में कोयला उत्पादन का लक्ष्य अब केवल 152 मिलियन टन होने की बात कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के (कोयला विभाग) में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उपभोक्ता क्षेत्रों से कोयले की मांग का अनुमान प्रति वर्ष वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय लगाया जाता है और तदनुसार कोयला उत्पादन लक्ष्य वार्षिक आधार पर नियत किए जाते हैं। वर्ष 1984-85 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 152 मिलियन टन निश्चित किया गया है।

सोवियत रूस से कच्चे तेल और उच्च शक्ति वाले डीजल तेल के आयात के लिए समझौता

691. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1984 के दौरान सोवियत रूस के साथ 3.5 मिलियन टन कच्चा तेल और 2 57 मिलियन टन उच्च शक्ति के डीजल तेल के आयात का कोई नया समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां; तो समझौते की क्या शर्तें हैं ; और

(ग) उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां। करार में 3.5 मि०मी० टन कच्चे तेल और 2.57 मि०मी० टन पेट्रोलियन उत्पादों के, जिसमें 1.32 मि०मी० टन मिट्टी के तेल और 1.25 मि०मी० टन डीजल तेल शामिल है, आयात की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भारत सरकार और सोवियत संघ सरकार के बीच 1983 को किये गए भारत-सोवियत व्यापार सलेज के अन्तर्गत किया जाता है। अदायगियां, सोवियत संघ के साथ रुपयों में अदायगी करने के प्रबन्धों के अधीन की जाएंगी।

12.00 **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, वित्त मन्त्री यहां उपस्थित हैं। मैंने सामूहिक रूप से लोगों को ऋण देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव का सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहिब, आप इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आपको इस नियम की जानकारी है कि केवल एक स्थगन प्रस्ताव ही लिया जा सकता है और आज हमने पहले ही स्थगन प्रस्ताव को ले लिया है आज दूसरा स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता। आप आज दूसरा स्थगन प्रस्ताव नहीं रख सकते। आप क्यों पूछते हैं ? आप विद्वान हैं। आपको प्रोफेसर माना जाता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वित्त मन्त्री यहां उपस्थित हैं। मैंने सामूहिक रूप से लोगों को ऋण

देने सम्बन्धी विषय पर पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आप भी उपस्थित रहेंगे। जब बजट पर चर्चा के समय आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसमें सभी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अभी नहीं। लोन लोगों को मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 222 के अन्तर्गत आप को दिया हुआ है, अखबारों में राष्ट्रपति के···

अध्यक्ष महोदय : वह देखा है मैंने।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी बात सुनिए। अब अगर लोंगोवाल को टेलीफोन करें राष्ट्रपति और लांगोवाल उस को इनकार कर दें, इस का मतलब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : देखिए, राष्ट्रपति जी का स्थान बहुत ऊंचा है। हम यहां राष्ट्रपति जी को डिस्कस नहीं कर सकते, न राष्ट्रपति जी के आचरण को और न किसी और चीज को। राष्ट्रपति जी का स्थान बहुत ऊंचा है। हमें उन को इसके बाहर ही रहने देना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : तो फिर वह सीधे डायरेक्ट बात करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हम यहां इस के बारे में बात नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : हमने आपको करीब 2 लाख पटसन मजदूरों की 1 महीने से चल रही हड़ताल के बारे में कुछ नोटिस दिए हैं। हम पुनः बम्बई की तरह यहां भी हड़ताल होने देना नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय : हम एक-एक कर के नोटिस पर विचार कर रहे हैं। पहले हमें यह चर्चा कर लेने दीजिए और उस पर हम कुछ समय बाद चर्चा करेंगे।·····हम इस पर चर्चा करेंगे।·····आपने जो सूचनाएं मुझे दी है। यह मेरे पास विचाराधीन है···। हम एक के बाद एक पर चर्चा करेंगे। उस बारे में कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष (दमदम) : क्या कृपया आप कुछ चर्चा करने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : एक दिन में दो एडजार्नमेंट मोशन हो सकते हैं क्या ?

श्री हरिकेश बहादुर : यह प्रस्ताव पत्रकारों के साथ पुलिस आयुक्त द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के सम्बन्ध में है·····

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं । आप सबसे ज्यादा एडजार्नमेंट मोशन देते हैं लेकिन आप उन्हें बगैर पढ़े देते हैं क्या ?

श्री हरिकेश बहादुर : पढ़ कर देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : पढ़ कर देते हैं तो आज कैसे हो सकता है ?

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : देखिए साहब, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता प्रेसीडेंटस एड्रैस पर करिए या दूसरे अवसर पर करिए ।

···(**व्यवधान**)···

———————

12.08

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यक्रम के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन (लोक उद्यम सर्वेक्षण) (खंड 1 से 3)

वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी : मैं वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन (लोक उद्यम सर्वेक्षण) (खण्ड एक से तीन) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 7697/84]

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । पिछली दफा भी मैंने बिरला मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में पूछा था । आपने मन्त्री महोदय को मुझे उत्तर देने का आदेश दिया था । आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है और मेरे श्रमिक भूख से मर रहे हैं । करीब 5000 मजदूर भूख से मर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूछ रहा हूं । क्या आपने मेरे समक्ष कोई प्रस्ताव रखा है ?

जगदीश टाइटलर : जी हां, महोदय···ठीक है, महोदय ।

लुब्रिजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1982-83, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, अम्बालमुगल (केरल), इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, बोगई गांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल, धालीगांव (आसाम) के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि-आदि।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) लुब्रिजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7698/84]

(ख) (एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, अम्बालमुगल (केरल) के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, अम्बालमुगल (केरल) का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7699/84]

(ग) (एक) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7700/84]

(घ) (एक) बोंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल, धालीगांव (आसाम) के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल, धालीगांव, (असम) का वर्ष

1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7701/84]

(ङ) (एक) नेशनल थर्मस पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7702/84]

(च) (एक) आयल इण्डिया लिमिटेड, दुलियाजान, आसाम के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इण्डिया लिमिटेड, दुलियाजान, (आसाम) का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7703/84]

(2) (एक) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड; नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7704/84]

(3) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 को उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1982-83 के तथा उसकी सहायक कम्पनी, हाइड्रो-कार्बन्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982 के वार्षिक प्रति-वेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1982-83 के तथा उसकी सहायक कम्पनी, हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7705/84]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूरिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव, हिंदुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, तथा स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूरिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेतन

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूरिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, लिमिटेड गुड़गांव, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7706/84]

(2) (एक) हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7707/84]

(3) (एक) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7708/84]

24 अधिसूचनाएं, जिनके द्वारा लघु क्षेत्र में एकान्तिक उत्पादन के लिए कतिपय वस्तुएं अथवा वस्तुओं की श्रेणियां आरक्षित की गई हैं

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी, 1970 का

अथवा उसके बाद जारी की गयी 24 अधिसूचनाओं, जिनके द्वारा लघु क्षेत्र में एकान्तिक उत्पादन के लिए कतिपय वस्तुएं अथवा वस्तुओं की श्रेणियां आरक्षित की गयी हैं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7709/84]

सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर, नियम 1984

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 की धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 14 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 887 (अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7710/84]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। मुझे एक बात का तो पता है, उन्होंने किया या नहीं किया वह तो मैं उनको लिखूंगा तो पता करूंगा लेकिन वह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

(इस समय श्री कल्पलाथ सोनकर आये और सभा-पटल के समीप जमीन पर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय : आपके ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा।

मुझे इस सदस्य को सदन से बाहर निकलने के लिए कहना पड़े।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर देंगे या ऐसे ही यहां बात करते रहेंगे ?

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : पहली बार ही ऐसी बात नहीं हुई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार किया है × ×

(व्यवधान)

कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(इस समय श्री कल्पनाथ सोनकर अपने स्थान पर वापिस चले गए)

× × कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आप अध्यक्ष महोदय, एक मिनट इनकी बात सुन लीजिए। फिर ये शांत हो जायेंगे।

श्री कल्पनाथ सोनकर (बस्ती) : जबसे मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और संजय मंच में गया हूं, मेरे ऊपर पांच बार हमले हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए।

श्री कल्पनाथ सोनकर : पहले तीन बार लिखकर दे चुका हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां पर शोर करने से तो कोई फायदा नहीं हो सकेगा।

(व्यवधान)

(इस समय श्री कल्पनाथ सोनकर आए और लेट गए तथा फिर सभा-पटल के समीप जमीन पर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दे दें, मेरे चैम्बर में आ जायें। आप तो यहां पर तमाशा बना रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मैं उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहूंगा। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दे सकते हैं। 377 के अन्तर्गत भी मैं एलाऊ कर सकता हूं। दोनों बातें हो सकती हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(इस समय श्री कल्पनाथ सोनकर वापिस अपनी सीट पर चले गए)

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस को छोड़िए। रोज कतल होते हैं, बहुतेरे होते हैं। रोज होते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे मरवाने की कोशिश हो रही है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : वैसे भी करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है।

अध्यक्ष महोदय : अर्थ जैसे निकलता है, वैसे बताइए।

श्री जगपाल सिंह : कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। हरिजन सांसद पिटेंगे और आप कोई प्रोटैक्शन नहीं देंगे। आप एक मामला भी बताइए, हरिजन सांसद चाहे इधर का हो या उधर का हो, आज तक आपने कोई प्रोटैक्शन नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो विधान है और मेरे पास जो कुछ रुल्स हैं उनके अनुसार उसी वक्त कार्यवाही कर सकता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर सिंह : ऐसे विधान की जरूरत क्या है। ऐसे विधान को खत्म होना चाहिए।···(व्यवधान)···**

अध्यक्ष महोदय : आप जो करना चाहते हैं, करिए, मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आकर बताइए, क्या कार्यवाही करनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस का टाइम बिगाड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रतन सिंह राजदा : अध्यक्ष महोदय, क्या आप कृपया गृहमन्त्री से संसद सदस्यों के जीवन की रक्षा करने के लिए कहेंगे। तीन दफा हमला हुआ है। मर्डर की धमकी हैं। आप होम मिनिस्टर को डायरैक्ट कर सकते हैं।

आप सुरक्षा के लिए गृहमंत्री से मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रशीद मसूद : एक सोल्यूशन हो सकता है। आप प्रिवलेज मोशन एडगिम करिए और दूसरे होम मिनिस्टर को बुलाकर इनको प्रोटैक्शन प्रोवाइड करें।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, आपके सामने बुला दूंगा।

(**व्यवधान**)

भारतीय तार (दसवां संशोधन) नियम, 1983

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दसवां संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 24 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 916 (अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 7711/84]

(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, पिछले 15 मिनट में जो कुछ भी कहा गया है, वह आपकी अनुमति के बिना कहा गया है। महोदय, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(**व्यवधान**)

नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1982-83 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक विवरण

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) नार्थ ईस्टर्न इलेट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग, का वर्ष, 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 7712/84]

रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विम्लब के कारण बताने वाला एक विवरण

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) रिहेबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष, 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) रिहेबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखा की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** सख्या एल० टी० 7713/84]

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1982-83 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) उपयुक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल० टी० 7714/84]

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) कोयला खान भविष्य निधि, (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1983 जो 24 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 993 में प्रकाशित हुई थी।

(2) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1983, जो 24 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 994 में प्रकाशित हुई थी।

(3) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि, (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1983, जो 25 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 995 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल० टी० 7715/84]

डाक घर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम 1984, सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 के अन्तर्गत डाक घर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 14 फरवरी, 1983 के भारत में राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 62 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 7716/84]

(2) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 165 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 18 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड 23 (ग) के उपखंड (4) के अन्तर्गत फंड के रूप में अधिसूचित "जवाहरलाल नेहरु मैमोरियल फंड" को मृतक द्वारा विरासत में दी गई सम्पत्ति को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पदा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 7717/83]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रिवलेज कमेटी में इस मामले को भेजने का क्या मूल्य है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको बुला लूंगा, सारी बात कर लेंगे।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आप यह गारन्टी दीजिए कि मेम्बर की लाइफ सेफ रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो अख्तियारात मुझे दिए हैं, उस में जो हो सकता है, वह करेंगे।

(व्यवधान)

12.22

सदस्य की गिरफ्तारी और रिमाण्ड

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि पुलिस उपायुक्त नई दिल्ली, जिला नई दिल्ली का 27 फरवरी, 1984 का निम्न आशय का संदेश आज मुझे प्राप्त हुआ है :—

> कृपया इस कार्यालय के दिनांक 27-2-1984 के पत्र को देखें, जिसमें आपको सूचित किया गया था कि श्री लहना सिंह तुर, संसद सदस्य को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2, तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत, पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली में दर्ज मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 108 दिनांक 27-2-1984 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।
>
> उन्हें अन्य व्यक्तियों के साथ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस, नई दिल्ली के न्यायालय में पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 10-3-1984 तक न्यायिक हिरासत में प्रतिप्रेषित किया और केन्द्रीय जेल तिहाड़ में भेजा।

12.23

लोक लेखा समिति

175 वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : श्रीमन्, मैं प्रायः सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 11 के बारे में लोक लेखा समिति का 175वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारी कल हुई थी, इत्तिला आप आज दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल के बुलेटिन में आ गया था।

12.24

कार्य मंत्रणा समिति

55वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 27 फरवरी, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 55 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 27 फरवरी, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के 55 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय :—

"इस संशोधन के अध्यधीन कि प्रतिवेदन के पैरा 3 के उप-पैरा (एक) का लोप किया जाय।" (1)

मैं इसे लोप क्यों करना चाहता हूं—इस लिए कि इसमें जो अन्तिम पैरा है उस में लिखा है कि :—

"आधे घण्टे की चर्चा, नियम 193 के अधीन मामलों अथवा अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा को अपराह्न 6 बजे लिया जाय।"

ऐसा उस वक्त तक चलेगा जब तक कि वित्तीय कार्यों का निपटारा नहीं हो जाता। मैंने इस सम्बन्ध में उन माननीय सदस्यों से बात की है जो बिजनेस एडवाइजरी समिति की मीटिंग में गए थे। उन का कहना है कि इस तरह का कोई निर्णय वहां नहीं हुआ था। जहां तक यह कहा गया है कि आधे घण्टे की चर्चा, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा या अनियत दिन वाले प्रस्ताव पर चर्चा सप्ताह में एक से अधिक बार न की जाय—यह समझ में आता है, लेकिन लोक महत्व के विषय को 6 बजे के बाद लिया जाय, यह बात समझ में नहीं आती है क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। प्रायः ऐसा होता है कि कि 6 बजे के बाद जिन सदस्यों को उस विषय पर बोलना होता है, वे ही सदन में रह जाते हैं, दूसरे सदस्य चले जाते हैं। इस लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी चर्चा हो उस के लिए समय का निर्धारण नहीं होना चाहिए। सदन स्वयं इस चीज को देखेगा कि उस लोक महत्व के विषय में 4 बजे लिया जाय या 6 बजे लिया जाय। इस को यहां पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्तीय कार्य अप्रैल के अन्त तक चलेंगे, इस का मतलब है कि कोई भी लोक महत्व का विषय 6 बजे से पहले नहीं लिया जा सकेगा। इस लिए ऐसा निर्णय हाउस की जो भावना है उस के विपरीत है। मैं आग्रह करता हूं कि मन्त्री महोदय इस को वापस लें। और जैसा हो रहा है वैसे चलने दिया जाए। जब सेक्शन का समय आएगा या प्रस्ताव का समय आएगा, तो उस के महत्व को देखते हुए सदन विचार कर लिया करे कि कितना समय उस को दिया जाए।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि जैसा चलता है, वैसा ही चलने दिया जाए, तो मेरा कहना यह है कि जैसा चलता आया है, वैसा ही चलेगा।

श्री राम विलास पासवान : आप ने लिखा है कि हाफ-एन-आवर 6 बजे के बाद लिया जाय।

श्री बूटा सिंह : कब से ऐसा चला है, वह मैं बताता हूं। 1977 में चला, 1978 में चला, 1979 में चला और सन् 1980 में चला।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप ने उस समय विरोध नहीं किया, तो हम क्या करें। हम अब

इस का विरोध कर रहे हैं।

श्री बूटा सिंह : आप ने जो किया था, वही हम कर रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह : आप उस समय चुप बैठे रहे, तो क्या हम भी चुप बैठे रहें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : 1981 में क्या हुआ और 1982, 1983 में क्या हुआ ?

श्री बूटा सिंह : सन् 1980 में ऐसा चला, 1981 में चला, 1982 में चला, सन् 1983 में चला और सन् 1984 में चलाने की चेष्टा हो रही है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमान्, ऐसा चलता आ रहा है। असल में हम इस बात पर सहमत नहीं हैं कि इसको 6 बजे अपराह्न के बाद लिया जाए। मैं समझता हूं कि जब कभी अवसर आयेगा कार्य मंत्रणा समिति इस पर निर्णय ले लेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम विलास पासवान द्वारा रखा गया संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यथा स्थिति बनाई रखी जाए। जैसा चल रहा है, वैसा कर लेंगे।

श्री बूटा सिंह : सन् 1977 से चल रहा है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जब इच्छा होगी, तो सलाह कर के कर लेंगे।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज क्योंकि बहुत सा समय ऐसे ही निकल गया है और आज की कार्यवाही में इस के लिए कोई समय नहीं था, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि लंच आवर में भी बैठकर हम कार्यवाही जारी रखें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सभा सहमत होगी।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 27 फरवरी, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 55वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———————

12.27

गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) निधेयक

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्तुत करता हूं कि :—

"स्वास्थ्यप्रद वनस्पति और परिष्कृत खाद्य तेलों, पोषक खाद्यों और अन्य उपभोक्ता-वस्तुओं का उचित कीमतों पर जनता को प्रदाय करना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित लोक स्वामित्व के या नियंत्रित यूनिटों के केन्द्रकों को कायम रखने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को क्रियान्वित किया जा सके, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि स्वास्थ्यप्रद वनस्पति और परिष्कृत खाद्य तेलों, पोषक खाद्यों और अन्य उपभोक्ता-वस्तुओं का उचित कीमतों पर जनता को प्रदाय करना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित लोक स्वामित्व के या नियन्त्रित यूनिट के केन्द्रकों को कायम रखने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से जिसके कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को क्रियान्वित किया जा सके, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भागवत झा आजाद : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.28

गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरंत विधान जाने के कारणों का विवरण

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7718/84]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गेहूं का समर्थन मूल्य 204 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित करने की आवश्यकता

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, शीत लहर के कारण फसलों की खराबी तो है परन्तु बिजली व पानी का अभाव, फर्टीलाइजर और कीटनाशक दवाइयों का महंगा तथा मिलावटी होना, अकाल का कारण बन गया है। ओलावृष्टि, शीत लहर और दूसरे कारणों से जो नरमें और दूसरी फसलें खराब हुई हैं, उनका मुआवजा हरियाणा को अभी तक नहीं मिला है और माल व आबियाना भी वसूल हुआ है। यह बहुत ज्यादती है। नरमें का मुआवजा दिया जाए।

12.30 (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

किसानों को कम दर पर बिजली दी जाए। बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उन फसलों का मुआवजा तुरन्त दिया जाए। गेहूं की फसल की सपोर्ट प्राइस सरकार ने रखी है वह किसानों के साथ घोर अन्याय है। कम से कम 204 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत होनी चाहिए। जो कि सरकार विदेश से गेहूं मंगवाने पर देती है तो फिर भारत के किसानों को इतनी कीमत क्यों नहीं दी जाए। सरकार तुरन्त गेहूं की आधार कीमत 204 रुपये मुकर्रर करे। 17 करोड़ 7 लाख रुपये जो हरियाणा सरकार को बाढ़ नियन्त्रण के लिये दिए हैं उसका अभी तक हरियाणा सरकार ने उपयोग शुरू नहीं किया है। तुरन्त आदेश दिए जायें कि बाढ़ संघ को स्थाई तौर से रोकने के लिए बांध व खुदाई और ट्यूववैल का काम चालू करे।

(दो) पारादीप पत्तन की जहाज लदान क्षमता को बढ़ाने को आवश्यकता

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : बिहार के चादूवासा क्षेत्र में निजी मालिकों की 75 से अधिक लौह अयस्क खानों के बन्द हो जाने से स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। इस क्षेत्र में 91 लोह अयस्क खानें हैं, जिनमें से 16 ऐसी खानें हैं जोकि पांच इस्पात कम्पनियों को अयस्क सप्लाई करने वाली मुख्य कम्पनियां हैं। इन खानों में लगभग 80 लाख टन अयस्क पैदा होता है। इसका अधिकांश भाग जापान को निर्यात किया जाता था। इस्पात उद्योग में, विश्व भर में मन्दी आने के कारण, जापान ने भारत से लौह अयस्क के निर्यात में कटौती कर दी है। इसके अतिरिक्त अन्य आयातकर्ता देशों ने यह मांग की है कि पारादीप पत्तन की जोकि चादूबास क्षेत्र से लौह अयस्क भेजने का एकमात्र पत्तन है, जहाज लदान क्षमता बढ़ाई जाए। पारादीप पत्तन की क्षमता 40 हजार डी० डब्ल्यू० टी० है, जबकि आयातकर्ता देशों की मांग है कि यह क्षमता बढ़ाकर एक लाख डी० डब्ल्यू० टी० की जाये। जब तक इस पत्तन की लदान क्षमता नहीं बढ़ाई जाती आयातकर्ता पारादीप पत्तन से आयात करना पसन्द नही करेंगे।

देश के इस्पात संयंत्रों की रक्षित खानों का पूरी तरह पंजीकरण हो जाने की वजह, से अब निजी क्षेत्र की खानों से अयस्क खरीदने में रुचि नहीं रखते। इसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र की खानों के बन्द होने से लगभग दस हजार श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे पारादीप पत्तन की वर्तमान 60 हजार डी० डब्ल्यू० टी० लदान क्षमता में सुधार करके इसे कम से कम एक लाख डी० डब्ल्यू० टी० करे। चादूबासा क्षेत्र से निकाले गए लौह अयस्क को पारादीप पत्तन से निर्यात के लिए बाहर भेजने हेतु आवश्यक प्रबन्ध किए जायें। दस हजार श्रमिकों के लिए जो बेरोजगार हो गए हैं, भी उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था की जाये, इस्पात संयंत्रों को भी यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे चादूबासा क्षेत्र से अधिक मात्रा में लौह अयस्क मंगाए।

(तीन) ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलों की क्षति हुई उन्हें राहत देने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में ओले पड़ने से से फसलों को भारी क्षति हुई है जिससे किसानों के समक्ष घोर संकट उत्पन्न हो गया है। ओला पड़ने से करोड़ों रुपये की फसल बरबाद हुई है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार को शीघ्र आवश्यक कदम उठाने चाहिए। किसानों की लगान माफ कर दी जानी चाहिए और बरबाद हुई फसलों का मुआवजा देने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए। किसानों के समक्ष जो अधिक संकट उत्पन्न हो गया है, उसके निवारण हेतु सरकार को सक्रियतापूर्वक राहत कार्यों को आरम्भ करना चाहिए।

(चार) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में दूरदर्शन की सुविधायें

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान चित्तौड़-गढ़ (राजस्थान) जिले में दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। अभी हाल ही में सरकार की यह घोषणा भी थी कि 1984-85 में देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी, मैं सरकार से मांग करूंगी कि चित्तौड़गढ़ एक ऐतिहासिक नगर है। जहां के कण-कण में शक्ति तथा भक्ति का इतिहास छिपा पड़ा है। जहां हजारों पर्यटक देश तथा विदेश से आते हैं। यह क्षेत्र शिक्षा तथा विकास की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। यहां के नागरिक चारों तरफ सुविधा उपलब्ध होने वाली है, जब यह सुनते हैं और यह सुनते हैं कि कोटा, भीलबाड़ा, उदयपुर, अजमेर में सुविधा होगी किन्तु चित्तौड़गढ़ वंचित रह जाएगा तो कड़ी निराशा होती है। अतः मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ को भी इस वर्ष 1983-84 में दूरदर्शन से जोड़ा जाए।

(पांच) सूरत कपड़ा उद्योग (गुजरात) में श्रमिकों का शोषण से संरक्षण

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि सूरत कपड़ा उद्योग गुजरात में काम कर रहे, 15 हजार श्रमिकों को जो उड़ीसा से आए हुए हैं, बहुत अमानवीय परिस्थि-तियों में काम करना पड़ता है, उस कपड़ा उद्योग की 1,60,000 हजार श्रमिक संख्या के 10% इन श्रमिकों को नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में रखा गया है और, उनसे नियमों के विरुद्ध आठ घण्टे की बजाय 12 घण्टे काम लिया जाता है। बाल-श्रमिकों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि उनकी औसत दैनिक मजदूरी पांच रुपये से सात रुपये तक होती है, वयस्क श्रमिकों की दैनिक मजदूरी केवल 12 रुपये से 16 रुपये तक हो जाती है।

श्रमिकों को छुट्टी की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, सिवाय जबरन छुट्टी के जो बिना मजदूरी साप्ताहिक अवकाश होता है जोकि बिजली न होने की वजह से कई बार सप्ताह में दो भी हो जाते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शहर की प्रत्येक इकाई इस प्रकार से बाहर से आये श्रमिकों की भर्ती करता है, कि किसी भी मानवजातीय ग्रुप को उसमें बहुमत न मिले।

जब तक केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक बाहर से आए हुए इन गरीब श्रमिकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः मैं श्रम-मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इन गरीब

श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए और उन्हें शोषण से बचाने के लिए, वह तुरन्त इस मामले में हस्तक्षेप करें।

(छः) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के लिए एक पृथक डाक मण्डल खोलने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल) : महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के लोग यह जोरदार मांग करते हैं कि, इस जिले के लिए एक पृथक डाक डिविजन बनाया जाये। मैं समझता हूं कि, इस मामले की आवश्यकता और व्यवहार्यता को देखते हुए, कुछ समय पहले डाक तथा तार महानिदेशक ने उनके इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी थी। अब यह महाडाकपाल, बम्बई के विचारधीन है। असल में अब तक इस प्रस्ताव पर कार्यवाही हो जानी चाहिए थी, और 29 फरवरी, 1984 से पहले एक अलग डाक डिविजन खुल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

अत: मैं संचार मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के लिए एक पृथक डाक डिविजन बनाने का आदेश दें।

(सात) नैल्लौर तथा चित्तूर जिलों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

श्री पसाला पेंचालैया (तिरुपति)। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और चित्तूर जिलों में 13, 14, 15 और 16 फरवरी 1984 को हुई बेमौसमी भारी बरसात के कारण धान की फसल को, मकानों को और पशुधन को भारी क्षति पहुंची है। चित्तूर और नेल्लोर जिलों का 75 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूपति के अन्तर्गत आता है। मैंने वहां पांच दिन तक दौरा किया और कई किसानों, स्थानीय नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की और जो क्षति का अनुमान लगाया गया वह इस प्रकार है :

लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल, जो कटाई के लिए तैयार थी, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई हुई मूंगफली, मिर्च और अन्य वाणिज्यक फसलें भी नष्ट हुईं। लगभग 50 करोड़ रुपये की कुल क्षति हुई है और यह क्षति जन, पशु और धन क्षति के अतिरिक्त है लगभग 6000 कच्चे घास फूस के घर भी क्षतिग्रस्त हुए। 300 सिंचाई तालाबों में दरार आ गई और खड़ी फसलें बह गई। लगभग 400 गांव की सड़कें बह गई जिसके कारण 4.55 करोड़ रुपये की क्षति हुई। कुछ किसानों ने, जो हाल की भारी बरसात से प्रभावित हुए थे, भारी क्षति सहन न करने के कारण आत्महत्या कर ली। राज्य सरकार ने समुचित पूर्णोपाय नहीं किए और न ही समय पर राहत उपाय किए।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उचित कार्रवाई करे और आंध्र प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता दे साथ ही आंध्र प्रदेश के चित्तूर और नेल्लोर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश भी दें।

(आठ) पटना स्थित रक्षा लेखा कार्यालय के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पटना स्थित रक्षा लेखा कार्यालय पूर्वी कमान के मुख्यालय

के रूप में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले से काम करता आ रहा है। इसकी 160 शाखाएं हैं। पहले यह विभाग वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत था। अब अगस्त 1983 से यह रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत है।

सन् 1971 में इस कार्यालय को विभाजित कर शिलांग ले जाने का प्रयत्न किया गया। 1975 से पटना कार्यालय में हो रहे कार्यों को धीरे-धीरे कलकत्ता सिलीगुड़ी और शिलांग में ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कर्मचारियों द्वारा इन कदमों का विरोध करने पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि पटना कार्यालय में हो रहे कार्य एवं कर्मचारी यथावत् रहेंगे।

आश्वासनों के बावजूद मई 1982 में अचानक पटना कमान के ही अन्दर एक दूसरा कार्यालय गोहाटी में खोल दिया गया। कर्मचारियों ने पटना कार्यालय के कामों एवं कर्मचारियों की संख्या में कटौती के मसले को लेकर 50 दिनों तक विरोध आन्दोलन चलाया। बिहार विधान मण्डलों के कुछ सदस्यों, सांसदों एवं बिहार के तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने वित्त मन्त्री को ज्ञापन देकर पटना कार्यालयों को कमजोर करने का विरोध किया। वित्त मन्त्री ने 27 जुलाई, 1982 को आश्वासन भी दिया कि पटना रक्षा लेखा कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगा। परन्तु इस आश्वासन के बावजूद सितम्बर 1983 से पटना कार्यालय के काम और कर्मचारी बाहर भेजे जा रहे हैं। सरकार से कर्मचारियों की मांग है कि वह जहां चाहे रक्षा लेखा कार्यालय खोले पर पटना मुख्यालय को यथावत् रहने दिया जाए।

मेरा रक्षा मन्त्री से अनुरोध है कि वह वित्त मन्त्री के आश्वासन के अनुसार काम कर रहे कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष को दूर करें अन्यथा स्थिति विस्फोटक हो जा सकती है।

(नौ) मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक इन्सट्रमेंट लिमिटेड के कार्यकरण को सुधारने के लिए कदम उठाना

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड नामक उद्योग जबलपुर के गोसलपुर नामक स्थान पर 20 अप्रैल, 1974 को स्थापित हुआ तथा 20 अप्रैल, 1976 को उत्पादन हुआ। इस उद्योग में मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य की पूंजी लगी है तथा इस उद्योग का संचालन कर्नाटक राज्य द्वारा भेजे गए शासकीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस कारखाने में बिजली उत्पादन हेतु आवश्यक ट्रांसफारमरों का निर्माण किया जाता है।

यह उद्योग लगातार घाटे में चल रहा है। उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल तथा अतिरिक्त पूंजी जुटा पाने में संचालक असफल रहे हैं। उत्पादन की गति अत्यन्त दयनीय है। इस कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज इस उद्योग की स्थिति यह है कि इसमें शेयर 80 लाख के हैं परन्तु घाटा अनुमानतः 2 करोड़ तक पहुंच गया है।

गोसलपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में यह एकमात्र उद्योग है जिसके कारण बड़ी मात्रा में श्रमिक रोजी रोटी पा रहे हैं। यदि यह उद्योग बन्द हो गया तो विषम परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। वित्तीय संस्थाएं नया कर्ज देने को तैयार नहीं हैं तथा उत्पादन हेतु कच्चे माल का अभाव होने के कारण आज उत्पादन की गति अत्यन्त दयनीय है।

अतः केन्द्रीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि कर्नाटक शासन के प्रभुत्व से यह उद्योग मुक्त कराकर स्वयं केन्द्र शासन इसको ठीक ढंग से संचालित करे ताकि यह उद्योग बन्द होने से बच जाए।

(दस) बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

श्री एस० टी० के० जक्कायन (पेरियाकुलम) : तमिलनाडु में 5 फरवरी से 15 फरवरी 84 तक हुई बेमौसमी भारी बरसात के कारण काफी क्षति हुई है। 110 व्यक्तियों की जानें गई हैं और 16.300 पशु मारे गए। 5893 गांवों के 43 लाख लोग प्रभावित हुए। 2.2 एकड़ क्षेत्र की फसलें नष्ट हुईं। 3.27 लाख झोपड़ियां गिर गईं। 3183 सिंचाई निर्माण कार्य, 611 पुल 1,110 स्कूल और अस्पताल भवनों को क्षति पहुंची। 7000 किलोमीटर सड़कों पर मरम्मत हो रही है। 319 किलोमीटर सड़क पूरी तरह नष्ट हो गई है। तिरूचिरापल्ली, दक्षिण अरकाट पुडुकोट्टई, रामानाथपुरम, तिरूनेलवेली, उत्तर आरकोट और चेंगलपट जिलों में बाढ़ से तबाही हुई है। इससे पहले दिसम्बर में भी 3 दिन तक भारी वर्षा हुई थी और राज्य के काफी क्षेत्र जलमग्न हो गए थे और ऊपर से फिर ये भारी बरसात हो गई है। केन्द्र सरकार ने अब तक 15 करोड़ रुपये बाढ़ राहत सहायता के रूप में दिए हैं। किन्तु राज्य सरकार 37.54 करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है। बाढ़ के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने के बाद राज्य सरकार ने 128 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह 128 करोड़ रुपये की राशि बाढ़ राहत सहायता हेतु तत्काल स्वीकृत करे, ताकि तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जा सके।

12.44

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री बी० आर० भगत द्वारा 27 फरवरी 1984 को पेश किए गए तथा श्री जेवियर अरांकल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रखेगी।

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उनके अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 1984 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, अत्यन्त आभारी हैं।"

श्री कमलनाथ झा अपना भाषण जारी रखे। वह पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं। आज मध्यान्ह भोजन के लिए अवकाश भी नहीं होगा।

श्री कमलनाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार या हमारे राष्ट्र का मूल्यांकन सिर्फ उसकी शक्ति या सम्पत्ति से करना बड़ी भारी भूल होगी। हमारे देश भारतवर्ष की एक बड़ी ही प्राचीन संस्कृति है। वह संस्कृति अभी भी जीवित है और मानव जाति को आज भी उसकी आवश्यकता है।

आज विश्व की जो परिस्थिति है, हिन्दुस्तान की जो स्थिति है और हिन्दुस्तान से इर्द-गिर्द जो स्थिति है, उसे हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इंगित किया है कि क्या खतरनाक स्थिति संसार की और खासकर भारत की है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, ईराक, लेबनान की परिस्थिति से हम सब अवगत हैं। आज भारतवर्ष में जो प्रवृत्तियां उभर कर आ रही हैं, उनके मूल में जो

हिंसा की भावनाएं हैं, वह सम्पूर्ण विश्व को लील और निगल जाना चाहती हैं। इसी अहिंसा की भावना से भारत की संस्कृति से लड़ने के लिए मानव जाति को असंतोष प्रदान किया है।

भगवान बुद्ध, महावीर, तीर्थंकर, हमारे सैकड़ों सन्तों, सम्राट अशोक, सम्राट अकबर, मोहन दास कर्मचन्द गांधी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस और हमारे संविधान ने उसकी संस्कृति को सम्पोषित किया है, सम्वर्धित और संशोधित किया है।

अहिंसा परमोधर्मः यतो धर्मस्ततो जय।

इस चीज को आज हम गौरव के साथ कहते हैं। आज मानव जाति अपनी रक्षा हिंसा से नहीं कर सकती है, अहिंसा से कर सकती है। हिन्दुस्तान में जिस अहिंसा का दामन पकड़कर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में हमने आजादी हासिल की और संविधान द्वारा गणतंत्र की स्थापना की, वह गणतंत्र सशक्त है। जनता ने इसे समझा है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के सिंहासन से उठाकर सड़क पर फेंक दिया और जब दूसरी पार्टी की सरकार जनता के मानस पर सही नहीं उतरी तो उसको भी सिंहासन से उठाकर दिल्ली की सड़कों पर फेंक दिया। ऐसे देश में जहां परिवर्तन के लिए संविधान का मार्ग प्रशस्त है, वहां किसी भी अल्पमत, बहुमत, किसी भी पोलिटिकल पार्टी या दल को या गिरोह को हिंसा की बात करना सरासर अनुचित, संविधान-विरोधी और जन-विरोधी है। आज मुझे दु:ख के साथ इस सदन में कहना पड़ता है कि इस देश में कुछ लोग अपनी धार्मिक या तथाकथित राजनीतिक मांग के लिए आज से ही नहीं, बल्कि दो-चार साल से हिंसक कार्यवाहियों और खूनखराबे का एक वातावरण तैयार कर रहे हैं और देश के एक हिस्से में अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उनकी इस स्थिति को दूसरे लोग जो अपने को समझते हैं कि हम भी डैमोक्रेसी, अहिंसा और कांस्टीटुशनलिज्म के अलम्बरदार हैं, वह चुपचाप इसे देखते हैं। वह कहते हैं, मैं उसका साथ नहीं देता हूं लेकिन गुनाहवश, चुपचाप—

बुझा रहे ज्वाला सांसों से, कर से आंच लगाकर।

आज अगर हिन्दुस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियां, दल, जो कुछ पंजाब में हो रहा है और दूसरे इलाकों में हुआ है, उनको अन-क्वालीफाइड वर्डों में, ताकत और मजबूती के साथ कंडम करें तो मैं समझता हूं कि तुरन्त ये बातें काबू में आ सकती हैं। यह कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार का सवाल नहीं है। सवाल भारतवर्ष की, जनता का है, हिन्दुस्तान की सार्वभौमिकता का है। राष्ट्रपति जी ने सही कहा है कि हमारे राजनैतिक मतभेद जो भी हो, हम लोगों को एक साथ मिलकर, कदम से कदम मिला कर इन खतरों से जूझना चाहिए। कल मेरे साथी कह रहे थे कि हमारी यह परम्परा रही है कि देश पर जब भी खतरा आया है, तो हमने एक साथ मिलकर उसका मुकाबला किया है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सिर्फ खतरे के समय ही नहीं, हमेशा एक-साथ मिलकर रहना चाहिए।

श्री कमलनाथ झा : राष्ट्र के निर्माण के सम्बन्ध में आपस मे मतभेद हो सकते हैं।

दूसरा खतरा है साम्प्रदायिकता का हिन्दुस्तान में हमने सेकुलरिज्म को स्वीकार किया है। सारी दुनिया में हमारा ही देश है, जहां रंग, जाति या जन्म का कोई भेद नहीं है। हमने इस सिद्धांत को संवि-

धान में स्वीकार किया है। यह ठीक है कि हमारे यहां हजारों वर्षों से जाति-प्रथा है और इसके कुपरिणाम हमारा समाज भोग रहा है। जो दबे, कुचले, नीचे के लोग हैं, आज भी उनके साथ अन्याय होता है। इस सदन में दोनों पक्ष के वे लोग, जिन्हें ऐसे लोगों के प्रति हमदर्दी तथा सहानुभूति है, इस बारे में कुछ करने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में समय लगता है। पिछले 35 सालों में हिन्दुस्तान ने इस दिशा में काफी प्रगति की है, मगर आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है।

आज हिन्दुस्तान में सबसे अहम सवाल है गरीबी मिटाने का सवाल। बगैर गरीबी मिटाए हुए, बगैर नीचे के तबके के लोगों को ऊंचा उठाए हुए, हम सामाजिक बराबरी पैदा नहीं कर सकते। ये प्रश्न इन्टर-वोवन हैं, एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। इसलिए हमारा काम कठिन है। मैं अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को बताना चाहता हूं कि हमारा डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंटरी प्रासैस है, उसमें हमारी स्पीड, गति धीमी होगी। हमारे यहां एक डिक्टेटोरियल फार्म आफ गवर्नमेंट नहीं है। हम बैंकों का नेशनलाइजेशन करते हैं, देशी रजवाड़ों के प्रिवीपर्स खत्म करते हैं या जमींदारी एबालिशन करते हैं, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज किया जाता है। यानी गरीबी को मिटाने के लिए हम जो भी पहल करते हैं, उसमें हमारे सामने कानूनी व्यवधान होता है। इसलिए हमारी गति स्लो होगी। लेकिन हमने देखना है कि क्या स्लोली एण्ड स्टेडिली हम एक इगैलिटेरियन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, हम देश को आगे ले जा रहे हैं या नहीं।

जो लोग इस प्रगति से घबराते हैं, जो इसमें बाधा डालना चाहते हैं, वे आज देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, साम्प्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, जिससे हमारा शान्तिपूर्ण प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। इससे देश का नुकसान होगा, गरीब तबके का नुकसान होगा, देश कमजोर होगा। इसलिए हम अपील करते हैं कि सभी राजनैतिक दल राष्ट्रीय मुद्दों पर एकमत होकर देश को कमजोर करने वाली शक्तियों का डट कर मुकाबला करें।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज न सिर्फ शुक्रिया के प्रस्ताव की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं बल्कि मैं समझता हूं कि आज जो मुल्क की हालत है उस हालत में सदर साहब से मेरी यह दरखवास्त होनी चाहिए कि वह इस सरकार को फौरन बरखास्त कर दें। कांग्रेस के 1980 के एलेक्शन मैनिफेस्टो से देखिए, फिर 1980 के खुतवे सदारत को देखिए, 1981 के सदारत के खुतवे को देखिए, 1982 और 83 के देखिए और फिर 1984 के सदर साहब के खुतवे को देखिए। उसमें बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। सन 1980 के सदर साहब के खुतवे में इस सरकार ने वादा किया था कि वह इस मुल्क से बेरोजगारी को दूर कर देगी, इस मुल्क से गुरवत को दूर कर देगी कम्यूनल रायट्स को दूर कर देगी, बढ़ती हुई कीमतों को न सिर्फ आगे बढ़ने नहीं देगी, बल्कि उस लेवल पर लाएगी जो 1971-72 में थी। उसने वादा किया था कि कानून की हालत और कानून की व्यवस्था को इस मुल्क में दुरुस्त कर देगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इनमें कोई भी बात पूरी नहीं हुई और आज जब 1984 का खुतवे सदारत पढ़ा जाता है तो यह महसूस होता है कि आज उनकी सारी चीजों पर से जिन पर जोर दिया गया था, वह जोर हटाकर के मैं नहीं जानता क्यों और किस वजह से अंदरूनी और वाहरूनी खतरात की तरफ पूरी शिद्दत के साथ और लगाया जा रहा है। लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क अन्दरूनी और वहरूनी खतरात से घिरा हुआ है। मुल्क टूट रहा है, मुल्क

बरबाद हो रहा है, मुल्क खत्म हो रहा है, लिहाजा इस मुल्क को बचा सकती है तो सिर्फ कांग्रेस सरकार और हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा। मैं पूछना चाहता हूं कि इन तमाम खतरात के लिए जिम्मेदार कौन है ? मुझे एक शेर याद आता है :

महसूस यह होता है यह दौरे तबाही है
शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है
दुनिया में कहीं इसकी तनशीर नहीं मिलती
कातिल ही मुहाफिज है कातिल ही सिपाही है।

मैं पूछना चाहता हूं आपके न जरिए कि आज जो पंजाब में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? आसाम में हुआ उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? पंजाब पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उस पर आज डिस्कशन होने वाला है। आज कश्मीर के अन्दर आप ये जो सिचुएशन पैदा कर दी है उसकी जिम्मेदार कौन है ? कौन नहीं जानता कि भिंडरावाले का ताल्लुक किस से रहा है ? सन 80 के एलेक्शन में ये किसके एजेंट थे ? कौन नहीं जानता कि प्रोफेसर शेर सिंह जो हिन्दू समिति के अध्यक्ष हैं हरियाणा में वह किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ? अगर भिंडरावाले ने सन 80 में हम लोगों की मदद होती और वह इस तोड़ फोड़ के जिम्मेदार होते तो हम अपनी जिम्मेदारी मान लेते। अगर प्रोफेसर शेरसिंह हमारी पार्टी के मेम्बर होते और वह तोड़ फोड़ के जिम्मेदार होते तो हम अपनी जिम्मेदारी मान लेते। लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, मुल्क की बदकिस्मती से और हमारी खुशकिस्मती से न भिंडरावाले का हमारी जमात से कोई ताल्लुक रहा है न वह हमारे किसी एलेक्शन के कैंडीडेड के एजेंट रहे हैं और न प्रोफेसर शेर सिंह हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक रखते हैं। फिर यह किस की जिम्मेदारी है..... (व्यवधान).....

हमारे साथ कभी नहीं थे, आपके साथ थे।

आज काश्मीर में क्या हो रहा है ? काश्मीर के अन्दर कौन गड़बड़ करना चाहता है ? एक तरफ फारूख अब्दुल्ला हैं जिसकी एक तारीख है, जिसके बाप की एक तारीख है कि जिसने हिन्दुस्तान के साथ इलहाक के लिए मुसलसल कुर्बानियां दी हैं, जिसने हिन्दुस्तान के साथ इलहाक के लिए मुश्तकिल जेलें काटी हैं। एक तरफ वह फारूख अब्दुल्ला हैं जो एक दिन में और रात में, अंधेरे में और उजाले में सामने और पोशीदा तौर पर यह कहता है कि हिन्दुस्तान के साथ काश्मीर का इलहाक फाइनल है, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान का अटूट हिस्सा है कश्मीर और दूसरी तरफ मौलवी इफ्तखारुद्दीन साहब हैं जो इत्तफाक से असेम्बली में आपके सदर हैं, क्या आपको याद नहीं है सन 68 में लाल चौक पर तकरीर करते हुए इफ्तखारुद्दीन साहब ने यह बात कही थी :

13.00

कि प० जवाहर लाल नेहरू के वायदे के मुताबिक हिन्दुस्तान के साथ कश्मीर का इलहाक फाइनल नहीं है। मैं नहीं समझता कि वह आदमी जो दिन-रात यह बात कह रहा हो कि हिन्दुस्तान के साथ कश्मीर का इलहाक फाइनल है, वह आदमी जो दिन-रात यह बात कह रहा हो कि कश्मीर हिन्दुस्तान का एक अटूट हिस्सा है, वह गद्दार है ? वह बागी है, वह सेशेशनिस्ट है ; और वह आदमी जो हिन्दुस्तान के साथ कश्मीर का इल्हाक मानता न हो, वह आदमी जो मुल्क के पहले वजीरे आजम के वायदों की

याद दिलाकर यह दिखाने की कोशिश करता हो कि हिन्दुस्तान के साथ कश्मीर का इल्हाक फाइनल नहीं है, कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है, वह आज देशभक्त है ? क्या आपके यहां देशभक्ति का पैमाना यह है कि जो कांग्रेस पार्टी में रहकर इस मुल्क के टुकड़े-टुकड़े करने की कोशिश करेगा वह देश-भक्त होगा ? और जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहकर इस मुल्क को जोड़ने की बात करेगा, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहकर इस मुल्क के इतहाद की बात करेगा, वह गद्दार होगा ? आपकी यही वह पालिसी है जिसने आज तक हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी को पैदा नहीं होने दिया। आज आपको इस देश में हिन्दू मिल जायेगा, मुसलमान मिल जायेगा, सिख मिल जायेगा, ईसाई मिल जायेगा, बौद्ध मिल जायेगा, दूसरे लोग मिल जायेंगे, लेकिन क्या कहीं पर हिन्दुस्तान भी मिलता है ? नहीं मिलता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने यह कोशिश की होती कि हमें हिन्दुस्तान में एक नेशन बनानी है, इस मुल्क में हिन्दुस्तानियों को पैदा करना है और यहां पर अगर दर्द शुमाल में होता तो वह जुनूब में महसूस किया जाए, अगर मशरिक में दर्द होता हो तो मगरिष में महसूस किया जाए, अगर हिन्दू के दर्द होता हो तो मुसलमान को भी वह दर्द महसूस हो, एक हरिजन का दर्द ब्राह्मण को महसूस हो और किसी राजपूत का का दर्द जाट को महसूस हो। किसानों का दर्द इण्डस्ट्रिलिस्ट को महसूस हो। अगर इस बात की कोशिश आपने की होती तो आज हिन्दुस्तान का नक्शा ही मुख्तलिफ होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। 1952 में जब इस पार्लमेंट का पहला एलेक्शन हुआ उस वक्त एक सुनहरी मौका था, हिन्दुस्तान की आजादी ताज-ताजी थी, उस वक्त हर हिन्दुस्तानी के दिल में हिन्दु-स्तान के लिए मोहब्बत थी, उस वक्त हर देशवासी अपने को हिन्दुस्तानी समझता था और उस वक्त हर हिन्दुस्तानी इस बात की कोशिश करता कि वह कुर्बानी दे करके इस मुल्क की तामीर करे, इस मुल्क को एक बनाए और इस मुल्क से मोहब्बत करे। काश, उस वक्त आपने अकल से काम लिया होता। काश, उस वक्त आपको अपनी कुर्सी की नहीं, देश की फिक्र होती। उस वक्त आपने एक मुसलमान को एक ऐसी जगह से खड़ा किया होता जहां कोई मुसलमान नहीं होता। वह मुसलमान मुकम्मिल तौर पर हिन्दुओं के वोटों पर जीतकर यहां आता और हिन्दुओं के दुःख दर्द की बात इस पार्लमेंट में रखता। एक हिन्दू को आप उस जगह से खड़ा करते जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा होती तो वह हिन्दू इस पार्लमेंट में आकर मुसलमानों के दुःख दर्द की बात रखता और बताता कि मुसलमानों की क्या-क्या तकलीफें हैं। इसी तरह से जहां पर हरिजनों की तादाद सबसे कम होती वहां से आज हरिजन को खड़ा करते और वह हरिजन यहां पर ब्राह्मणों को रेप्रेजेन्ट करता और जहां पर हरिजनों की तादाद ज्यादा थी वहां से आप ब्राह्मण को खड़ा करते या राजपूत को खड़ा करते। तब इस देश के हरिजन, राजपूत ब्राह्मण और मुसलमान जानते यह हिन्दुस्तान क्या है। जो ब्राह्मण हरिजनों के वोटों पर जीतकर इस पार्लमेंट में आता वह आकर बताता कि हरिजनों को क्या तकलीफें हैं। लेकिन आपको तो अपनी कुर्सी चाहिए थी, आपको मैम्बर्स नहीं चाहिए थे। आपको तो ऐसे लोग चाहिए थे जो आपके कहने पर हाथ उठाते। आपको ऐसे लोग चाहिए थे जो आपके कहने पर हाथ उठाते। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके नाम पर जिन्दा रहते। उनको इस बात का अहसास रहता कि वे आपके नाम पर जीत कर आ रहे हैं, वे कोई पापुलर काम करके, अच्छा काम करके, मुल्क में इत्तहाद कायम करने के लिए काम करके और हिन्दुस्तान में एक कौम पैदा करने का काम करके इस रुझान में नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपको जरूरत इस बात की ही थी कि ऐसे लोग आयें जो कि आप के नाम पर हाथ उठायें, आपके कहने पर वोट दें, आपके कहने पर चलें और आप उनको भेड़-बकरियों की तरह से जैसे भी चाहें हांक दें। आपने इस मुल्क के हिन्दुस्तानी को हिन्दुस्तानी बनने ही नहीं दिया। और आज आप अपोजोशन पर इल्जाम लगाकर बैठ जायेंगे। यह कह देना बड़ा आसान है कि आज कश्मीर में क्या हो रहा है। वहां पर एक एलेक्टेड गवर्नमेंट आई है लेकिन आप वहां पर हंगामा करा रहे हैं ताकि उस सरकार को डिसमिस कर दिया जाए क्योंकि इत्तफाक

से डा० फारूख अब्दुल्ला साहब कांग्रेस (आई) से नहीं हैं और कांग्रेस (आई) की बात सुनने के लिए वे तैयार नहीं हैं। आप नहीं चाहते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसा कोई नेता मुसलमानों को रेप्रेजेन्ट करने वाला पैदा हो। क्या इसकी जिम्मेदारी भी अपोजीशन पर है? दोस्तो मैं आपके जरिए अर्ज करना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, देर आये दुरुस्त आए, आप हिन्दुस्तान के तामीर की बात करो। लेकिन अफसोस होता है, जब हरिजन यहां से पिटता है, आपकी पुलिस के जरिए पिटता है, आफिसर्स के जरिए पिटता है, तो उधर के लोग उन आफिसर्स को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस का हरिजन यदि पिटता है और हम लोग यहां से आवाज उठाते हैं कि वह क्यों पिट रहा है, तो कोई असर नहीं होता है। आपको अपनी कुर्सी प्यारी है। आप समझते हैं कि अगर कहीं हमने आफिसर को सजा दे दी तो वह आफिसर हमसे कहीं नाराज न हो जाए और एक वजह यह कि आपको नजायज फायदे उठाने हैं उस आफिसर से। आपको दर्द क्यों नहीं होता है। जो हिन्दुस्तान की एवाम का मेम्बर है, जो पार्लियामेंट का मैम्बर है, क्या वे सब एक नहीं हैं। इस पार्लियामेंट के मैम्बर के दुःख दर्द को आप क्यों नहीं समझते हैं। इस पार्लियामेंट के अन्दर 542 के करीब सदस्य हैं और जब हिन्दुस्तान की इस पार्लियामेंट के अन्दर इस तरफ बैठे हुए लोग या इस तरफ बैठे हुए लोगों के दुख-दर्द को उस तरफ के बैठे हुए लोग नहीं समझ सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह हिन्दुस्तान कहां है, जिसका ख्वाब महात्मागांधी ने देखा था। हिन्दुस्तान को बनने नहीं दिया, यह आसानी से कह दिया जाता है कि अपोजीशन वाले लोग इसको टुकड़ों में बदल रहे हैं। मैंने यह बात पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं, आप बताइए ऐसा कौन सा मौका आया है, जहां अपोजीशन वालों ने एक होकर सोल्यूशन तैयार करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन हर मीटिंग के बाद कह दिया जाता है कि अपोजीशन वाले इस काम को नहीं करने देना चाहते हैं।

मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, गुरबत को हटाने का नारा सन 1980 में इस सरकार द्वारा दिया गया था। इसी सरकार के 1980, जुलाई के एक प्रश्न के जवाब के मुताबिक सन 1980 में हमने जब यह सरकार आपको दी थी, उस वक्त इस मुल्क के अन्दर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 48.13 परसेंट थी। अब 28 जुलाई, 1982 को एक पूछे गए प्रश्न के जवाब में इनके अनुसार बिलो पावर्टी लाइन लोगों की संख्या बढ़ कर 56.56 परसेंट हो गई है। इस प्रकार दो साल के अन्दर 10 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे ढकेल दिया है। यह आपकी कौन सी इकानमी है, कौन सा तरीका है, मुल्क की बेरोजगारी को दूर करने का। अब यह संख्या बढ़कर 66-67 परसेंट हो गई है। यह अफसोस का मुकाम है, जिस मुल्क को सन 1980 में यह कहकर के, कि लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम को दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, भूखे नंगे लोगों को रोटी-कपड़ा और मकान देंगे, बिलो पावर्टी लाइन से लोगों को ऊपर उठायेंगे, इस मुल्क को अपने हाथ में लिया है। इस वक्त भी मुल्क की दो-तिहाई आबादी गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आपके चमचमाते बड़े-बड़े शहर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, जहां की रोशनियों से आदमियों की आंखें चुंधिया जाती हैं, उन शहरों के अन्दर भी 33 प्रतिशत, 48 प्रतिशत और 28 प्रतिशत लोग सलम्स में रह रहे हैं। जहां पीने को पानी नहीं है। जहां रहने के लिए मकान नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको इसका इल्म नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ने कितनी चीजों को अब तक हटाया है? आपके जमाने में हर शहर में सलम्स बढ़ रहे हैं। आपके जमाने में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। चार साल पहले जिनको खाने को भरपेट मिल रहा था, आपके जमाने में शायद दो-तिहाई आदमियों को भी भर-पेट खाने को नहीं मिल रहा है। फिर भी इन सबके लिए जिम्मेदार अपोजीशन है। अपोजीशन बजट बनाती है, अपोजीशन उसको इम्पलीमेंट करती है। लॉ-एण्ड-आर्डर की जिम्मेदारी अपोजीशन की है—यह सारा काम आपका है। अगर आप यह समझते हैं कि इन सब के

लिए जिम्मेदार अपोजीशन है, तो यह सरकार किस लिए है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। लेकिन एक रसम चल रही है। आपको कोई न कोई बात कई मर्तबा कहनी है, जिससे वह सच महसूस होने लगे। आप सन 1980 से लेकर 1984 तक कान्फ्रेंसेज कर रहे हैं। बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। बाहर के लोगों को बुला-बुलाकर दावतें दे रहे हैं। दुनिया का लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। दुनिया को लीडर शिप प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, चाहे अपने यहां लोग मरते रहे। इन नौटंकियों के ऊपर 2400 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। ऐसे मुल्क के अंदर जहां। लाख 30 हजार 761 गांव ऐसे हैं जहां आज तक पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, उस मुल्क में 2400 करोड़ रुपये नौटंकी पर खर्च किए जा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम दुनिया के लीडर बन गए हैं, दुनिया को दिखला दिया है कि हम एक तरक्कीयाफता मुल्क हैं—यह कौन सी तरक्की है? डिप्टी स्पीकर साहब, जहां हमारी बहनें और बेटियां पेट भरने के लिए अपनी इज्जत बेचती हैं वहां 48 करोड़ रुपया 48 घण्टों में गोवा में खर्च कर दिया। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, लेकिन हम उनको शराब पिलाते हैं। इस मुल्क का अवाम आज यह कहते हुए नजर आता है—

गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी
ऐ खानाबरअन्दाजेचमन कुछ तो इधर भी।

हिन्दुस्तान की गुरबत किसको नजर आती है, उसको कौन देखना चाहता है? जो देखना चाहते हैं वे अपोजीशन में बैठे हैं। सारी बातों की जिम्मेदारी अपोजीशन पर है। मैं पूछना चाहता हूं—अगर यह सारी जिम्मेदारी हमारी है तो बराये-मेहरबानी सरकार को छोड़िये, हम अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेंगे।

मैंने अभी कहा था कि गुरबत की लाइन 48.1 परसेंट से 66 परसेंट पर आ गई है। आज अन-एम्पलाएड का क्या हाल है? जब हमने सरकार छोड़ी थी, उस वक्त 1 लाख 26 हजार लोग एजूकेटेड अनएम्पलाएड रजिस्टर्ड थे, लेकिन 20 जुलाई के जवाब के मुताबिक आज 2 करोड़ 10 लाख आदमी एजूकेटैड अनएम्पलाएड रजिस्टर्ड हैं। आप यह न समझियेगा कि यह कुल हिन्दुस्तान के बेरोजगारों की तादाद है, हिन्दुस्तान के कुल बेरोजगारों की तादाद तो इससे कहीं ज्यादा है और मेरा अन्दाजा है शायद 10-12 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। यह तादाद तो रजिस्टर्ड लोगों की थी। जो लोग देहातों में रहते हैं, हमारे मजदूर भाई और दूसरे लोग, वे कहां रजिस्टर कराते हैं। दिल्ली जैसे शहर में भी हजारों बेरोजगार लोग हमारे पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वे कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसलिए पढ़े-लिखे लोगों की यह सही पिक्चर नहीं है, यह तादाद कुछ नहीं तो 3 करोड़-4 करोड़ के करीब होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप फरमाते हैं कि हिन्दुस्तान तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है—क्या खाक आगे बढ़ रहा है?

एक और तमाशा देखिये—इस मुल्क में 1980 के खुतबे में सदर साहब के जरिए एक बड़ा जबरदस्त नारा दिया गया—हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता बढ़ गई है, हिन्दुस्तान खतरे में है, मैं हिन्दुस्तान की माइनारिटीज की हिफाजत अपना फर्ज समझता हूं। हिन्दुस्तान की माइनारिटीज ने 1977 में कांग्रेस को वोट नहीं दिया और इसलिये नहीं दिया था कि उन पर जुल्म और जबरदस्ती चल रही थी। हरिजनों ने 1977 में कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इसलिए कि उन पर जुल्म और जबरदस्ती हो रही थी। 1980 के खुतबे में यह कहा गया कि हम हिन्दुस्तान की माइनारिटीज और वीकर सैक्शन्ज को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन वोट न देने की सजा उनको क्या दी गई? 1980 से पहले भी हिन्दू-मुस्लिम

फिसाद होते थे, ऐसा हो सकता है, दो भाई लड़ सकते हैं—यह बात समझ में आ सकती है। हिन्दू-हिन्दू से लड़ सकता है, मुसलमान-मुसलमान से लड़ सकता है, हरिजन-हरिजन से लड़ सकता है, इसी तरह हिन्दू मुसलमान से लड़ सकता है, मुसलमान हिन्दू से लड़ सकता है—ये सब बातें हो सकती हैं, क्योंकि हम हिन्दुस्तान में रहते हैं, हमारी अपनी कई लोकल प्राबलम्ज हैं या दूसरी प्राबलम्ज हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम एक-दूसरे से नफरत करते हैं। आपने 1980 में वायदा किया था कि आप प्रोटेक्शन देंगे और इसमें कोई शक नहीं कि आप ने उनको बनाया और इसके लिए हम आप का धन्यवाद करते हैं। आपने हिन्दू को मुसलमान के जुल्म से, मुसलमान को हिन्दू के जुल्म से, हरिजन को दूसरों के जुल्म से बचाया, लेकिन उसके बाद आपका अपना जुल्म शुरू हो गया। आप बतलाइए—13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में कौन सा हिन्दू मुसलमानों को मारने के लिए गया था ? बताइए, अगर आपके पास कोई जबाब है। एक आदमी भी हिन्दू नहीं था, जो मुसलमानों को मारने के लिए गया हो, सन 1980 में ईदाह पर। मुसलमान अपने बच्चों को लेकर गये थे। मुसलमानों के 165 बच्चे, बूढ़े और जवान शहीद हो गये उस ईदाह में। किसके जरिए ? क्या हिन्दुओं के जरिए। नही, वहां हिन्दुओं ने नहीं मारा बल्कि आपकी जो पुलिस है और पी०ए०सी०है, उसकी गोलियों से वे मरे। इसकी जिम्मेवारी भी क्या अपोजीशन पर होगी। जो गोलियां आपकी पुलिस चलाएगी मुसलमानों को मारने के लिए, क्या इसकी जिम्मेवारी भी अपोजीशन वाले उठाएंगे ? क्या जो गोली आप चलाएंगे, हमारे ऊपर उसकी भी जिम्मेवारी हमारी होगी। नहीं होगी। आपकी पुलिस और पी० ए० सी० ने ईदगाह में मुसलमानों पर गोलियां चलायीं और वहां हिन्दुओं ने गोली नहीं चलाई। यह आपने वहां मुसलमानों को प्रोटेक्शन दिया ? आप सजा देने लगे उन लोगों को, उन मुसलमानों को जिन्होंने आपके खिलाफ वोट देने की जुर्रत की। वह कहने लगे कि तुमने हमारे खिलाफ वोट देने की जुर्रत कैसे की। जर खरीद मुसलमान कांग्रेस को वोट देता था। इसके अन्दर जुर्रत कैसे हुई कि कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। इसलिए आपको यह बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने उसको गोली का निशाना बना लिया। क्या आपने एक आदमी का भी ट्रांसफर किया ? क्या आपने किसी अफसर को सजा दी ? क्या आपने एक आदमी का भी तबादला किया और क्या आपने एक आदमी को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्यों हुआ ? सवाल यही है। इससे भी बढ़ कर मेरठ के अन्दर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया। आज मैं फिर कहता हूं कि आपने मेरठ के अन्दर एक साम्प्रदायिक फिजा पैदा की लेकिन अच्छी बात यह है कि एक मुकाम पर भी हिन्दू और मुसलमानों में आपस में मुठभेड़ नहीं हुई। जहां भी मिलता है यही मिलता है हो सकता है कि कोई इक्का-दुक्का कोई केस हो गया हो लेकिन आपकी पुलिस और पी० ए० सी० ने जाकर गोली चलाई और आपके जवाबात के जरिये से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके जमाने में क्या हुआ। हिन्दुस्तान को सेकुलरइज्म की जरूरत है और आप कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और साम्प्रदायिकता के झगड़ों को खत्म करना चाहते हैं। आपने सन 1980 में यह वायदा किया था कि दृढ़ता और शक्ति के साथ हम साम्प्रदायिकता को कुचल देना चाहते हैं लेकिन जरा आप अपनी तस्वीर देखिए। जो 15-20 साल के आपके आंकड़े हैं आपके जवाबों के मुताबिक, वे मेरे पास हैं। सन 1977 में हमारी सरकार आई और सन 1979 के दिसम्बर तक रही। इन तीन सालों के अन्दर कुल फसादात हिन्दू-मुसलमानों के 722 हुए। इसको 36 से आप तकसीम कर दीजिए क्योंकि 3 साल में 36 महीने हुए। इन तीन साल का एवरेज आता है 19.8। आप इसको 20 ही मान लीजिए यानी एक महीने के अन्दर 20 हिन्दू-मुसलमानों के फसाद हुए उस सरकार के अन्दर जिस सरकार में आर० एस० एस० के लोग भी बैठे थे और वकील आपके, जिस सरकार के अन्दर साम्प्रदायिक लोग बैठे थे। उस सरकार के जमाने में एक महीने के अन्दर 20 फसाद हुए यानी एक दिन के अन्दर एक फसाद से कम हुआ। उसके बाद जब आपकी सरकार आ जाती है, साम्प्रदायिकता

विरोधी सरकार, इस मुल्क से साम्प्रदायिकता खत्म कर देने वाली सरकार आ जाती है, तो उसकी स्थिति क्या है। मेरे पास 15 जून 1983 तक के आंकड़े हैं। आपके जवाब के मुताबिक कुल फसादात की तादाद 1448 है। इसको आप 42 से तकसीम कर दीजिए क्योंकि 42 महीने साढ़े तीन साल में होते हैं। 42 से तकसीम करने पर एवरेज आता है 34.47 एक महीने का और एक दिन का एवरेज एक से ज्यादा हुआ। इस तरह से आपकी सरकार ने एवरेज को 20 से बढ़ाकर 34 कर दिया और अगर आज की तारीख का एवरेज लगाया जाए और पंजाब के झगड़ों को उसमें जोड़ा जाए, मैं तो सिर्फ उन झगड़ों के बारे में बता रहा हूं, जिनमें आपके जुल्म शामिल हैं, तो एवरेज 75 से ऊपर जाकर बैठेगा। इस तरह से आपने इस मुल्क को तबाह कर दिया और साम्प्रदायिकता को खत्म करने की बजाए उसको बढ़ा दिया। आपने मुल्क को तोड़ने की साजिश की है और मैं नहीं समझता कि आपने सोच क्या रखा है। शायद आपने भी वही सोच रखा है जोकि अंग्रेजों की सरकार ने सोचा था कि लड़ाओ और राज्य करो और मैं तो समझता हूं कि आप उससे भी आगे बढ़ गये।

आप अपने पिछले रिकार्ड को भी सुन लें क्योंकि अपने जवाब में शायद आप यह कहें कि हमारा पिछला रिकार्ड बहुत अच्छा था। मुझे आपका सन 1969 से लेकर 1976 तक का रिकार्ड मिला है और आपके जो जवावात हैं, उसके पहले का रिकार्ड भी मेरे पास है लेकिन वह अनआफिशियल रिकार्ड है, जिसके मुताबिक दो फसाद पर मन्थ बैठता है लिहाजा मैं अनआफिशियल रिकार्ड वाला बात नहीं कहता। आपका जो आफिशियल रिकार्ड है, उसके मुताबिक पिछले 7 सालों में 2465 फसाद हुए हैं सन 1969 से लेकर सन 1976 तक। इस तरह से इन सात सालों में जो 2465 फसादात हुए, उनका एवरेज निकालें तो 25.61 पर मन्थ आता है यानी करीब-करीब एक फसाद हर रोज हुआ। यह आप का रिकार्ड है। अब आप बताइए कि वह सरकार बेहतर थी या यह सरकार। कम्युनल और साम्प्रदायिक दृष्टि से आपकी सरकार 25.61 एवरेज पर थी और इस एवरेज को हमारी सरकार ने घटाकर 19.8 कर दिया था। यह आपकी सरकार थी कि जिसने 20 फीसदी महीने में होते थे, उनको बढ़ाकर 34.47 पर मन्थ कर दिया। आप ही बताएं दोनों सरकारों में कौन-सी अच्छी सरकार है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं आपकी इजाजत से दो-तीन पैराग्राफ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। 1980 से लेकर 1984 तक जो प्रेजीडेंट के एड्रेस हुए हैं उनसे कोट करना चाहता हूं। ये खेती की पैदावार के मुतल्लिक हैं। सन् 1981 में आप फरमाते हैं :—

> "खरीफ फसल के दौरान लगभग 795 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन अब तक का रिकार्ड का उत्पादन है। चालू गेहूं की फसल के आसार भी बहुत अच्छे हैं।"

लेकिन साल 1982 के बारे में आप फरमाते हैं कि चार फीसदी प्रोडक्शन कम हुआ। इसके लिए आप फरमाते हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये सब आपने इस ढंग से कहा है ताकि हिन्दुस्तान का कम पढ़ा-लिखा इन्सान इन चीजों को न समझ सके। आप फरमाते हैं :—

> "1981-92 में कृषि उत्पादन की संभावना अच्छी है। प्रारम्भिक अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि खरीफ की फसल के दौरान पूरे वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन 799.5 लाख टन होने की आशा है जो कि अब तक के रिकार्ड उत्पादन से अधिक होगा।"

फिर आप प्रोडक्शन की बात नहीं करते, आप फरमाते हैं कि प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा हुआ। आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यह सब रिकार्ड टाइम में सब कुछ रिकार्ड हुआ है। आपको

रिकार्ड में ज्यादा दिलचस्पी है, आपकी इसमें इन्ट्रेस्ट नहीं है कि मुल्क से गुरवत दूर हो, लोगों को रोजगार मिले, मुल्क से साम्प्रदायिकता गायब हो रिकार्ड का लफ्ज चारों प्रेजीडेंशल एड्रेसिज में है। 1983 में देखिए :—

"खरीफ और रबी के दौरान हुई समस्याओं के बावजूद चावल और गेहूं की वसूली गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई।"

अगर प्रोडक्शन रिकार्ड नहीं हुआ तो प्रोक्योरमेंट रिकार्ड हुआ। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात बड़े ताज्जुब की है जो कि दुनिया की पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। यह मेरे पास किताब है, मैं उससे आपको पढ़ कर सुना सकता हूं कि दुनिया की पार्लियामेंट में और यहां किस तरह से जवाब दिये जाते हैं। एक ही सवाल के जवाब में सरकार फरमाती है कि फूडग्रेंस का रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ और फूडग्रेंस का इम्पोर्ट रिकार्ड हुआ। जिस साल में फूडग्रेंस का रिकार्ड प्रोडक्शन हो रहा है, उसी साल में रिकार्ड इम्पोर्ट भी हो रहा है। (व्यवधान) हां रिकार्ड प्राईस इंक्रीज भी हो रहा है। किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : बेवकूफ बनाने में भी रिकार्ड।

श्री रसीद मसूद : हां, बेवकूफ बनाने में भी रिकार्ड है। अब जरा 1984 के एड्रेस से सुनिये :—

"इस वर्ष कृषि उत्पादन में 9 प्रतिशत वृद्धि की आशा है, जबकि पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत की कमी हुई थी। अनाज का उत्पादन 1420 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से अधिक हो जाने की आशा है जबकि 1982-83 में वास्तविक उत्पादन 1284 लाख मीट्रिक टन था और इससे पहले सबसे अधिक उत्पादन का रिकार्ड 1333 लाख मीट्रिक टन रहा था।"

डिप्टी स्पीकर साहब, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि जब से हम आजाद हुए हैं तबसे मुल्क में तीन साल ऐसे रहे हैं जिनमें कि हमने भीख पर जिन्दगी नहीं गुजारी है। नहीं तो हर साल हम बाहर से अनाज मंगाते रहे हैं, कभी गेहूं, कभी चावल। आप बता दीजिए कि इन तीन सालों के अलावा कब आपने बाहर से अनाज नहीं मंगाया। ये तीन साल थे 1977, 1978 और 1979 के जिन सालों में हमने बाहर से अनाज नहीं मंगाया, बल्कि बाहर के मुल्कों को अनाज भेजा। जबसे आपकी सरकार आई तबसे क्या आपने गेहूं नहीं मंगाया ? उसके बाद जो सरकार आई उसने रिकार्ड प्रोडक्शन किया और रिकार्ड इम्पोर्ट किया। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी डाउन जा रही है, अफसोस की बात यह है। समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करूं और कैसे खत्म करूं। दो तीन बातें जरूर कहना चाहता हूं। आज आप किसान को जाकर देखें तो आपको उसकी मुश्किलों का अहसास होगा। किसान को परेशानी होगी। तो मजदूर को परेशानी होगी। मजदूर परेशान होगा तो देहात में रहने वाला छोटा दस्तकार परेशान होगा। लेकिन आज किसान को प्राब्लम को कोई देखना नहीं चाहता। हम एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन के कंपोजीशन के खिलाफ है। उसमें मजदूरों का नुमाइंदा होना चाहिए, किसानों का नुमाइंदा होना चाहिए। उन लोगों का नुमाइंदा होना चाहिए जो देश के लिए खाने पहनने की चीजें पैदा करते हैं। लेकिन यह कुछ नहीं होता। चलिए यह भी छोड़िए, ताज्जुब की बात तो यह है कि वह भी जो रिकमण्ड करता है उससे घटाकर मंजूर किया जाता है। कभी एक-आध रुपया बढ़ा दिया जब इलेक्शन

करीब हो। मैं पूछना चाहता हूं कि यह आप कौन सा इकनामिक्स इन्वाल्व कर रहे हैं। किस तरफ आप हिन्दुस्तान को ले जा रहे हैं। जब डेढ़ रुपया किलो प्याज बिक रहा था उस वक्त शर्माजी ने खुश होकर कहा था कि डेढ़ रुपए किलो प्याज पर हुकूमत बदलेंगे। आज ढाई रुपए किलो प्याज बिक रहा है। लेकिन आज कोई आगे नहीं आ रहा प्याज पर हुकूमत बदलने। जबकि प्याज असेंशियल नहीं है, आज तो गेहूं नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है।

आपने बड़े जोर-शोर से कहा है कि हम देहात में हैल्थ के लिए प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज कौन देहात के लोगों को देखने के लिए तैयार है। कौन देहात के लोगों की फिक्र कर रहा है। जब हमारी सरकार थी, जनता और लोकदल दोनों की सरकार की बात कर रहा हूं, उस वक्त देहात के अन्दर हास्पीटल खुले, डाक्टरों को जबरदस्ती भेजा गया था। उस वक्त देहात में नर्सेस को रखा गया था ताकि देहात के अंदर जच्चा-खाना खुल जाए। आज देहात की बात तो छोड़ दीजिए वहां तो डाक्टर नहीं मिलेगा, नर्सेस नहीं मिलेंगी, देहात में तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, मेरे अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी देहात के हास्पीटल हैं उनके अंदर डाक्टर नहीं हैं। अपाएंटमेंट किया है लेकिन जाते नहीं हैं। हम लिख लिख कर परेशान हो गए हैं चीफ मिनिस्टर जवाब तक नहीं देता है। आज मैं यहां बैठे बैठे आपके ऊपर 307 का मुकदमा दायर करा सकता हूं, 200 रुपया खर्च होगा। इनके डाक्टर आज यह काम कर रहे हैं। देहातों की बात छोड़ दीजिए, शहरों के अंदर दवाइयां नहीं है। हास्पिटल की दवाइयां वहां के कैमिस्ट के यहां बिक रही है, खुलेआम बिक रही हैं। आप देहात में हैल्थ का खयाल रखने का दावा करते हैं लेकिन शहर के लोगों का ही नहीं कर पा रहे हैं। यहां डाक्टर हैं, अस्पताल हैं, सारी सहूलियतें हैं। ये सरकार देहात के लोगों का क्या खयाल रखेगी जहां न अस्पताल हैं, न डाक्टर हैं, न नर्सेस हैं, न सहूलियतें हैं। मैं नहीं समझता कि सरकार का कुछ करने का इरादा है।

जनाब डिप्टी साहब, हमारे मंगल राम प्रेमी जी बैठे है। ये बेचारे एक ऐसी जाति से ताल्लुक रखते हैं जिसको बदकिस्मती से इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, न देखा जा रहा है और इस सरकार के चलते न देखा जाएगा। इस सरकार के यहां तो बाइज्जत लोगों की जरूरत नहीं है। यहां तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो जाहिल हों, जो गरीबी की रेखा से नीचे हों, जो ये न समझ सकते हों कि इनका प्रपोगंडा क्या है और जो बिना सोचे समझे इनके निशान पर मोहर लगा दें। ऐसे लोगों की इनको जरूरत है। हमारे प्रेमी जी मुस्तकिल इस बात की कोक्षिश कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को कुछ बेसिक सहूलियतें दी जाएं। उनकी दवा वगैरह का खयाल किया जाए और उनकी फैमिलीज के लिए मकान वगैरह अलाट किए जाएं या कुछ ऐसे तरीके अख्तियारात किए जाएं जिससे वे बाइज्जत जिन्दगी गुजार सकें। आपका बच्चा तो फौरन ही डी० पी० एस० में दाखिल हो जाएगा लेकिन उनके बच्चों को म्युनिसिपेलीटी भी लेने के लिए तैयार नहीं होती है। उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप उनको जाहिल और गुरबत की रेखा से नीचे रखना चाहते हैं। मैं इन अल्फाज के साथ इस शुक्रिया प्रस्ताव का मुखालफ्त करता हूं जो हमारे एवान के सामने है।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य श्री रसीद मसूद के भाषण को सुना और यह महसूस किया कि उनका भाषण कुछ उसी प्रकार का भाषण था जोकि गृह, कृषि, स्वास्थ्य और अन्य मन्त्रालयों को अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय दिया जाता है।

श्री रशीद मसूद : यादव साहब, मैंने जो कुछ भी कहा है, प्वाइंट वाइज ही कहा है। मैं प्रेजीडेंट एड्रेस से बाहर नहीं गया हूं।

श्री डी० पी० यादव : एक राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि हमें खुश होना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए। ऐसी बात है कि हमें हर समय विषाद और निराशा ही व्यक्त करते रहना चाहिए और भविष्य में भी हमारे बारे में यह कहा जाये कि इस महान देश ने लाखों लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। हमने कई क्षेत्रों में प्रगति की है जिसके लिए देश को देश के नेताओं को और जनता को गर्व होना चाहिए जब श्री मसूद बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से केवल एक पैराग्राफ 12 को लेना चाहता हूं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 12 में कुछ उल्लेख किया है। क्या श्री मसूद उससे इन्कार कर सकते हैं। वह भौतिकशास्त्र के प्रोफेसर प्रो० मधु दंडवते की तरफ बैठे हैं। कम से कम प्रो० दण्डवते तो मुझसे सहमत होंगे कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 12 में जो कहा है वह शत प्रतिशत सही है। यह शत प्रतिशत तथ्यपरक वक्तव्य है। हमने वर्ष 1983-84 में क्या किया है। विज्ञान और प्राद्योगिकी को लीजिए। क्या प्रगति असाधारण नहीं है। प्रगति निश्चय ही अत्यधिक है जिसके लिए श्री रशीद मसूद को और मुझे गर्व होना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को ही लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कालानुक्रम विकास को मद्देनजर रखकर दो दशाब्दियों 1970-80 और 1980-90 में हुई प्रगति को देखें तो पाएंगे कि निश्चय ही इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है। एक समय था जब हम केवल उपग्रहों के बारे सुनते थे। मैं इस विषय के इतिहास को लेकर बताऊंगा कि कितनी तेजी से हमने इस दिशा में विकास किया है।

राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक लाभ हेतु गत दो दशाब्दियों में भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष विज्ञान के विकास और उसको अमल में लाने के लिए अत्यधिक तेजी से काम किया है। विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की गई और क्षमताओं का निर्माण किया गया। शब्द हैं 'ए होल रेंज ऑफ कैपेबिलटीज' (समग्र साधन क्षमताएं)। यह कोई अवसाद का विषय नहीं है। हमने अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में समग्र साधन क्षमताओं का विकास किया है। इसके परिणामस्वरूप भारत अब वैज्ञानिक परीक्षणों और व्यावहारिक प्रयोगों जैसे पृथ्वी के प्रेक्षण और दूरसंचार इत्यादि के लिए उपग्रहों की योजना बना सकता है, उनका निर्माण और परीक्षण कर सकता है। इन सभी चीजों को मिला दिया गया है। हमने 1975 में आर्यभट्ट से शुरुआत की। आर्यभट्ट क्या था ? यह एक बहुत छोटा उपग्रह था जिसकी हमने परिकल्पना की, डिजाइन तैयार किया और उसका निर्माण किया। आर्यभट्ट का उद्देश्य क्या था ? पहला उपग्रह, जिसका डिजाइन भी देश में तैयार किया गया और निर्माण भी देश में हुआ, छोड़ने के लिए हमें रूस की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन उसका निर्माण और उसका डिजाइन तो हमने तैयार किया। इसका उद्देश्य क्या था ? यह एक प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह था जिसमें वैज्ञानिक परीक्षण हेतु उपकरण लगे थे। इसके बाद 1979 में भास्कर I का निर्माण हुआ। भास्कर उपग्रह का डिजाइन भी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के प्रेक्षण के उद्देश्य से तैयार किया गया। और उसमें एक माइक्रोवेल रेडियो मीटर और टेलिविजन कैमरा की व्यवस्था बोर्ड पर थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : 1979 में वे सत्ता में थे।

श्री डी० पी० यादव : हां जनाब, किन्तु बीज 1971 में बोया गया था जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थी। यह उपग्रह भास्कर जो 1979 में छोड़ा गया मुख्यतः दूरवर्ती संवेदी (रिमोट सेंसिग) उपग्रह था।

श्री रशीद मसूद : इसका आम आदमी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह आपको यह बताने की कोशिश कर रहे है कि गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को किस तरह से अन्तरिक्ष में भेजा जाता है।

श्री डी० पी० यादव : उपग्रह गरीबी की रेखा को मिटाने में कहां तक सहायक है यह मैं आपको बताऊंगा।

उस समय उपग्रह छोड़ने का कार्य रूस द्वारा किया गया और उसके बाद काफी प्रगति हुई और 1981 में भास्कर II अन्तरिक्ष में छोड़ा गया। भास्कर II भास्कर I का संशोधित और सुधरा हुआ रूप था और पृथ्वी के प्रेक्षण के उद्देश्य हेतु इसे छोड़ा गया। दूसरा उपग्रह भी रूस द्वारा छोड़ा गया। फिर 'एपल (APPLE) छोड़ा गया यह प्रथम प्रयोगात्मक त्रिअक्षीय स्थिर संचार उपग्रह था इसे छोड़ने के लिए हमने योरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी की सहायता ली। इसका अर्थ यह है कि केवल उपग्रह छोड़ने के लिए ही हमें अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन उपग्रह हमने स्वयं तैयार किए। फिर आया 'रोहिणी' उपग्रह। राष्ट्रपति के अभिभाषण में 'रोहिणी' का उल्लेख है। रोहिणी उपग्रह है क्या। यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में 17 अप्रैल 1983 को छोड़ा गया। देश में अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कितनी भारी प्रगति की है उसका पता हमें इस उपग्रह से चलता है।

क्या अन्तरिक्ष का लाभ हमें नहीं मिल रहा है? हां, मिल रहा है। हां, यहां तक कि अन्तरिक्ष में मिलने वाली कार्बनडाईआक्साइड का उपयोग प्रकृति के साथ-साथ, मानवता की भलाई के लिए हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी कर रही हैं।

उसके पश्चात् इन्सेट-I आया। इन्सेट-I में कुछ सुधार हुआ था। इसका डिजाइन हमने ही तैयार किया था, संरचना हमारी थी। तीन मुख्य राष्ट्रीय सेवाओं को, जैसे दूरसंचार, मौसम विज्ञान और विकासात्मक दूरदर्शन—इन तीनों को एक साथ मिला दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके सर्वाधिक उपयोगकर्त्ता यहां पर बैठे हैं।

श्री डी० पी० यादव : इसे एक अन्तरिक्ष-यान द्वारा छोड़ा गया था जिसे विदेश से मंगाया गया था। उस समय हमने केवल अन्तरिक्ष यान का ही आयात किया था। परन्तु इस प्रकार अन्तरिक्ष में छोड़ने के लिए हम कब तक विदेशी एजेन्सियों पर निर्भर करेंगे। अब वास्तव में, पूर्णतः हमारे वैज्ञानिकों का एक प्रयास यह भी है कि हमने अपनी स्वयं की अन्तरिक्ष में उपग्रह छोड़ने का यान भी तैयार कर लिए और स्वयं अपने यान द्वारा ही 30 अगस्त, 1983 को इन्सेट-I बी सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। क्या यह मामूली उपलब्धि है? अपने ही यान द्वारा उपग्रह को अन्तरिक्ष में छोड़ना विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और मुझे आशा है कि प्रो० मधु दण्डवते मेरी बात से सहमत होंगे। हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। परन्तु बधाई तो उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए, जिसने भारतीय लोगों की उन्नति एवं भलाई के लिए अन्तरिक्ष के दोहन के विचार को जन्म दिया और वह व्यक्ति हैं श्रीमती इन्दिरा गांधी। 15 अक्तूबर, 1983 से इन्सेट-I बी दूरसंचार, दूरदर्शन, रेडियो और मौसम विज्ञान के कार्य के प्रयोजनार्थ अन्तरिक्ष में मुख्य केन्द्र के रूप में सेवारत है।

उपग्रह से लेकर लांचिंग यान एस०एल०वी०-3 से हम एक ऐसी अवस्था में आ पहुंचे हैं जिसमें हमें खुशी है और हमें गर्व है। परन्तु महोदय इसका क्या प्रयोजन है? हमारा वैज्ञानिक आयोजन का

दृष्टिकोण और हम इन उपग्रहों का उपयोग रिमोट सेन्सिंग के उद्देश्यार्थ करेंगे। भावी पीढ़ी रिमोट सेंसिंग के भविष्य से भली-भांति परिचित है। हमें अपनी समग्र वैज्ञानिक जन-शक्ति का दोहन करके, उसे अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, की उन्नति के लिए, खनिज विकास हेतु पानी इत्यादि के लिए उपयोग करना है। महोदय, भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह-प्रणाली, कृषि, जल व्यवस्था, वानिकी, खनिज भू-विज्ञान के कतिपय पहलुओं आदि पर बल देते हुए, हमारी संसाधन-प्रबन्ध की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

महोदय, हम अवनति की ओर नहीं जा रहे हैं। हमें आगे जाना होगा, उन्नति करनी होगी। विज्ञान स्थिर नहीं होता है, विज्ञान तो गतिशील एवं प्रगतिशील होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर हमें प्रगति करनी है, हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, जो कि विश्व में अपने को सर्वाधिक विकसित होने का दावा करते हैं और हम आशा करते हैं कि एक समय वह भी आयेगा जब हमें उनके साथ समान दर्जा मिलेगा अथवा हम कह सकें कि विश्व में वैज्ञानिक रूप से विकसित किसी भी ऐसे राष्ट्र से पीछे नहीं रहेंगे जो कि अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने को अग्रणीय होने का दावा करते हैं। महोदय, हमारी लांच-यान की एक योजना है। हमने पृथ्वी की निकट कक्षा में, लघु वैज्ञानिक उपग्रह छोड़ने की क्षमता विकसित कर ली है। रोहिणी आर०एस०-I (35 किलो०) और रोहिणी आर०एस०डी०-I (38 किलो०) भारतीय एस० एल० वी०-3 लांच यान द्वारा क्रमशः 1980 और 1981 में छोड़े गए थे। इस दशक के दौरान अधिक शक्तिशाली लांच यान विकसित किये जाएंगे। इसमें ध्रुव उपग्रह लांच यान (पी०एस०एल०वी०) भी सम्मिलित है जिसमें 1000 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों को सूर्य-समकालिक ध्रुव कक्षाओं में छोड़ने की क्षमता होगी। इसके समांतर ही, सम्वर्धित उपग्रह लांच यान (ए०एस०एल०वी०) को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उद्देश्यार्थ 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह को छोड़ने के लिए विकसित किया जा रहा है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दूसरे भाग में कहा गया है कि "मद्रास परमाणु बिजली घर की प्रथम इकाई, जिसकी स्वदेश में ही संरचना की गई और निर्माण किया गया था, 2 जुलाई, 1983 से 200 मैगावाट तक के विद्युत स्तर तक विद्युतोत्पादन करता आ रहा है।"

जो कुछ हम पढ़ते हैं, वह बड़ा साधारण सा लगता है। परन्तु जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो वह बड़ा ही उत्साहवर्धक लगता है। हम प्रसन्न हैं। क्यों ? मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा।

जब जवाहर लाल नेहरू ने परमाणु विज्ञान का विचार किया तो, भारत से बाहर के कई लोगों ने कहा कि 'जवाहर लाल नेहरू परमाणु युद्ध की योजना बना रहे हैं। और इसीलिए वह अपने इस देश में परमाणु शक्ति विकसित और उत्पन्न कर रहे हैं।' महोदय, ऐसा नहीं है। अपने वैज्ञानिक नीति संकल्प और अपने परमाणु शक्ति संकल्प में हमने अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत मानव के लाभार्थ परमाणु विज्ञान को विकसित करेगा, मानव जाति के विनाश के लिए नहीं।

महोदय, हमारा ऐसा विचार था कि जिन देशों से हम परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में सहायता लेते हैं, वे मित्रवत रहेंगे और दी गई सहायता बिना किसी शर्त के होगी। हमने आशा की थी कि वे हमें समान समझेंगे। परन्तु दुर्भाग्य से जो ताकतें परमाणु-विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे थीं, उन्होंने सोचा कि हम पूर्णतया उनकी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करें और उनकी अभिभावकता में बने रहें।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में मद्रास परमाणु बिजलीघर को चालू करने का उल्लेख किया है। लोग कहते हैं कि इसके बारे में क्या विशेष बात है ? जी हां, इसमें विशेषता है और वह

विशेषता है परमाणु बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ण आत्म-निर्भरता। हमारे वैज्ञानिकों ने डिजाइन बनाने, ईंधन परिष्करण और पोषण की संरचना करने तथा रिएक्टर को चालू करने की क्षमता विकसित कर ली है। हम परमाणु ईंधन और भारी जल के उत्पादन में आत्म-निर्भर हैं जो परमाणु बिजली उत्पादन इकाई के मुख्य घटक हैं। अब से आगे स्थिति बदल गई है। कनाडा और अमरीका शर्तें लगाना और परमाणु ईंधन पर रोक लगाना चाहते थे। हमारे पास अपने संसाधनों पर निर्भर करने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं है—अर्थात परमाणु प्रौद्योगिकी जनशक्ति के संसाधन पर निर्भर करना है। यह हमने प्राप्त कर लिया है। हम बिजली उत्पादन, कृषि, रेडियो आइसोटोप, विकीरण औषध, जीव-विज्ञान, जैविक रसायन, खाद्य-संरक्षण और धातु-विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वचनबद्ध हैं। संदर्श प्रायोजन का श्रेय और मानव जाति के कल्याणार्थ परमाणु ऊर्जा का उपयोग ही तो हमारे राजनीतिक दर्शन का आधार रहा है। और श्रीमती इन्दिरा गांधी का ही वह राजनीतिक दर्शन है।

कभी-कभी इस देश में एक भय पैदा किया जाता है कि सीमा पर खतरा मंडरा रहा है। हमारे आकाश को खतरा है। महोदय, मुझे आशा है कि प्रो० मधु दण्डवते मेरे इस मत से सहमत होंगे कि वह समय आ गया है जब हम यह दावा कर सकते हैं कि सीमाएं पूर्णतया सुरक्षित हैं। यह सीमाएं सुरक्षित कैसे हुईं। केवल इसलिए नहीं कि हम संसद में बातें करते हैं परन्तु इस संसद से हम अपने वैज्ञानिकों को शक्ति प्रदान करते हैं और उनसे अपनी सुरक्षा सेनाओं और सुरक्षा आयुध प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान विकसित करने के लिए कहते हैं।

हमें अपने रक्षा वैज्ञानिकों पर गर्व है। 130 मि०मी० और 105 मि०मी० को स्वचालित तोपें तैयार करने के सम्बन्ध में भारत की योग्यता प्रशंसनीय है। सोनार, राडार, और मुख्य शस्त्र प्रणाली तथा आधुनिक इलैक्ट्रानिक शस्त्र तैयार करने की योग्यता से संकेत मिलता है कि सीमाएं सुरक्षित हैं और वायु सीमा सुरक्षित है। हमने ये चीजें तैयार की हैं, आदान तैयार किये हैं। लेकिन गरीबी है। मैं भी एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और ऐसा ही निर्वाचन क्षेत्र श्री रशीद मसूद का है। मैं इस तथ्य से इन्कार नहीं करता कि गरीबी है। लेकिन आज की गरीबी और 1946 की गरीबी में अंतर है। आज हम अपने बीच चुनाव लड़कर सरकार बदल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था। इस अवसर पर हमें अपने महान नेता पण्डित जवाहर लाल नेहरू का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए वैज्ञानिक नीति तैयार की। यहां डा० भटनागर हुए हैं जिन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद प्रयोगशालाएं स्थापित कीं। यहां डा० होमी जे० भावा, डा० सी० वी० रमण और डा० साराभाई जैसे वैज्ञानिक हुए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उसमें प्रधानमन्त्री को शामिल न कर लेना।

प्रो० डी० पी० यादव : उसमें मैं कम से कम आपको अवश्य शामिल करूंगा।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : वह यही पूछ रहे हैं।

श्री डी० पी० यादव : इन विख्यात वैज्ञानिकों में हम प्रो० मधु दण्डवते को शामिल कर लें।

क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि विस्तार नहीं हुआ है। पूरी शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हर वर्ष लगभग 1,60,000 योग्य वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ

तैयार हो जाते हैं। अनुमान है कि इस समय 20 लाख 50 हजार भारतीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं। विश्व में हमारा तीसरा स्थान है। 130 सुसज्जित प्रयोगशालाएं और संस्थाएं हैं, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, परमाणु ऊर्जा निदेशालय के तत्वावधान में स्थापित किया गया है तथा अन्य विभिन्न रक्षा विज्ञान प्रयोगशालाएं भी हैं। इन प्राप्तियों पर हमें गर्व और खुशी है। हम अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं जिनके प्रयासों से हम आत्मनिर्भर और सक्षम हुए हैं।

इस अवसर पर मैं दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब उसके लिए उनके आभारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संसद में दुर्लभ प्रकार का भाषण है जिसे मैं अच्छा समझता हूं। इसे संसद की कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्होंने केवल उपलब्धियों की बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ऐसा भाषण बहुत कम सुनने को मिलता है। इसे रिकार्ड में रखा जाना चाहिए।

अब श्री नेगी।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी जब अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे तो मैं गौर से उनको देख रहा था और उस समय राष्ट्रपति जी का चेहरा ऐसा लग रहा था कि वे जबर्दस्ती इस भाषण को पढ़ रहे हैं। यह अभिभाषण उनके गले तले उतर नहीं रहा था। बीच-बीच में उन्होंने पानी पिया तो मैंने सोचा कि पानी से इसको नीचे उतार रहे हैं। इस अभिभाषण को पढ़ने में उनको दिक्कत आ रही थी। इस किस्म का यह भाषण था।

एक बात के लिए मैं जरूर बधाई दूंगा लेकिन वह साइंटिस्ट्स को, सरकार को नहीं क्योंकि साइंटिस्ट्स के साथ सरकार का जो व्यवहार है उसकी तो भर्त्सना ही की जा सकती है। सबसे पहले इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि देश में पैदावार बढ़ी है। पैदावार बढ़ रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं, विदेशों से गल्ला भी मंगाया जा रहा है और वह भी बढ़ोत्तरी पर है। पैदावार के साथ-साथ इस देश में भुखमरी भी बढ़ रही है। अन्न की कमी भी होती जा रही है। सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ला उपलब्ध नहीं है। यह सारी बातें साथ-साथ चल रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 700 करोड़ के आयल सीड प्रतिवर्ष बाहर से मंगवाती हैं और आगे 10 सालों में तीन-चार हजार करोड़ रुपए का आयात करना शुरू कर देंगे। इस सिलसिले में सरकार ने क्या व्यवस्था की है, यह बताने की कृपा करें। गेहूं और चावल विदेशों से मंगाया जा रहा है, लेकिन यहां सरकारी गोदामों में गल्ला सड़ रहा है। उसको चूहे खा रहे हैं, छोटे और बड़े सभी चूहे लगे हुए हैं। उसकी सुरक्षा यह सरकार नहीं कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह गल्ला क्यों बाहर से मंगाया जा रहा है। इसका साफ कारण यह है कि इनको कमीशन चाहिए। यह कमीशन की सरकार है। यदि आप देश की उन्नति चाहते हैं तो सबसे पहले बाहर से सामान मंगाना बन्द करिए। जनता पार्टी के जमाने में तो यह सामग्री बाहर से नहीं मंगाई गई, उस वक्त कोई भूखा नहीं मरा, सब चीजे यहां पर उपलब्ध थीं। लोगों का कहना है कि चीनी जनता के जमाने में जितनी सस्ती चीनी खाई जो खा ली, वह खा ली अब कभी वह मिलने वाली नहीं है। उस समय 6.50 रु० किलो

तेल था और अब पहाड़ों में 25-30 रु० किलो तेल मिल रहा है। कैरोसिन आयल आठ रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। कहा जाता है कि दूध की पैदावार दुगुनी हो गई है, लेकिन पता नहीं कहां है दूध तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पैदावार बढ़ रही है, फिर भी लोगों को खाने तक को नहीं मिल रहा है। सरकारी गल्लों की दुकानों पर पूरा गल्ला लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इन सब चीजों के बारे में आपको देखना चाहिए। रेडियो और टेलीविजन पर सब बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन असलियत यह है कि लोग भूखों मर रहे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया है, सरकार को बताना चाहिए।

पंजाब, कश्मीर और असम के बारे में यहां चर्चा होती है, लेकिन श्रीमन्! सबसे ज्यादा चर्चा यहां जम्मू और काश्मीर की की जाती है। अप्रैल तक जम्मू-काश्मीर के मुख्यमन्त्री बहुत अच्छे थे, लेकिन अब बिल्कुल खराब हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं। उनकी सरकार इस देश की सरकार नहीं रही। नार्थ-ईस्ट में सरकार नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। सी०आर०पी०एफ० और बी०एस०एफ० के जवानों के कत्ल हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनको नहीं बचा पा रही है। वहां के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री सैंजा का कत्ल हो गया है मगर यह सरकार कुछ नहीं कर सकी। आज भी असम की समस्या लटकी हुई है। असम की समस्या को नहीं सुलझा पा रहे हैं। नार्थ-ईस्ट के चीफ मिनिस्टरों को यहां नहीं बुलाया जाता है।

13.58 **(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)**

फारुख साहब को बुला रहे हैं जिनके खानदान ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है उनको परेशान कर रहे हैं। सिक्किम में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की लड़ाई चल रही है, उनका कोई फैसला नहीं होता है। यह सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, यह बात भी हिन्दुस्तान के लोग मानने लगे हैं। पंजाब और हरियाणा में एक नया तांडव शुरू हो गया है। पानी के झगड़े को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्रियों ने तय कर लिया इसलिए कि वहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा की सरकार इसको तय नहीं कर सकती हैं। आपस में इसका फैसला नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि लीडरशिप निकम्मी है या पंजाब के झगड़े सुलझाना नहीं चाहती। इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार हैं। पंजाब में लगी आग हरियाणा में तो फैल रही है अब यह महाराष्ट्र में भी पहुंचने वाली है। आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में गड़बड़ रहे।

14.00

हम तो यहां तक कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों या विदेशियों के हमले का भय बड़ा सज्ज बाग दिखाया जा रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हो सकता है — हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वह 10-15 दिनों का लड़ाई का फ्रैण्डली मंच कर लें क्योंकि दोनों की हालत अपने-अपने मुल्क में खराब होती जा रही है, उनके तले जमीन खिसक रही है, किसी भी फ्रन्ट पर उनको सफलता नहीं मिली है। इसलिए इस तरह की बातें करके वे सारी दुनिया और यहां के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। यह इनकी साजिश है और इसी दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं।

पिछले दिनों कानून में एक बड़ा भारी परिवर्तन किया गया—पहाड़ों पर कल्टीवेटेड लैंड खुद कास्त के अलावा जितनी जमीन है सब सरकार की हो गई, जंगलात विभाग की हो गई। जो ग्राम सभा की जमीन थी, वह भी उनकी नहीं रही। लोग अगर स्कूल बनाना चाहते हैं पंचायत घर बनाना चाहते हैं

या सड़क बनाना चाहते हैं तो नहीं बना सकते। आज सड़क बनाने का काम बन्द हैं, बिजली की लाइन जाने का काम बन्द है, पीने के पानी के नल नहीं जा सकते हैं, सिंचाई की नहर नहीं जा सकती है, लेकिन इनके पैसे सबसे लिए जा रहे हैं, जब कि पीने को पानी भी नहीं मिल रहा है। आज यह हालत पहाड़ों की यह हालत हो गई हैं और यह सरकार कानून को बदलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जो लोग यहां बैठते हैं, टेबिल पर बैठ कर कागजी कार्यवाही में माहिर हैं, इन्दिरा जी को अपने तरीके दिखा कर वाह-वाही लूटते हैं, रेडियो और टेलिविजन पर प्रचार हो जाता है, अखबारों में खबरें छप जाती हैं। मैं एक घटना आपके सामने रखता हूं—पिछले दिनों "नन्दप्रयाग" में गोली-काण्ड हुआ, जनजाति के लोग मारे गए घायल हुए वहां अफसरों ने बहुत बड़ी बदतमीजी की वहां की जनता ने एन्कवायरी कमीशन की मांग की और कहा कि हाई कोर्ट के जज से जांच कराई जाय, लेकिन इस सरकार ने अभी तक यह निश्चय नहीं किया है कि जांच कब हो ऐसी स्थिति में हमारे जो दूर-दूर के क्षेत्र हैं उनकी समस्यायें दिन-प्रति-दिन विकट होती जा रही है और जिस ढंग से उनकी समस्याओं को सोचना और समझना चाहिए यह सरकार उस तरह से करने से इंकार करती है।

भ्रष्टाचार को देखिए—हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है भ्रष्टाचार का पोषण यह सरकार खुद करवा रही है, इसके नेता करवा रहे हैं। इन्होंने कर्मचारियों और अफसरों को भ्रष्ट कर दिया है ताकि उनकी जुबान बन्द रहे, वे कुछ न बोलें और धांधलीबाजी सरकार करती है, वह चलती रहे। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार बताये कि आई० ए० एस० अफसरों के खिलाफ सी० बी० आई० की एन्कवायरी के बाद दोषी पाया गया उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? मैं इनके कारनामों का चिट्ठा आपके सामने पेश कर रहा हूं। सरकारी पक्ष ये विरोधी दलों को कहते हैं कि सहयोग नहीं देते। हमने किस बात में सहयोग नहीं दिया, कोई बात पिन-प्वाइन्ट करके बता दीजिये, तब हम समझेंगे कि विरोधी दलों ने फलां काम ठीक नहीं किया।

चुनाव आयोग सम्बन्ध में विरोधी दलों ने एक राय से कुछ प्रपोजल्ज दिये थे लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा रहा है, चुनाव कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, उनके बारे में गवर्न-मेन्ट बिलकुल खामोश है। न्यायालयों के सम्बन्ध में विरोधी दलों ने कहा कि आप न्यायालयों के मामलों में इन्टरफीयर न करें, जुडीशियरी को इण्डीपेन्डेन्ट रहने दें, लेकिन जजों की ट्रांस्फर, प्रमोशन, सब कुछ सरकार कर रही है। मैं अभी हाल में क्षेत्रों घूम कर आया हूं—आज यह कहा जा रहा है कि जुडीशियरी भी वर्स्ट करप्शनवाली हो गई है, जो पैसा देगा वह मुकदमा जीत जाएगा। यह आज आपकी जुडीशियरी की हालत है।

सातवें प्लान के बारे में बहुगुणा जी ने पत्र लिखा था—कि सरकार सातवां प्लान बना रही है, देश के सामने बेरोजगारी की तथा अन्य समस्यायें हैं इसलिए यह प्लान बनाते समय विरोधी दलों, देश के बुद्धिजीवियों और विद्वानों की राय ली जाय ताकि एक अच्छा प्लान बन सके। लेकिन यह सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। इसका कहना है कि जब प्लान बन जाएगा, तब पार्लियामेन्ट के कान्फिडेंस में लिया जाएगा और उस वक्त हाथ खड़े हो जायेंगे और प्लान पास हो जाएगा। मैं समझता हूं कि प्लान गलत आंकड़ों के आधार पर बन रहा है। बीस-सूत्री कार्यक्रम का किस्सा चल रहा है और जहां भी मैं घूमता हूं और क्षेत्रों में देखता हूं, तो पाता हूं कि कोई काम नहीं हो रहा। पांच-पांच हजार रुपये लोगों को दे रहे हैं और इस तरह से बैंकों में लोगों की जो पूंजी जमा है, उसको लूटने-खसोटने का काम हो रहा है। वह रुपया ये सरकारी पक्ष कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। आप ही बताइए कि 5 हजार रुपये में कोई क्या करेगा और कौनसी ऐसी इंडस्ट्री है, जो पांच हजार रुपये में लग जाएगी और देश की तरक्की हो जाएगी।

चुनाव आ रहे हैं, इसलिए पांच पांच हजार रुपया लोगों को दिया जा रहा है जोकि वापस होने वाला नहीं है और डिपोजिटर्स का जो यह रुपया है, उसकी लूटमार हो रही है। यह लूटेरों की सरकार है।

अब मैं अस्पताल की बात कहता हूं। गांवों में जो अस्पताल हैं उनमें डाक्टर नहीं हैं। दवाइयों का तो कहना ही क्या। दवाइयां तो शहरों में अस्पतालों में भी लोगों को नहीं मिलती हैं और सब बिक जाती हैं। 50-60 प्रतिशत अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कोई डाक्टर नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं और बिल्डिंगें भी नहीं हैं। जब ऐसी स्थिति है, तो फिर कैसे लोगों के स्वास्थ्य की परवाह कैसे हो रही है। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं।

शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि दोहरी शिक्षा चल रही हैं। बड़े लोगों के लिए अलग शिक्षा है और छोटे लोगों के लिए अलग शिक्षा। बड़े लोगों के जो लड़के हैं, उन पर बड़े लोग एक एक, दो दो और डेढ़ डेढ़ हजार रुपया महीना खर्च कर रहे हैं और उनके लिए रहने-सहने और पढ़ाई का अच्छा प्रबन्ध है जबकि गरीब लोगों के बच्चों के लिए न मेज है और न कुर्सी यहां तक कि टाट-पट्टी भी नहीं है। जब इस तरह की उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था है तब कैसे वे उन लड़कों के साथ कम्मीट कर सकेंगे और कैसे तरक्की कर सकेंगे। कहा यह जाता है कि शिक्षा ठीक नहीं है। जब ऐसी बात है तो शिक्षा की नीति को आप बदलें और शिक्षा ऐसी हो, जिससे लोगों को दो-चार साल के बाद में रोजगार मिल जाए और रोजगार मिलने का सिलसिला बढ़े। इस मामले में यह सरकार फेल रही है।

सरकारी पक्ष के लोग कहते हैं कि सब चीजें पढ़ रही हैं। मैं मानता हूं कि पैदावार बढ़ रही है लेकिन इसके साथ ही साथ आप यह देखिये कि भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, गुंडागर्दी भी बढ़ रही है, चोरी डकैतियां बढ़ रही हैं और लूट-खसोट बढ़ रही है। सारी गलत चीजें आज इस मुल्क में बढ़ रही हैं और कांग्रेस के राज में कोई अच्छी चीज नहीं बढ़ रही है अगर कोई अच्छी चीज बढ़ रही हैं, वह मुझे बता दें, मैं मान लूंगा। जहां कहीं हम जाते हैं, यहां वही चर्चा लोग करते हैं कि यह क्या गवर्नमेंट है, यह क्या सरकार है, जो हम को सुरक्षा नहीं दे सकती। अभी हमने देखा कि यहां के एक संसद सदस्य ने कहा कि उनके साथ, पुलिस व कांग्रेसी मारपीट कर रहे हैं और मैं तो यह कहूंगा कि चोरी-डकैती के जो काम है, उनमें ये लोग भी इनवोल्ड हैं। इस देश की स्थिति को खराब करने के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। सन् 1977 के बाद जो इन लोगों ने किया, मैं देहरादून की बात बताता हूं। स्वर्गीय संजय गांधी वहां थे। उन्होंने वहां लड़कों से कहा कि तुम नाकारा हो। लड़कों ने वहां गड़बड़ भी की और मुकदमा चला। वहां पर यह कहा गया कि तुमको न्यायालय को जला देना चाहिए और वहां न्यायालय के रिकार्ड को फाड़ कर ले गए। तो इस तरह की परम्परा वहां पर डाली गई और इस तरह की बात अपोजीशन वाले भी करते तो पता नहीं कि क्या हो जाता। सरकार में जो असामाजिक तत्व थे, उनको ग्राम प्रधान बना दिया और उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो एम० एल० ए० और मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के अन्दर बन गए हैं। जब ऐसी स्थिति है, तो किस ढंग से ला एण्ड आर्डर ठीक होगा। जब गलत आदमी रखे जाएंगे, तो व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। मैं बता रहा हूं कि गलत आदमियों को वहां रखा हुआ है और आप इसकी इंक्वायरी कर लो। वहां पर विधान परिषद के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया और इसके बारे में अखबार में भी आया है और सबने उसके बारे में पढ़ा होगा। सब ने कहा है कि सरकार में असामाजिक तत्व शामिल हैं और हम ऐसी स्थिति में इस कांग्रेस में नहीं रह सकते। कांग्रेस से इस्तीफा देकर वे अलग हो गए यह परम्परा चल रही है और ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई है।

इसी तरह से आई० एम० एफ० से जो लोन लिया गया, तो उसने यह शर्त लगाई कि खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाओ। इस तरह खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और रेलों के किराये भी बढ़े हैं। गाड़ियों के भाड़े, और दूसरी सारी वस्तुओं के दाम सरकार ने स्वयं बढ़ाये। कुछ दिनों पहले आप ने कोयले के 25 प्रतिशत दाम बढ़ा दिये। आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। आपके यहां गुण्डागर्दी बढ़ रही है।

जब सारे मुल्क को ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था खराब हो रही हो तो उसकी जिम्मेदारी किस की है? क्या यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या सरकार इस जिम्मेदारी से बच सकती है।

पंजाब की समस्या के बारे में विरोधी दल के लोगों ने एक राय से आपको कहा था कि त्रिपार-टाईट बैठक करो। लेकिन आप बैठे हुए हैं। क्यों नहीं सरकार भिंडरावाले को वहां स्वर्ण मन्दिर से निकालती है, क्यों नहीं दूसरे लोगों को वहां से बाहर निकालती है जो कि गलत काम कर रहे हैं?

इन सारे आपके असफल कामों के लिए बधाई देने की बजाए आप गद्दी छोड़ें रिजाईन करें तभी इस मुल्क का उत्थान हो सकता है।

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के सभा का और उसके माध्यम से समस्त देश का ध्यान देश की गम्भीर समस्याओं की ओर दिलाया है। हम इसके लिए भी उनके आभारी हैं कि उन्होंने समस्याओं को हल करने का ढंग भी बताया है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आज जो विभिन्न विघटनकारी शक्तियां सिर उठा रही हैं, उनका उद्देश्य राष्ट्र की एकता को छिन्न-भिन्न करना और स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक की उपलब्धियों को नष्ट करना है। आइये सबसे पहले हम उन विघटनकारी शक्तियों की चर्चा करें जो देश भर में जम्मू काश्मीर से पंजाब और गंगा के मैदान से आगे असम तथा अन्य भागों में सिर उठा रही हैं। आखिर इन शक्तियों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलनों का उद्देश्य क्या है? इनके पीछे क्या भावना काम कर रही है?

आप पंजाब की समस्या को देखें। हम अपने बचपन के दिनों से ही गुरु गोबिन्द सिंह के महान आदर्शों को सुनते आ रहे हैं। सिख समुदाय ने और बंदा बहादुर ने जो बलिदान किये हैं वे हमें याद हैं। मुझे याद है बचपन में मुझे गुरु गोबिन्दसिंह तथा बन्दा पर डा० टैगोर की कविता से बहुत प्रेरणा मिलती थी। मैं उनमें से एक का अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयास करूंगा। आपको पता है कि गुरु गोबिन्द सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व का भार उनके शिष्य बंदा पर आ गया जिसे फारुक शाह की फौजों ने गुरदासपुर में पकड़ लिया और जंजीरों से बांध कर दिल्ली लाया गया। सबसे पहले उसे अपने बेटे को मारने के लिए कहा गया। बंदा ने बेटे को मार दिया और बेटा गुरु जी की जय बुलाकर कर मर गया। तब उसने स्वयं को छुरा भोंक लिया और उससे पहले एक जल्लाद आया जिसने गर्म गर्म सलाखों से उसके मांस के टुकड़े नोचना शुरू कर दिया। उस पर डा० टैगोर ने एक शानदार कविता लिखी है। उन्होंने कहा कि पांच दरियाओं के तट पर महान लोग पैदा हुए। उन्होंने सिख शब्द नहीं कहा है। उन्होंने गुरु जी की जय से आकाश को गुंजा दिया और सारे पंजाब में एक मन्त्र "अलख निरंजन" ने लोगों में विद्युत तरंग फूंक दी। जब यह नाम दिल्ली में फारुक शाह के कानों में पड़ा तो उसने उनके नेता बंदा को पकड़ने के लिए अपनी जालिम फौजें भेज दीं। उसे पिंजरे में बन्द शेर की तरह दिल्ली लाया गया। उसके हा-पांव लोहे की जंजीरों से बन्धे थे। यहां उसका वध किया गया। उससे पहले उसे अपने बेटे

को मारने के लिए कहा गया। बन्दा बहादुर ने झुककर बेटे के कान में गुरु का मन्त्र फूंका और कहा "मेरे बच्चे, मृत्यु से डरना नहीं। मरने से पहले गुरुजी का नाम लो" उसने वही किया।

ये वे महान गाथाएं हैं जिनसे प्राचीन काल में भारत की राष्ट्रीय एकता का ताना-बाना बुना गया। हिन्दू और सिख दोनों ने मिलकर आजादी के लिए संघर्ष किया। भगतसिंह तथा आजाद हिन्द फौज के अन्य शहीदों ने लोगों की तथा देश की आजादी के लिए जीवन बलिदान कर दिये। भारत के बड़े बड़े मैदानों में, जलियांवाले बाग में, अन्दमान में और लाहौर में दोनों का खून एक साथ-साथ बह कर फैलता रहा और उसमें भारत की आजादी के फूल खिले। आज यह देखकर कि दोनों समुदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है, हिंदुओं को हिंदू समझ कर और सिखों को सिख मान कर मारा जा रहा है तो हमारा दिल टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। कई बार हम आशा छोड़ बैठते हैं लेकिन सबसे अच्छा समय वही होता है जब हम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब भी ऐसा समय आयेगा। 1870 में अमेरिका में गृह-युद्ध के दौरान, जैसा कि आपको स्मरण होगा, 1865 में, संयुक्त राज्य के दो भाग, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे गेटीस्बर्ग में एक बड़ी लड़ाई हुई थी स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र का स्मारक वहां अब भी बना हुआ है गेटीस्बर्ग की लड़ाई में उत्तरी क्षेत्र की शक्तियां जीती थीं। किन्तु उस युद्ध में भयंकर संहार और हत्याकांड हुआ था। उस युद्ध में उत्तरी सेनाओं और दक्षिणी सेनाओं, दोनों ओर के हजारों व्यक्ति मारे गए थे और युद्ध के पश्चात राष्ट्रपति लिंकन अपना 'सुविख्यात गेटीस्बर्ग भाषण' देने वहां गए थे। एक जीवनी लेखक द्वारा कहा गया है कि लिंकन कुछ नहीं जानते थे कि क्या कहा जाए किन्तु अन्तिम दिन रेलगाड़ी में उन्होंने अपने पैड पर विख्यात भाषण लिखा जो आज अंग्रेजी साहित्य की एक उत्कृष्टतम रचना है। मैं इस घटना का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लगभग उसी विनाश के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिससे अमेरिका लिंकन और अन्य व्यक्तियों के महान नेतृत्व में मुक्त हुआ था और लिंकन ने गेटीस्बर्ग युद्ध की स्मृति में उन लोगों के स्मारक उद्घाटन के अवसर पर जो देश की स्वतन्त्रता और अखंडता के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, कहा था और उनके महान शब्द थे :

> "अस्सी वर्ष पहले इस धरती पर हमारे पूर्वज इस आदर्श से एक लोकतन्त्र लाए थे कि सभी मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुए है और मानवता के महान अधिकारों का उपयोग सभी मनुष्यों को करने का अधिकार है।"

यह बात उन्होंने कही थी आज हम एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं, जो इस ढांचे के मूलाधार को ही चुनौती दे रहा है और यह युद्ध यह सिद्ध करेगा कि हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित ऐसा स्थापित ऐसा लोकतन्त्र जो जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का ही बना रहेगा या नहीं। आज हमारे समक्ष यही परीक्षा है।

इस सभा के केन्द्रीय कक्ष में 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया हमारा समाजवादी, लोकतांत्रिक समाज का महान ढांचा बना रहेगा? उस समय हमारे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि :

> "देश के भाग्य निर्माण का बीड़ा, जो हमने वर्षों पहले उठाया था आज पूरा कर दिया है।"

और उन्होंने कहा था अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में हमें वर्षों लग जायेंगे किन्तु आज उस

निर्यात के अभियान का आरम्भ हुआ है। उस रात के बाद जब हमारे देश की जनता ने संविधान को स्वीकार किया था जिसमें उन्हे एक महान लोकतांत्रिक राज्य प्रदान किया गया था तथा उन्हें वे मौलिक अधिकार, दिये गए जिनसे उन्हें एक नए जीवन और प्रकाश की गारंटी दी गई थी, 33 वर्ष बीत चुके हैं इन 33 वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में—विज्ञान और तकनीकी, कला, शिक्षा, राष्ट्र निर्माण, मानव गति विधि के प्रत्येक क्षेत्र में—महान प्रगति की गई है। हमारा देश, जो एक औपनिवेशिक देश था अब निर्गुट संसार का नेता बन चुका है। और एक देश, जो पहले एक पेच का भी निर्माण नहीं करता था और स्वतन्त्रता से पूर्व उसका भी बाहर से आयात करना पड़ता था, अब आकाश में 'इन्सेट' (भारतीय उपग्रह) भेज चुका है। हमारे अन्तरिक्षयान आकाश में विहार कर रहे हैं। हमारे पोत महासागरों में विचरण कर रहे हैं। हमारी मोटर कार और इंजन, विशेषकर ट्रक, विदेशों को निर्यात किये जा रहे हैं। इसीलिए निसन्देह प्रगति हुई है। किन्तु विखंडनकारी शक्तियां भी आगे बढ़ती जा रही हैं। यह हमारी राजनीतिज्ञता, निष्ठा और देश के प्रति निष्ठा राष्ट्रीयता, समर्पण, आदर्शों की आज अग्नि-परीक्षा है—के प्रति हमारी निष्ठा की परीक्षा है। हमें यह सिद्ध करना चाहिए कि हम विभाजक शक्तियों के ऊपर विजय पाने में समर्थ हैं और उसके लिए तैयार हैं। हमारे राष्ट्र की आज जो दशा है और हमने जो कड़े संघर्ष और बलिदान देकर प्राप्त किया है और हमारे देश की यह शक्ति तथा यह राष्ट्रीयता, जो हमारे पूर्व महान नेताओं के नेतृत्व में प्राप्त की गई वह नष्ट नहीं होनी चाहिए किन्तु हमेशा हमेशा के लिए बनी रहनी चाहिए और हमें आज यह शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को नष्ट नहीं होने देंगे और हमारे मार्ग में, जो भी बाधाएं आएंगी, हम उन्हें दूर कर देंगे। अन्तिम परिणाम प्राप्त होने में हो सकता है लम्बा समय लगे किन्तु मुझे इस बारे में तनिक भी सन्देह नहीं है कि हम अन्तिम परिणाम प्राप्त करेंगे। इस सभा को समूचे राष्ट्र के समक्ष यह घोषणा करनी चाहिए कि यह राष्ट्र सारी विभाजक और विखंडनकारी शक्तियों का दमन करने के लिए कृतसंकल्प है तथा यह राष्ट्र नष्ट नहीं होगा।

मुझे चर्चिल का महान भाषण याद आता है जब डंक्रिक में उनके मित्र देशों की बहुत बुरी पराजय हुई थी और ब्रिटिश सेनाएं इंग्लैंड वापिस लौट आई थीं। इंग्लैंड के पास कोई शस्त्र नहीं रह गए थे। फ्रांस ने हार मान ली थी और जर्मनी के सामने समर्पण कर दिया था। केवल इंग्लैंड ही बचा हुआ था और सभी यह सोचते थे कि शायद इंग्लैंड भी समर्पण कर देगा। किन्तु तब एक महान नेता आया और उसने कहा यह हमारे लिए महान संकट का सामना करने की उत्कृष्टतम घड़ी है, और हमें अपने खून-पसीने से इसका मुकाबला करना चाहिए। हम तटों पर युद्ध करेंगे, हम सड़कों पर युद्ध करेंगे, हम प्रत्येक पार्क में युद्ध करेंगे और हम प्रत्येक घर में युद्ध करेंगे। किन्तु हम अवश्य युद्ध करेंगे और विजयी होंगे। हमारा यह आदर्श होना चाहिए कि हम उन शक्तियों के विरुद्ध जो हमारी राष्ट्रीयता, हमारे मूल्यों को हमारी उपलब्धियों जिन्हें हमने इन वर्षों में प्राप्त किया है, नष्ट करने का षड्यंत्र रच रही हैं—हर स्थान पर लड़ेंगे। इसीलिए, सभा को यह सबक बिना किसी सन्देह के सारे राष्ट्र को देना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया है कि इन विखंडनकारी शक्तियों और जो हिंसा हो रही है उसके दौरान अधिकांश लोग शांत और गम्भीर रहे हैं। अधिकांश लोग जिसका निर्माण करना चाहते हैं, मुट्ठी भर लोग उसे नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और यदि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का वह भाग पढ़ और हमें प्रसन्नता है कि, उन्होंने कहा है :

"परन्तु यह देखकर भारी सन्तोष होता है कि अधिकांश लोग चाहे वे किसी भी समुदाय

के हों, नफरत के दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार से गुमराह नहीं हुए ।".

कुछ हिन्दू मारे गए, सम्भवत: कुछ सिख भी मारे गए होंगे । अब यह निर्णय हमें नहीं करना है कि आक्रमक कौन है क्या घृणा और हिंसा के इस अभियान को पहले सिखों ने शुरू किया या अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। इसका निर्णय हमें नहीं करना है क्योंकि मैं हमेशा सुनता हूं कि बेचारे हरियाणवी क्या कर सकते हैं ? जब उन्होंने देखा कि सीमा पर हिन्दुओं को सिर्फ इसलिए हत्या की जा रही है कि वे हिन्दू हैं. वे भड़क उठे उनको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैं उत्तेजित नहीं होता हूं। मैं भी एक हिन्दू हूं। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूं कि सिख हिन्दुओं से बाहर हैं क्योंकि हिन्दुओं ने जैन, सिख, बौद्ध और अन्य उन सभी महान धर्मों को जो भारत की धरती में पैदा हुए हैं प्रभावित किया है। हम हमेशा विचारों का एक महान समागम रहे हैं। महान कवि डा० टैगोर ने कहा है कि इस देश में मानवता की धाराएं बहती रही हैं। पठान आए, मुगल आए, द्रविण आए, आर्य आए, हूण आए और अन्य लोगभी आए किन्तु वे सभी 'भारतवर्ष' नामक मानवता के इस महासागर में विलीन हो गये। अत: यहां मानव-सागर उमड़ता रहा है। कई वर्ष पूर्व, मैं पहली बार अजन्ता की गुफाएं देखने गया। वहां जिस बात का मुझ पर तुरन्त प्रभाव पड़ा वह थी कि वहां शताब्दियों पूर्व बौद्ध धर्म को मानने वालों ने, जैनियों ने और हिन्दुओं ने अपनी-अपनी गुफायें बनाई हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं। ये गुफायें शताब्दियों पहले बनी थी और अभी भी पास-पास बनी हुई हैं। आज भी ये गुफायें अखण्ड भारत की और भारत की महान संस्कृति की जिसे वहां की यात्रा करने वाले लोगों ने और समृद्ध बनाया, गौरव-गाथा गा रही है। जब मैं केरल गया तो मैंने कोचीन में यहूदियों का सिनेगांग देखा। वहां के गुरु (रैबी) ने बड़े गर्व से मुझे वह सभाघर दिखाया। मैं उस समय धर्मार्थ धर्मस्व का प्रभारी मन्त्री भी था। अत; मैंने सभी के यानि हिन्दुओं के, मुसलमानों के ईसाइयों के और यहूदियों के धर्म स्थल देखने का निश्चय किया। वहां के गुरु ने मुझे वह ताम्रपत्र दिखाया जिसके अनुसार 16वीं शताब्दी में कोचीन के तत्कालीन महाराणा ने अपने हिन्दू मन्दिर के सामने ही सिनेगांग बनाने के लिए मुक्त भूमि दी थी। यह आज भी वहां विद्यमान है। ये भी कोचीन जाता है, उसका ध्यान इस ओर अवश्य जाता है कि महाराणा ने यहूदियों को अपने प्राचीन मन्दिर के सामने, जहां वे पीढ़ियों से पूजा करते आए थे, अपना सिनेगांग बनाने के लिए भूमि दी थी। ताम्रपत्र संस्कृत में लिखा हुआ है क्योंकि कोचीन और त्रिवेन्द्रम संस्कृत भाषा के बहुत बड़े केन्द्र रहे है। चूंकि मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैं इसका अनुवाद आपको सुनाऊंगा जो उस ताम्रपत्र में कहा गया है। इसमें कहा गया है। घृणा के तूफान ने पश्चिम के हमारे मित्रों को हमारे देश में आने के लिए मजबूर कर दिया। उन दिनों स्पेन में धर्माधिकरण का आन्दोलन चल रहा था। इसलिए यहूंदियों का पहला समूह स्पेन से भारत आया। स्पेन में कैथोलिक धर्मांध लोगों द्वारा धर्माधिकरण अभियान चलाया जा रहा था। वे सभी समुद्र के रास्ते एक ही जहाज से भारत आए थे। इस ताम्रपत्र में आगे लिखा है : वहां पर चल रही नफरत की आंधी ने उन्हें हमारे देश में खदेड़ दिया। यह हमारा अपने पूर्वजों तथा अपने ईश्वर, जिसकी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, के प्रति कर्तव्य हैं कि हम भाग्यहीन व्यक्तियों की सहायता करें तथा उन्हें शरण दें, जो बिना किसी दोष के यहां खदेड़ दिए गए हैं। उन्होंने उन्हें भूमि दी और उस भूमि पर यहूदियों का सिनेगांग बनाया गया, जो आज भी वहां है। कोचीन और त्रिवेन्द्रम के महाराजाओं द्वारा मुफ्त दी गई भूमि पर दर्जनों मस्जिदें बनाई गई हैं और आज भी उनका कोई किराया नहीं है। हिन्दू राजाओं ने मुसलमानों को मस्जिदें बनाने के लिए भूमि मुफ्त दी। और सिखों ने भी ऐसा ही किया। महाराजा रणजीत सिंह ने भी यही किया। उन्होंने हिन्दू तथा मुसलमानों के पूजा-स्थल सिखों के पूजा स्थल के निकट ही बनवाए। महाराजा रणजीत सिंह के सबसे अच्छे सलाहकार हिन्दू थे। पंजाब का प्रत्येक हिन्दू परिवार कम से कम एक सदस्य को, सम्भवत: परिवार के बड़े

बेटे को, सिख बनाते थे। अतः वह अपनी दाढ़ी बढ़ाता था, लम्बे केश रखता था और पगड़ी बांधता था। अतः ज्येष्ठ पुत्र हमेशा सिख बनाया गया। सिखों और हिन्दुओं के बीच अन्तर्जातीय विवाह आम बात थी।

यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि इन दो सम्प्रदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है। हमें देखना चाहिए कि देश में ऐसा न हो। हमें इस झगड़े को बलपूर्वक नहीं बल्कि महात्मा गांधी, पण्डित जवाहरलाल और भारत के हिन्दू, सिख तथा मुसलमान सम्प्रदाय के अन्य महान नेताओं के आदर्शों को ध्यान में रखकर निपटाया जाना चाहिए। ये नेता हिन्दू, मुस्लिम या सिख नहीं हैं वे भारतीय नेता हैं।

अतः मेरा पूर्व विश्वास है और मैं आशा भी करता हूं कि इन हिंसात्मक शक्तियों को पूर्णतः नष्ट किया जाएगा और बहुत शीघ्र ही किया जाएगा।

अब मैं राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित अन्य मुद्दों पर आता हूं। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय उपलब्धि का जिक्र किया है। यह सब जानते हैं कि भारतीय हरित क्रांति तीसरे विश्व के देशों के लिए एक अजूबा रही है। मुझे याद है कि 1965 में लेटिन अमेरिका से लौटते समय मैं संयुक्त राज्य गया था। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के पश्चात प्रधान मन्त्री, श्री लालबहादुर शास्त्री ने मुझे हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए लेटिन अमेरिका भेजा गया था। मुझे याद है कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका गया और मैंने वहां कुछ महत्वपूर्ण मन्त्रियों और अधिकारियों को देखा। सभी ने मुझसे यह कहने का प्रयत्न किया कि कृषि के क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा : आप कब तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज लेते रहना चाहते हैं ; जब तक आप अपनी कृषि का विकास नहीं करते तब तक कैसे उपलब्ध करा सकते हैं ; आपकी सभी योजनायें बेकार हो जायेंगी।

हमने उनकी बात को पूरी तरह झुठला दिया है। हमने सारे विश्व को न केवल यह दिखा दिया है कि हम कृषि क्षेत्र में कितना उल्लेखनीय विकास कर सकते हैं और इसका कितना विस्तार कर सकते हैं, बल्कि तीसरे विश्व के समक्ष एक उदाहरण भी रखा है और यहां तक कि चीन सरकार ने भी हमारे कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की है। मेरा सुझाव केवल इतना ही है कि हमें कृषि क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देकर, सामूहिक खेती से कुछ सबक सीखना चाहिए क्योंकि टुकड़े-टुकड़े जमीन में खेती करके कृषि क्षेत्र में प्रगति नहीं की जा सकती। अतः हमें अपने कृषकों को सहकारिता के लिए संगठित करना चाहिए ताकि वे संयुक्त रूप से मशीनीकृत कृषि, उन्नत कृषि तकनीक अपना सकें, जिससे हमारे कृषि क्षेत्र में और तेजी से विकास होगा।

मुझे याद है कि योजना आयोग में एक बार एक कृषक मेरे विचार से वह विपक्षी दल के थे, वह विपक्ष में हैं—ने यह कहा था कि यदि कृषि क्षेत्र में 2% प्रगति भी होती है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। 1982 से 1983 के बीच 9 प्रतिशत प्रगति हुई है। इस पर सहज ही विश्वास नहीं होता और और विश्व में किसी भी देश की तुलना में महत्वपूर्ण है। इसलिए महोदय, मुझे आशा है कि सरकार राष्ट्रपति की अपेक्षा का सम्मान करते हुए, और मैं यह भी जानता हूं कि सरकार भी यह अपेक्षा करती है—हमारे देश के कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सहकारिता का आयोजन करेगी ताकि बिखरी हुई भूमि की चकबन्दी हो सके जिसमें लोग मिलकर काम कर सकें। अपनी-अपनी जोतों ने अनुसार उपज का बंटवारा करें और साथ ही आधुनिक और मशीनीकृत खेती अपना सकें।

अब मैं उद्योगों के प्रश्न पर आता हूं। जब अंग्रेज यहां थे, तो यह समझा जाता था कि इस देश

की अर्थ-व्यवस्था मुख्यत: कृषि पर ही निर्भर है। मुझे याद है, जब सर जमशेद जी टाटा ने सर्व प्रथम भारत में स्टील बनाने के लिए जमशेदपुर में स्टील फैक्ट्री की स्थापना की बात सोची, तब रेलवे के तत्कालीन अध्यक्ष, एक अंग्रेज ने कहा था, भारत में स्टील ! मैं इसे काटकर देखना चाहूंगा कि क्या यह वास्तव में इस्पात है। उन्होंने सोचा कि यह देश इस्पात का उत्पादन नहीं कर पाएगा। और आज हमारे इस्पात के कारखाने केवल आधुनिक ही नहीं बल्कि सबसे बढ़िया इस्पात बना रहे हैं और इस क्षेत्र में भी हमारी प्रगति सराहनीय है। वह देश जिसने स्वतन्त्रता से पूर्व कभी एक पेच भी नहीं बनाया, उसने आज अन्तरिक्ष में उपग्रह भेजा है। हमें प्रधान मन्त्री के नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहिए। आज हमने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की गति को और त्वरित कर दिया है। हमने आगे खोज के लिए अंटार्कटिका में अपने जहाज भेजे हैं। महोदय, महासागर में चल रहे हमारे अधिकांश जहाज हमारे अपने ही कारखानों में बने हुए हैं। हमारे इन्जनों की बाहरी देशों में भी मांग है तथा औद्योगिक राष्ट्रों की सूची में हमारे उद्योगों का स्थान बहुत ऊंचा है। मेरे विचार से औद्योगिक राष्ट्रों की सूची में हमारे देश का आठवां स्थान है। अंग्रेजों के शासन में हमारा देश कृषि क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था और यह कहा जाता था कि यहां लोग पैदा होते ही ऋणी हो जाते हैं, वे सारा जीवन कर्ज में रहते हैं और मरते वक्त तक ऋणी रहते हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय कृषक के बारे में यह धारणा बनी हुई थी। आज भारतीय कृषक को गर्व है कि वह मशीनों से हल चलाते हैं चाहे वह हाथ से करें या फिर ट्रैक्टर से। वह खेती की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और उद्योगों में लगे हमारे श्रमिकों को विश्व में सबसे अच्छे श्रमिक समझा जाता है, उनकी कार्य निपुणता विश्व अद्वितीय है और उनके कुशल हाथों को विश्व में हर जगह श्रेष्ठ समझा जाता है।

अत: मुझे बहुत खुशी है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारी वर्तमान सरकार और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्र द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया। हम कामना करते हैं कि वे दीर्घायु हों तथा देश को आगे और अच्छे दृष्टिकोण से मार्ग-दर्शन करते रहें तथा हम उन हिंसात्मक तथा विघटनात्मक शक्तियों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकें। लेकिन हमें अपने महान नेताओं द्वारा रखी गई आधारशिला को पुन: मजबूत बनाने के लिए विखण्डित करने वाली शक्तियों का सामना करना होगा, उन्हें पछाड़ना होगा और उनका नाश करना होगा ताकि हम तथा हमारे बच्चे यह सोचकर गर्व महसूस करें कि हम ही वे लोग थे जिन्होंने समय-समय पर उठी विघटनकारी शक्तियों का नाश किया।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : सभापति महोदय, नेशनल डैमोक्रेटिक एलायेंस की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषणों का हमने बायकाट किया था...**(व्यवधान)**...मैं कुछ और कह रहा हूं, पहले सुन लीजिए। उससे हमारा मतलब उनका कोई अनादर करना नहीं था। अपनी पोजीशन हमने राष्ट्रपति जी के पास एक्सप्लेन भी की, उनको बताया। उसके बाद जब उनके भाषण की कापी लोकसभा में रखी गई उस वक्त हमने अपनी बात कहने की कोशिश की लेकिन कह नहीं पाये। आज मैं कहना चाहता हूं और कांस्टीच्यूशन आब्जेक्शन रखना चाहता हूं, मैं आपसे उस पर रूलिंग चाहूंगा। आर्टिकल 87 के पार्ट 2 के मुताबिक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 87 का पार्ट टू तो तभी आएगा जब पहले पार्ट बन आए।

अनुच्छेद 87 (1) के अनुसार :

"लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा

प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ साथ में समवेत संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधित करेगा तथा संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा।"

यह जो प्रेसीडेंशियल एड्रेस है इसको मैंने पांच बार पढ़ा है। इसमें मैं समझता हूं राष्ट्रपति जी ने एक भी रीजन नहीं दिया है कि क्यों वे पार्लमेंट को बुला रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूं हालांकि यह एड्रेस टेबल पर ले हो चुका हैं और डिस्कशन भी आरम्भ हो गया है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है।

(व्यवधान)

श्री सूरज भान : महोदय, चर्चा रोक दी जानी चाहिए क्योंकि यह असंवैधानिक है। यह संवैधानिक अपेक्षाएं पूरी नहीं करता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री सूरजभान : यह संवैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करती।

सभापति महोदय : लेकिन आप जानते हैं, किसी भी संवैधानिक मामले पर, अध्यक्षपीठ अपना विनिर्णय नहीं दे सकता। जैसा कि आप जानते हैं, परम्परा यह है कि ऐसे मामलों पर निर्णय सभा करती है, न कि अध्यक्षपीठ।

श्री सूरजभान : महोदय, यह संवैधानिक दायित्व है।

सभापति महोदय : यह जो भी है, संविधान की कानूनी स्थिति···

श्री सूरजभान : मैंने संवैधानिक उपबन्ध पढ़े हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में एक वाक्य यहां तक कि एक शब्द भी नहीं कहा गया है कि इस सत्र को क्यों बुलाया गया है ?

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। यह आवश्यक नहीं है। यदि वे चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने प्रश्न उठा दिया है। आप इसका समर्थन करें या न करें, उन्होंने मुद्दा उठाया है। जब तक इसे स्पष्ट नहीं किया जाता, वाद-विवाद आगे कैसे बढ़ सकता है ?

सभापति महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह दूसरा प्रश्न है कि क्या यह समय उचित है या नहीं···

(व्यवाधन)

श्री सूरजभान : इसे रोका जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। यह असंवैधानिक है। **(व्यवधान)** इसे रोका जाना चाहिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या आप परामर्श के लिए समय लेना चाहते हैं?

श्री सूरज भान : यह परामर्श करने का समय नहीं है।

सभापति महोदय : परामर्श किससे?

श्री सूरजभान : हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : यदि वे इसका उत्तर देना चाहते हैं, तो यह बात दूसरी है। लेकिन कुल मिलाकर प्रश्न यही है कि इस प्रश्न का निर्णय अध्यक्षपीठ द्वारा नहीं किया जा सकता, इसे सदन के समक्ष रखना होगा।

श्री सूरज भान : इसका निर्णय और कौन करेगा?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे मित्र, इसकी भी एक परम्परा है। आप देखिए···

श्री सूरज भान : महोदय, मैं संवैधानिक उपबन्ध उद्धृत कर रहा हूं। यहां किसी परम्परा की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है और अब तक आप समझ चुके होंगे कि व्यवस्था का प्रश्न जोकि विधि या संविधान से सम्बन्धित होता है उस पर विनिर्णय अध्यक्षपीठ नहीं करता, बल्कि उस पर निर्णय सभा करती है। यथार्थ में स्थिति यह है।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : इस पर सभा निर्णय ले, मुझे कोई हर्ज नहीं है। अगर यही स्थिति है तो सभा को निर्णय करने दें। इस पर एक बार पुनः निर्णय लिया जा सकता है।

सभापति महोदय : अगर आप जोर देते हैं, तो मुझे इसे सभा में पुनः रखना होगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : नहीं श्रीमन्। सभा में इसे उठाया गया है·····

(व्यवधान)

श्री सूरजभान : आप हाउस की ओपीनियन ले लीजिए।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धर्मवीर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जिन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ठीक से पढ़ा नहीं है।

श्री सूरजभान : पांच बार पढ़ा है।

श्री धर्मवीर : राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के आरम्भ में ही फर्माया है : "मुझे वर्ष 1984 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं, उसको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री धर्मवीर : यह बिल्कुल स्पष्ट है।

राष्ट्रपति जी ने इसलिए संसद् को आहूत किया है कि बजट और जो भी अन्य संवैधानिक कार्य हैं उनका सम्पादन हो सके।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं सुझाव देती हूं कि हमें चर्चा आरम्भ करनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि यह ठीक है, अगर वह मान जायें तो।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वह माने या न माने, हमें चर्चा आरम्भ करनी ही है।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर : अभिभाषण के प्रथम भाग में यह बिल्कुल स्पष्ट है।

(व्यवधान)

प्रो रूपचन्द पाल (हुगली) : इस समय हमें आगे की कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सूरज भान : सभापति महोदय, बजट सेशन में आमतौर पर देश के लोगों का ध्यान इस बात पर रहता है कि कौन-सा टैक्स लगेगा, कितनी मंहगाई और बढ़ेगी लेकिन आज बदकिस्मती की बात है कि लोगों का ध्यान उस तरफ बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है। लोग तो यह सोच रहे हैं कि यह देश बचेगा या नहीं। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उसकी वजह से बजट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हर रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि दस मारे गए, पांच मारे गए या दो मारे गए—और कितने मारे जायेंगे, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिया जल रहा हो या मोतबत्ती जल रही हो, उसको फूंक मार कर बुझाया जा सकता है, लेकिन आग अगर भड़क हुई हो, तो फूंक मारे से वह बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। आज पंजाब में दिया या मोमबत्ती बुझाने की बात नहीं है, आग बहुत हद तक बढ़ चुकी है। हरियाणा भी उसकी लपेट में आ चुका है। मुल्क का कौन-सा हिस्सा कब उसकी लपेट में आ जाएगा, उसका कुछ पता नहीं है। इसलिए भाषण से उसकी आग नहीं बुझायी जा सकती है, और कुछ और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। यह मैं कहने के लिए मजबूर हूं कि दिल्ली में हकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। कौन-सी चीज है, जो हकुमत नहीं कर सकती है फिर रोजाना कतल क्यों हो रहे हैं। इसके लिए अकेली सरकार ही नहीं अकाली दल को भी मैं जिम्मेदार ठहराता हूं। अकाली दल के नेताओं ने पंजाब में खून की होली खेली है। बस में से उतरते हुए लोगों का मारा

जा रहा है, दुकानों पर बैठे हुए आदमियों को मारा जा रहा है, घरों में बैठे हुए लोगों को मारा जा रहा है। सिनेमा हाल में कतल हो रहे हैं। बैंकों में डाके पड़ रहे हैं। लाला जगतनारायण से लेकर बाबा गुरबचन सिंह तक कोई सेफ नहीं है। न महिला सेफ है, न पुरुष सेफ हैं। न बच्चा सेफ है और न बूढ़ा सेफ है। कोई भी महफूस नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार काफी हद तक अकाली दल भी है। इस बात को क्या वे अहसास नहीं करते हैं। क्या वह निर्दोष निरंकारियों को कतल करके, निर्दोष हिन्दुओं का कतल करके पंजाब के बाहर रहने वाले सिक्ख भाइयों के जान व माल को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? उनको इन सब बातों को सोचना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि यह बात उनके दिमाग में नहीं आती है। हो सकता है कि इसका कुछ लाभ उनको पहुंच रहा है। कुछ पैसा तो जरूर मिल रहा होगा। इकट्ठा हो रहा है। दरबार साहिब के बारे में सरकार खुद कहती है कि हथियार जमा है। वहां से गोलियां भी चलती हैं। वहां से विभिन्न तरह के बयानात भी आते हैं। भिंडरावाला कहता है कि शाम तक पांच हजार हिन्दुओं का कत्ल कर दूंगा। कभी कहता है कि पंजाब से सारे हिन्दुओं का मैं कत्ल कर दूंगा। कभी वहां से सिन्धु नाम का व्यक्ति खालिस्तान के कान्स्टीचूशन के एलान की बात करता है। विधान जलाने का आह्वान वहां से होता है। सब कुछ वहां से हो रहा है उस पर भी सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। क्या इसको सरकार कहा जा सकता है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि कितने और बेगुनाह लोगों का आप खून बहाना चाहते हैं। कितनी और माताओं की गोद खाली करना जरूरी है। कितनी और बहनों के सुहाग लुटाने जरूरी हैं—इन सब के बाद क्या आप की आंख खुलेगी। आखिरकार आप क्यों एक्शन में नहीं आते हैं। कौन-सी चीज है जो सरकार नहीं कर सकती है। यह बात सही है कि कुछ काम सरकार ने किए हैं। पिछले साल अकाली दल ने कहा कि रेल रोको और सरकार ने हुकुम दिया कि रेल बन्द। खुद ही बन्द कर दिया। इस महीने आठ फरवरी को अकाली दल ने कहा कि पंजाब बन्द। इस पर सरकार ने रेल भी बन्द, मोटर भी बन्द सब बन्द कर दिया। लेकिन इत्तिफाक की बात है 15 फरवरी को एक आर्गेनिजेशन हिन्दू सुरक्षा परिषद में पवन कुमार कहां से आ जाते हैं और एलान करते हैं कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बन्द, लेकिन सरकार ने पहले जैसा कुछ नहीं करती है और वहां गोलियां चलती हैं। हरियाणा को मैं अच्छा समझता हूं कि उसने हुकुम दिया कि कोई इस किस्म की शरारत करे उसको गोली से मार दिया जाएगा—शूट-एट-साइट। इस प्रकार के आर्डर पंजाब के अन्दर क्यों नहीं लागू होते हैं। केवल हरियाणा में ही क्यों हैं? पंजाब में जिस तरह से धांधलियां हो रही हैं, खून बहाया जा रहा है—क्या यह स्थिति शूट-एट-साइट के काबिल नहीं है।

जहां तक उनकी मांगों का सवाल है, इसके लिए आप दो साल तक अपना मन नहीं बना सके हैं। कौन-सी चीज को मानना है, कौन-सी चीज को रिजैक्ट करना है। आप सीधे-सीधे कह दीजिए कि हमें इस चीज को नहीं मानना और यह हमारा फैसला है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वह हो गया है।

श्री सूरज भान : क्या हो गया है? अगर हो गया है तो सरकार कहती क्यों नहीं?

अकाली दल यह चाहता है कि चाहे पाकिस्तान को पानी मुक्त में जाता रहे, लेकिन हरियाणा की सूखी खेती को पानी नहीं मिलना चाहिए। आज मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि झगड़ा महज चण्डीगढ़ और पानी का नहीं है, बात कहीं और पहुंच गई है। मैं आदरणीया प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इन हालत का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि जो कम उम्र के नौजवान

हैं, वे चाहे सिख हों या हिन्दू हों, उनके दिमाग कहां तक जहर से भर दिये गये हैं। जो ज्यादा उम्र के हैं वे ठीक लाइन पर सोच सकते हैं, लेकिन यही हालात चलते रहे तो मुल्क नहीं बचेगा एक दिन आप को कन्ट्रोल करना ही पड़ेगा, लेकिन वह दिन कब आयेगा, आप कब कन्ट्रोल करेंगी ? आज सारा देश आपकी तरफ देख रहा है, कभी तो आपको आंखें खोलनी पड़ेगी। इसके बगैर बात नहीं बनेगी।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक जगह पर जिक्र किया है कि 32 लाख हरिजनों और आदिवासियों को कुछ फायदा मिला है—

14-52 **(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए।)**

आई० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० कार्यक्रमों के तहत। ये आंकड़े सरकार के ठीक हो सकते हैं, लेकिन किस तरह का लाभ हुआ है यह देखने की बात है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं —पिछले साल जनवरी में आदरणीय राष्ट्रपति जी मध्य प्रदेश में भोपाल से 20 किलोमीटर के फासले पर "बालमपुर" गांव में गये थे। उस गांव को एक आदर्श गांव डिक्लेअर किया गया था और हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए ऐलान हुआ था कि उनके घर पक्के किये जायेंगे, उनके लिए पानी के हैण्ड-पम्प्स लगाये जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, गोबर-गैस प्लांट लगाए जाएंगे, बिजली पहुंचाई जाएगी और कुछ काम हुआ भी। जिस दिन राष्ट्रपति जी वहां गए, बिजली के खम्बे आ गए, कुछ घरों में बिजली के बल्ब लग गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ—यह आपको सुनकर हैरानी होगी। एक साल के बाद आज वहां यह पोजीशन है—अगर बिजली के बल्ब टूट जाते तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन वहां आज बिजली के खम्भे भी नहीं हैं। यह उस गांव की बात है जिसका राष्ट्रपति जी ने एक आदर्श गांव के रूप में उद्घाटन किया था। 12 खड्डे गोबर गैस प्लांट के लिए खोदे गए थे लेकिन एक भी गोबर गैस प्लांट नहीं लगा, एक भी हैण्ड-पम्प नहीं लगाया गया। एक गरीब हरिजन, जिसका नाम किशोरी लाल है, उसका फोटो छपवाया गया, टोकरी बुनते हुए उसको दिखाया गया था···

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : यह पंचजन्य में छपा होगा।

श्री सूरज जान : दूसरे अखबारों में भी छपा है, पंचजन्य तो आपको बुरा लगता है।

श्री राम प्यारे पनिका : आपकी इन बातों से वह कहां सिद्ध हो रहा है कि 32 लाख हरिजनों और आदिवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठाया गया ? इस तरह के तर्क देकर आप जबरदस्ती अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सूरज भान : जब आप की टर्न आए, तब आप बोलिएगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि उस गरीब का फोटो छपवाया गया और कहा गया कि उसको 500 रुपया दिया गया है। उससे यह कहलाया गया कि अब मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। इस किस्म के कर्जे हजारों आदमियों को दिए गए हैं और कहा गया कि हरिजनों और आदिवासियों को आज यह महसूस हुआ है कि देश में उनकी सरकार है। लेकिन जब उससे पूछा गया···

सभापति महोदय : आपका क्या कहना है—क्या उनको लोन नहीं दिया जाता है ?

श्री सूरज भान : मैं यही बतलाना चाहता हूं---उस किशोरी लाल ने कहा कि मैं पहली बार सुन रहा हूं कि मुझे कर्जा दिया गया, कम से कम जिसका फोटो छपा था उसको तो देना चाहिए था।

सभापति महोदय : वह गलत फोटो होगा।

श्री सूरज भान : मैगजीन में फोटो छपा हुआ है, राष्ट्रपति जी वहां गए थे, मैं किसी छोटे-मोटे की बात नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदय, आर्टीकल 338 में स्वर्गीय बाबा अम्बेदकर साहब ने प्रावीजन रखा था कि हरिजनों और आदिवासियों की भलाई के लिए एक अफसर होगा। जिसका नाम रखा गया कमिश्नर फोर शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पड़ा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ढाई साल से वह पोस्ट खाली पड़ी है और कोई कश्मिनर फोर शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिन्दुस्तान में आज नहीं है। वह पोस्ट खाली पड़ी हुई है।

हमने एक मांग और की थी। 1947 में जब भारतवर्ष आजाद हुआ तो कुछ लाख रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए थे और कुछ सालों के उन रिफ्युजियों के लिए एक अल्हदा मन्त्रालय सरकार ने बनाया था, जिसका नाम रिहैबीलीटेशन डिपार्टमेंट था। हजारों साल से जो करोड़ों रिफ्यूजी हरिजन और आदिवासी हैं, उनके लिए एक अल्हदा मन्त्रालय बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। हमने बार-बार मांग की और मांग करने के बाद यह प्लान हुआ कि मन्त्रालय नहीं बनाएंगे बल्कि एक डिपार्टमेंट बनाएंगे और अभी थोड़े दिन पहले प्लान हुआ कि डिपार्टमेंट भी नहीं बनाएंगे। क्या इसी हिसाब से कहते हैं कि हम हरिजनों और आदिवासियों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं।

एक तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। ऐसा कहा जाता है लेकिन यहां पर ईसाई भाइयों के गुरु के जन्म दिन पर छुट्टी होती है, मुसलमान भाइयों के गुरु के जन्म दिन पर छुट्टी होती है और सिखों के गुरु के जन्म दिन पर छुट्टी होती है लेकिन हरिजन और आद्रिवासी भाइयों के गुरु रविदास के जन्म दिन पर छुट्टी नहीं होती, महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिन की छुट्टी नहीं होती और बाबा साहिब डाक्टर अम्बेडकर के जन्म दिन के अवसर पर छुट्टी नहीं होती।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : नेहरू जी के जन्म दिन की भी छुट्टी नहीं होती है।

श्री सूरज भान : मैं धार्मिक नेता की बात कर रहा हूं। क्या वे धार्मिक नेता थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जनता पार्टी की रिजीम में गुरु रवि दास के जन्म दिन की छुट्टी 1979 में हुई थी मगर इस सरकार ने 1980 में आते ही वह छुट्टी काट दी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप छुट्टी नहीं करना चाहते हैं इन तीनों जन्म दिनों की तो मत कीजिए लेकिन फिर सिर्फ साल में दो ही छुट्टी रखिये। एक 26 जनवरी की और दूसरी 15 अगस्त की। बाकी सारी छुट्टियां आप काट दीजिए। अगर औरों की छुट्टियां करते हैं, तो हमारी भी कीजिए और हमारी नहीं करते हैं, तो औरों की भी मत कीजिए। हमारे साथ सौतेली मां का सुलूक नहीं होना चाहिए।

मैं अभी जल्दी-जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हरिजनों की बात मैं कहना चाहता हूं। इसी महीने की 14 तारीख को अम्बाला जिले की नारायणगढ़ तहसील में रायपुर रानी कस्बे में एक गरीब हरिजन नौजवान पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। वह इल्जाम झूठा है मगर थोड़ी देर के

लिए मान भी लिया जाए कि वह सच्चा था, तो थाने में उसके बाप और मां को बुलाया गया और पीटा गया। पीटना ही काफी नहीं समझा गया। अखबारों में उसके बारे में काफी कुछ लिखा है। मां और बेटे को नंगा कर थाने में एक दूसरे पर लिटाया गया। इस तरह से हरियाणा में दोबारा रिवासा कांड को दहोराया गया। चंडीगढ़ से निकलने वाला प्रसिद्ध दैनिक ट्रिब्यून अखबार है। इसके एडीटोरियल में जो लिखा है, उसमें से मैं एक अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "यदि यह सही है तो पीड़ित मां-बेटे और पुलिस हिरासत के बाद की उनकी शारीरिक तकलीफों का रहस्य क्या है ? कोई भी मां-बेटे ऐसे आरोप लगाना तो दूर, सोच भी नहीं सकते कि उन्हें नंगा करके लिटाया गया और कुकर्म करने पर मजबूर किया गया। इसके पहले कभी इन व्यक्तियों पर आज तक चोरी या किसी अपराध में का इल्जाम नहीं लगा। फिर पूछताछ में ऐसी ज्यादती क्यों हुई ?"

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हरिजनों के साथ यही सुलूक होगा और मां-बेटे के पवित्र रिश्ते पर इतना लांछन आएगा। क्या कार्यवाही की गई उसके अपराधियों के खिलाफ। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

फिर उसी तहसील में, उसी जिले में, उसी नाम से मिलते-जुलते गांव रायपुर वीरा में 80 साल से जमीन के एक टुकड़े पर हरिजनों का कब्जा था और गुरु रविदास के जन्म दिन को मनाने के लिए उन्होंने एक झंडा लगा रखा था। उनसे कहा गया कि इस झंडे को उखाड़ो और वह वहां से हटाने का प्रयास किया। इस पर वहां हरिजन इकट्ठे हुए और वहां का डिप्टी सुपरिन्टेडेंट उनको कहता है कि इन चमार, चूढ़ों का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने इश्तहार छापे और उनको सब में बंटवाया और सबको लिखा लेकिन आज तक उस डिप्टी सुपरिन्टेडेंट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह केवल स्टेट का ही मामला नहीं है, केन्द्र भी इसमें जिम्मेदार है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : जब यह वाक्य हुआ, उसी वक्त क्या आप ने स्टेट गवर्नमेंट या सैन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा था।

श्री सूरज भान : मैं ने लिखा है। मैंने पब्लिक मीटिंग की है और मैं कहता हूं कि आप का सिविल राइट्स प्रोटेशन एक्ट है। इसके अन्तर्गत कार्रवाई की जाय।

एक माननीय सदस्य : यह कब हुआ ?

श्री सूरज भान : इसी महीने की 16, 17 तारीख को यह हुआ है और रायपुर रानी का किस्सा जिस के ऊपर एडीटोरियल लिखा जा चुका है, यह 14 तारीख को हुआ है।

15.00

सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि इकोनोमिक सिचुएशन इम्प्रूव हो गई। यह शायद ये इसलिए कह रहें हों कि उन्होंने इन्टरनेशल सोनिटरी फण्ड से कर्जा लेना छोड़ दिया है। अगर ऐसा है तो सरकार अब एशियन फंड से क्यों कर्जा मांग रही है।

आज महंगाई की हालत क्या है ? सरकारी कर्मचारियों की चार-पांच किस्तें बकाया हैं उनकी

पेमेंट आप क्यों नहीं करते हैं ? गरीब आदमी की हालत आज बदतर होती जा रही है।

आप किसान की बात करते हैं। आपने गेहूं का दाम एक रुपया बढ़ाया है। इसको बढ़ा कर आप यह समझते हैं कि आपने किसान के लिए बहुत काम कर दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। और दूसरी तरफ आप अनाज बाहर से मंगाते हैं। आप बाहर से अनाज क्यों मंगाते हैं।

मैं आखिरी बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। महंगाई भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। व्यापारी, सरकारी अफसर और मंत्री सब मिलकर भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। इससे महंगाई और भी बढ़ती है। आजकल यहां पर कुछ नाम तो मशहूर हो गये हैं। जैसे···साहब। यह नाम तो गाली बन गया है। किसी को गाली देना हो तो कहदो **। इसी तरह से**····· नाम भी कुछ ऐसे नाम हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इसे आप छोड़िये, यह कार्यवाही में नहीं जाएगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : इसको कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। ये लोग अपने आपको बचाने के लिए सभा में उपस्थित नहीं हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैंने पहले ही यह कह दिया है।

सभापति महोदय, इतना प्रधान मंत्री ने खुद कहा है कि भ्रष्टाचार तो ग्लोबल फीचर बन गया है। इन चीजों को कहने के बाद में मजबूर हूं कि आपने जो मोशन थैंकस मूव किया है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं बड़े ध्यान से विपक्षी नेताओं, खासकर वर्तमान वक्ता श्री सूरज भान, के भाषणों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह पंजाब के बारे में कई प्रकार की कहानियां सुना रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। जनता पार्टी ने उन्हें बढ़ावा दिया। लोक दल और भारतीय जनता पार्टी भी उसी के अनिवार्य अंग थे। जिस अकाली दल के बारे में आज आप बोल रहे हैं, वह आपका भागीदार था और आपके प्रोत्साहन देने से ही इन लोगों का आज हौसला इतना बुलंद है और वे ये सब बातें कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश को खतरा पैदा हो रहा है। आप भूल रहे हैं कि आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। आपको इस सरकार पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में, 1980 में जब हमने सत्ता की बागडोर संभाली तब पंजाब, असम और अन्य समस्यायें हमें विरासत में मिली। जनता पार्टी ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। चाहे यह विघटन की बात हो या अन्य स्थिति हो, जनता पार्टी, जो कि इस देश पर शासन कर रही थी, इन सबके लिए जिम्मेदार है। हम, इस दिशा में हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं कि इन सब समस्याओं का संतोषजनक ढंग से समाधान किया जा सके। परन्तु जब भी हमने पंजाब में जहां स्थिति नियन्त्रण से बाहर होती जा

** कार्यवाही को वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रही है, कारगर कदम उठाने चाहे तो, यही विरोधी दल हमारे मार्ग में रुकावट डालते रहे। आप हमें, हमारे ग्रह मन्त्री को चेतावनी देते रहे कि 'स्वर्ण मंदिर' में प्रवेश न करें अन्यथा इसके गम्भीर परिणाम होंगे। मैं हैरान हूं कि अब जनता पार्टी नेता श्री मोरारजी देसाई कह रहे हैं कि, "अगर आवश्यक हो तो स्वर्ण मन्दिर में अपनी सेना भेजो; हम ये सब बातें नहीं सह सकते।" लोकदल के नेता, श्री चरण सिंह ने हाल ही में ग्वालियर में कहा था कि, यह अयोग्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। लेकिन ये ही दल हैं जो कि इस समस्या वे सुलझाने में हमारे मित्र बाधक बनते हैं। लेकिन जब हम प्रभावी कदम उठाना चाहते हैं, तो दुर्भाग्यवश वे हमारे रास्ते में बाधक बनते हैं। अब आखिरकार पता नहीं आपको क्या हुआ है, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर कारगर उपाय न किए गए और हमने स्थिति पर नियन्त्रण न किया तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। अब आप अकाली दल के विरुद्ध प्रभावी कदम न उठाने के लिए सरकार को दोष दे रहे हैं। मैं भारतीय साम्यवादी दल और साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को दोष नहीं दे रहा हूं। कुछ हद तक वे भी, अप्रत्यक्ष रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अन्य लोग लोकदल और भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपको बताता हूं, केवल पंजाब की स्थिति ही ऐसी नहीं है। मैं आपको अन्य उदाहरण भी देता हूं। पंजाब में, इस प्रकार के सभी प्रोत्साहन और यह स्थिति विद्यमान है। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की स्थिति पैदा होने जा रही है। मैं आपको अपने राज्य की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। वहां कि तेलगु देशम पार्टी क्षेत्रीयवाद में विश्वास रखती है और इन सभी बातों में विश्वास नहीं करती, तेलगु भाषी लोगों को आत्मसम्मान देने के उद्देश्य से, ये लोग सत्ता में आये हैं। अब आप उनसे तालमेल कर रहे हैं। यही नहीं, समाचार पत्रों में पढ़कर मुझे हैरानी हुई है कि ग्वालियर में एक सम्मेलन किया गया था और उस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लोकदल के नेता श्री चरणसिंह कह रहे थे कि, 'यह व्यक्ति दक्षिण से आया है। वह आन्ध्र प्रदेश में महान् भूमिका निभा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि वह देश में भी महान् भूमिका निभाएंगे।' उन्होंने हमारे राज्य को तबाह कर दिया है। अगर आप राष्ट्र को तबाह करना चाहते है—मेरे मित्रों आपका स्वागत है। लेकिन वहां पर हमारे मित्रों का यह रवैया है···

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्री चेन्ना रेड्डी के बारे में क्या राय है ?

श्री एम० सत्यनारायण राय : अगर आप अलग-अलग व्यक्तियों की बात करते हैं, तो मैं उनको कोई महत्व नहीं देता। चेन्ना रेड्डी या श्री नारायण चौबे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ नहीं होगा, भुला दिया जायेगा। किसी एक व्यक्ति के बारे में परेशान न हों। मैं किसी एक के बारे में चिन्तित नहीं हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं। ये व्यक्ति पुनः उस व्यक्ति को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जोकि क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब आप कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से वह 'हमारे' लिए उपयोगी हो सकता है। यह मांग आपका स्वार्थ है, कोरा स्वार्थ है। परन्तु क्या कोई वैकल्पिक कार्यक्रम है आपका केवल एक ही कार्यक्रम है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को सत्ता से कैसे हटाया जाये और कांग्रेस दल को सत्ता से कैसे हटाया जाये। इसके अलावा और कोई वैकल्पिक कार्यक्रम नहीं है। यही बातें 1977 में हुई थी। आप पुनः वही बातें दोहराना चाहते हैं ? किसलिए ? 1977 के बाद हमने देश का विनाश होते देखा है—आर्थिक विनाश, राजनैतिक विनाश और जो समस्याएं आप हमारे लिए छोड़ गये थे अब हमें उनका सामना करना पड़ रहा हूं और हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हम उनका समाधान कर सकें। मैं भारतीय साम्यवादी दल और साम्यवादी (मार्क्सवाड़ी) दोनों को चेतावनी देना चाहता हूं कि इन सब लोगों से सावधान रहें।

श्री सूरज भान ने कहा है, "जो कुछ पंजाब में हो रहा है, मुझे उस पर दुःख है। बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है।" कौन मार रहा है? तथाकथित साम्प्रदायिक तत्व, चाहे वे सिख हों या हिन्दू वे ही इन सबके लिए जिम्मेदार हैं। इसकी निन्दा करने की बजाय आप यहां आकर हमारी प्रधान मंत्री और हमारे दल पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि, "आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और आप बेगुनाह लोगों के मारे जाने आदि के लिए, जिम्मेदार हैं।" लेकिन इन सबके लिए मैं आपको जिम्मेदार ठहराता हूं। आप इनको बढ़ावा दे रहे हैं। यही नहीं, आप उस समय इन अकाली दल के लोगों के साथ गठबंधन कर रहे थे। अब हरियाणा में कौन जिम्मेदार है? आप इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं—हिन्दू सुरक्षा समिति के लोगों को। वे आपके दल के सदस्य हैं। आप इन सभी बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस समस्या को सुलझाने की बजाय और सरकार को इस समस्या को सुलझाने में सहायता देने की बजाय, आप अपने दल के हित में, तथाकथित साम्प्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपने दल के हितों में यह सब कर रहे हैं। अब आप उन लोगों के समर्थक हो गए हैं जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा है। आपने ही यह स्थिति पैदा की है और आपने ही समस्या पैदा की है, और अब जब हम इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमारे रास्ते में कई प्रकार की अड़चनें पैदा कर रहें। आप यहां आकर हमारे दल पर आरोप लगा रहे हैं। मैं इस प्रकार के गैर-जिम्मेदाराना विपक्ष के लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैं नहीं जानता कि, उन्हें अपनी गलती का एहसास कब होगा। कम से कम, अब आपको इसका एहसास हो जाना चाहिए। आखिरकार देश, दल से ऊंचा है। दल और सत्ता हमेशा नहीं रहते। हमारा जीवन भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हमारी स्थिति के होने का प्रश्न ही कहां है? वह आज प्रधान मंत्री हो सकती हैं; कल आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अगर देश सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित होंगे, आप सुरक्षित होंगे। लेकिन अगर देश बिखर गया, तो प्रधानमंत्री का प्रश्न ही कहां रह जाता है, राष्ट्र पर शासन कौन करेगा? इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। स्वतन्त्रता के बाद से ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। पहली दफा ऐसी स्थिति पैदा हुई है—चाहे असम में, जम्मू और काश्मीर में या पंजाब में। मैं अन्य राज्यों के उदाहरण भी दे सकता हूं। आजकल वहां पर आन्दोलन नहीं हो रहे, लेकिन अलगाववादी शक्तियां वहां मौजूद हैं; सब जगह मौजूद है, खासकर देश के सीमावर्ती भागों में, चाहे यह दक्षिण, पश्चिम, पूर्व या अन्य भाग हो। पूर्वोतर क्षेत्र भी जल रहा है, चाहे वहां पर अब शांति है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस मामले पर विचार करें और कोई सामूहिक सहमति हो। तभी कोई सरकार इस समस्या को हल करने में समर्थ होगी। अगर आप यह कहते हैं कि हम वहां पर सेना क्यों नहीं भेज रहे हैं, तो यह तो बहुत आसान है, एक मिनट में ही सरकार यह आदेश दे सकती है कि स्वर्ण-मंदिर में सेना भेज दी जाए। लेकिन, अगले ही दिन, आप हम पर आरोप लगायेंगे कि हमने बेकार ही स्थिति को और बिगाड़ा है। समस्या को सुलझाने की बजाय, हमने और समस्याएं पैदा कर दी हैं। इन सब बातों के लिए हमें बहुत सोच विचार कर निर्णय लेने होंगे। महात्मा गांधी सहित हमारे बड़े नेताओं ने स्वतन्त्रता की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं श्री सेन का उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने श्री भगतसिंह और लाला लाजपत राय जैसे महान् नेताओं का जिक्र किया है, जिन्होंने हमारी आजादी की खातिर अपने जीवन का बलिदान किया; न कि बेगुनाह लोगों का जीवन लेकर देश की खण्डता के लिए। और वे चाहते थे कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए, देश को स्वतन्त्रा मिले। उन दिनों हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य और आवास आदि भी नहीं थे। लेकिन आजादी के बाद, हमने यह भरसक प्रयत्न किए कि सबसे गरीब वर्ग को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं मिलें। पिछले 36 वर्षों के दौरान, हम यही सब प्रयास कर रहे हैं। कल श्री समर मुखर्जी कह रहे थे कि कोई भी प्रगति नहीं हुई है, हम अनावश्यक रूप से डींग मार रहे हैं। हमें मानसून को श्रेय देना चाहिए। जब वर्षा नहीं होती है, तो आप कभी भी हमें श्रेय नहीं देते। केवल हमें दोष दिया जाता है। इसके लिए सर्व-

शक्तिमान ईश्वर उत्तरदायी है। हमने सिंचाई सुविधाओं का निर्माण नहीं किया है। अब आप कहते हैं कि श्रेय मानसून को जाना चाहिए। इसी कारण हमने कुछ नहीं किया है। अन्ततः अच्छी नीति ही इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है। हमें वास्तव में इस पर गर्व है। सारे संसार में, विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप में कृषि उत्पादन में काफी गिरावट आई है। वे गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उन देशों में लोगों को भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए। ऐसी विकट स्थिति में, हमने अपने देश में न केवल प्रगति की है बल्कि 1420 लाख मीट्रिक टन के विशाल खाद्यान्न का उत्पादन किया है। हमारे लिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जब हमने कोई उपलब्धि हासिल की है तो आपको उसकी सराहना करने का साहस होना चाहिए। यदि हम अम्फल रहते हैं तो आपको ऐसा कहने की स्वतत्रता है। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो आपको हमारी सराहना करनी चाहिए। यदि कुछ गलत हो जाता है, तो आप हम पर दोषारोपण करते चले जाते हैं। यह उचित नहीं है। आप भी एक राज्य में शासन कर रहे हैं। वहां भी असफलताएं और सफलताएं हो सकती हैं। मुझे वहां कोई सफलताएं हो सकती हैं। मुझे वहां कोई सफलताएं दिखाई नहीं देती, केवल असफलताएं ही दिखाई देती हैं।

हाल ही में मैं कलकत्ता गया था। जब मैं लोगों से मिल रहा था, तो हमें पता चला कि वे बहुत कष्ट उठा रहे हैं। वहां बिजली उपलब्ध नहीं है। बिजली की कमी के कारण, उद्योगपति वहां से छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। आपके राज्य को हानि होगी। आप लोगों को पानी तथा न्यूनतम आवास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। यह वास्तव में एक दूर्भाग्यपूर्ण बात है। आप केन्द्रीय सरकार पर दोषारोपण करते हैं कि यह आपके राज्य को राहत पहुंचाने के लिए आगे नहीं आ रही है। आप कहते हैं कि हमारी आयोजना बहुत बेकार है। आप हम पर दोषारोपण करते हैं कि हम आपके राज्य को पर्याप्त सहायता नहीं दे रहे हैं।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) : जब पश्चिम बंगाल में कोई उपलब्धि होती है तो माननीय सदस्य क्या कहते हैं? आप यहां विपक्षी दलों से कैसा व्यवहार करते हैं? पश्चिम बंगाल के साथ दोहरे मानदण्ड क्यों अपनाए जाते हैं?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : शेष भारत में भी निर्धन लोग कष्ट उठा रहे हैं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : कल श्री मुखर्जी कह रहे थे कि यह सरकार उद्योगपतियों तथा अमीरों को प्रोत्साहित कर रही है। जब मैं कलकत्ता में था तो मुझे कई लोगों से मिलने का अवसर मिला, विशेषकर उद्योगपतियों से। प्राक्कलन समिति वहां गई थी। हम उन लोगों के बयान ले रहे थे। उन्होंने बताया कि वे सी० पी० एम० सरकार से बहुत खुश हैं। जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। आप उनसे वहां प्रसन्न हैं। यहां आप केन्द्रीय सरकार पर दोष लगाते हैं कि यह उद्योगपतियों को प्रोत्साहित कर रही है तथा अमीर लोग हमसे खुश हैं। वे पश्चिम बंगाल में आपसे खुश होंगे—हमसे नहीं। निःसन्देह, प्रो० पाल प्राक्कलन समिति के सदस्य थे, और उनकी उपस्थिति में हम इन बातों पर चर्चा कर रहे थे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी ओर से आप बाद में उत्तर देंगे।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आप केवल हम पर प्रहार करते हैं लेकिन आप सुनना नहीं चाहते।

श्री एम० सत्यनारायण राव : सभापति महोदय, इसमें मैं अकेला नहीं हूं। श्री पाल भी वहां थे। वे भी प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। उन्हीं की उपस्थिति में मैंने इन लोगों से पूछा था और उन्होंने कहा कि वे बहुत प्रसन्न हैं। वे वहां बहुत प्रसन्न हैं लेकिन यहां आप उन्हें प्रसन्न नहीं देखना चाहते। आपके लिए इस प्रकार का दोहरा स्तर अपनाना ठीक नहीं है। हम भी वैसा ही कर रहे हैं। तब आप हम पर दोष क्यों लगाते हैं?

(व्यवधान)

जैसा कि श्री ए०के० सेन ने भी अभी कुछ समय पहले कहा है, हमें अपनी कृषि पैदावार पर गर्व है। एक समय था कि हम पूर्णतया आयात पर निर्भर थे, विशेषकर पी०एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका से किए जाने वाले आयात पर। न केवल अमरीका बल्कि सारा विश्व हम पर दोष लगा रहा था और वे यह कहते थे कि यह देश खाद्यान्नों के मामले में कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। यह देश भोजन के लिए भिखारी ही बना रहेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ। इन 10-15 वर्षों के दौरान, हमने जो भी नीतियां अपनायीं, वे इस हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार हैं। हमें इस पर गर्व है। क्या आप इसे हमारी महान उपलब्धि नहीं मानते?

अब, हम न केवल अपनी जनता को भोजन दे सकते हैं बल्कि दूसरे देशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में हैं। यदि किसानों को लाभकर मूल्य दिए जाएं तो हम न केवल अपने लोगों का पेट भर सकते हैं बल्कि पड़ोसी देशों को भी अन्न दे सकते हैं।

हमने सिंचाई क्षमता भी तैयार की है। लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा रहा है। तदुपरांत, विद्युत-उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमें इन सभी बातों पर गर्व है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है।

अब आप गरीबी की बात करते हैं। गरीबी कहां नहीं है? चाहे आप शासन करें या हम, जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी, गरीबी रहेगी।(व्यवधान) हमारे पास कोई जादू का डंडा नहीं है कि एकदम गरीबीहटा दें। हम अपनी ओर से पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, जनसंख्या में वृद्धि हमारे आड़े आ रही है। उत्पादन बढ़ा है लेकिन इसके साथ-साथ जन-संख्या भी बढ़ गई है और यही कारण है कि हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम आपके इस सुझाव का भी स्वागत करेंगे कि गरीबी हटाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएं। लेकिन सुझाव देने की बजाए, आप हमें केवल यही बताने का प्रयास करते हैं कि हमने यह नहीं किया है, वह नहीं किया है।

1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में थी, तो श्री मोरारजी देसाई ने यह दावा किया था कि पांच वर्ष के अन्दर वे गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या को हल कर देंगे। एक वर्ष बाद मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपने कहा था कि आप पांच वर्षों में बेरोजगारी की समस्या हल कर देंगे और चूंकि एक वर्ष बीत चुका है, आप बेरोजगारी की समस्या को कहां तक हल कर पाए हैं। वास्तव में यह पाया गया है कि बेरोजगारी की समस्या कम होने की बजाए और विकट हो गई है। अब, एन०टी०आर० ने कई वायदे किए हैं। वे इनमें से कोई भी समस्या हल नहीं कर पाए हैं। इसलिए, अब वे आपसे अनुरोध कर रहे हैं

कि आप उनका उद्धार करें, क्योंकि उन्होंने सभी झूठे वायदे किए थे। उन्होंने कई तरह के झूठे वायदे किए थे। उन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो श्री एन० टी० रामाराव की तुलना श्री एम० जी० रामचन्द्रन से कर रहे हैं। दोनों में बहुत अन्तर है। श्री एम० जी० रामचन्द्रन 30 वर्ष तक एक राजनीतिक दल में थे। वह उस दल के कोषाध्यक्ष थे। जो कुछ भी वे कमाते थे, अपनी पार्टी पर खर्च कर देते थे। लेकिन, इस महानुभाव ने अपने जीवन में अखबार भी नहीं पड़ा है। उन्होंने गरीब जनता के लिए कभी एक पैसा भी नहीं दिया। मैं यह कह रहा हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं और अब आप इस व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं और आप उसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह मुख्य मंत्री के बारे में कई राजनीतिक बातें कर रहे हैं। मेरा विचार है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें इन बातों से अलग रहना चाहिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मुझे पूर्ण अधिकार है। मैं आलोचना क्यों नहीं कर सकता ? आप जैसे चाहें सभी की आलोचना करते जायें। मुझे अफसोस है कि आप इस प्रकार के** व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप उन्हें सभी प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वह महान राष्ट्रीय नायक हैं और इसी तरह की बातें।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप हमारे लिए चिन्ता कर रहे हैं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं आपके बारे में चिन्ता क्यों करने लगा ? मुझे कोई चिन्ता नहीं है। आपको अपने राज्य की चिन्ता है। मुझे अपने राज्य की चिन्ता है। मैं सम्मानित सदन के ध्यान में केवल यह बात लाना चाहता हूं कि जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग कैसे कष्ट उठा रहे हैं, वहां हरिजनों को कैसे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। वहां बिजली नहीं है। एक समय था कि हमारा राज्य बिजली के मामले में अधिशेष राज्य था और यह सभी पड़ोसी राज्यों को बिजली की आपूर्ति करता था। अब यह राज्य कठिनाइयों में है। बिजली की कमी होने से, कम बोल्टेज के कारण हजारों विद्युत मीटर जल गए हैं। इतना सुन्दर राज्य अब कठिनाइयों में है। श्रीमन्, यदि प्रबन्ध अच्छा हो तो कोई भी चीज अच्छे ढंग से की जा सकती है। यदि प्रबन्ध अच्छा है तो सभी कुछ ठीक होगा। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह कहते हुए प्रसन्नता जाहिर की थी कि विद्युत-उत्पादन, खाद्यान्नों, सिंचाई क्षमता तथा इन सभी चीजों में हमने अच्छी प्रगति की है। हमारे राज्य में कुप्रबन्ध के कारण ही हमें अब इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय : कृपया राष्ट्रपति के अभिभाषण की ओर आइए।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बात कर रहे हैं या आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में ?

सभापति महोदय : कृपया राष्ट्रपति के अभिभाषण की ओर आइए। मैं उन्हें कह चुका हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : जब राष्ट्रपति बोलते हैं तो वे समूचे राष्ट्र की बात करते हैं। वह केवल दिल्ली या पश्चिम बंगाल की बात नहीं करते। वे समूचे राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। आन्ध्र

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रदेश भी समूचे राष्ट्र का अंग है। जो कुछ मैं कह रहा था, वह यह था कि यदि प्रबन्ध अच्छा होगा तो सभी कुछ ठीक होगा। कुप्रबन्ध के कारण ही अब हमें ये सभी कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में मैं कुछ शब्द कहूंगा। केवल आंतरिक स्थिति ही हमारी चिंता का विषय नहीं है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से भी हम चिंतित हैं, विशेषकर अपने पड़ोसियों के बारे में। हमारे पड़ोसियों के पास आधुनिकतम तथा अत्यन्त परिष्कृत हथियारों का जमाव बहुत चिन्ता का विषय है। ऐसी स्थिति का हमे सामना करना पड़ रहा है। पंजाब, आसाम और कश्मीर की हमारी आंतरिक समस्याओं के अतिरिक्त एक समस्या यह भी है कि पाकिस्तान को अद्यतन किस्म के युद्ध उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है जोकि हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। हिन्दमहासागर क्षेत्र का भी सैन्यीकरण किया जा रहा है। और वहां विशेषकर आणविक शस्त्र भारी मात्रा में एकत्रित किए जा रहे हैं। यह एक बहुत खतरनाक बात है। देश को ये सब साम्राज्यवादी ताकतें चारों ओर से घेर रही हैं। ये साम्राज्यवादी ताकतें नहीं चाहतीं कि हम खाद्यान्नों के मामले में और आर्थिक स्थिति में आत्मनिर्भर हों। जब वे यह देखती हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं तो वे हर तरफ से रोड़ा अटकाना चाहती हैं और वे ऐसा सब कुछ करने पर तुली हैं जिसके कारण हमें विवश होकर रक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है। देश जिस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का सामना कर रहा है वह बहुत चिंताजनक है। हम यह देखते हैं कि बड़ी शक्तियों और महाशक्तियों का आपस में भारी मतभेद है और वे आपस में बातचीत नहीं करते। अतः इस प्रस्ताव को लेते समय हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्रपति महोदय ने इस स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय भाई-चारे की भावना बनी रहे। हमें साम्राज्यवाद नव-उपनिवेशवाद और नव-साम्राज्यवाद तथा जातिवाद के विरुद्ध लड़ना होगा। मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री एन० सुन्दर राजन (शिवकाशी) : सभापति महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्नाद्रुमक कणगम की ओर से मैं प्रधानमन्त्री को दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अर्थात गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन और 'चोगम', के 1983 में नई दिल्ली में आयोजन के लिए पहल करने के लिए बधाई देता हूं। गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलनों में माननीया प्रधान मन्त्री को सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ही एकमात्र और ऐसी सर्वाधिक सुयोग्य नेता हैं जो निरस्त्रीकरण के लिए, शांति के लिए और विश्व के देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए लड़ सकती हैं। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए 600 करोड़ रुपये की राशि नियत करने के लिए भी मैं प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं। बेरोजगारी की समस्या कोई नई नहीं है और न केवल अकेला हमारा देश ही इस समस्या से ग्रस्त है, अपितु विश्व के अधिकांश अन्य देशों में भी यह समस्या विद्यमान है ! अतः भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक तो बनी ही रहेगी। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमन्त्री महोदया ने आई० आर० डी० पी०, एन० आर०ई०पी० और नई ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना इत्यादि कई योजनाएं चालू की हैं। इन योजनाओं के जरिए हमारी प्रधान मन्त्री बेरोजगारी की समस्या को यथासम्भव दूर करने की कोशिश कर रही हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैराग्राफ 14 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों में प्राथमिक

शिक्षा को, जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, सब तक पहुंचाने और 1990 तक प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को खत्म करने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पोषक आहार कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के जरिए लगभग 63 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यही नहीं, इससे स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में भी भारी बढ़ोत्तरी हुई है। सभापति महोदय, इस योजना की प्रशंसा सभी शिक्षाविदों और विश्व के शिक्षा शास्त्रियों द्वारा भी की गई है। हमारी प्रधान मन्त्री ने भी तमिलनाडु राज्य में चालू किए गए इस पोषक आहार कार्यक्रम की प्रशंसा की है। महोदय इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने केन्द्र सरकार से कई बार इस योजना को योजना परिव्यय में शामिल करने का अनुरोध किया है किन्तु अब तक भारत सरकार ने इसे परिव्यय में शामिल करने पर विचार नहीं किया है। अतः मैं पुनः भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को योजना परिव्यय में शामिल करने पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय, भारत सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति बनाई है जिसके अनुसार उन जिलों में जहां कोई भी औद्योगिक एकक नहीं है नया औद्योगिक एकक खोला जायेगा। इस सन्दर्भ में हमारे माननीय मुख्य मन्त्री और अन्य कई राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने मांग की है कि नए औद्योगिक एकक खोलने के मामले में जिले को आधार न बनाया जाए, अपितु तालुक को आधार बनाए जाए। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस तालुक में कोई औद्योगिक एकक नहीं है वहां नया औद्योगिक एकक खोला जाए।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 1420 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक होने की आशा है। महोदय, भारत में 75 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि कार्य में लगे हुए हैं। भारतीय किसानों की दशा वर्ष प्रतिवर्ष बदतर होती जा रही है। और इसका कारण है अलाभप्रद कीमतें जो कि सरकार ने उनके उत्पादों के लिए निर्धारित की हैं। खेतिहरों के काम में आने वाले कृषि उपकरणों तथा खाद बीज इत्यादि सामग्री की कीमतें वर्ष प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ रही है और खाद्यान्नों का विक्रय मूल्य उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं है। खाद्यान्नों की उत्पादन लागत हर वर्ष बढ़ रही है। खाद्यान्नों की वसूली कीमत निर्धारित करते समय सरकार को राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सिफारिशों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस समय भारत सरकार केवल कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करती है। हमारे मुख्य मंत्री ने सरकार से धान का मूल्य 175 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का अनुरोध किया था किन्तु सरकार ने केवल 132 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह धान का वसूली मूल्य बढ़ाकर 175 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर दें, जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्री ने अनुरोध किया है।

तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहां एक भी गांव ऐसा नहीं जहां बिजली न हो। यही नहीं, तमिलनाडु में लगभग दस लाख पम्प सैटों को बिजली की सप्लाई दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि पम्प सैटों को बड़ी मात्रा में बिजली सप्लाई के कारण तमिलनाडु राज्य को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कल्पक्कम स्थित आणविक विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित सारी बिजली तमिलनाडु राज्य को ही दी जाए। तभी राज्य बिजली की विकट स्थिति का सामना करने की स्थिति में हो सकेगा।

15.32 (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमारे मुख्य मन्त्री ने छोटे कृषकों को 200 करोड़ रुपये का सहकारी ऋण दिया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस ऋण में हिस्सा बटाए और एक भाग राज्य सरकार को वापिस कर दे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जोकि उन्होंने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष दिया था। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि स्वाधीनता के बाद हमने इस देश को बहुत आगे बढ़ाया है। स्वाधीनता के पश्चात् पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस देश में लोकतन्त्र की स्थापना हुई और योजनाबद्ध विकास का प्रारम्भ हुआ। विपक्ष के ऐसे लोग भी जोकि बीस-बीस वर्ष तक इस सरकार में रहे हैं और अब उधर चले गए हैं, वे भी उधर जाकर कहने लगते हैं कि कुछ नहीं हुआ है तो उन पर हमें आश्चर्य होता है। आज देश में जो गल्ले का उत्पादन हो रहा है उसका चौथाई भी सन् 1952 में नहीं हो रहा था। जहां इस देश में पहले एक सुई भी नहीं बनती थी, वह विदेशों से मंगाई जाती थी, वहां अब लाखों टन कच्चा और पक्का लोहा पैदा किया जा रहा है। जहां पहले बड़े-बड़े शहरों में ही कुछ बिजली दिखाई पड़ती थी, अब गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है। आज देश में जो सिंचाई की क्षमता है वह चौथाई भी पहले नहीं थी। कपड़ा उत्पादन और इसी प्रकार अन्य औद्योगिक उत्पादनों की बात है। देश बहुत आगे बढ़ रहा है। देश ने बहुत तरक्की की है। इसलिए कृषि उत्पादन में सरकार की नीतियां शामिल हैं किसानों का परिश्रम शामिल है और सभी बातें शामिल हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस वर्ष तो कृषि का उत्पादन हुआ है, वह बहुत ही गर्व की बात है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें आशा है कि हमें कृषि के उत्पादन के साथ-साथ अन्य औद्योगिक उत्पादनों में भी आत्मनिर्भर होते जाएंगे। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा है कि इस वर्ष जो कृषि का उत्पादन हुआ है, वह अपने आप में एक अभूतपूर्व बात है और इतना उत्पादन आज तक कभी नहीं हुआ। हम आशा करते हैं कि यह उत्पादन आगे आने वाले समय में भी मेनटेन रहेगा और और उत्पादन बढ़ाते जाएंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि जिन वस्तुओं के आयात के कारण हमको बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी, जैसे तेल के मामले में, उसको अब हम बचाने में सक्षम हो पा रहे हैं। तेल का उत्पादन बढ़ने के कारण हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो लिया था, उसमें बहुत सा हिस्सा छोड़ रहे हैं। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में देश की आर्थिक तस्वीर को भी पेश किया है। आर्थिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। इन सब चीजों को देखते हुए आर्थिक संकट होने के बावजूद भी विकासशील देश होते हुए भी हमने अपनी आर्थिक प्रगति को, आर्थिक विकास को बनाए रखा है। आर्थिक विकास की दर को बनाए रखा है और इसको मजबूत बनाया है।

प्रधान मन्त्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा देश के गरीबों को बहुत बड़ी आशा बन्धी है। प्रधानमंत्री जी का 20 सूत्रीय कार्यक्रम संसार में एक अद्वितीय कार्यक्रम हैं। जिसमें हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए, सभी के सर्वांगीण विकास की रूप रेखा इस कार्यक्रम में है। आई० आर० डी० पी० के अन्दर कई लाख लोगों को लाभ हो रहा है। यदि विरोधी दल के लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम गांवों में देख रहे हैं कि

गांव में हर वर्ग के लिए अपना-अपना विकास कर रहे हैं। नई आशा का संचार हुआ है। हाल ही में प्रधानमन्त्री जी शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया है। जिस तरह से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही थी और हम सोच रहे थे कि वे क्या करेंगे, चोरी करेंगे या डाका डालेंगे, नौकरी तो उनको नहीं मिलेगी, इस शिक्षित बेरोजगारों के कार्यक्रम से शिक्षित बेरोजगारों में एक नई आशा का संचार हुआ है। लाखों की संख्या में लोग प्रार्थना पत्र देकर ऋण ले रहे हैं और उद्योग खोल रहे हैं। इसी प्रकार गरीबों के लिए, भूमिहीनों के लिए एन० आर० ई० पी० रोजगार गारन्टी योजना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत उनको 8-10-15 रु० रोज मिल रहा है, जिससे वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। कहा जाता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं कहता हूं कि संख्या नहीं बढ़ी है, गरीबी को परिभाषा बदल गई है। 15 रु० में जो खुशहाली से जिन्दगी बिताता था, अब वह 15 रुपए में गुजारा नहीं कर पाता है। इसके अलावा आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, जीवनस्तर बढ़ गया है। जो पहले दो धोती पहनता था, आज 5 धोती पहनता है, 5 यदि नहीं मिलती हैं तो कहता है कि मैं गरीब हूं। पहले जो झोपड़ियां थीं, आज वे खपरैल हो गए हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हम गरीब हैं क्योंकि हमारे पास पक्के मकान नहीं हैं। इसलिए गरीबी का दृष्टि-कोण बदल गया है, परिणाषा बदल गई है। बहुत से मध्यम वर्ग के लोग जो पहले अपने को गरीब नहीं समझते थे, वे आज अपने को गरीब समझने लगे हैं। इसलिए यह भ्रम है, भ्रान्ति है कि आज देश में 50 करोड़ से ज्यादा गरीब हो गये हैं। देश का बहुत विकास हुआ है, गरीबों की संख्या में कमी हुई है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। लोगों का दृष्टिकोण बदला है, आकांक्षायें बढ़ी हैं इसलिए लगता है कि गरीबी ज्यादा हो गई है और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है।

लेकिन मैं इतना सुझाव जरूर देना चाहूंगा—पिछले वर्ष जो विकास के काम थे, जैसे सिंचाई, पीने का पानी, सड़कों का निर्माण, औषधालय बनाने का कार्यक्रम, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग-धन्धे लगाने के कार्यक्रम, इनमें धन कम खर्च किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा—माननीय वित्त मन्त्री जी, माननीया प्रधान मन्त्री जी से, यह छठी योजना का अन्तिम वर्ष है, जो काम सिंचाई के अधूरे पड़े हैं, बिजली की जो योजनायें अधूरी पड़ी हैं, सड़कों का बनना आवश्यक है, औषधालयों का बनना आवश्यक है, उन कार्यक्रमों में तेजी लाई जाय।

इस समय देश के अन्दर और देश के बाहर दोनों तरफ संकट छाया हुआ है। कुछ देश के अन्दर की ताकतें और कुछ देश के बाहर के लोगों के संकेत पर, इशारे पर, साम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद भाषावाद और पांचवा वाद हैं—कुर्सीवाद, लोक सभा और विधान सभा में सरकार की कुर्सी पाने के लिए इस देश के प्रतिपक्ष के लोग, इन बातों को बढ़ावा देकर देश में एक भयंकर स्थिति पैदा करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को खण्ड-खण्ड करना चाहते हैं। देश में एक विशाक्त वातावरण पैदा करना चाहते हैं। उनके दिमाग में यह बात है—अगर हम कुर्सी पर नहीं पहुंच सकते हैं तो चलो, देश को खण्ड-खण्ड करो, नष्ट करो, देश के विकास को रोको, प्रगति को रोको, देश में अशान्ति पैदा करो, झगड़े पैदा करो, जातीयवाद पैदा करो, साम्प्रदायवाद पैदा करो। विदेशी ताकतें इसलिए ऐसा चाहती हैं कि हमारा देश इतना विशाल देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसकी शक्ति बढ़ रही है, दुनिया में यह देश एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, दुनिया के नक्शे पर भारत की प्रधान मन्त्री ने निर्भीक आवाज में कहना शुरू किया है, जिससे बड़ी-बड़ी ताकतें भयभीत हुई हैं, इसलिए वे चाहती हैं कि इसकी प्रगति रुके, इसका विकास रुके और इसको रोकने के लिए यहां साम्प्रदायवाद को भड़का रहे हैं, जातियों को भड़का रहे हैं, वे इन अन्दरूनी ताकतों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जब तुम

कुर्सी पाओगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह देश के अन्दर और देश के बाहर की ताकतें देश के अन्दर खतरा पैदा कर रही हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं—यदि देश में इस प्रकार क्षेत्रीयवाद फैला, साम्प्रदायवाद फैला, जातीयवाद फैला, कुर्सी को पाने के लिए कुछ भी करने की भावना फैली तो देश का लोकतन्त्र खतरे में पड़ जाएगा, राष्ट्रीय अखण्डता खतरे में पड़ जाएगी, देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी, फिर किसे कुर्सी मिलेगी। जब लोकतन्त्र खतरे में पड़ेगा, अखण्डता और एकता खतरे में पड़ेगी तो कहां बैठोगे। आपको इस सरकार के दोष अधिक दिखाई दे रहे हैं, न कहीं पानी मिल रहा है और न कहीं दाना मिल रहा है—यह भाषण हमारे मित्र रशीद मसूद साहब दे रहे थे। उनका भाषण बिलकुल निराशावादी रहा है···

अध्यक्ष महोदय : सारे वाद यहीं इकट्ठे हो गये थे।

श्री उमाकान्त मिश्र : रशीद मसूद साहब और उनकी तरफ के लोगों को सोचना चाहिए कि कितनी भयंकर स्थिति फैल रही है। जो अराजकता फैल रही है और जो विघटनवादी ताकतें ताकतवर हो रही है, इनसे देश खतरे में पड़ेगा और डेमोक्रेसी खतरे में पड़ेगी। फिर कुछ नहीं होने वाला है। जैसे पंजाब का मामला है। वह एक अलग मसला है, जिस पर अलग से बात होने वाली है औरउसमें बड़े-बड़े राजनेता बोलेंगे। हम लोग तो आश्चर्य में पड़ते हैं कि आखिर पंजाब के अकाली चाहते क्या हैं? विपक्ष कहता है कि सरकार समझौता नहीं करना चाहती और सरकार इस मामले में अभी कुछ तय नहीं कर सकी है। सरकार ने तो उनकी धार्मिक मांगें मान ली। अब रह गया चण्डीगढ़ और पानी का सवाल। क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी या उनकी सरकार चण्डीगढ़ पंजाब को दे दे और हरियाणा से पूछे भी न और क्या सारा पानी बिना हरियाणा के पूछे पंजाब को दे दे। उनकी सारी बातें मान लें हरियाणा की उपेक्षा करके और राजस्थान की उपेक्षा करके।

वे कहते हैं कि हम सिख संघ की रक्षा कर रहे हैं। हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि सिख पंथ का दावेदार कौन है? सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल तो अकाली नेता है। वह सिख पन्थ की रक्षा करने का दावा करता है। अभी अखबारों में हमने पढ़ा है कि भिंडरावाला साहब ने यह कहा है कि सारे सिखों का प्रतिनिधि मैं हूं और मैं जो बात कहूंगा, वह सिख पन्थ वाले मानेंगे और श्रीमती इन्दिरा गांधी अमृतसर आयें और मुझ से बात करें। भिंडरावाला घुस कर अकाल तख्त में छिपकर बैठा है। वह सिख पन्थ का नेता अपने को कहता है। अगर सिख मासेज उसके प्रति इज्जत की भावना रखती हैं, तो वह अकाल तख्त से बाहर निकले और मैदान के आए। वह पंजाब के गांवों में जाए, गुजरात जाए, बनारस जाए और दिल्ली आए और सारी जनता से बात करे कि वह क्या चाहती है। वह मुट्ठी भर आतंकवादियों को उकसा कर हिंसा की कार्यवाही करवाना चाहता है। इससे पंजाब और पंजाब के बाहर बड़े भयंकर नतीजे हो सकते हैं और स्थिति खराब हो सकती है। महामहिम राष्ट्रपति श्री जैल सिंह को क्या सिखों की चिन्ता नहीं है? तथा सिख पन्थ में वे विश्वास नहीं रखते हैं? क्या वे सिख पंथ की रक्षा नहीं करना चाहते हैं? क्या वे सिखों की भलाई नहीं करना चाहते हैं। आज 40 परसेन्ट सिख पंजाब में हैं। और 60 परसेन्ट सिख पंजाब के बाहर फैले हुए हैं। क्या सिखों की भलाई ज्ञानी जैल सिंह नहीं करना चाहते, सरदार बूटासिंह नहीं करना चाहते और सरदार दरबारा सिंह नहीं करना चाहते। 40 परसेन्ट सिख पंजाब में और 60 परसेन्ट पंजाब के बाहर हैं। वे क्या नहीं सोचते कि पंजाब में अकाली क्या कर रहे हैं। आज जो रास्ता अकालियों ने पकड़ा हुआ है, आज जो रास्ता भिंडरावाले ने पकड़ा हुआ है, क्या वह सही रास्ता है? संविधान को जलाना एक भयंकर अपराध है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चाहे कोई भी लोग हों, कोड़ भी दल हो, कोई भी सम्प्रदाय हो, कोई भी व्यक्ति हो और

कोई भी गिरोह या समूह हो, जो संविधान की अवमानना करता है, वह देश के लोकतन्त्र और इस देश की जनता की अवमानना करता है और उसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए । यह कोई तमाशा है। उनके साथ सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। जिस संविधान के तहत प्रदर्शन करने का, आन्दोलन करने, अपनी मांगें रखने का अधिकार मिलता है, उस संविधान को जलाकर वे उसकी अवमानना करना चाहते हैं। इस तरह से वे उसकी अवहेलना कर रहे हैं और ऐसे लोग देश द्रोही हैं, और राजद्रोही हैं। यह राष्ट्र को चुनौती देने का रास्ता है यह राष्ट्र के संविधान को चुनौती देने का रास्ता है और यह राजसत्ता को चुनौती देने का रास्ता है और यह राजद्रोह है और यह देशद्रोह है। इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और हम तो इस मत के हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसी ताकतों को कुचल देना चाहिए। यह भी दुनिया की कुछ ताकतों की प्रेरणा से किया जा रहा है और उनको उकसाने का काम वे कर रही हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश खतरे में है। अभी एक सज्जन भाषण कर रहे थे और कह रहे थे कि यह जो कहा जा रहा है कि देश खतरे में है यह एक पालीटीकल स्टन्ट है। मेरी समझ में उनकी बात नहीं आई। पाकिस्तान की हारपून मिसाइल और दूसरी मिसाइल मिल रहे हैं और अभी अभी दूसरी मिसाइलों और हथियार देने का समझौता पाकिस्तान से हुआ है। अन्दर-अन्दर वह अलग से हथियार इकट्टा कर रहा है और हथियारों का जखीरा उसके पास है। अभी पाकिस्तान और चीन का एक समझौता हुआ है। पाकिस्तान और चीन का समझौता हर प्रकार का हुआ है। औद्योगिक भी हुआ है और घातक हथियारों का भी हुआ है। पाकिस्तान ने जब जब हथियार इकट्ठे किए, तब तब उसने हमारे देश पर हमला किया। हमारे विरोधी पक्ष के नेता, विशेष रूप से हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान अपने होश में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान दूसरों के दवाब में काम कर रहा है। पाकिस्तान दूसरों की कठपुतली बना हुआ है। वह दूसरों के हथियार अपने यहाँ इकट्ठा कर रहा है। इससे हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान ने पिछले हमले किए, फिर वह हमला कर दे। इसलिए आज हमें पाकिस्तान से खतरा है। हिन्द महासागर में खतरा है। चाइना से जो पाकिस्तान का गठबन्धन हो गया है, उससे भी हमको खतरा है। इस तरह से हर प्रकार से हिन्दुस्तान की आजादी और सुरक्षा को खतरा है। यही बात प्रधान मन्त्री कह रही हैं।

श्रीमन् राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में नाभिकीय अस्त्रों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि इस समय विश्व में 6 मिलियन डालर नाभिकोय हथियारों पर खर्च हो रहा है। श्रीमन् हमने पढ़ा है कि 50 अरब डालर एक घंटे में इन हथियारों पर खर्च हो रहा है। इस समय विश्व में 50 हजार नाभिकीय अस्त्र बने पड़े हैं और 15 हजार निर्माणाधीन हैं। इनसे सारी दुनिया का 6 बार नाश हो सकता है।

श्रीमन् जब नाभिकीय युद्ध शुरू होगा तब सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। उसके बाद न कोई जीव होगा, न कोई वनस्पति होगी, न कोई चेतन होगा न कोई जड़ होगा, न कोई स्थावर होगा, न कोई जंगम होगा। यह सब हमने पढ़ा है। अगर नाभिकीय युद्ध छिड़ता है तो इन्सान और पशु दोनों के लिए यह भयंकर स्थिति होगी। आज संसार में नाभिकीय युद्ध की संभावना बढ़ रही है। इससे सारी दुनिया के, फ्रांस के, जर्मनी के, इटली के और अमेरिका के नौजवान भयभीत हो गये हैं। अमेरिका के नौजवान इस आशंका तक पहुंच गये हैं कि इस शताब्दी के अन्त तक नाभिकीय युद्ध होगा और मानवजाति का विनाश होगा। यह बड़ी ही भयावह स्थिति है। आज संसार में मानवजाति के अस्तित्व को, सारी सृष्टि

के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न है। इसी खतरे को समझते हुए हमारी प्रधान मन्त्री ने इस देश में निर्गुट सम्मेलन किया, राष्ट्र संघ में जाकर राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की। अभी हाल में राष्ट्रमण्डल देशों का सम्मेलन किया और उन्होंने इस खतरे के बारे में आवाज उठाई और कहा कि हथियारों की होड़ बन्द की जाए, नाभिकीय शस्त्रों का निर्माण बन्द किया जाए और मानवजाति को सर्वनाश से बचाया जाए।

मैं इन शब्दों के साथ इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर): स्पीकर साहब, राष्ट्रपति जी का यह एड्रेस हमारे सामने है। इस एड्रेस में मुल्क की तरक्की के बारे में जो कुछ कहा गया है और यह कहा गया है कि पिछले 37 वर्षों से मुल्क में तरक्की हो रही है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। हमारे मुल्क ने टेक्नोलोजी और एटोमिक एनर्जी से लेकर दूसरे बहुत से शोवों में अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की है। इसमें हमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है।

लेकिन जहां तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ताल्लुक है, सदर साहब ने अपने एड्रेस में खुद कहा है कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4,5 परसेंट रहेगा, सन् 1983-84 में। जहां एग्रीकलचर में और इन्डस्ट्रीज में और बाकी के दूसरे शोवों में तरक्की के बारे में इस एड्रेस में कहा गया है वहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि खुद इस एड्रेस में यह बताया गया है—7 जनवरी, 1984 को मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 10.4 प्रतिशत तक पहुंच गई ये पोजीशंन हमारे मुल्क की है। जहां एक तरफ हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, मेहनतकश किसान अपना खून बहाकर उत्पादन बढ़ा रहा है, मजदूर कारखानों में काम करके वहां उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां इन्फलेशन की यह हालत हो, 10 परसेन्ट से ज्यादा इन्फलेशन एक साल के अन्दर हो और जहां पर सरकार यह कहे कि हमने तरक्की के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम में रूरल लैण्ड लेंस एंप्लायमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपया रखा है और सैल्फ एंप्लायमेंट में तालीमयाफ्ता 2.5 लाख लोगों को मुलाजमत देंगे, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस 83-84 के दौरान और कितने बेरोजगारों में इजाफा हो जाएगा। मुझे यकीन है कि वह ढाई लाख से ज्यादा होगा। उन लोगों की बेरोजगारी के बारे में आपने क्या सोचा है जिनकी आबादी बराबर बढ़ रही है और जिनको रोजगार दिलाने के सिलसिले में हम नाकाम हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इतनी तरक्की होने के बावजूद, इतना आगे बढ़ने के बावजूद, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, इससे कोई इन्कार नहीं है, लेकिन जिस ढंग से हम सारे साधनों और सारी दौलत को तकसीम कर रहे हैं उससे आम जनता का फायदा नहीं हो रहा है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि तरक्की हुई है, इन्डस्ट्रीज के मामले में, साइन्स एण्ड टेक्नालाजी के मामले में और हर क्षेत्र में लेकिन इतनी तरक्की होने के बाद इसका ज्यादा फायदा किनको गया है।मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों के मुकाबले में अवामी और सोशलिस्ट राज में 20 खानदानों की जागीरदारी कायम है और उनकी दौलत बढ़ रही है। टाटा-बिड़ला का उद्योग बढ़ रहा है। पैसे की ताकत इनके हाथ में आ रहा है। अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आज बिहार, उड़ीसा, राजस्थान से हजारों लोग पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनको अपने प्रदेशों में मुलाजमत नहीं मिलती, खाने-पीने के साधन नहीं मिलते। मैं दूर नहीं जाऊंगा। हमारे यहां जम्मू-कश्मीर में ही सर्दियों में हजारों किसान कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और दूसरे इलाकों में मजदूरी के लिए जाते हैं। जिन्दा रहने के लिए यह जरूरी है।

इतनी तरक्की के बाद अगर लोगों की गरीबी में इतना इजाफा हो और 50 परसेंट लोग सब-

सिस्टेस लेवल से नीचे जिन्दगी गुजर कर रहे हों, यह बड़े अफसोस की बात है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय और लगेगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : 10 मिनट का समय और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है फिर कल देखेंगे। अभी आप बैठिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि आन्ध्र की विधान परिषद के मामले पर विधि मन्त्री एक वक्तव्य दें। पता नहीं उसका क्या हुआ? आप यह ध्यानकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लें।

अध्यक्ष महोदय : विचाराधीन रखें।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रधान मन्त्री से अनुरोध करे की पंजाब पर होने वाली सम्पूर्ण चर्चा के दौरान यहां उपस्थित रहें··· **(व्यवधान)** आप कौन हैं ?···**(व्यवधान)**

स्थगन प्रस्ताव

16.00

पंजाब में विद्यमान स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब तथा हरियाणा दोनों राज्यों में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनायें हो रही हैं और जनता के वर्गों तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बीच टकराव हो रहा है

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपके मत के अनुसार हाऊस ने 24 तारीख को एडजार्नमेंट मोशन स्वीकार किया जिस पर आज चार बजे बहस शुरू हो रही है। बहस शुरू करने से पहले मैं, आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी समस्या आपके सामने है, उस पर संयम से विचार करें। आपके तर्क उग्रवादी तरीके से नहीं बल्कि शांत तरीके से होने चाहिए जिससे कि भाई-भाई से प्यार बढ़े। आज जबकि उल्टे ढंग से भगवान का बेटा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसको निपटाता है। राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने से काम बनेगा। पार्टी विरोधाभास से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भावना के साथ अपना भाषण करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि समय का जरा ध्यान रखकर हिसाब से चलिए। फिलहाल चार बजे हैं।

श्री मधु दण्डवते (राजपुर) : आप भी जरा ध्यान रखिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरा ध्यान रखूंगा और पहले ही घण्टी बजा दूंगा। अब सबसे पहले श्री मधु दण्डवते अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

यह प्रस्ताव पंजाब में विद्यमान स्थिति पर जिसके कारण पंजाब और हरियणा दोनों में साम्प्रदायिक हिंसा और सी० आर० पी० एफ० तथा जनता के कुछ वर्गों के बीच संघर्ष हो रहा है चर्चा के लिए लाया गया है।

महोदय, जब आपने अपनी सद्भावना से 24 तारीख के लिए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया तो कुछ सरकारी सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि चूंकि यह मामला बड़ा ही नाजुक है, और चूंकि पंजाब और हरियाणा में स्थिति विस्फोटक बनी हुई है अतः हमें स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस सुझाव के पीछे निहित भावना को मैं पूरी तरह समझता हूं। किन्तु मैं यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे जैसे स्वतन्त्र देश में, देश की प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद भय के वातावरण में कार्य नहीं कर सकती।

आपको स्मरण होगा कि 1971 के युद्ध के दौरान भी हमने समूचे विश्व को यह दिखाने के लिए कि संसद और जनता का मनोबल गिरा नहीं है, संसद का अधिवेशन चलाये रखा था और हमने बंगला देश युद्ध के अनेक पहलुओं पर चर्चा की थी और अन्ततः हम विजयी हुए थे।

एक बार पुनः मुझे आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने की अनुमति दी जाए कि इंगलैंड में जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अत्यन्त खतरनाक और नाजुक स्थिति बनी हुई थी, जब लन्दन की गलियों और हाउस आफ कामन्स के निकट बम फेंके जा रहे थे, उस समय हाउस आफ कामन्स ने एक विपक्षी सदस्य हर्बर्ट मोडिसन द्वारा लाये गए एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से युद्ध की समस्याओं और ब्रिटेन की सुरक्षा पर बहस करना उचित समझा था। और स्वगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि राष्ट्रीय उद्देश्यों के सन्दर्भ में, युद्ध, शान्ति और सुरक्षा की समूची स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सत्तारूढ़ दल के भी कुछ सदस्यों ने अन्ततः स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था और यह स्थगन प्रस्ताव ग्रेट ब्रिटेन की समस्त युद्ध और रक्षा नीति में परिवर्तन लाने में एक ऐतिहासिक और युगान्तकारी घटना बन गया था। अतः जब बम फेंके जा रहे थे, जब बम फट रहे थे उस युद्ध के वातावरण के दौरान भी युद्ध और रक्षा की समस्याओं पर चर्चा करने का उन्होंने बहुत बड़ा खतरा उठाया था। महोदय, संसदीय लोकतन्त्र की यह अवधारणा, वह वातावरण और इस प्रकार की परम्पराएं हैं।

मुझे हर्ष हो रहा है कि उन भव्य प्रजातान्त्रिक परम्पराओं का पालन करते हुए आपने इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और आप हम पर इस बात के लिए निर्भर कर सकते हैं कि आपने जो आरम्भ में यह अपील की है कि हम एक ऐसी स्थिति में हैं, ऐसे संकट के दौर से गुजर रहे है कि हमें समस्या का समाधान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए, अर्थात हमें इस चर्चा से पक्षपातपूर्ण लाभ नहीं उठाना चाहिए और इसलिए मैं उसी सन्दर्भ में कुछ मामले उठाने का प्रयास करूंगा।

जहां तक पंजाब और हरियाणा की समस्याओं का सम्बन्ध है, इसमें सन्देह नहीं कि इस बारे में प्रशासन को कुछ कदम उठाने होंगे ; सरकार को एक निश्चित नीति अपनानी होगी और हमें भी जनता के स्तर पर कार्य करना होगा।

महोदय, यह गांधी जी की भूमि है। आपको स्मरण होगा कि विभाजन से पहले विभाजन के दौरान और विभाजन के पश्चात इस देश को विनाश का तांडव देखना पड़ा था। यह हमारे युग की बहुत ही दुःखद त्रासदी थी जब कि हिन्दू और मुसलमानों ने एक दूसरे की हत्यायें की। नोआखली जल रहा था, कलकत्ता जल रहा था और पंजाब और दिल्ली भी जल रहे थे। उस समय उन्होंने हमे क्या सिखाया था? उस समय केवल प्रसासनिक कार्यवाही की ही बात नहीं कही गई थी। किन्तु इस देश में गांधी जी जैसे महान पुरुष जिन्होने नोआखली में शान्ति की शक्ति का प्रदर्शन किया था। जब हम सब ने मिलकर 15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्रता दिवस मनाया और जब नेहरू जी के शब्द गूंज-गूंज कर कह रहे थे कि आज जब आधी रात को समूचा विश्व निन्द्रामग्न होगा, भारत जागेगा और स्वतन्त्र होगा उस समय एक वृद्ध व्यक्ति कलकत्ता की गलियों में घूम-घूम कर जनता को शान्त करने का प्रयत्न कर रहा था, उनकी एक दूसरे की हत्या करने की वीभत्स इच्छा को शान्त करने का प्रयास कर रहा था। शांति का वह दूत इस प्रकार अपना कार्य कर रहा था। दिल्ली और बिहार की गलियों में क्या हुआ था? हमारे एक महापुरुष जवाहरलाल नेहरू थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे और जयप्रकाश नारायण थे। मिलकर बिहार की गलियों और दिल्ली की गलियों में घूमे। और पंडितजी अभी-अभी अपनी जवानी के जोश में कुछ लोगों के, जो एक दूसरे को मारने का प्रयास कर रहे थे, बीच में कूद पड़ते थे और उनको बताते थे कि इस घिनौने खेल को रोको। महोदय, दुर्भाग्य से आज के भारत में राष्ट्र के पास कोई गांधी नहीं है, प्रशासन के पास कोई नेहरू नहीं है और हमारे पास, विपक्ष के पास कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है। यह देश का दुर्भाग्य है यद्यपि आज राष्ट्र के पास कोई गांधी नहीं है, चाहे आज हमारे पास नेहरू नहीं है और हमारे पास जयप्रकाश नारायण नहीं है, फिर भी हम सब छोटे-छोटे लोग मिल कर महान राजनीतिज्ञों के स्तर को पहुंच सकते हैं और हम अभी भी देश को बचा सकते हैं। अतः हमें लोगों के स्तर पर कुछ समस्याओं का समाधान करना होगा।

इस समय मैं गांधी जी द्वारा बताये गए समझाने बुझाने के तरीके के औचित्य को सिद्ध करना चाहता हूं। इस समय गांधी जी के सचिव श्री प्यारे लाल द्वारा लिखित महान पुस्तक 'महात्मा गांधी, द लास्ट फेज' मेरे पास है। मैं इसमें से एक छोटा सा पत्र, जो उस समय के वायसराय लार्ड माउंटबेटन ने 26 अगस्त, 1947 को महात्मा गांधी को लिखा था, उदधृत करना चाहता हूं और उससे उस शक्ति का पता चलेगा जिसकी आज पंजाब के संकट के दौरान आवश्यकता है:

> "मेरे प्रिय गांधी जी, पंजाब में हमारे 55,000 सिपाही हैं और फिर भी बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे हैं। बंगाल में आपकी सेना में केवल एक व्यक्ति है, किन्तु वहां कोई दंगा नहीं हो रहा है। सेवारत अधिकारी और एक प्रशासक होने के नाते मैं इसे एक व्यक्ति की शक्ति की और इस सम्बन्ध में श्री सुहर्विदी, जो सेकिंड-इन-कमांडर थे, को न भूलते हुए, श्रद्धांजिल अर्पित करता हूं।"

माउंटबेटन ने यह बातें गांधी जी को लिखी थीं। जिन्होंने इस देश पर हथियारों और गोलियों और बन्दूकों की सहायता से 150 वर्ष तक राज किया था, उस व्यक्ति को भी भारत के इस नंगे फकीर की अहिंसा की शक्ति को मानना पड़ा था, क्योंकि भारत का यह नंगा फकीर इस देश का प्रतिनिधि था और वह देश की आध्यात्मिक शक्ति का, निर्भयता और साहस का प्रतीक था। वह इन सब गुणों का प्रतीक था। हमें भी उस धैर्य की आवश्यकता है, उस सहनशीलता की आवश्यकता है और यदि हममें वह गुण आ जाते हैं तो मेरा विचार है कि आज भी पंजाब और हरियाणा की समस्या से निपटा जा सकता है। महोदय, हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसा कब होगा।

महोदय, मैं इस बहस के दौरान इस बात पर बल देना चाहता हूं कि पंजाब की अनेक समस्याएं हैं—हरियाणा के साथ उसकी सीमा सम्बन्धी समस्या, राज्य क्षेत्र सम्बन्धी समस्याएं, नदी जल वितरण सम्बन्धी समस्याएं उनकी कुछ धार्मिक और कुछ गैर-धार्मिक मांगे हैं। किन्तु, महोदय मुझे यह कहने की अनुमति दी जाएं कि यह मांगें हिन्दू और सिख दोनों की हैं। मैंने अकाली दल की सभी मांगो को ध्यान से पढ़ा है। उनमें से कुछ स्वीकार की जाएंगी और कुछ को अस्वीकार किया जा सकता है। किन्तु यदि आप सभी माँगों को ध्यान से देंखे—यह मांगें जोकि क्षेत्रीय मांगें हैं और नदी जल विवाद सम्बन्धी मांगें हैं—हो सकता है यहां सदस्यों का इन विषयों पर मतभेद हो किन्तु यह विभाजन हिन्दू बनाम सिख के आधार पर नहीं होगा क्षेत्रीय समस्याएं—नदी जल विवाद की समस्याएं—मैंने देखा है कि सभी पंजाबी यह मांगें कर रहे हैं, चाहे वह हिन्दू हो या सिख; यह क्षेत्रीय विवाद है, नदी जल सम्बन्धी विवाद है। सौभाग्य से, त्रिपक्षी वार्ता आरम्भ हुई थी और वह बड़े सही वातावरण में आरम्भ हुई थी। और मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि यह त्रिपक्षी वार्ता बड़े सही वातावरण में आरम्भ हुई थीं और मैं उनमें से एक हूं जो आज भी यह अनुभव करते हैं कि सत्तारूढ़ दल सहित सभी दल मिलकर सोच विचार द्वारा अकाली दल की कई माँगों पर मतभेद कम कर सके थे उनमें से अनेक धार्मिक मांगें थीं और इन माँगों की खास बात यह है कि अकाली दल द्वारा की गई सभी धार्मिक माँगें, चाहे वह सिखों की मांगों से सम्बद्ध हों अथवा न हों, सौभाग्य से वह हिन्दुओं की संवेदनाओं और भावनाओं के विरुद्ध नहीं जाती हैं। अतः अकाली दल द्वारा की गई सिखों की मांगों पर विचार करते हुए हिन्दू और सिखों में भेदभाव का दृश्य देखने को नहीं मिला। और उनकी गैर-धार्मिक मांगों की स्थिति क्या है? पंजाब को स्वायत्तता देने का प्रश्न भी था और हमने पंजाब के अकाली दल के मित्रों को बता दिया था कि स्वायतत्ता का प्रश्न और केन्द्र की तुलना में राज्यों को वित्तीय और गैर-वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन केवल पंजाब की ही समस्याएं नहीं हैं। यह समस्याएं अकाली दल की समस्याएं नहीं है, यह ऐसी समस्याएं है जिन्हें केन्द्र और राज्यों के बीच सामान्य सम्बन्धों के सन्दर्भ में देखा जाना होगा और इन प्रश्नों को एक आयोग को सौंप दिया जाए और सौभाग्य से उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था। मुझे खुशी है कि सरकारिया आयोग का गठन किया गया है। मुझे यह भी खुशी है कि इसके निर्देश-पदों को और व्यापक बनाया गया है और यदि कुछ संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी यो अब सरकारिया आयोग को इस बात के लिए भी आवश्यक प्राधिकार और शक्ति दे दी गई है कि वे आवश्यक संवैधानिक संशोधन करने के लिए संविधान में परिवर्तन के लिए आवश्यक स्थितियों की भी सिफारिश कर सकता है।

इसके अतिरिक्त नदी जल के विवरण का प्रश्न भी है। इसमें सन्देह नहीं कि इस सम्बन्ध में कुछ उलझनें हैं, कुछ संघर्ष हैं किन्तु हम अकाली दल को आम तौर पर यह समझा सकते हैं कि एक ऐसे अधि-नियम की व्यवस्था करना बेहतर होगा जिसके अन्तर्गत हम समूची समस्या न्यायाधिकरण को सौंप सकें और इस प्रकार मामले को सदभावना से सुलझाया जा सकता है इस बीच नहर की खुदाई का काम जारी रखा जा सकता है। जहां तक विभिन्न राज्यों में जल के बंटवारे का प्रश्न है, हमें इस सम्बन्ध में भी कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना चाहिए और हमने इस बारे में भी काफी प्रगति कर ली है। इसके पश्चात क्षेत्रीय प्रश्न की बात आती है। इसके लिए भी मैं यह अनुभव करता हूं कि यदि दोनों ओर से सदभावना मिलेगी तो समस्या का समाधान किया जा सकता है। चन्डीगढ़ की स्थिति क्या होनी चाहिए यदि चन्डीगढ़ पंजाब को दिया जाता है तो शेष क्षेत्र का क्या होगा? और हमने अकाली दल के अपने मित्रों को यह स्पष्ट बता दिया है कि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करते हुए जिस प्रकार हमें पंजाब के साथ न्याय करना हैं, उसी प्रकार हरियाणा के मामले में भी न्याय करना होगा और यदि इस समस्या का समाधान सदभावनापूर्ण ढंग से हो जाता है तो इसी प्रकार हम क्षेत्रीय समस्या का भी शान्तिपूर्ण ढंग से

समाधान कर सकते हैं और उस समस्या का भी समाधान सम्भव होगा।

महोदय, कुछ धार्मिक मांगें थीं। शुरू में तो वे इस बात पर बल दे रहे थे कि **गुरुवाणी कीर्तन** अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर से प्रसारित किया जाना चाहिए।

और सभी लोगों ने मिलकर उन्हें समझाया कि यदि किसी एक पूजास्थल से हम किसी प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रयास करते हैं तो यह एक बुरी मिसाल होगी। और इसीलिए, अन्ततः वे यह पहले ही स्वीकार चुके हैं कि आकाशवाणी के जालन्धर स्टेशन से **गुरुवाणी कीर्तन** प्रसारित किया जाए। केवल समय निर्धारित करने के बारे में थोड़ा-सा मतभेद था। यहां तक कि वह समस्या भी हल कर ली गई थी।

अतः कुल मिलाकर समझौते का क्षेत्र बढ़ा दिया गया था और असहमति का क्षेत्र संकुचित हो गया था। यही परम्परा जारी रखी जाए और तब तक जारी रखी जाए जब तक इसका सुखद अन्त न हो क्योंकि हम इस समस्या पर और झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसीलिए हम अकाली दल से निवेदन करते हैं कि वह एक ऐसा कदम उठाए परिप्रेक्ष्यजन्य रास्ता भी अपनाए जो कि उनकी सामान्य मांगों और उनके मामले की न्यायशीलता के समनरूप हो।

इसके बाद एक और पहलू है जिसका मैं स्पष्ट उल्लेख करूंगा और वह हैं पँजाब में हिंसा का नंगा नाच और उसके बाद जो कुछ हरियाणा में हो रहा है। मेरे एक सहकर्मी, श्री मनीराम बागड़ी ने ने एक बार बड़े ही सुन्दर ढंग से एक विचार रखा था। सामान्यतया, उनका सौन्दर्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु उन्होंने अपना मत वास्तव में बड़े ही सुन्दर ढंग से रखा। एक अवसर पर श्री बागड़ी ने कहा है कि जो कोई भी गुरुद्वारे को नष्ट करने का प्रयास करता है, उसे यह अनुभव करना चाहिए कि वह हिन्दू मन्दिर को नष्ट कर रहा है और जो कोई हिन्दू मन्दिर को अपवित्र करने का प्रयास करता है उसे यह अनुभव करना चाहिए कि वह वास्तव में गुरुद्वारा-मन्दिर को नष्ट कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता के अन्तर्गत हिन्दुओं के हितों की और सिखों के हितों की रक्षा एक समान करनी होगी। परन्तु दुर्भाग्य से आज हमें एक दुःखद तमाशा देखने को मिलता है। किसी धर्मनिरपेक्ष समाज में, दुःख और सुख को आपस में बटाया जाता है। पंजाब और हरियाणा की त्रासदी हमारे लिए दुःखद होते हुए भी वह धार्मिक मुद्दों पर विभाजित लगती है। गांधीजी के भारत की यह घोर त्रासदी है कि अब तक जनता का दुःख भी निष्ठा के आधार पर विभाजित होना चाहिए। यह समाप्त होना चाहिए। हमें दुःख और सुख में सहभागी होना चाहिए। अतः, मुझे कहना चाहिए कि आज अकाली दल जिस एक कठिनाई में पड़ा हुआ है, वह है, श्री भिंडरावाले के कथनों और अकाली दल की नीतियों के बीच मुख्य संघर्ष। मैं अकाली दल के अपने मित्रों को बहुत ही दृढ़तापूर्वक यह बता देना चाहता हूं कि जब तक आप भिंडरावाले को अकाली दल की नीतियों और उद्घोषणाओं में दखलअंदाजी और उसके महत्व को कम करने से नहीं रोकते तब तक आपके लिए समस्या का हल निकालना असम्भव रहेगा और इसलिए आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए। यहां, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि भिंडरावाले कैसी बातें कर रहा है, वह कौन-सा तरीका अपना रहा है और वह कैसी घोषणाएं कर रहा है। इससे वास्तव में अकाली दल के नेताओं के सभी कथनों पर पानी फिर रहा है। मेरे पास जनता पार्टी के नेता श्री जार्ज फर्नान्डीस और अकाली दल के नेता संत लोंगोवाल के बीच हुए पत्र-व्यवहार की प्रतियां हैं। मैं आपको और अकाली दल के नेताओं को यह बता देना चाहता हूं, कि अपने पत्र-व्यवहार से आप जो भी आश्वासन और संदर्श दे रहे हैं, उन्हें श्री भिंडरावाले नष्ट-भ्रष्ट करते चले जा रहे हैं। आज उसकी क्या स्थिति है ? मैं आपको और अकाली

दल के अपने मित्रों को बता देना चाहता हूं कि हो सकता है आपका कोई स्वयं का संगठन हो और अपने संगठन में आपकी महत्ता हो परन्तु श्री भिंडरावाले का रवैया यह है कि श्रीमन लोंगोवाल जी आप संस्था के विधिवत अध्यक्ष तो हो सकते हैं, परन्तु वास्तव में शासन तो मेरा ही चलेगा। श्री भिंडरावाले यही रवैया अपना रहे हैं। और पंजाब सरकार और केन्द्रीय सरकार को भी श्री भिंडरावाले बता रहे हैं कि आप चाहे दिल्ली में राज्य कर रहे हों और आप चाहे पंजाब में राष्ट्रपति शासन चला रहे हों, वह तो आपकी कानूनन स्थिति है, परन्तु वास्तव में तो मैं पंजाब पर और अन्य भागों पर शासन करना चाहता हूं। वह इसी रवैये को कार्यरूप दे रहे हैं। और जो कुछ अकाली दल कहता है वे उसका विरोध करते हैं। मैंने अभी-अभी आपको बताया है कि श्री जार्ज फर्नान्डीस और श्री लोंगोवाल के बीच पत्र-व्यवहार हुआ था। मैं केवल दो पत्र उद्धृत करूंगा जिसमें आप पाएंगे कि हिंसा, एकता और भारत की अखण्डता के बारे में अकाली दल के नेता संत लोगोंवाल ने जो भी स्पष्ट उद्घोषणाएं की हैं, उन्हें भिंडरावाले की कार्यवाही और उद्घोषणाओं द्वारा चुनौती दी जा रही है। श्री जार्ज फर्नान्डीस को 3 अगस्त, 1982 को लिखे गए अपने एक पत्र में संत लोंगोवाल कहते हैं :

> "इस कथन को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि अकाली दल सदैव राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव और देश की अखण्डता और एकता के पक्ष में रहा है। अकाली दल के संघर्ष का सदैव यह इतिहास रहा है कि इसका मोर्चा शान्तिपूर्ण और अहिंसक रहा है। और वर्तमान संघर्ष में अकाली दल इसे परम्परा को बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करेगा।"

मैं अकाली दल के अपने मित्रों से यह पूछना चाहूंगा—श्री जार्ज फर्नान्डीस को लिखे गये पत्र में उनकी उद्घोषणाओं का पूर्णतया स्वागत है—क्या श्री भिंडरावाले की कार्यवाही उद्घोषणा अनुरूप है ? इसके अलावा, श्री बादल जी 18-8-82 को श्री जार्ज फर्नान्डीस को जो कुछ लिखते हैं वह इस प्रकार है :

> "मैं आपको एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि हमारी कोई भी मांग किसी भी धर्म के विरुद्ध या अपने प्रिय देश, जिसके लिए कोई भी बलिदान देने के लिए हम सदैव तत्पर हैं, के विरुद्ध नहीं है।"

अतः, महोदय, मैं आपके माध्यम से, अकाली दल को यह बता देना चाहता हूं कि उन्हें इस तथ्य के प्रति सजग होना चाहिए कि भिंडरावाले जो कुछ भी करते रहे हैं—और जो वास्तव में अमृतसर के स्वर्ण-मन्दिर में छुपा बैठा है— वह भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में अपने मित्रों को दिए गये उनके आश्वासनों से मेल नहीं खाता है और जब तक श्री भिंडरावाले से आप पूर्णतया नाता नहीं तोड़ लेते हैं, तब तक उनके लिए अपनी छवि को फिर से चमकाना या बनाए रखना सम्भव नहीं होगा और देश की गैर-सिख और गैर-पंजाबी जनसंख्या को वह यह विश्वास नहीं दिला पायेंगे कि वे पूर्णरूपेण धर्मनिरपेक्ष पथ का अनुसरण करने को तैयार हैं।

जहां तक त्रिपक्षीय बातचीत का सम्बन्ध है, कुछ सीमा तक उससे मतभेद कम हुए हैं। कुछ मतभेद त्याग भी दिए गए होंगे। परन्तु यह जरूरी नहीं है कि वे मतभेद अकाली दल और सरकार के बीच हों। वे मतभेद अन्य दलों के बीच में भी हो सकते हैं, यहां तक कि विपक्षी दलों के बीच भी जो कि गैर-अकाली दल हैं। वे मतभेद मिटाये जा सकते हैं। इसमें कठिनाई क्या है ? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अभी तक

सम्पन्न हुई सभी त्रिपक्षीय वार्त्ताओं में भाग ले चुका हूं, वार्ताओं की निकट से जांच-पड़ताल के बल पर आपको बता सकता हूं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि त्रिपक्षीय वार्ताओं की सफल परिणिति में दो प्रकार की कठिनाइयां हैं। एक ओर तो अकाली दल की ओर से जो लोग बातचीत में भाग लेने के लिए आते हैं वे अन्तिम निर्णय लेने के अधिकारी नहीं होते हैं। अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार किसी और ही के पास होता है। हर समय वे इस सच्चाई के प्रति सजग रहते हैं कि हो सकता है वे किसी समझौते पर पहुंच जाएं, परन्तु जब वे अमृतसर पहुंचेंगे तो सम्भवतः उसे नकार दिया जाए। उनके मन यह भय निरन्तर बना रहता है। दूसरी ओर, उनके अन्य लोगों के बारे में क्या स्थिति है जो सत्तारूढ़ दल की ओर से वार्ता में भाग लेने आते हैं? निस्सन्देह: गृह मन्त्री महोदय आते हैं। मैं गृह मन्त्री महोदय के अधिकार को कम नहीं करना चाहता हूं। वह तो शान्त दिखाई देने वाले और शान्ति से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। संसदीय कार्य मन्त्री भी उसमें होते है। सत्तारूढ़ दल का नेता और दूसरे सदन में सदन का नेता भी वहां पर उपस्थित होता है। परन्तु समस्या यह हैं कि जब तक बातचीत में प्रधान मन्त्री महोदया भाग नहीं लेती हैं तब तक उन्हें यह पूरा भरोसा नहीं होता है कि क्या इसे प्रधान मन्त्री महोदया की स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी। अतः, यह कहीं अधिक अच्छा है कि कम से कम प्रारम्भिक बातचीत में, जब कभी भी कोई समझौता तैयार किया जाता है तो इसे त्रिपक्षीय वार्ता—जिसमें हम भाग लेते हैं और निस्सहाय से इन लोगों की ओर देखते हैं, पर छोड़ने के बजाय, क्या गृह मन्त्री महोदय प्रधान मन्त्री महोदया से स्वीकृति लेंगे और क्या श्री बादल श्री लोंगोवाल से पूर्ण आदेश लेकर स्वयं प्रधान मन्त्री महोदया श्री लोंगोवाल के साथ बैठकर समस्या का कोई सम्यक् हल निकालने का प्रयास करेंगे। समस्या को हल करने का यही एक रास्ता है, त्रिपक्षीय वार्ता से यह हल होने वाली नहीं है। पंजाब में उग्रवादियों और सम्प्रदायवादियों की कुछ गतिविधियां चल रही हैं। उग्रवादी व्यक्तिवादी आतंकवादी कार्यवाहियों में लिप्त हैं। कोई हत्या—सूची (हिट लिस्ट) तैयार की गई है। लोगों की सामूहिकरूप से हत्या की जा रही है। दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही हैं। यह तो है उग्रवादियों की हिंसा। निस्सन्देह, बड़े पैमाने पर। सामूहिक हिंसा आरम्भ नहीं हुई है। यह यहां-वहां फैली हुई है और इसमें व्यक्ति-विशेष का ही आतंकवाद है। वह भी विशाल पैमाने पर हिंसा के समान या उससे कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि सामूहिक हिंसा में तो कम से कम, जब भीड़ आती है तो आपको पता चल जाता है कि भीड़ आ रही है। परन्तु जब मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं या जब मैं बाजार को जा रहा हूं तो कोई मुझे गोली से उड़ा देता है। यह एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी है। अतः, आतंकवादी व्यक्तिवादी कार्यवाहियां की जा रही हैं। कुछ लोग मन्दिर में डेरा डाले हुए हैं। मेरे विचार से यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि मन्दिर एक पवित्र स्थल होता है। चाहे यह मन्दिर हो या मस्जिद अथवा चर्च या कोई गुरुद्वारा, कोई भी पूजा-स्थल राष्ट्र-विरोधी और अपराधी तत्वों के छुपने का स्थान नहीं होना चाहिए। उनको राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी सभी प्रकार की गति-विधियों से पूर्णतया अलग रखा जाना चाहिए।

और फिर हम देखते हैं कि जब-जब ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो वहां एक विशेष प्रकार का वातावरण सभी जगह पैदा किया जा रहा है और दोनों ओर कुछ सम्प्रदायवादी सक्रिय हैं। 'सम्प्रदाय-वादी' का सर्वदेशीय अस्तित्व। फिर चाहे यह हिन्दुओं में हो सिखों में हो या मुसलमानों में हो। 'दुनिया के सम्प्रदायवादी एक हों' यह एक नारा है। मार्क्स ने कहा था कि 'दुनिया के मजदूरो एक हो।' परन्तु विश्व के सम्प्रदायवादी एक हो जाते हैं, उग्रवादी, समाज-विरोधी तत्व सभी मिलकर एक हो जाते हैं।

मैंने स्वयं भी पंजाब का दौरा किया है। मैं अमृतसर और पटियाला गया और वहां लोगों की

दुर्दशा देखी। मैं हरियाणा में पानीपत भी गया और बड़े ही दुःख की बात है कि गांधी के इस देश में चार गुरुद्वारों को जलाकर राख कर दिया गया। सिखों को कत्ल कर दिया गया और चार गुरुद्वारों को पूर्णतया जलाकर राख कर दिया गया था। हम कुछ अधिकारियों से मिलने गए और उन्होंने बताया कि "हम नहीं जानते कि कौन मारे गए हैं क्योंकि उन्हें पहचाना नहीं जा सका।" उन्होंने समग्र स्थिति को कम करके दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने हमें ऐसा विचार देने का प्रयास किया जैसे कुछ भी गम्भीर नहीं घटा है। परन्तु जब वास्तब में हम गुरुद्वारों में गए और वहां विनाश को देखा तो हम यह समझ पाये कि वास्तव में क्या कुछ घटना घटी है।

मेरे पास भेजी गई तार का पाठ है।

> "हरियाणा राज्य में पानीपत में 19 फरवरी को 4 गुरुद्वारे जला दिए गए थे और वास्तव में 8 सिख मार दिए गये थे।"

जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और पुलिस गुरुद्वारे के निकट गई तो उन्होंने कहा आप सिखों से लड़े। गुरुद्वारों की रक्षा हम करेंगे। और जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो उन्होंने पाया कि भीड़ ने पूरी तरह से गुरुद्वारे को जला दिया था। मैं वहां गया और देखा कि ग्रन्थ साहिब जलकर राख हो गया है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। अधिकारियों ने अभी तक मृत व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं की है। लेकिन हमने इन सभी आठ व्यक्तियों की पहचान कर ली थी। हम उन परिवारों के पास गए जिनके रिश्तेदार मारे गए थे।

यह घटना 19 फरवरी को पानीपत में हुई। 16 फरवरी को सिंह साहेब, पानीपत के प्रैजीडेंट ने निम्नलिखित तार भेजा था। यह तार प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री तथा लोंगोवाल को संबोधित की गई थी। यह तार गुरुद्वारों को जलाने से तीन दिन पूर्व भेजा गया था।

दिनांक 16 फरवरी के तार के पाठ का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है:

> "पन्द्रह फरवरी की सुबह से ही पानीपत में सिखों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। स्थिति अत्यन्त खराब है। गुरुद्वारे सहित जान और माल खतरे में है। पुलिस तथा स्थानीय प्राधिकारी निष्क्रिय तथा स्थिति नियन्त्रण करने में अकुशल। कृपया शीघ्र हस्तक्षेप करें तथा कार्यवाही करें और लोगों के प्राणों की रक्षा करें।"

गुरुद्वारों को जलाने से तीन दिन पूर्व यह तार दिया गया था। लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और गुरुद्वारों को जलाने के बाद भी जब हम स्थानीय प्राधिकारियों के पास जाते हैं तो वे हमें बताते हैं "हम अभी तक मारे गये व्यक्तियों के नामों का पता नहीं लगा सके हैं।" दरबारा सिंह को पंजाब से हटा दिया गया है। मुझे नहीं मालूम है कि पानीपत तथा अन्य स्थानों में क्या हुआ है। भजन लाल इसमें किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? न तो भजन लाल और न ही दरबारा सिंह जैसे व्यक्ति इस स्थिति को संभाल सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार को समूची समस्या के दीर्घकालिक समाधान का पता लगाने के बारे में प्रयास करने पड़ेंगे। यदि वह ऐसा कर सकते हैं तो यह समस्या हल हो सकती है।

निष्कर्ष के रूप में मैं कहूंगा कि कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र को

दृढ़ता और लचीलेपन दोनों की जरूरत है और हरियाणा की न्यायोचित आकांक्षाओं में बिना बाधा डाले पश्चिम पंजाब के मसले को वास्तव में हल करने के लिए लचीलेपन की जरूरत है और मुझे विश्वास है कि यदि यह किया जाता है तो हम ऐतिहासिक सिख-हिन्दू एकता को सुरक्षित रख सकेंगे जो पंजाब और हरियाणा ने मिलकर प्रदर्शित की है और जो इन्होंने विदेशी हमले के खिलाफ भारत के बचाव के लिए कवच के रूप में प्रदर्शित की है।

हम पंजाब से वही भूमिका दोबारा निभाने के लिए कहते हैं और हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारी सरकार ठोस कार्यवाही करेगी, इस मामले में पहल करेगी तथा प्रधानमन्त्री तथा संत लोंगोवाल समाधान ढूंढने के लिए बैठक करेंगे और इस प्रक्रिया में हम विपक्ष की ओर से आश्वासन दिला सकते हैं कि जैसा भी वातावरण उत्पन्न किया जाना है और बनाये रखना है हम अपने जीवन की अन्तिम सांस तक शान्ति, एकता और सौहार्द के वातावरण को बनाए रखने के संघर्ष को जारी रखेंगे क्योंकि यह गांधीजी की भूमि है जिन्होंने धर्म-निरपेक्षता की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किया और प्राणोत्सर्ग किया।

(संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री श्री बूटा सिंह) : मैं प्रो० मधु दंडवते और सभा से भी कर जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं। अपने भाषण के बीच में प्रो० मधु दंडवते ने एक वाक्य कहा है जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है यदि यह समाचार-पत्र में प्रकाशित होता है और वह वाक्य है गुरु ग्रंथ साहिब का जलाया जाना। निःसन्देह उन्होंने तथ्य बताया है। मैं तथ्यों को गलत नहीं बता रहा हूं। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि यह प्रकाशित होता है तो इससे पूरे देश में व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

प्रो० मधु दंडवते : शान्ति के हित में आप जो कुछ कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहते हैं, वह आप निकाल दें। यदि आप मेरे पूरे भाषण को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल देना चाहते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, माफ कीजिए। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं अपने भाषण में इस बात का उल्लेख करने वाला हूं कि अमृतसर स्टेशन पर स्वर्ण मन्दिर का जो रैप्लिका लगा हुआ था वह उपद्रवकारियों ने तोड़ दिया, सन्त रामदास के चित्र का अपमान किया। ये बातें सारी दुनिया को पता हैं। इस संसद में उल्लेख करने से ज्यादा आग लगने वाली नहीं है, जो लगनी थी वह लग गई है। पानीपत ने गुरुद्वारे में गुरु ग्रन्थ साहब को जलाया गया है यह बात कहनी होगी। पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा।

श्री बूटा सिंह : मैं तथ्यों से इन्कार नहीं कर रहा हूं। इस में पर्दा डालने की कोई बात नहीं है, लेकिन जिन जगहों पर खबरें नहीं गई हैं, वहां रिपरकशन ज्यादा होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम प्रेस के मित्रों पर निर्भर करें और यह बात प्रेस पर छोड़ दें।

आचार्य भगवान देव : फिर हमें भी इन की पार्टी के लोगों के बारे में उल्लेख करना पड़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रेस परिषद एक आचार संहिता बना चुकी है और उन्होंने पूजा के किसी विशेष स्थान का उल्लेख न करने का निर्णय किया है। वे स्वतः इसको देख लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं समाचार-पत्रों से इस विशेष हिस्से का उल्लेख न करने की अपील करता हूं।

बाकी करते रहें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अगर बुरे काम की निन्दा की है तो वह आनी चाहिए।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब-हरियाणा की स्थिति पर आज चर्चा की जा रही है। वास्तव में यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है और इस कारण, जैसाकि प्रो० मधु दण्डवते ने ठीक ही कहा है, इस को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में निष्पक्ष रूप से देखना होगा और विचार करना होगा। जिस तरीके से प्रो० मधु दण्डवते ने इस सन्दर्भ में कुछ मुख्य बातों का उल्लेख किया है। मुझे वह सुनकर बहुत खुशी है मैं इस विशेष स्थिति को प्रभावित करने वाले तीन मुख्य कारणों का उल्लेख करूंगा।

प्रारम्भ में मैं अकाली दल के दृष्टिकोण और कार्यकरण को लेना चाहता हूं। बहुत से उच्च नेताओं के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और पूरे सम्मान से मेरे विचार से उनका दृष्टिकोण नकारात्मक रहा है। यह खेद की बात है। लेकिन तथ्यात्मक रूप से तथा व्यावहारिक रूप से भी पूरे देश में यह रवैया नकारात्मक है और मेरे विचार से सीमा पर स्थित संवेदनशील पंजाब राज्य के सम्बन्ध में कोई दीर्घकालिक समस्या के अनुरूप नहीं है। अकाली दल को कुछ प्रश्न ध्यान में रखने चाहिए जो मैं उठाना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है : आप मामले की तह में क्यों नहीं जाते ? इधर-उधर की बातें करने से क्या लाभ है ? आनन्दपुर साहब का संकल्प 1973 में पारित हुआ था और उसमें मांगें की गयीं। ये मांगें अनेक बार अखबारों में आ चुकी हैं। यह आश्चर्य की बात है कि 1973 तक सत्ता में होने के बावजूद और बाद में जनता पार्टी के साथ केन्द्र में भी तथा पंजाब में विधान सभा में भी जब सत्ता में रहने के बावजूद अकालियों ने इस मामले को नहीं उठाया। यह हैरानी की बात है। यदि कोई बात आपकी अन्तर्रात्मा को कचोटती है और यदि आप महसूस करते हैं कि कोई बात उचित है और इस स्वतन्त्र देश में आपका अधिकार है तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि आप अपनी बात को क्यों न कहें और जब कि आप ऐसा करने की पूरी स्थिति में हो ? यह आसान है। इस सभा में उदाहरणार्थ प्रतिदिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर चर्चा की जाती है। पंजाब की विधान सभा में यही बात होती है। यह भारत के संविधान के प्रति उपयुक्त, अच्छा, स्वतन्त्र और लोकतन्त्रात्मक विकल्प है। लेकिन उनके पास पूरे अवसर होने पर भी उन्होंने कार्यवाही नहीं की थी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शायद विधान सभा अथवा लोक सभा अथवा राज्य सभा में सम्बन्धित सदस्य उनके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे और उस बात का समर्थन नहीं करेंगे जो कुछ वे कह रहे हैं। यह बात मैं मानता हूं। लेकिन कम से कम वे प्रयास कर सकते थे और अपनी बात रख सकते थे और वे कुछ ऐसा कर सकते थे जिस पर बाद वे ऐतिहासिक रूप से टिके रह सकते थे। लेकिन महोदय, यह नहीं किया गया था। आपको तथा इस माननीय सभा को निष्पक्ष रूप से यह निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि इस संगठन तथा पार्टी का दिमाग किस प्रकार से काम कर रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस मसले विशेष के सम्बन्ध में जनता पार्टी की सलाह में कमी रही है। यदि कोई बात थी तो इसे सामने लाया जाना चाहिए था और इसे तभी हल कर लेना चाहिए था। आप मिलकर अच्छी तरह रहे हैं। अत: यह एक छोटी बात है लेकिन इसका दायित्व इस सन्दर्भ में विपक्ष पर भी आता है।

मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक और विश्लेषणात्मक रूप से दोबारा स्पष्ट करता हूं कि कुछ मांगें सही हो गई हैं। आरम्भ में जो मांगें रखी गई थी उनके बाद में कटौती की गई। 45 मांगों में से घटकर यह 4 अथवा 5 मांगें रह गई और बाद में घटनाचक्र में परिवर्तन शुरू हुआ और इन मांगों में वृद्धि होती गई लेकिन वह एक अलग गाथा है। मुख्य मांगें, धार्मिक मांगें हैं। धार्मिक स्थलों सम्बन्धी मांगें माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा कई बार मान ली गई थीं। मुख्य मांगों के बारे में भी कहा गया था "हम इन पर कार्यवाही करेंगे।" छुटपुट बातों पर समायोजन किया जा सकता है। और इस तथ्य के बावजूद यदि मैं उल्लेख करूं कि ऐसी और इसी प्रकार की मांगों पर इस स्वतन्त्र देश भारत में विचार किया जाना चाहिए और इन्हें अन्य धर्मों पर भी लागू किया जाना चाहिए। अपने पूजा स्थल स्वर्ण मन्दिर से ही आप गुरुवाणी क्यों प्रसारित करना चाहते हैं? वैसा ही पारसियों के लिए अंगिमारी में क्यों नहीं किया जाता? इसका क्या कारण है? अन्य स्थानों में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? तथापि मैं यह कहूंगा कि माननीय प्रधान मन्त्री की विशाल उदारता और उनको सलाह देने वाले व्यक्तियों के कारण मांगों का यह हिस्सा मान लिया गया है। और ऐसा किया गया है। तत्पश्चात केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग स्थापित किया गया है। मैं कह सकता हू कि निःसन्देह, माननीय सभा को इसके विभिन्न पक्षों पर बाद में भी चर्चा करनी होगी। हां, फिर भी, यह स्वीकार किया गया है और यह भी एक संयोग ही है कि आयोग का अध्यक्ष एक सिख है।

इस समय स्थिति की वास्तविकता को देखना थोड़ा कठिन होगा। हमें इसकी जांच नहीं करनी चाहिए। मैं अब अगली बात पर आता हूं। इस मामले में, जल-विवाद के सम्बन्ध में एक निर्णय हुआ था। यहां भी इसे विचार-विमर्श करने के बाद स्वीकार किया गया तथा इस पर बातचीत भी हुई और इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय करने के लिए प्रस्तुत किया गया। सभी प्रमुख मांगें स्वीकार की जा चुकी हैं। किन्तु एक अन्य मांग है अन्य सरकारों के साथ परपरामर्श के बाद चंडीगढ़ पर भूमि-विवाद के प्रश्न पर चर्चा करना। यहां मुझे आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना होगा। श्रीमन् एक पंजाबी होने के कारण और अपनी तरुणावस्था से ही इसके बारे में पूरी तरह परिचित होने के कारण मैं सदन के सामने यह बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का आधार कहां पर है जिसे हम इधर-उधर खींचते रहे हैं। इस विषय पर विभिन्न आयोग और एवार्डस् रहे हैं। और विधि परक दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से इस विषय पर तर्क-वितर्क का कोई अन्त दिखाई नहीं देता है।

स्थिति कुछ इस प्रकार की है। सबसे पहले चण्डीगढ़ को लीजिए। एक समय लाहौर पंजाब की राजधानी हुआ करता था और जैसा कि आप सभी जानते हैं उस समय का पंजाब बड़ा पंजाब था। और पाकिस्तान के मामले में क्या हुआ था कि लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया था तथा बाद में लाहौर के बदले में हमें चण्डीगढ़ दिया गया था। यह हमारे पास किस प्रकार आया? यह हमारे पास उस समय आया था जब तीनों भाई एक साथ रहते थे। पंजाबी, हरियाणवी, हिमाचली यह तीनों भाई एक साथ रहते थे। पलवल से लेकर लाहौल-स्पीती तक पंजाब ही था। मैं उस गलती को नहीं भूल सकता जिसके कारण मेरी राय में, उन्हें अलग-अलग किया गया। तीनों भाइयों को अलग-अलग किया गया। मैं चाहता हूं कि ऐसा न हुआ होता। फिर भी ऐसा हो चुका है और हमें इसे एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना होगा। तीनों भाइयों को लाहौर के बदले में चण्डीगढ़ दिया गया था। एक भाई यानी हिमाचल प्रदेश को राजधानी के रूप में, बहुत अच्छा स्थान-शिमला दिया गया था। अतः चण्डीगढ़ के ऊपर उस भाग का कोई अधिकार नहीं रहा, वास्तविकता में, बाकी दो भाई ही बचे। इन दो भाइयों की लाहौर और उससे भी आगे सम्पत्ति थी। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है? मैं भूतपूर्व सैनिकों---फौज

सरदारों के 400 परिवारों को गिना सकता हूं, जिनके मौंटगोमरी, सरगोधा, मुल्तान जिले और अन्य स्थानों पर मुरब्बे और अन्य भू-सम्पत्तियां थीं। उनका लाहौर और अन्य स्थानों पर व्यापार था। सर छोटूराम, सर सुन्दर सिंह, खिजीर हयात, गोकुल चन्द नारंग सभी एक साथ थे। यह एक संयोग था कि चौथा भाई पाकिस्तान अलग हो गया था। शेष तीन भाई वर्तमान भारत में हैं। और चण्डीगढ़ लाहौर के बदले में दिया गया था। तीनों भाई एक साथ रहते थे। ऐसा अवसर आया कि तीनों भाई अलग-अलग हो गए हैं और अब एक भाई कहता है कि 'यह सब मेरा है।' यह बात उचित नहीं है। लोंगोवाल तथा अन्य व्यक्तियों से क्षमायाचना सहित मैं कहूंगा कि यह उचित नहीं है। कौन ठीक है और कौन गलत? मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि एक भाई का हिस्सा अधिक है क्योंकि उसकी तरफ की जन-संख्या अधिक थी। हां, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, किन्तु आप छोटे भाई हरियाणा, जिसका भी वहां हिस्सा था, की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद एवार्डस् पद्धति का आरम्भ हुआ। यहां मुझे स्मरण है कि अन्तिम एवार्ड पद्धति एक अलग किसम की थी। दोनों भाई मिलजुलकर कार्य कर रहे थे। और माननीया प्रधानमन्त्री द्वारा यह एवार्ड दिया गया था कि चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तथा अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को दिए जाएंगे। यह एक प्रकार का एवार्ड था। इसके बाद झगड़ा फिर शुरू हो गया। मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सन्त फतेह सिंह, जो एक बार अपना आत्म-दाह करने के लिए तैयार हो गए थे, के निधन के बाद यह अवार्ड आया था। क्या आप जानते हैं? तब अकाली उच्च कमान बहुत प्रसन्न हुई थी। और दीप माला जलायी गई। बहुत खुशियां मनाई गई सन्त फतेह सिंह स्थान-स्थान पर यह बात कहते फिर रहे थे "हां, मैं हाल ही में गंगानगर गया था। रास्ते में मैंने देखा कि फाजिल्का और अबोहर किस प्रकार का इलाका है। यह सारा रेगिस्तानी इलाका है। अतः हम बहुत प्रसन्न हैं।" और अब, अकालियों को देखो, वह चण्डीगढ़ के साथ अबोहर-फाजिल्का भी चाहते हैं तथा भाई चारे की भावना बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं। नहीं, नहीं यह उचित नहीं है। मेज पर आकर चर्चा कीजिए। और जो भी निर्णय हो, उसे ठीक समझिए।

अतः सभा के सामने मेरा तर्क यह है कि यह सम्पत्ति दोनों भाइयों की है और अकाली उच्च कमान से मेरा यह अनुरोध और अपील है कि वे मेरे इस मुद्दे पर विचार करें। जहां भी मैं गलत हूं। आकर मुझे बताइए कि मैं यहां गलत हूं हमेशा कानूनी मुकद्दमों से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है और न ही इस तरीके से या उस तरीके से। हमारे रास्ते में सभी प्रकार के एवार्डस आए और इस झगड़े में सभी शामिल हो गए-पंजाबी, कांग्रेस (इ) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (पुरानी) भी इसमें शामिल हो गए तथा दूसरी ओर से अन्य कुछ लोग शामिल हो गए और उसके बाद दुर्भावना का वातावरण आरम्भ हो गया। आमतौर पर यही स्थिति है।

हमारी माननीया प्रधान मन्त्री ने जिस तरीके से अब तक इस स्थिति से निपटाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं, वह बहुत ही सहज और सही है। इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता था। मुझे बताइए आप और क्या करेंगे? आप एक राज्य को परेशान करना चाहते हैं तथा दूसरे को गलत तरीके से सन्तुष्ट करना चाहते हैं। नहीं, नहीं, यह गलत है। अतः जिस तरीके से इससे निपटा जा रहा है आपके सामने हैं और समय बीतने के साथ हमें इससे निपटना होगा।

जहां तक अकाली दल की कार्य प्रणाली का सम्बन्ध है—मेरा उनसे नम्र निवेदन है — मैंने यह अनुमान लगाया है कि वे पूरी तरह से आतंकवादियों के हाथों में खेल रहे हैं। क्या इसका कारण कोई अनजाना भय है? क्या मृत्यु का भय है? आप लोगों को मृत्यु का भय तो नहीं होना चाहिए। हजारों लोगों ने मेरे नेतृत्व में भारत माता के लिए बहुत-सी लड़ाइयों में लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए किन्तु

भारत के अन्दर किसी को भी नहीं आने दिया। इस बात में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। इन छोटी छोटी तुच्छ बातों पर आप नासमझी से लड़ना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। अतः उनसे मेरी अपील है कि उनको इस बात को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए और आतंकवादियों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। आतंकवादियों, उग्रवादियों, देश के भीतर और बाहर काम करने वाले खरीदे हुए एजेंट तथा अन्य बदमाशों के विषय पर मैं विस्तारपूर्वक बोल सकता हूं। वे उनके हाथों में खेल रहे हैं और वे नहीं जानते कि क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं प्रोफेसर दण्डवते की इस बात से सहमत हूं कि उनमें आपस में ही बहुत कशमकश है और लोंगोवाल गुट के पीछे बन्दूकें लगी है। खैर, इस समस्या का समाधान तो करना ही होगा। अब तक उनके साथ बहुत मित्रतापूर्वक तरीके से निपटा गया है। कुछ विपक्षी सदस्य पहले कहा करते थे कि आप इसके बारे में तत्काल कुछ क्यों नहीं करते हैं? इसके बारे में यह कुछ क्या है? डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जब यहां वापिस आए और प्रसन्नता-पूर्वक यह घोषणा कर दी कि भिंडरांवाले बहुत अच्छे व्यक्ति हैं! और उन कोठरियों (स्वर्ण मन्दिर परिसर) में कहीं कोई अपराधी नहीं था।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : वह चन्द्रशेखर जी के पीछे पड़े हैं और वह इसकी परवाह नहीं करते हैं।

एक माननीय सदस्य : और आप मोरारजी भाई के पीछे पड़े हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो : आप उन लोगों को गलत तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं और वाजपेयी जी के लोग—उनमें से कुछ—आप कोई बुरा मत मानिए—वे भी इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। मैं हरबंस लाल को जानता हूं। मैं अन्य लोगों को भी जानता हूं और 'कुर्सी' बनाए रखने के लिए आपको जो कार्य नहीं करने चाहिए थे उन्हें दबाने के लिए आपको समय चाहिए। अतः किसी दूसरे से अधिक अब पहल करने की आपकी जिम्मेदारी है।

हम सबको एक साथ काम करना होगा। अब मैं हिंसा के बारे में बताता हूं। श्रीमन्, केवल एक शब्द, उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। अनुच्छेद 25 के सम्बन्ध में, मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। शेष उसमें ही आ जाएगा। वह एक शब्द क्या है, श्रीमन्! यह भारत का संविधान है। जब यह प्रतिभावान व्यक्ति—प्रकाश सिंह बादल, बलवन्त सिंह जी, और अन्य व्यक्ति—विधानसभा अथवा यहां संसद में स्थान ग्रहण करते हैं, तो वे अध्यक्ष के सामने सुन्दर ढंग से तुतलाते हैं, "मैं संविधान के प्रत्येक शब्द का पालन करूंगा।" और अब देखिए। अब वह बात भुला दी गई है। आप एक शब्द का संशोधन करना चाहते हैं, हां, हां, कीजिए। आप विधान सभा में संकल्प लाइए यदि यह उस स्थान पर लागू होता है अथवा आप यहां लाइए। संविधान में इसके लिए प्रावधान मौजूद हैं। यह एक अलग मामला है कि दो तिहाई बहुमत मिलता है या नहीं। किंतु यह किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था है। किन्तु जीवन के सभी सिद्धान्त ताक पर रखकर अनुच्छेद को जलाना शुरू कर दिया गया है। मैं सोचता हूं, यह एक भयानक अपराध है। मैं कामना करता हूं, यदि वे इसे करना चाहते हैं, तो पद्धति थोड़ी अलग होनी थी। और इस प्रकार की चीज करने के लिए, और इस प्रकार का अपराध करने, जो एक गलत कार्य है और बहुत ही बुरा पूर्वोदाहरण है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के प्रसिद्ध अध्यक्ष गुरुचरन सिंह तोहरा जी को पहले त्यागपत्र देना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कहीं भी, कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं अनुच्छेद को जलाता हूं। यह गलत है और इसे किसी मानदण्ड पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय पर मुझे केवल यही कहना है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इन गलत तरीकों से अकाली दल तथा उनके सहायकों ने सिखों की प्रतिष्ठा को कम किया है और इसका मुझे दुख है। सिख बहुत शानदार व्यक्ति है और सबको उस पर गर्व होता था, चाहे वह कलकत्ता में हो, बम्बई, मद्रास अथवा किसी भी स्थान पर हो और लोग यह सोचते थे कि यहां सरदारजी हैं, यहां सरदार भाई हैं। उन्हें वहां पनाह मिल सकती है और वह उनकी खातिर लड़ सकता है और अब !

निगत्यां दी गल, निपत्यां दी पत,

निहासरयां दा आसरा

अब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और मेरे बुजुर्गों—अकाली दल के लोगों द्वारा विरोध की एक आवाज तक नहीं उठाई गई। अहिंसा की बात करना, फिर उस पर नियन्त्रण न करना और उसके लिए न लड़ना ? मेरे विचार में यह बहुत कायरता की बात है। महोदय अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या किया जाना चाहिए। विरोधी पक्ष के सदस्य कृपया मेरी बात ध्यान से सुने। यत्र तत्र अल्पकाल के लिए सत्ता को जीतने का रवैया छोड़ दिया जाना चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाए राज्यों में जो है उसको रहने दीजिए। प्रधानमन्त्री न केवल निर्भीक हैं अपितु विशाल हृदय वाली भी हैं आप आपस में चर्चा कीजिए और उसके बाद सहयोग दीजिए। आपके द्वारा मेरा अनुरोध प्रेस वालों को भी जाता है। आप सहयोग दीजिए जिससे कि यह देश अविभाजित रहे। थोड़ा बहुत मतभेद तो रहेगा ही। जहां तक मेरे साधारण प्रयासों का सम्बन्ध है देश की एकता को बनाए रखने के लिए यह जान भी चली जाए तो परवाह नहीं पर भारत हमेशा अविभाजित ही रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम संविधान के जलाए जाने की पूर्ण भर्त्सना करते हैं। 25 फरवरी को हमारे अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने श्री फर्नान्डीज के हाथ श्री लोंगोवाल को एक पत्र भेजा था जिसमें संविधान के जलाने का पूर्णतया विरोध किया गया और हम भविष्य में भी इसका विरोध करेंगे।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय पंजाब और हरियाणा में जो घटनाएं हाल ही में हुई हैं उनके सम्बन्ध में मैं बहुत खिन्न हृदय से बोल रहा हूं।

सबसे पहले तो मैं भारतीय संविधान के एक विशिष्ट पृष्ठ को जलाने के कार्य की भर्त्सना करता हूं। यदि संविधान के किसी अनुच्छेद के सम्बन्ध में वह सहमत नहीं है और अगर उसे वह परिवर्तित कराना चाहते हैं तो उसे जलाने से मसला हल नहीं होगा और न ही यह कोई तरीका है। उनके नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी प्रकार मैं यह महसूस करता हूं कि बंद के आह्वान से भी कोई समस्या सुलझ नहीं सकती। यह खुशी की बात है कि दिल्ली में उस दिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन ये गतिविधियां लोगों के मन में गहरा मतभेद पैदा करती है क्योंकि हमारा कर्तव्य केवल शारीरिक जख्मों को ही भरना नहीं है अपितु मानसिक दुखों को भी दूर करना है। ऐसी किसी भावना को बल नहीं दिया जाना चाहिए जिससे स्थिति और खराब हो। किसी भी दल को कोई गैरकानूनी काम नहीं करना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि स्थिति बहुत विकट है। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह ढूंढ़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या कभी सिखों और हिन्दुओं ने आपस में एक दूसरे को मारा है। जब मैं हरियाणा से पटियाला और करनाल गया तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह देखी कि वहाँ हिन्दू और

सिख एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और हरियाणा और पंजाब में कुछ स्थानों पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हमारा राष्ट्र एक है और मैं एकमत से यह कहता हूं कि हम अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हमें संगठित रहना चाहिए और हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हमारे विभिन्न धर्म हो सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत मामला है। चाहे कोई मस्जिद में जाए अथवा गिरजाघर में या गुरुद्वारे में या मन्दिर में जहां उसका दिल करे जाए, लेकिन यह एक अलग मामला है। यह बिलकुल एक व्यक्तिगत मामला है इसका देश की राजनीतिक गतिविधियों और देश की एकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा है कि मैं बहुत भारी मन से बोल रहा हूं।

हमें समस्या पर गौर करना होगा। माननीय सदस्य श्री स्पैरो ने जो कुछ कहा है मैंने उसे बहुत ध्यान से सुना है। माननीय सदस्य ने प्रधानमन्त्री को स्थिति का सही रूप से सामना करने के लिए बधाई दी है। लेकिन मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। लगभग तीन वर्षों से यह समस्या चली आ रही है और इससे ठीक प्रकार से न निपटे जाने से धार्मिक स्थानों को जलाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में जो कुछ हुआ है मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मैं जलते में घी नहीं डालना चाहता और न ही उसका स्पष्ट विवरण देना चाहता हूं। मैंने प्रधानमन्त्री को लिखा है और इसे देखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यह सरकार की ढुल मुल निष्क्रिय और टाल मटोल की नीति के कारण है और सम्पूर्ण देश को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्रिय मित्र श्री स्पैरो ने चण्डीगढ़ के बारे में बात की है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमन्त्री यहां हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अकालियों की मांगों के सम्बन्ध में कांग्रेस (आई) की क्या स्थिति है? श्री स्पैरो ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब का चण्डीगढ़ पर समान अधिकार है क्या यही सरकारी मत है? मैं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से निम्नलिखित पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं।

"पंजाब कांग्रेस (आई) का समस्याओं के सम्बन्ध में मत"

कांग्रेस की पंजाब यूनिट के एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसका नेतृत्व प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री आर० एल० भाटिया ने किया, आज केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक मामलों सम्बन्धी समिति के सम्मुख पंजाब की विभिन्न समस्याओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और यह अनुरोध किया कि त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान इन बातों को ध्यान में रखा जाए।

राज्य कांग्रेस की 'मांगों' और अकालियों की मांगों में अत्यधिक समानता है और ये मांगें भूत-पूर्व मुख्यमन्त्री, श्री दरबारा सिंह द्वारा जब वे पदासीन थे, प्रस्तुत की जा रही थी।

कांग्रेस की मांगें हैं कि चण्डीगढ़ तत्काल पंजाब को दे दिया जाए और अबोहर तथा फाजिल्का तहसीलें राज्य के पास रहें। जहां तक नदियों के जल का प्रश्न है, पंजाब कांग्रेस (आई) के विचार इस सम्बन्ध में अकालियों के समान हैं।

17.00

हरियाणा कांग्रेस (आई) का क्या मत है? समाचार पत्र में एक शीर्षक था—हरियाणा के कांग्रेस संसद सदस्यों द्वारा चण्डीगढ़ पर दावे का खण्डन आपकी पार्टी के हरियाणा के लोगों को पंजाब कांग्रेस पार्टी के लोग एक आंख नहीं सुहाते। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद दोनों यूनिटें आपस में लड़ रही हैं लेकिन केन्द्र सरकार का क्या विचार है। यह कैसे हो सकता है? श्रीमती इन्दिरा गांधी दल की

सर्वोच्च नेता हैं और अगर कोई पार्टी में रहना चाहता है तो ऐसी बातों के होते हुए कठिनाई होगी। आपका क्या कार्रवाई करने का विचार है ? यह एक अखिल भारतीय पार्टी है न कि एक क्षेत्रीय पार्टी। आपकी पार्टी का मत एक होना चाहिए···(**व्यवधान**)···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : राज्य के स्तर पर ऐसा हो सकता है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तानाशाही नहीं है···(**व्यवधान**)

श्री सत्य नारायण चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहता हूं कि अकालियों की मांगों के सम्बन्ध में कांग्रेस (आई) की सरकारी स्थिति क्या है। इन तीन वर्षों के दौरान आप समस्या का हल ढूंढ़ने में समर्थ नहीं हुए। विरोधी पक्ष जो कहते हैं और अकालियों का जो मत है उसको ध्यान में न रखकर आप अपनी बात कहिए कि समस्या का यह समाधान है, जो आपके विचार में स्वीकार्य होना चाहिए और हम लोगों की प्रतीक्षा करने की बजाय आप उस पर कार्यवाही करें। यह जरूरी नहीं है कि आप हमसे परामर्श करें। आपका एक पृथक राजनीतिक दल है और अगर आपके समक्ष कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की कोशिश करिए। आपको सत्ता में रहने का क्या अधिकार है जबकि आप साधारण नागरिकों के जीवन की सुरक्षा तक नहीं कर सकते ? किसी भी सरकार के सत्ता में रहने की प्राथमिक शर्त यह है कि वह लोगों की जान माल की सुरक्षा करे। लेकिन इन दो राज्यों में क्या हो रहा है ? आपने क्या कार्रवाई की है ? आप उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते। उग्रवादियों द्वारा रोज पंजाब और हरियाणा में लोगों को मारा जा रहा है···(**व्यवधान**) मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं।

क्या वजह है कि आप समाधान नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं। आप कहते हैं कि आप समस्या को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन आपने क्या किया है ?

जब भी कोई खराब बात होती है आप विपक्षी दल को जिम्मेदार ठहराते हो। यदि सूखा पड़ता है तो उसके लिए विपक्षी दल को जिम्मेदार ठहराया जाता है···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : किसने कहा ? हमने कभी ऐसा नहीं कहा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपने यह कहा। हर बात के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। श्री राजीव गांधी ने, जो आपके दल के महासचिव हैं और बराबर के लोगों में जिनका नम्बर पहला है, हाल ही में पटना में हमें हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया···(**व्यवधान**) यहां मैं "हिन्दुस्तान टाइम्स" से उद्धृत करता हूं—शीर्षक है—कांग्रेस नेता द्वारा अकालियों की नीति की कटु आलोचना। आपने हरियाणा के साम्प्रदायिकतावादियों के बारे में कुछ नहीं कहा। आप कहते हैं कि अकाली उग्रवादी कई बातों के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन हरियाणा के उग्रवादियों के बारे में क्या विचार हैं ? और आपने उस दल का नाम भी लिया है, लेकिन मैं उस बारे में कहने नहीं जा रहा हूं। समस्या के प्रति आपका क्या रुख है और आप इसका समाधान कैसे करने जा रहे हैं।

हाल ही में क्या हुआ ? अकाली नेताओं, विपक्षी दलों और केन्द्रीय सरकार के बीच त्रिपक्षीय वार्ताएं हुईं। अचानक अमृतसर में गोलियां चलने के साथ-साथ अन्य घटनाएं शुरू हो गईं। और उसके बाद यह सब हरियाणा में शुरू हो गया। क्या हम यह नहीं मान सकते कि कोई ऐसी शक्ति है जो वार्त्ताओं को विफल करने का प्रयत्न कर रही है ? यदि आप उसे प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, तो आपको

उसका पता लगाना होगा। जब वार्त्ताएं आरम्भ होने जा रही थीं तो ऐसा क्यों हुआ ? जब हमें पता चला कि अकाली नेता आ रहे हैं तब हमें उनसे बहुत आशा थी। केवल हम नहीं, श्री शिव शंकर को, उन्हें यहां से जाना नहीं चाहिए, मैं उन्हीं की बात कर उद्धृत कर रहा हूं, भी बहुत आशा थी। यहां पुन: मैं 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में दिया गया एक शीर्षक उद्धृत करता हूं "शिव शंकर को अच्छा जवाब मिला।" श्री शिव शंकर को अकालियों से मिले जवाब के बारे में कुछ अच्छी बातें बतानी थी। 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के अनुसार :

> "श्री शिव शंकर ने अकाली दल, कांग्रेस, सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, भारतीय जनता पार्टी, जनता, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, के प्रतिनिधियों, विशिष्ट नागरिकों और व्यापारियों के साथ हुई बैठक के कई घंटों के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने अकाली दल के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि धार्मिक स्थानों की असामाजिक तत्त्वों से सुरक्षा की जाए और इन तत्त्वों द्वारा इन स्थानों का प्रयोग शस्त्र रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अनुरोध का उत्तर प्रोत्साहनजनक तथा संकारात्मक था।"

वह स्थिति थी। तब वह कौन-सी शक्ति है जो पूरे मामले को विफल कर रही है ? ऐसा क्यों है कि, उनके द्वारा दौरा किए जाने के बाद, जब वार्त्ताएं आरम्भ हुईं, तब गोलियां चलीं और साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए ? उसके लिए कौन जिम्मेवार है ? क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उस शक्ति का पता लगाए, उसका भंडा फोड़ करे तथा संसद को बताए ? अच्छे भाषण देने से ही कुछ नहीं होगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री सी० पी० शिव शंकर) : आपकी जानकारी के लिए, मैं वहां बाद में गया था।

अध्यक्ष महोदय : हरियाणा नहीं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हरियाणा में यह सब 19 तारीख को हुआ। अब सरकार का कर्तव्य है कि वह उन तत्त्वों को अलग-थलग करे जो वार्त्ताओं तथा समस्या के निपटारे को विफल बना रहे हैं। ऑप वह नहीं कर रहे हैं। सरकार इधर-उधर की बातें कर रही है। आपने ही घटनाओं को ऐसा मोड़ लेने की छूट दी है। यह सरकार को कर्तव्य से च्युत होने, उसे टालने वाली और उबा देने वाली नीति न कि समस्या के निपटाने की। मैं नहीं समझता कि समस्याएं इतनी जटिल हैं क्योंकि करीब-करीब समझौता हो ही चुका है। प्रधानमन्त्री पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि चण्डीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए—जी हां, 1971 में यह कहा गया था, तथा फाजिल्का हरियाणा को मिलना चाहिए ; प्रधानमन्त्री ने यही कहा था। हम भाषा के आधार पर गांव को इकाई मानते हुए पूरे मामले को आयोग को क्यों नहीं सौंप सकते ?

श्री सी० पी० शिवशंकर : हम तैयार हैं। त्रिपक्षीय वार्त्ता में आपके प्रतिनिधि क्या कहते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप तैयार नहीं हैं। आप समाधान नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में यह सब हुआ। पंजाब में उग्रवादी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप उन पर नियन्त्रण रखिए। आप ठोस कार्यवाही कीजिए। विपक्षी दल का कोई भी नेता आपको ठोस कार्यवाही का विरोध नहीं कर रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप सरकार चला रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ ? जब आग लगाई जा

रही थी और लोगों को मारा जा रहा था तो सारी पुलिस उन घटनाओं को होता देखती रही थी।

पंजाब में कांग्रेस (आई) के नेता ने कहा कि इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। यह मेरा भाषण नहीं है। यह कांग्रेस के नेता द्वारा कहा गया है। मैं पुनः 'टाइम्स आफ इण्डिया' से उद्धृत कर रहा हूं। इसमें कहा गया है :—

> "भूतपूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस सदस्य, श्री नसीब सिंह गिल ने एक वक्तव्य में कहा कि उत्तेजित भीड़ ने करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, समालखा और हरियाणा के अन्य स्थानों पर अल्पसंख्यक संप्रदायों के विरुद्ध हिंसा का प्रदर्शन करने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों की बहुत यातनाएं दीं।
>
> श्री गिल ने आराप लगाया कि हरियाणा में जो कुछ किया गया, वह सरकार द्वारा सहायता न मिलने पर नहीं हो सकता था।"

ऐसा विपक्षी दल के नेता नहीं कह रहे है। बल्कि कांग्रेस के नेता हरियाणा सरकार को पूरे मामले की योजना बनाने और उन लोगों को सहायता देने पर बुरा भला कह रहे हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री की निंदा न करके उनकी पीठ थपथपा कर कहती हैं कि आपने जो किया है ठीक है। पांच घंटे तक आगजनी और विध्वंस की घटनाएं होती रहीं। पुलिस क्या कर रही थी? मुझे पूछने दीजिए। पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन को दंड देने की बजाय श्रीमती गांधी ने मुख्यमुन्त्री की प्रशंसा की (**व्यवधान**)। चिल्लाकर के आप सच को दबा नहीं सकते (**व्यवधान**) मैं उग्रवादियों की तरह आपको भी जिम्नेदार ठहराता हूं कि आप···नहीं (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी (वक्सूर) : इस कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए····· (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधान चक्रवर्ती : मैं सच बता रहा हूं। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। (**व्यवधान**) क्या मुझे यहां एक बंधा-बंधाया भाषण देना चाहिए? क्या आपको लोकतंत्र का यही सिद्धांत है? मुझे यहां वह सब कुछ कहने की स्वतंत्रता हैं बशर्ते यह असंसदीय न हो। मैंने कुछ असंसदीय नहीं कहा है। लेकिन मैंने आगजनी और लूट की घटनाओं के लिए प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है। मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है। जब प्रशासन बुरी तरह असफल हो गया, आपने मुख्यमंत्री को डांटा नहीं बल्कि आपने उनकी प्रशंसा की। इस तरह से आप प्रशासन नहीं चला सकते। यदि सांप्रदायिकतावादी जिम्मेदार हैं तो सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है।

अंत में, मैं सतारुढ़ दल से और विशेष रूप से प्रधानमन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे हर बात के लिए विपक्ष पर आरोप लगाने की आदत छोड़ दें और शांतिपूर्वक ढंग से समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें वार्त्ता के लिए पुनः आमंत्रित करें ताकि स्थिति आगे और खराब न हो जिसके लिए सरकार तथा उग्रवादी और सांप्रदायिकतावादी समानरूप से जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : स्पीकर साहब, मैंने अपोजीसन के दो आनरेबल मेम्बरान, और दोनों की प्रोफेसर्स, की तकरीरें बड़े गौर से सुनीं। उनमें बड़ा जोश था। प्रो० दंडवते जी ने बड़ी अच्छी तकरीर की, उनको मैं अकीदत पेश करता हूं। काश, सभी अपोजीशन के मेम्बरान वैसी ही तकरीर

करें। पंजाब ने हिन्दुस्तान की आजादी की कीमत अदा की। दरअस्ल पंजाब और बंगाल ने आजादी की कीमत अदा की। पंजाबी वतन से वेवतन होकर आए, घर से वेघर होकर आए, बे-सरो-समांसी की हालत में आए और उन्होंने आकर एक शानदार पंजाब, एक नया पंजाब बसाया जिसमें हरयाणा भी शामिल था। बदकिस्मती की बात हैं कि उस पंजाब में आज आग लगी हुई हैं और उसका रिएक्शन बदकिस्मती से हरयाणा में भी हुआ। दुर्भाग्य से इस सिलसिले में प्रेसीडेंशियल एड्रेस में इतिहास में पहली बार हरयाणा का चिक्र आया। जहां प्यार और मोहब्बत की मुरलियां बजती थीं, वहां बुगज व अनाद के नाकुश फूंके जा रहे हैं और नफ़रत की आग भड़कने लगी। पानीपत के बारे में अपनी बात मैं बाद में करूंगा। प्रोफेसर साहब ने दरिया को कूजे में समाने की कोशिश की। अकाली दल की डिमांड की गहराई में नहीं गए। मैं भी उन्हीं दो मुद्दों को लूंगा — एक टैरिटोरियल डिस्प्यूट और दूसरा वाटर डिसपयूट। सत्रह साल पहले पंजाब और हरियाणा एक शरीर था। कभी वर्मा भी हिन्दुस्तान का एक हिस्सा था और कभी पाकिस्तान भी हिन्दुस्तान का एक हिस्सा था। सूबे तकसीम हुआ करते हैं, लेकिन हमारा जो पानी का हक था, वह हमें नहीं मिला। 17 साल की जद्दोजहद के बाद 31 अक्तूबर, 1981 को राजस्थान के मुख्यमन्त्री, हरियाणा के मुख्यमन्त्री और पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा एक एग्रीमेंट हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले जो एवार्ड दिया था, उसको मोडिफाई किया, जिस पर उस वक्त के इरिगेशन मिनिस्टर के दस्तखत हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के दस्तखत हैं। इस प्रकार 18 फरवरी, 1982 को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने दस्ते मुबारक से उसकी आधारशिला रखी और खुदाई का काम शुरू हुआ उसी वक्त पंजाब में एक आग लगनी शुरू हुई, उससे पहले इतनी बैचेनी नहीं थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए था या नहीं, जो कि उसका हक है। इसके बारे में एक अकाली भाई कहते हैं कि यह पानी उनको न दिया जाए।

दूसरे टैरिटोरियल डिसपयूट हैं। यदि मैं शाह कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र न करूं तो मैं अपने फर्ज की अदायगी में कोताही करूंगा। शाह कमीशन ने सारा अम्बाला जिला, चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था। उसके बाद संत फतेह सिंह ने कहा कि यदि चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया गया तो मैं गुरुद्वारा साहब पर जल कर मर जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी फिराखदिली का सबूत दिया, संत के जजबातों का एहतराम किया और चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया, मगर उसके बदले में अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को दिए जाने का फैसला हुआ। स्पीकर साहब आपको बखूबी इल्म है, उस वक्त पंजाब में दिवाली मनाई गई और हरियाणा में दस जवान पुलिस की गोलियों से भून दिए गए, जिन्होंने यह कहा कि यह फैसला हमें मंजूर नहीं है। शांति हुई और सन् 1977 से 1979 का वक्त आया, जबकि जनता पार्टी का राज था। पंजाब में अकाली दल का राज था। यहां पर वरनाला साहब और धन्नासिंह गुलशन अकाली दल को रिप्रजेंट करते थे। यहां पर वे पौने तीन साल खामोश रहे। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं टैरिटोरियल डिसपयूट को उठाया। चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया। यह सोची-समझी चाल है। यह डिमांड यहां तक ही महदूद नहीं है, पोलिटिकल मोटिव है। उन्होंने कहा था दरबारासिंह को हटाओ। दरबारा सिंह को भी हटा दिया गया। यदि पंजाब की बागडोर बादल और टोहरा के हाथ में दे दी जाए यो सब शान्त हो जाएगा। यह लड़ाई पोलिटिकल डिमांड्स की नहीं है। लेकिन हम उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके सामने वरतानवी साम्राज्य की सन-सनाती गोलियां फूल बन गई। इस प्रकार एक्ल्ट्रीमिस्ट इस किस्म के वाक्यात करके पंजाब में धमकी से अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। फिर दंडवते जी तजवीज करते हैं कि लोंगोवाल और प्राइम मिनिस्टर साहब आपस में बातचीत करें। बहुत अच्छी तजवीज है। लेकिन मैं क्या आपके द्वारा अपोजीशन से यह पूछने की हिम्मत कर सकता हूं कि क्या वे इस चीज की जिम्मेदारी लेंगे कि यदि कोई दोनों के बीच में फैसला

होगा तो अकालियों को वह मंजूर होगा। भिंडरावाले का व्यान मोलाहिजा फरमायें—प्राइम मिनिस्टर मुझ से यहां आकर बात करें। आज सिखों को कौन रिप्रेजेन्ट करता है—पंजाब के 13 एम० पीज में से 12 कांग्रेस के हैं, सिर्फ एक अकाली है। पंजाब की असेम्बली कांग्रेस बरसरेइक्तदार थी। मैं यह चीज समझ नहीं पाया, मेरी साफगोई के लिए मुझे माफ करेंगे, मैं अपनी नेता प्राइम मिनिस्टर से अर्ज करना चाहता हूं—जहां आप अकालीज को ट्रिपाटाईट टाक्स में, त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल करते हैं, वहां जो इन्टररेस्टेड पार्टीज हैं, जिनके हुकूक इफेक्ट होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। हम प्राइम मिनिस्टर साहबा के मशकूर हैं और होम मिनिस्टर साहब ने भी एक बात कई बार कही है—हम उस वक्त तक कोई फैसला थोप नहीं सकते जब तक दूसरों के हुकूक एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। हरियाणा का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया है और हमें उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस चीज की क्या गारन्टी है कि जो भी लेटेस्ट फैसला किया जाएगा वह आखरी होगा। संत फतह सिंह ने एक मांग की थी, वह पूरी हो गई, आज लोगोंवाल हैं, कल कोई दूसरे संत आ जायेंगे, संत भिंडरांवाला कल को कोई और चीज कह बेठें—आखिर इस का अंत क्या होगा? इस का अंत इस तरह से नहीं होगा, यह इतना गम्भीर मामला है, जिसको रौब से हल नहीं किया जा सकता। मैं तो यह कहूंगा—इस मामले को शक्ति से निपटाना होगा, इस के बिना काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ने से राज नहीं चलता है···

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : तुम्हारे अन्दर हिम्मत कहां है? बुजदिल हो, कास्टीचूशन जल रहा है और तुम बुजदिलों की तरह से बैठे हो।

श्री चिरजी लाल शर्मा : हमारे अन्दर दम है और हम राज कर रहे हैं। आपको भी मौका मिला था—पांच साल राज करने का, लेकिन पौने तीन साल के अन्दर ही ऐसे हालत पैदा कर दिये कि देश में फिर नारा लगा—इन्दिरा लाओ, देश बचाओ। उन पौने तीन सालों के अन्दर देश को दस साल पीछे धकेल दिया। हमने देश की कुलाहें इफतखार अरसे बरी पर पहुंचा दिये।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हम लोगों की लाशों पर राज नहीं करना चाहते।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : स्पीकर साहब, मैं करनाल कांस्टीचूएन्सी को रिप्रेजेन्ट करता हूं। ता० 15 को मैं पानीपत गया था, मुझे पता लगा कि वहां पथराव हो रहा था—गाड़ियों पर और वहां कुछ इस किस्म का एलीमेंन्ट था। लेकिन सवाल यह है कि इस का कारण क्या था? वह पंजाब के वाक्यात का रिएक्शन था। यह कहना सरासर गलत है कि वहां की पुलिस तमाशबीन बनी रही। मैं प्रोफेसर साहब से बड़े अदब से कहना चाहता हूं—उस रोज सी० आर० पी० नहीं थी। हरियाणा सरकार ने ज्यों ही हालत इस किस्म के हुए फौरन एक्शन लिया—शूट-एट-साइट के आर्डर दिए। आप पानीपत गए, लेकिन दो सालों से पंजाब में जो आग लग रही थी, आप ने पंजाब के वाक्यात को जाकर क्यों मुलाहिजा नहीं किया?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वहां भी गया था।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : उस को देखकर क्या तस्वीर यहां पेश की?

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी की सरकार वहां पर थी, उस ने क्या किया?

श्री चिरंजीलाल शर्मा : हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया।···

···(व्यवधान)···

स्पीकर साहब, प्रोफेसर चक्रवर्ती ने जो सी०पी०एम० से ताल्लुक रखते हैं—कांग्रेस पार्टी पर एक एटेक किया है। पंजाब की कांग्रेस यह कहती है, हरियाणा की यह कांग्रेस कहती है इन्दिरा गांधी महान् नेता हैं। प्रोफेसर साहब, हमें इस चीज का गर्व है कि हमारे देश की नेता एक है, हमारी पार्टी की नेता एक है। जिस पार्टी का नेतृत्व नहीं होगी, उसका वही हाल होगा जो आप का हुआ। देश वोह जिसका नेता एक, पार्टी वोह जिसका नेता एक हाथ कंगन को आर्सी क्या—आप का पांच पार्टियों का भानमति का कुनवा बना, नतीजा क्या निकला, जूतियों में दाल बटी, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। स्पीकर साहब मैं अपोजीशन की एकता का सबूत देना चाहता हूं। 14 तारीख को अपोजीशन के कुछ मेम्बरान पानीपत गये और उन्होंने एक रेजोलूशन पास किया और रेजोलूशन पास करके यह इल्जाम लगाया कि हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेशन की मिली—भगत से दिन-दहाड़े धर्म स्थानों को जलाया गया और मासूम लोग कत्ल किये गये। इस रेजोलूशन में मजीद कहा गया कि अकाली दल के मतालबात का मजीद जायजा लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब सरकार को अपने फैसले का ऐलान करना चाहिए। इसी रेजोलूशन में मजीद कहा गया कि मुतेहदा महाज पंजाब के इन मतालवात की लगातार हियायात कर रहा है, जिसकी वजाहत संत लोंगोवाल और उनके साथियों ने की हैं।

इसके बाद आप यह देखिए कि 23 तारीख को हरियाणा के मुख्यमन्त्री ने अपोजीशन लीडरान की चण्डीगढ़ में मीटिंग बुलाई और वहां अलग से एक रेजोलूशन पास हुआ। वह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। उस मीटिंग में बी०जे०पी० के आदमी भी थे और एन०डी०ए० के भी थे और कांग्रेस (ओ) और दूसरे आदमी भी थे। उसमें यह कहा गया कि मजबूत सरकारी एक्शन से हरियाणा में हालात नार्मल हो गए हैं। वहां मुत्तेफिका तौर पर पास किए गए रेजोलूशन में कहा गया कि हरियाणा में जो तशद्दुद हुआ, वह हरियाणा की किसी भी पार्टी की अंगेख्त पर नहीं, वह पंजाब में इन्ताहपसन्दों और एक्सट्रीमिस्ट्स की सरगर्मियों का रद्दोअमल था।

अब आप यह देखिये कि अपोजीशन 14 तारीख को क्या रेजोलूशन पास करता है और बाद में वहां पर क्या रेजोलूशन पास करता है। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुओं के दिलों में सिखों के महान गुरुओं के तेई गहरी अकीदत है। हम सभी जानते हैं कि उन अजीम बुजुर्गों ने हमेशा शरब का भला चाहा। हमारे शास्त्रों ने भी सर्वे भवन्तु सुखिनः की तालीम दी लेकिन आज कुछ सन्त कहलाने वाले गलतकार लोगों की बदौलत सदियों की रिफाकत और बाहमी भाईचारा और सिफाकत मिट्टी में मिलता दिखाई देता है। जिस अजीम गुरुद्वारे से रूह परवर और दिल पजीर शब्द कीर्तन सुनने को मिलता था, आज वहां से मासूम लोगों को हलाक करने के लिए गोलियां दागी जाती हैं। जहां महा-पुरुष मधुर गुरवाणी का सच्चा उपदेश देने के लिए विराजमान रहते थे, वहां आज कातिलों, लुटेरों और स्मगलरों को पनाह मिलती है।

आज हमारे डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जी यहां जलवा-अफरोज नहीं हैं। वे वहां पर गये और भिंडरावाला से उन्होंने मुलाकात की और वहां से आने के बाद भिंडरावाला की तारीफ की। हमारी जनता पार्टी के मेम्बरान भी वहां पर गए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन हालात में जहां कत्लोगैरत और कुश्त व खून की होली खेली जाती हो और मासूम और बेकसूर आदमियों को गोली से भून दिया जाता हो, क्या अपोजीशन का यह फर्ज नहीं है कि इस सारे एक्शन को एकदम आऊटराइट कन्डैम करे और मैं तो यह तजवीज करूंगा इस सदन के जरिये आपकी इजाजत से कि जब तक कि वहां बिल्कुल अमन कायम न हो या एजीटेशन विदड्रा न हो, उस वक्त तक किसी किस्म की बातचीत इन लोगों से न हो।

स्पीकर साहब, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो, मैं एक शेर कहना चाहता हूं :

आसमां से बया हो कि जमीन से उठे
फितना हर हाल में फितना है कहीं से उठे।
मानिद खिजां रंगे चमन का दुश्मन
जीनतकुदा सुरू व सुमन दुश्मन
मैं कहता हूं पंजाब का यह फिरकापरस्त
लारेव है कौम और वतन का दुश्मन ॥

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चरण सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस मसले पर अपने विचार सदन के सामने प्रकट करना चाहता हूं। मेरी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, पंजाब का मामला हो, हरियाणा का मामला हो या और कहीं का भी हो, सभी मामलों में डिविसिव फोर्सिज बढ़ रही हैं। इनमें उन डिविसिव फोर्सिज की इतनी गल्ती नहीं है जितनी कि हमारी गवर्नमेंट की है, हमारी पोलिटिकल लीडरशिप की है। (व्यवधान) अगर मैं गल्ती पर हूं तो आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए।

महात्मा गांधी की हत्या के करीब दो महीने के बाद, तीन मई, 1948 को तमिलनाडु के श्री अनन्त शयनम आयंगर ने क्रांस्टीच्युंस्ट असेम्बली में एक रिजोल्युशन पेश किया था जिसमें यह कहा गया था कि साम्प्रदायिकता से देश को काफी हानि पहुंच चुकी है, इसलिए देश में साम्प्रदायिक संस्था को पोलिटिक्स में काम नहीं करने देना चाहिए। सांप्रदायिक संस्था की परिभाषा यह की गई थी कि जिस संस्था की मेम्बरी किसी एक धर्म या बिरादरी तक महदूद हो। ऐसी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक सुधार के क्षेत्र में तो काम कर सकती है, अपने धर्म के प्रसार के लिए काम कर सकती है लेकिन वह संस्था राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर सकती। रिजोल्युशन में यह भी कहा गया था कि इसके लिए कानून बनाया जाए और जितने भी गवर्नमेंट के शासकीय या दूसरे आदेश हों वे जारी किए जाएं। यह मई, 1984 की बात है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। लेकिन आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस पर अमल नहीं किया हालांकि कांग्रेस के हाथों में ही बराबर शक्ति रही है। उसी जमाने से मोहम्मद कोया की अध्यक्षता में इण्डियन मुस्लिम लीग दक्षिण में काम करती आ रही है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं इस रिजोल्युशन का समर्थन किया था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वैसे तो हमारे सामने यह रिजोल्युशन है लेकिन अगर यह रिजोल्युशन न भी होता तब भी हमें सांप्रदायिक संस्थाओं को राजनीति में भाग लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। दूसरे क्षेत्रों में वे काम कर सकती थीं। लेकिन पण्डित जी ने इस सम्बन्ध में कोई एक्शन नहीं लिया। माननीय प्रधानमन्त्री जी भी बैठी हैं। मैं उनको जबानी भी कह चुका हूं और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि जब वे कांग्रेस की प्रेजीडेंट हुई थीं तो उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कोयलीशन गवर्नमेंट बनाई थी। यह 1960-61 की बात है। इस तरीके से आपने कम्युनलिज्म को क्यों रेस्पेक्टेब्लिटी दी ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : आप पंजाब के मसले पर बात कीजिए, दूसरे मसलों को क्यों घसीट रहे हैं ?

श्री चरण सिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि सांप्रदायिक संस्था चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे हिन्दु महासभा हो, चाहे जमैयते इस्लामी हो, कोई भी संस्था हो, जिस संस्था की मेम्बरी एक बिरादरी या एक मजहब तक महदूद हो, उस संस्था को पोलिटिक्स में काम नहीं करने देना चाहिए। कांस्टीच्युंएट असेम्बली में रिजोल्युशन पास हुआ; पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उसका समर्थन किया। लेकिन किसी सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। इसी की वजह से सारी खराबियां पैदा हो गई हैं। इसी की वजह से डिविसिव फोर्सिज ने सिर उठाना शुरू किया है।

हमारे कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडर जिनका कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, यू०पी० में भी हैं अपनी-अपनी कास्ट की इंस्टीच्युशंस में हिस्सा लेते हैं। मैंने यू० पी० में एक रिजोल्युशन पेश किया था कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्त्ता किसी भी अपनी कास्ट की इंस्टीच्युशन में हिस्सा नहीं लेगा। मैं एक बुजुर्ग का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी उस वक्त अनुमोदन किया। मैंने उनसे कहा कि बाबूजी आप अपनी बिरादरी की सभा में कानपुर और कलकत्ता गए थे। उन्होंने कहा भाई मेरी गलती हो गई, मुझको यह नहीं करना चाहिए था। वह नाम मैं ले सकता हूं लेकिन छोड़ता हूं। श्री शर्माजी पलवल ब्राह्मण कांफ्रेंस, हरियाणा की नहीं, आल इण्डिया की नहीं बल्कि पलवल तहसील ब्राह्मण कांफ्रेंस में प्रेसाइड करने गए हैं। (**व्यवधान**)

श्री चिरंजीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पलवल में किसी ब्राह्मण सभा को प्रेसाइड करने नहीं गया। इस चीज को मैं कसम खाकर कहता हूं, चौधरी साहब को किसी ने गलत खबर दी है।

श्री चरण सिंह : यह गलत है तो मैं आपको वह प्रोसीडिंग प्रेस से भेज दूंगा और आपने उसका खण्डन आज तक नहीं किया है। उसमें एक पंफलेट भी है। (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी साहब के भाषण में खलल डालना नहीं चाहता, लेकिन जब कोई माननीय सदस्य कसम खाकर कहता है कि वह ठीक नहीं है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। इसमें कोई और प्रतिवाद नहीं हो सकता। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्होंने पूर्वव्याप्ति से सम्मेलन से अपना नाम वापिस ले लिया है।

(**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : जो भी हो, उनकी बात सदन में स्वीकार की ही जानी चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री चरण सिंह : पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू अक्सर फरमाया करते थे कि तीन डिवीजन फोर्सेस हैं---रिलीजन, कास्ट और लेंग्वेज। तो मैंने रिलीजन का जिक्र कर दिया और कास्ट का भी। उन्होंने इस बात का कोई असर नहीं लिया और जहां तक लेंग्वेज की बात है तो पण्डित जी हिन्दी

लैंग्वेज को जिसको कांस्टीट्यूशन ने मन्जूर किया था, उसको अमल में लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की और जनवरी, 1963 को उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया कि इंग्लिश एसोसिएट लेंग्वेज रहेगी जब तक हमारे साउथ के दोस्त इसको पसन्द नहीं करेंगे। आपने समय उनको दिया लेकिन कब तक। अगर हिन्दी मन्जूर नहीं है तो संस्कृत ले लीजिए, और कोई भाषा ले लीजिए। नेशन तो एक तब बनेगा जब कोई लैंग्वेज बाउंड की जाएगी। तभी एक देश बनेगा वरना बिखरता जा रहा है। ये हैं डिवीजन फोर्सेस। अब माननीय प्रधानमन्त्री जी इन्कार कर रही हैं।

किसी दोस्त ने कहा था कि दोष दे रही हैं हम लोगों को, अपोजीशन को कि हम डिवीजन फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं। मैं उनको पिछले दो महीने की एक दर्जन स्पीचेज भेज सकता हूं जिसमें उन्होंने फरमाया है कि अपोजीशन पार्टी डिवीजन को बढ़ा रही हैं। कैसे बढ़ा रही है। बढ़ा रही हैं आप या आपकी गवर्नमेंट और दोष हमको देते हैं।

मैंने आपको रिलीजन की बात बतला दी, कास्ट की बात बतला दी और लैंग्वेज के मुत्तलिक बतला दी। जब तक आप इस पर एक्शन नहीं लेंगे और दोष हमको देते रहेंगे तो ये कहां तक मुनासिब होगा। किस तरीके से हम लोग जिम्मेदार हैं कम्युनल आर्गनाइजेशन्स को बढ़ाने में। लैंग्युइज्म का जिक्र आ गया···। (व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए नहीं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं।

अभी मद्रास में गवर्नमेंट ने एतराज किया कि आल इण्डिया रेडियो को आकाशवाणी नहीं कहा जाएगा हमारे यहां। हमारे मिनिस्टर आफ स्टेट फार इनफरमेशन एक नौजवान हैं, उन्होंने एक आर्डर जारी कर दिया, शायद मिनिस्टर मौजूद नहीं थे और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद नहीं थीं, उन्होंने आर्डर यह दिया कि नहीं "आकाशवाणी" ही कहा जाएगा।

माननीया प्रधानमन्त्री जी बाहर गई हुई थीं। बाहर से आकर उस आर्डर को कैंसिल करती हैं और एम०जी०आर० की ख्वाहिश को मन्जूर करती हैं कि बेशक तमिलनाडु में आकाशवाणी नहीं कहा जायेगा बल्कि आल इण्डिया रेडियो ही कहा जायेगा। लेकिन क्यों? आकाशवाणी एक अच्छा शब्द है, जो बहुत दिनों से चल रहा था। वे हिन्दी की बजाय अंग्रेजी का शब्द चाहते थे। आपने उसको मन्जूर किया और दोष अपोजीशन को दिया जाता है कि हम डिवीजिव फोर्सेस को बढ़ा रहे है। जहां तक पंजाब की बात है, मैं बहुत तफसील में बोल चुका हूं इसलिए बहुत थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। सन्त भिंडरावाला किसकी क्रिएशन है? उसको किसने बढ़ावा दिया? एक दफा वह बम्बई में गए। बम्बई में जो सिख फ्रैंड्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा रुपया इकट्ठा किया। उसको आप नहीं रोक सकते थे। इसके बाद वे दिल्ली में अन-लाइसेंस्ड आर्म्स लेकर लॉरी में बैठकर आए, जिसके ऊपर उनके फालोअर्स बैठे हुए थे। दो दिन तक उन्होंने दिल्ली का दौरा किया। सरदार दरबारा सिंह उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को इत्तिला दी कि वे अन-लाइसेंस्ड आर्म्स लेकर दिल्ली आ रहे हैं, कोई कार्यवाही की जायेगी? वह खुफिया आर्डर नहीं था इसलिए पब्लिश हो गया। यह नहीं हो सकता कि माननीया प्रधानमन्त्री जी को उस आर्डर का और उनके घूमने का मालूम न हो। माननीया प्रधानमन्त्री जी इस तरह से उनको एन्करेज कर रही हैं। लाला जगत नारायण सिंह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी के मर्डर का चार्ज उन पर था। चौक मेहता चौकी के पास कोई गुरुद्वारा है। वहां आर्डर होता है कि पुलिस उसके अन्दर नहीं जायेगी। पुलिस वाले जाकर पूछते हैं कि सन्त जी महाराज आप कब बाहर तशरीफ लाएंगे? उन्होंने तारीख मुकर्रर कर दी कि उस रोज बाहर आऊंगा। वे उस रोज बाहर आते हैं और लाख-दो लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। एस०जी०पी०सी० के चेयरमैन श्री सन्तोख सिंह यहां

से जाते हैं और जो कांग्रेसमैन थे वे वहां जाकर ऐसी तकरीरें करते हैं कि पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। जिस वक्त उनको यह अधिकार दिया गया कि वह जब चाहे बाहर आएं और पुलिस अन्दर नहीं घुसेगी, उसी वक्त सन्त भिंडरावाले का कद पंजाब के चीफ मिनिस्टर के मुकाबले दो फीट ऊंचा हो गया।

गुरुद्वारे में पुलिस क्यों नहीं जायेगी ? जिस प्रकार गुरुद्वारा पवित्र स्थान है उसी प्रकार गिरजाघर और मस्जिद भी हैं। जिन लोगों के खिलाफ वारण्ट है और जिन्होंने जुर्म किया है, उनको आप आश्रय लेने की इजाजत क्यों देते हैं ? क्या कहीं दुनिया में ऐसा हुआ ? हमारे मुसलमान भाइयों के सबसे सेक्रेड प्लेस काबा में कुछ मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट्स ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया। वहां की गवर्नमेंट ने उसको बम-बार्ड कर दिया। काबा कुछ बरबाद हुआ और वह लोग गिरफ्तार किए गए। उससे काबा की शान नहीं घटी। यह अजीब आर्ग्युमेंट है कि कोई कत्ल या जुर्म करके गुरुद्वारे में जाता है तो वायोलेशन नहीं है। पुलिस अन्दर जाती है तो वह वायोलेशन हो जाता है। मैं माननीया प्रधानमन्त्री से एक बार जबानी भी कह चुका हूं, मैंने उस समय भी उनसे जिक्र किया था, अब फिर दोहरा देना चाहता हूं कि अखबार में एक रिपोर्ट है। अगर आप चाहेंगी तो उसकी कापी मैं आपके पास भेज दूंगा। आपने किसी गुरुद्वारे में जाकर या कहीं और सिख ऑडियेन्स के सामने एक तकरीर यह की, मुझ पर अपोजिशन के लोग जोर डाल रहे हैं गुरुद्वारे के अन्दर जाने के लिए, मैं आपकी धार्मिक भावनाओं का आदर करती हूं, लेकिन मुझ पर अपोजिशन का जोर पड़ रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : छपा है, प्रकाशित हुआ है।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह : यह प्रकाशित हुआ है। माननीया प्रधानमन्त्री जी ने मुझे यह कहा कि उन्होंने यह बात नहीं कही। मैं उनसे यकीन करता हूं, बेशक नहीं कही होगी। जब वह कहती हैं कि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब पेपर के फर्स्ट पेज पर न्यूज छपती है, तो आपकी तरफ से उसकी तरदीद क्यों नहीं की गई। अगर जनता इस बात पर यकीन करती है कि आपने कहा तो यह हक-बजानिब होगी क्योंकि आपकी तरफ से उसकी तरदीद नहीं हुई।

आप अपोजिशन को दोष दें और अपनी जिम्मेदारी की तरफ ध्यान न दें तो यह मुनासिब बात नहीं, यह अन्याय की बात है। यह हम लोगों के साथ अन्याय करना है।

अब मैं हरियाणा और अभोर की बात कहूंगा। मेरा ख्याल है कि वह गलती थी पंजाब को और हरियाणा को एक-दूसरे से अलग करने की। उन्हें याद हो या न हो, सन् 1966 में जब मैं यू०पी० में था, उन्होंने मुझे एक खत लिखा कुछ शिकायत करते हुए। तभी मैंने एक खत रोहतक के एक एडवोकेट को लिख दिया था और उसकी कापी मैंने उनको भेज दी। मैंने कहा था कि जिस ग्राउंड पर यह तकसीम की जा रही है हरियाणा और पंजाब की, आगे इसके नतायज खराब निकलेंगे। सन्त फतह सिंह बहुत सही मायने में सन्त होंगे, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन उन्होंने फाका किया और आपने घुटने टेक दिये। गवर्नमेंट कहीं फाका करने से या फास्ट करने से अगर एक्शन ले गई तो गवर्नमेंट नहीं रह गई, फिर तो कानून का राज्य नहीं रह गया। फिर जो जितना लम्बा फास्ट कर दे, जितना आदमी ज्यादा फास्ट कर दे तो कानून का स्थान फास्ट और अगर धमकी लेती रही है तो उसकी वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट बराबर उसके सामने झुकती रही है।

इन शब्दों के साथ मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, हरियाणा में जो हुआ है वह प्रतिक्रिया है उसकी। मैं अपने उन दोस्तों से सहमत हूं कि यह कांग्रेस लीडरशिप के एक्वीसेंस के बिना हो नहीं सकता था, भजनलाल कर नहीं सकते थे। उसका एवीडैंस हमारे पास हो, यहां दे नहीं सकते। अगर अदालत में आप जुडिशियल इन्क्वायरी करवायें तो···

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : मुख्यमन्त्री की बात आप कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह : शायद आपकी समझ में एक्वीसेंस का लफ़्ज न आया हो?

आचार्य भगवान देव : चौधरी साहब, पंजाब के सम्बन्ध में मैं आपसे अधिक जानता हूं। मैंने पंजाब को देखा है, आपको तो पंजाब का पता ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब की स्थिति हम सब के लिए चिन्ता का विषय है और हमें आशा थी कि पंजाब की स्थिति पर सदन में चर्चा की जायेगी। लेकिन पंजाब की स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय, कुछ विपक्षी दलों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाने तथा स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया।

महोदय, जहां तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है, वह हमेशा ही अकाली दल तथा उसके नेता की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाती रही है। मामले के समाधान के लिए प्रयास किए गए हैं। एक विपक्षी दल ने 'अनबन के सिद्धांत' पर बल दिया है। सम्भवतः वे कुछ नहीं समझते। इसमें धैर्य की आवश्यकता है और धैर्य के लिए साहस और समय चाहिए। प्रधानमन्त्री तथा सरकार ने यह राजनीतियत्ता का रुख अपनाया है कि जहां उनकी कुल मांगें 34 थीं, वे अब बहुत हद तक कम हो गई हैं। यह निरन्तर वार्त्ताएं तथा चर्चा करने का ही परिणाम है कि इस हद तक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान किया जायेगा।

चौधरी चरणसिंह ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है—मैं उसे थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं—कि राष्ट्र केवल तभी एक हो सकता है यदि यहां एक राष्ट्रीय भाषा हो। मैं उनकी बात से इतना ही समझ पाया हूं। सम्भवतः उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि विश्व में ऐसे कई देश हैं जो विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी शक्तिशाली है। मैं कुछ देशों के नाम बता सकता हूं। स्विटजरलैंड जैसे छोटे देश में चार राष्ट्रीय भाषाएं हैं। कनाडा में दो राष्ट्रीय भाषाएं हैं। चौधरी चरण सिंह को उसकी जानकारी नहीं है। यही कारण है कि वह यह नहीं समझ पाये कि सरकार को किन मूल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

एक मामला यह उठाया गया था कि आप सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाते? यह बहुत अच्छा सुझाव है? लेकिन चौधरी चरण सिंह को अपनी बात को पूरा करने का अवसर मिला था, लेकिन वह उसमें बुरी तरह असफल रहे? अतः सुझाव देने की बजाय उसे कार्यान्वित करना अधिक अच्छा है।

कांग्रेस पार्टी, कांग्रस सरकार हमेशा ही अल्पसंख्यकों के पक्ष में रही है और उनके हितों की रक्षा की है। भले ही उनको इनका समर्थन खोना पड़ा ; लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों का समर्थन किया है। इसका नवीनतम उदाहरण यह है कि किस तरह से असम में उन्होंने अल्पसंख्यकों की रक्षा की है। अत: कोई भी विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि उसने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं की। यहां एक ऐसा सत्ताधारी दल है, जो कि अपने हितों की परवाह न करते हुए भी, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर रहा है।

अकाली क्या कर रहे हैं ? पंजाब में निरंकारी और अन्य अल्पसंख्यकों को प्रतिदिन गोलियों से मारा जा रहा है। अल्पसंख्यकों की समस्या के प्रति रवैये और दृष्टिकोण में यही अन्तर है। अकाली दल का एक उग्रवादी दल निरंकारियों और अन्य लोगों को मार रहे हैं और ये लोग जोकि अपने आपको उदारवादी होने का दावा करते हैं, इन सबकी अनदेखी कर रहा है।

यही नहीं। दो दिन पहले ही, इन उदारवादी कहलाने वाले लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, क्या यह उदारवादिता का काम है। उन्हें क्या हासिल हुआ ? वे श्री भिंडरांवाले के कहने पर चल रहे हैं और इस तरह वे न केवल राष्ट्र को कमजोर बना रहे हैं, बल्कि अपनी मांगों को मनवाने में रुकावट बन रहे हैं। पहले यह ठीक ही कहा गया था कि वे असल में, देश के अन्य भागों में रह रहे अपने कुछ भाइयों के लिए खतरा और तनाव पैदा कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार और प्रधानमन्त्री की सूझबूझ का परिणाम है कि देश के किसी भी अन्य भाग में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुईं, जैसीकि 1947 में हुई थीं।

सरकार द्वारा दिखाये गये धैर्य के कारण, सरकार ने इस बात के बावजूद कि अल्पसंख्यक भी ऐसी मांगें रख सकते हैं अकालियों की बहुत-सी धार्मिक मांगें मान ली हैं। लेकिन प्रधानमन्त्री ने खतरा उठाते हुए ऐसा किया, क्योंकि वह चाहती थीं कि विवाद खत्म हो जाये और इस सीमावर्ती प्रदेश के समाज के एक वर्ग को सन्तुष्ट किया जा सके। उन्होंने खतरा उठाते हुए, उनकी धार्मिक मांगों को मान लिया। इसी प्रकार की मांगें समाज के अन्य वर्गों द्वारा भी उठाई जा सकती हैं। अन्य धर्मों के धार्मिक पर्वों को भी आकाशवाणी से क्यों न प्रसारित किया जाए? किसी मामले को सुलझाने के लिए यह राजनीतिज्ञता और हिम्मत का काम है।

इसलिए सी० पी० एम० सदस्य द्वारा प्रतिपादित की गई यह परिकल्पना मिथ्या ही है, जिससे पता चलता है कि वे इस मामले को समझ ही नहीं पाये हैं या वे चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं, विपक्षी सदस्यों का ध्यान हमेशा चुनाव की तरफ ही लगा रहता है, लेकिन उन्हें कांग्रेस पार्टी से जीतने की आशा नहीं करनी चाहिए। विपक्षी दलों को यह ही पता नहीं है कि वे कैसे एकजुट हों। उनको यह पता नहीं कि कौन-सा मामला उठायें। जो भी मामला उनके हाथ आता है, वे उसी पर बोलना शुरू कर देते हैं और शायद वे पंजाब समस्या का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। अगर कोई दल पंजाब समस्या से लाभ उठाने की कोशिश करता है और देश को कमजोर करने की कोशिश करता है, तो उस दल को आगे चुनावों में कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। विपक्षी दलों को यह मूल सिद्धान्त समझना चाहिए।

सरकार ने प्रादेशिक मांगों को सुलझाने से लिए हर सम्भव प्रयत्न किये हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, तो चण्डीगढ़ चाहे किसी को भी जाये, पंजाब भारत का ही अंग रहेगा। लेकिन

प्रश्न यह है कि चंडीगढ़ इस राज्य को मिले या उस राज्य को। इसलिए दोनों राज्यों को ही संतुष्ट करना होगा। सरकार एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही है और इन मामलों को सुलझाना होगा। मामलों को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है उन्हें आयोग या मध्यस्थ को सौंप दिया जाये। लेकिन वार्ता के द्वारा ही इन मसलों को सुलझाया जा सकता है। त्रिपक्षी वार्ता में, विपक्ष भी एक भाग लेने वाला दल था। पहले भी, सत्ताधारी दल द्वारा मामले पर विचार किया गया था और अकालियों ने प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया था कि वे पहल करें, और तीनों पक्षों—अकालियों, सरकार और विरोधी दलों—को वार्ता के लिए बुलाये। लेकिन जब वार्ता चल रही थी, तो कुछ तत्वों ने जोकि समस्या को सुलझाना नहीं चाहते हैं···

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : ये तत्व कौन हैं ?

श्री विक्रम महाजन : मैं उनके नाम ले सकता था। लेकिन मैं यहीं रहने दे रहा हूं। वे सभी ऐसे तत्व, जोकि नहीं चाहते कि ये वार्तायें सफल हों और जो इन समस्याओं से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं, इस समस्या को बने रखना चाहते हैं ताकि वे स्थिति से लाभ उठा सकें।

1980 के बाद ही, क्यों इन मांगों को बार-बार उठाया जाता रहा है। 1977-1980 के दौरान, जब अकाली दो-तीन दफा सत्ता में थे तो, इन मसलों के लिए जोर नहीं दिया गया। केन्द्रमें मिली जुली सरकार में, अकाली भी शामिल थे। अकाली दल अब इन मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं? इससे पता चलता है कि अकालियों का उद्देश्य इन मुद्दों को सुलझाने का नहीं हैं, बल्कि इसको साधन बनाकर, पंजाब में सत्ता हथियाने का है।

मुझे विश्वास है कि हमारी गतिशील और निर्भीक प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, हम इस समस्या को सुलझाने में सफल होंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं कामरोको प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस प्रस्ताव को उसी दिन क्यों नहीं ले लिया गया था जिस दिन इसे पेश किया गया था। उस दिन अगर बहस हो जाती···

श्रीमती इन्दिरा गांधी : तो आप बन्द रोकवा देते ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अगर आप अकालियों से संविधान जलवाना रोकवा लेती तो हम बन्द पर जोर नहीं देते। बन्द शांतिपूर्ण रहा, यह प्रधान मन्त्री को मानना पड़ेगा।···(**व्यवधान**)···इसमें हमारा हिस्सा ज्यादा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे माफ कीजिए, आप का समय जा रहा है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : समय तो मैं अध्यक्ष महोदय से ले लूंगा, आप और बोलिए।··· (**व्यवधान**)···

18.00 (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, अगर संसद में चर्चा से की जायेगी या उसमें बाधायें पैदा की जायेंगी तो सवालों

को सड़कों पर ले जाने की जो प्रवृत्ति पहले से बढ़ रही है, उसको और उत्तेजन मिलेगा। (व्यवधान) मैं नहीं जानता आज की चर्चा का दिन किस ज्योतिषी से सलाह करके, किस पंचांग का अनुसरण करके तय हुआ है? (व्यवधान) पंजाब की परिस्थिति पर पहले भी इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। पंजाब में साम्प्रदायिक शान्ति और सद्भावना बनाए रखने के लिए यह सदन सर्वसम्मति से अपीलें कर चुका है। परन्तु आज जिस पृष्ठभूमि में चर्चा हो रही है वह बड़ी भयावह है। हरियाणा में और विशेषकर पानीपत में जो कुछ हुआ, जिस तरह से निर्दोष लोग मारे गए, उनकी हत्यायें पंजाब में होने वाली हत्याओं से थोड़ा सा भिन्न हैं और फिर उसके बाद अकाली नेताओं ने जिस तरह से संविधान को जलाने की कोशिश की और ये अकाली नेता वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उदारवादी है— उससे सारी परिस्थिति बड़ी विस्फोटक हो गई है। मुझे कभी कभी भय होता है कि कहीं यह परिस्थिति सरकार के काबू के बाहर न चली जाए।

हमारा संविधान हमारे गणतन्त्र का आधार है। वह हमारी मान्यताओं और हमारे जीवन मूल्यों का प्रतिबिम्ब है। वह हमारे लोकतन्त्र का घोषणा-पत्र है। वह भारत की जनता—जो जनता अलग-अलग धर्मों को मानती है, अलग अलग भाषायें बोलती है, उस जनता के इस सामूहिक संकल्प का उद्घोष है कि हम किसी को भारत की एकता को खण्डित नहीं करने देंगे और भारतीय समाज की एकात्मता पर कोई आंच नहीं आने देंगे।

अकाली नेताओं ने संविधान को जलाकर केवल कानूनी अपराध नहीं किया है, उन्होंने समूचे गणतंत्र को चुनौती दी है। मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों किया है? अगर उनकी मांगों में सबसे ऊंची मांग संविधान के 25वें अनुच्छेद को बदल देना था तो जब दिल्ली में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी तो उसमें इस मामले को उठा सकते थे। उस दिन उन्होंने यह मामला नहीं उठाया। आडवाणी जी मेरे पास बैठे थे, उन्होंने कहा था क्या मैं अनुच्छेद 25 का मामला उठाऊं तो मैंने शायद अकाली मित्र उसके बारे में इतने गम्भीर नहीं हैं कि अगर वे इसको नहीं उठाते हैं तो हमें स्वयं नहीं उठाना चाहिए। अगर उनके लिए यह इतना ज्वलन्त सवाल था कि भारत की राजधानी में आकर वे संविधान को जलाने की चेष्टा कर सकते हैं तो यह मामला उनको उसी दिन उठाना चाहिए था।

आखिर, संविधान का अनुच्छेद 25 है क्या? वही अनुच्छेद ऐसा है कि जिसमें जिक्र किया गया है कि सिखों की अलग पहचान है, उनकी अलग आइडेंटिटी है, उसमें माना गया है कि सिख कृपाण लेकर चल सकते हैं जोकि सिख धर्म का एक अंग है। फिर इस पर आपत्ति क्यों हो रही है? अगर संविधान को बदलने की बात हो तो हमारा संविधान जड़ नहीं है, उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन परिबर्तन की एक प्रक्रिया है। संविधान जलाने से तो कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। संविधान का हमें आदर करना होगा, जैसे राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमें मरने मारने को तैयार रहना होगा। हमारे अकाली मित्रों ने इस छोटी सी बात को नहीं सोचा।

अलग पर्सनल लॉ की बात भी हो रही है। हमारा संविधान कहता है कि सारे भारतीयों का एक पर्सनल लॉ होना चाहिए। किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से मुस्लिम समाज का अलग पर्सनल लॉ है और वह अभी तक चल रहा है। लेकिन किसी और वर्ग का, किसी अन्य समुदाय का···

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उस पर आपकी क्या राय है। मुस्लिम समाज का पर्सनल लॉ होना चाहिए या नहीं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और कोई साम्प्रदाय पर्सनल लॉ की माँग करे तो ? पर्सनल लॉ के साथ विवाह का सवाल जुड़ा हुआ है। उत्तराधिकार का सवाल जुड़ा है। पूरा परिवार, जो एक इकाई है, उसकी अविभाज्यता का सवाल जुड़ा हुआ है। अगर अकाली मित्रों को केवल आपत्ति यह है कि बेटी को बाप की सम्पत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तब वह खुली बात करें, जनमत को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करें।

अगर आर्टिकल-25 का मामला इतना गम्भीर है, जैसा कि बना दिया गया है और मुझे मालूम है बाद में बरनाला साहब ने कहा था—यह एक छोटा मामला है लेकिन अगर वे समझते हैं कि इतना गम्भीर मामला है, तो मैं सरकार से कहूंगा उसमें से आप रास्ता निकालने का प्रयत्न करें। लेकिन संविधान का जलाना बन्द होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जो कुछ हुआ है, बड़ा निन्दनीय है। उससे पंजाब के आतंकवादियों की निन्दा करने की हमारी शक्ति को चोट पहुंची है। पंजाब में आतंकवादी मार रहे थे, रात के अन्धेरे में मार रहे थे, इक्का-दुक्का मार रहे थे, छांट-छांट के मार रहे थे, आतंकवादियों के हाथ से जो मरे, उनमें सिक्ख भी थे। मगर पानीपत में सिर्फ सिक्ख जो मरे हैं, वे निहंग नहीं है, वे मजहबी सिक्ख भी थे। वे किसी आन्दोलन में शामिल नहीं थे, गुरुद्वारे में बैठे थे, गरीब थे उनका क्या दोष था ? पंजाब में हिन्दू इसलिए मारे जायेंगे कि वे निर्दोष है, उसके जवाब में हरियाणा में सिक्ख इसलिए मारे जायेंगे कि वे बेगुनाह है। हरियाणा में जो कुछ हुआ है, उससे सारी परिस्थिति को एक नया आयाम मिल गया है, जो गम्भीर आयाम है।

मैं मानता हूं कि हरियाणा की सरकार ने परिस्थिति पर काबू किया है। मगर जो हो गया है, उसकी क्षति कैसे पूरी होगी ? उस तरफ हरियाणा की सरकार का ध्यान नहीं गया है। श्री इन्द्र कुमार गुजराल और मधुदंडवते जी वहां गए थे। अध्यक्ष महोदय, जो मरे हैं, उनमें एक सिक्ख भाई फर्टिलाइजर कारपोरेशन में कर्मचारी था। उसकी जेब में उसका आइडेंटिटी कार्ड था। लोगों ने उसको पत्थरों से मारा है। मगर मरने के बाद क्या पुलिस घर वालों को लाश नहीं दे सकती थी, पुलिस ने कहा कि हमें पता नहीं है, कि कौन मरा है। पुलिस ने आइडेंटिटी कार्ड नहीं देखा। यह मामूली घटना नहीं हैं। जींद में जो कुछ हुआ है, उसकी भी निन्दा की जानी चाहिए। गुरुद्वारे से गोली क्यों चली सिक्खों को रास्ते में रोक कर अपमानित करने की घटनायें हुई हैं। इसका समर्थन नहीं होना चाहिए। मान लिया—यह एक प्रतिक्रिया है, मगर इस प्रतिक्रिया को रोकना होगा, नहीं तो देश जल जाएगा। प्रतिक्रिया कह करके हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम उस पर पर्दा डालने की कोशिश न करें।

मैं पूछना चाहता हूं, अभी श्री महाजन ने सवाल उठाया था, मैंने उनको इसीलिए बीच में टोका था जब दिल्ली में त्रिपक्षीय वार्ता हो रही है और काफी समय बाद हो रही है प्रधानमन्त्री जी जब चाहती हैं, वार्ता शुरू कर देती है, जब चाहती है, वार्ता बन्द कर देती हैं। यह पिछले तीन साल की कहानी है।

श्री प्रभु नारायण टंडन (दमोह) : जैसे वाजपेयी जी ने विदेश···(**व्यवधान**)···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इनके बुढ़ापे को देखकर मुझे और जोश आ रहा है।

8 फरवरी को अकाली दल ने पंजाब बन्द का आह्वान किया था। एक दिन पहले श्रीमती इंदिरा

गांधी जी ने विरोधी दलों को चर्चा के लिए बुला लिया। अगर अकाली दल बन्द का आह्वान न करते तो विरोधी दलों को निमंत्रण न भेजा जाता। फिर त्रिपक्षीय वार्ता न चलती···

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, यह बात नहीं थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब एक बार वार्ता चल गई और अकाली दल ने उसमें आना मान लिया, तो वह कौन सी शक्तियां है जिन्होंने पंजाब में आग लगाई···

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई, उत्तर मध्य) : पंजाब नहीं, हरियाणा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। पंजाब में बंद का आह्वान दिया—हिन्दू सुरक्षा समिति ने, मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दू सुरक्षा समिति में कौन हैं? कल उनका प्रतिनिधि मंडल प्रधान मन्त्री से मिला था। उन्होंने एक मेमोरेण्डम दिया है। मेमोरेण्डम के एक वाक्य की ओर मैं प्रधान मन्त्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। उन्होंने उस मेमोरेण्डम के अन्त में लिखा है :

> "वर्तमान परिस्थितियों में, ऐसा मालूम होता है कि पंजाब, गृह युद्ध के कागार पर खड़ा है और एक विशेष समुदाय के लोग, संत लोंगोवाल के कहने पर पंजाब से हिन्दूओं का सफाया करने की कोशिश करेंगे अगर शीघ्र ही इन तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न की गई।"

भिंडरावाले का नाम नहीं है, लोंगोवाल का नाम है, इसका क्या मतलब है? उन्होंने बन्द का आह्वान किया, लेकिन फिर इक्टठे हो कर अमृतसर स्टेशन पर चले गए, वहां स्वर्ण मन्दिर का जो रेप्लिका लगा था उसको तोड़ दिया। सन्त रामदास के चित्र को गिरा दिया, बेइज्जती की। यह साधारण घटना नहीं है।

पंजाब में इससे पहले भी आतंकवादियों ने रात के अन्धेरे में बस में जाने वाले निर्दोष लोगों को उतार-उतार कर मारा था। पंजाब में रोष की लहर थी, लेकिन ऐसी घटना नहीं हुई थी। यह उस दिन कैसे हुआ? यह श्री पवन कुमार शर्मा कौन है? जनवरी, 1980 के पहले भिंडरावाले का नाम कोई नहीं जानता था। 1983 से पहले पवन कुमार शर्मा को कोई नहीं जानता था। अगर वह मुझे मिल जाते तो मैं उन्हें पहचान भी नहीं सकता था—लेकिन इनको क्यों पकड़ा गया? मैं पूछना चाहता हूं—उन्हें नजर बन्द क्यों किया गया हिन्दू सुरक्षा समिति ने नजरबन्दी का विरोध किया और बन्द का आह्वान किया। उनको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? अकाली नेताओं ने भी पवन कुमार शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की थी। श्री पवन कुमार शर्मा को गिरफतार करके लोगों को भड़काने का दायित्व किसके ऊपर है? श्री पवन कुमार शर्मा की रिहाई के लिए शर्तें लगाई गई कि शिव-रात्रि मत मनाओ। शिव-रात्रि क्यों न मनायें? पंजाब की सरकार चाहती है कि लोग शिवरात्रि न मनायें—इस तरह की शर्त लगाने का पंजाब की जनता पर क्या असर होगा? पहले ही पोलराइजेशन हो रहा था, मगर पूरा नहीं हुआ था। हम तीन साल लड़ते रहे कि यह सवाल हिन्दू-सिख का सवाल न बने। मैं खुद अमृतसर गय था, वहां की भारी सभा में, जिसमें हजारों सिख भी शामिल थे, मैंने भाषण दिया। मैंने सन्त भिंडरावाले से कहा—एक सन्त वह थे जो जान देने के लिए तैयार थे और दूसरे सन्त ये हैं जो गुरुद्वारे की शरण लेकर जान लेने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, परिभाषायें बदल गई हैं, जो संत हैं वे हत्या कराते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं—वे बन्दूकें बनाते हैं, जो सदाचारी हैं वे बलात्कार के आरोप में गिरफतार किए गए हैं।

सन्त भिंडरावाले किसकी कृति हैं—यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों में तीन बार पंजाब की समस्या को हल करने के मौके आये और सरकार ने वे मौके गंवा दिये। नवम्बर, 1981 में जब बातचीत चल रही थी, सरदार स्वर्णसिंह को बीच में डाला गया। मंत्रिमंडल की उपसमिति बनी और एक वक्तव्य तैयार हुआ। अकाली नेता अमृतसर चले गये थे। सरदार स्वर्ण सिंह ने वह वक्तव्य अकाली नेताओं को टेलीफोन पर पढ़ कर बताया। उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी। फैसला यह हुआ था कि गृह मन्त्री उस वक्तव्य को दूसरे दिन सदन में रखेंगे मगर सदन में जो वक्तव्य रखा गया, वह उस वक्तव्य से अलग था जोकि सरदार स्वर्ण सिंह ने टेलीफोन पर अकाली नेताओं को पढ़कर बताया था। ऐसा क्यों हुआ। मैंने सरदार स्वर्ण सिंह का बयान देखा था। उन्होंने कहा कि जहां तक भाषा का सवाल है, और भावना का सवाल है, वह वक्तव्य अलग था। किसके दबाव में आखरी वक्त पर उस वक्तव्य में संशोधन कर दिये गए।

साल भर बाद फिर एक स्थिति पैदा हुई। प्रधान मन्त्री के सचिव श्री एलेक्जेंडर के मकान पर बैठक हुई। अकाली नेता वहां मौजूद थे। उनसे बातचीत हुई और एक रास्ता निकला। यह तय हुआ कि गृह सचिव और कांग्रेस (आई) के पार्लियामेंट के एक मेम्बर अकाली नेताओं के साथ अमृतसर जाएंगे और गृह सचिव जो समझौता हुआ है, उसको श्री लोंगोवाल को पढ़कर बताएंगे श्री लोंगोवाल को श्री बलवंत सिंह ने खबर दे दी थी और श्री लोंगोवाल उससे सहमत थे। दूसरे दिन तय हुआ कि हवाई-जहाज से अमृतसर जाना है। अकाली नेता और कांग्रेस (आई) के संसद सदस्य गृह सचिव का इन्तजार करते रहे। हवाई जहाज गया ही नहीं। मंत्रिमंडल में जो वक्तव्य पहले तैयार हुआ था, उसको स्वीकृति नहीं दी। अकाली नेताओं के साथ फिर से बातचीत करके सरकार मुकर गई। ये तथ्य बार-बार दोहराये जा रहे हैं, आप इनका खंडन कीजिए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो सही क्या है यह बताइये। सी० पी० एम० के सदस्य श्री सुरजीत सिंह उस बैठक में मौजूद थे। वे अपने भाषण में इसका उल्लेख कर चुके हैं और मुझे भी बता चुके हैं।

सरकार अकालियों पर आरोप लगाती है कि वे अपनी बात से मुकर जाते है। मेरा आरोप सरकार पर है कि जो अकाली कर रहे हैं, वही आप भी कर रहे हैं। यह बात तो मेरे सामने हुई है कि गृहमंत्री ने कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग में यह कहा था कि हम अकालियों को वार्ता के लिए बुला रहे हैं, हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे और हम बिना शर्त के वार्ता करेंगे लेकिन दो दिन के बाद इसका खंडन कर दिया कि हम वार्ता के लिए नहीं बुला रहे हैं और जब तक अकाली वे आन्दोलन वापस नहीं लेंगे हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे।···(व्यवधान)··· अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी ने एलान कर दिया 27 नवम्बर को कि धार्मिक मांगें मान ली गयीं। लेकिन उन धार्मिक मांगों पर अभी अमल नहीं हुआ है। पंजाब की सरकार उन पर अमल करने से क्यों इन्कार कर रही है। स्वर्ण मन्दिर में दुरगियाना क्षेत्र से मास, मदिरा और सिगरेट की दुकानें क्यों नहीं हटाई जा सकतीं जब त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हुई, तो अकालियों ने सबसे पहले सवाल यही पूछा। उन्होंने सुझाव दिया था कि दिल्ली और अमृतसर के बीच में एक स्वर्ण मन्दिर एक्सप्रेस चलाई जाए। उसका क्या हुआ। सरकार के नेता एक दूसरे का मुंह देख रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, पहले सरकार ने कहा था कि पैकेज डील होगा। इसलिए धार्मिक मांगें नहीं मानी गयीं। बाद में कह दिया कि धार्मिक मांगें हम मान रहे हैं। अगर धार्मिक मांगें माननी थीं, तो

अकालियों को खबर कर देते, संसद में आकर घोषणा करते और विरोधी दलों को सूचना दे देते। गुरुद्वारा बंगला साहब में जाकर धार्मिक मांगें स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी। क्या इससे संदेह बढ़े नहीं।

जहां तक हिंसा और हत्या का सवाल है, उसका निषेध करना ही होगा। उसके साथ कड़ाई से निपटना होगा। धर्म के स्थानों पर हथियार इकट्ठा करने के लिए और अपराधियों को शरण देने के लिए उनका उपयोग नहीं होना चाहिए लेकिन आज पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू है। केन्द्र सीधा उत्तरदायी है।

अध्यक्ष महोदय, हम उस दिन राष्ट्रपति जी के पास गए थे। हमने कहा कि पंजाब में कांग्रेस का राज्य था, वह नहीं चला अब राष्ट्रपति राज है, वह भी नहीं चल रहा है, तो अब वहां किसका राज होने वाला है।

मेरा निवेदन है कि जो परिस्थिति पैदा हो रही है, उस पर हम वास्तविकता के वातावरण में विचार करें। राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छा सब में है और सत्तारूढ़ दल में सबसे ज्यादा है। जब ऐसी बात है तो इस देश की एकता को बचाना मुश्किल है। पंजाब की परिस्थिति से जो गम्भीर संकट उत्पन्न हुआ है, उससे पारुपाना मुश्किल है। कभी-कभी मुझे सन्देह होता है कि प्रधान मन्त्री ने स्थिति से निपटने की क्षमता या इच्छा शक्ति खो दी है।

अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ठीक कह रहे थे कि पंजाब में लड़ाई, चण्डीगढ़, फाजिल्का और अबोहर की लड़ाई नहीं है, यह सत्ता की लड़ाई है। यह देश विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों का एक ऐसा समूह है जिसमें सत्ता का संतुलन बनाए रखना होगा और सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना होगा। पंजाब में यह हम नहीं कर पा रहे हैं।

अभी भी प्राण चोपड़ा ने एक आर्टिकल लिखा है--

> श्रीमती गांधी सामंजस्य की राजनीति की कला को भूल गई हैं या अधिक स्पष्ट कहा जाए तो उनकी इसमें रुचि नहीं है···जो कुछ वह तोड़ नहीं सकती, उससे वह मात्र विमुख हो जाती हैं। पंजाब समस्या का वास्तविक कारण यही है।

एक ओर कानून व्यवस्था को दृढ़ता से बनाए रखना और दूसरी ओर राजनीतिक हल निकालने को कोशिश करना, सरकार इन दोनों में विफल रही है। इसीलिए हम सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। या तो प्रधान मंत्री राज करें या राज सत्ता छोड़ दे।

प्रो० के० के० तिवारी (वक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री वाजपेयी की पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए दिए गए तर्कों को सुन रहा था। मैं हैरान था कि वह वास्तव में समस्या का हल चाहते हैं, या वह सारे मामले को और अधिक गम्भीर बनाना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा, ये दो राज्य हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जिनके लिए यह राष्ट्र लड़ता रहा है, जिसके लिए हमारे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई ; निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन आज जो हो रहा है, वह वास्तव में षड्यंत्रकारी है, श्री वाजपेयी का समाधान, कोई भी समाधान नहीं है। अगर आप श्री वाजपेयी द्वारा बताए गए तर्कों को देखें तो आप पायेंगे कि उनमें आपस में विरोधाभास है। एक तरफ

तो वे अकालियों द्वारा भारतीय संविधान के जलाये जाने की निन्दा करते हैं और दूसरी ओर वे हमारी भी कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं और सत्ता दल और प्रधान मन्त्री को इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि लोगों की नजरों में प्रधानमन्त्री की छवि यह कहकर धूमिल की जा रही है कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है, कि उनमें इच्छा ही नहीं है, कि वह साम्प्रदायिक ताकतों की सहायता कर रही हैं इत्यादि इस देश के विपक्षी दलों की राजनीति की यही सामूहिक धारणा बन गयी है।

श्रीमन, पंजाब एक रोग नहीं है, बल्कि उसका लक्षण है। पंजाब में क्या हो रहा है ? हम देख रहे हैं कि काफी समय से देश का विभाजन और विखण्डन करने वाली विभिन्न शक्तियां काफी समय से पंजाब में सक्रिय हैं। दुर्भाग्यवश एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे महान नेताओं, लोगों द्वारा किए गए बलिदान को निष्फल किया जा रहा है और ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे कि देश का इन अलगाववादी ताकतों द्वारा विभाजन हो।

अगर हमारे देश की प्रधान मन्त्री कमजोर होती हैं, अगर जिस सिद्धांत के लिए वह लड़ती रही हैं, उसे कमजोर बनाया जाता है, अगर जिस सिद्धांत के लिए पिछले 100 वर्षों से कांग्रेस अडिग है उसे कमजोर किया जाता है, तो यह देश विभाजित हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में कई धर्म के मानने वाले लोग हैं।

इसलिए, श्रीमन, इस मंच से मैं उन सदस्यों से अनुरोध करता हूं जोकि धर्मनिरपेक्षता, और इस देश की धर्म निरपेक्ष परम्पराओं और इस देश के धार्मिक दर्शन में विश्वास रखते हैं, कि वे समस्या की गम्भीरता पर विचार करें। मुझे उन साम्राज्यवादी तथा नव-उपनिवेशवादी शक्तियों के षड्यन्त्रों की जानकारी है जो हमारे देश के इर्द-गिर्द तथा भीतर कार्यरत हैं। मैं जानता हूं कि सारी चीज उस नए परिवेश में कैसे ठीक बैठती है जिसमें चरित्र हनन श्री वाजपेयी जैसे तथा कई अन्य व्यक्तियों के हाथों का औजार बन गया है। मुझे आशा थी कि श्री वाजपेयी इन छोटी चीजों से ऊपर उठेंगे और सदन के सदस्य तथा एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते मुझे आशा थी कि वे इन छोटी चीजों से ऊपर उठेंगे लेकिन इस स्थिति में जब संविधान का अनुच्छेद जलाया गया—अध्यक्ष महोदय, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है—स्थिति पूरी तरह बदल गयी है।

अब, अकाली दल के साथ बातचीत पुनः शुरू करने का प्रश्न है। इन परिस्थितियों में यह श्री वाजपेयी का काम है। मैं, एक संसद सदस्य के नाते, भारत के नागरिक व एक देशभक्त के नाते इन परिस्थितियों में बातचीत की तब तक वकालत नहीं करूँगा जब तक कि अकाली दल तथा उन लोगों का जो ऐसे लोगों को उकसा रहे हैं तथा उन्हें उत्साहित कर रहे हैं तथा ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनके बीज अकाली दल के युद्धकारी, अक्रामक तथा उग्रवादी रवैये ने बोए हैं, भंडाभोड़ न किया जाए तथा उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही न की जाए। इस सम्मानित सदन की, इस सदन की सामूहिक बुद्धिमता का अवश्य समर्थन किया जाना चाहिए और मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के मामलों में हमें एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो सारे राष्ट्र का दृष्टिकोण है, जो राष्ट्रीय इच्छा को विभाजित करने में योगदान नहीं करता तथा उन विभाजक शक्तियों को योगदान नहीं देता जो हमें कमजोर बनाने पर तुली हुई हैं। इसलिए, हमें स्थिति का अवश्य जायजा लेना चाहिए। श्री वाजपेयी ने अकाली दल की कट्टरता पर बल दिया है। उन्होंने बल दिया है कि भूत में वे कितने अक्खड़ थे। महोदय बातचीत चल रही है। मांगों की सूची तैयार कर ली गई है। लेकिन, पीछे

मुड़ने के इस अचानक कदम ने अकाली दल की राजनीति को कैसे जकड़ लिया है ? मैं आरोप तथा दोष लगाता हूं कि ऐसा अनर्थकारी षड्यन्त्र रचा गया है जिसका बहुत व्यापक प्रभाव होगा। इन व्यापक प्रभावों का देश से बाहर तथा भीतर कार्यरत शक्तियों से सम्बन्ध हैं और यदि आप अकालियों की कुछ मांगें स्वीकार भी कर लें तो ये रियायतें उन्हें मान्य नहीं होंगी क्योंकि जिस ढंग से अकाली गुरुद्वारों के भीतर कार्य कर रहे हैं—मेरे विचार में यदि आप इन मांगों को मान लेते हैं—तो यह देश के हित में नहीं होगा। महोदय, मेरे पास आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव की एक प्रति है। हमें विस्तार से इसका अध्ययन करना है, क्योंकि हम इस देश के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र की एकता से सम्बन्धित बहुत गम्भीर मसलों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें अन्य देशों को कोई रुचि नहीं है। इसलिए कोरी वाक्पटुता, कोरी भावुकता तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी को नीचे गिराने की कोरी इच्छाएं किसी भी प्रकार हमें सहायता नहीं देंगी। यदि आप संत लोंगोवाल की बात करते हैं—मैं नहीं जानता कि इस देश में ऐसे विषयों पर धोखा खाने की प्रवृत्ति क्यों है तो श्रीमन, मेरे विचार से नरमपन्थियों तथा अकालियों के मध्य अन्तर करने वाली रेखा बहुत पहले लुप्त हो गई थी। आज के अखबारों में सन्त लौंगेवाल ने 1949 की बात की है। उन्होंने कहा कि देश ने अकाली दल तथा सिखों के साथ अन्याय किया है और मैं बल देकर कहता हूं कि अकाली देश के सारे सिखों की ओर से नहीं बोलते। महोदय, मेरे विचार में, संविधान को जलाने की हरकत राजद्रोह के समान है और उन पर राजद्रोही गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए और जब तक उपयुक्त कदम नहीं उठाए जाते, हम उनके साथ वार्ता के बारे में नहीं सोच सकते। श्री वाजपेयी के सुझावों पर यदि कुछ परिवर्तनों पर विचार किया जाता है और वे परिवर्तन कर दिए जाते हैं तो वे फिर दोषारोपण करना आरम्भ कर देंगे, देश में लोगों के सम्मुख प्रधान मन्त्री पर दोष लगायेंगे और कहेंगे कि वे संविधान जला रहे थे और कांग्रेस (ई) तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन्हें इसका इनाम दिया है। श्री लौंगोवाल तथा अकाली दल ने क्या किया है ? मैं इस ज्ञापन से संगत भाग पढ़ूंगा ; यह ज्ञापन दिल्ली में राष्ट्र मंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के लिए आए राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों को प्रस्तुत किया गया था। श्री लौंगोवाल ने सभी परम्पराओं के विरुद्ध ऐसा किया है। सिखों का इतिहास भारत के इतिहास का एक अभिन्न अंग है तथा हमें सिखों द्वारा देश की एकता के लिए देश को खुशहाल बनाने तथा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दिए गए सदैव याद रहने वाले वीरगाथाओं और उनके बलिदानों पर गर्व है। श्री लौंगोवाल के संरक्षण में इस ज्ञापन का मसौदा तैयार किया गया जिसमें लिखा है :—

> "कि ब्रिटिश साम्राज्य तथा राष्ट्रमण्डल देशों की अखंडता को बचाने के लिए सिखों ने बहुत बलिदान दिए हैं..."

श्री लोंगोवाल के शब्दों में :—

> "दो विश्व युद्धों के दौरान, जब इस संस्था (ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल) तथा इसके सदस्यों का भविष्य अधर में लटक रहा था, उस समय लगभग 4,00,000 सिख मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं की ओर से उन देशों की अखंडता तथा आजादी को बचाने के लिए लड़े थे।"

तथ्य इसके विपरीत हैं। सिख, संस्था के रूप में, भारत के देशभक्त नागरिकों के रूप में भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़े, और अकालियों की यह हरकत हमारे संविधान में उल्लिखित सभी सिद्धांतों तथा हमारी राजनीतिक जिन्दगी का घोर उल्लंघन है। जनता का एक समूह, चाहे उसकी मांगें कितनी

भी गम्भीर हों, कितनी भी उचित हों, सुस्थापित सिद्धान्तों का उल्लंघन करके किस तरह अन्य सरकारों के शासनाध्यक्षों से सीधे मिल सकता है और इस प्रकार के हल की मांग कैसे कर सकता है।

श्रीमन, मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें। अकाली दल तथा विपक्षी दल दिखावटी प्रेम कर रहे हैं; काफी लम्बे समय से जनता पार्टी उनसे दिखावटी प्रेम कर रही है, सी० पी० आई० और सी० पी० आई० (एम०) तथा समूचे विपक्षी दलों का भी यही हाल है। वे उनसे दिखावटी प्रेम कर रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि विपक्ष में सभी व्यक्ति देश को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या देश के टुकड़े करने में किसी प्रकार योगदान कर रहे हैं, लेकिन एक संगठित प्रयास चल रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। यदि देश के टुकड़े भी हो जाते हैं, यदि कुछ लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी को हटाने में सफल हो जाते हैं, तो उन्हें यह स्वीकार होगा, लेकिन यह देश इसे स्वीकार नहीं कर सकता·····

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) वे क्या बोल रहे हैं ···(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : आपका भी इसमें हाथ है। यह दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है।····· (**व्यवधान**)। दण्डवते जी, आप बड़ी ऊँची बातें कर रहे थे लेकिन अन्ततः श्री वाजपेयी ने जो कुछ कहा, उससे यह मजाक बन कर रह गया।

यदि अकालियों की मांगें उचित हैं—उनमें से बहुत सी उचित हैं—उनके पास अब आर्थिक मामलों या धार्मिक मामलों के सम्बन्ध में भी बातचीत आरम्भ करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि धार्मिक मांगों में से अधिकांशतः मान ली गई थीं।

अब क्या हो रहा है? उनके कार्यकर्त्ता, उच्च नेता संविधान जला रहे हैं। आप मुझसे सहमत होंगे कि अकाली अब बहुत अनर्थकारी काम कर रहे हैं, जिस पर श्री वाजपेयी ने ध्यान नहीं दिया है और श्री मधु दण्डवते भी उसका उल्लेख करना भूल गए हैं। अब कैसी अनर्थकारी स्थिति उभर रही है? एक लाख पच्चीस हजार लोगों को जो 'करो या मरो' नारे के प्रति समर्पित हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है ×× उन्हें अति आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वे चारों ओर घूम रहे हैं और गुरुद्वारे आधुनिकतम हथियारों को जमा करने के अड्डे बन गए हैं। ऐसी स्थिति में···(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, क्या आप इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करने की अनुमति देंगे।

श्री रतनसिंह राजदा : उन्हें पता होना चाहिए कि वे क्या बोल रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह उल्लेख ×× कार्यवाही वृतांत से निकाल देना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री रतन सिंह राजदा : वह खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

×× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उन्हें गैर-जिम्मेवार नहीं होना चाहिए। यह अत्यधिक गैर-जिम्मेदाराना बयान है। (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने × × का उल्लेख किया था। वे उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं।

श्री चंद्रजीत यादव : आधुनिकतम हथियारों का प्रशिक्षण × × सरकार क्या कर रही थी। वह देश को जानकारी दे रहे हैं। (**व्यवधान**) गृह मन्त्री इसकी पुष्टि करें। हम जानना चाहेंगे कि वे कौन से आधुनिक हथियार थे— हम जानना चाहेंगे × ×

गृह मंत्री श्री प्रकाशचन्द सेठी : उनका तात्पर्य है × ×

श्री चन्द्रजीत यादव : हम जानना चाहेंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह उल्लेख कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : गृहमंत्री इससे सहमत हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि × × वे आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यदि यह सच है तो आपको तुरन्त त्याग पत्र दे देना चाहिए। आपको सरकार के रूप में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं हैं। महोदय, आप क्या कर रहे हैं? आप इसे क्यों नहीं रोक रहे हैं? यदि एक लाख व्यक्तियों को आधुनिक हथियारों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है···

श्री चन्द्रजीत यादव : इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं

प्रो० के० के० तिवारी : पता नहीं श्री सत्यसाधन गलत व्याख्या क्यों करते हैं। मैंने 1.25 लाख स्वयं सेवक कहा है—न कि वे लोग जो गुरुद्वारे में रह रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा मुद्दा यह है कि जो समर्थन मिल रहा है उसके कारण कुछ लोग हैं···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बहुत समय ले लिया है।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्हें कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तथा वे स्थान कौन से हैं जहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महोदय, हाल ही में जम्मू और काश्मीर में···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो० के० के० तिवारी : इस मास की 26 तारीख को···

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री महोदया।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमन, मुझे समाप्त करने दें। समस्या के प्रति मेरा दृष्टिकोण यह है कि विपक्ष की हमारे साथ लड़ाई हो सकती है। उनके नेतृत्व के साथ झगड़े हो सकते हैं। लेकिन इस

× × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रकार के गम्भीर मामले में, जिसका सम्बन्ध देश की एकता से है, उन्हें इस प्रकार का हिमायती रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बार-बार दोहरा रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्हें एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए सरकार की सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए और इस समय जब अकाली दल ने संविधान जलाने की नीति अपनाई है और इसी प्रकार हिंसा की अन्य हरकतें करनी आरम्भ की हैं, हमें तब तक उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे इस बात की शपथ न ले लें कि वे राष्ट्रविरोधी शक्तियों तथा अलगाववादी शक्तियों को प्रोत्साहन नहीं देंगे। हमें अकालियों के साथ वार्ता नहीं करनी चाहिए, चाहे उनकी माँगें कितनी भी सशक्त हों।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मुझे अपने दल का प्रतिनिधित्व करना है। मैंने आपसे अनुरोध किया था। मुझे अनुमति अवश्य मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद चल रहा है। यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब, प्रधान मन्त्री।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : वास्तव में बोलने की बारी विपक्ष के एक सदस्य की थी। लेकिन मुझे क्योंकि राज्य सभा से सन्देश मिला है कि वहां पहुंचना है इसलिए मैंने कुछ शब्द कहने के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त की है।

महोदय, इस प्रस्ताव के पेश किए जाने से पूर्व आपने जो बातें कहीं और जिस ढंग से आपने हम सभी को संयत रहने के लिए अनुरोध किया उसकी मैं प्रशंसा करती हूं।

यह सच है कि पहले ही दिन इस वाद-विवाद के रखे जाने से हम लोग जो सरकार में हैं, खुशी नहीं थे और उसका कारण यह नहीं था कि हम इस वाद-विवाद से बचना चाहते थे, वास्तव में हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम उससे बचना नहीं चाहते। लेकिन हमने अनुभव किया कि क्योंकि उस दिन बन्द आयोजित किया गया था और अकाली दल भी उसी दिन कुछ कार्यवाही करने वाला था इसलिए यहां कही गई किसी बात का गलत अर्थ लगाया जा सकता है और उसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

हम इसी कारण से इसे स्थगित करना चाहते थे। जहां तक तारीख का सम्बन्ध है, इसे किसने चुना ? मैंने तो निश्चित रूप से नहीं। मुझे तो इसकी सूचना आपसे मिली है और जहां तक मुझे पता है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने ही इस तारीख को चुना और हमारे मन्त्री उससे सहमत हो गये। जो प्रश्न उठाये गये हैं, उन सभी का उत्तर देने का मेरा इरादा नहीं है। उनका उत्तर मेरे सहयोगी गृह मन्त्री देंगे। लेकिन क्योंकि वाद-विवाद में मेरा नाम बार-बार लिया गया है और मैं यह अवश्य स्वीकार करती हूं कि कुछ सदस्यों ने आपके परामर्श के अनुसार नहीं बोला है, अतः मैं कुछ बातों के बारे में कहना चाहती हूं। श्री वाजपेयी ने कुछ विस्तार से कहा है। उनका भाषण हमेशा ही वाक्पटुतापूर्ण होता है। वाक्पटुता से मैं थोड़ा घबराती हूं। मैं तो स्पष्ट वक्ता हूं और सीधे-सादे ढंग से बात करती हूं और मैंने देखा है कि इस प्रकार की वाक्पटुता में अन्य अर्थ प्रायः छिप जाते हैं। यदि आप उनकी वाक्पटुता के पीछे छिपे अन्य अर्थों का विवेचन करें तो·····उन्होंने अधिकांशतया जो कहा है, उस पर सत्य की

तह जमायी गई है लेकिन वह सत्य से कुछ हट कर कहा गया है। नहीं मैं इसे अर्ध सत्य नहीं कहूंगी। मैं नहीं कहती कि वह यह कहने का प्रयास···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : उसे सीमान्त सत्य कहा जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चलिये आप उसे ठीक कर दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं वही करने का प्रयास कर रही हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप हमें पूर्ण विवरण दें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं ऐसा करने का प्रयास कर रही हूं। मैं सभी बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहती। उदाहरण के लिए धार्मिक मांगों का उल्लेख किया गया। बाद में मैंने इन धार्मिक मांगों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है उसे अकाली नेताओं और सन्तों को बता दिया गया था। जब सन्त यहां थे तो मैंने उन्हें स्पष्ट कह दिया था कि हम किन बातों से सहमत हो सकते हैं। मैं उस बात से नहीं हटी हूं लेकिन वे अपनी बात से परे हट गये हैं। प्रसारण के लिए वे कितना समय चाहते हैं, इस बारे में उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं। अन्य बहुत सी बातें भी हैं। मैं नहीं समझती कि मुझे इन सभी बातों के बारे में अत्यधिक विस्तार में जाना चाहिए। मैं दोहराती हूं कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम कहां तक सहमत हो सकते हैं और हम अन्य बातों के बारे में क्यों नहीं सहमत हो सकते। उदाहरण के लिए हम ट्राँसमीटर लगाने की अनुमति क्यों नहीं दे सकते, हम 3 घण्टे के लम्बे समय तक प्रसारण का समय नहीं दे सकते। मैं समझती थी कि पहले वे 1½ घन्टे के लिए सहमत हो गये थे। बाद में अकालियों ने समय बढ़ाने के लिए कहा। अतः समझौता करने के लिए हम 1½ घण्टे तथा आधे घण्टे का समय देने के लिए सहमत हो गये अर्थात 1-1/2 घण्टा सुबह और आधा घण्टा शाम को। इस प्रकार हर स्तर पर हमने उनकी बात मानने की कोशिश की आपने पूछा कि "गुरुद्वारे में इसकी घोषणा क्यों की गई ?" मेरे विचार में मैं कोई घोषणा नहीं कर रही थी। मैं समझती हूं कि अकाली नेताओं को इस घोषणा के बारे में पहले ही बता दिया गया था। औपचारिक रूप से उसे लिखित रूप नहीं दिया गया था और मैं समझती हूं कि जब तक पूरी तरह बात मान न ली जाये, तब तक सरकारी रूप से उनकी घोषणा नहीं की जा सकती। ऐसा मानने के कई कारण थे कि बात इतना आगे नहीं बढ़ेगी। वास्तव में वे बहुत आगे बढ़ गए। गुरुद्वारे में मैंने वही कहा था जो मैं अकाली नेताओं को बता चुकी थी और जो कई सार्वजनिक सभाओं में मैं कह चुकी थी। अब भी जो मैं कह रही हूं उसमें कुछ भी नया नहीं है। कई बार सार्वजनिक रूप से और निजी रूप से पहले भी ये बातें कही जा चुकी हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : यहां भी अनुरोध किया गया था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि हम गुरुवाणी के प्रसारण हेतु सहमत हो गये थे तो यह कार्य आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया ? क्योंकि प्रसारण के लिए तारों को वहां नहीं लगाने दिया गया। हमने तो कई व्यक्तियों को काम के लिए लगा भी दिया था। लेकिन इसमें दूसरे सम्बन्धित पक्ष का सहयोग भी जरूरी है। अन्य मामलों में भी ऐसा ही है।

जहाँ तक तम्बाकू और मांस बेचे जाने का सम्बन्ध है, इनका केन्द्रीय सरकार से कोई सम्बन्ध

नहीं है। इसका सम्बन्ध नगर निगम के कानूनों से है। हमने अकालियों को बता दिया कि वे नगर निगम के अधिकारियों से बात करें और यदि किसी भी रूप में मामला हम तक पहुंचता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। इस मामले में भी मतभेद है कि क्या उसके लिए हरिद्वार और वाराणसी जितना क्षेत्र रखा जाए या पूरे नगर पर इसे लागू किया जाए। मैं ये उदाहरण दे रही हूं। जितना कुछ हमारे हाथ में था, हमने मान लिया है यद्यपि जहां हमने सोचा कि यह देश के लिए अच्छा नहीं है अथवा इसके कुछ अन्य परिणाम हो सकते हैं, वहाँ हमने कुछ रूप भेद के साथ माँग स्वीकार की है। यदि आप एक गुरुद्वारे से तीन घंटे का प्रसारण समय देते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि अन्य गुरुद्वारों, मन्दिरों, मस्जिदों और चर्च से ऐसी माँग नहीं की जाएगी? तब आप उन्हें भी मना नहीं कर सकते। इसका अर्थ होगा कि अन्य कोई कार्यक्रम होगा ही नहीं। ये कुछ कारण हैं। कुछ विपक्षी सदस्यों के विचार भिन्न हैं। मैं दलों का नाम नहीं लेना चाहती। मेरे विचार से आप सभी को पता है कि किसने क्या कहा। कुछ लोग किन्हीं माँगों से सहमत थे। दूसरे उन मांगों से नहीं बल्कि अन्य माँगों से सहमत थे। कुछ ऐसी ही बात थी।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या उसमें कांग्रेस (इ) भी शामिल है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कांग्रेस ? जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है कोई अनिश्चितता नहीं है। त्रिपक्षीय वार्ता होने से भी बहुत पहले जब मैं अकालियों से मिली थी तो मैंने यह बात उन्हें स्पष्ट कर दी थी। जो कुछ बातें कही गई हैं उनके बारे में अकालियों को त्रिपक्षीय वार्ता से पहले और उनके साथ आपकी औपचारिक बातचीत से भी पहले उन्हें बता दिया गया था; निजी तौर पर आपने हो सकता है उनसे बात की हो लेकिन उनके साथ आपकी औपचारिक वार्ता से पूर्व ये बातें उन्हें स्पष्ट रूप से बता दी गई थीं। जब हमने सोचा कि सारा मामला निपटा लिया गया है, उस समय तक केवल धार्मिक मांगें ही मेरे समक्ष रखी गई थीं, यहाँ संसद भवन के कमरा संख्या 9 में जब मैंने सोचा कि बैठक समाप्त हो गई है और अन्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम निपटाने के लिए मैंने जब उठकर नमस्कार कहा तो वे कहने लगे, "नहीं, नहीं यह मुख्य बात नहीं है, मुख्य प्रश्न तो नदी जल और क्षेत्र सम्बन्धी है।" उस समय तक नदी जल या क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम के सम्बन्ध में हमने कहा "हमें केवल एक आपत्ति यह है कि अन्य राज्यों में भी गुरुद्वारे हैं। उनके अपने निर्वाचित बोर्ड या समितियां हैं और हम अनुभव करते हैं कि सभी सम्बन्धित लोगों से परामर्श किया जाए। सम्भवत: गृह मन्त्री जी जानते होंगे।

खेद है कि मुझे गुरुद्वारों की संख्या मालूम नहीं। शायद गृह मन्त्री जी को पता हो लेकिन यह तो बदलती रहती है। पहले यह संख्या काफी बड़ी थी। बाद में यह कम हो गई। ताजा स्थिति के अनुसार यह 10 से 30 के बीच में रहती है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल ऐतिहासिक गुरुद्वारों के बारे में ही आग्रह करेंगे और वह स्थानीय लोगों की सहमति से ही होगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारा कहना था कि स्थानीय लोगों की सहमति जरूरी है। यदि वे सहमत हो जाते हैं तो कोई झगड़ा नहीं है। मैं सन्तों से केवल दो बार मिली हूं। यदि मैं गलती पर नहीं तो शायद 1981 में मिली थी। उन अवसरों पर मैंने अपने विचार उनके समक्ष रखे थे। मैं अपनी स्थिति से हटी नहीं हूं।

अब नदी जल के बारे में जो कुछ हो रहा है उससे मुझे खुशी नहीं है। यह अच्छा उदाहरण पेश

नहीं किया गया । निर्णयों से मुकुर जाने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है । शाह आयोग ने कुछ निर्णय दिए थे। अन्य निर्णय भी थे । इसका प्रमाण या गारन्टी कहां है और गारन्टी कौन देगा कि यदि हम अब समझौता कर लेते हैं तो वह मान्य, अन्तिम और चिरस्थायी समझा जाएगा । मेरे दिमाग में यही प्रश्न और यही झिझक थी । तथापि जब उन्होंने जोर दिया कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं इस बात के लिए सहमत हो गई कि जल विवाद को अधिकरण को सौंपा जा सकता है ।

एक सदस्य द्वारा यह कहे जाने पर कि तीन बर्ष के समय में यह मामला सुलझाया जाना चाहिए था, अध्यक्ष महोदय ने उन्हें डांट दिया था । मैं कहानी को दोहराना नहीं चाहती । लेकिन इस तथ्य को हमें याद रखना चाहिए। मामला सुलझाने का समय तो तब था जब आस-पास के राज्यों की सरकारें जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार की सहयोगी थीं । जब अकाली केन्द्रीय सरकार में थे और पंजाब में उनकी अपनी सरकार थी । स्पष्ट है कि यदि तीन वर्षों का वह समय मामला सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं था तो मेरे विचार से यह कहना अनुचित है कि यह दो वर्षों का समय बहुत अधिक है । हम बेकार नहीं बैठे रहे—हमने द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ताएं की हैं। इसी बीच हमें उन लोगों के सन्देश मिले जो मध्यस्थता कर रहे थे । कुछ सन्देशों में कहा गया कि अकाली त्रिपक्षीय के स्थान पर द्विपक्षीय वार्ता करना चाहेंगे । यहां सब प्रकार के व्यक्ति थे जो आते-जाते रहते थे । यहाँ तक कि मैं उन लोगों से मिली जिनसे मैं सामान्यतः नहीं मिलती क्योंकि वे उग्रवादियों की ओर थे। मैं केवल इसलिए मिली कि समाधान निकालने की मेरी उत्कष्ट इच्छा थी । ताकि समझौते के और निकट आया जा सके । लेकिन स्थिति में लगातार इधर या उधर परिवर्तन होता रहा । किसी ने पूछा है कि क्या दबाव डाले गये ? कौन समझौता नहीं चाहता था ? स्पष्ट है कि वही लोग जो अत्यधिक उग्रवादी हैं । उग्रवादी तो सदैव ही रहे हैं । हो सकता है कि ये वही उग्रवादी न हों जो लोगों को गोलियों से भून रहे हैं । उग्रवादी तो उनके बीच में ही थे । लेकिन जब उग्रवादियों ने जोर दिखाना शुरू किया तो मध्यमार्गियों के लिए चाहने पर भी समझौता करना सम्भव नहीं है । अकालियों से बातचीत करने के बाद मेरा अनुमान यह है कि यद्यपि उनमें से कुछ समझौते के पक्ष में हैं तथापि उन पर दबाव पड़ सकता है । हमारे पर तो कोई दबाव तो नहीं है । हमें पता है कि हम कहाँ तक उनकी बात मान सकते हैं । जहाँ तक कुछ अन्य मामलों की बात है, उनका सम्बन्ध अन्य राज्यों से भी है । हमने अकाली नेताओं को बता दिया है कि यदि हरियाणा के लोगों तथा वहाँ के विपक्षी दलों और हमारे दल के साथ मिलकर कोई हल निकाल लेते हैं तो हम उससे सहमत हो जायेंगे । लेकिन वहाँ केवल एक दल ही तो नहीं है । हमारे दल के सदस्यों ने जो कहा है उसमें से किसी ने उद्धृत किया है । यह सच है । हमारे यहाँ इतनी अधिक संकीर्णता नहीं है जितनी आपके दल में है । हम उसी प्रकार की संकीर्णता चाहते भी नहीं हैं । लेकिन मैं यह स्वीकार करती हूं कि इससे हमारे लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं । मैं नहीं कहती कि यह कोई आसान रास्ता है । लेकिन हर एक का अपना दृष्टिकोण होता है और उसे ही वह व्यक्त करता है । और दुर्भाग्य से जब कोई प्रश्न एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होता है तो लोग दल के अनुसार नहीं बंट जाते बल्कि अपने राज्य के हितों के अनुसार चलते हैं । चाहे यह साम्प्रदायिक समस्या हो या भाषायी समस्या अन्य कई राज्यों में भी हमने ऐसा ही देखा है ।

मेरे विचार से किसी ने पुलिस की उपस्थिति की भी बात कही है । यह सच है कि कुछ हद तक ऐसा हुआ है । हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम तथा शायद अन्य राज्यों में भी हुआ है । हम इस बात से खुश नहीं हैं । मैं विपक्ष पर आरोप लगाने या उनसे झगड़ा करने के लिए नहीं कह रही हूं । यह जीवन की सच्चाई है जिसे हमने ध्यान में रखना है और हमें मिलकर समस्या को सुलझाना है । हमें

इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता लानी है। मुझे खेद है कि विपक्ष में सभी लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। मेरे विचार में आप को पता ही है। मैं उसमें नहीं जाना चाहती।

मैं चौधरी चरण सिंह की आभारी हूं। आज उन्होंने शब्दों की बौछार सामान्य से कम की है। उन्होंने केरल में मुस्लिम लीग की सहायता लेने के लिए हमारी सरकार की आलोचना की है। पहला गठबन्धन मार्क्सवादियों के साथ किया गया था। लेकिन जहां तक भारतीय लोकदल का उस समय इसे वही कहा जाता था, सम्बन्ध है—मेरे मुस्लिम मित्रों ने मुझे बताया है कि उन्होंने 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए मुस्लिम मजलिस से समझौता किया था। 1977 में मुस्लिम मजलिस गठबन्धन के सदस्य के रूप में बनी रही और जनता पार्टी में उन्हें दल का ही भाग माना जाता रहा। भा० लो० द० के कोटे में जो लोग थे, उनके नाम मेरे पास हैं लेकिन मैं समझती हूं कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। 1979 में जब चौधरी साहिब ने सरकार बनाई तो उन्हें मुस्लिम लीग का सरकारी तौर पर समर्थन मिला और मुसलिम मजलिस के प्रधान को संचार मन्त्री बनाया गया था। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रही। मैं इस लिए तथ्यों को बता रही हूं क्योंकि एक अलग चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। 1980 में भी संसद के लिए निर्वाचन और बाद में उत्तर प्रदेश निर्वाचनों के समय भी उन्होंने मिल कर चुनाव लड़ा। अतः आप अपनी वाकपटुता दिखा सकते हैं। उस समय आप ऊपर से बहुत ठीक लग सकते हैं लेकिन भीतर से कुरेदने पर पता लगता है कि तथ्य कुछ और भी हैं।

यह बिल्कुल सच है कि हम दक्षिणी राज्यों पर हिन्दी नहीं लायेंगे। क्यों ऐसा नहीं कि मुझे हिन्दी से प्यार नहीं है या मैं नहीं चाहती कि देश में एक भाषा हो। लेकिन मैं चाहती हूं कि यह सारे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा त्रि-भाषा फार्मूले में दृढ़ विश्वास है। मेरा विचार है कि हिन्दी को राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा यह भी विचार है कि अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में रखना भी महत्वपूर्ण है। आज के विश्व में हम इसके बिना नहीं चल सकते लेकिन उस से हिन्दी का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए। हम इसी बात में विश्वास करते हैं और हम लगातार यही करते आ रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है? दक्षिण भारत की भावनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं और आपको पता ही है कि जब उत्तर में हिन्दी के लिए आन्दोलन चला तो दक्षिण में उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। मैं वहां गई और छात्रों से बात-चीत की। जब मैं वहां पहुंची तो वे कह रहे थे; "हिन्दी मुर्दाबाद"। मैंने, कहा कि हम हिन्दी 'मुर्दाबाद' क्यों कहते हैं। तमिल 'जिन्दाबाद' क्यों नहीं कहते? आपके राज्य में चाहे तमिल हो लेकिन मैं चाहती हूं कि आप हिन्दी भी सीखें। जब भी मैं दक्षिण में गई हूं, मैंने इसी पहलू पर जोर दिया है। मुझे खुशी है कि तमिल में भी अनेक व्यक्ति हिन्दी सीख रहे हैं। लेकिन वे हिन्दी नहीं सीखेंगे यदि उन्हें ये मालूम हो यह बलपूर्वक उन पर ठूंसी जा रही है। असली बात यह है। वे इसे सीखेंगे यदि वे इसे लाभदायक समझें और यदि हिन्दी में पढ़ने योग्य अच्छी पुस्तकें मिलें। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह अवश्य है कि विज्ञापन और अन्य विषयों पर हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें नहीं निकल रही हैं जो कि आज आवश्यक हैं। इन भाषाओं को बढ़ावा देने में हमें यही कठिनाई है। हम उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं लेकिन मात्र हिन्दी बढ़ाओ जैसे नारे लगाने के स्थान पर मैं चाहती हूं कि लोग समकालीन विषयों पर मूल लेखन कार्य करने और इस समय छपने वाली आधुनिक पुस्तकों के अनुवाद कार्यों में रुचि लें। यूरोप में यदि कोई पुस्तक किसी भाषा में निकलती है तो एक महीने या उससे कुछ अधिक समय में सारी यूरोपीय भाषाओं में उसका अनुवाद हो जाता है। भाषायें इसी प्रकार उन्नति करती हैं। वे किसी अन्य भाषा पर निर्भर नहीं करतीं लेकिन जहां तक विभिन्न आधुनिक विषयों का सम्बन्ध है हम इस बात पर निर्भर करते हैं।

यह सच है कि कुछ लोगों ने हमें गुरुद्वारे में प्रवेश करने का परामर्श दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहती। मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहती और न ही मैं कहती हूं कि सारे विपक्ष ने ऐसा कहा है। लेकिन विपक्ष में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते रहे हैं कि हमें गुरुद्वारे में प्रवेश करना चाहिए। मैं इस बात पर पूरी तरह सभा के साथ हूं कि किसी भी स्थान को अपराधियों के लिए शरण-स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी भी स्थान पर शस्त्र एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कोई कार्य-वाही करते समय हमें उसके परिणामों का अनुमान लगा लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे हमारा उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसीलिए हमें प्रत्येक कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। मामले में विलम्ब करने के लिए आप मुझे दोष दे रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैंने कोई विलम्ब नहीं किया है। इन वर्षों में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मैंने किसी के माध्यम से सम्पर्क स्थापित न किया हो ; जब मुझे सन्देश न मिले हों ; मैंने सन्देश न भेजे हों ; विपक्ष के लोगों के साथ बैठक न की हो और कोई हल ढूंढने का प्रयास न किया हो। हमने इन मामलों को और सौहार्दपूर्ण रचना-त्मक भावना से हल करने का भरसक प्रयास किया है।

17.00

मैं आज या पहले कभी भी किसी दल को दोष देने के लिए नहीं खड़ी हुई। मेरा झगड़ा किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं ; अकाली नेताओं से भी नहीं है। जब ब्रिटेन से हमारी लड़ाई चल रही थी, तो हमारी लड़ाई अंग्रेज लोगों से नहीं थी। हमारी लड़ाई साम्राज्यवाद से थी। हमने लगातार यह अन्तर बनाये रखा।

आज हमारी लड़ाई इसी प्रकार की उग्रवादिता, इसी प्रकार की अन्धी राष्ट्रीयता और इसी प्रकार के क्षेत्रवाद से है, चाहे कोई भी उसका प्रचार कर रहा हो। यदि मेरे दल में भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उसे दण्डित किया जायेगा। यदि ऐसा व्यक्ति किसी अन्य दल में है, तो उससे भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए।

जब मैं विपक्ष के नेता से मिली तो मैंने उन्हें उन पोस्टरों के बारे में बताया जो उनके दल ने निकाले थे और बताया कि ऐसा कार्य साम्पदायिक सद्भावना के अनुरूप नहीं है। हमें यही चिन्ता है कि इससे गड़बड़ हो जायेगी और लोग उत्तेजित हो सकते हैं। लेकिन सौभाग्य से उस दिन अच्छा प्रबन्ध किया गया था, लोगों ने भी सहयोग दिया और दिन शान्तिपूर्वक बीत गया।

लेकिन मैं सभा से पूछना चाहती हूं क्या इस प्रकार के 'बन्द' आयोजित करना अच्छा कार्य है फिर चाहे यह कार्य सरकार का हो अथवा विपक्ष का। मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहती···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : या कांग्रेस दल।

प्रो० मधु दण्डवते : चाहे यह कर्नाटक में हो या दिल्ली में।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : कहीं भी हो।

यह ऐसा प्रश्न है जिस पर हम मिल-बैठकर विचार कर सकते हैं। 'बन्द' कराने का कार्य हमने शुरू नहीं किया। विपक्षी दल 'बन्द' करायें तो बात समझ में आती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया

कि क्या अपनी सरकार के विरुद्ध ही ऐसा 'बन्द' आयोजित कर सकती है। मेरा ख्याल है···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा एक स्पष्टीकरण है। जब पश्चिम बंगाल में आपके दल का शासन था तो क्या हुआ ? जब विधानचन्द्र राय पश्चिम बंगाल में मुख्यमन्त्री थे तो सरकार ने 'बन्द' आयोजित किया था।

श्री नारायण चौबे : तमिलनाडु में ऐसा किया जा सकता है।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : मैंने पहले ही कहा था, चाहे कोई भी दल ऐसा करे। आप इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह बन्द का राष्ट्रीयकरण है।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : मेरे विचार से इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की निन्दा करना था। मैं भी उन घटनाओं की निन्दा करती हूं। मेरे विचार से हम सभी इन घटनाओं की जोरदार भर्त्सना करते हैं। मैंने बताया है कि कैसे अपराधियों को शरण दी जाती है, शस्त्र एकत्र किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, उन्हें "हिट लिस्ट" पर रखा जाता है और बिल्कुल निर्दोष लोगों को एक-एक करके गोलियों से भून दिया जाता है। यह ठीक ही कहा गया है कि पंजाब में अधिकांश मरने वाले लोग सिख ही थे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : आपका कहना ठीक है। लेकिन उनमें से बहुत से निरंकारी तथा अन्य व्यक्ति थे। अब हाल ही में एक नवयुवक की हत्या के मामले को लें—उसे मारने का कारण केवल यही था कि उसकी दाढ़ी नहीं थी। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानती। समाचापत्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो मुझे बताया गया है, मुझे उतना ही पता है।

अध्यक्ष महोदय : उसका सगा भाई उसके साथ था।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : उसका सगा भाई साथ था और उसके पगड़ी और दाढ़ी दोनों थीं। हम इन घटनाओं की निन्दा करते हैं।

हरियाणा में जो कुछ हुआ, हम उसकी भी बराबर निन्दा करते हैं। यह शर्म की बात है कि कोई भीड़ आवेश में आकर ऐसा कार्य करे। मैं सहमत हूं कि यह बहाना उचित नहीं है कि यह प्रतिक्रिया स्वरूप थी। प्रतिक्रिया हो सकती है लेकिन अब हमें ऐसी प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। यहीं पर हमें समूचे विपक्ष के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि वे मुझे दोष देते हैं तो महोदय, वे ऐसा करते रहें। मैंने तो 3 या 4 वर्ष की आयु से ही जब स्वतन्त्रता-संघर्ष चल रहा था, दोष और विरोध का सामना करना सीखा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस समय हम वहां उपस्थित नहीं थे।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : आप तो नहीं थे लेकिन मैं तो थी। मैंने उस समय आपके विरोध का

सामना नहीं किया लेकिन आपकी तरह कई अन्य लोग थे। तथापि मैं केवल यह कह रही थी कि मुझे इस प्रकार का सामना करने का अभ्यास है। उससे मैं विचलित नहीं होती। लेकिन मुझे इस बात से जरूर चिन्ता है कि ऐसे गम्भीर संकट के समय आप कोई समाधान ढूंढ़ने के स्थान पर दोष लगाने के लिए अधिक उत्सुक हैं। मुझे इस बात से चिन्ता हो रही है।

पहले दिन ही इस सभा ने उन व्यक्तियों के परिवारों के जिनकी जानें गई हैं, प्रति गहरी सहानुभूति और समवेदना व्यक्त की है। मेरे विचार से हमें पुनः ऐसी भावनायें व्यक्त करनी चाहिए। हमारी सहानुभूति उन सभी लोगों के साथ भी है जिन्हें किसी अन्य ढंग से कष्ठ सहना पड़ा हो, चाहे उनके धार्मिक-स्थलों को अपवित्र किया गया हो या कोई अन्य कारण रहे हों। सम्भवतया विश्व के अन्य भागों में इन बातों का विशेष अर्थ नहीं है। लेकिन भारतीयों के लिए तो उनका विशेष महत्व है। अतः हम चाहे किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखते हों, हमें अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। इसलिए हम उनके प्रति भी गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। आइये हम ऐसा समाज बनाने की दिशा में कार्य करने की तीव्र इच्छा व्यक्त करें, जिसमें इस प्रकार की कोई घटना न हो। महोदय, हमें इस समूची समस्या पर राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें राजनीति घुस गई है।

किसी ने कहा था कि व्यापक आधार होना चाहिए। चुनाव में कोई जीतता है और किसी की हार होती है। यदि हारने वाला व्यक्ति यह कहे कि वह अगले निर्वाचन तक प्रतीक्षा नहीं करेगा और उसे तुरन्त कोई सरकारी पद मिलना चाहिए तब हमारे ढंग का लोकतन्त्र नहीं चल सकता। इस बात पर विचार किया जाना जरूरी है। (**व्यवधान**) नहीं राष्ट्रपतीय प्रणाली से इस समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि संसद के लिए निर्वाचन होते रहेंगे और होने भी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम विपक्ष को कोई विभाग देने के लिए नहीं कह रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी बात नहीं कर रही।

माननीय सदस्य : बिना विभाग के शक्ति चाहते हैं।

श्रीमति प्रमिला दण्डवते : भिंडरांवाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता ?

श्रीमति इन्दिरा गांधी : मेरे विचार से यह बात सभी के सामने स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि क्या स्वर्ण-मन्दिर में प्रवेश होना चाहिए और वहां प्रवेश किस प्रकार से हो, आदि कई बातें हैं। यह बातें ऐसी नहीं हैं जिन पर यहां चर्चा की जा सके।

एक माननीय सदस्य : वह दिल्ली कब आया था ?

श्रीमति इन्दिरा गांधी : पुलिस चकमा खा गई। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं सभा को विश्वास दिलाती हूं कि हमने उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। मुझे पता नहीं कि वह कब और क्यों दिल्ली आया था। हमें आशा थी कि उसे बम्बई में गिरफ्तार कर लिया जायेगा। वहीं के वारन्ट जारी किए गए थे।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहती लेकिन मैं यह दोहराना चाहती हूं कि हमें इस बात पर बल देना है कि सतर्कता कैसे बनाई रखी जाये। मुझे पता है कि विपक्षी सदस्य कई बार जब मैं व्यापक पहलू की बात करती हूं तो चिढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत में ही ऐसी घटनाओं की समस्या नहीं है। कुछ पहलू स्थानीय, कुछ राष्ट्रीय और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का विघटनकारी वातावरण होने से बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि ऐसा हस्तक्षेप जरूर किया जाता है और भड़काने वाली कार्यवाही की जाती है। मैंने पहले ही कहा है कि केवल भारत के अन्दर ही ऐसा नहीं हो रहा। मैं अनुभव करती हूं कि ऐसे तत्व हैं जो यह नहीं चाहते कि इस उप-महाद्वीप में सहयोग हो और विभिन्न समस्याओं पर एक आवाज उठाई जा सके। अतः ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे बहुत शक्तिशाली तत्व हैं जिन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती कि हम शक्तिशाली हों। "हम" से अभिप्राय केवल भारत ही नहीं बल्कि इस सारे क्षेत्र से है। आप विश्वव्यापी आर्थिक नीतियों और अन्य कई प्रकार से दबाव डाले जाने में यह बात देख सकते हैं। इस मामले में भारत अकेला ही नहीं। अकेले भारत को ही कष्ट नहीं सहना पड़ता। लेकिन भारत उठकर मुकाबला कर सकता है क्योंकि वह बड़ा है। हम मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि हमारी परम्परायें हैं ; हम मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्वतन्त्रता संघर्ष इस प्रकार का रहा है कि स्वतन्त्रता की ज्वाला अभी भी यहां जल रही है । छोटे देशों के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। यही कारण है कि लोग हमारी ओर देखते हैं। यह हमारे लिए घमण्ड अथवा शेखी की बात नहीं है हम अन्य विकासशील देशों को अपने भागीदार मानते हैं और वे भी हमें अपने सहयोगी समझते हैं। लेकिन वे भी यह जानते हैं कि विभिन्न मामलों पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जबकि ऐसा करने पर उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ व्यापक प्रश्न हमारे सामने हैं। वाद-विवाद का स्तर नीचे लाकर मैं नहीं समझती कि हम अपने देश अथवा अपने लोगों की कोई सेवा कर सकते हैं।

एक बार मैं पुनः अनुरोध करती हूं कि हमारे बीच कितने भी मतभेद क्यों न हों—वे तो स्पष्टतया रहेंगे ही क्योंकि यदि वे न होते तो हम एक दूसरे के विपक्ष में न बैठते, आपमें से ही अनेक लोग जो आपस में इकट्ठे बैठे हैं, मतभेद रखते हैं। चाहे अभी वे उभरे हों, लेकिन हमें पता है वे मौजूद हैं और आपको भी उनका पता ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन मतभेदों के बावजूद भी हमें यह देखना चाहिए कि किन मामलों पर हम इकट्ठे हो सकते हैं और किन बातों के बारे में हम विश्व को दिखा सकते हैं कि हम एक हैं।

प्रो० दंडवते ने युद्ध के दौरान ब्रिटिश संसद की बैठक और बंगला देश युद्ध के समय हमारी संसद के संबध में कुछ बातें कही हैं। इन दोनों में बड़ा अन्तर है। उस समय हम वाह्य शक्ति के विरुद्ध एक थे, हो सकता है इस समय कोई अदृश्य बाह्य शक्ति कार्य कर रही हो लेकिन हम युद्ध की स्थिति में नहीं हैं। यहां तो लड़ाई-झगड़ा हमारे बीच में ही है और एक बार जब कोई लड़ाई साम्प्रदायिक रंग ले लेती है तो, हमें अपने अनुभवों से पता है कि कैसे एक छोटे से शब्द को भी गलत समझा जा सकता है जिससे आग फैल जाती है। मैंने आज ही नहीं, लेकिन तीसरी दशाब्दी में उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों को भड़कते देखा है। साइकिल पर सवार दो लड़कों की आपस में टक्कर हो जाती है। यदि दोनों हिन्दू हुए तो कुछ नहीं होगा। यदि दोनों मुस्लिम हुए तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि एक हिन्दू और दूसरा मुसलमान हुआ तो देखते ही देखते गड़बड़ हो जाती है। अन्य स्थितियों की अपेक्षा ऐसे वातावरण में बहुत सावधान रहना होता है। मुझे नहीं पता कि हम सबमें साम्प्रदायिक भावना तीव्र गति से उठती है। कई बार ऐसा लगता है कि हममें धर्म-निरपेक्षता केवल ऊपरी तौर पर ही है। जब तक हम अपने देश से इस बुराई को समूल

नष्ट नहीं कर देते तब तक हम किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते और यह संसद अपना वास्तविक कर्त्तव्य पूरा नहीं कर सकती। जैसा किसी ने कहा है कि यहां पर हममें से हर व्यक्ति किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया है। लकिन जब हम संसद में आ जाते हैं तो हम केवल किसी क्षेत्र में या निर्वाचन क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः हमें कार्य करते समय इसी रवैये को अपनाना चाहिए।

महोदय, मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। मैं केवल कुछ मिनट बोलना चाहती थी लेकिन इस मामले पर मेरी भावनाऐं बहुत तीव्र हैं। मैं साम्प्रदायिकता पर पहले भी बोल चुकी हूं। मेरे विचार से मेरी अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां इसी स्पष्टवादिता के कारण पैदा हुई हैं। काफी लम्बे समय तक प्रहार का लक्ष्य मैं रही हूं। लेकिन मैं लगातार इस विषय पर बोलती रहूंगी क्योंकि हमारे देश में यही सबसे बड़ा विघटन कारी तत्व है और यदि देश विभाजित हो जाता है तो देश शक्तिशाली नहीं होगा और यदि देश शक्तिशाली नहीं है तो स्पष्ट है कि हम अपनी स्वतन्त्रता या अन्य किसी चीज की रक्षा नहीं कर सकते।

धन्यवाद।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, हम प्रधानमन्त्री महोदय से यह आशा कर रहे थे कि वह कुछ ऐसे रचनात्मक कदमों के बारे में बतायेंगी जो वह उठाना चाहती हैं या जो इस समय समस्या को हल करने में सहायक होंगे। परन्तु महोदय, यह बड़ी ही निराशाजनक बात है कि उन्होंने झाम बातें ही कहीं और वाद-विवाद के कुछ एक मुद्दों को ही उल्लेख किया है।

19.14 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

महोदय, आज समस्या पंजाब और हरियाणा से ही संबद्ध नहीं है। कल दिल्ली में संविधान को जलाया गया और उसी दिन संयोगवश दिल्ली-बन्द भी था। मेरा विचार था कि हमारे मित्र श्री वाजपेयी जी इस बारे में सदन को बतायेंगे कि क्या उसी दिन दिल्ली बन्द का आह्वान करना उनके दल के लिए आवश्यक था। कल ही तो संविधान की प्रतियां जलाने के लिए पंजाब से दल आ रहा था। यह हमारा सौभाग्य था कि दिन शान्ति से गुजरा। परन्तु न केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की जनता की इस बारे में चिन्ता है बल्कि देशभर की जनता इस समस्या से चिंतित है। हमारे महान् नेता चौधरी चरणसिंह जी ने भाषा सम्बन्धी नीति का उल्लेख किया है। हम सभी जानते हैं कि हम एकल-भाषी राष्ट्र नहीं हैं। हमारा बहु-भाषी, बहु-धर्मी और विभिन्न संस्कृतियों वाला राष्ट्र है। परन्तु साथ ही यह एक राष्ट्र है और एक अकेला ऐसा राष्ट्र है। इसीलिए, इसी मुद्दे पर प्रधानमन्त्री महोदया सहित कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम एक भाषा को दूसरी पर भाषा थोप नहीं सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य चर्चा जारी रखना चाहते हैं तो हमें शान्त हो जाना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, जब हमें अशान्ति का सामना करना पड़ रहा है तो हम उस व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं जो अमरीका में बैठकर स्वयं को सार्वभौम खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर रहा है। जब कोई बी० बी० सी० या वायस आफ अमरीका को सुनता है तो कोई भी यह समझ सकता है कि यद्यपि नाम से तो यह पूर्णतया आन्तरिक समस्या नहीं है। इस सन्दर्भ में हमारी राष्ट्रीय एकता और सार्वभौमिकता सभी इस में अन्तर्गस्त हैं। महोदय, सारे मामले में मुख्य बात है राजनीतिक पहलू

और मांगे राजनीतिक हैं—चाहे यह सत्ता के लिए है या नहीं। मुख्य बात है राजनीतिक और इसलिए इसको तदानुसार ही हल किया जाना चाहिए।

परन्तु इसी के साथ ही विधि और व्यवस्था की स्थिति को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। प्रधानमन्त्री महोदया को यह शिकायत है और सत्तारूढ़ दल के हमारे कुछ मित्रों को भी यह शिकायत है कि हम सत्तारूढ़ दल को दोष दे रहे हैं। परन्तु महोदय, चाहे हम इसे पसन्द करें या न करें वे सत्ता में है। जनता ने उन्हें विधि और व्यवस्था बनाए रखने, देश की एकता बनाए रखने और संविधान की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुना है। प्रधानमन्त्री महोदया जब सत्ता में नहीं थीं तो कहा करती थीं और सम्भवतया यह उनका मुख्य नारा था "देश को कार्य करने वाली सरकार की आवश्यकता है।" आज हम उनसे और सत्तारूढ़ दल के अपने कुछ मित्रों से यह जानना चाहते हैं कि क्या आज हमारी सरकार ऐसी है जो पंजाब में कार्य कर रही है क्या आज हमारे पास ऐसी सरकार है जिसने उस दुर्भाग्य-पूर्ण दिन हरियाणा के कुछ भागों में कार्य किया था। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

जो कुछ हो रहा है मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। परन्तु मैं कहना यह चाहता हूं कि सरकार को अपनी असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमन्त्री महोदया ने सभा से कुछ मामलों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बनाए रखने के लिए कहा है। परन्तु, यहां पर राष्ट्रीय एकता स्वयंमेव एक ऐसा मामला है जो कि दलगत भावना या मतभेदों के बावजूद भी दाव पर लगी हुई है।

अनेक प्रश्न उठाए गये थे। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सत्तारूढ़ दल के विरूद्ध लगाए गए इस आरोप पर प्रधानमन्त्री महोदया चुप क्यों रहीं कि श्री भिंडरावाले सत्तारूढ़ दल द्वारा दिए गए समर्थन की ही उपज हैं। वह उसका खण्डन कर सकती थीं। सम्भवतः, उन्होंने यह करना उचित नहीं समझा। कुछ भी हो उन्होंने सभा और देश को असमंजस में रखा है।

इसी प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं, एक हिन्दू रक्षा समिति गठित की गई है और हमें बताया गया है कि कांग्रेस इ के बहुत से सदस्य उस समिति में हैं। उस समिति ने बन्द का आहवान किया था। हम जानते हैं कि क्या हुआ। अमृतसर को बसाने वाले रामदास की मूर्ति का अपमान करना, केवल सिखों का अपमान नहीं है। यह तो हम सभी का अपमान है। यह सब उसी दिन हुआ जब हिन्दू रक्षा समिति ने बन्द का आहवान किया था।

ये कुछ बातें हैं, जिन पर किसी को भी सत्तारूढ़ दल से कुछ अपेक्षा हो सकती थी, सत्तारूढ़ दल से कुछ निंदा की और कम से कम प्रधानमन्त्री महोदया से तो यह आशा थी।

प्रधानमन्त्री महोदया ने अकालियों के रवैये में बदलाव की बात कही है। हम यह तो समझते हैं कि विपक्षी दलों ने अकालियों के साथ विपक्षीय बातचीत, वार्त्तालाप करने का भरसक प्रयास किया है। मैं विपक्ष के अपने कुछ मित्रों के साथ पटियाला के उन विभिन्न गड़बड़ी वाले स्थानों पर गया था जहां पर गोलियां चलाई गई थीं और कुछ निरपराध सिख मारे गए थे। मैं इस बात की भी सराहना करता हूं और सभा को भी करनी चाहिए कि अकाली दल ने स्वतन्त्र खालिस्तान विरोधी रवैया अपनाया है। उसकी सराहना की जानी चाहिए। उसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करदी है जिसमें हम कोई ऐसा सूत्र ढूंढ़ निकालने की स्थिति में आ जायेंगे, कोई ऐसी सूझ-बूझ निकालेंगे जिससे कि यह समस्या हल हो जाए।

इसी सन्दर्भ में 30 जून, 1983 को विपक्षी दलों में कुछ मुद्दों पर सहमति हुई। मैं सभा के समक्ष

यह प्रस्ताव रखता हूं और विशेषकर सत्तारूढ़ दल के समक्ष कि उन्हें वह सूत्र स्वीकार कर लेना चाहिए। वह सूत्र क्या है? वह यह है कि चण्डीगढ़, यद्यपि यह संयुक्त पंजाब राज्य के लिए था किन्तु वर्तमान स्थिति में इसे पंजाब को दे दिया जाना चाहिए और हरियाणा को अपनी पसन्द के स्थान पर स्वयं अपनी राजधानी बनाने के पर्याप्त संसाधन दिए जाने चाहिए और साथ ही कुछ क्षेत्रीय संमजन द्वारा किसी न किसी प्रकार हरियाणा की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। विपक्षी दलों का वह संयुक्त रवैया था और वह आज भी वैध है। उसे लागू किया जाना चाहिए।

जहां तक जल विवादों का सम्बन्ध है उस विवाद को न्यायाधिकरणों को सौंपा जा सकता है।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का जहां तक सम्बन्ध हैं, सरकारिया आयोग बैठा ही हुआ है। कोई भी दल या व्यक्ति जो इस मामले से सम्बद्ध है वह सरकारिया आयोग के पास जा सकता है जिससे कि इस समस्या को हल किया जा सके। जैसा कि मैं समझता हूं, देश के कुछ राज्यों ने गुरुद्वारों के लिए भूमि की सहमति प्रदान कर दी है। ऐसी स्थिति में, मैं अनुभव करता हूं कि गृहमन्त्री महोदय को अपने उत्तर में त्रिपक्षीय वार्त्ता के प्रस्ताव की बात कहनी चाहिए।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

यह सम्भव है कि गृहमन्त्री महोदय यह सोच रहे हों कि हो सकता है अकाली दल बातचीत में भाग न ले। उस स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देश भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। अकालियों के हितों से पंजाब की समस्या कहीं अधिक बड़ी और महत्वपूर्ण है। हमें तो सभी सिखों के हितों को देखना है, केवल अकालियों के हितों को नहीं। हम देखने के लिए कि अकाली विपक्षीय बैठक में भाग ले सभी प्रयास करेंगे। परन्तु यदि अकाली त्रिपक्षीय बातचीत में भाग नही लेते हैं, तो भी हमें अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए। सत्तारूढ़ दल को तथा सरकार को चाहिए कि वह पंजाब के नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लें और सभी मामलों को विचार-विमर्श द्वारा सुलझाते हुए कोई समझौता करे।

प्रधानमन्त्री महोदया ने कहा है कि वह पंजाव की समस्या को हल करने के व्यक्तिगत प्रयास करेंगी। परन्तु व्यक्तिगत प्रयास करने में बहुत देरी हो गई है। अब तो हमें इन उपायों द्वारा पंजाब की समस्या का त्वरित हल निकालने का प्रयास करना चाहिए और हमारे प्रयासों में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाने से समस्या के गम्भीर रूप धारण करने और अधिक बिगड़ने का खतरा है। झूठी अफवाहों के फैलने से वातावरण तेजी से बिगड़ सकता है और इस समस्या को हल करने में हमें और अधिक समय नहीं खोना चाहिए।

गृहमन्त्री महोदय को आज ही सदन में यह घोषणा करनी चाहिए कि समस्या का संतोषजनक हल ढूंढ़ निकालने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई जायेगी और उस बैठक में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा और वह निर्णय अवश्य लागू किया जाएगा। यह विशेषकर अकाली नेताओं के समर्थन से किया जाना चाहिए।

श्री जैनुल बसर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, आज काम रोको प्रस्ताव की शक्ल में हम पंजाब के मामले पर बहस कर रहे हैं। मुझे खुशी होती अगर यह मामला काम रोको प्रस्ताव के रूप में न आता क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो कुछ हुआ है, उससे चाहे इधर बैठने वाले लोग हों या ऊपर बैठने वाले हों, सब को दुःख हुआ है और सबको उसके बारे में चिन्ता है।

पंजाब के अकाली दल के लोगों ने राजधानी और पंजाब के गुरुद्वारों में संविधान की जो प्रतियां जलाने की चेष्टा की है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाये, वह कम है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं ? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है ?

संविधान की धारा 25 के विरोध का और संविधान की प्रतियां जलाकर उसके विरोध करने का क्या का कारण है, उसकी मंशा क्या है ? वह सिख धर्म को हिन्दू धर्म से अलग करने की बात करते हैं। जैसाकि इस सदन में कहा गया, मुझे एक बात का शक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हिन्दू धर्म से सिख धर्म को अलग करके फिर उस सिद्धान्त को वापिस लाना चाहते हों जिस सिद्धान्त को इस देश में मोहम्मद अली जिन्ना ने कायम किया था कहीं वे लोग ऐसी कार्यवाही तो नहीं कर रहे हैं कि बाद में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त की बात उठाई जाये जैसाकि पाकिस्तान बनने के पहले धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों के बंटवारे की बात की गई थी ?

हालांकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि धर्म के नाम पर राष्ट्रों का बंटवारा चल नहीं सका। वही पाकिस्तान जो धर्म के नाम पर बना, दो हिस्सों में बंट गया। अगर धर्म के नाम पर राष्ट्रों का निर्माण हुआ होता तो आज सारा यूरोप, कनाडा, अमेरिका एक देश होते क्योंकि सभी ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। आज सारे मध्य एशिया के देश एक होते क्योंकि सभी इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। राष्ट्र का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं होता, इस तजुर्बे ने हमको बता दिया है। इस देश में जो घटना घटी, वह भी बदल गई है। लेकिन हमारे अकाली दल के लोग और दूसरे आतंकवादी कहीं इतिहास को तो फिर से दोहराना नहीं चाहते ? हमें इस बात पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

इस देश की आजादी के लिए देश के सब भागों के लोगों ने कुर्बानियां दीं। जब वे कुर्बानियां दे रहे थे, त्याग कर थे, तो उनके सामने भारतमाता का एक ही नक्शा था, एक ही तस्वीर थी—और वह थी काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजरात से ले कर आसाम तक एक भारत की तस्वीर। वह तस्वीर 1947 में खंडित हो गई। उसका क्या नतीजा निकला, हमें मालूम है। मैं एक अल्पसंख्यक वर्ग से आता हूं, उस वर्ग से आता हूं, जिसने दो राष्ट्रों के सिद्धांत के नाम पर एक अलग देश की मांग की और उसको हासिल भी कर लिया। उससे हमने क्या भोगा, क्या खोया और क्या पाया, यह अभी भी हमारे दिलों में मौजूद है। उसका क्या नतीजा निकला, यह हम जानते हैं।

सारी दुनिया जानती है कि उस जमाने में पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में लोगों का खून बहाया गया, लोगों को लूटा गया, बहनों की इज्जत गई, लोगों को अपने घर-बार से उजड़ना पड़ा, ये घटनाएं कोई सौ, दो सौ साल पुरानी नहीं हैं, ये हाल की घटनाएं हैं। हमें सजग रहना चाहिए कि कहीं इस तरह की घटनाएं पंजाब में फिर तो नहीं होने जा रही हैं। पंजाब में जिन लोगों पर पागलपन सवार है, शायद वे नहीं देख रहे हैं कि पंजाब में होने वाली हिंसा की घटनाओं का असर देश के दूसरे भागों पर क्या पड़ेगा। हरियाणा में उनका असर पड़ा है। प्रधानमन्त्री और श्री वाजपेयी लाख कहें कि वह प्रतिक्रिया ठीक नहीं थी, लेकिन हकीकत यह है कि प्रतिक्रिया होती है और उसको रोका नहीं जा सकता। देश के दूसरे भागों में यह प्रतिक्रिया नहीं हुई है, इसके लिए हम वहां के लोगों की सराहना करते हैं।

मैं समझता हूं कि पंजाब के मामले में सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। अगर वहां की स्थिति को सख्ती से नहीं दबाया जाएगा, तो यह ज्वालामुखी भभककर पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा

और तब शायद स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि वह किस बात का इन्तजार कर रहे हैं। क्या वह इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि जो स्थिति आसाम में पैदा हुई थी, वह पंजाब में भी हो जाए? क्या वह इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि जैसे आसाम में लोगों का खून बहाया गया, वैसी घटना पंजाब में भी हो। इसलिए मैं गृह मन्त्री से कहूंगा कि वह इस बारे में सख्ती से काम लें। कहीं बहुत देर न हो जाए।

गोल्डन टेम्पल में पुलिस क्यों नहीं जा सकती? अगर वहां अपराधी, कातिल और डकैत छिपे हुए हैं, जो रात के अंधेरे में लोगों का कत्ल करते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं वहां जा सकती? अगर कल मंदिर, मस्जिद या चर्च में अपराधी छिप जाएं, तो वे लोग भी कहेंगे कि पुलिस वहां नहीं जा सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि इस बारे में सख्ती करने में देर क्यों हो रही है। रोजाना पत्रों में समाचार आ रहे हैं कि पांच, सात, दस, बारह आदमी रोज मारे जा रहे हैं। आखिर यह धन्धा कब तक चलता रहेगा? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, स्थिति बहुत खराब हो जाए, वह कार्यवाही करे। बातचीत का दरवाजा बन्द करने के लिए मैं नहीं कहता। बातचीत सरकार कर सकती है, अगर वे लोग चाहें। बातचीत सरकार ने नहीं तोड़ी, बल्कि संत लोंगोवाल ने ऐलान किया कि वह बातचीत नहीं करेंगे। आज वे संविधान की प्रतियां जला रहे हैं। संविधान की प्रतियां जलाने वाले देशद्रोही हैं। क्या सरकार देशद्रोहियों से बातचीत करने के लिए तैयार है? कोई भी आदमी अगर देशद्रोह की बात करता है तो उससे बात करना क्या मुनासिब होगा। जब तक कि वह अपने किए का पछतावा न करे जब तक कि वह अपने किये के लिए माफी न मांगे तब तक उससे बात करना उचित नहीं होगा। आखिर, हमारी सरकार और हम देश के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या देश-द्रोहियों से बात करके हम उनको मुंह दिखा सकते हैं? इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पंजाब के बारे में आप सख्ती करिए।

आज सारे देश के लोगों का चाहे वह किसी जाति, वर्ग या भाषा से ताल्लुक रखते हों, उनमें से बहुत ज्यादा संख्या के लोगों का विश्वास प्रधानमन्त्री में है। अगर प्रधानमन्त्री आज इस मामले का समाधान नहीं कर सकतीं तो कल कोई भी इस मामले का समाधान करने को तैयार नहीं होगा और न कोई कर सकेगा। आज प्रधानमन्त्री के वश की बात है, उनको देश का विश्वास प्राप्त है और सभी वर्ग के लोगों का विश्वास प्राप्त है। प्रधानमन्त्री पर विश्वास है लोगों का, इसलिए उनको तुरन्त इस मामले को हल करना चाहिए। अगर देर हो गई तो स्थिति काबू के बाहर हो जाएगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, आज पंजाब में जो हिंसा का वातावरण व्याप्त है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साम्प्रदायिकता की आग में पंजाब और हरियाणा दोनों ही जल रहे हैं। हरयाने में जो स्थिति पैदा की गई उससे पंजाब की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है, यह भी सभी लोग जानते हैं और इस बात को यहां पर कहा भी गया है।

बार बार यह बात कही जाती है कि आज जो स्थिति हरयाना और पंजाब में है उसको खराब करने की जिम्मेदारी देशी और विदेशी दोनों प्रकार की ताकतों को है। अभी प्रधानमन्त्री जी जब बोल रही थीं तो उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। लेकिन अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि वह कौन सी विदेशी ताकत है जो इस उपद्रव को बढ़ा रही है। अगर कोई विदेशी ताकत सरकार की जानकारी में है तो उस देश की सरकार से आज तक इस बारे में कोई बातचीत की है या नहीं? मैंने बार बार इस सवाल को उठाया है जब भी पंजाब के बारे में यहां पर बहस हुई है तब मैंने गृह मन्त्री जी से जानना

चाहा कि वह बताएं कि आखिर वह कौन सी विदेशी ताकत है। लेकिन कभी भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। मैं नहीं जानता कि उनकी क्या मजबूरी है कि वह स्पष्ट नहीं कह पाते हैं कि अमुक विदेशी ताकत स्थिति को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है और सरकार उसी की वजह से इस समस्या को हल नहीं कर पा रही है।

यह समस्या पिछले तीन चार वर्षों से चल रही है लेकिन आज तक इसका हल नहीं निकाला गया। कहने के लिए तो सरकार ने कुछ दिखावटी तरीके से प्रयास जरूर किए लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया। अगर ईमानदारी से प्रयास किया गया होता तो आज यह समस्या इस तरह से नहीं होती। विरोध पक्ष पर बराबर हमले होते हैं और यह कहा जाता है कि विरोध पक्ष के लोग इस स्थिति को बिगाड़ रहे हैं और वे इस प्रकार के तत्त्वों को जो पंजाब में अशांति पैदा कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। यहां तक अखबारों में एक खबर छपी थी कि प्रधानमन्त्री जी ने एक जगह कहा कि विरोध पक्ष को इस समस्या के समाधान में सम्बद्ध करके उन्होंने महसूस किया है कि उन्होंने गलती की। यह अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है लेकिन उसी के कुछ दिन बाद अभी प्रधानमन्त्री जी ने फिर पहल करके त्रिपक्षीय वार्त्ता बुलायी और त्रिपक्षीय वार्त्ता हुई। आखिर जब विरोध पक्ष को इतना गैर-जिम्मेदार समझा जाता है तो क्यों फिर उनकी सहायता लेने की बात होती है? यह अलग बात है कि विरोध पक्ष जिसके बारे में प्रधानमन्त्री की नीयत ठीक नहीं है, लगातार राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका अदा करता रहा है, लेकिन कभी भी उस पर विश्वास करने की कोशिश प्रधानमन्त्री ने नहीं की। सवाल यह है कि कब तक इस मामले को सरकार हमारी सरकार और सरकार की प्रधानमंत्री प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए रहेंगी? क्या वजह है कि श्री लोंगोवाल, जोकि अकाली दल के अध्यक्ष हैं उनको बुलाकर प्रधानमन्त्री उनसे बात नहीं करतीं? प्रधानमन्त्री जी को चाहिए कि अकाली दल के अध्यक्ष, श्री लोंगोवाल को बुलाकर उनसे सीधे बातचीत करें और तत्काल इस समस्या का समाधान निकालें। यह अलग बात है जैसाकि श्री भिण्डरावाले ने कहा है (जैसाकि टाइम्स आफ इण्डिया में छपा है) कि वही सिखों के वास्तविक प्रतिनिधि हैं और प्रधानमन्त्री को उन्हीं से बात करनी चाहिए। सवाल यह है कि आज भिण्डरावाले यह जो कहते हैं कि वही सिखों के प्रमुख व्यक्ति हैं तो वे ऐसा क्यों कहते हैं? उनको इस स्तर तक पहुंचाने वाला कौन है और दल खालसा का निर्माण किसने किया? आज जो लोग यह बात कहते हैं कि देश की एकता खतरे में है उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। हमको तो ऐसा लगता है कि सरकार पहले समस्या पैदा करती है और फिर उसका समाधान करती है और समाधान करके यह दिखाना चाहती है कि समस्याओं का समाधान मौजूदा सरकारी पार्टी ही कर सकती है। तो वास्तविकता यह है कि सरकार पहले समस्या पैदा करती है और देश की एकता को खतरे में डालती है। दल खालसा का निर्माण किसने कराया और त्रिपुरा में युवा उपजाति समिति के साथ समझौता करके चुनाव कौन लड़ा था? इसलिए देश की एकता को तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। हिंसा की राजनीति का समाप्त होना अत्यन्त आवश्यक है। जबसे यह सरकार पुनः बनी है तभी से सारे देश में हिंसा की राजनीति चल रही है। असम, त्रिपुरा और पंजाब में 1980 से लेकर आज तक कई हजार लोग मारे जा चुके हैं। यह हिंसा की राजनीति कब तक चलेगी? क्या इस सम्बन्ध में सरकार की नीयत वास्तव में साफ है? क्या वह चाहती है कि हिंसा की राजनीति समाप्त हो और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका राजनीतिक हल ढूंढ़ा जाए? इन समस्याओं का हल न तो हिंसा है और न साम्प्रदायिकता है। इस समस्या का समाधान तो उसी वक्त हो जाता जबकि श्री स्वर्ण सिंह को यह मामला सौंपा गया था। लेकिन प्रधानमन्त्री जी नहीं चाहती थीं कि स्वर्ण सिंह को इसका क्रेडिट मिले

बल्कि वे किसी व्यक्ति विशेष को इसका क्रेडिट दिलाना चाहती थीं, सम्भवत: अपने परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति को। इसीलिए इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। यह बात कई बार सामने आ चुकी है, अखबारों में भी यह आ चुका है इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से कोई बात कहे।

हरियाणा की स्थिति के संबंध में मुझे कहना है कि वहां पर जो कुछ घटना हुई हैं उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। संविधान को जलाने की जो बात है उसकी निन्दा हम सभी लोग करते हैं, यह बहुत ही अनुचित कार्य हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे नेता श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने अकाली दल के नेताओं से भी अपील की थी कि संविधान को जलाने का काम न करें लेकिन उन्होंने अपील नहीं सुनी और संविधान के आर्टिकल को जलाने की उन्होंने कोशिश की। साथ ही साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी से भी हमारे नेता ने अपील की थी कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को कहीं भी शरण दे रहे हों—चाहे स्वर्ण मन्दिर में या दूसरी जगह—वहां से उनको निकालें। क्योंकि यह बहुत साफ हो गया है कि स्वर्णमन्दिर में इस प्रकार के तत्त्व छिपे हैं और वहां से वे प्रेस कांफ्रेंस और इन्टर-व्यू देते हैं और वहीं से तथाकथित खालिस्तान के संविधान की घोषणा भी की गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी पहल करके इस प्रकार के तत्त्वों को गोल्डेन टेम्पल से निकाले। हम अकाली दल से भी अपील करते हैं, जैसे कि हमारे दल के नेता ने अपील की है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इन तत्त्वों को वहां से निकाल दें। एक बात मुझे और कहनी है। जनरल स्पैरो साहब का कहना है कि सत्ता या कुर्सी की राजनीति बन्द कर दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। यही सच्ची बात है और सत्ताधारी दल को इस पर अमल करना चाहिए। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। सारा देश यह महसूस कर रहा है कि सत्ताधारी दल अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए आज इस प्रकार की राजनीति कर रहा है।

अन्त में, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। प्रोफेसर दंण्डवते जी ने ठीक कहा कि आज देश के प्रशासन में एक कुशल और विनम्र नेतृत्व का अभाव है। जो इस राष्ट्रीय ऐतिहासिक समस्या का समाधान कर सके। मैं इस बात से सहमत हूं। यह देश का दुर्भाग्य है कि देश में ऐसा नेतृत्व नहीं है, यदि होता तो इस समस्या का समाधान पहले ही हो जाता। मैं सरकार से अपील करता हूं कि सरकार इस सवाल को प्रतिष्ठा का सवाल बनाए वगैर अकाली दल के अध्यक्ष से बातचीत करके समस्या को हल करने का प्रयास करे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर): सभापति महोदय, श्री हरिकेश बहादुर जी ने दो आरोप लगाए हैं। पहला यह जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि इसमें फॉरन हैंड है, फॉरन पावर्स हैं, तो इसका उन्होंने सबूत मांगा है। मैं यह कहता हूं कि जब पंजाब में आग लगी हुई है और हम उसका हल ढूंढने के लिए यहां पर बैठे हैं, तो हरिकेश जी को उसका सबूत चाहिए कि इसमें फॉरन हैंड है या नहीं है।'''(व्यवधान)'''उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस सवाल से किसको फायदा पहुंचेगा। फॉरन पावर्स को यहां कोई लायसन आफिसर रखना आवश्यक नहीं है। हमारे देश में काफी दोस्त बैठे हुए हैं, जो उनके कॉज को यहां पर प्लीड करते हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि प्रधान मन्त्री जी की इसको सैटल करने की नीयत नहीं है। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी ने एफर्ट्स की हैं और उसके क्या नतीजे निकले हैं, उसका जिक्र करना चाहता हूं।

श्रीमन्, चंडीगढ़ की इस वक्त स्थिति बहुत खराब है। वहां के लोग बहुत बेचैन हैं। लोग रोज

मारे जा रहे हैं। इस बारे में पहले भी दो तीन बार यहां बहस हो चुकी है। लेकिन वे नेता इस बात में इन्टरेस्टेड नहीं हैं कि पंजाब का मसला हल होता है या नहीं होता है। उनको पंजाब के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। उनका सारा जोर इस बात पर है कि कांग्रेस पार्टी या श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक्यूज कर दिया जाए। इससे उनका दिल ठंडा हो जाएगा। इसको पंजाब के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग उनकी लाशों पर यहां बहस करके राजनीतिक फल लेना चाहते हैं। पार्लियामेंट देश की सर्वोच्च संस्था है, देश के लोगों की निगाह यहां पर लगी हुई है कि उनकी समस्या का हल हो। वहां के लोग बहुत घबराए हुए हैं। रात को सात बजे के कोई सड़क पर इन्सान नहीं मिलेगा। मैं अभी चण्डीगढ़ से आ रहा हूं। कल रात आठ बजे बाद एक कार, एक साइकिल देखने तक को नहीं मिली है। ये लोग यहां पर तस्करी कर रहे हैं कि किसका कसूर है और किसका नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम सब को शर्म आनी चाहिए कि इतना गम्भीर मामला और जिसके लिए लाखों लोगों की जानें जा रही हों और जो हमारी तरफ देख रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, उस तरफ न देखकर हम सब घर चले जायेंगे यह कह कर कि हमारा कसूर नहीं है। यदि आपको यह कहकर संतोष होता है कि इधर वालों का कसूर है तो कहते रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है।

इस मामले में तीन पार्टियां इनवाल्व हैं। सबसे पहले अकाली पार्टी—अकाली पार्टी ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं और मांगों को मनवाने के लिए सत्याग्रह किया। सत्याग्रह बहुत मुद्दत से चल रहा है और हजारों आदमियों को जेल भेजा। जब उन्होंने यह देखा कि सत्याग्रह का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने धर्मयुद्ध शुरू कर दिया, ताकि लोगों के साथ आगे आ सकें। इसका एक कमजोर पहलू यह है कि जब कोई धर्म का नाम लेता है और लोगों को इकट्ठा करता है तो बुरे से बुरा काम कर दे, उसको धर्म के नाम पर छुपाया जा सकता है—इसलिए धर्म-युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने चार धार्मिक मांगें रखीं और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वे चारों मांगें मान लीं, इस ख्याल से कि अगर इस बात से मामला तय होता है तो तय करना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या वह बात खत्म हो गई, क्या वह मसला तय हो गया? नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने दूसरे तरीके अख्तियार करने शुरू कर दिए। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अगर हमको खत आयेगा तो हम बात करने आयेंगे। हमने सेठी जी की मिन्नत की कि खत भेज दो। सरकार का इसमें कुछ नहीं जाता है, जब फैसला करना है तो भेज देना चाहिए। लिहाजा खत भेजा गया और वे आये तो कहने लगे कि हम वापस जाकर मशविरा करेंगे और उसके बाद फिर नहीं आए। जब दोबारा उनसे कहा गया तो "बी टीम" भेज दी। तीसरी बार कहा कि हम दिल्ली नहीं आएंगे। उसके बाद हमने जो हमारी कैबिनेट की पोलिटीकल अफेअर्स कमेटी है उसके चार मिनिस्टरों को उनसे बातचीत करने के लिए चण्डीगढ़ भेजा। गवर्नमेंट ने कहीं भी प्रेस्टिज को इन्वाल्व नहीं किया और इस मसले को हल करने के लिए ईमानदारी से अपने आदमियों को वहां भेज दिया, लेकिन उसके बाद वह बात भी खत्म हो गई।

फिर नये-नये सवाल उठने लगे। हमने आनन्दपुर साहब रेजोल्यूशन को देखते हुए सरकारिया कमीशन की बात मान ली, पानी के मसले के लिए भी तैयार हैं, जो बातचीत मीडिएटर के दर्मियान हुई उसमें कह दिया गया कि ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज उसका चेयरमैन हो जाएगा। जब मसला इस तरह से हल होता दिखाई दिया और उन्होंने देखा कि यह मसला तय होने लगा है तो उन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया—वह था पसर्नल-ला का सवाल। जब बात आगे बढ़ी और हम लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह से मेज पर लाए जाएं, हमने सरदार स्वर्ण सिंह को वहां भेजा और उसके बाद अपोजीशन लीडर्स को इन्वाल्व किया। सरदार स्वर्ण सिंह जाते रहे, बातचीत करते

रहे और दूसरे साथियों ने भी इसमें इन्टरेस्ट लिया ताकि मसला निपट जाय, लेकिन उन लोगों की एक ही बात थी कि किसी भी बात पर टिकते नहीं थे। जिसका नतीजा यह हुआ कि बातचीत लम्बी होती गई, जिसके लिए हमारे उधर के साथी हमको एक्यूज करते हैं। हम कोशिश करते रहे, जो बातें होतीं, वे नई-नई बातें लेकर आते रहे। उसके बाद आपने देखा—फिर कोशिश करके उनको टेबिल पर लाया गया, कहने लगे कि कल बात करेंगे, अगले दिन फिर वापस चले गए। अब आप बतलाइये कि हमारे पास ऐसा कौन-सा जादू है जिससे उनको पकड़-पकड़ कर लायें कि वे बात करें? किसी भी बात की कोई हद होती है। किसी ने कोई कसर नहीं उठा रखी है, सब यही चाहते हैं कि फैसला हो, लेकिन अकालीज किसी बात पर टिके हुए नहीं हैं। बात यह है कि यह उनके बस का रोग नहीं है। अगर वे चाहें भी कि फैसला हो, तो यह उनके ताकत के बाहर की बात है, क्योंकि उनके पीछे कोई और बैठा है। इसलिए वे डरते हैं और फैसला नहीं करते हैं।

आप देखिए—आज वे किस हद तक चले गए हैं, उन्होंने कांस्टीचूशन को जलाया है, जो एक एन्टी-नेशनल-एक्ट है। किन लोगों से बात करें? बादल कहते हैं कि हम विदिन-दि-इण्डियन-कांस्टीचूशन देश में एक हिस्सा चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं। जो सौंधी है, वह कहता है कि खालिस्तान चाहिए। लोंगोवाल कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान में एक अच्छे नागरिक की तरह रहना चाहते हैं, सिर्फ अधिकार ज्यादा चाहते हैं। तलवंडी चाहते हैं कि हमें एक पैरलल गवर्नमेंट चाहिए। आप बतलाइये — किससे बात करें, एक कुछ कहता है तो दूसरा कुछ कहता है। उन्होंने कांस्टीचूशन को फाड़ने का जो काम किया है—उसके बाद तो किसी के मन में कोई शक नहीं रह जाना चाहिए कि उनकी नीयत क्या है और वे क्या चाहते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : इसका मतलब है कि अब आप उनसे बात नहीं करेंगे? लोंगोवाल से बात करिये।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आप उनको ले आइये, हम बात करने को तैयार हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : प्राइम मिनिस्टर कहें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : प्राइम मिनिस्टर क्यों कहें। दस बार उनको बुलाया जा चुका है··· **(व्यवधान)**···हम जानते हैं कि आप के मन में क्या है और उनके मन में क्या है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात अब अकालियों के बस की बात नहीं है। वे भी इसको जानते हैं और इसलिए शर्क करते हैं टेबिल पर बातचीत करने के लिए। उनके हाथ में अब कोई पावर नहीं है और पावर किसी और के हाथ में है और जिसके हाथ में पावर है, उसने कहा है कि मेरे साथ बात करो इससे सारी बात साफ हो गई है और सारी बात सामने आ गई है कि कहां पावर है और कहां नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अकाली न पानी में इन्ट्रेस्टेड हैं और न चण्डीगढ़ में इन्ट्रेस्टेड हैं और न पंजाबी-स्पीकिंग एरियाज लेने में इन्ट्रेस्टेड हैं। अकाली तो सिर्फ पावर के लिए सारी बातें कर रहे हैं और जब तक उनको पावर नहीं मिलती उनका यह मोरचा और दूसरी बातें चलती रहेंगी। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि 1970 में मेडन ने एवार्ड दिया और 1980 तक कोई मोरचा नहीं लगा। अकाली 10 साल तक कहां थे और इनके जो दोस्त हैं, जोकि इनकी मदद कर रहे हैं, उन्होंने 10 साल तक कोई ऐसी डिमान्ड क्यों नहीं रखी। इसके अलावा आप यह देखें कि 1977 से 1980 तक ये खुद पावर में थे सेन्टर में भी और स्टेट

में भी। उस वक्त पानी का मसला हल कर लेते, चण्डीगढ़ का मसला हल कर लेते और उस वक्त पंजाबी स्पीकिंग एरियाज का मसला हल कर लेते। इसका मतलब यह है कि उस वक्त ये इसमें इन्ट्रेस्टेड नहीं थे और 1980 के इलेक्शन में पंजाब में अकालियों को 117 सीटों में से सिर्फ 37 सीटें मिली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में 13 सीटों में से सिर्फ एक सीट मिली, तब उनको ख्याल आया कि मोरचा बनाया जाए और न खेलेंगे और न खेलने देंगे और पावर जबर्दस्ती छीनेंगे।

अब जो दूसरी पार्टी इसमें इन्वोल्व्ड है, वह है अपोजीशन की। अपोजीशन वालों का एसेसमेंट अकालियों के बारे में शुरू में गलत रहा। वे समझते रहे कि यह रीजनल पार्टी है। कल को इसके साथ इकट्ठा होकर गवर्नमेंट बनाने का चान्स मिल सकता है। पीछे भी मिला है और आगे भी मिल सकता है। इसलिए हर गलत और सही बात को ये लोग सपोर्ट करते रहे हैं बल्कि श्री वाजपेयी ने पठानकोट की अपनी मीटिंग में यह भी कह दिया था कि अकालियों की डिमान्ड्स ठीक हैं और उसकी बड़ी चर्चा पंजाब में हुई। उसके बाद जब वे पंजाब गए, तो उस बात पर नहीं बोले लेकिन इसके पहले इन्होंने कहा था कि अकालियों की डिमान्ड्स ठीक हैं। इसी तरह से इन लोगों ने अकालियों को एन्क्रेज किया और एन्क्रेज करने की हालत यह है कि जब वे कान्क्लव में गए, तो इन्होंने उनको शाबासी दी और पीठ थपथपाई और यह नहीं सोचा कि उनकी कौन-सी बात जायज है और कौन-सी बात नाजायज है। इनके सामने एक ही सवाल है कि कांग्रेस को अपोज करना है और इसलिए जो भी कांग्रेस को अपोज करता है, वह हमारा दोस्त है। यही इनका दोस्ती का क्राइटीरिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि वे लोग इन्क्रेज हो गए और मैं तो यह कहता हूं कि आज पंजाब की हालत इतनी खराब न हुई होती अगर ये लोग उनको एन्क्रेज न करते। इन्होंने कहा कि ट्रिपारटाइट मीटिंग बुलाओ। ये खुद जानते हैं कि उसमें उन्होंने क्या आंखों से देखा और अपने कानों से कहा। मैं तो वहां मौजूद नहीं था और वे वहां मौजूद थे। इन्होंने अपनी सुना और मेरे ख्याल में अब इनको होश आ जाना चाहिए और यह जो कुछ पंजाब में हुआ है, उसके लिए इनका कसूर भी है लेकिन इससे देश का कितना नुकसान हुआ है और पंजाब में कितना कत्लेआम हुआ है। कौन इसके लिए जिम्मेवार है ? मैं कहता हूं कि इसके लिए अगर अकाली जिम्मेवार हैं, तो ये भी उसके भागीदार हैं क्योंकि ये उनको सपोर्ट करते रहे हैं और यह कहते रहे हैं कि उनकी डिमान्ड ठीक है। इसलिए यह सब जो पंजाब में हुआ है, उसकी जिम्मेवारी इनके ऊपर भी जाती है।

इसमें एक तीसरी पार्टी भी इन्वोल्ड है और वह कांग्रेस (आई) है। जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमने शुरू से ही इस बात के लिए कहा है कि आइए और बातचीत करिये। इसमें बहुत से दोस्तों ने मदद भी दी है। अपोजीशन वालों में से श्री चन्द्रजीत यादव और सुरजीत जी भी गए हैं और बातचीत होती रही है। हम उसके मुताबिक एजस्ट करते रहे हैं और यह कोशिश करते रहे हैं कि कोई फैसला हो जाए लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ।

20.00

उसका नतीजा यह हुआ कि ये हमको कमजोर कहते रहे और पंजाब के लोग हमको कह रहे हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी उनके सामने सरेण्डर कर रही हैं, हम मर रहे हैं। वे यह भी कहते हैं कि अल्टीमेटली सरेण्डर होगा। यहां ये कह रहे हैं कि बातचीत को डिले क्यों किया जा रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं मगर वे तो पांच हैं—लोंगोवाल, तोहरा, तलवंडी, भिंडरावाला और बादल। वे एक हों तो बातचीत करें। ये पांच जने हैं और इन पाँचों की मुख्तलिफ राय है। अगर ये पाँचों जने इकट्ठे हों तो बातचीत करें और किसी फैसले पर पहुंचे। हम तो फैसला

करना चाहत ह ।

मैं तो अभी आया हूं। अक्सर ये लोग कहते हैं कि भिंडरावाला कांग्रेस की पैदावार है। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि अगर वह कांग्रेस की पैदावार है तो उसे कांग्रेस के हवाले करो, हम उससे डील करना चाहते हैं और हम करेंगे।

इसलिए आखिर में मैं यही अर्ज करूंगा कि अकालियों की कोई डिमाण्ड नहीं है और न वे किसी एक बात पर इकट्ठे हैं। न वे किसी बात पर फैसला कर सकते हैं और न फैसला करना चाहते हैं। वे पावर में बाई वोट नहीं आ सकते हैं इसलिए वे बाई हुक और क्रुक आना चाहते हैं।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : सभापति महोदय, मुझे श्री भाटिया के साथ किसी प्रकार के तर्क-वितर्क में जाने से घृणा है, क्योंकि वह मेरे पुराने और बहुत ही प्रिय मित्र हैं, परन्तु फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मैं उनकी उस बात से पूर्णतया असहमत हूं जो कि उन्होंने अभी-अभी सभा में कही है।

उन्होंने जो दोतरफा आक्रोश और चिन्ता व्यक्त की है, मैं उससे सहमत हूं जिसमें से कुछ तो वैसी है जिसकी तुलना प्राय: मगरमच्छ के आंसुओं से की जाती है और कुछ देश के भविष्य को लेकर की गई वास्तविक चिन्ता है। केवल ऐसी बात ही नहीं है कि पंजाब और हरियाणा की ये घटनाएं स्वयंमेव बहुत महत्वपूर्ण हैं, परन्तु एक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र के रूप में इसके देश के भविष्य पर भीषण परिणामों और गहन प्रभावों के पड़ने की भी बात है।

गहन धार्मिक परम्पराओं और विश्वासों वाले इस देश का, स्वतन्त्रता के पश्चात, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में परिवर्तन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व की एकमात्र उपलब्धि है, विशेष कर महात्मा गांधी की और भारत के अन्य प्रगतिशील और प्रजातांत्रिक आंदोलनों की। इसे प्राप्त किया गया था और यह भवन, इमारत महात्मा गांधी के शहीद हो जाने के बल पर—असली गांधी और केवल महात्मा गांधी के बल पर तैयार हुई थी, किसी को यह कभी नहीं भूलना चाहिए।

सबसे बढ़कर, हाल की घटनाएं एक आधारभूत प्रश्न खड़ा करती हैं कि क्या हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में विश्वास बनाये रख सकते हैं और सरकार के धर्मनिरपेक्ष होने के रिकार्ड पर विश्वास कर सकते हैं जिसने यह कहकर यह सिद्ध करना चाहा कि जनता सरकार ने इस देश में धर्मनिरपेक्षता के आधार को ही समाप्त किया है। आज पंजाब नरक बन चुका है। केवल इसलिए नहीं कि वहां शांति, कानून और व्यवस्था को चुनौति दी जा रही है, ऐसा तो पहले भी बहुत से राज्यों में हो चुका है, यह कोई नई बात नहीं है किन्तु वहां कुछ लोगों पर पागलपन सवार हो चुका है और लगता है वे पंजाब को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। वे यह भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं और भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। मेरा यह आरोप है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है और पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी इसे फैलने दिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको जान-बूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है।

यह अवसर एक-दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है किन्तु घटनाओं के इस मोड़ पर न तो प्रधानमन्त्री और न ही सरकार अपने उत्तरदायित्व से बच सकती है। यह उनका उत्तरदायित्व रहा है है। और इस सरकार का जिसने काम करने का वायदा किया था, अपने सभी अच्छे और बुरे कामों में

सबसे बड़ा काम यह है कि वह पंजाब की समस्या को सुलझाने में बुरी तरह से विफल रही है।

यह कोई भ्रम नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या इस विफलता को जान-बूझकर, किसी उद्देश्य से आमन्त्रित किया गया था। प्रधानमन्त्री और उनके प्रवक्ताओं ने उठाए गए बहुत से कदमों का जिक्र किया था। इस देश में एक ऐसी धारणा पैदा हो गई है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री कोई विशेष रुचि नहीं ले रही हैं तो इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। श्री आर०एल० भाटिया ने कहा कि पंजाब में जनता का एक वर्ग यह अनुभव कर रहा था कि उन्होंने समर्पण कर दिया है। दूसरा वर्ग यह अनुभव कर रहा था कि वे समस्या को सुलझा नहीं रही हैं और तीसरा वर्ग यह कह रहा है कि वह बात-चीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे विचार से अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें भी कोई चाल नजर आती है और इसका चुनाव तथा शासकीय भविष्य से भी इसका सम्बन्ध है। इस समूह या उस समूह के मत प्राप्त करने के लिए यह उनकी आत्मघाती प्रवृत्ति है। कभी सिख मतों के लिए और कभी हिन्दू मतों के लिए। यह सब लिखित है और इनकी व्याख्या की गई है तथा इनसे ही घटनाओं की दिशा निर्देशित होती है। किन्तु यह केवल संकट की ओर बढ़ना ही है।

श्री भाटिया ने कहा कि यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं था। वहां प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है कि समझौता करने का कोई अवसर नहीं था। क्या गृह मन्त्री ईमानदारी से यह कह सकते हैं कि जो भी किया जा सकता था वहां किया गया? अथवा क्या वह कह सकते हैं कि त्रिपक्षीय वार्ताओं का पहला दौर क्यों असफल हो गया था? यह कहना कि त्रिपक्षीय वार्ताओं का पहला दौर किसी के दुराग्रह के कारण विफल हो गया था, केवल तथ्यों को झुठलाना होगा।

मेरा मुद्दा यह है कि श्री सेठी भी, यदि यह उन पर ही छोड़ दिया जाता, श्री वेंकटरामन या श्री प्रणव मुखर्जी इस समस्या का समाधान कर सकते थे। यह एक दुःखद स्थिति बन गई है क्योंकि जान बूझकर इन नीतियों के अनुसार अनिर्णय की दशा बन गई है। अकाली दल ने कुछ मांगें उठाईं, जिन्हें वे आनन्दपुर साहब से सम्बन्धित कहते हैं। आदन्दपुर साहब संकल्प के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं क्योंकि मैं स्वयं इसके 3 या 4 रूपांतर देख चुका हूं। कुछ विपक्षी दलों को उनसे यह कहना पड़ा था कि प्रस्ताव की प्रति पर स्पष्ट हस्ताक्षर करके उनको दिया जाए। उन्होंने संकल्प की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके हमें दी थी। उस आधार पर, हमने कहा था कि यह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का प्रश्न नहीं हैं। एक विशेष राज्य के लोगों के एक वर्ग की मांगों से भी अधिक। यह एक बड़ा प्रश्न था।

केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के सम्बन्ध में संवैधनिक योजना की समीक्षा करने के बारे में चिन्ता और मांग बढ़ती जा रही है। यह एक सामान्य मांग है। बहुत से विपक्षी दलों ने भी इस मांग का समर्थन किया। किन्तु जहां तक अकाली दल का सम्बन्ध है, मेरे मित्र चिरंजी लाल शर्मा ने कहा था कि अकाली सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। निश्चित रूप से वह ऐसा कह सकते हैं। इस पर विवाद क्या है? आप अपनी भ्रांतियों से चिपटे रहिए। उन्होंने कहा कि अकाली कुछ विदेशी हाथों और कुछ शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्तु आज यदि कोई सिखों के विचारों, उनकी भावनाओं, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है तो अन्य किसी भी धर्मनिरपेक्ष दल की तरह वह अकाली दल ही है। आप तथ्यों को झुठला नहीं सकते।

मैं यह नहीं कहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष दलों का सिखों से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि देशभक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है। चाहे वह सन्त लोंगोवाल हों या प्रकाश सिंह बादल हों, वे भी उतने ही देशभक्त और लोकतांत्रिक हैं, जितना कि इस सभा का अन्य कोई सदस्य हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : वे संविधान जलाते हैं। क्या वे देशभक्त हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन लोग संविधान जलाते हैं और क्यों ? जब पंजाब के राज्यपाल श्री पांडे से पूछा गया कि क्या लोंगोवाल का हिंसा में हाथ है, तो वह उत्तर देते थे कि समाचार पत्रों में यह बताया जा रहा है कि वह नहीं हैं। यह एक विवादास्पद प्रश्न है। यह गृह मन्त्री और भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वे इस प्रश्न का उत्तर दें कि पंजाब में हिंसा किस प्रकार फैलाई गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? अमरीक सिंह और संधू कौन हैं ? वे क्या करते रहे हैं ? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पंजाब और हरियाणा में हुई हिंसा पर श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जाए। गत दो वर्षों से वहां क्या हो रहा है ? यदि हम इन तथ्यों पर विचार करना चाहते हैं तो इस सभा के लिए और इस देश के लिए इन तथ्यों का मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। पंजाब और हरियाणा में हुई हिंसा पर उन्हें श्वेत-पत्र प्रकाशित करना होगा।

यह बहुत स्पष्ट और ज्ञात तथ्य है कि पंजाब में आग किसने लगाई ? सन्त लोंगोवाल या प्रकाश सिंह बादल ने आग नहीं लगाई। वे उनसे पूछ सकते हैं। पंजाब में सत्तारूढ़ दल में आंतरिक दलीय संघर्ष शुरू होने का यह परिणाम था। दरबारा सिंह जिस दिन मुख्यमन्त्री बने थे, यह उसी दिन से शुरू हो गई थी। प्रशासन की जो भी कमजोरी या कमी रही हो मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। उनका अपराध यह था कि उनका राष्ट्रवादी रिकार्ड था। जहां अंतुले के लिए सत्तारूढ़ दल में बहुत से रक्षक थे वहां दरबारा सिंह का मुझे कोई रक्षक नहीं मिला। वहां बहुत से रक्षक थे, किन्तु दरबारा सिंह के लिए नहीं थे अन्य लोगों के थे। और वह बिना कुछ किए, बिना कोई कारण बताए पद से हटा दिए गए। उनके लिए न कोई रोया, न किसी ने उनकी प्रशंसा की किन्तु क्या इससे मामले में कोई सुधार हुआ था ? पंजाब में राष्ट्रपति शासन का क्या रिकार्ड है ? अब पंजाब के राज्यपाल, जब सम्वाददाताओं ने उनसे रिकार्ड के बारे में पूछा, तो वह बहुत आश्चर्यजनक दावा करते हैं, वह कहते हैं, "पंजाब में पूंजीनिवेश का वातावरण अच्छा है" मैं 'ट्रिब्यून' से उद्धृत कर रहा हूं। वह आगे कहते है, "पंजाब में औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे थे", तत्पश्चात अन्त में वह सहमत होते हुए कहते हैं, "यह खेद की बात है कि पंजाब में गोलीबारी और दिन-दहाड़े पड़ी डकैतियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को पकड़ लेने में पुलिस विफल रही है।" यह रिकार्ड है। तत्पश्चात 12 दिसम्बर, 27 जनवरी और 12 फरवरी को भी राज्यपाल महोदय ने यही बात दोहराई। श्री भाटिया और अन्य लोगों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता में मैं भी साझीदार हूं। दिन-प्रतिदिन और घण्टे प्रति घण्टे पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वे इसके बारे में चिन्तित नहीं हैं। इसके लिए क्या आप दरबारा सिंह को उत्तरदायी ठहराते हैं या अब इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? इसके लिए केवल केन्द्रीय गृह मन्त्री और सरकार जिम्मेदार हो सकती है, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता है। सिवाय बार-बार दोहराई जाने वाली रस्म, जिसमें प्रधानमन्त्री विपक्ष की आलोचना करती हैं, से मैं आज प्रसन्न हूं कि उन्होंने बिल्कुल अलग प्रकार का रवैया अपनाया है।

श्री भाटिया, विदेशी हाथ होने की बात किसने की थी ? हममें से किसी ने नहीं। सबसे पहले प्रधानमन्त्री ने इस बारे में बात की थी और जब प्रो० दण्डवते खड़े हो गए थे और उनसे इस बारे में विस्तृत रूप से बताने को कहा था और यह भी कहा था कि पंजाब के राज्यपाल ने इससे इन्कार किया है तो उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ अधिकारी तो तकनीकी दृष्टि से चलते हैं। अब विदेशी हाथ का अतकनीकी परिभाषा क्या है ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं ? यह सभा जानने की अधिकारी है ? मैं जानत,

हूं कि सी०आई०ए० इस प्रकार की बातें करने में समर्थ है ? यदि ऐसा ही है तो श्री भाटिया जी, जानने का कौन अधिकारी है ? देश यह बात जानने का अधिकारी है कि विदेशी हाथ किसका है ? जनरल जिया का है अथवा सी०आई०ए० का ?

कौन सा विदेशी हाथ है—जनरल जिया का या सी०आई०ए० का—जो पंजाब और हरियाणा में सक्रिय है ? कुछ कारणों से मैं हरियाणा को भी इसमें शामिल कर रहा हूं। यह सरकार शरमा क्यों रही है ? यदि वहां विदेशी हाथ है तो उस विदेशी हाथ के विरुद्ध संगठित होइए। यह एक विश्वास-घाती आक्रमण है। इसीलिए। वह समय आ चुका है जब इसका सामना करना ही होगा। हम कैसे इस संकट तक आ पहुंचे यह कैसे हुआ कि हमारे संविधान का अनादर किया गया। हमारे देश की धर्म-निरपेक्ष बुनियाद को तहस-नहस किया गया। जैसा कि मैंने कहा, मैं ब्यौरे में जाना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बात बस समाप्त ही करने वाला हूं। श्रीमन्, मैं हरियाणा की घटनाओं के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इसे केवल दु:खद घटना कहना पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि विभाजन के समय भी वहां अल्पसंख्यकों के पूजास्थलों पर ऐसे बर्बर आक्रमण नहीं किए गए थे। यह एक जघन्य अपराध है। क्या इसकी निंदा की गई है ? मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो यह कहते हैं कि यह एक प्रतिक्रिया है। यह कहना और विशेष रूप से बहुसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा यह कहना कि यह प्रतिक्रिया है, लज्जा-जनक और अपमानजनक बात है। जिन लोगों को धर्मनिरपेक्ष बुनियाद की रक्षा करनी होगी और जो संविधान में शामिल विशेष उत्तरदायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो अल्पसंख्यकों, उनकी सम्पत्ति और उनके पूजास्थलों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं, उनके लिए और अन्य किसी के लिए भी यह कहना कि यह प्रतिक्रिया है, अपमानजनक है और यह बात कौन कह रहा है ? सत्तारूढ़ दल के सदस्य ! उनके लिए कोई स्थान नहीं है, जो पूजास्थलों में अपराधियों के गिरोहों को शरण दे रहे हैं। उनके लिए कोई स्थान नहीं है, जो अलगाववाद फैला रहे हैं। हमें उनका विरोध करना होगा और हमें पूरी शक्ति के साथ उनसे लड़ना होगा। और हम उनसे भी सहमत नहीं हैं जो कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा यदि अनुच्छेद 25 को निकाल दिया जाए या संशोधित कर दिया जाए। एक बार मुझे एक अकाली नेता से कहने का मौका मिला था। मैंने कहा कि यह मूर्खता है और कम-से-कम उनके व्यक्तिगत हितों के तो यह एकदम विरुद्ध है और मूर्खतापूर्ण मांग है। क्योंकि यह आयकर देते हैं और 'हिन्दू अविभाजित परिवार' के अधीन छूट भी पाते हैं। 'हिन्दू अविभाजित परिवार'—धारणा का मैं इस सभा में अन्य कारणों से विरोध करता रहा हूं क्योंकि मेरी राय में कम-से-कम इस आधार पर हिन्दू अविभाजित परि-वार के इस गोलमाल में 500 करोड़ रु० के राजस्व की हानि होती है। वे जो बहुत जोर-शोर से मांग कर रहे हैं कि इस अनुच्छेद को संशोधित किया जाए या निकाला जाए, यदि इसको मान लिया जाए तब उन अकाली नेताओं का क्या होगा ? मेरे विचार में उनको ऐसा करने के लिए विवश किया गया है।

अब मुझे जो बताया गया कि अमरीक सिंह नानक को गांधी के विरुद्ध रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसे सैद्धांतिक रूप से न्यायसंगत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी नानक के विरुद्ध ! प्रेम और भक्ति सम्प्रदाय के महान प्रतिपादक तथा भारतीय एकता के निर्माण में महान योगदान देनेवाले गुरु नानक, महात्मा गांधी—राष्ट्रपिता—के विरुद्ध ; किन्तु वहां यह बात कहने वाले कुछ लोग हैं, वहाँ अवश्य ऐसे कुछ लोग होंगे। किन्तु वे पागलपन के समीप हैं, पर यह कहना कि वे सिख विचारों को प्रतिबिम्बित करते हैं, सच का उपहास करना ही है।

इसीलिए, श्रीमन्, हम यहां से कहां जा रहे हैं ? हमें पारस्परिक समझ और सद्भावना का निर्माण करना होगा। इन प्रतिक्रियाओं की बात करके यह नहीं किया जा सकता है। यह केवल बातचीत

और राजनीति द्वारा ही किया जा सकता है और संवाद की इस प्रक्रिया में केवल प्रधानमन्त्री ही पहल कर सकती हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : डा० कर्ण सिंह।

डा०कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, पंजाब में पिछले दो वर्षों के दौरान और विशेषकर पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई घटनाओं से समूचे राष्ट्र में गहरा दुःख हुआ है और गम्भीर चिन्ता उत्पन्न हो गई है। मैं देश में, समूचे भारत में यात्रा करता रहा हूं, लोग वहां की घटनाओं से आतंकित हैं। पंजाब के लोग बहुत समय से फैले आतंक के वातावरण में दो वर्षों से और अभी भी रह रहे हैं। पंजाब में अल्पसंख्यक समुदाय—विशेषकर वहां हिन्दू अल्पसंख्यक हैं—रहते हैं और जिस तरह से पिछले 2 वर्ष से उनकी हत्याएं जारी हैं, उससे अंततः सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी जो कि हरियाणा में भी फैल गई। इस स्थिति ने हिन्दुओं और सिखों के बहुत पुराने सम्बन्धों और ऐतिहासिक पारिवारिक सम्बन्धों को कमजोर बना दिया है।

इस मामले का लम्बा और दुःखदायी इतिहास में गए बिना या उन पर दोष मढ़े बिना, मैं सदन से और विशेषकर माननीय गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि हमारे समक्ष इस समय मुख्य रूप से तीन मामले हैं, पहला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा। संघ के पंजाब और जम्मू काश्मीर अत्यन्त सामरिक महत्व के और संवेदनशील राज्य हैं। 1947 से पहले से ही ऐसा है कि जब कभी हमला होता है इन राज्यों को उनका आघात बर्दाश्त करना पड़ता है और इन राज्यों में जब कभी काफी देर तक अस्थिरता रही है या यहां कोई समस्या रही है तो इसने हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाला है विशेषकर उस समय जब पाकिस्तान को अत्यन्त घातक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है और महाशक्तियां हमारी सीमाओं तक पहुंच गई हैं। अतः पहली समस्या, जो पंजाब के प्रश्न से जुड़ी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या है। हमें इस बात को समझना चाहिए। यह मात्र स्थानीय समस्या नहीं है। यह कोई केन्द्र-राज्य की समस्या नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या है।

दूसरे, यह राष्ट्रीय अखण्डता की समस्या है। 37 वर्ष पूर्व हुए विभाजन के बाद से धर्म, भाषा और राजनैतिक दलों की विभिन्नता के बावजूद हमारे देश में शांति रही है। लेकिन इस देश की राष्ट्रीय अखण्डता के कमजोर होने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। मुझे याद है और सभा में विद्यमान कई सदस्यों को याद होगा कि जब पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी, तब इसे बिलकुल असंगत मानकर अनसुना कर दिया गया था। और फिर जो कुछ हुआ हमने अपने जीवन-काल में वह सब देखा। करोड़ों लोग बेघर हो गए, मानव जाति के इतिहास में बड़े सामूहिक रूप से लोगों को देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। आज भी खालिस्तान की समस्या को असंगत मानकर छोड़ देना सम्भव है। लेकिन रोग की शुरुआत ऐसे ही होती है। यदि इस रोग को शुरू में ही नहीं दबाया गया तो हमारी राष्ट्रीय अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमें भारत के 1000 वर्ष पुराने इतिहास को नहीं भुला देना चाहिए। हमें वह क्षण याद करना है जिस क्षण हमारा देश कमजोर हो गया, यदि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, तो हमारी राष्ट्रीय अखण्डता को भी खतरा है। पंजाब में इस समय यह दूसरी ज्वलन्त समस्या है।

तीसरी समस्या स्वयं लोकतन्त्र की है। जैसाकि कई वक्ताओं द्वारा बताया गया है कि पारस्परिक मतभेद हो सकते हैं। उन्हें कैसे सुलझाया जायेगा? क्या उन्हें चुनाव अथवा बातचीत या वार्त्ता

करके सुलझाया जायेगा ? अथवा उनका निपटारा सीधी कार्यवाही करके किया जायेगा ? मैं कहूंगा कि मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल का बहुत सम्मान करता हूं। वह मेरे नजदीकी मित्रों में से एक हैं। जब मैं सप्ताहपूर्व बनारस में था तो समाचार पत्र में सरदार प्रकाश सिंह बादल, जो वहां के सर्वाधिक समझदार नेता हैं, का संविधान की प्रति जलाते समय का फोटो देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ। हमारे राष्ट्र को क्या होता जा रहा है ? क्या हमने समझ से काम लेना छोड़ दिया है ? यदि कोई मतभेद है तो आप पुनः चुनाव कराने की या किसी तरह की बातचीत करने की मांग रख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से संविधान का अपमान किया जाना अशोभनीय है। और एक बार यदि इस तरह की बात को स्वीकार कर लिया गया तो हमारी लोकतन्त्र प्रणाली का ढांचा कमजोर हो सकता है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए।

अतः इसमें तीन बातें जुड़ी हुई हैं—राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अखण्डता और लोकतन्त्र। मैं बड़े संक्षेप में बताऊंगा कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। सशस्त्र सेनाएं, अर्द्ध-सैनिक बल और पंजाब राज्य के प्रशासन को, जो इस समय आपके हाथ में है, सुदृढ़ बनाना होगा, उसकी गति को तीव्र करना होगा। आपको कानून और व्यवस्था पुनः लागू करना होगा। पंजाब की जनता के मन में यह भावना लानी होगी कि उनकी जान-माल सुरक्षित है। मैं जानता हूं पंजाब में मेरे मित्र और सम्बन्धी रहते हैं। उनका कहना है कि हम सुबह फैक्टरी जाते हैं, लेकिन हमें यह यकीन नहीं होता कि वापिस भी आयेंगे या नहीं।

20.24 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

लोग बड़े भयभीत और आतंकित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्बन्ध में हमें सर्वप्रथम सशस्त्र सेनाएं तैयार करनी हैं। 15 दिन पूर्व ही मैंने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था। मुझे विश्वास है कि सेनायें तैयार हैं। हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं इस मामले के विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैं सीमावर्ती क्षेत्र में रहता हूं। और मैंने, स्वयं देखा है कि किस तरह पिछले 35 वर्षों में छोटी-छोटी घटनाओं से भी तुरन्त आग भड़क उठी है।

मुझे याद है 1965 में कुछ लोग कश्मीर में आ गए और अचानक, इससे पहले कि हमें पता चलता वहां क्या हो रहा था, 10,000 लोग श्रीनगर में एकत्र हो गए थे। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं बल्कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति पुनः स्थापित करने के लिए कह रहा हूं।

दूसरे, मैं हिन्दू-सिख भाईचारे के बारे में कहूंगा। मुझे आपको यही बताना है कि जैसा कि पंजाब में सभी जानते हैं कि मेरे परिवार के पिछली पांच पीढ़ियों से सिखों के साथ नजदीकी सम्बन्ध रहे हैं। वास्तव में हमारे इस उत्थान का श्रेय सिखों को ही है। हम सिखों के साथ अपनी मित्रता के सम्बन्ध भुला नहीं सकते। लेकिन, महोदय, कृपया जो क्षति हो रही है उसे कम न समझिए। मैं केवल दिल्ली की ही बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपके राज्य, मद्रास और सेलम की यात्रा की है, मैं वाराणसी और उदयपुर भी गया हूं। मैंने देखा कि वहां सिखों की छवि कितनी बिगाड़ी जा रही है। मैं अपने मित्र जनरल राजेन्द्र सिंह स्पैरो की इस बात से सहमत हूं कि सिख बहुत ही देशभक्त हैं। उनकी राष्ट्र के प्रति सेवायें, चाहे वे सशस्त्र सेना में हों या कहीं और, अभूतपूर्व हैं। लेकिन आज गलत आंदोलन के परिणामस्वरूप, भले ही हम इसे स्वीकार करें या नहीं करें, इस देश में हर जगह सिखों को सन्देह की

दृष्टि से देखा जाता है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमें इसे नकारना नहीं चाहिए यदि समय पर इस प्रवृत्ति को नहीं बदला गया। तो आगामी चार-पांच वर्षों में इस स्थिति के परिणाम स्पष्ट दृष्टि-गोचर हो सकेंगे। अत: हिन्दू-सिख समुदायों में भाईचारे की भावना बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए और समझदार व्यक्तियों को इसमें सहयोग देना चाहिए। मैं अपनी ओर से तथा इस संस्था की ओर से, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, यह कह सकता हूं कि हम बिगड़ते सम्बन्धों को पुन: जोड़ने में अपने रास्ते से भटक गए हैं। हिन्दुओं और सिखों के बीच सौहार्द लाने के लिए जो भी आवश्यक है, मैं वह करने के लिए तैयार हूं। उनके सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, भले ही हम इसे स्वीकार करें या नहीं।

तीसरे, पुन: वार्त्ताएं आरम्भ की जानी चाहिए मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि लोकतन्त्र में, आपको वार्त्ता से, यदि विपक्ष सहमत हो तो त्रिपक्षीय वार्ता से, अन्यथा द्विपक्षीय वार्ता से इस समस्या का समाधान करना होगा। जो भी हो इसे पुन: आरम्भ किया जाना चाहिए और निश्चित समय में कुछ समाधान कर लिया जाना चाहिए। आप अनिश्चित काल तक के लिए इस मामले को जारी नहीं रख सकते। इसका राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। प्रधानमन्त्री यहां उपस्थित नहीं है, अन्यथा मुझे कहना था कि बहुत संख्या में लोग, पूरा राष्ट्र, चाहे यह विपक्ष हो या कांग्रेस जन या आम आदमी, हर कोई प्रधानमन्त्री से यह आशा कर रहा है कि वह समय पर इस ओर ध्यान दें तथा किसी तरह इस समस्या का समाधान करें। उन्होंने बीच में जो बात कहीं, मैंने उसे सुना। आपके उनके साथ कुछ भी मतभेद क्यों न हों, उनकी नीतियों, उनके साहस और यदि वह चाहें तो समस्या का समाधान करने की उनकी क्षमता पर किसी को सन्देह नहीं है। अत: उन्हें वर्तमान अड़चनों को दूर करना चाहिए, उन्हें पहल करनी चाहिए। उन्हें साहसपूर्ण कदम उठाना चाहिए। मैं प्रोफेसर चक्रवर्ती की भांति नास्तिक नहीं हूं और दैवी शक्ति में विश्वास करता हूं और मेरी प्रार्थना है कि इस नाजुक स्थिति में, जबकि पूरा राष्ट्र खतरे में है, प्रधानमन्त्री को समय पर उचित कदम उठाने चाहिए। उन्हें और क्षति होने से पूर्व ही इस गुत्थी को सुलझाने तथा इस समस्या का समाधान करने के लिए अपनी समझदारी तथा साहस का प्रदर्शन करना चाहिए।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य दबाव नहीं डाल रहे हैं, उन्होंने अपने नाम वापिस ले लिए हैं। अत: जो एक-दो वक्ता उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कम समय लें, ताकि मन्त्री महोदय कम से कम 8.45 म० प० तक उत्तर दे सकें।

श्री ए० के० राय : कुछेक नए मुद्दे रह गए हैं···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो अन्य लोगों द्वारा नहीं पूछे गए हैं।

श्री ए० के० राय : इसी कारण मैं दोहरा रहा हूं कि कुछेक नए प्रश्न पूछने शेष हैं। अत: आपकी समय पाबंदी ही केवल मुझे सहायता दे रही है। मैं इस विषय पर बोलने में समर्थ भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने संसद के पिछले सत्र में उन रहस्यमय अकाली तत्त्वों को दूर से देखा है साथ ही उनसे अधिक कांग्रेस (आई०) के रहस्यमयी तत्त्वों को हरियाणा में देखा है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह हरियाणा

की घटनाओं के लिए कोई आधार नहीं है। हम यही दोहराना चाहते हैं जैसाकि अनेक अन्य सदस्यों ने भी कहा है।

हम राजनीतिक लोग कायर बनते जा रहे हैं। संसद सदस्य भीरन बन रहे हैं। हम साफ-साफ बात कहने से डरते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह असंसदीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि कायर "बनते जा रहे हैं" न कि कायर कहा है।

श्री ए०के० राय : देश में यह प्रथा है कि जहां कहीं भी साम्प्रदायिक घटनाएं हो उनकी भर्त्सना की जाए और साम्प्रदायिक घटनाओं का निरन्तर घटित होते रहना भी देश में एक प्रथा सी बन गई है। अतः लोगों को पंजाब में गोली से उड़ाया जा रहा है, हरियाणा में मार-मार कर मौत के घाट उतारा जा रहा है दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं। कल तक आसाम में दंगें हो रहे थे आज पंजाब में हो रहे हैं और कल कोई कहीं और होगा। हम लाचार हैं। जब भी ऐसी वारदातें होती हैं हम हो हल्ला करते हैं और स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं फिर उस पर वाद-विवाद होता है और अपने घर चले जाते हैं। मुझे बताया गया है कि योरोप में—मैंने पहले भी जब जनता पार्टी सत्ता में थी इसका उल्लेख किया था—मातमपुर्सी के लिए कुछ लोग किराए पर भी मिलते हैं। यदि कुछ हो जाए अर्थात किसी की मृत्यु अथवा कत्ल इत्यादि हो जाए तो मातमपुर्सी के लिए ऐसे लोगों को किराए पर लिया जा सकता है और उन्हें पेशेवर मातमपुर्सी करने वाले कहा जाता है। हम इस संसद के सभी माननीय सदस्य पेशेवर मातमपुर्सी करने वाले बन गए हैं। हम हरियाणा और पंजाब में मरे लोगों का शोक मना चुके हैं फिर दुबारा यहां उसका शोक मना रहे हैं।

प्रधानमन्त्री ने बोलते हुए—प्रधानमन्त्री यहां से जा चुकी हैं और सत्तारूढ़ दल के अधिकांश सदस्य उनके साथ···(व्यवधान) मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं प्रधानमन्त्री ने यह कहा कि किसी भी चिंगारी से आग भड़क सकती है अतः हमें बहुत ध्यान करना होगा मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस देश को इतना अधिक प्रज्जवलनशील किसने बनाया, इतना अधिक दहनशील कि एक छोटी सी रगड़ से चिंगारी पैदा हो सकती है और चिंगारी से आग भड़क सकती है। इसका जिम्मेदार कौन है। यही समय है कि हम अपने अन्दर झांके आत्म विश्लेषण करें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : भव्य व्यक्तित्व है।

श्री ए० के० राय : लोग व्यक्तित्व पर आरोप लगा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं यह कह रहा हूं कि सभी को असलियत का सामना करना है। आसाम की बात करते हुए हम कहते हैं कि अविकसित होते के कारण वहां सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के बारे में क्या है। जहां तक प्रति व्यक्ति आय का सम्बन्ध है पंजाब और हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है फिर चिंगारी क्यों उठ रही है, आज क्यों भड़क रही है लोग मारे क्यों जा रहे हैं हत्यायें क्यों हो रही हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये हैं हमारी मान्यताएं। मैं इस सरकार को, इस सत्तारूढ़ दल को, शासकवर्ग को—उनमें से कुछ दलबदल कर अचानक विपक्षी दल में आ गए हैं, मैं भी उनमें साथ हूं—उन्होंने देश के विकास को एक दिशा दी है जिसमें मान्यताओं को दूषित कर दिया है। वह दिशा क्या

है ? वह है विकृत पूंजीवादी विकास जिसने प्रेरणा को दूषित किया है और अब इस सरकार के पास कोई ताकत नहीं है और ना ही किसी पार्टी के पास ताकत है कि वह इसे बदल दे। यदि आज आप स्थिति पर दृष्टिपात करें तो समाधान क्या है। प्रधानमन्त्री ने भी समाधान नहीं बताया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री के पास क्या कोई समाधान है ? क्या उनकी सरकार के पास कोई समाधान है। कुछ समय बाद श्री प्रकाश चन्द्र सेठी उत्तर देंगे। क्या वह कोई समाधान बताएंगे ? मैं कह सकता हूं और अंदाजा लगा सकता हूं कि उनके भाषण में समस्या का कोई समाधान नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ही कोई समाधान क्यों नहीं बताते ?

श्री ए० के० राय : उसे यह व्यवस्था इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। समाधान साम्प्रदायिकता का सामना करने में है ना कि उनसे साथ सहयोग करने में। पहले आप यह निर्णय करें कि ये मांगें साम्प्रदायिक हैं अथवा धर्मनिरपेक्ष वर्गवादी अथवा लोकतांत्रिक हैं। यदि मांग लोकतांत्रिक है तो आप उनसे विचार विमर्श कीजिए और यदि मांग साम्प्रदायिक है तो उसका मुकाबला कीजिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मांग साम्प्रदायिकता की आलोचना करना ही नहीं है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है साम्प्रदायिकता का सामना करना। एक समय था जब स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में गणेश शंकर विद्यार्थी ने साम्प्रदायिकता का सामना करते हुए जान दे दी थी। आज वह गणेश शंकर विद्यार्थी कहां है ? हम यह पूछते हैं कि पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस स्वर्णमन्दिर में क्यों नहीं प्रवेश कर रही ? इस बारे में मैं बता दूं कि किसी भी दल में हिम्मत नहीं है—न तो सत्तारूढ़ दल में और न विपक्षी दलों में। वे सब समझदार हैं। किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करें यह हिम्मत उनमें नहीं है। लेकिन लोगों का क्या होगा ? हर दल में हजारों सिख लोग हैं। यहां तक कि श्री वाजपेयी भी यह शेखी बघारते हैं कि उनके दल में सिख लोग हैं तब आप उन्हें स्वर्ण मन्दिर में क्यों नहीं भेजते वे वहां जाकर धरना दें और अपराधियों को खींच बाहर निकालें यही रास्ता है, यदि कांग्रेस यह शेखी बघारती है कि उसके पंजाब से 13 संसद सदस्य हैं तो यह पंजाब से क्यों भागते फिर रहे हैं यहां क्यों बैठे हैं। उनको वहां जाना चाहिए। वे 13 संसद सदस्य स्वर्ण मन्दिर में जाएं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : में एक घंटा पहले ही पंजाब से आया हूं।

श्री ए० के० राय : आप हमेशा पंजाब से भागते यहां क्यों आते हैं ? यहां से पंजाब क्यों नहीं जाते ? पुलिस अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता से हमारी धर्मनिरपेक्षता को बचाया नहीं जा सकता। हमें एक सामाजिक दबाव डालना होगा, सामाजिक ताकत ताकि पुलिस को मंदिरों में जाना न पड़े। लेकिन लोग मन्दिरों में जा सकते हैं सिख जा सकते हैं। यदि आप धर्मनिरपेक्षता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इन धर्मनिरपेक्ष सिखों को गुरुद्वारे में जाकर अपराधियों को बाहर निकालना चाहिए उनके हथियार जब्त करने चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे ?

एक माननीय सदस्य : आप क्यों नहीं जाते ?

श्री ए० के० राय : मैं यह शेखी नहीं बघारता कि मेरे 13 संसद सदस्य हैं। मैं यहां अकेला हूं। आप कहते हैं कि कांग्रेस (आई) सिखों का प्रतिनिधित्व करती है। आप कहते हैं आपके 13 संसद सदस्य हैं। अकालियों की कोई महत्ता नहीं है तब आप जाइए। मैं आपको यह बताता हूं कि स्वर्ण मन्दिर अकालियों का नहीं है। वह सिखों का है और यदि आप सिखों का प्रतिनिधित्व करते हैं तब वे लोग वहां

क्यों नहीं जाते ? क्या आप यह चाहते हैं कि हमारी धर्मनिरपेक्षता पुलिस बल की दया पर निर्भर रहनी चाहिए क्या यह इज्जत की बात है ? हमें उस की स्वप्न में भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि धर्म-निरपेक्षता को पुलिस की दया और संरक्षण पर निर्भर रहना पड़े तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता को समाप्त होने दिया जाए। हमें ऐसी धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए।

मदोदय, मेरा एक महान क्रांतिकारी से सम्बन्ध रहा है। मैं एक बार बटुकेश्वर दत्त के परिवार के साथ था। मुझे एक घटना याद है जिसको बताकर मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगा। शहीद भगत सिंह की माताजी बीमार पड़ी थीं और लोगों ने सोचा शायद अब वह नहीं बचेंगी इसलिए उनसे पूछा गया कि वह किससे मिलना चाहेंगी। लोगों ने सोचा शायद वह अपने किसी रिश्तेदार को मिलना चाहेंगी या किसी सिख या पंजाब से किसी से मिलना चाहेंगी किन्तु उन वृद्ध महिला ने कहा कि वे श्री बटकेश्वर दत्त से मिलना चाहती हैं। श्री बटकेश्वर भी उस समय बीमार थे और पटना के अस्पताल में थे लेकिन उनको बीमारी की हालत में विमान द्वारा भगत सिंह की माता जी के पास लाया गया। वे आपस में मिले। भगत सिंह की मां ठीक हो गई लेकिन बटुकेश्वर दत्त का निधन हो गया और सम्पूर्ण पंजाब ने उनकी मृत्यु पर छुट्टी की घोषणा की। बंगाल में नहीं बिहार में नहीं लेकिन समूचे पंजाब में बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु पर छुट्टी घोषित की गई। और उनके शव को पंजाब लाया गया।

और जब उन्होंने संविधान को जलाना शुरू किया और जब अचानक ही उन्होंने सिखों के लिए अलग वैयक्तिक कानून बनाने की नई मांग उठाई तो अचानक ही मैंने महसूस किया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अलग कर दिया गया है। श्रीमन्, मैं ऐसा महसूस करता हूं और इसीलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं। कृपया इस बात पर ध्यान दें कि कैसे भगत सिंह का पंजाब अब भिंडरावाले का पंजाब बन गया है और वहां पर कौन सी शक्तियां इसके पीछे कार्यरत हैं, जिन्होंने हमें उस स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अलग अलग किया जा रहा है। धन्यवाद।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली दफा, 27 जुलाई को जब मैंने पंजाब के बारे में भाषण दिया था तो पंजाब की समस्या इतनी गम्भीर नहीं थी जितनी कि आज है। मैंने एक समाधान का सुझाव भी दिया था। और अब सदस्यों के भाषण सुनकर, खासकर चौधरी चरण सिंह और वाजपेयी जी के भाषणों को सुनने के बाद, मेरा सारा भाषण ही बदल गया है और मुझे एक दोहे (शेयर) से अपना भाषण शुरू करना होगा। मैं श्री वाजपेयी के ज्यादा नजदीक आ जाऊंगा। मैं उनकी वाक्यपटुता के नजदीक तो नहीं आ सकता, उसका उत्तर माननीय प्रधानमन्त्री ने दे दिया है। लेकिन उनके भाषणों के विषय में, मैं कुछ कहना चाहूंगा। इसलिए मेरा भाषण बदल गया है।

"दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है,
पर नहीं, ताकते-परबाज मगर रहती है।"

26 जुलाई 1983 को मैंने अपनी मैडन-स्पीच दी थी, जैसे सब बातें सदा उलब सैहरा स्पीचेज हुई हैं, उनको देख कर ऐसा लगता है—जैसा अभी राव साहब बोल रहे थे जैसे किसी रेगिस्तान में बोला गया हो जहां आबादी न हो।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं—कल अकाली दोस्तों ने दिल्ली में जो किया, मैं भी यह महसूस करता हूं कि वह गलत बात है। उनकी नाराजगी की हद बढ़ गई है; हालांकि जिस तरह से मि० आर०

एस० नरुला साहब ने, जो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, कहा है या वाजपेयी जी ने अभी कहा है कि हिन्दुस्तान के आईन में कोई ऐसी बात दर्ज नहीं है जिससे सिखों के धर्म को कोई सदमा पहुंचने की बात हो। आर्टीकल 25 में दो सब-क्लाजेज हैं और उनके एक्सप्लेनेशन में सिखों के धर्म का वजाहत के साथ अहतराम किया गया है। इसलिए जैसा कि नरुला साहब ने वजाहत से कल कहा है—कोई मकसद नहीं है आइनेहिन्दुस्तान का सिखों के धर्म को किसी किस्म के बेइजती नहीं की गई है। दर असल इस मामलें में गलत फहमी हो गई है। लेकिन अकाली भाइयों का गुस्सा जो है, वह कुछ बढ़ गया हालांकि मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने चाहे रियासत जम्मू व काश्मीर में या मरकजी सतह पर हमारी छाती पर मूंग दली है। हमने इस आईन को सलाम किया है और इस पर शेरे—काश्मीर शेख अब्दुल्ला ने दस्तखत किये थे। आज भी जम्मू व काश्मीर के लोग इस कांस्टीट्-चूशन को सलाम कहते हैं और हाल ही में 5 जून, 1983 को जो हमने इलेक्शन लड़ा वह जम्मू व काश्मीर रियासत को हिन्दुस्तान का अटूट अंग होने के नाते से लड़ा। उसी उसूल पर हमने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत लिया और रियासत को मुल्क के करीब ला कर रखा। फिर भी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी के सारे लोग ऐसा करते हैं मगर उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, जो ऐसा करते हैं। मैं अकाली भाईयों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) हमारी छाती पर मूंग दलते रहते हैं और वे कभी ओकपाइंड काश्मीर के किसी अमानउल्लाह की बात करते हैं और कभी किसी अब्दुल क्यूम राजा की बात कहते हैं और कहते हैं कि काश्मीर लिब्रेशन फ्रन्ट का ताल्लुक जो है वह बराहेरास्त डा० फारूक अब्दुल्ला से है और अमानउल्लाह और डा० फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर निकालकर यहां दिखाते हैं और यह नहीं बताते कि उस वक्त जो वीसा उसको दिया गया था वह कांग्रेस सरकार की तरफ से दिया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि हजारों लोग इधर-उधर आपस में मिलते रहते हैं और रास्ते में कहीं पर उनके फोटो लोग खींचते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे नादान लोग हैं, जो गलत राह पर चल पड़े हैं। मैं यह नहीं कहता कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के इशारे पर ही वे ऐसा करते हैं और मैं यह भी नहीं कहता कि मरकजी कावीना के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं लेकिन अपनी साइकोफेन्सी में **मोर लायल देन दि किंग** की थ्यौरी के मुताबिक वे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और बार-बार जम्मू व काश्मीर का नाम लेते हैं हालांकि हमारे लीडर फारूक अब्दुल्ला ने एक हिन्दुस्तानी के जजबे से आईन का अहतराम करके जम्मू व काश्मीर के इलहाक को आखरी मान कर जमाइते-इस्लामी को चुनाव में शकिस्त दी है फिर भी कांग्रेस के लोग हमारे दिलों को सदमा पहुंचाते जख्मी किया जाता है। मैं अपने अकाली दोस्तों को यह बताना चाहता हूं कि हम इस आईन का अहत-राम करते हैं, ताजीम करते हैं और इसको वह किताब मानते हैं जोकि समाजी अदालत में हिदायत की किताब है।

डिप्टी स्पीकार साहब, जब मैं अकाली दोस्तों के बारे में अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा था, तो मैं यह भी मानता हूं कि वे अपने जजवे-नाराजगी में आगे बढ़ गए मगर मुझे पूरा अहसास है और यह मेरे दिल की आवाज है और मैं यह कभी नहीं मान सकता कि श्री लोंगोवाल देश भक्त नहीं है या श्री प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने आईन के तईं अपनी नाराजगी का इजहार किया है, उनके दिल में देश भक्ति नहीं है। इस वक्त यह एक आरजी जजबा है उनको और उसकी इजहार कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि श्री प्रकाश सिंह बादल मेरी तरह दिल में दुखी होंगे। इसलिए मैं प्रो० तिवारी को याद दिलाना चाहता हूं कि आज आप ने उस कानून को याद किया, जिस कानून की रू से ऐसे लोगों को सजा हो सकती है, जो कांस्टीट्चूशन को डिसरेस्पेक्ट दिखाते हैं। उसके लिए कानून बना हुआ है लेकिन मैं आप को कहता हूं कि कानून के रास्ते से जंग खत्म ही नहीं हो सकती। यह जंग तो मेरे भाई प्यार के रास्ते से

हल होगी, नहीं होगी। आपकी तकरीर में 1971 में जो कानून बना था उसके बारे में इशारा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब का आज वह मसला नहीं है, जो पहले था कि चंडीगढ़ इधर जाएगा या उधर जाएगा और पानी का यह होगा। आज इसकी डाइमेंशन बहुत बढ़ गई है मगर इससे पहले कि मैं पंजाब के मसले पर आऊँ, मैं एक शिकायत करना चाहता हूं उन दोस्तों के बारे में कहना चाहता हूं जिन्होंने पंजाब में बहुत पहले आग लगाई। 'सेमीनार' मेंगजीन में पंजाब के मसले का पूरा डिस्कशन है और मैं इसको एक वेल-डाकूमेंटेड आर्टीकिल इस पंजाब के मसले पर बहुत ही मसतक दस्तावेज मानता हूं। एक बहुत उमदा मेगजीन में और लोगों के अलावा श्री सत्यमूर्ति का जो आर्टीकिल है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। एक पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा है—यह सेमिनार के फरवरी अंक में से है। मैं उसको उद्धृत करता हूं :

> "भारतीय पंजाब से, मुस्लिम भारत के वास्तव में समाप्त हो जाने के पश्चात् भी हिन्दू साम्प्रदायिकता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। सिखों के प्रति यह धारणा, सिखों की इस प्रवृत्ति से प्रभावित है कि, सिख हिन्दूओं का ही एक अंश हैं, और सिख मूलतः हिन्दूओं से भिन्न नहीं हैं। केवल वे बाह्य-जागृति से ही भिन्न प्रतीत होते हैं।

और आगे चलकर एक जगह फिर लिखा है—

> "सांस्कृतिक रूप से सिखों और हिन्दुओं में खाई इस तथ्य से गहरी होती जा रही है, कि सिख पंजाबी भाषा और संस्कृति को अपने जीवित रहने, और भारत में एक राष्ट्रीयता के विकास और उसकी अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।"

मैंने यह इसलिए नोट किया कि शुरू में पंजाब में कुछ तंगनजर लोगों ने अपनी तंगनजरी का इजहार किया। अगर वे यह कहते कि हिन्दी इस देश की वाहिद सरकारी जवान होनी चाहिए तो वह बहुत अच्छी बात होती है। हम भी उनके साथ हैं। सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी को वाहिद सरकारी जवान होना चाहिए। लेकिन मैं यह कहता हूं कि क्या हिन्दी सारे हिन्दुस्तान में वाहिद मादरी जवान हो सकती है? यह नामुमकिन है इसलिए पंजाब में जिन लोगों ने पंजाबी को अपनी मादरी जबान न लिखा बल्कि हिन्दी को मादरी जबान लिखाया उन्होंने गलती की। वे हिन्दी को सलाम करते और कहते कि हिन्दी सारे हिन्दुस्तान की वाहिद नेशनल लेंगुएज हो जाए। लेकिन उन्होंने लेंगुएज के खाने में अपनी मादरी जबान हिन्दी को लिखवाया हालांकि पंजाबी थे। उसी दिन से वहां तंगनजरी की हवा फैल गई।

इन्हीं छोटी-छोटी बातों से मुल्क में फसाद होते हैं। हिन्दुस्तान में सैक्युलरिज्म की कितनी जरूरत है यह इसी बात से साफ हो जाता है।

अब मैं अकालियों की मांगों की तरफ आता हूं। कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ 12 एम० पीज० हैं। हम मानते हैं। लेकिन जब आप फसाद के बारे में अकालियों से बात करने जा रहे हैं तो मालूम होता है कि उनके पास ताकत है। आप इसलिए उनसे बात करते हैं कि आपकी मजबूरी हैं। इसमें आपके 12 एम० पीज० कुछ नहीं करेंगे मुमकिन है कि भाटिया साहब भी कुछ मदद नहीं करेंगे। अकालियों की मजहबी मांगें पूरी हो गईं लेकिन मैं हिन्दुस्तान का शहरी होने के नाते से कहता हूं कि अकालियों की मजहबी मांगें बेशक पूरी हो गई हैं लेकिन आज सबसे बड़ी मांग यह है कि मुल्क में सेक्युल-

रिज्म को बढ़ावा मिले, सेक्युलरिज्म की रवायात कायम हो। अगर मुल्क में यह होता है तो फिर अकालियों की मजहबी मांगें भी सारी हल हो जाएंगी।

चण्डीगढ़ का मसला भी बहुत अहम है। अगर हम फैसला करेंगे तब चण्डीगढ़ पंजाब को मिलेगा अबोहर, फाजिल्का की कुछ एडजस्टमेंट की हैसियत हो सकती है। पानी के बारे में ट्राइक्युनल हो सकता है। लेकिन आज पंजाब में जो खतरा है वह मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपकी मार्फत से श्रीमती इन्दिरा गांधी की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि वहां नफरत की आग पैदा हो गई है। उस नफरत की आग को बुझाना है।

अभी वाजपेयी जी बोल रहे थे और जजबात की सीरनी में बोल रहे थे। उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ जब उन्होंने पानीपत में सिक्खों के कत्लेआम पर भी दुखः प्रकट किया जैसा दुःख उन्होंने पंजाब में मरने वालों के लिए प्रकट किया। इसी से देश महान् बन जाता है जब आप दिल से वे बातें कहते हैं जो कहने लायक होती हैं।

आज पंजाब में ये हालत हैं कि कोई सुबह को अपने घर से निकलता है तो शाम को घर वापस आने की उम्मीद नहीं रखता। वहां कितनी ही औरतों के सुहाग उजड़ गए, कितने ही बच्चों का कत्ले-आम हो गया। इसलिए इस मसले पर प्रधान मन्त्री को कुछ करना है। क्योंकि वे वोट से आ गई हैं, वे प्रधान मन्त्री हैं इसलिए हमें उनका अहतराम करना है। इसीलिए मुल्क ने उनको अख्तियार दिया है और इससे उन्हें कतराना नहीं चाहिए। आज उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। मुझे यह ख्याल था कि पंजाब के मसले पर वे कुछ बोलेंगी कि किस तरह से वहां का मसला हो जाएगा। आज भी जो पंजाब में कत्ल हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं। इन दुःखों का एक इलाज है वह शायद सभी मानते हैं। वह इस तरह से होगा कि आप लौंगोवाल जी को लाइए और प्रेस्टीज का मसला न बनायें तो पंजाब का मसला हल हो जाएगा।

श्री रामप्यारे कनिका (राबर्टसगंज) : भिण्डरावाले का क्या होगा ?

प्रो० सैफुदीन सोज : इन्होंने पूछा है कि भिंडरावाले का क्या होगा। आज भिण्डरावाले भी इस पर आ गए हैं कि ट्रिपारटाइट को छोड़िए, अब दोतरफा बातचीत कीजिए। इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी सन्त लोंगोवाल को बुलाएं और इस मसले को हल करें। शुक्रिया।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष जी, आज इस हाउस के सामने बहुत गम्भीर मसले के ऊपर 4 बजे से चर्चा शुरू हुई और हमारे देश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, दोनों तरफ के नेताओं ने हिस्सा लिया।

मसले की गम्भीरता को देखते हुए और जिस तरह से इस सदन में चर्चा हुई उसको सामने रखते हुए एक चीज का हमें बहुत जरूरी विश्लेषण करना होगा कि पंजाब की हालत जो हमारे सामने है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब का सियासी वातावरण आज इतना भयानक हो गया है कि वहाँ के आम साधारण नागरिक को अपनी सुरक्षा, अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा, अपनी जिंदगी की सुरक्षा बहुत मुश्किल से करनी पड़ रही है। आज की पृष्ठभूमि के प्रमुख वक्ता प्रो० दण्डवते जी ने जहाँ अपना भाषण समाप्त किया मैं वहाँ से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं या मैं प्राइम मिनिस्टरसाहबा से चाहूंगा कि सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल को बुलाएं और इस मसले को हल

करें। मैं प्रो० दण्डवते जी से नम्र निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई आश्वासन ले लिया है सन्त हरचन्द जी से कि वे मसला हल करने के लिए आने लिए तैयार हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) हम केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप सत्ता दल हैं और आपका दल सत्ता में है। आपको अवश्य जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

श्री बूटा सिंह : सच्ची बात तो यह है प्रो० साहब कि आज की परिस्थिति में अकाली नेतृत्व का यह हाल हो गया है कि उनमें से कोई नेता ऐसा नहीं है जो यह कह सके, कि हां मैं मसले को हल करने के लिए तैयार हूं। मैं फाइनल बात कर लूंगा। इंक्लुडिंग सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल। (**व्यवधान**) हालत इस तरह से हो गई है कि आज यह भी देखना पड़ गया कि शिरोमणि अकाली दल जो एक राजनीतिक दल है, सियासी पार्टी है, जिसने रूप धारण किया हुआ है कि वह सिखों का एक वाहिद जमात है जिससे दुनिया भर के सिखों को मुसीबत हो रही है। आज यदि अकाली इतना ही कहना छोड़ दें कि वे सभी सिक्खों की नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व के लिए बात करते हैं, तो बाकी के सिक्ख जो हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान के बाहर रहते हैं, उनकी जिंदगी थोड़ी आसान होगी। दुख इस बात का है कि उन्होंने सभी सिक्खों को इस तरह से भ्रम में डाल दिया है कि चाहे कोई किसी विचारधारा का हो यदि वह सिक्ख स्वरूप में चल रहा है, कोई उससे पूछेगा नहीं कि तू उदासी सिक्ख है, निर्मल सिक्ख है, नामधारी सिक्ख है या किसी दूसरे पंथ से ताल्लुक रखता है लेकिन वह इस तरह से लगेगा कि यही है भिंडरावाले का सिख। यह हालत आज की अकाली सियासत ने की है।

आज का यह डिबेट सुनने से पहले मैं सोच रहा था कि जरा ध्यान करूं कि अकाली दल का इतिहास क्या है। कैसे अकाली दल पैदा हुआ। किन परिस्थितियों में पैदा हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो एकाएक मेरे हाथ में एक किताब आई जिसमें अकाली दल की हिस्ट्री लिखी हुई है और किताब लिखने वाले अकाली दल के उस वक्त के महान नेता, सिक्ख धर्म के श्रेष्ठ आगू, श्री आनन्दपुर साहब के जत्थेदार जहाँ से सिक्खी अमृत का प्रचार हुआ था, ज्ञानी प्रताप सिंह, बहुत बड़े स्वतन्त्रता सेनानी, उन्होंने यह किताब लिखी है। उसकी भूमिका जत्थेदार गुरुचरणसिंह टोहरा, प्रेसीडेंट एस० जी० पी० सी० ने लिखी है।

21.00

मैं 1923 के अकाली दल की तस्वीर दो शब्दों में आपके सामने रखूंगा कि उस वक्त का अकाली दल कैसा था ?···(**व्यवधान**) गदर और बबर अकाली मूवमेंट इसमें से निकली है। मेरे पास जो किताब है, यही आपको और मुझे भी पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि उस वक्त न आप थे और न मैं था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस० जी० पी० सी० और शिरोमणि अकाली दल को बैन कर दिया था, उस वक्त पूरे देश में राष्ट्र की एकमात्र पार्टी थी "इण्डिया नेशनल कांग्रेस"। इस पार्टी ने 25-26 नवम्बर, 1923 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह सिद्ध किया गया कि जो अकाली मूवमेंट है, वह हमारे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के मूवमेंट का एडवांस रूप है और वह उससे आगे होकर लड़ने वाली पार्टी है। उस वक्त पंजाब में यह नहीं समझा जा सकता था कि कौन अकाली है और कौन काँग्रेसी ? मास्टर तारा सिंह जो अकाली दल के प्रेजीडेंट थे और पी० सी० सी० के एक्जीक्यूटिव मैम्बर भी हुआ करते थे बाबा खड़ग सिंह, किस-किस का नाम लूं ? इस पृष्ठभूमि में पैदा हुए अकाली दल का आज क्या हाल है ? आज के जो अकाली नेता है, उनकी विचारधारा इनके साथ मिलती ही नहीं। आज की अकाली पार्टी की नीतियों

को देखने के लिए दुख इस बात का है कि उन्होंने यह मुनासिब समझा कि उनके जो थोड़े या ज्यादा नुमाइन्दे इस सदन में या दूसरे सदन में भी थे, वे अपना केस सदन में रखने की बजाय सदन का ही बायाकाट करके चले गए। इसलिए, हमें उनके डाक्यूमेंटस के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। मेरे पास एक डाक्यूमेंट है जो शिरोमणी अकाली दल की बर्किंग कमेटी ने 28 अगस्त 1977 को पास किया जिसमें उन्होंने मूल नीतियों का उल्लेख किया है, जबकि वाजपेयी जी के साथ अकाली नेता इसी सदन में मन्त्री बनकर बैठे थे। उस वक्त की अकाली दल की बर्किंग कमेटी के कुछ मुद्दे मैं सदन के सामने रखूंगा। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वह अकाली दल जिसने राष्ट्र की आजादी में कांग्रेस से भी आगे होकर लड़ाई लड़ी, उसकी विचारधारा क्या थी और आज अकाली दल की विचारधारा क्या है ? इससे पंजाब की समस्या समझने में संकट नहीं होगा। 1977 में अकाली दल की बर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किए जिसमें अपनी नीतियों का उल्लेख किया। उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है जिसमें इस अकाली दल ने यह तय किया कि हमें उस अकाली दल के एम्स एंड आब्जेक्ट्स मन्जूर नहीं। हम इस अकाली दल के एम्स एंड आब्जेक्ट्स नए सिरे से लिखेंगे। उस वक्त की जो भावना थी, उसको तिलांजलि देकर एक नयी भावना इसमें शुरू करने की कोशिश की गई। शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव मैं अब पढ़कर सुना रहा हूं :

> "कांग्रेस सरकार की सिख-विरोधी नीतियों, और देश में व्याप्त राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए; शिरोमणि अकाली दल ने फैसला किया है कि सिख-पन्थ के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पुनः अंकित किया जाए और उनकी प्राप्ति के लिए और जोर से प्रयत्न किए जाएं, ताकि इस प्रकार पन्थ के ज्यादा हितों की सेवा की जा सके।"

जनता पार्टी के प्रभाव में आकर कांग्रेस के साथ दुश्मनी निकालने के लिए अकाली दल ने अपने फण्डामेंटल एम्स एण्ड आब्जेक्टस चेंज किए। उसमें क्या-क्या चेंज किए। इसका उन्होंने बहुत विस्तार से उल्लेख किया। इस बात की चर्चा करने का कोई फायदा नहीं होगा। टैरीटोरियल और रिवर वाटर डिस्प्यूट और दूसरे या तीसरे डिस्प्यूट के पीछे भावना क्या है, यह समझने की जरूरत है। अभी मेरे सहयोगी कांग्रेस भाईयों ने कहा कि यह इश्यूज बहुत देर से चले आ रहे हैं। जब वे जनता पार्टी के साथ थे तो क्यों नहीं इसका जिक्र किया ? उनको एक बार नहीं, कई बार पंजाब में हुकूमत संभालने का मौका मिला। दो बार सरदार प्रकाश सिंह खुद मुख्य मन्त्री हुए एक बार जस्टिस गुनाम सिंह मुख्य मन्त्री हुए और फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि आधे अकाली और आधे कांग्रेसी मिलकर सरदार लछमन सिंह गिल अकाली दल के मुख्यमन्त्री हुए। जो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा एजीटेशन है, जिसको धर्म-युद्ध का नाम देकर, पूरे राष्ट्र में संचालन हो रहा है, इन चीजों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हुए हमें यह देखना पड़ेगा कि वह मुद्दे क्या हैं जिनके बारे में अकाली पार्टी के आज के नेताओं ने अपना दृष्टिकोण बदला है।

सबसे पहले तो उन्होंने वाजपेयी जी के पास अपील की :

> "इसलिए शिरोमणि अकाली दल, जनता सरकार पर जोर देकर अनुरोध करती है कि वे विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों और अन्य लाखों लोगों की आवाज (मांग)को ध्यान में रखते हुए, देश के संविधानिक ढांचे में सही और अर्थपूर्ण संघीय सिद्धांतों के अनुसार परिवर्तन करे, ताकि देश की एकता और अखंडता

के किसी भी खतरे को दूर किया जा सके। और राज्यों को भारतीय लोगों की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और खुशहाली के लिए और उनकी सत्ता का सही प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य बनाया जा सके।"

कांस्टीट्यूशन में फन्डामेंटल चेंजेन्ज के लिए उन्होंने जनता पार्टी के वक्त में मांग की। मैं अकाली पार्टी के लीडरों से जानना चाहता हूं कि अगर यह बात उन्होंने उस वक्त रखी थी, तो जनता पार्टी की हुकूमत में साझेदारी होते हुए भी, उसमें शामिल होते भी उन्होंने उस वक्त क्या कदम उठाए और उसके क्या परिणाम हुए? एजीटेशन तो एक तरफ, उन्होंने इतना भी नहीं किया कि सदन छोड़कर तो चले गये होते या इतना डरावा भी नहीं दिया कि हम आपकी गवर्नमेंट से रिजाइन कर देंगे।

उसके बाद फिर से अकाली दल की बर्किंग कमेटी ने एक चीज पास की कि शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के साथ भी हमदर्दी होनी चाहिए ताकि इन लोगों की वोटों से भी उन्हें हुकूमत मिल सकती है।

अचानक ही शिरोमणि अकाली दल महसूस करने लगता है :—

"कि सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या यह है कि लाखों अनुसूचित जाति के शोषित लोगों की दशा को सुधारा जाए।"

मैं पूछना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी की हुकूमत में प्रश्न उठा कि 10 साल के लिए आरक्षण संरक्षण की अवधि बढ़ा दी जाए तो उनके एम० पीज० ने, मिनिस्टरों ने क्या किया? किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। पुनः कांग्रेस पार्टी को ही यह मौका मिला कि उनकी जो अवधि खत्म हो रही थी, उसको उन्होंने बढ़ाया। शिरोमणि अकाली दल ने इसमें कुछ भी नहीं किया।

अभी श्री सौज लम्बे-लम्बे राग अलाप रहे थे अकालियों की मुहब्बत के और कह रहे थे कि हमारी सरदार प्रकाश सिंह बादल से बड़ी मुहब्बत हैं, प्यार है।

प्रो० सैफुद्दीन सौज : इस तरह से मैंने नहीं कहा, उनकी गलती को गलती मान लिया।

श्री बूटा सिंह : मैं आप से पूछना चाहता हूं कि शिरोमणि अकाली दल ने एक प्रस्ताव पास किया जो इस प्रकार है :—

"सभा खेद व्यक्त करती है कि, देश के विभाजन के परिणासस्वरूप जम्मू और काश्मीर में जा बसे। विस्थापित लोगों के दावों को सुलझाया नहीं गया है और उनका पुनर्वास नहीं किया गया है।"

क्वैश्चन रिहैब्लीटेशन का नहीं है। जब मैं रिहैब्लीटेशन का मिनिस्टर हुआ तो मैंने जम्मू-कश्मीर के साथ कोशिश की, उन्होंने जिम्मेदारी तो मान ली लेकिन आज तक वह लोग गरीबी के अन्दर भटक रहे हैं। जम्मू में एक नहीं लाखों की तादात में वह लोग, जिनका ओरिजन बैस्ट पंजाब में था, वह आज तक जम्मू-काश्मीर के नागरिक न हो सके। क्या प्रकाश सिंह बादल और डा० फारूख अब्दुला आज उनका मसला हल कर सकते हैं? कुछ तो करके दिखाइये। चलिये, मान लीजिए कि हमसे कुछ नहीं

हुआ, आपके बूज्म फ्रैंड हैं प्रकाश सिंह बादल, आप उनके जम्मू-काश्मीर में कैम्पस लगवाते हैं, वहां हर चीज की सप्लाई होती है, कम से कम उनकी एक छोटी सी बात तो मान लें।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : चूंकि आपने जम्मू-काश्मीर की बात की, हालांकि इससे ताल्लुक नहीं रखती है, लेकिन उसके बारे में पूरे कागजात हैं। मैं उनसे एक इम्पार्टेंट प्रश्न करूंगा क्योंकि आपने बात उठाई है। जहां तक रिफ्यूजीज के रिहब्लीटेशन का ताल्लुक है, वह मरकज की जिम्मेदारी थी उसके बारे में बाकायदा एक कोरोसपौंडेंस चली है सैंटर और स्टेट दाम्मान। मैं उसे आपके सामने पेश करूंगा कि मरकजी सरकार ने खुद उन शरणार्थियों को नजरन्दाज किया जो वैस्ट पाकिस्तान से आए हैं और उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दीं।

शेरे काश्मीर शेख मुहम्मद अबदुल्ला ने भी इस बारे में मरकज से शिकायत की थी। मैं अपनी सरकार का मौकिफ आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं। लेकिन श्री आय कह रहे हैं, मैं इससे इत्फिाक नहीं करता हूं :—

श्री बूटासिंह : महोदय, मुझे खेद है कि, मुझे श्री काबुली को भी बताना पड़ रहा है। आप यह क्यों भूल जाते हैं कि मैं कुछ समय तक पुनर्वास मंत्री भी रहा हूं, और मैंने आपके नेताओं और मुख्य सचिव से बैठकें की थीं, न केवल इस बारे में कि इन शरणार्थियों को वहां बसाया जाय और जम्मू और काश्मीर की नागरिकता दी जाय, बल्कि इस बारे में भी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के एक बड़े भाग का दुरुपयोग किया गया था ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : नहीं, नहीं ; हम फिर कहेंगे कि हमें आपसे शिकायत है कि आपने शरणार्थियों की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया और जो कुछ किया है, रियासत की सरकार ने किया है।

श्री बूटासिंह : आपको सूचना नहीं है, मेरी तो मीटिंग हो चुकी है। इन राशियों का मात्र इस लिए प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि राज्य सरकार उन्हें शरणार्थी ही नहीं मानती है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)**

वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। आप बीच में व्यवधान नहीं डाल सकते। श्री काबुली, आप क्या कर रहे हैं ? यह सभी की प्रक्रिया नहीं है, कृपया बैठ जाइए। जब कभी भी कोई मन्त्री या माननीय सदस्य बोल रहे होते हैं, तो कोई बीच में बोलना चाहता है, तो नियम यह है कि आप खड़े हो कर पूछें कि वह मान रहे हैं या नहीं। जबकि मंत्री माने या कोई सदस्य माने, तभी आप बीच में बोल सकते हैं। यह प्रक्रिया है, कृपया इसका पालन करें। मैं समझता हूं कि आप एक नए सदस्य हैं। इसलिए आप प्रक्रिया को नहीं समझते हैं। अगर वह माने, तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, वह आरोप लगा रहे हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : तब भी आप, बिना अनुमति के बीच में नहीं बोल सकते हैं। मंत्री महोदय, क्या आप मान रहे हैं ?

श्री बूटासिंह : नहीं, श्रीमन ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। मेरे पास कोई शक्ति नहीं कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूं। वह मान नहीं रहे हैं। श्री काबुली, बैठ जाइए। अगर आप हर बात के लिए खड़े होंगे तो, मैं कैसे सभा की कार्यवाही चला पाऊंगा ? आपको सहयोग देना चाहिए ।

श्री बूटासिंह : श्रीमन, अगले संकल्प में, तत्कालीन जनता पार्टी के सहयोगी, अर्थात अकाली नेताओं ने अपने 18वें वार्षिक अधिवेशन में यह कहा था कि उन्हें कि अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के प्रति किए जा रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार और जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की जा रही है, के प्रति आपत्ति है। इसलिए, यह मांग करती है कि अन्य राज्यों में सिखों के प्रति किए जा रहे अन्याय को रोका जाए और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये।

श्रीमन, इस प्रश्न को तत्कालीन सरकार के सामने रखा जाना चाहिए था। श्रीमन, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय केन्द्र में कांग्रेस सरकार में, हमारे यहां अल्पसंख्यकों समेत सभी समुदाय के सदस्य मंत्रीमण्डल में थे। लेकिन मात्र अकालियों की मांग को पूरा करने के लिए, हमारे समय में बंगाल में, जम्मू और काश्मीर में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश, हरियाणा व मध्य प्रदेश राज्यों में एक-एक सिख मन्त्री थे।

क्या श्री वाजपेयी मुझे बता सकते हैं कि उनके शासनकाल के दौरान, हरियाणा को छोड़कर, कहां-कहां सिख मंत्री थे ? क्या यह कांग्रेस द्वारा किया गया पक्षपात है ?

कांग्रेस हुकूमत के वक्त आठ, नौ स्टेट्स में सिख मिनिस्टर था। जनता पार्टी की हुकूमत में जो यहां पर बैठे हुए थे, उनका भी दम घुट रहा था। यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिखों की दुश्मन है और अकाली दल ने एक प्रस्ताव में कहा है कि कांग्रेस की वजह से हम अपनी मूल नीतियों में परिवर्तन लाने जा रहे हैं।

इसमें देखना पड़ेगा कि क्या कारण हैं ? अकालियों को हथकण्डा कौन बना रहा है। यहां कि साम्प्रदायिक दल या हिन्दुस्तान के दुश्मन मुलक इस वक्त अकालियों को हथकण्डा बनाकर हिन्दुस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अकाली दल की पिछली बैठक में उनमें आपस में बड़ी भारी बहस चली थी।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : क्या आप यह एक गम्भीर आरोप लगा रहे हैं कि समस्त अकाली दल के पीछे कुछ विदेशी शक्तियों का हाथ है ?

श्री बूटासिंह : मैं कह रहा हूं कि हमें सोचना पड़ेगा। वे अपनी मुख्य नीतियों को बदल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या आप कृपया पंजाब में चल रही गतिविधियों

पर एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करेंगे ? यदि आपको इतना ही पक्का विश्वास है तो आप श्वेत-पत्र प्रकाशित क्यों नहीं करते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री बूटासिंह : महोदय, मैं हार नहीं मान रहा हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : आवश्यकता क्या है ? यह तो रिकार्ड में है।

(**व्यवधान**)

श्री बूटासिंह : महोदय, मैं अपने भाषण की छोटा करने के लिए बहुत सी बातों को छोड़ रहा हूं। आप तो जानते ही हैं कि विदेश-नीति में उन्होंने क्या मांगा है ? अपनी विदेश नीति में शिरोमणि अकाली दल ने भारत की विदेश नीति की जोरदार शब्दों में निन्दा की है।

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या बुराई है ? आप उनसे सहमत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।

श्री बूटासिंह : विदेश नीति कांग्रेस पार्टी तैयार करती है। यह निरर्थक, निराशाजनक और देश के हितों के बिल्कुल विपरीत हैं। क्या आप कह सकते है कि यह देश के हितों के प्रतिकूल है। (**व्यवधान**)

मैं सभा को यह बता रहा हूं कि विदेश नीति के बारे में उनके मतभेद इस सीमा तक हैं कि जो कुछ वे चाहते हैं आप स्वयं देख लें। (**व्यवधान**) मैं उस दस्तावेज को पढ़कर सुना रहा हूं जिसे शिरोमणि अकाली दल के कार्यालयी संकल्प ने जारी किया है। मैंने यह कहते हुए अपनी बात आरम्भ की थी आप को यह भी देखना है कि अन्य दल क्या कहते हैं। जब तक आप यह नहीं देखते हैं कि अन्य दल क्या कहते हैं तो आप निर्णय कैसे ले सकते हैं ? (**व्यधधान**)

उनकी विदेश नीति यह है कि कि शिरोमणि अकाली दल भारत की केवल उस विदेश नीति का समर्थन करेगा जो कि शान्ति और राष्ट्रीय हित के सिद्धांतों पर आधारित होगी। वह सभी पड़ौसी देशों के साथ, विशेषकर जहां पर सिक्ख रह रहे हैं, शान्ति की नीति की जोरदार शब्दों में वकालत करते हैं। क्या आप किसी ऐसी नीति की कल्पना कर सकते हैं जो कि विदेशों में रह रहे समाज के कुछ वर्गों को खुश करने वाली हो ? वाजपेयी जी, आप शायद ऐसी नीति बना सकते हैं। कोई और ऐसी नीति नहीं बना सकता है। (**व्यवधान**)

महोदय, विदेशी नीति कुछेक आन्ध्रवासियों और जनता के एक वर्ग के लिए जो कि कुछ देशों में रह रहा है, के लिए नहीं बनाई जाती है। महोदय, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि सिख विदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके कार्य की सराहना की जाती है। जिन देशों के वे नागरिक बन गये हैं। उन देशों को उनके खरे योगदान की भी सराहना की जाती है, परन्तु इस मांग पर कि विदेशों में रह रहे हमारे समाज के कुछ वर्गों को प्रसन्न करने के लिए ही केवल देश को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी अच्छी सरकार ऐसे सिद्धांतों पर कोई विदेश नीति बना सकती है।

महोदय, एक और बात पर मैं चाहता हूं कि मेरे विपक्ष के मित्र गम्भीरतापूर्वक विचार करें,

वह यह है कि शिरोमणि अकाली दल का यह दृढ़ मत है कि उन सभी लोगों को—स्त्री या पुरुष—जिन्हें न्यायालय ने किसी दण्डनीय अपराध में दोषी न ठहराया हो, किसी प्रकार के लाइसेंस के बिना सभी प्रकार के छोटे हथियार रखने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

प्रोफेसर साहब मैं यह तो समझ सकता हूं कि सबको लाइसेंस शुदा हथियार दिए जाएं परन्तु क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रत्येक हट्टे-कट्टे स्त्री-पुरुष को बिना लाइसेंस के अपनी पसन्द के हथियार दे दिए जाएं। क्या आप दे देंगे।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : प्रोफेसर दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी पत्नी के पास लाइसेंस वाला हथियार भी हो।

श्री वसन्त साठे : बिना लाइसेंस के, आप सदन में तो ला सकते हैं।

श्री बूटासिंह : महोदय, हम जानते हैं कि बिना लाइसेंस के वे कैसे हथियार अपने पास रखना चाहेंगे, जैसे रिवोलवर···

श्री वसन्त साठे : मधु के लिए प्रमिला दण्डवते को हथियारों की आवश्यकता नहीं है।

श्री बूटासिंह : वे रिवोलवर, बन्दूकें, पिस्तोलें और कार्तोइन आदि साथ रखना चाहेंगे।

महोदय, मैं ये कुछेक बातें सदन के समक्ष रखना चाहता था। इन मुख्य नीतियों पर, क्या विपक्षी दल इन बातों से सहमत है?

आज अमृतसर में क्या हो रहा है? भाटिया जी यहां पर बैठे हुए हैं, गुरुद्वारे के बाहर क्या होता है वह तो सारी दुनिया जानती है लेकिन गुरुद्वारे के अन्दर भी चार-चार घण्टे तक आपस में फायरिंग चलती है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में क्रास-फायरिंग होती है हर हफ्ते और जो गटर पास होता है बिल्डिंग्ज के नीचे से उसमें से मासूम नौजवानों की लाशें मिलती हैं। और फिर बहुत से दोस्त आ करके कहते हैं कि यह एक्स्ट्रिमिस्ट्स का काम है, अकाली दल का काम नहीं है। मैं भी मानता हूं कि अकाली दल का काम नहीं है लेकिन अकाली दल के दफ्तर के नीचे से मेन गटर से लोगों की लाशें मिलें तो क्या पूछा नहीं जा सकता? वे काम्पलेक्स में किस प्रकार का नियन्त्रण रख रहे हैं। एक दो बार तो दरवाजे के बाहर डैड-बाडीज रख दी गई जो कि पुलिस को उठानी पड़ीं।

आज यह जो वातावरण पंजाब में फैलाया जा रहा है वह किन नीतियों पर आधारित है?

मैं इस बात के खिलाफ हूं कि किसी की सर्च हो और किसी को परेशान किया जाए लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारी भी सर्च होती है जबकि हम बाहर जाते हैं। गाड़ी सर्च होती है और इससे पूछा जाता है। अपनी आईडेंटिटी डिसक्लोज करने के बाद भी वे लोग, जब तक कि उनको तसल्ली नहीं होती, छोड़ते नहीं हैं। कहा गया कि एशियाड में सर्चेज की गई। मुझे भी बहुत दुःख हुआ, बहुत से खेल प्रेमी यह बात नहीं चाहते थे। वे इसीलिए नहीं आए क्योंकि रास्ते में सर्च होती है। लेकिन ऐसा वातावरण किसने पैदा किया? क्या शिरोमणि अकाली दल की तरफ से प्रस्ताव नहीं पास हुआ था जिस

दल की आप यहां पर वकालत कर रहे हैं ? उन्होंने अपनी पार्टी में यह प्रस्ताव पास किया था कि एशियाई खेलों में जाकर गड़बड़ी करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इन नीतियों से असहमत हूं, परन्तु उन्हें प्रकाशित करने का उनका अधिकार है ।

श्री बूटा सिंह : इसके साथ-साथ हेड्स आफ कामनवेल्थ कंट्रीज की जो कांफ्रेन्स हुई थी उसमें भी उन्होंने एक लम्बा-चौड़ा पत्र, बाहर से आए हुए हेड्स आफ दी स्टेट्स को भेजा जिसमें बहुत से मुद्दे लिखे हुए हैं। पहली बात तो मैं यह नहीं जानता कि किसी भी माप-तौल से वह चीज अनिवार्य है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि उसकी ओर के हर प्रकार के उसूलों को एक तरफ रखकर बाहर से आए हुए हैड्स आफ दि कामनवेल्थ कन्ट्रीज के पास सीधे चिट्ठियां लिखी जायें। आप कहेंगे कि आजादी है। बड़ी खुशी से आजादी है लेकिन देश में यदि कोई राजनीतिक समस्यायें हैं जिनको निपटाने की क्षमता अपने आप में नहीं रखते हैं तो अन्य देशों के हेड्स के पास जायेंगे और उनसे अपील करेंगे ? वह अपील भी किन सूरतों में की गई है वह भी जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। कामनवेल्थ कन्ट्रीज के जो हेडस यहां पर आए हुए थे उनसे यह कहकर अपील की गई कि ब्रिटिश राज में हमने अंग्रेजों की मदद की थी। मैं तो कहता हूं जिसने भी यह पत्र लिखा है उसने शिरोमणि अकाली दल की सेवा की हो या न की हो लेकिन उसने सिखों के साथ बहुत अन्याय किया है। सिख इस देश के बहुत सच्चे सपूत और पक्के देशभक्त हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं। आज उनके लिए यह कहना कि हमारी बात आप इसलिए सुनिए क्योंकि हमने उस वक्त आपकी सेवा की थी। मैं समझता हूं यह सिखों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा पत्र बाहर से आए हुए राज्याध्यक्षों के सामने शिरोमणि अकाली दल ने भेजा और आज तक एक भी विरोधी दल ने उसकी भर्त्सना नहीं की है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उस दस्तावेज पर किसने हस्ताक्षर किए हैं ?

श्री बूटा सिंह : सन्त लोंगोवाल ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास भी उस दस्तावेज की प्रति होनी चाहिए ।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, वे हर बात को गुप्त रख रहे हैं ।

श्री बूटा सिंह : यह सभी को बांटा गया है। उपाध्यक्ष जी, मैंने यह कह कर अपना भाषण शुरू किया कि उनमें से यदि कोई वहां पर होता तो शायद अपना केस पेश करता, लेकिन अब डाक्यूमेंट को देखना पड़ेगा। समय बहुत हो गया और मैंने आज तक जानबूझकर इसलिए हिस्सा नहीं लिया कि मैं सोचता हूं कि पंजाब में वातावरण इतना वायोलिंस के साथ सरचार्डस है, मैं मानता हूं कि शिरोमणि अकाली दल के नेता इस वक्त लाचार हैं, यह उनके बस की बात नहीं है, और वे फंस गए हैं। उनमें आपस में एक-दूसरे के ऊपर इतना ससपिशियन हो गया है, एक-दूसरे में इतना भय उत्पन्न हो गया है कि वे एक दूसरे से डरते हैं। वे शायद कोई फैसला न ले सकें ।

मैंने एक बहुत ही सीनियर अकाली दल के नेता, जो संविधान की प्रतिलिपि को जलाने वाले थे, को बुलाकर उनसे बातचीत की। मैंने यहां तक कह दिया कि मैं मानता हूं, जैसा प्रो० सौज साहब ने कहा कि धारा-25 में ऐसी कोई बात नहीं है, जो सिक्खों के खिलाफ है। हमारे सबसे बड़े जस्टिस नरूला

साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक नहीं अनेकों ऐसे सरदार हैं, जो कानून को जानते हैं, मैं तो कानून को नहीं जानता हूं, कहा कि इससे कुछ नहीं है, जिस को आप जला रहे हैं। बड़ी संजिदगी के साथ नम्र निवेदन किया कि देखो इसको जलाने से कुछ होने वाला नहीं हैं। एक चीज जरूर होगी कि देशवासियों में एक भ्रम पैदा होगा कि सिक्खों ने भारत के पवित्र डाक्यूमेंट कान्स्टीचूशन को जलाया है। यह एक ही ऐसा दस्तावेज है, जो हम सब भारतीयों को जोड़ कर रखता है, चाहे किसी धर्म के हों, किसी भाषा के हों या किसी क्षेत्र के हों। यह वह दस्तावेज है, जिसके नीचे बादल साहब ने मुख्यमन्त्री के पद की शपथ ली थी, बरनाला साहब ने केन्दीय मन्त्री पद की शपथ ली थी। टोहरा साहब भी एक बार इस सदन के सदस्य थे, उन्होंने भी शपथ ली थी। लोंगोवाल साहब भी एक बार पंजाब विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने भी शपथ ली। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस डाक्यूमेंट को क्यों जलाने जा रहे हैं, जिस पर हाथ रख कर उन्होंने शपथ ली है। हमें जो प्रो० सौज सिक्ख मानते ही नहीं हैं, केवल अकाली दल को ही सिक्ख मानते हैं। सभी अकाली सिक्ख हो सकते हैं किन्तु सभी सिक्ख अकाली नहीं हो सकते हैं। जो अकाली दल का मैम्बर होगा, वही अकाली पार्टी का सदस्य हो सकता है। इसके बाहर अनेक सिक्खों की तादाद ऐसी है, जो अकाली पार्टी के मैम्बर नहीं हैं, वे कांग्रेस पार्टी के मैम्बर भी हो सकते हैं, जनता पार्टी के मैम्बर भी हो सकते हैं और शायद एक-या-दो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। मैंने उनसे प्रस्ताव किया कि भाई हम तो चाहते हैं कि लोगों में हमारे संविधान के प्रति जो श्रद्धा की भावना है, वह बनी रहे और यदि आप चाहें इस के लिए हम सभी नेताओं से मिलकर व प्रधान मन्त्री जी से मिलकर निवेदन भी कर सकते हैं कि इसको अमेंड किया जाए। यदि आप इसी को मानते हैं कि हमारा धर्मयुद्ध इसी के ऊपर जीता जा सकता है, तो इसके अमेंडमेंट के लिए भी बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप अमेंड कर भी दें तो भी हम जलायेंगे। मेरे समझ में यह नहीं आया कि यह कहां का लॉजिक है। आप मान भी जायेंगे तो भी हम जलायेंगे। ऐसी बातों को सामने रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी कोई डिमां-ड्स भी नहीं हैं, इसके पीछे और कुछ ही बात है। जो उन को इस तरफ मोडिवेट कर रही है और एक बड़ी भयंकर फूट उन के अन्दर आपस में पड़ी हुई है। वहां जो राष्ट्रीय ख्याल के अकाली हैं वे नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि वे मैदान में उतर कर यह कहें कि वह शिरोमणि अकाली दल जो देश की आजादी में सबसे आगे था और जिसने आगे बढ़कर बलिदान दिया था, आज उस में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्र के लिए आगे निकले और कहे कि हम सिख होते हुए, पंथ के वफादार होते हुए भी हिन्दुस्तान के बहादुर सपूंत हैं, देश के सच्चे भक्त हैं और कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे देश कमजोर हो।

आज बहुत चर्चा हुई उग्रवादियों के बारे में, सन्त भिंडरांवाले के बारे में, बबर-खालसा के बारे में और यह भी कहा गया कि यह सब कांग्रेस की पैदाइश हैं। मैं कहना चाहता हूं। आप जो नेतागण यहां बैठे हैं, जो उनके बहुत बड़े पहलवान हैं और जो आपके असर में है, उनमें कोई ऐसा हिम्मतवाला निकले जो कह दे कि यह राजनीतिक मसला है, इसका हल बातचीत से करेंगे। वे बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब उनकी वकालत करते हैं कि लोंगोवाल साहब को बुला लीजिए। मैं प्रोफेसर साहब से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, प्रोफेसर साहब, जरा गम्भीरता से उनके साथ बैठिए और सब कुछ मानने के बाद यह मोर्चा बन्द करवा दें तो मैं समझूंगा कि आपने बहुत बड़ा काम करवा दिया। अकाली दल की लीडरशिप इतनी बेवस और लाचार हो चुकी है कि सब कुछ करने के बाद भी मोर्चा जारी रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ और बात है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पंजाब की समस्या एक राष्ट्रीय

समस्या बन गई है और उसी के साथ-साथ राष्ट्रीय चिन्ता का मामला भी। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हैं। बहुत ही ठण्डे और शान्त दिमाग से हम सभी को पंजाब और हरियाणा की घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए और जब तक हम उचित शिक्षा नहीं लेते हैं और आवयश्क कदम नहीं उठाते हैं तो मेरे विचार से देश स्वयं बड़ी मुसीबतों में फंस जायेगा।

इसमें बहस का कोई मुद्दा नहीं है। श्री बूटासिंह जी ने आज अकाली दल के संकल्पों और निर्णयों को पढ़कर सुनाकर असामान्य रूप से एक लम्बा भाषण दिया है और सारा दोष अकालियों के मत्थे मढ़ दिया है, जिससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई भी अकाली दल की राजनीति और उनके सभी संकल्पों का समर्थन नहीं करता है। अकाली दल के काम करने के ढंग से हमारे मतभेद हैं और प्रत्येक मामले में हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। परन्तु आज पंजाब में कुछ समस्याएं हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जो न केवल अकाली दल के मामले रह गए हैं, परन्तु यहां तक कि कांग्रेस-इ के सदस्य भी उनका समर्थन कर रहे हैं। आप अकालियों को लाख दोष दें, परन्तु आज स्वयं आपकी पंजाब पार्टी श्री भाटिया के नेतृत्व में कह रही है कि आप चण्डीगढ़ को पंजाब को सौंप दें, जल-विवाद को जल-न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाए और फाजिल्का और अबोहर को पंजाब में ही रहने दिया जाए। यह वही बात है जो अकाली दल कहता आ रहा है, कारण चाहे कुछ भी हो। यह अकेले अकाली दल का प्रश्न नही है, शायद वे भी जनता के दबाव में आकर यह अनुभव करते हैं कि यह पंजाब के हित में है और वे भी वही बात कह रहे हैं। तर्क-वितर्क करने और हर बात का दोष अकालियों के मत्थे मढ़ने और यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि उनकी गतिविधियां उनका रवैया और नीति और जो कुछ भी वे कह रहे हैं, सब गलत है। यदि आप ऐसी नीति अपनाते है तो आप स्वयं को उसी स्थिति में पायेंगे जैसी कि मुस्लिम-लीग की जब यह बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत थी, हो गयी थी, जिसने उसने जैसे-तैसे भारत के मुसलमानों के मनोभावों और भावनाओं को पकड़ लिया था और हमारे कुछ राष्ट्रीय मुस्लिम नेता पूर्णतया मुस्लिम जनता से विमुख हो गए थे तो ऐसा कहीं कांग्रेस (इ) के सिख नेताओं के साथ न हो जाए। इन सब बातों के लिए आप उन्हें दोष दे सकते हैं। परन्तु हम यह भी जानते हैं। हमने भारतीय संविधान के जलाये जाने के निन्दा की है फिर चाहे वह प्रकाश सिंह बादल हों, श्री लोंगोवाल हों, या कोई अन्य। मेरे विचार से यह भारी गलती है और यहां तक कि यह एक राष्ट्रीय गलती है जो कि वह कर रहे हैं। उन्होंने अपने आपको अलग-अलग कर लिया है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें बातचीत के दरवाजे बन्द कर देने चाहिए। मैंने कुछ कांग्रेस (इ) के नेताओं को कहते सुना है; "जब तक वे क्षमा नहीं मांगते और जो अपराध किए हैं उन्हें बन्द नहीं कर देते हैं, तब तक उनसे कोई बात न की जाए।" (व्यवधान) क्या आप यह रवैया अपनायेंगे ? मुझे प्रसन्नता है कि आपने दरवाजे बन्द नहीं किए हैं। परन्तु मैं कह रहा हूं ; 'कृपया बातचीत के दरवाजे बन्द मत कीजिए।'

मुझे दुःख है कि शायद प्रधानमन्त्री महोदया ने जान पूझकर इस मामले पर चुप्पी साधी है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों, राष्ट्रीय मामलों और वित्तीय मामलों पर और हमारी भाषा नीति पर बहुत अच्छा भाषण दिया है। परन्तु इस पर वह जानबूझकर चुप रही हैं। परन्तु वह देश की नेता और इस सरकार की नेता होने के नाते इस राष्ट्र-व्यापी चिन्ता वाली समस्या के बारे में क्या सोचती हैं। सम्भवतः वह ठीक है। मैं उनसे यह घोषणा करने की अपेक्षा नहीं करता हूं कि वह तुरन्त सन्त लोंगोवाल को लिखकर उन्हें दिल्ली आने के लिए कहेंगी। परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि वह यह सब बातें ध्यान

में रखेंगी। उन्हें कोई न कोई हल तो ढूंढ़ना ही होगा। उन्होंने इस समस्या का कोई न कोई हल तो निकालना ही होगा।

श्री प्रकाश सिंह बादल मुख्य मन्त्री थे, उनमें से कुछ राज्य में और कुछ केन्द्र में मन्त्री थे वे एक राजनीतिक दल के नेता हैं। उनके बहुत से सगे-सम्बन्धियों ने देश की सुरक्षा के लिए अपना खून बहाया है। यदि उन्हें किसी तरह से और जोर देकर इस ऐसी स्थिति के लिए बाध्य किया गया है जहां पर वे क्रोधवश या आक्रोशवश संविधान को जला रहे हैं तो हमें उन्हें और ऐसी स्थिति में नहीं धकेलना चाहिए, जिससे कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जोकि हमारे राष्ट्रीय हितों को और भी अधिक हानि पहुंचाए।

हम सभी ने संविधान को जलाने की उनकी कार्यवाही की निन्दा की है। यह तो आपको पता ही है। विपक्ष में सभी ने ऐसा किया है। हमने उनको बातचीत के लिए बुलाने का भी भरसक प्रयास किया है। वे यहां 45 मांगें लेकर आए थे, परन्तु हमने वे कभी नहीं मानी। उन्होंने राजस्थान से पानी की मांग की, उन्होंने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से क्षेत्र की मांग की। हमने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। वे आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को सम्मिलित करना चाहते थे। गृह मन्त्री महोदय और हमने उसे स्वीकार नहीं किया। अन्ततः उन्हें अपनी मांगें घटाकर 4 या 5 तक करने के लिए प्रेरित किया गया। उनकी मांगों में सभी कुछ बुरा नहीं है और आपके रवैये में भी सभी कुछ सही नहीं है।

परन्तु जब किसी समझौते पर पहुंचने की संभावना थी, कोई हल ढूंढ़ने का अवसर था तो खेद पूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि वे आपने खो दिए हैं। और केन्द्रीय सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गलतियां तो की जाती हैं, परन्तु मुझे आशा है कि उन्हें सुधारा भी जायेगा। आज देश की स्थिति गंभीर है। हम देख चुके हैं कि पानीपत में क्या हुआ। गत 28 वर्षों से मैं उन स्थानों पर जाता रहा हूं जहां पर साम्प्रदायिक दंगे, झगड़े हुए हैं, परन्तु मैंने ऐसी घटनाएं घटती नहीं देखी हैं। क्या हम इससे सबक नहीं सीख सकते? हिंसा हमारी राजनीति का एक अंग बन चुकी है। यह एक गम्भीर बात है। आजकल धार्मिक स्थल राजनीतिक आन्दोलनों के केन्द्र बन गए हैं। यह गम्भीर बात है। आज जब कभी भी हिंसा की घटना होती है तो स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से नाकारा और पंगु हो जाता है—फिर चाहे वह पंजाब पुलिस हो या पंजाब प्रशासन अथवा हरियाणा पुलिस हो या हरियाणा प्रशासन। गुरद्वारे जलाए जा रहे हैं, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की जा रही हैं और सम्पत्ति नष्ट की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है अथवा यदि वह इन शक्तियों के साथ मिली भगत कर रहा है या उनके प्रति उसकी सहानुभूति है क्या यह गम्भीर बात नहीं है?

आज साम्प्रदायिक शक्तियां इस स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठा रही है और मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता कि बाहरी शत्रु भी इस स्थिति से लाभ उठाना चाहेंगे और वे भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहेंगे। क्या हम देश के अन्दर विभाजक शक्तियों को और देश के बाहर विरोधी शक्तियों को इस प्रकार ऐसा अवसर प्रदान नहीं कर रहे कि वे उस स्थिति का लाभ उठाएं? क्या हमें इस स्थिति से सीखना नहीं चाहिए। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं। जहां हम स्वयं को असहाय मान रहे हैं। हम असहाय होने की दशा को प्राप्त हो चुके हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। हम विपक्ष में है और और हम सब एक निश्चित बिन्दु पर स्वयं को असहाय अनुभव कर रहे हैं। हम किसी सीमा तक बहुत आशावादी हैं। हो सकता है स्थिति के प्रति आपका मूल्यांकन अलग हो। यदि ऐसा है तो आप उसके अनुसार इससे निपटिए। यदि आप यह अनुभव करते हैं, यह तरीका सही नहीं है आप दृढ़ नीति अपनाएंगे तो आप समाधान नहीं कर पायेंगे, आप बिलंब करने की नीति अपना सकते हैं किन्तु मैं समझता हूं यह

अच्छी बात नहीं हो रही हैं, यह नहीं होना चाहिए। हमें इस स्थिति से सबक सीखना चाहिए। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि हमारे संविधान का खुले आम अनादर किया जा रहा है। आज मुझे केन्द्रीय हाल में किसी ने बताया है कि अकाली कार्यकर्त्ताओं ने अपने मुख्यालय में संविधान की प्रतियां जलाई गई हैं इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने में गृह मन्त्री महोदय अधिक अच्छी स्थिति में है। अब किसी अन्य चीज की तरह यह प्रवृत्ति थी फैल रही है। समाधान पाने के लिए क्या हमें तुरन्त कुछ नहीं करना चाहिए?

यदि प्रधान मन्त्री आज अकाली नेताओं को आमंत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि शायद उनमें से कुछ जेल में है, शायद आज ऐसी स्थिति नहीं कि प्रधानमंत्री उन्हें आमंत्रित करें—उचित समाधान पाने हेतु प्रधानमन्त्री की उन्हें आज सदन से आमंत्रित करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर बैठना चाहिए और एक उचित समाधान खोजना चाहिए। हम अनुभव करते है कि यह बातें पंजाब और हरियाणा की जनता के हित में होगी। आपको अपनी ओर से इसकी एकपक्षीय घोषणा करनी है। यदि आप लोगों से विचार-विमर्श करना चाहते है, आप भजनलाल से विचार-बिमर्श कीजिए, हरियाणा के विपक्षी नेताओं से परामर्श करिए यदि आप आवश्यक समझते है तो यहां पर विपक्षी नेताओं के साथ विचार-विमर्श कीजिए, अपने दल से विचार-विमर्श कीजिए और निर्णय लीजिए। एक इस प्रकार की भावना सारे देश में, विशेषकर सिख जाति में घर नहीं करनी चाहिए कि उनकी उचित मांगें भी स्वीकार नहीं की जा रही है। इसलिए आप निर्णय लीजिए और एकपक्षीय रूप से उसकी घोषणा करिए तथा जनमत तैयार कीजिए कि आप पंजाब में साम्प्रदायिक आतंकवाद से किस प्रकार मुकाबला करने जा रहे है। इसके केवल दो तरीके है। राजनीतिक रूप से लड़िए तथा जनता को शिक्षित कीजिए, और देश के अन्य भागों में सिख जाति और हिन्दुओं को यह अनुभव करने दीजिए कि आप उचित नीति अपना रहे हैं तथा वे ही नासमझ बनते जा रहे हैं। दूसरे आपको स्थिति से प्रशासनिक रूप से निपटना होगा क्योंकि लोग डरे हुए हैं। दिन के समय मोटर साइकिल पर सवार कुछ लोग आते है और चौक में आम लोगों को गोली मारकर चले जाते हैं। किसी भी उग्रवादी को जो लोगों पर गोली चला रहे और हत्या कर रहे हैं—उसी स्थान पर नहीं मारा गया है। वे आते हैं, जनता पर गोली चलाते हैं और हत्या कर देते हैं तथा बिना किसी नुकसान के चले जाते हैं। इस स्थिति से कारगर तरीके से निपटने केवल यही दो तरीके हैं। और कोई तरीका नहीं हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : इसको दोहरा खेल खेलना कहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह आपकी समझ से हो सकता है। यदि आप इस प्रकार से अनुभव करते हैं तो मैं आपकी वृद्धि को चुनौती नहीं दे रहा हूं। यदि आप इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं तो कृपया आप जो चाहते हैं वह करिए। किन्तु यह मेरा कर्त्तव्य है कि अपने देश के हित में मैं जो भी महसूस करता हूं, आपको बता दूं। यह देश का ऐसा उच्चतम मंच है जहां मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। यदि श्री साठे ऐसा अनुभव करते हैं। तो वे जिस तरीके से स्थिति से निपटना चाहें निपटे बस वह देश के हितों को पूरा करने वाली हो, यह सब आपके ऊपर है। हमारा कर्त्तव्य केवल यह है कि हम जो ठीक महसूस करते हैं, वह आपको सुझा दें, यह आप पर है कि आप किस प्रकार स्थिति से निपटना चाहते हैं।

श्री वसंत साठे : मैंने इस बारे में यह बात केवल इसलिए कही, क्योंकि आपने ही कहा था कि क्या साठे इस बारे में कुछ महसूस करते हैं? केवल यही कहना चाहता हूं कि जितनी समझदारी और तर्क संगति से आप बोल रहे हैं। और वाजपेयी जी और दंडवते जी बोले, उतनी ही समझदारी से क्या आप श्री लोंगोवाल और अकाली दल के प्रमुख को उग्रवादियों की हिंसा—जिसका अभी आपने उल्लेख किया

—रोकने के लिए सहमत नहीं कर सकते थे ? यदि वे अपना समर्थण वापस ले लेते तो क्या—आप यह कहना चाहते हैं कि उग्रवादियों की गतिविधियां फिर भी जारी रह सकती थी ?

श्री चन्द्रजीत यादव : श्री साठे द्वारा उठाया गया यह जो मुद्दा है— इस बारे में हमारे मन में कभी दुविधा नहीं थी और हमने सीधे उनकी भर्त्सना की है। अपने कलकत्ता सम्मेलन में हमने कड़े शब्दों में हिंसा की निंदा की और यह बात अपने प्रस्ताव में भी कही। हमने यह भी कहा कि पूजा स्थलों को अपराधियों का शरणस्थल नहीं बनाया जाना चाहिए (**व्यवधान**) मैं परिणामों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। श्री बूटासिंह और उनमें से कुछ ने अपने आपको असहाय महसूस किया था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री पनिका, वह मान नहीं रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्री बूटासिंह और हमारे सोचने में यह अन्तर है कि हम सभी जानते हैं कि अकाली दल के नेतृत्व के समझदार वर्ग, को भी एक सीमा तक किसी स्थिति विशेष ने रोका हुआ था था और वे भी असहाय थे। इसी कारण से वे कह रहे थे, "कृपया कोई उचित समाधान खोजिए तभी हम उग्रवादियों से लड़ने में समर्थ हो सकेंगे। जितना जल्दी सम्भव हो, उचित समाधान खोजने में हमारी सहायता कीजिए। यह पहला मुद्दा है।

दूसरी बात यह है कि हिंसा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के वे कभी भी खिलाफ नहीं थे। यदि आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, यदि प्रधानमन्त्री कहती हैं कि गुरद्वारों में पुलिस भेजने से कुछ प्रतिक्रिया होगी और यदि प्रधानमंत्री ऐसी समझ रखती हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे कहेंगे, "आप गुरद्वारों में प्रवेश कीजिए" और आप उनसे यह कहलवाना चाहते हैं कि, "कृपया आप स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कीजिए," और आप कहेंगे कि इसकी प्रतिक्रिया होगी इसलिए हम अपनी सेना को नहीं भेज रहे हैं।" ऐसा मत कीजिए।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : उपाध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से···

श्री चन्द्रजीत यादव : उनकी अनुमति से नहीं, मेरी अनुमति से

उपाध्यक्ष महोदय : आप मानते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : हां।

श्री बूटा सिंह : क्या मैं बहुत साधारण प्रश्न पूछ सकता हूं ? श्री चन्द्रजीत यादव जी जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से भी अच्छी तरह से जानता हूं, व्यावहारिक समाधान खोजने में परिश्रम करते रहें हैं और उनके प्रयासों की हम सराहना करते हैं। किन्तु एक बात है आप मुझसे सहमत थे कि कुछ हत्यारे भी असहाय हैं। वे इस सीमा तक असहाय है कि वे एक सराय से स्वर्ण मंदिर के पवित्रतम स्थान पर भेज दिए जाते है। क्या इस प्रकार की असहायता से इस स्थिति में कुछ मदद मिलने वाली है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह बात किसने कही है ?

श्री बूटासिंह : स्वयं अकाली यह कहते हैं (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : अंत में, मैं फिर कहूंगा कि गृहमंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए। श्री बूटासिंह ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा था कि, "क्या आपमें से किसी ने लोगोंवाल से बात की थी और पाया था कि वह दिल्ली आएंगे ?" मैं सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहना नहीं चाहता हूं, किन्तु आपने मुझसे पूछा है, तो मैं कहूंगा कि जब मैं स्वर्ण मंदिर गया था तब मैंने श्री लोंगोवाल से पूछा था कि क्या यह सम्भव है कि यदि प्रधानमंत्री आपको आमंत्रित करती है तो क्या आप आयेंगे और यदि आप मुझे बता दें तो मैं जाऊंगा और यह बात प्रधानमन्त्री को बता दूंगा क्योंकि तब, आपको वादा-खिलाफी नहीं करनी होगी यदि वास्तव में आप आने के लिए सहमत है।" और उन्होंने कहा था, "हां, यदि प्रधानमंत्री मुझे आमंत्रित करेगी तो मैं आऊंगा, "जब उस समय मैंने प्रधानमन्त्री से बात की थी तो उन्होंने कहा था, "यदि यह वार्ता उच्चतम स्तर पर होगी और यदि यह विफल हो जाती है तो कुछ भी नहीं बचा रहेगा बात पक्की हो जाने दीजिए। मैं उनकी बात को समझ सकता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाधान की सम्भावना की शर्त पर एक समय वह आने के लिए तैयार थे, और प्रधानमन्त्री ने भी कहा, "उन्हें आमंत्रित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना नहीं चाहती हूं।" उन्होंने यह कहा, मैं बिल्कुल ठीक रहा हूं। प्रधानमन्त्री ने कहा—यदि मुझे लिखित रूप से आमंत्रण भेजना पड़ेगा तो मैं भेजूंगी क्योंकि यदि यह राष्ट्रीय हित में है और यदि कोई समाधान सम्भव है तो मैं इसको कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना नहीं चाहती। हम समाधान के निकट पहुंच गए थे। अब बाद में जो घटनाएं हुई, स्थिति खराब से खराब होती जा रही है। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय हित के लिए कृपया इसे कीजिए। अन्यथा, जिस प्रकार से हरियाणा में गुरद्वारे जलाए गए, नष्ट किए गए उनका अनादर किया गया, वह स्थिति भयावह है। गुरद्वारे केवल पूजा स्थल ही नहीं है, वे सांस्कृतिक केन्द्र भी है। सिख समुदाय के लिए वे जीवन स्रोत है। आपने कहा कि यह चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है हम इस प्रकार से बातचीत करेंगे। किन्तु ऐसी बातें होती है। इस देश में छोटी-छोटी बातें तो होती ही है और यह खुले आम हो रहा है। इसलिए बातें इस सीमा तक नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि श्री बूटासिंह ने भी कहा था कि उ० प्र० से आए श्रमिक, निर्दोष लोगों की हत्या की गयी थी। यदि उ० प्र० में कुछ होता है तो यह और भी बुरा होगा। इसे गम्भीर चिंता के साथ देखा जाना चाहिए। इसीलिए स्थिति को बेहतर नहीं होने देना चाहिए।

मैं गृहमन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि वे सतत संभावनाओं का पता लगाते रहे और एक सर्वसम्मत समाधान पाने का प्रयास करते रहें तथा उसके पश्चात अंतिम समझौते के लिए प्रधानमन्त्री को पहल करनी चाहिए।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : निर्दोष लोगों की जो हत्याएं की जा रही हैं उस निराशा-जनक पूर्वपीठिका में सदन ने पंजाब की स्थिति पर चर्चा की है। यह बड़े खेद की बात है कि यह हिंसा जान-बूझकर फैलाई जा रही है ताकि हिन्दुओं और सिखों के बीच कटुता और अविश्वास उत्पन्न हो। केवल सरकार ही नहीं पूरा देश इन प्रवृत्तियों के बारे में, जो कि राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध हैं, चिन्तित है। अत: वाद-विवाद में राष्ट्रीय एकता के उचित परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। मैं उन सोलह माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया। मैं प्रधानमन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री श्री बूटा सिंह का भी आभारी हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वाद-विवाद के बीच स्वयं हस्तक्षेप करके मेरी सहायता की।

पंजाब में हाल ही में हुई दुःखद घटनाओं पर विचार करने से पहले मैं सदन को संक्षेप में शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधियों के साथ, दल की विभिन्न माँगों के सम्बन्ध में हुई वार्ताओं के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि समय-समय पर यह कहा जाता रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है।

सरकार शिरोमणि अकाली दल की विभिन्न मांगों के बारे में काफी अर्से से उनके साथ चर्चा करती रही है। उनकी मांगें मोटे तौर पर तीन प्रकार की हैं अर्थात (1) सिख सम्प्रदाय की धार्मिक मांगें, (2) वे मांगें जो पंजाब के साथ-साथ अन्य राज्यों से सम्बन्धित हैं और (3) कुछ सामान्य मामलों सम्बन्धी मांगें।

सरकार ने अकाली दल की सभी धार्मिक मांगों को मान लिया है। यदि सरकार कुछ मांगों को कार्यान्वित नहीं कर पाई है तो उसके लिए दोष अकाली दल का है क्योंकि उन्होंने सूचना मन्त्रालय के अधिकारियों को उनका काम नहीं करने दिया : सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि प्राचीन अमृतसर नगर में, जिसमें हरिमन्दिर साहिब और दुर्गियाना मन्दिर के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं, एक निर्धारित क्षेत्र में तम्बाकू, शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा। सरकार ने स्वर्ण मन्दिर से 1-1/2 घण्टा प्रातः और 1/2 घण्टा सायंकाल के समय आल इण्डिया रेडियो के जालंधर केन्द्र से गुरुवाणी का सीधा प्रसारण करने की बात भी स्वीकार कर ली थी। सिखों द्वारा अन्तर्देशीय उड़ानों के समय कुछ खास आकार की कृपाण साथ ले जाने, पहले 4 इन्च की कृपाण ले जाने की अनुमति मांगी गई थी जबकि बाद में 6 इन्च के लिए कहा गया और हमने इसे भी स्वीकार कर लिया था, के लिए सहमति दे दी गई थी। अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम के सम्बन्ध में भी, जो पंजाब के अतिरिक्त अन्य राज्यों और उन राज्यों में रहने वाले सिख समुदायों पर प्रभावी है, सरकार ने यह कह दिया था कि वह एस०जी०पी०सी०, सम्बन्धित राज्य सरकारों और इसमें दिलचस्पी रखने वाले अन्य दलों के परामर्श से ऐसा विधेयक, जिसके अन्तर्गत सभी विशिष्ट ऐतिहासिक गुरुद्वारे आ जायें, बनाने पर विचार करने के लिए तैयार है। यहां यह गया था कि एस०जी०पी०सी० इस बात पर सहमत हो गई थी कि हम इस पर सम्बन्धित गुरुद्वारों और राज्य सरकारों से परामर्श कर सकते हैं तथा उनकी सहमति ले सकते हैं। यह ठीक नहीं है। जो भी हो, अकाली इस बात पर बल देते रहे हैं कि परामर्श केवल श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के साथ किया जाना चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विधेयक को लागू करने से पहले सभी अन्य दलों की सहमति प्राप्त करे।

अकाली दल ने ऐतिहासिक गुरुद्वारों की सूची नहीं दी है और विभिन्न बैठकों में विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं जिनमें उनकी संख्या 10 से लेकर 30 तक बताई गई है।

जहां तक स्वर्ण मन्दिर से गुरुवाणी के प्रसारण का सम्बन्ध है, अकाली अधिक समय तक प्रसारण की मांग कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने गुरुवाणी के प्रसारण के लिए अपेक्षित उपकरणों को प्रतिष्ठापित करने की व्यवस्था कर दी थी और इस उद्देश्य हेतु कार्मिक भी तैनात कर दिए थे लेकिन सरकार को उपकरणों के प्रतिष्ठापन में अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा।

जहां तक नदी जल-विवाद का सम्बन्ध है सरकार का हमेशा यही मत रहा है कि इसका संबंध हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के लोगों से है, अतः इस मामले पर समझौते के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखना होगा।

पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल-विवाद के मामले को सरकार अन्तर्राज्यीय जल-विवाद

अधिनियम के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाए जाने वाले न्यायाधिकरण को सौंपना चाहती थी। मैं इस मामले में विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि विपक्षी दल के जिन सदस्यों ने त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लिया, वे इस बारे में जानते हैं। एक समय प्रश्न केवल रावी-व्यास नदियों के जल के सम्बन्ध में था; लेकिन बाद में अकाली दल द्वारा यमुना नदी के जल के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया। बहरहाल इसे बाद में छोड़ दिया गया। उन्होंने राजस्थान के जल के आबंटन के प्रश्न को भी पुनः उठाने का प्रयत्न किया जिसके बारे में सभा को स्मरण होगा कि यह मामला त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान काफी पहले निपटाया जा चुका था। सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है। रावी-व्यास नदियों के अतिरिक्त जल के विवाद का मामला, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है, केवल हरियाणा और पंजाब का मामला है और इसका निर्णय एक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। राजस्थान के हिस्से का मामला और यमुना के जल का प्रश्न इस सन्दर्भ में शामिल नहीं किये जा सकते।

जहां तक राज्य-क्षेत्र सम्बन्धी विवाद का सम्बन्ध है, सदस्यों को याद होगा कि शाह आयोग ने चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया था, किन्तु 1970 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधानमन्त्री की हैसियत से यह निर्णय किया था कि चण्डीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए तथा अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को तथा अन्य सभी दावे तथा प्रतिदावे एक आयोग से सौंपे जायें। अकाली दल की मांग यह है कि चण्डीगढ़ तो तत्काल पंजाब को दे दिया जाये तथा अबोहर और फाजिल्का आदि सम्बन्धी सभी दावे और प्रतिदावे आयोग को सौंपे जाए। हरियाणा के सभी वर्गों के लोग इसके विरोध में हैं।

सरकार ने किसी अन्य राज्य की उपेक्षा किए बिना अपनी ओर से उनकी सहायता के भरसक प्रयास किए और निम्नलिखित चार विकल्पों में से कोई भी बात मानने की अपनी इच्छा व्यक्त की है:

(1) 1970 के अवार्ड को कार्यान्वित किया जाये;

(2) सभी विवादों और दावों को, जिसमें चण्डीगढ़ का प्रश्न भी शामिल है, एक नये आयोग को सौंपा जाये;

(3) चण्डीगढ़ को पंजाब और हरियाणा के बीच बांट दिया जाए तथा शेष विवाद एक आयोग को सौंप दिये जायें; तथा

(4) दोनों राज्यों को स्वीकार्य कोई अन्य विकल्प अपनाया जाये।

अकाली दल इनमें से कोई भी बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

सामान्य मामलों में, अकाली दल की मुख्य मांग यह रही है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के प्रश्न, के पुनरीक्षण के लिए विधि विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाए, जैसी कि उनके आनंदपुर साहिब संकल्प द्वारा मांग की गई है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र-राज्य संबंधों तथा सम्बन्धित विचारणीय मामलों की जांच के लिए सरकार पहले ही सरकारिया आयोग का गठन कर चुकी है। इससे पहले भी सरकार ने इस पर विचार किया था। अकाली दल इस बात पर अड़ा हुआ है कि सरकार को यह मामला सरकारिया आयोग को सौंपते समय आनन्दपुर साहिब संकल्प का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के उन माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता

में भाग लिया और कोई भी सदस्य आनन्दपुर साहिब संकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अत: माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जिनके मन में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की भावना है, वे आनन्दपुर साहिब संकल्प में दिए गए प्रस्तावों का समर्थन नहीं कर सकते। एक समय अकाली दल इस मांग को छोड़ने पर सहमत हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से इसकी मांग रखी। अकाली दल को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वह इसके विचारणीय विषयों के अन्तर्गत आने वाली कोई भी बात सरकारिया आयोग के समक्ष रख सकता है।

संधि वार्ताओं के दौरान सरकार ने अकाली दल से यह आश्वासन मांगा था कि धार्मिक स्थानों का प्रयोग शस्त्र एकत्र करने और उन व्यक्तियों को शरण देने के लिए न किया जाये, जिनको पुलिस पकड़ना चाहती है। यह आश्वासन भी मांगा गया था कि धार्मिक दलों के विवादों का निपटारा शांति-पूर्ण ढंग से और बिना हिंसा किए किया जाना चाहिए। उनकी ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। दूसरी ओर, हिंसा की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है तथा स्वर्ण मन्दिर के क्षेत्र में तथाकथित खालि-स्तान का झण्डा फहराने की अनुमति दी गई है। इस राजद्रोही कार्य को करने वालों को अभी कानून के सुपुर्द किया जाना है ताकि उन्हें दण्ड दिया जा सके।

अब अकाली दल ने एक नई मांग उठाई है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन किया जाए। इससे भी बढ़कर उन्होंने यह किया है कि संशोधन के लिए सांवैधानिक प्रक्रिया अपनाने की बजाय उन्होंने संविधान का एक भाग जलाने का कार्यक्रम बनाया है। मैं सभी दलों और वर्गों के उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इसका विरोध किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। संविधान का जान-बूझकर अनादर करने के इस कुकृत्य से पूरे राष्ट्र को दु:ख हुआ है।

सरकार ने हमेशा ही बातचीत के जरिये समाधान ढूंढ़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। इसी भावना से सरकार ने विपक्षी दल के नेताओं को अकाली दल से वार्ता करने के लिए आमन्त्रित किया था। 14 फरवरी को त्रिपक्षीय सम्मेलन करके इस दिशा में एक और प्रयास किया गया था।

त्रिपक्षीय बैठक में जिस मुख्य प्रश्न पर चर्चा की गई वह राज्य-क्षेत्र सम्बन्धी था। कुछ उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए थे और बैठक आगे चर्चा करने के लिए अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इस बीच पंजाब के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, तथा विपक्षी नेताओं तथा अकाली प्रतिनिधियों के सुझाव पर अकाली दल के नेताओं को वापिस लौटने तथा राज्य में शांति स्थापित करने तथा सामान्य स्थिति लाने की प्रक्रिया में सहायता देने के लिए बैठक को थोड़े समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अत: यह कहना ठीक नहीं कि सरकार ने उन्हें पहले ही वापिस भेज दिया था और वार्ता बन्द कर दी है।

यह आशा थी कि बैठक 3-4 दिनों के बाद पुन: होगी। वास्तव में बैठक 20 तारीख की बुलाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन सरकार को यह जानकर दु:ख हुआ है कि अकाली दल ने त्रिपक्षीय वार्ता में आगे भाग लेने से इन्कार कर दिया है। इस बीच पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसा की वारदातें जारी हैं। इसके साथ ही हरियाणा में भी कई स्थानों पर अचानक हिंसा भड़कने से स्थिति और गम्भीर हो गई है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि, अपने आंदोलन को जारी रखते हुए, अकाली दल ने 8 फरवरी

को पंजाब बन्द का आह्वान किया था। हालांकि बन्द के कारण किसी प्रकार के जान-माल की हानि नहीं हुई थी, लेकिन सड़क और रेल यातायात में काफी रुकावट आई है और जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी है।

14 फरवरी को हिन्दू सुरक्षा समिति ने कई एक संगठनों के सहयोग से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बन्द का आह्वान किया था। कई संगठनों ने इसका विरोध किया था और कई स्थानों पर झगड़े और हिंसा की वारदातें हुईं। इनमें से एक हिंसा की वारदात, अमृतसर में हुई, जहां कि भीड़ ने अमृतसर रेलवे स्टेशन पर रखी कुछ वस्तुओं को नुकसान पहुंचाया, जिससे कि एक समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसका जिक्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया है। एक अन्य घटना में स्वर्ण मन्दिर के परिसर से गोलियां चलाई गयीं, जिसमें एक पुलिसमैन समेत चार व्यक्तियों की जान गई। उस दिन हुए झगड़ों में 11 व्यक्तियों की जान गई और और 18 पुलिसमैनों समेत 76 व्यक्ति जख्मी हुए। उस दिन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर स्थिति शांतिपूर्ण रही। पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर इसके बाद घटनाएं हुईं। कई स्थानों से बन्द, हड़ताल और हिंसक वारदातों की खबरें मिली हैं। 7 तारीख को अमृतसर में एक गम्भीर घटना हुई। स्वर्ण मन्दिर परिसर से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक ही गोलियां चलाई जाने लगीं। पुलिसमैनों ने अपने बचाव के लिए जवाबी गोलियां चलायीं। काफी समय तक दोनों तरफ से गोली-बारी जारी रही, जिसके फलस्वरूप उस इलाके के लोगों में काफी तनाव और डर पैदा हो गया। गृह सचिव को हरियाणा और पंजाब के अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए भेजा गया था।

19 तारीख को पानीपत में दो समुदायों के बीच, एक और गम्भीर घटना हुई, जिसमें आठ व्यक्तियों की जानें गयीं। पूजा के एक स्थान से पुलिस ने 46 व्यक्तियों को बचाया। स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हरियाणा को और अधिक अर्ध-सैनिक सेना भेजी गई। मैंने 20 तारीख को हरियाणा का दौरा किया और जनता के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और मुख्यमन्त्री के साथ स्थिति की समीक्षा की। ऊर्जा मन्त्री श्री शिव शंकर ने अमृतसर का दौरा किया और इसी प्रकार वहां चर्चा की।

दुर्भाग्यवश, कई एक हिंसक घटनाओं और उग्रवादियों द्वारा लोगों को मारे जाने से, पंजाब में स्थिति और बिगड़ गई है। 21 फरवरी से प्रायः हर रोज ही लोगों के मारे जाने की घटनायें हो रही हैं और अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 44 लोगों की जानें जा चुकी हैं। घायलों की संख्या 58 से अधिक है।

जिनमें महिलायें और बच्चे भी शामिल हैं निर्दोष व्यक्तियों की अकारण हत्याओं ने देश को झकझोर दिया है। मुझे विश्वास है कि यह सभा एक दफा पुनः मेरे साथ उन परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करेगी, जिनके सदस्यों को मार डाला गया है और उन ताकतों की निन्दा करेगी जोकि डर पैदा कर रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सभा धार्मिक स्थानों का, हथियारों के जमाव और अपराधियों को छुपाने, जोकि कानून द्वारा घोषित अपराधी हैं ; के प्रयोग पर पूर्ण रूप से निन्दा करेगी।

साम्प्रदायिक हिंसा, सम्पत्ति की क्षति हानि और धार्मिक स्थानों को अपवित्र करना, चाहे यह हिन्दुओं द्वारा किया जाये या सिखों द्वारा, ऐसे जघन्य कार्य हैं जिनकी कड़ी निन्दा की जानी चाहिए। न ही जवाबी हिंसा या प्रतिकारात्मक हिंसा का ही कोई औचित्य है। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता

हूं कि सरकार हिंसा को सख्ती से खत्म करने के लिए हर सम्भव कदम उठायेगी, चाहे, इसके लिए उसे कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पंजाब में कानून और व्यवस्था मजबूत बनाये रखने के लिए पहले ही तंत्र मजबूत किया जा रहा है और इस बारे में अनुदेश जारी किए गए हैं कि जहां कहीं भी—चाहे पंजाब, हरियाणा या कहीं भी=हिंसा हो उसके साथ सख्ती से निपटा जाये।

हरियाणा में स्थिति में सुधार हुआ है और मुझे विश्वास है कि यह शान्तिपूर्ण रहेगी।

सरकार ने हमेशा ही बातचीत के जरिए समझौता करने के लिए तत्परता दिखाई है, तथापि, मुझे विश्वास है कि सभा और राष्ट्र इससे सहमत होंगे कि कोई भी विवाद, हिंसा और डराने-धमकाने से हल नहीं किया जा सकता।

सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग लेने के लिए, मैं उनका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वास्तव में माननीय मन्त्री ने कई एक मुद्दों पर उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चुप रहें। प्रो० मधु दण्डवते, उत्तर देने जा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मन्त्री जी को जवाब देना चाहिए था।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लम्बी बहस के बाद, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। चन्द एक मिनटों में, मैं उठाये गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर कुछ मुद्दे रखना चाहूंगा।

प्रधानमन्त्री, संसदीय कार्य मन्त्री और गृह मन्त्री को सुनने के बाद, ऐसा लगता है कि जो समस्या हमने उठाई है, उसे सरकार ने टालने का रुख अपनाया है। मैं कोई इसके पीछे उद्देश्य नहीं पाता लेकिन यह मेरी आम धारणा है। उदाहरण के तौर पर, संसदीय कार्य मन्त्री ने कुछ मुद्दे उठाये हैं, सभा के समक्ष कुछ दस्तावेज रखे हैं और सम्मेलन में भाग लेने आये प्रतिष्ठित विदेशी प्रतिनिधियों को भेजे गए कुछ दस्तावेज हमारे समक्ष रखे हैं। उनका विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में थे और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे सामने मूल प्रश्न से उन मुद्दों का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि हम अपने प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं और सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस मामले का तुरन्त राजनीतिक हल किया जाए तो इसका कारण केवल यही है कि, पंजाब की समस्या के साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले जुड़े हुए हैं। इस समय हम विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य से सम्बद्ध बातों से चिन्तित नहीं हैं न ही हम विभिन्न समस्याओं के प्रति आपके रवैये के बारे में चिन्तित हैं, इस समय हम केवल विवादाधीन समस्याएं के प्रति चिन्तित हैं।

श्री बुटासिंह : क्या आप सोच को कार्यवाही से अलग कर सकते हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : हो, यह सम्भव है।

श्री बूटा सिंह : मैं ऐसा नहीं समझता। आपके दल के लिए, यह बात हां हो सकती है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सम्भव है। मिसाल के तौर पर, साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का मत

विदेश नीति के प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकता है। लेकिन जब कभी आम हित की बात की जाती है, तो वह नहीं चाहेंगे कि इस बात को सामने लाया जाये अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है। आपके भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन यह एक अलग प्रश्न है।

श्रीमन्, कई एक प्रश्न उठाये गए हैं। उदाहरण के तौर पर, जहां तक संविधान का प्रश्न है, यह बात रिकार्ड में है कि यहां कहीं भी और जब भी संविधान का अपमान किया गया है, अनादर किया गया है विपक्ष सदा उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाता रहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने यह बात कही है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसी पर आ रहा हूं। आप तत्काल ही मेरे साथ अपना मतभेद व्यक्त करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका इस पर कोई मतभेद नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : अब भी मैं कुछ कहूंगा तो वे उससे सहमत नहीं होंगे। कृपया मुझे कहने दें कि मतभेद क्या है। जब कभी भी संविधान का अपमान होता है, तो विपक्ष सदा उसके विरुद्ध आवाज उठाता है। चाहे हम संसद में हों या आपातस्थिति के दौरान जेल में थे, आपात स्थिति के दौरान चाहे संविधान को खत्म किया गया हो या चाहे संविधान को ही भंग करने का प्रयास किया गया हो हर दफा हमने संविधान को बदनाम करने के खिलाफ आवाज उठाई है। यह बात रिकार्ड में है। इसलिए अकाली दल द्वारा संविधान को जलाये जाने की हम कठोर शब्दों में निन्दा करते हैं। विश्व के इतिहास में जब धार्मिक सुधारक मार्टिन लूथर जैसे लोगों को जिन्दा जलाया गया, उनका शरीर जलाकर राख कर दिया गया लेकिन फिर भी धार्मिक सुधार की भावना हमेशा ही विद्यमान रही है और जो कोई भी भारतीय गणराज्य के संविधान को जलाने या खराब करने की कोशिश करेगा, जिस कागज पर संविधान लिखा हुआ है वह चाहे जलकर राख हो जाये, लेकिन संविधान की लोकतांत्रिक भावना हमेशा ही जीवित रहेगी और हम हमेशा ही संविधान की स्वतन्त्रता के समर्थक रहेंगे। आपातकालीन स्थिति के दौरान अथवा बाद में, यही हमारा रवैया रहा है और भविष्य में भी हमारा यही रवैया रहेगा।

एक माननीय सदस्य : आपातकालीन के बाद आपने संविधान को समाप्त करने की कोशिश की थी।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : आप क्या बात कर रहे हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है। जो कुछ वह कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है। लेकिन मत भूलिए आपने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष को वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत आपराधिक मुकदमों की परिधि से बाहर करना चाहते थे। इस प्रकार एक घिनोने कार्य करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने मुझे उकसाया है, इसलिए मुझे यह सब कहना पड़ा। इसको भी रिकार्ड में जाने दीजिए।

दूसरे, चर्चा के दौरान विपक्षी दलों पर एक आरोप यह लगाया है कि हम विघटनकारी और साम्प्रदायिक तत्वों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब कुछ लोगों का यह मत है कि हम सत्ता दल पर इस समस्या के राजनीतिक हल के लिए जोर डाल रहे हैं तो यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें समर्थन

दे रहे हैं। मैं मात्र यह करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी ताकत को बढ़ावा न दिया जाए हम साम्प्रदायिक आधार पर संघर्ष की राजनीति और वातावरण बिल्कुल नहीं चाहते हैं, समझौते का वातावरण बने और देश में कहीं भी साम्प्रदायिक तनाव न हो। मैं समझता हूं कि विपक्ष द्वारा देश में अपनाए गए वास्तविक रुख के अतिरिक्त कोई भी रवैया ज्यादा धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि मेरा मत कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए। (**व्यवधान**) यह ठीक है। जब हम यह कहते हैं कि हम समझौते की राजनीति अपनाना चाहते हैं तो, हम एक ओर पंजाब में चल रहे व्यक्तिगत आतंक से घृणा करते हैं, साथ ही पानीपत में हुए सांप्रदायिक पागलपन की भी निन्दा करते हैं। मुझे खुशी है कि इस सभा के दोनों पक्षों ने इस हिंसा और साम्प्रदायिकता की निन्दा की है।

श्रीमन्, एक और पक्ष भी है। एक बहुत ही खतरनाक बात की जा रही है कि प्रतिकार के सिद्धान्त के अनुसार हिंसा को जायज बताया जा रहा है। विभाजन के पश्चात, हमने इस सिद्धान्त को सुना है।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी) : किसी ने ऐसा नहीं सुना।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आपके बारे में नहीं कह रहा। देश में ऐसी बात हो रही है। आपको सड़कों पर, बाजार में ऐसा सुनने को मिलेगा। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा। देश की सड़कों पर लोगों को इसका समर्थन करते हुए आप सुनेंगे। बाजार में गलियों में आप लोगों को इस बारे में फुसफुसाते सुन सकते हैं—खुलेआम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं पर निजी तौर पर वह प्रतिकारात्मक हिंसा का इस आधार पर, कि यह केवल अकाली लोगों में से कुछ उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा का प्रतिशोध है, समर्थन करते हैं महोदय गांधी जी के इस देश ने अंग्रेजों के जमाने में भी प्रतिकारात्मक हिंसा का विरोध किया था और 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह सिद्ध भी कर दिया था। जब 1932 में हजारों पठानों ने पेशावर में खड़े थे तो उन्होंने कानून की अवज्ञा कर सत्याग्रह किया तो स्वतन्त्रता सेनानियों पर गोली चलाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को बुलाया गया लेकिन पठान अपनी छाती खोलकर खड़े हो गए और कहने लगे कि उन्हें बरसाने दो गोलियां, हम यह सिद्ध कर देंगे कि बहादुरों की अहिंसा शोषण कर्ताओं की हिंसा से कहीं अधिक बलवान होती है और यह उस जमाने में देश ने सिद्ध किया और गांधी की भूमि पर हम इसी पथ का अनुसरण करना चाहते हैं। यह खुशी की बात है कि सभा में प्रतिशोधात्मक हिंसा का कई लोगों ने विरोध किया है। हमें इस प्रतिशोधात्मक हिंसा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मतिभ्रष्ट ही होगा तथा विकृतियां उत्पन्न होगी और ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते।

इस चर्चा से अन्ततः एक बहुत रचनात्मक सुझाव विशेषकर विपक्षी दलों की ओर से आया है। आप इसका मजाक उड़ा सकते हैं। यह संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा मुझसे पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में था प्रश्न यह था कि क्या हम अपने प्रभाव से अकाली दल के प्रमुख को विचार विमर्श हेतु बुलाने के लिए ला सकते हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे और आप भी अपनी कोशिश जारी रखिए। निसन्देह त्रिपक्षीय वार्त्ता का मंच एक महत्वपूर्ण मंच था किन्तु उससे अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सके तो हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और दोनों पक्षों की ओर से फिर प्रयास किया जाना चाहिए यदि वे दोनों व्यक्ति जिनके हाथ में अपने-अपने संगठन की सत्ता है जो सरकार की ओर से तथा अकाली दल की ओर से लोगों की सहमत करा सकते हैं आपस में बैठकर मामले पर विचार विमर्श करें तो हो सकता है समस्या का कुछ निदान निकल आए। एक दूसरे पर यह आरोप

लगाने से कुछ लाभ नहीं होगा ; "क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं ?" आपने सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली है आपकी कुछ विशेष जिम्मेदारियां और कर्तव्य है हम विपक्षी दल में हैं और हम विशिष्ट रूप से उन लोगों में है जिनका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है हमारी कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्यों के पालन करने में पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हम केवल सरकार को ही असफल नहीं करेंगे लेकिन हम देश को भी निराश करेंगे। हमारे लिए देश सरकार से अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रधानमन्त्री सत्तारूढ़ दल की हो सकती है लेकिन राष्ट्र 60 करोड़ लोगों का है और हमारी देश की आजादी देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा में अधिक रुचि है इसलिए हम बातचीत द्वारा समस्या को निपटाने के कार्य में पूर्ण समर्थन देने का वचन देते हैं और यदि समझौता हो जाता है तो मेरे विचार में सरकार और विपक्षी दल दोनों ही बहुत खुश होंगे और उस अवस्था में लोकतंत्र जीवित रहेगा, धर्मनिरपेक्षता कायम रहेगी देश की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता बनी रहेगी। यही हमारा विचार है और इसीलिए हमने यह रचनात्मक सुझाव दिया है।

चूंकि मैं यह महसूस करता हूं कि इस रचनात्मक सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, अत: मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में मत दे ताकि इस विषय पर हमारी सशक्त भावनाएं देश की जनता के सामने अभिव्यक्त हो सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'कि सभा अब स्थगित हो'

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रखेगी श्री अब्दुल रशीद काबुली कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मोहतरिम डिप्टी स्पीकर, मैं सदरे जम्हूरियत के ऐड्रस के उस हिस्से की तरफ आपकी तज्जह दिलाना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब बुधवार 29 फरवरी 1984 को सायं 5 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

22.17

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 29 फरवरी 1894/10 फाल्गुन, 1905 (शक) को पांच बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित